श्री

हिदायतनामः मालगुज़ारी

मज़ारिय मुमालिक मग़रबी व शिमाली

जो कि सन् १८६४ ई० इलाहाबाद में दुरुस्त होकर

तब्अ हुआ है

उरदू से नागरी में तरजुमः होकर

बमूजिब फ़रमायश पंडित माधोराव साहब तहसील्दार तिरवाह ब पंडित गोबिन्दरा

ब साहब तहसील्दार रवदोह ब तहरीक मुन्शी देबीपरशाद साहब साबिक़ तहसी

ल्दार बदयूल्हाल सैदनपूर ज़िला गाज़ीपूर

बतवज्जः व क़दर दानी

जनाब साहब डिपटी कमिश्नर बहादुर ज़िला नमाड़ दाम इक़बालहू

वास्ते नफ़ा अवाम व ख़वास मख़सूस मुल्क नागपूर व मुमालिक मग़रबी

व शिमाली व अवध वग़ैरः अहदः दारान व तअल्लुक़दारान

मतबा मुन्शी नवलकिशोर में छापागया

सि. ७ मा होस. सन् १८६८ ई०

॥हिदायतनामा मालगुज़ारी॥

॥पहिली फ़स्ल॥

॥बतौर मुक़द्दमः के॥

दफ़ा १ बमूजिब क़वायद हिन्दोस्तानी सरकारों के ज़र आमदनी जो उनको ज़मी मिलता है हक़ीक़त में लगान ।।लगान उसे कहते हैं जो काश्तकार मालिक को देता है और उसको त और लगती और ज़र भेज भी कहते हैं ।। है इस वास्ते कि सिवाय मुक़द्दमात ख़ास ठेक: जागीर के हिन्दोस्तानी सरकारें अपनी तलबी नक़दी हो ख़्वाह बटाई असिल तकार से किया करते हैं मालिक हो या न हो और जो कुछ फ़ायदह क़लील व के मुहतमिम को मिलता है वह हक़ मिलकियत नहीं बल्कि बतौर हक़्क़ुलसई दिया जाता है मुमालिक मुतअल्लिक़े अहातः बंगालः में यह दस्तूर यहांतक मुब्दल ा है कि सब कहीं ठेक:जात मालगुज़ारों के साथ किये गये और बन्दोबस्त नरम जवीज़ हो के उसकी जमा बहुत मुद्दत तक ख़्वाह दवाम के वास्ते मुक़र्रर हुई रमालिकों को अख़्तियार दिया गया है कि जमा मुक़र्रर: के ऊपर और जो कुछ ज़ल वसूल कर सकें उसको अपने सर्फ़ में लावें इस सूरत में ज़र मालगुज़ारी लगा रा न रहा बल्कि उसका एक हिस्सा हक़ सरकार याने जमा ठहरा ॥

दफ़ा २ जिस जगह यह जमा इस्तिमरारी मुक़र्रर हुई जब तक मालगुज़ार उसको बर अदा करते रहें सरकार को तरक़्क़ी ज़िराअत से अपनी जमा के ज़्याद: होने की कु ाविक़: नहीं है मगर जिस जगह कि जमा सिर्फ़ एक मीआद के वास्ते मुक़र्रर हुई और तके मुनक़ज़ी होने पर कमी या बेशी जमा हो सकती है वहां अलबत्ता तरक़्क़ी ज़िरा त और ज़्यादती तरद्दुद से सरकार की बड़ी ग़रज़ है इस वास्ते कि ज़िराअत के हाल जमा की तरक़्क़ी या तनज़्ज़ुल मुमकिन है ग़रज़ जिस ज़िले में बन्दोबस्त इस्तमरारी हुआ साहब कलक्टर महज़ ख़िराज मुक़र्रर के तहसील ने वाले शुमार हो सकते हैं और जहां बन्दोब मीआद के वास्ते हुआ हो साहब कलक्टर को बड़े इलाक़े का मुहतमिम और मुन्तज़िम

समझना चाहिये॥ ❋

दफ़ा ३ फिर मिलकियत ज़मीन के तरीकों से मुमकिन है कि साहब कलक्टर के काम में एक और ख़ासियत पैदा हो मुमालिक मग़रबी और शिमाली में अकसर वक़्त अलहिद: अलाहिद: मालिकों के साथ अपनी अपनी मिलकियत का बन्दोबस्त नहीं हुआ बल्कि जिस हालत में कई पट्टीदार बाज़ आराज़ी में शिरकत रखते हैं वहां सिर्फ़ उनके कायम मुक़ाम ।।यानेलम्बरदार या सदर मालगुज़ार।। से तासील बन्दोबस्त की हुई ऐसे देहात के पट्टीदार अगर्चि बहुत हों मगर अपने अपने ख़ास रस्म व रवाज से एक गिरह में बंधे और अपने दस्तूरात से मुनाफ़ा की तक़सीम आपस में करते और इस वास्ते अदाय मालगुज़ारी सरकार के भी ज़िम्मेदार रहिते हैं ऐसे देहात के रवाज के मुवाफ़िक़ हर एक पट्टीदार अव्वल तो अपने अपने हिस्से: की जमा का ज़िम्मादार है लेकिन जो कोई पट्टीदार भाग जावै या मुफ़लिस हो जावै तो तमाम गांव उस्की बाक़ी के वास्ते बिलइज्माल ज़िम्मेदार होगा लिहाज़ा बसा औक़ात साहब कलक्टर को ऐसे मुक़द्दमात का फ़ैसला करना पड़ता है जो वाक़ै में लायक़ तजवीज़ अदालत दीवानी के हैं अलबत्ता जब तक जमा सरकार क़रार वाक़ई अदा होती रहै साहब कलक्टर को मदाखिलत का अख़्तियार नहीं है गांव में ख़्वाह एक ही शख़्स मालिक हो या हिस्सेदारों की एक जमाअत व: बेबाक़ रहने से अपने तईं इस ल: माल की दस्तअन्दाज़ी से बचा सकते हैं लेकिन जिस वक़्त बाक़ी पड़े तो साहब कलक्टर को मदाखिलत करनी ज़रूरियात से होती है क्योंकि उनको यह ठहराना पड़ता है कि मिन्जुम्ल: कई पट्टीदारों के किस किस शख़्स के ज़िम्म: बाक़ी वाजिब है और जिस हालत में असल बाक़ीदार से वसूल ग़ैर मुमकिन हो तब यह बात तजवीज़ करनी होती है कि जिस सूरत में कुल शुरकाय ऐसी बाक़ी के ज़िम्म:दार हो सकते हैं और तमाम गांव से किस हाल में और किस तदबीर से इस बाक़ी का वसूल करना चाहिये ॥❋

दफ़ा ४ इन दो ख़ासियतों ।।याने ख़ासियतें मज़कूरह दफ़आत २ और ३ से।। से ज़ाहिर है कि साहब कलक्टर अगर अपना काम बख़ूबी अनजाम किया चाहें तो ज़रूर है कि जितने तारीक़े मिलकियत और जितने दस्तूरात इस ज़िला के देहात में जारी हैं उनसे बख़ूबी वाक़िफ़ हों और जिन बातों से रिआया के हक़ूक़ और अहवाल में असर होता है उनसे भी आगाही रक्खै॥

दफ़ा ५ यह किताब इस वास्ते तस्नीफ़ की गई कि साहिबान कलक्टर असूरात मज़कूर: के अन्जाम में हिदायत और इस्तआनत पावें और कलक्टर माल के ओहद: से बहुत और काम जो मुतअल्लक़ हैं उस्के मुताला से उन्के अन्जाम में भी इआनत हो ॥❋

दफ़ा ६ साहब कलक्टर के काम में पांच सूरतें हैं जिन्के अनजाम के वास्ते पांच तर:

का अख़्तियार उनको हासिल है चुनांचि आसानी और तरतीब के लिये हरएक का बयान अलाहिदः अलाहिदः होगा तफ़सील उस्की यह है अव्वल साहब कलक्टर माल गुज़ारी के तहसील नेवाले हैं दोयम ज़िला की मिलकियत ज़मीन के जस्टरी करनेवाले सोम ज़मींदार और रिआया के दरमियान मुनसफ़ हैं चहारुम अदालत दीवानी के बाज़ क़िसम के फ़ैसलों के जारी करनेवाले पंजुम ज़िला के ख़ज़ाना और हिसाब किताब के रखने वाले ॥

दफ़ा ७ इन मरातिब की तफ़्तीश शुरू करने से पहले ज़रूर है कि ज़िक्र अमलः और अफ़सरों का जो उस काम के अंजाम के लिये उनके सिपुर्द हैं किया जाय अगर लिहाज़ कीजिये तो मालूम होगा कि यह अमलः कुछ थोड़ा नहीं बल्कि बहुत है और इस तरतीब और इन्तज़ाम से है कि अगर ब तदबीर मुनासिब उन्से काम लिया जावे तो ख़ूब काम चले ॥

दफ़ा ८ मुक़ाम सदर में हर साहब कलक्टर के पास एक डिपटी कलक्टर मुतअहिद और एक असिसटंट और एक दो डिपटी कलक्टर ग़ैर मुतअहिद मुअैयन हैं और उनकी कचहरी में एक सरिश्तेदार और कई मुहर्रिर और मुतसद्दियान हिसाब और मुहाफ़िज़ दफ़्तर और ख़ज़ानची और अमलः नज़ारत और कई किरानी हाज़िर रहते हैं ॥

दफ़ा ९ ज़िले में जा बजा मुक़ामात मुनासिब में एक तहसीलदार ब मुशाहिरे कसीर मुक़र्रर है कि वह एक या कई परगनह का यहतिमाम करता है और उसके नीचे एक तहसीलदार और कई मुहर्रिर और चपरासी ब क़दर ज़रूरत रहते हैं सिवा उनके हर परगनः के मुतअल्लिक़ एक क़ानूनगो और हर गांव के वास्ते एक पटवारी मुक़र्रर है और यह दोनों ओहदेदार अकसर मौरूसी समझे जाते हैं और उनका काम यह है कि क़ानूनगो अपने परगनः का और पटवारी अपने गांव का हिसाब किताब तैयार करता है ॥

दफ़ा १० जो ओहदेदार मुतअहिद कि सरकार से मातहत साहब कलक्टर किए गए हैं उनकी निसबत साहब मौसूफ़ के वास्ते एक अमर अहम है इसलिये कि जवाबदेह उनके काम के हैं और जिस क़दर काम कर सकें साहब कलक्टर को ज़रूर है कि उनके सिपुर्द करें इस तरह से कि सब क़िस्म का काम अच्छी तरह सीख जावें और ताहम जुमलः उमूरात में साहब मौसूफ़ के ताबेदार और बेशक यह बात साहब कलक्टर के अख़्तियार में है बशर्ते कि वह ख़ुद अपना काम जानते और तमीज़ और तदबीर वाजिबी रखते हों पस अगर वह इस अमर पर लिहाज़ करेंगे तो उनके नवाबअ़ मुतअहिद उनके पास रहने से ख़ूब वाक़िफ़कार और कारगुज़ार निकलेंगे और अंजामकार उन्हीं की शुक्रगुज़ारी करेंगे कि हमको आपही के वसीले से तरक़्क़ी हासिल हुई बरख़िलाफ़ इसके अगर साहब कलक्टर सब काम अपनेही अख़्तियार में रक्खैं और नवाबे के सिपुर्द करें

में देरी करें तो इसमें कई नुक़शान हैं एक तो अपने तवाबअ़ के हक़ में नाइन्साफ़ी है दूसरे अपना काम नाहक़ बढ़ाता है और ग़ालिबन् इसी सबब से काम भी नातमाम पड़ा रहेगा और रिआया को ज़रर पहुंचैगा अगर साहब कलक्टर मुतवज्जः होकर तक़सीम मुक़द्दमात और काम के तरीक़े अंजाम की फ़हमायश में थोड़ी सी तकलीफ़ उठावेंगे तो उनके तवाबईन को बहुत फ़ायदा और ख़ुद साहब कलक्टर को उन उमदः बातों के इन्सराम की फ़ुरसत मिलेगी जिनका वक़ूअ़ हमेशा ऐसे हर हाकम के काम में जिसको कार अज़ीम सिपुर्द है हुआ करता है यह बात ऐसी गौर तलब है कि इसके ज़िक्र में और तवालत करनी मुफ़ीद होगी इस वास्ते अब एक तरीक़ः मुनासिबः का ज़िक्र किया जाता है लेकिन कुछ ज़रूर नहीं कि ख़्वाही न ख़्वाही उसपर कार बन्द हों ॥ ❀

दफ़ा २१ अकसर दफ़तर की तरतीब बमूजिब अक़साम मुक़द्दमात के होती है मसलन एक तो सीग़ः सरसरी मुक़द्दमात का है और दूसरा सीग़ा दाख़िलख़ारिज का कि बाज़ सीग़ः ज़्यादः और बाज़ कम ज़रूरत के शुमार होते हैं पस साहब कलक्टर अपने गुमान के बमूजिब ख़्वाह वह गुमान वाक़ई हो या ग़ैर वाक़ई जिन मुक़द्दमात की अज़मत कम जान्ते हैं साहब असिसटन्ट के सिपुर्द करते हैं और कुछ अजब नहीं कि इन फ़िसाल के क़वायद और उन्के मतलब से नावाक़फ़ियत के बायस साहब असिसटंट की तजबीज़ में बड़ा मुग़ालतः पड़े इस्से साहब असिसटंट के हक़ में नाइन्साफ़ी होती है और रिआया की निसबत भी ज़ुल्म इसलिये कि उनकी हक़तलफ़ी का अहतमाल है और अगर चि इस्तियार मुराफ़ा से ज़रर फ़ात दारुक मुमकिन है तौभी तजवीज़ सानी बग़ैर तकलीफ़ और ख़र्च ज़ायद के नहीं होसक्ती ॥ ❀

दफ़ा २२ जब तक साहब असिसटंट कचहरी के मुहावरों और ज़वाबित और क़वायद तहक़ीक़ात से वाक़फ़ियत पैदा न करले मुक़द्दमात ईफ़साल के लिये उस्के सिपुर्द न करने चाहियें तरजुमा करने या मुक़द्दमात के ख़ुलासों या कैफ़ियत किसी अमर ख़ास की अंगरेज़ी में तैयार करने से पहिले वक़फ़ियत हासिल करले तो इस सूरत में साहब कलक्टर को भी कुछ मदद होगी और असिसटंट भी ख़ूब तालीम पावेगा जब साहब कलक्टर ज़्यादः ज़िम्मःदारी के काम करनी की इस्तेदाद हासिल करनी चाहिये कि कोई ख़ास काम उस्के सिपुर्द हो जिस्के अंजाम मुनासिब में साहब कलक्टर का जवाबदेः रहे ॥ ❀

दफ़ा २३ इस मतलब के वास्ते और भी और बातों के लिहाज़ से मुनासिब मालूम होता है कि काम किसी तक़सीम तहसील या परगनःवार हो न बमूजिब सीग़ः मुक़द्दमात के सो हर एक तहसीलदारी या परगनः के कुल मुक़द्दमात हर क़िस्म के मदद के किसी ख़ास असिस्टन्ट के सिपुर्द हों कि उस इलाक़े के कुल्ल काम की ख़बरगीरी उसी के मुतअ़ल्लिक़

होगी और ज़रूर है कि मुक़द्दमात की तक़सीम उन अह्काम के मुताबिक़ हो जो तीसरी फ़सल में इन्तज़ाम दफ़्तर के वास्ते मुक़र्रर हैं चुनांचि हर अमलः अपने अपने इलाकः के अक़साम मुक़द्दमात को अह्काम मज़कूर के खानजात के मुवाफ़िक़ तरतीब करे ऐसे बन्दोबस्त का यह फ़ायदः है कि साहब कलक्टर जो काम चाहें अपने इजलास में रक्खें और जो चाहें डप्टी या असिस्टंट के सिपुर्द करें और अपनी मरज़ी के म्वाफ़िक़ इनान अख़्तियार को तंग या फ़राख करें ख्वाह कुल काम के सिर्फ़ खबरगीर रहें अगर किसी इलाकः में बे इन्तज़ामी मालूम हो तो उसका सब काम ब आसानी साहब कलक्टर फिर अपने अख़्तियार में ले सक्ते हैं फिर जिस वक़्त साहब मौसूफ़ या कोई उन्के तबाबईन से मुफ़स्सल में दौरः करें तो जो अलाक़ः डेरे के क़रीब पड़े उस्के सब कागज़ात उन्के सिपुर्द करने चाहियें इस सूरत में काम का अन्जाम और रिआया का आराम मुतसौवर है क्योंकि दायरः दौलत हाकिम का गोया मुतखासमीन की डेवढ़ी पर क़ायम हुवा चाहिये कि हर हफ़्तः में रोज़ मुक़र्रर पर एक नक़शः उरदू तैयार हो कर साहब कलक्टर के इजलास में पेश किया जावे जिससे मालूम हो कितने मुक़द्दमात दायर और कितने फ़ैसल हुये और किस क़दर बाकी रहे इस तरह के नक़शः से हर शख़्स की कारगुज़ारी साहब कलक्टर पर बखूबी ज़ाहर और रोशन होगी ॥ ※

दफ़ः १४ जब साहब कलक्टर इस तिहज पर अपने तबाबईन में किसी साहब दानिशमन्द को किसी अलाकः का कुल्ल अहतिमाम सुपुर्द करैंगे तो वे शक वः साहब अपने काम में बखूबी दिल लगावेगा और हत्तुलमक़दूर उस इलाकः के काम में वाक़िफ़ीयत पैदा कर के हर बद इन्तज़ामी के इन्सिदाद में बहुत सई करैगा फ़िर यक़ीन है कि उस्को सब क़िस्म के काम में खूब आगाही भी हासिल होगी और जब कुल्ल ज़िला उस्के सिपुर्द हो तो उस्के इन्सिराम की लियाक़त रखता होगा ॥ ※

दफ़ः १५ अलबतः अख़्तियार कुल्ली किसी इलाकः का साहब असिस्टंट को यकबारगी न देना चाहिये लेकिन रफ़्तः रफ़्तः मुनासिब है और जब तक वि लइस्तिक़लाल काम न कर सके साहब कलक्टर या डिप्टी कलक्टर खयाल उसकी निगहबानी का रक्खें जिन मुक़द्दमात में असिसटंट को हुक्म नातिक़ देने का अख़्तियार नहीं चाहिये कि उनमें किसी जुज़ बात की तजवीज़ करे या मुक़द्दमात की तहक़ीक़ात मुकम्मिल करके कागज़ात अपनी राय के साथ हुक्म अख़ीर के लिये साहब कलक्टर के पास भेजदे ॥ ※

दफ़ः १६ क़ानून नम्बर ९ व १० क़ानून मज़कूर की दफ़आत १७ और २० पर देहान्ज़ हे ११ सन १८३३ ई: के मुताबिक़ डिप्टी कलक्टरान ग़ैर मुतअह्हिदहुक्काम भज लाय कौंसिल फ़ारिन से बहुक्म गवर्नमेंन्ट मुक़र्रर होते हैं और उनकी मौक़ूफ़ी भी सिर्फ़ गवर्नमेन्ट ◦

के हुक्म से हो सकती है अगर ख़ज़ाने का काम किसी ज़िला में कसरत से हो तो उस
डिप्टी कलक्टर आईन नहुम के सिपुर्द करना चाहिये जो अंगरेज़ी ज़बान और तरी-
के हिसाब से वाक़िफ़ हे लेकिन जब तक गवर्न्मेन्ट की ख़ास मन्ज़ूरी हासिल न हो
ऐसा डिप्टी कलक्टर मजाज़ नहीं कि हुन्डवी या बिल और ख़ज़ानों पर जारी करे इस
अम्र की बाबत ख़ुलासा गवर्न्मेन्ट मरक़ूमः १९ नवम्बर सन १८४१ ईः ज़ैल में लिखा जाता है ※
नौवाब लफ़टनन्ट गवर्नर बहादुर हुक्म साहिर फ़रमाते हैं कि जब तक गवर्न्मेन्ट से मन्ज़ूरी हासि-
ल हो कर गज़ट में न छापी जावे तब तक जायज़ नहीं कि साहब कलक्टर ख़ज़ानेः का काम कि-
सी डिप्टी कलक्टर आईन नहुम के सिपुर्द करें लेकिन हुक्म मज़कूर के जारी होने के बाद डिप्टी
कलक्टर हुन्डवी और बिल के इजराय औ ख़ज़ानेः के और काम अन्जाम करने का अख़्ति-
यार रखता है ख़ज़ान्ची और डिप्टी कलक्टर मौसूफ़ ख़ज़ाना और दुरुस्ती हिसाब और ए-
हतियात मामूली के ज़िम्मेःदार हैं मगर साहब कलक्टर या कोई और हाकिम मुतअल्लिक़ मुह-
तमिम ख़ज़ानेः का भी बदस्तूर ख़ज़ानेः के नुक़सान में जवाबदेः रहेंगे ※ ॥ ※

दफ़ः १७ जो मुलाज़िम मातहत साहब कलक्टर के दस रुपये मुशाहिरा या
इससे ज़ियादः पाते हैं उनकी मौक़ूफ़ी और तक़र्रुर के लिये साहब कमिश्नर माल-
दरकार है साहिबान कलक्टर को जायज़ नहीं है कि बग़ैर इत्तफ़ाक़ राय साहब
कमिश्नर के अपने सरिश्तः के किसी मुलाज़िम को फ़ौज्दारी में सिपुर्द ६ करें ॥ ※

॥ यह हुक्म दफ़ः १५ और २० क़ानून पंजुम सन १८०४ ईः और दफ़ः ३ क़ा-
नून हशतुम सन १८०९ ईः में मुन्दर्ज है इसवास्ते कि मिन्जुम्लः अहकामात दस्तूरुल
अमल मरक़ूमः दोम मार्च सन १८२९ इसवी के हुक्म नम्बर ६६ में लिखा है कि जो
अख़्तियारात साबिक़ में सदरबोर्ड को आईन की रू से हासिल थे अब साहब कमिश्न-
र माल को उनके मातहत के अमलों के तक़र्रुर और मौक़ूफ़ी और मन्ज़ूरी इस्तेफ़ा-
और मुअत्तली की निसबत मिले हैं ॥ ※

६ इसबाब में इक़्तिबास हुक्म गवर्न्मेन्ट मरक़ूमः इकुम अक्तूबर सन १८५५
ईः मसदरः सदरबोर्ड १२ अक्तूबर सन मज़्कूर का लिखा जाता है ॥ ※

नौवाब लफ़टनन्ट गवर्नर बहादुर यह हुक्म जारी करते हैं कि जिस हालत-
में साहब कलक्टर या कोई और ओहदेःदार माल अख़्तियार फ़ौजदारी का भी रखते
हों तो उनको अख़्तियार नहीं है कि अपने सरिश्ते के मुलाज़िम या किसी और शख़्स-
को बाबत इस जुर्म के जो दरबाब तहक़ीक़ात माल के ज़हूर में आया हो महकमे फ़ौ-
जदारी में सिपुर्द करें चाहिये कि पहिले मन्ज़ूरी साहब कमिश्नर की इस बाब में हासि-
ल करें और इस सूरत में साहब कमिश्नर को तजवीज़ करनी होगी कि इस मुक़द्द-

मः को दुरुस्ती साल और तहक़ीक़ात के वास्ते किस हाकिम के सिपुर्द करना चाहिये आ या साहब मजिस्ट्रेट के या जायन्ट मजिस्ट्रेट के और शायद तरफ़दारी के इन्सिदाद के लिये अगर यह मुनासिब मालूम हो

दफ़ः १८ क़ानूनगो और पटवारी का ओहदः अकसर मौरूसी होता है रअया भी साही चाहती है और उनकी मरज़ी इस अमर में तस्लीम करनी कई सबब से मुफ़ीद है क्योंकि नये आदमी की निस्बत क़ानूनगो और पटवारी मौरूसी ज़ियादः वाक़िफ़ीयत रखते हैं और उनका एत्बार भी ज़ियादः होता है बर मामूली या नालियाक़ती की सूरत में अलबत्तः इनका इस्तेःक़ाक़ बाकी न रहैगा मगर इस हालत में चाहिये कि उनके क़रीबों में कोई इस ओहदे पर मुक़र्रर हो और अगर यह भी ग़ैर मुमकिन हो और लायक़ आदमी बाहर से मुक़र्रर किया जावे तो आइन्दः जिस वक़्त ओहदः खाली हो और कोई अमर मानै भी न हो तो क़दीमी खानदान से फिर कोई शख्स उस ओहदे पर बहाल किया जावे जब से सरकार बमूजिब इन्तज़ाम मजरियः हाल के दफ़्तर के काग़ज़ात ब तसरीह तमाम रखती है तबसे अल्बत्तः क़ानूनगो और पटवारी का बनिस्बत साबिक़ के अख़्तियार और फ़ायदः कम हो गया तो भी क़रीन मसलहत नहीं कि साहब कलक्टर ऐसे क़दीम और मक़बूल उहदः की मदद और इस्तआनत से कनारा करें पटवारी के काग़ज़ात का तरीक़ः जो ज़ैल में दफ़आत १२२ वग़ैरः में बयान हुवा उसका जारी करना और सहूलत से क़ायम रखना क़ानूनगो की मारफ़त बख़ूबी होगा और भी दफ़्तर का इन्तज़ाम और तरतीब जो साहब कलक्टर फ़िलहक़ीक़त माहिर हों तो इसमें ग़नीमत जानेंगे कि उनके अमलः में बाज़ अशखास ऐसे हैं जिनकी तजवीज़ और तालीम और ओहदःदारी से जुदागाना तरीक़ः पर होती है क़ानूनगो और पटवारी के बाब में खास क़वानीन (यानी क़ानून ४ सन् १८०८ ईसवी और क़ानून १२ सन् १८१७ ई:) जारी हुए चाहियें कि बग़ौर तमाम मुतालः किये जावें ॥ *

दफ़: १९ जिन ओहदों का मुशाहरः दस रुपैयः से ज़ियादः है उनकी क़दर और मनज़िलत इस सबब से ज़ियादः होती है कि कुहनसाली की हालत में पेनशन मिलती है दस्तूर उसका यह है कि तनख्वाह मुतवस्सित पंज साल गुज़श्तः की लेकर बीस बरस के नौकर को सुल्स और तीस बरस के नौकर को निस्फ़ उस तनख्वाह का मिलता है तितिमः नम्बर १ में अहकाम पेनशन की दरख्वास्त और त करें

गों में दी जाती है चुनांचि जो अहकाम इनकी बाबत जारी हुये तितिम्मः नम्बर एक में मुन्दरिज हैं ॥ ※

दफ़: २० साहब कलक्टर उस वक़्त अपना काम बख़ूबी और ख़ुश असलूबी से अंजाम करेंगे जब सारे अमलः के अख़्तियार और लयाक़त से वाक़िफ़ व बवजः अहसन उनसे काम लेने का तरीक़: जानते हों पहले तो कार कलक्टरी की जुमलः शाखों जुज़ व कुल से वाक़फ़ीयत हासिल करें बाद अज़ां जिस क़दर काम औरों से हो सके उन के सिपुर्द करें और ख़ास अपने ज़िम्मः सिर्फ़ काम की तक़सीम और अफ़सरान मातहत की कारगुज़ारी की ख़बर गीरी और एहतिमाम समझें ॥ ※

दफ़: २१ बाज़े वक़्त मुक़द्दमात ज़रूरी के सबब या हुक्काम बाला के अहकाम के बमूजिब मामूली के सिवा कुछ ज़ायद काम अन्जाम करना पड़ता है सो ऐसी हालत में अमलः ज़ायद के तक़र्रुर की दरख़्वास्त अक्सर की जाती है उम्मेदवार हमेशः बहुत हाज़िर रहिते हैं और अमलः में उनके दोस्त और मुतवस्सिल नये अमलः की ज़रूरत के वास्ते बिला ताम्मुल सलाह देंगे लेकिन क़ब्ल इससे कि ज़रूरत मज़्कूरः तसलीम की जावे चाहिये कि इन बातों पर लहाज़ हो कि वः काम किस क़िस्म का है और किन लोगों से बाअमरकार बख़ूबी होगी और किस तरीक़: से उसका अन्जाम जलत और इसलाह से मुतसौवर है फिर उसके एक जुज़ की आज़मायश से दरयाफ़्त करना चाहिये कि उसका इनसिराम अमलः मौजूदः से बग़ैर हर्ज कार मामूली के मुमकिन है या नहीं दर सूरते कि ग़ैर मुमकिन हो तो साहब कलक्टर अमलः ज़ायद के वास्ते एक दरख़्वास्त तसरीह वजूहात और काम के अन्जाम की कैफ़ीयत के साथ सदर में इरसाल करें हुक्काम सदर बिलज़रूर उसपर लहाज़ और तवज्जः करेंगे ॥ ※

दफ़: २२ इन मरातिब की ज़्यादः तसरीह के वास्ते एक फ़र्ज़ी मुक़द्दमः का ज़िक्र किया जाता है हिदायत नामः बन्दोबस्त की दफ़: १७२ में हुक्म है कि हर कलक्टरी में देहात की फ़िहरिस्त मुनक़िसिम ब सीग़: ज़मींदारी और पट्टीदारी और भैयाचारः मुरत्तिब रहे अब फ़र्ज़ करो कि किसी ज़िला का वह नक़शः नातमाम या ग़लत निकले और उसकी तरमीम मतलूब हो ज़ाहिर है कि इस काम के अन्जाम के वास्ते ज़रूर है कि इस तक़सीम के क़वायद बख़ूबी समझे जायं और देहात में जो तरीक़े मिल्कीयत के रायज हैं उनकी ख़ासीयतों से आगाही हो ऐसे काम में अव्वलन: बहुत मेहनत मुतसौवर है और शायद पहले यह ख़याल आवे कि इसके अन्जाम के वास्ते सरिश्तः सदर से अमलः ज़ायद मुक़र्रर करना चाहिये लेकिन अगर ग़ौर किया जाय तो ज़ाहिर होगा कि ऐसा अमलः ज़ायद उन दोबार

तो मज़कूरः बाला से कुछ आगाही नहीं रक्खा लेहाज़ा क़ब्ल इसके कि नक़शः बनाना आग़ाज़ करें ऐसे अमलः को ज़रूर होगा कि तरीक़ः तक़सीम वसीक़ः ज़मींदारी पट्टीदारी वग़ैरः को समझें बाद अज़ां व दिक़्क़त तमाम हज़ारहा काग़ज़ और मिसलें दफ़्तर से निकाल कर दरयाफ़्त करें कि हर एक गांव किस किस्म का है लेकिन क़ानूनगो और अमलः मुफ़स्सल का पहिले से सब देहात के तरीक़ः हक़ीक़त से ख़ूब वाक़िफ़ होता है और अगर तक़सीम अक़साम मज़कूरः के क़वायद न जाने होंगे तो उनका सिखाना आसान होगा लिहाज़ा एक ऐसे काम का अन्जाम क़ानूनगो और मुफ़स्स के अमलः से बख़ूबी होगा चाहिये कि फ़िहरिस्त मुहालात हरएक परगनः की उनको मिले और हुक्म हो कि तर्ज़ हक़ीयत के बमूजिब नक़्शः की ख़ानःपुरी करें इस इन्तज़ाम से दो फ़ायदे निकलेंगे एक तो तालीम मज़कूर उहदःदारान मुफ़स्सल के वास्ते बहुत मुफ़ीद होगी दूसरे नक़्शः बसेहत और किफ़ायत तमाम बख़्ति मुफ़्त बन जावेगा और ऐसे नक़्शे का इम्तिहान उसी तरह करना चाहिये जैसा अमलः ज़ायद के नक़्शः का करना होता चुनांचि इश्तिफ़सार ज़बानी और जावता सिरिश्तः के काग़ज़ात पर रुजू करने से साहिब कलक्टर को जल्द मालूम होगा कि नया नक़्शः सहीः और मातबर है या नहीं॥

दफ़ः २४ जिस तरह से साहब कलक्टर अपने हिन्दोस्तानी अमलः के साथ काररबन्द रहते हैं उसी पर कारगुज़ारी का हाल बहुत मुनहसर हैं साहब मौसूफ़ और अमलः मज़कूर के दरमियान इख़्तिलाफ़ दीन और रह व रसम के सबब बाद इम्तियाज़ निकलती है कि आमद ओ रफ़्त वे तकल्लुफ़ानः ग़ैर मुमकिन है इसवास्ते साहब कलक्टर उहदःदारों की बाज़ा और एत्बार की तमीज़ कामिल रखने से कि सिर्फ़ अमद व रफ़्त ख़ानगी से बख़ूबी होती है महरूम रहते हैं इस कबाहत से वाक़िफ़ होकर चाहियें कि हत्तुल्वसा उसका इलाज इस तरह करें कि सरकारी बातों में हमेशः वे मुहावा आमद व रफ़्त की इजाज़त दें और जहद व जुहद भी करें कि सब लोग उनके राय सायब और सिदक़ दिली को देख कर बिलकुल उनपर एतमाद करें हिन्दोस्तानी उहदःदारों से ज़्यादः शक न करना चाहिये क्योंकि जैसा ज़ियादः एत्बार से वैसाही ज़ायदः इश्तिबाह से भी नुकसान और ख़राबी होती है अमलः मज़कूरे साहब कलक्टर के अहकाम के जारी करनेवाले हैं और उनकी मारफ़त साहब मौसूफ़ का हुक्म और इरादः अक्सर जारी होता है बईद नहीं कि दिक़्क़त के मुक़द्दमा में वः लोग उन के सलाहकार भी होंगे जो हाकिम हिन्दोस्तानी उहदःदारों की सलाह में निहायत शुबहः करता है वैसाही कासिरुल्इख़्तियार हो सकता है जैसा वः जो अमलः की हर बात पर चलता है पस सलाह यह है कि नसे मसलहत बख़ूबी मुमकि॰

की तजवीज़ के वक़्त उन की बात को बनज़र इनसाफ़ औ
न हो उनसे सलूक मसावत करें फिर ज़रूर है कि हाकिम ऐसी तदबीर करें जिस्से
र बेरफ़दारी के मीज़ान अव्वल में तौलें अपने मकान से देर तक हाज़िर
तकलीफ़ और दिक़्क़त नाहक़ अमलः को न हो मसलन कि उनका बैठना
वाजिब न रक्खें और कचहरी में खड़े होने की हालत में उनसे काम न लेंदर सूरते
नामुनासिब नहीं ऐसे हाल में वः मदद और कारगुज़ारी उनसे न निकलेगी जो और सूरत
में मुयस्सर थी साहब लोगों को चाहिये कि अपने अमूरात खानगी और कार सरका
री में ऐसा इन्तज़ाम करें कि अमलः को आराम मिले और उनको काम हलका मालूम हो
एक दस्तूर इलज़ाम शदीद के लायक़ यह है कि ज़रा ज़रा से कुसूर पर जुरवान ं हुआ
करता है रिश्वत सिताना के लिये इस दस्तूर से एक अज़्न पैदा होता है और इसी सबब
से जुरमाना का असर जाता रहिता है ग़लत फ़हमी और समझ के ॥

ं इस बात पर ज़यादः लेहाज़ करना चाहिये क्योंकि साहिबान कोर्ट आफ़ डायर
कटर्स ने बाज़ मर्त्बेः कसरत जुरबानः की मुमानियत की है खससन एक चिट्ठी नम्बर २०
मरक़ूमः २१ अगस्त सन् १८४५ ई० के दफ़आत १६ और १७ में जिसका खुलासः यह है कि जो
पुलीस की कुमेटी ने थानेदारों के हक़ में लिखा वः मुलाहज़े में गुज़रा उनकी तहरीर में मु
न्दर्ज है कि साहिबान मजिस्ट्रेट अक्सर मुक़द्दमः ख़फ़ीफ़ या इत्तहाम ग़ैर साबित में दारो
ग़ों को तलब करते और जुरबानः कसीर उनसे लेते या उनकी बदली करते हैं जब इस
तरह से ज़रासी बात के वास्ते उन की मौक़ूफ़ी या बे इज़्ज़ती होगी तो कुछ अजब नहीं है
कि असख़ास मातबर और कारगुज़ार इस ओहदः के लेने से कनारः करें और क्या अजब
है कि अक्सर थानःदार रिशवत भी लेते हों फ़क़त इस बात में साहिबान कोर्ट आफ़ डायर
कटर्स फ़रमाते हैं कि बारहा हमने यह बात की ताकीद फ़रमाई और चाहा कि आप मत
वज्जः होकर इस दस्तूर को बन्द करावें जब ऐसे ओहदःदारों से जिनकी तनख़्वाह सिर्फ़ उन
के गुज़ारे के वास्ते किफ़ायत करती है भारी जुरमानः लिया जाता है उसका अनजाम य
ह होता है कि उन का रिशवत की तरफ़ खिंचता है और जब हाकिम उन के इस्त
हक़ाक़ और हाल पर लहाज़ मुनासिब न करेंगे अमलः मज़कूर अपने नज़री
के और ख़ास व आम की नज़र में ज़लील हो जाते हैं लेहाज़ा अरबाब अख़्तियार
ऐसे अमूरः से जिसमें तंगी और ज़िल्लत का अन्देशः है दूर रहेंगे फ़क़त वाज़ः हो कि यह हु
क्म बनिसबत अमलः पोलीस के जारी हुआ मगर बनिसबत अमलः माल के भी मुना
सिब और लायक़ है ॥ ❖

इसी सबब से जुरमानः का असर जाता रहता है ग़लत फ़हमी और समझ के क़ुसूर के लिये

जुरमानः लेना बिल्कुल नामुनासिब है और ख़यानत या बद्दयान्ती के जुर्म के वास्ते एक औ
र तरह की सज़ा चाहिये ऐसे कुसूरों के लिये जुरमानः तजवीज़ करना बहुत बेजा और ख़ाय
स ज़रर है अल्बत्तः ग़फ़लत और अदूल हुक्मी के मुक़द्दमात में यह सज़ा मुनासिब और मु
फ़ीद होगी बशर्तेकि ग़रज़ जुरमानः क़लील और कुसूर में कुछ शक न हो और अगर कुसूर की
वल के वास्ते सिर्फ़ तहदीद या चश्मनुमाई पर किफ़ायत की जावे तो बेहतर है ॥ ❖

दफ़ेः २४ तहसीलदारों की मातबरी और इज़्ज़त महफ़ूज़ रखने में बड़ी ख़बरदारी की जा
य उनका तक़र्रुर इम्तियाज के साथ ज़रूर है और उसके पहिले फ़क़त उन्की लियाक़त और का
रगुज़ारी की तफ़्तीश दरकार नहीं बल्कि उसके साथ दयानतदारी भी साबित होनी चाहिये मुना
सिब है कि मुलाक़ात वग़ैरः में साहबकलक्टर उन्की ख़ातिरदारी करें और जो काम उन्के इलाक़ः
के मुतअल्लिक़ हो उसमें तहसीलदार से हत्तुल्मक़दूर मशवरः करें जब किसी तहसीलदार
को इल्ज़ाम देना या तम्बीह करनी ज़रूर हो तो अलानीयतन न करें बल्कि तनहाई में करनी चाहि
ये और जबतक कि वह अपने ओहदः पर बरक़रार रहे इज़्ज़त और एतबार के साथ ऐसा कि उस उ
हदः ओहदः के वास्ते मुनासिब है पेश आना चाहिये ऐसे सूरतें बहुत ही कम होती हैं जिस्से तहसी
लदार पर जुरमाना करना मुनासिब या जायज़ हो ॥ ❖

दफ़ेः २५ साहबकलक्टर की अच्छी कारगुज़ारी के लिये बहुत ज़रूर है कि मुतवातिर
और तकल्लुफ़ हरख़ासवोआम से मुलाक़ात किया करें और इसके वास्ते कोई अमर इस्से ज़्यादः
मुफ़ीद नहीं कि साहब मौसूफ़ जाड़े के मौसिम में हमेशः ज़िला के हरतरफ़ सैर करते हैं जिसका मका
अनजाम सदर में ज़रूर हो उसके वास्ते ऐसा बन्दोबस्त किया जावे कि साहब कलक्टर को फ़राग़
तहसिल करके हर साल देरतक मुफ़स्सल में दौरः करने का अख़्तियार हो और साहब ममदूह तमा
म मौसिम को जिस्में बेरूँजात का रहना मुमकिन है ग़नीमत जानें ताकि अपने इलाक़ः और रआया
की ख़बर और वाक़फ़ीयत हासिल हो चुनांचि बहुत मक़द्दमात उन्के सामने पेश आवेंगे जिन्के फ़ै
सल करने के लिये ऐसी वाक़फ़ीयत ज़रूर है यह बात मल्हूज़ ख़ातिर रहे कि वह लोगों के साथ
उनका चाल चलन महरबानी और शफ़क़त आमेज़ मालूम हो अगर्चि अंगरेज़ी ओहदःदार राब
साबक़ और इल्म और रहिमदिली रआया से अफ़ज़ल हैं लेकिन फ़िर भी चाहिये कि रआया के दोस्त
होकर उनके साथ ख़ैरख़्वाही और शफ़क़त से पेश आवें उनके रञ्ज और मुसीबत में दिलजो
ई करें और उनकी बेहबूदी के वास्ते इल्तफ़ात और तवज्जः ज़ाहिर करें तब रआया हमेशः
शुक्रगुज़ार होगी और ख़ुशी से अताअत करेगी ॥ ❖

दफ़ेः २६ मुमालिक मग़रबी और शिमाली में साहिबान कलक्टर और उहदःदारा
न मातहत अख़्तियार फ़ौजदारी का भी हमेशः रखते हैं इस दोहरी हकूमत से उन्का
इख़्तियार और मुफ़ीद तदबीरों के इजराय की क़ुदरत बढ़ जाती है हकूमत उमदः की
तरक़्क़ी के वास्ते जो साहब मौसूफ़ को मुफ़ौवज़ है निहायत ज़रूर है कि ख़िल्क़त

की जान व माल की हिफ़ाज़त कामिल की जावै फिर महनत कशोंके फ़ावाय द जब तक बखूबी हासिल नहीं हो सकते कि हंगामः और जबर के तरी के ऐसी तदबीरों से बन्द किये जावें कि रारीबो और फरमा बरदारों पर कम्त र तकलीफ़ हो पस ज़ाहिर है कि यह फ़ायदः अख़्तियार माल और फ़ौजदा री के मिला देने से बख़ूबी हासिल होते हैं इसतरह से कि पुलीस के इन्तज़ामः और तकवीयत में साहब कलक्टर के तवाबीन कसीर खूब मदद दे सकेंगे। फिर कार कलक्टरी के अन्जाम में साहब मजस्ट्रेट को वाक़फ़ीयत और अ ख़्तियार की हज़ारहा सबीलें निकलेंगी और अगर उनपर कमाहक़्क़ुहू लिहाज़ और अमल किया जाय तो इलाक़ः की बहतर और बड़ा फ़ायदः होगा॥ ❖

दफ़ः २७ साहब कलक्टर को चाहिये कि तमाम ज़िला के हाल जुज़ोकुल्ल से वाक़िफ़ और आगाह रहें उसमें कोई दक़ीक़ः पेशनहीं आता जिसके अन्जाम व आसार से ख़बर रखनी ज़रूर नहो चुनांचि बाज़ार में तिजारत का गर्म रहना या सर्द होना और रुपे पैसे का चलन और महकमात दीवानी की अदालत गु स्तरी और कारहाय आम ॰ मसलन सड़क या पुल तालाब वग़ैः का बनाना ॰ की तैया री के अहवाल ऐसे ऐसे बातों से नफ़ा और नुक़सान रआया का बिलज़रूर नि कलताहै जिनकी हिफ़ाज़त के वास्ते साहब कलक्टर मकर्रर हैं अल्बत्तः जोबातें उनके अख़्तियार से बाहर हैं उनमें नाहक़ मदाख़िलत करनी मुनासिब नहीं ले किन जिस वक़्त कोई कबाहत नज़र आवे तो उनपर वाजिब है कि नरमी और हुस्ने याक़से उस्पर इन्तज़ाम दें॥ ❖

दफ़ः २८ साहब कलक्टर के हाल और ज़िम्मःदारी की बाबत इतना ब तौर तमहीद के अम्मन ज़िक्र करके अब चिट्ठी दफ़ः की तफ़सील के मुताबिक़ उ नके कामका अलाहदः अलाहदः ज़िक्र किया जाता है॥ ❖

❖॥ दूसरी फ़स्ल॥❖

॥ ज़र मालगुज़ारी की तहसील की बाबत॥

दफ़ः २९ हिन्दोस्तान में सरकार की बड़ी आमदनी ज़मीन की मालगुज़ारीसे होती है उसकी तहसील के वास्ते अख़्तियार और अमलः बकसरत हुक्कामम ाल के सिपुर्द हुआ और आसानी की नज़र से आबकारी और इस्टांप का भीइन्तज़ाम उन्हीं हाकिमों के मुतअल्लिक़ किया गया पहिले तहसील मालगुज़ारी का ज़िक्र

चाहिये ॥ ❖

दफ़ः ३० सल्फ़ से हिन्दोस्तान में यही बन्दोबस्त चला आता है कि सरकार ज़मीन की सब पैदावारी का हिस्सः पाने की मुस्तहक़ है ॥ इसबातमे क़ानून ३१सन१८०३ई० के दीबाचः को देखना चाहिये ॥ दरसूरते कि सरकार ने खुद अपना हक़ किसी औरको बख्शा न दिया हो इससे लाज़िम आता है कि पैदावारी मज़कूर सरकार में मुस्तगरिक़ है और फ़सिल के उठने से पहिले सरकार अपने हक़ का मुतालबः करसक्ती है इब्तिदा में सरकार अंगरेज़ी ने भी इसी क़ायदेः पर अमल कि मालगुज़ारीकी किश्तें ऐसी तरतीब से बांधी थी फ़सिल कटने से पहिले ज़र किश्त देना पड़ता था फिर साहिबान कलक्टर और तहसीलदारों को अख्तियार ॥ दफ़ः २ ज़िमिन १२ क़ानून २७ सन१८०३ई०इस अमर के मुतअल्लिक़ है ॥ मिला था कि शहने यानें चौकीदार खेतों परमुक़र्ररकरें ताकि काश्तकार या ज़मींदार को मुमानियत करें कि ज़रमालगुज़ारी या उस्कीज़मानत दाखिल करने से पहिले फ़सिल काट न लेजावें पर ज़ाहिर है कि सरकारी मालगुज़ारी इस तरह से गोया पेशगी लेनी रआयत और मसलहत से बईद है ऐसाइन्तज़ामउन अय्यामकी एक तदबीर खामहै जिनमें बाशिन्दों को जान और मालका खतरःथा और इसी सबब से ज़मीन की क़दर और मंज़िलत बहुत कमहोगई है ॥ ❖

दफ़ः ३१ सन१८४०ई० और सन१८४१ई०में यह दस्तूर बदला गया आठ या नौ किश्तों की जगः में सिर्फ़ चार किश्तें मुकर्रर हुईं और उनका तक़र्रुर इस तरह पर हुआ कि जिस फ़सिल की मालगुज़ारी देनी हो खलियान उठ जाने के बाद किश्त देनी पड़े अब फ़सिल खरीफ़ की किश्तें तो माह नवम्बर व दिसम्बर ख्वाह जनवरी तक और रबीअ की अक़्सात मई मई और जून के महीने में वाजिबुलअदा होती हैं इस तरह से हालकी मालगुज़ारी के वास्ते सरकार ने फ़सिलका इस्तिग़राक़ साफ़ तर्क करदिया और यह तजवीज़ की कि जिस मुहाल में बाक़ी पड़े उस्से और मालगुज़ार की और जायदाद से ज़र मालगुज़ारी वसूल कियाजायगा यह नया इन्तज़ाम क़रीब अख्तिताम बन्दोबस्त क़ानून नहुम के अमल में आया और हुक्काम को यक़ीन था कि बन्दोबस्त मज़कूर से मिल्कीयत ज़मीन की क़दर ऐसी बढ़ गई है कि इस नये दस्तूर से कुछ सरकार का नुकसान न होगा लेकिन ऐसी बड़ी तबदील में ज़रूर था कि सख्तिलाफ़ात अपाराय पैदा होंगे चुनांचि ऐसाही हुआ ज़ाहिर है कि इस लिये अब मालगुज़ारी की तहसील साबिक़ से मुश्किल है क्योंकि अगिला दस्तूर जिससे बाक़ी न ल्ट और आसानी से वसूल की जाती थी मतरूक हो गया और उसके एवज़ कई और तरीके अब मुकर्रर हुए जिन के आसार में यक़ीन नहीं और जिनके इस्त्यामाल के वास्ते इम्तियाज़ ज़रूर है सो तहसीलदार और हिन्दोस्तानी अहलकारान सरका

र को यह इन्तज़ाम ना पसन्द आया क्योंकि हर तरह की तग़ैयर उनको नागवार होती है और इस सबब से भी कि उनका अख़्तियार उससे कम और काम में दिक़्क़त और पेच ज़्यादः हुआ बनिये और महाजन नाराज़ थे इसवास्ते कि नये इन्तज़ाम से काश्तकारों को उनकी मदद की ज़रूरत कम हो गई फिर ख़ुद जमींदारों और रआयाने इस बात में अपनी मुनफ़अत और ग़नीमत नहीं पहिचानी और जाहिलों की तरह शक में पड़े और शुबहः कि शायद कुछ और इरादः इसमें मख़फ़ी नहो मगर बावजूद इनसब बातों के इन्तज़ाम मज़्कूर चंद साल से बराबर जारी है और जहां कहीं सरकार की जमा मुनासिब और मुल्क आबाद है वहां बख़ूबी चलता है ॥ ❖

दफ़ः ३२ लेकिन याद रखना चाहिये कि इस्तग़राक़ फ़सल का अख़्तियार सरकार ने फ़क़त उस हालत में फ़रोगुज़ाश्त किया है कि मुहाल में कुछ बाकी नहीं है सब लोगों के अख़्तियार में है कि बाकी देकर फ़सल की क़ुरक़ी से बचें मगर जब बाक़ी पड़े तो चाहिये कि सरकार अपनी ज़र मालगुज़ारी को हर तरह की तदबीर से वसूल करे और अलाहाज़ुलक़ियास फ़सल को भी मुस्तग़रिक़ जाने ॥ ❖

दफ़ः ३३ क़ता नज़र इस से जब खेत की जायदाद पर क़बज़ः करना जायज़ नहीं रहा अब तफ़तीस करनी इस अमर की बहुत मुनासिब है कि क्या तदबीरें वसूल मालगुज़ारी के वास्ते साहब कलक्टर को बाकी रहीं और तदबीरात की तज़वीज़ में किस किस बात पर लिहाज़ करना चाहिये ॥ ❖

दफ़ः ३४ जब तक किसी मुहाल की मालगुज़ारी बर वक़्त वसूल होती हो बहुत ज़रूर है कि साहिब कलक्टर अपने अपने अख़्तियार माली से उस्के अमूरात में दस्त अन्दाज़ नहों सरकार की बड़ी ख़्वाहिश और मक़सद यह है कि रिआया ख़ुद अपने काम का बन्दोबस्त और इन्तज़ाम करना सीखें अगर ज़मींदार असामियों से बाक़ी वसूल न कर सकें या शुरकाय जमा के अपने अपने हिस्सः का तसफ़ीयः न कर सकें अल्ग़रज़ जो एक फ़रीक़ दूसरे पर ज़ुल्म करे तो अदालत मौजूद है और सब के अख़्तियार में है कि सहल तदबीर से तनाज़ा का फैसला करा लें चाहिये कि सभों को तालीम और तरग़ीब की जाय कि अपना अपना मामिलः इसी तरह से अन्जाम करें और हमेशः ज़र तलबी सरकार में वक़्त पर दाख़िल कर के अपने तईं अहलकारान माल की दस्त अन्दाज़ी से बचावें ॥ ❖

दफ़ः ३५ मगर जो किसी वजः से बाक़ी पड़े तो साहब कलक्टर को ज़रूर है कि अजलत और तनदिही से पेश आवें और पहिला काम यह है कि बाक़ी पड़ने का सबब दरियाफ़्त करें इस मतलब के वास्ते लाज़िम है कि अपने अमलः के ज़रयेः से जिनकी वसरत और लियाक़त मशहूर है मुक़द्दमः की हक़ीक़त हाल साफ़ साफ़ दरयाफ़्त करें असल हक़ीक़त किसी मामलः की उस हाकिम से कभी मख़फ़ी न रहेगी जो अपने अख़्तियार से बख़ूबी

वाक़िफ़ होकर चाहता है कि उस्को अमल में लावे ॥ ❖

दफ़: ३६ बाक़ी दो सबब से पड़ती है अौवल कमी जायदाद से दूसरे उस आमदनी में तग़ल्लुब और तसर्रुफ़ के सबब जिस्का मालगुज़ारी के वास्ते रखना लाज़िम था ॥ इस बात में दफ़: १७ क़ानून ६ सन १८९५ ई० और दफ़: १२ और १३ और १७ क़ानून २७ सन् १८०३ ई० मुलाहिज़: करना चाहिये ॥ पहिला सबब मामूली हालात में मालगुज़ार के अख़्तियार से बाहर और लाचारी का एक हादसः इल्तफ़ात के लायक़ है पिछली बात मालगुज़ार की कोतः अन्देशी ख्वाह उस्की सरकशी से वक़ूअ में आती है और कम या ज्यादः इलज़ाम का सज़ावार होता है ॥ ❖

दफ़: ३७ बाज़ वक़ू इमी जायदाद इस सबब से भी होती है कि मालगु ज़ार खुद अपने गांव को वैरान करते हैं और ज़िराअ़त से हाथ खींच लेते हैं अगर यह मन्ज़ जाहिल लोगों की एक तदबीर हो जिससे ज़ुल्म व तअद्दी का इनसिदाद चाहते हैं तो इस सूरत में उस्को मज़लूमों की शिकायत समझ कर शायद कुछ लिहाज़ मुनासिब हो लेकिन जो यह बात सिर्फ़ शहरःपुश्तों की शरारत और सरकशी से हो और इस हालत में सरकार का मुक़ाबिलः ठहरा तो उसकी सज़ा बहुत संगीन बल्कि क़ानून की हद्द तक देनी चाहिये जब बाक़ीदार न आप जोतें न औरों को जोतने दें बल्कि धमकी या ज़बरदस्ती से उनको तरद्दुद से बाज़ रक्खें तो लाज़िम है कि क़ानून फ़ौजदारी के मुताबिक़ उन्से मवाख़ज़ः किया जाय ऐसे सरकशों के तंग करने से मुमकिन है कि सरेदस्त बाक़ी पड़े और तहसील के हिसाब में कमी बसल्ल मालूम हो और शायद एक अरसे तक साहब कलक्टर को ऐसे मामलः में दिक़्क़त और तकलीफ़ बरदाश्त करनी पड़े लेकिन इन बातों का अन्देशः न करें बल्कि चुस्ती और चालाकी से कमर बांधकर शरीरों का मुक़ाबिलः करें अगर बाक़ी पड़ने से सरकार का नुक़सान भी हो जाय लेकिन सरकशों को सज़ा क़रार वाक़ई मिले तो ऐसे नुक़सान का कुछ मुज़ायक़ः नहीं क्योंकि तमाम ज़िला में सभों को इबरत होगी और आख़िर कार और लोग मेहनत में अपना फ़ायदः देखकर ज़िराअ़त में ज़ियादः जी लगावेंगे और सरकार के हक़ूक़ की मुहाफ़िज़त ज्यादः होगी·

दफ़: ३८ लेकिन अलल्अमूम कमी जायदाद किसी हादसः के सबब मसलन खुशकी या सैलाब और तुग़यानी दरया या पाला या ज़ालःज़दगी वग़ैरः से होती है जब ऐसी आफ़त की शिकायत होवे साहब कलक्टर जितनी उजलत और अहतियात से हो सके तहक़ीक़ात करें कि किस क़दर नुक़सान हुआ शायद किसी गांव में फ़सिल ऐसी बरबाद हुई हो कि असामियों की खोराक और अदाय मालगुज़ारी की किफ़ायत न करे तो इस सूरत में अगर मालगुज़ार अपनी किसी और जायदाद से ख्वाह क़र्ज़ लेकर ज़र तलबी

सरकार को दे दे तो खैर वर न बिल् ज़रूर मिल्कीयत किसी और शख्सके हाथ मुन्तक़िल होगी ऐसे मुक़द्दमः में साहब कलक्टर को मुक़ाम तजवी ज़ है कि आया सख्तगीरी करके मालगुज़ा को इस खराबी में डाल दे या व मूजिबजाय इनसाफ और मसलहत इस तलबी में कुछ तखफ़ीफ़ करें इस तज वीज़ में याद रखना जरूर है कि बन्दोबस्त में यह क़ायदः जारी है कि औसत निका सी लेकर उससे नरम जमा अरसः दराज तक मुक़र्रर होती है जब फसिल अच्छी होतो औसतजमाबन्दी से जो बढ़ता है जमीदारही लेता है सरकार ने बिल्कुल छो डु दिया इस सूरत में इन्साफ से बईद नहीं है कि जब फसिल खराबहो तो जिस क़ दर कमी पड़े मालगुज़ार अगले पिछले बरसों की फाज़िल आमदनी से अदाकरे लेहाज़ा अगर गांवकी जमामुनासिबहै और मालगुजार भी खुशहैगा जायदार में कमी हो तो भी साहब कलक्टर को शायद मुनासिब होगा कि अदाय जमाके वास्ते तंग तलबी करें दूसरी सूरत यह है शायद मालगुज़ार का मामिलः बिल्कु ल बिगड़ गया हो और जर तलबी में इल्तवया तखफ़ीफ़ की जावे तो भी उसकी मुखलसी के वास्ते मुफ़ीद नहो इसहालत में शायद सलाह होगी कि फिल्फौर मि ल्कीयत औरों के हाथ इन्तकाल की जाय फिर अगर साबित हो कि बन्दोबस्त स ख्त है या यह कि बन्दोबस्त के बाद गांव खराब या मालगुज़ार मुफ़लिस हो गया और साहब कलक्टर के नज़दीक सरकारी मुतालिबः में कुछ ढील देनी मुनासिब हो तो जि स तरीक़ों के बमूजिब रयायत करनी मुमकिन है तीन है अव्वल बाक़ी का मुल्तवी करना दूसरे बाक़ी का माफ़ करना तीसरे जमा में तखफ़ीफ़ करनी ॥ ❖

दफ़ः ३९ पहिली सूरत इल्तवाय बाक़ी — साहब कमिश्नर और सदरबोर्ड के अख्तियार में है कि बाक़ी मुल्तवी करें पस अगर गांव गुनजायशी हो और वह हादसा जिसके सबब से बाक़ी पड़ी है क़लीलुलवक़ूअ हो और मालगुज़ार खुद मुस तैद और किफ़ायत शआर हो तो यक़ीन है कि मुल्तवी करना किफ़ायत करेगा ऐसे मामिलः में चाहिये कि किश्तबन्दी आदाय बाक़ी के वास्ते मुक़र्रर की जावे और उसके मुवाफ़िक़ क़रार नामः मये ज़मानत या बिला जमानत मालगु ज़ारों से लिया जावे ॥ ❖

दफ़ः ४० दूसरे बाक़ी की माफ़ी — यह तजवीज़ उस सूरत में मुनासिब होगी जब साबित हो कि अगर ज़मानः आइन्दः में भी बाक़ी तलब हो तो मालगुज़ा र पर तशद्दुद नामुनासिब और गांवकी वीरानी और बरबादी दायमी का सबब हो गा इस सूरत में साहब कलक्टर बाक़ी मुल्तवी करके माफ़ी की वजूहात ब तसरी ह तमाम रपोर्ट में दर्ज करके सदर में वास्ते इरसाल ब हज़ूर गवर्नमेंट के भेजें क्योंकि

कि बाक़ी की मुआफ़ी सिर्फ़ गवर्न्मेंट के हुक्म से हो सकती है तितिम्मः नम्बर २ में कवा अद सदर बोर्ड इस बाब में मुन्तखिब हुये इसकी तजवीज़ में अहतियात ज़रूर है। किस सबब से और किस किस के वास्ते कोई रक़म माफ़ की जाती है वरन अगर किसी बड़े पट्टीदारी गांव में बाक़ी की सिर्फ़ मुआफ़ी का हुक्म हो तो बड़े तनाज़े का सबब हो सकता है ॥ ※

दफ़ः ४१ वाज़ह हो कि रपोर्ट में सिर्फ़ इतना ही लिखना कि बाक़ी ग़ैर मुमकिनुलवसूल है या जायदाद कम है काफ़ी नहीं ऐसी बातों से गवर्न्मेंट के नज़दीक मुआफ़ी की ज़रूरत कभी साबित न होगी अगर साहब कलक्टर को मन्ज़ूर है कि उनकी तजवीज़ का मुनासिब होना ज़ाहिर हो और उनके बयान पर कुछ इत्तिफ़ाक़ भी किया जाय तो ज़रूर है कि कैफ़ीयत व तफ़सील लिखें यानें किस सबब से जायदाद कम हुई और किस सबील से उनको इतमीनान हुई कि कमी जायदाद वाक़ा में और इसी क़दर हुई और किन वजूहात से इसी क़दर ज़र बाक़ी का छोड़ना बमुक़्तज़ाय मसलहत और इन्साफ़ के मुनासिब और मुकतफ़ी मुद्दआ होगा ॥ ※

दफ़ः ४२ तीसरे तख़फ़ीफ़ जमा —मुमकिन है कि बन्दोबस्त की जमा इसक़दर संगीन हुई या गांव ऐसा ख़राब होगया हो कि जमा का बहाल रखना ग़ैर मुमकिन हो इस सूरत में तरमीम बन्दोबस्त और जमा का तख़फ़ीफ़ ज़रूर होगी मुक़द्दमात की बाज़ क़िस्में हैं जिनमें तख़फ़ी जमा के वास्ते ख़ास शरायत मुक़र्रर हुई मसलन गंग शिकस्त और ज़मीन का किसी सरकारी काम में आजाना लेकिन बजुज़ इनके ऐसा मुक़द्दमः बहुत कम निकलेगा जिसमें कमी जमा की दरख़्वास्त मुनासिब हो जब तक उसके वसूल करने के वास्ते तदाबीर और तदारुक मनदरजः क़ानून व तिमामहीअमल में न आये हों मगर चूंकि ऐसा मुक़द्दमः मुमकिनात से है इसवास्ते यहां उसका ज़िक्र किया गया इस बात में यह न समझना चाहिये कि सरकारी निकासी का महज़ एक हिस्सः मुक़र्ररी है व बस और यह कि जिस वक़्त निकासी हाल निकासी मुंदर्जः बन्दोबस्त की निसबत कम होजाय ख़्वाह नख़्वाह जमा सरकारी भी बक़दर उसके कम करनी चाहिये ऐसे ख़यालात से सरकार के हक़ूक़ में नुक़सान और रआया की हिम्मत और तनदिही में भी ख़लल पैदा होगा बल्कि यह समझना चाहिये कि माल का बन्दोबस्त सरकार और मालगुज़ार के दरमियान बमनज़िलः अहद व पैमान के है और उसकी शरायत का बहाल रखना दोनो पर बराबर वाजिब व लाज़िम है सरकार की तलबी मुक़र्रर: बन्दोबस्त किसी नहज पर मीयाद बन्दोबस्त के दरमियान बढ़ाई नहीं जाती अलाह

ज़ुल्कयास मोश्रद मज़कूर में उसकी तख़फ़ीफ़ भी न चाहिये बजुज़ इसके कि क़वा ग्रद रुआयद और मसलहत आमेज़ के लिहाज़ से जिनके मवाफ़िक़ सरकार मामि लात माली में कार बन्द होती है ऐसी बात ज़रूर हो जो नक़शः सदरबोर्ड ने सर सरी बन्दोबस्त की रपूर्ट के वास्ते तजवीज़ किया तितिम्मः नम्बर ३ में मुन्दर्ज है॥ ※

दफ़ः ४३ दफ़आत बाला मुक़द्दमात मामूली ख्वाह इत्तफ़ाक़ी बाक़ी की बाबत लिखी गई हैं क़तग्र नज़र इस्से जब खुशकी या किसी और हादसः से क़हत साली वाक़ग्र हो तो तहसील के बाब में खास तदबीरात का ग्रमल में लाना ज़रूर पड़े गा और ऐसी हालत में गवरनेमन्ट तदबीरात मामूली के इल्तवा के वास्ते खुद हुक्म सादिर फ़रमाते हैं हिन्दोस्तान में क़हत साली की आफ़त अकसर खुशकी के सबब से होती है लिहाज़ा दरयाफ़्त करने के सबब कि किस जानिब में खुशकी किस कदर शिद्दत से हुई हर तहसीलदारी में एक बारिश का पैमानः मौजूद है और उसकी तरकीब ऐसी आसान है कि जिस क़दर पानी पड़े बिला तकल्लुफ़ नापा जाता है चुनांचि उसका हाल और नक़शः तितिम्मः नम्बर ४ के देखने से मालूम होगा जिस शख्स के अहतिमाम में पैमानः रहे चाहिये कि उसने इसत्यामाल करने में बखूबी तालीम पाई हो और निहायत अहतियात करना ज़रूर है कि उसका रज सटर सहीह और मातबर हो ॥ ※

दफ़ः ४४ क़हतसाली की शिद्दत में तखफ़ीफ़ मुतसौवर है दरसूरतेकि चाह बतालाब व नहरोंसे आब पाशी ब कसरत हो और तदबीरें ज़िराअत और तरीक़े किफ़ायत शम्रारी के ब खूबी ग्रमल में आवें और ज़ाहिर है कि यह फ़ायदः अच्छी ग्रमलदारी में खुदबखुद होता है जहां मुतवातिर खराबी मौसिम और बरबादी फ़सिल की शिकायत की जाती है अन्देशः होता है कि वहां कुछ बदअमली वाक़ग्र हो हुक्काम दानिशमन्द ऐसी शिकायतों से बिलकुल कनारा न करेंगे यक़ीनन सब सुन लेंगे और खूब तहक़ीक़ात करकर अपनी हो तजवीज़ करेंगे मगर यह न चाहिये कि कोई हाकिम ऐसे हर एक अम्र को बावर करे और ऐसी शिकायत के सबब सुबुक मिज़ाजी और सादःदिली से जल्द अपनी तजवीज़ को बदल डालने से गोया खुद शिकायत का दरवाज़ः खोल दे अल हासिल नेक ग्रमलदारी के लिये न सिर्फ़ महरबानी और तवज्जः हाकिम के मिज़ाज़ में दरकार है बल्कि इम्तियाज और इस्तिक़लाल भी ज़रूर है ॥ ※

दफ़ः ४५ जब कोई मालगुज़ार बहुत बे मक़दूर हो गया हो लेकिन उसके गांव की ज़िराअत में तरक्की की गुनजायश है तो सरकारी खज़ानः से तक़ावी याने ज़र पेशगी देकर मालगुज़ार की अग्रानत करनी हिकमत अमली से बईद न होगी

हिन्दोस्तानी सरकारों में तक़ावी का रवाज बहुत है और सरकार अंगरेज़ी भी अक
सर औक़ात उसको पसन्द करतीथी लेकिन इस से खराबी पैदा हुई कि बराय नाम त
क़ावी खर्च होकर वही रुपयः सरकारी बाक़ी में मुजरा होता था और इसी तरह
साहिबान कलक्टर अपनी तवज्जीज़ माफ़ करदेते थे यह बात अस्लवक्तः बहुत
बजा और नामुनासिब थी और उससे बिल्कुल तक़ावी के रवाज पर इल्ज़ाम और
बदनामी आयद हुईमगरबा वजूद इसके कुछ शुबहः नहीं कि मुल्क और रआया की
बाज़ी सूरतों में तक़ावी देनी मुनासिब है अगर साहब कलक्टर अपने ज़िले से ख़ू
ब वाकिफ़ होकर कमाल इम्तियाज़ और होशियारी से तक़ावी दें तो यक़ीन है
कि बहुत फ़ायदः निकलेगा जिस हाल में कि ज़मीन छोटी छोटी हक़ीयत में मुन
क़िसिम है और उसकी ज़िराअत की तरक़्क़ी ब सबब तैयारी कुआं या तालाब या
पानी के रास्तः निकालने से मुमकिन है और रआया मुहताज है मगर मेहनती भी
है तो ऐसे देहात में तक़ावी देने से बड़ा मक़सद हासिल होगा तक़ावी देनी सा
हिबान सदर बोर्ड के अख़्तियार में है चाहियेकि दरख्वास्त साहिबान मौसूफ़ के
हुज़ूर में साहब कमिश्नर की मारफ़त की जावे ॥ ※

दफ़ः ४६ तक़ावी देने से पहिले चाहियेकि जिस काम के वास्ते दरकार हो उ
स की तसरीह की जावे और तैयारी के खर्च का तख़मीनः एहतियात से मुरत्तब
होकर जांचा जावे बहतर है कि किसी काम के लिये तमाम खर्च बतौर तक़ावी के
न दिया जावे बल्कि मुनासिब यह है कि अव्वल मालगुज़ार हत्तुल्मक़दूर खुद ज़र
मज़कूर के वास्ते सई करै बाक़ी जो उससे न हो सके सो बतौर अआनत के दि
या जावे ॥ ※

दफ़ः ४७ ज़र तक़ावी के अदा के वास्ते क़िस्तबन्दी मुक़र्रर करनी और
उसके बमूजिब इक़रार नामः लेना चाहिये दस्तूर है कि इसके सिवाय ज़मानत
भी तलब होती है लेकिन इस सेरिआया पर खर्च पड़ता है और जिस पर अह
सान करना मन्ज़ूर था उसको कम फ़ायदः पहुंचता है आईन की रू से ‡ दफ़ः ४३
क़ानून २७ सन् १८०३ ई० पर लहाज़ हो ‡ ज़र तक़ावी उसी तदबीर से वसूल हो स
कता है जिस तरह से माल की बाक़ी वसूल होती है इस सबब से जिस को तक़ावी
दी जाय उसकी मिल्कियत वसूल ज़र तक़ावी के वास्ते मकफ़ूल है और अकसर
मुक़द्दमात में यही काफ़ी है और ज़मानत की ज़रूरत नहीं मगर जिस हालत में गां
व के शरीक बहुत हों और उन में सिर्फ़ दो चार आदमी अपने ख़ास फ़ायदे के वा
स्ते तक़ावी लेते हैं तो इस अमर की एहतियात ज़रूरहै कि तक़ावी लेने वालों का
हिस्सः उसके वसूल के वास्ते बमन्ज़िलेः ज़मानत के काफ़ी है या यह कि सब शरी

क़उसके अदा करने के ज़िम्मः दार हैं सदर बोर्डने जो अहकाम रपोर्ट मुक़द्दमात तक़ावी के वास्ते जारी किये हैं तितिम्मः नम्बर ५ में इन्तिख़ाब किये गये ॥ *

दफ़ः ४८ बाक़ी पड़ने का दूसरा आम सबब मज़कूरः दफ़ः ३६ तसर्रुफ़ जायदाद है पैदावारी ज़मीन के हिस्सः में सरकार का हक़ और सब हक़ों पर मुक़द्दम है इससे लाज़िम आता है कि जब तक सरकार का हक़ अदा न होले तब तक गाँव का मुहासिल मालगुज़ार के पास बतौर अमानत रहता है पस अमानत अदा न करनी ऐन ख़यानत है जिसको ब इबारत क़ानून ! दफ़ः १७ क़ानून २७ सन १८०३ ई॰ मुक़ासात मुतअहिदः ! तसर्रुफ़ व तग़ल्लुब कहिते हैं ॥ *

दफ़ः ४९ क़ायदः मज़कूर से यह नतीजः निकलता है कि जो शख़्स किसी मुहालख़ालिसः की तहसील करता है जिस क़दर ज़र तहसील उस पर साबित हो बिज़ातिही उसका ज़िम्मःदार है गो वाक़ः में असिल मालिक हो या न हो इस तजवीज़ के इजराय में हाकिमान अदालत दीवानी हुक्काम माल का अख़्तियार हमेशः बहाल रखते हैं और उस के मुताबिक़ वह दस्तूरुलअमल है जो सदर बोर्ड ने ठेकःदारों के बाब में सादिर ! किया है इससे यह भी निकलता है कि जब साबित हो कि ज़मीन ख़ालसः ग़ैर बन्दोबस्ती से कुछ रक़ूमात बे इजाज़त तहसील की गई सालहाय गुज़श्तः की बाबत वह रक़ूमात वसूल हो सकती हैं और अगर अय्याम गुज़श्तः के वास्ते भी ज़मींदार बन्दोबस्त को ख़ुशी से तसलीम करे तो तनख़्वाह दूरी जायज़ और वाजिब होगा ॥ *

दफ़ः ५० बाज़ औक़ात जायदाद का तसर्रुफ़ अमदन होता है और बाक़ीदार तहसील का हिसाब देने से इन्कार करता है और फ़िरार ! हो जाता या हुक्म

! इन्तिख़ाब सरकार हुक्म मसदूरः सदर बोर्ड माल मुवर्रिख़ः १९ फ़रवरी सन १८४६ ई॰ सूरत औवल जब मालिक रुपये के एवज़ किसी शख़्स को ख़्वाह एक मीयाद के वास्ते या ता अदाय ज़र मज़कूर के ठेकः दे तो ठेकः बमन्ज़िलः रहन के है और जैसे कि रहन के मामिले में कार रवाई होती है इसी तरह इसमें भी चाहिये साहब कलक्टर को जायज़ है कि रहनदार से दरख़्वास्त मालगुज़ारी लेवें और मालगुज़ारी रजस्टर में नाम का दाख़िल ख़ारिज करावें *

सूरत दोयम जिस मुक़द्दमः में ठेकः के एवज़ कुछ न दिया गया हो तो समझना चाहिये कि सिर्फ़ अहतिमाम व इन्तिज़ाम का अख़्तियार चन्दरोज़ः रहनदार को सिपुर्द हुवा कुछ हक़ीयत मिल्कियत का रहन नहीं हुवा इस सूरत में मालगुज़ारी के रजस्टर में दाख़िल ख़ारिज न किया जावेगा मगर जिस वक़्त तरफ़ैन दरख़्वास्त दें तो साहब

कलक्टर को लायक़ है कि ऐसे मामिलः की तसदीक़ करे और तहसीलदार को हुक्म दे कि ज़र मालगुज़ारी बनाम रहनदार के मालिक के हिसाब में महसूब करे ऐसा इन्तज़ाम ज० ब तक बहाल रहेगा कि तरफ़ैन में कोई दरख़्वास्त इस बात की दे कि बाद इन्फ़िज़ाय सा० ल हाल के मौक़ूफ़ रहे मगर जब तक कि बहाल रहे रहनदार अपने माल और ज़ात से जितनी रुपया मुहाल से तहसील करे ज़िम्मःदार रहेगा और मुहाल भी अगर बाक़ी पड़े तो लायक़ नीलाम के होगा *

मुक़द्दमात मफ़रूरी के बाब में अहकाम साहिबान कोर्ट आफ़ डायरक्टरस मुवर्रखः २७ मई सन १८३५ ई० याद रखने चाहियें और उनका यह ख़ुलासः है गिरफ़तारी मफ़रूरों की बाबत जो इलाक़ःग़ैर में भाग गये हों नसबीह गवर्न्मेन्ट आला को इनको पस न्द आई और वह यह है कि मुरतकिबान जरायम संगीन मिस्ल ख़ून और रहज़नी क़ाबिल गिरफ़तारी के हैं मगर मुरतकिबान जुर्म ख़फ़ीफ़ मिस्ल क़रज़दार और मुजरिम मुक़द्दमात अदालत दीवानी और बाक़ीदारान सब को अमन महफ़ूज़ रहे और चाहिये कि जब हिन्दोस्तानी सरकारों के मामिलात बाहम दीगर तसफ़ीयः कराने सरकार पर वाजिब होते हैं यही क़ायदः मलहूज़ रहे इससे यह निकलता है कि जिस तरह से बाक़ीदार इलाक़ःग़ैर को ब मूजिब दरख़्वास्त और सरकारों के अपने इलाक़ः से हमपर सिपुर्द करना लाज़िम नहीं है इसी तरह न चाहिये कि सरकार अंगरेज़ी भी और सरकारों से अपने बाक़ीदारों को तलब करे और इस में यह ख़ूबी निकलती है कि ज़यादः तल्बी और ज़ुल्म का इन्सिदाद करना पड़ेगा क्योंकि ब सबब ज़यादः तलबी और ज़ुल्म के असामी भाग जाती है और मुल्क वीरान हो जाता है ॥ *

स सरकारी का मुक़ाबिलः करता है इन सूरतों में ऐसा करना चाहिये जैसा कि मुतः मरिदों की निसबत दफ़ः ३७ में हिदायत हुई लेकिन जो बारहा यही सबब पाने शरारत व ना दिहन्दगी मुक़द्दमात बाक़ी की कैफ़ीयत में मरक़ूम होता है इस वास्ते मुनासिब मालूम हुआ कि इस बात की तफ़तीश में ज़यादः तसरीह की जावे ॥ *

दफ़ः ५१ अकसर तहसीलदार और हिन्दोस्तानी उहदःदारों से जब बाक़ी की कैफ़ीयत तलब होती है तो उसका सबब यही शरारत व ना दिहन्दगी बया न करते हैं और इस जवाब का सबब ज़ाहिर है इस वास्ते कि न उसके लिये कुछ तह क़ीक़ात दरकार है न ज़रः सबूत और उस कैफ़ीयत के बमूजिब तदारुक संगीन मुना सिब और वाजिब होता है मगर वाक़ः में इन्हीं वजूहात से चाहिये कि ऐसा उज़्र तअम्मुल और अहतियात तमाम से सुना जावे अलावा इसके ख़्याल में नहीं आता कि छोटे छोटे इलाक़ः के मालिक जो आसायश और फ़रागत से अपनी

पनी ज़मीन पर काबिज़ हैं नाहक़ अपनी मिलकीयत को खतर: में डालें और मरका
री मदाखिलत की तकलीफ़ें अपने ऊपर उठावें बल्कि यह क़यास में आता है कि अ
गर नक़द मौजूद होता तो ज़रतलबी ज़रूर अदा करते और यक़ीन है कि बाक़ी
न देने का सबब वाक़ई में यह होता होगा कि कुछ और बोझ सरकारी मुतालब:से
भी भारी बाक़ीदारपर पड़ता है इन्तिज़ाम मज़ारिय: हाल के आदत बे फ़िकरी और कोता
ह अन्देशी के सबब अक्सर ऐसा होता है कि मालगुज़ारों की एक फ़सिल की आम
दनी या तो क़र्ज़ख्वाह ले लेते हैं या खुद मालगुज़ार सरकार को क़िस्त अदा करने से
पहिले अपने खर्च में लाते हैं पस जब बाक़ी तलब होती है तो उनके पास देने को कुछ
बाक़ी नहीं रहता है लाचार बाक़ीदार आलम मजबूरी में दस्तक से बच कर रूपोश हो
जाते या अपना माल थोड़ा बहुत लेकर देस से निकल जाते हैं ऐसे मुक़द्दमे में बा
क़ी के वसूल करने के लिये ज़मीन मौजूद है चाहिये कि उसकी मुस्ताजरी ख्वाह
नीलाम के वास्ते हर तदबीर की जावे लेकिन बाज़ औक़ात काश्तकार बहुत थोड़े
होते हैं और कोई मक़दूर वाला गांव के लेने को नहीं मिलता या कुर्ब व जवार के
लोग बाक़ीदारों की ज़ात बिरादरी हैं उनसे इत्तिफ़ाक़ करके लेनेवालों को रोकते हैं
कि खरीदार खड़े नहीं होते इस हालत में अल्बत्त: बड़ी दिक़्क़त होती है और हाकि
म की हिकमत अमली और दबाव की हक़ीक़त व खूबी आज़माई जाती है साह
ब कलक्टर का उमद: मक़सद यह हो कि बाक़ीदारों को ऐसा तंग करें कि और लो
ग इबरत पकड़ें और जान लें कि अब हमारी सलाह इसी में है कि बाक़ीवक़्त अदा
करें जिस क़दर यह इबरत ज़िले में फैल जाय और ऐसे मुक़द्दमे: के अन्जाम के
वास्ते जिस क़दर अमल: कारगुज़ार तजवीज़ हो और अहालियान पुलिस जि
स क़दर ज़बरदस्त होंगे उसी क़दर यह मुश्किल मुक़द्दमात कम हो जावेंगे और उन
की तदबीर व आसानी मुमकिन होगी ऐसे मुक़द्दमात में ग़ालिब है कि गांव को
थोड़े दिनों तक या शायद कुछ ज़्याद: मुद्दत तक खाम रखना पड़े मगर तहसील
खाम से सिर्फ़ उस वक़्त फ़ायद: मुतसौवर है जब हाकिम रिआया के अमल: हा
लात कुल्लियात और जुज़्यात से बखूबी वाक़िफ़ीयत रखता हो और बहुत त
वज्जः और निहायत तनदिही से काम करे ॥ *

दफ़: ५२ जायदाद में तसर्रुफ़ और तग़ल्लुब दो सूरत से होता है याने मालगु
ज़ार का क़र्ज़दार होना और शरीकों में तनाज़ा होना इन दोनों में बड़ा फ़र्क़ है अ
लाह: मुख्तलिफ़ उनकी तदबीर में भी फ़र्क़ चाहिये ॥ *

दफ़: ५३ क़र्ज़दारी का ज़िक्र — जब मालगुज़ार मुफ़लिस हो गया हो और उ
सके बचाने की कुछ उम्मेद बाक़ी न रही हो तो मुनासिब है कि हाकिम उसके गांव को

वे तामुल ख़ोरों के हाथ फ़िल्फ़ौर मुन्तक़िल करें जब क़र्ज़ख़्वाहों के मुतालबः में उसकी मिल्कीयत हाथ से जाने वाली है तो उस मिल्कीयत की सरकारी बाक़ियात के नीलाम से बचाने के वास्ते यक़ीनन कुछ परवाह न रहैगी और यह ख़याल होगी कि इस ख़राबेः में क्या क्या अपने वास्ते बचाऊं उसके बाद सरकार और क़र्ज़ख़्वाहों के माने न होगी जो चीज़ जिसके हाथ लगे वह लेले इस वास्ते इत्तलाल के वक़्त इस तरह तजवीज़ हो कि बाक़ीदार फ़सिल मौजूद अपने तरफ़ में न लाने पावे चाहिये कि बाक़ी पड़ते ही गांव क़ुर्क़ किया जावे ताकि माल की बरबादी न हो और जितनी जायदाद मौजूद है सरकार के क़ब्ज़ः में आवे ॥ ※

दफ़ः ५५ तनाज़ा का ज़िक्र — शुरका के तनाज़ा से बाक़ी के मुकद्दमात ब कसरत बरपा हो जाते हैं और उनके साथ कार बन्द होने में बहुत फ़हम और इम्तियाज़ दरकार है दफ़ः ३ में ज़िक्र हो चुका कि मुहाल की जमा के वास्ते जमीय शुर्का ब शिरकत ज़िम्मःदार हैं ¦ ¦ और हिदायत नामः बन्दोबस्त में दफ़ः ८४ से दफ़ः ८७ तक तनक

¦ ¦ इस बाब में हुक्काम सदर बोर्ड के सरक्यूलर नम्बर २ मरक़ूमः ८ मई सन १८४८ ई परलिहाज़ हो चुनांचे ज़ैल में लिखा जाता है ॥ ※

साहिबान सदबोर्ड ब हिदायत गवरनमेन्ट अहकाम मुसर्रेह ज़ैल जारी करते हैं जिन में मुहालात ग़ैर मुनक़िस्मः की ज़िम्मःदारी मुशतरकः पर अमल करने का तरीक़ः मुन्दर्ज है ॥ ※

१ मुहालात ग़ैर मुनक़िसिम पर जो जमा सरकार से बांधी गई सब मालिक बशिराकत उसके कुल्ल के ज़िम्मःदार हैं ॥ ※

२ हर शरीक के अख़्तियार में है कि क़वानीन के मवाफ़िक़ बटवारः की दरख़्वास्त कर के अपना हिस्सः मुहाल से अलाहिदः करा ले ॥ ※

३ अगर हिस्सः और मिक़्दार ज़मीन मक़बूज़ः शरीक की मालूम और ग़ैर मुतनाज़ा हो साहेब कलक्टर को लाज़िम है कि उसकी दरख़्वास्त पर तक़सीम करें वर्नः शरीक मज़कूर को ज़रूर होगा कि अव्वल हिस्सः या ज़मीन मुद्दा.दि हा पर दीवानी में अपना हक़्क़ साबित करे ॥ ※

४ मुहाल की तक़सीम इस तरह की जाय कि हर हिस्सः पर म्वाफ़िक़ लयाक़त पैदावारी के जो तक़सीम के वक़्त मुतसव्वर हो बमूजिब तरीक़ः ज़िमन ४ दफ़ः २७ क़ानून ३५ सन् १८०३ ई० के जमा का हिस्सः मुनासिब मुक़र्रर किया जाय बन्दोबस्त के वक़्त जो तक़सीम हिस्सों की और तशख़ीस जमा की अमल में आई बहाली उसकी वाजिब न रहैगी मगर ज़मीन की तक़सीम ख़्वाह जमा का तसफ़ीयः उसी लिहाज़

पर किया जाय या ऐसा हर सूरत जारी होने बन्दोबस्त जदीद मुहाल के तक़सीम के वक़्त होना ॥ *

५ उन सब तदबीरों से ज़िम्मःदारी मुश्तरकः में खलल अन्दाज़ होंहुक्कामको आल्ल अम्रल किनारा कशी चाहिये मसलन् पट्टीदारी महाल गैरमुन्क़सिम में सरकार की तरफ़ से पट्टी खरीद करनी या गैर शख्स को मुस्ताजरी देनी या खाम तहसीलकरनी इत्या इस सूरत में अगर मुहक्किक हो कि जमा की तश्खीस जिसबक़् बतदबीर की गई पट्टी की लयाक़त और पैदावारी से मुताबिक़त रखती है और यह कि मालिकों मक़दूर न हो कि फ़रेब या साज़िश की रूसे अपने तईं ज़िम्मःदारी मुश्तरकः से जो क़ानून की रूसे उनपर वाजिब है छुड़ायें ॥ *

६ ज़िम्मःदारी मुश्तरकः पर इस सूरत में अमल हो सकता है कि एक शरीकः या पट्टी के वास्ते कुल मुहाल नीलाम या मुस्ताजिरी या खाम तहसील किया जाय मगर जब तक कि वाकई बाक़ीदारों से बाक़ी वसूल करने की सब तदबीरात क़ासिर न हुई हों अलल्अमूम इन तदबीरात पर रुजूअ न कियाजाय ॥ *

७ जब बाक़ी पड़े और वसूल के वास्ते तदबीरात सख्त का जारी करना लाज़िम हो तो पट्टीदारी मुहाल गैर मुन्क़सिम के शुरका और इत्तिहादः मुहाल के मालिकों से तहसील करने में फ़र्क़ कुली मलहूज़ रहे चुनांचि देहात गैर मुनक़िस्म में ज़रूर है कि इस्ताल बाक़ी के वास्ते जो कारवाई हो हमेशः बतवस्सुत नम्बरदार हुआ करे और ज़िम्मःदारी मुश्तरकः अल दावाम मद्दनज़र रहे ताकि उसके वसीलेः से तदबीरात तहसील में अख़राजात कम पड़ें और वसूल बाक़ी में सब शुरका आपस में मिलकर कोशिश करें ॥ *

८ जिस तरह से कि बाज़ औक़ात ऐसे मुक़द्दमात पेश आते हैं जिनमें सरकारी मुतालबः का मुल्तवी या माफ़ करना मुनासिब होता है वैसे मुक़द्दमात इस बात में भी पेश आने मुत्सौवर हैं जिनके मालिकों के गरोह की बहतरी या बहाली मक़तज़ी इस बात की हो ज़िम्मःदारी मुश्तरकः भी मुल्तवी या बिल्कुल बरकनारा की जाय दोनों तरह के मुक़द्दमात यकसां हैं और एक हीलिहाज़ पर मुबनी ॥ *

शोह इस अमर की हुई है कि ऐसे देहात के सब शुरका किस तरीक़ः से एकाही अहद व पैमान में बंधे है और किस तरह से अपनेर हिस्सः का आपस में मुहासबः करते हैं बन्दोबस्त की मिसिल और पटवारी के काग़ज़ात सालानः से गांव का तरीक़ः मिल्कीयत और मालिकों के नाम मा

लम हो जायेंगे निहायत मुनासिब है कि पहिले असिल बाक़ीदार से बा॰
जद व जुहद बाक़ी वसूल की जावे लेकिन जब उस से वसूल न हो सके
तब बहुत ज़रूर होता है कि जुमलः शरीकों से मवाख़ज़ः किया जावे ता
कि शिरकत के अहद व पैमान की असल हक़ीक़त से ख़ूब आगाह होक
र सब के बचाने के वास्ते बिलइत्तिफ़ाक़ सई करें वरनः अहद व पैमान
में अगर कि कुछ तखसुस वाक़ः हो बिलज़रूर गाँव के तरीक़ः इन्तिज़ाम॰
में तबदील कुली बल्कि नई सूरत पैदा होगी जब ज़िम्मःदारी मुश्तरकः के
क़ायदः पर लिहाज़ नहीं किया जाता यानें जिस वक़्त पट्टीदार अपनी अपनी
पट्टी की जमा के वास्ते ज़िम्मःदार नहीं ठहराये जाते तब फ़ुक़्र तरीह आयद
होता है और यक़ीनी वक़ूअ नीलाम के बाइस से बहुत हक़ तलफ़ी होगी॰
फ़िर अगर क़ायदः इश्तिराक पर लिहाज़ नहो याने कुल शुरका बिलइत्तिसा
ल ज़िम्मःदार नहों तो तमाम बन्दोबस्त की तरमीम करनी पड़ेगी और हर
एक छोटी छोटी अराज़ी की जमा अलाहिदः तजवीज़ करनी ज़रूर होगी॰
अलग़रज़ ऐसी हालत में बन्दोबस्त असामीवार याने हर एक रईयत के सा
थ करना पड़ेगा और ऐसे इन्तिज़ाम में दिक़्क़त कसीर और ख़िसारः कसीर॰
ख़ुसूसन इस मुल्क में जहाँ उसका रवाज नहीं ज़ाहिर है ॥ *

दफ़ः ५५ इस हाल के वास्ते क़ानून अव्वल सन् १८४१ ई॰ में तदबीरात
मुनासिब मौजूद हैं चुनांचि उनके मुताबिक़ साहब कलक्टर को अख़्तिया
र हासिल है कि जिस तरह से सदर मालगुज़ार से बाक़ी वसूल की जा॰
ती है वही तरह हर एक शरीक की निसबत अमल में लावें और साफ़
ज़ा साफ़ लिखा है कि सब शरीकों की ज़िम्मःदारी भी बहाल और बरक़रार
रहती है अलग़रज़ सरकार का मनशा यह है कि असिल बाक़ीदार से बमे
हनत और मशक़्क़त तमाम बाक़ी वसूल की जावे क़ब्ल इसके कि जुमलः॰
शरीकों पर मुतालिबः हो ॥ *

दफ़ः ५६ दफ़ः ८ क़ानून अव्वल सन् १८४१ ई॰ की रू से यह हुक्म है कि
नक़ल जमा वासिलबाक़ी और खतियौनी शरहवार जिस में हरएक पट्टी की॰
आमदनी और बाक़ी की तसरीह मुन्दर्ज हो और जिसपर तहसीलदार के द
स्तख़त और मुहर और क़ानोनगो और पटवारी की सही हो ऐसी नक़ल उ
स बाक़ी के सबूत के वास्ते जो हर पट्टी पर चाहिये काफ़ी समझी जाय इससे॰
तहसीलदारों पर लाज़िम नहीं आता कि मुहाल मुशतरिक की हर अलाहदः
मिल्कीयत के वास्ते हमेश अलाहदः जमा वासिलबाक़ी बनाना करें अल

अस्ल असनम मुहाल का हिसाब एक मद्द के ज़ैल में शुमार हो सकता है मगर जो तफ़सील मालगुज़ार बयान करे कि किसकी बाबत यह आमदनी दाख़िल हो ती है चाहिये कि तहसीलदारी काग़ज़ात में वह तफ़सील दर्ज की जावे फ़िर जि स वक़्त बाक़ी पड़े और इस क़ानून के मुताबिक़ मालिकों का तदारुक बिलइन्फ़िरा द ज़रूर हो तब हर पट्टी या मालिक की जमा वासिलबाक़ी अलेहदः मुरत्तब करनी पड़ेगी इन काग़ज़ का बनाना तहसीलदार के ज़िम्मः है पटवारी के काग़ ज़ात पर मुबनी होगा और उसके मुताबिक़ होना चाहिये लेकिन बाज़ औक़ा त उसकी तरतीब तनाज़ा के सबब दिक़्क़त से ख़ाली नहीं ऐसे तनाज़ा के तस फ़ीयः में बहुत फ़िक्र और तअम्मुल ज़रूर है वासिलबाक़ी जब पहिले साह ब कलक्टर के हज़ूर में पेश होवे तो कुछ अजब नहीं कि फ़रीक़ैन में उसकी सिहत पर कोई ऐसा ऐतराज करे जिससे तहक़ीक़ात सानी और शायद आ ख़िर कार तरमीम यही ज़रूर हो और फ़िलहक़ीक़त तरह तरह के ऐतरा ज़ की गुनजायश है मसलन यह कि फ़लानी मिल्कीयत की मक़दार में ग़ल ती है या हिसाब तक़सीम जमा याने बाछ का तसफ़ीयः वाजबी नहीं हुआ या यह कि इस गांव में तफ़रीक़ हिसों की ऐसी नहीं है कि क़ानून अौवल सन् १८४५ ई० की शरायत उसकी निसबत अमल में लानी जायज़ हो हाकिम पर लाज़िम है कि ऐसे उज़रात को अलाहदः अलाहदः सुने और ब तामुल तमाम तजवीज़ करै क़ानून में जो यह हुक्म है कि वासिलबाक़ी और खति यौनी हमेशः नीलाम की मिसिल के साथ शामिल रहे इस से यह फ़ायदः निक लता है कि मुल्क के दस्तूर और रवाज के ख़िलाफ़ किसी पट्टी को बे तामुल नीला म करना मुमकिन न होगा मगर यह अमर नः क़ानून और नः सरकार के हुक्म से निकलता है कि काग़ज़ात मज़कूरः को ख़्वाह न ख़्वाह कबूल करना या उनपर बिल्कुल एत्बार रखना चाहिये ॥ ※

दफ़ः ५७ वासिलबाक़ी के उज़्रदार शायद यह दावी करैं कि हमारा मुशतरकः किस्म ज़िमीदारी । । इस बाब में दफ़ः ८७ हिदायत नामः मुहतिम्मान बन्दोबस्त की देखनी चाहिये । । है और लम्बरदार तहसील किया करता है और उसपर यह लाज़िम है और वाजिब कि सब शरीकों को गांव का हिसाब सम झावे हाल आंकि साल हाल में हम बाकीदारों को हिसाब व दुरुस्ती व दयान त नहीं समझाया फ़िलवाक़ा ऐसा उज़्र बजा और इल्तिफ़ात और तहक़ीक़ात के लायक़ है अगर तमाम व कमाल साबित हो तो ज़ाहिर है कि यह ऐसा गांव नहीं है जिसमें शरायत क़ानून मज़कूरः वाला अमल में लानी चाहिये

फ़िर अगर साबित हो कि ब जिहारत याने साल तमाम के तसफ़ीय: हिसाब में बाक़ीदार शरीक था और उसको मनज़ूर किया और अपने हिस्स: का मुनाफ़ा लेकर सर्फ़ किया तब अव्वलन: उस साल में हिस्सों की तफ़रीक बख़ूबी साबित हुई और जायज़ है कि ज़िम्म:दारी मुन्फ़रिद: के क़ायद: पर अमल किया जाय ॥ *

दफ़: ५९ जिस पट्टी में बाक़ी पड़े उसकी ज़िम्म:दारी मनफ़रिद: में दुरुस्त बाह तो नहीं फिर भी शायद उसके मालिकों से बाक़ी का वसूल किसी तदबीर से न हो सकता हो शायद मालिकों ने अपनी ज़मीन बे तरद्दुद होने दी या क़रज़दार हो गये या फ़िरार हुये अब ऐसे हालात में ज़रूर होता है कि ज़िम्मदारी मुशतरक: के लिहाज़ से तमाम गाँव के शुरका पर मवाख़ज़: किया जावे इस नज़र से दरयाफ़्त करना चाहिये कि ऐसे बाक़ी के अदा के वास्ते इस गाँव में क्या रवाज मुक़र्रर है मसलन शरीकों के बाक़ के हिस्सों पर यह बाक़ी ब हिसाब रसदी फ़ैलाई जाये या बाक़ीदार का हिस्स: दूसरे पट्टीदार ख़्वाह पट्टी के पास मुन्तक़िल करना चाहिये जिनको बाक़ी दे कर ज़मीन लेने की इसत्यादाद हो जिस गाँव में जो क़ायद: जारी हो चाहिये कि उसके बमूजिब अमल करने के वास्ते शरीकों को हिदायत हो और जो कोई इनकार करे या सब करें तो लाज़िम है कि हाकिम उसको या सब को बाक़ीदार जानकर वैसा ही उनके साथ कार बन्द हो यह अख़्तियार मुन्दरजे दफ़: १० क़ानून अव्वल सन १८४१ ई० जिससे गाँव के जुमल: शुरका कुल जमा के ज़िम्म:दार शुमार हो सकते हैं बड़े मतरख़ और फ़ायदे: का है क्योंकि गाँव की बिरादरी को एकट्ठा रखता है और उसके सबब से ब दरज: मजबूरी उन पर लाज़िम होता है कि सब की सलाहियत के वास्ते बिल्इत्तिफ़ाक़ सई करें कि यही अमर ऐसे देहात की उमद: ख़ासीयत है मरातिब बाला से यह बात निकलती है कि साहब कलक्टर को ऐसे काम से कनार: करना चाहिये जिस से मुहाल मुशतरक: के किसी हिस्स: ख़्वाह पट्टी की ज़िम्म:दारी सरकार पर पड़े मसलन जुज़्व हिस्से का बन्दोबस्त फ़िस्ख़ करना और ख़ाम रखना या बाक़ीदार की पट्टी का सरकार की तरफ़ से ख़रीद करना जानना चाहिये कि सिर्फ़ यकही तरह है जिससे ऐसे गाँव के शरीकों की ज़िम्म:दारी मुश्तरक: जाय: हो सकती है याने दफ़: ३० कानून १९ सन १८१४ ई० की शरायत जारी करने से जिस के सबब एक मुहाल की पट्टी या इजज़ा मुहालात जुदागान: बन जाते हैं अगर इस इम्तियाज़ का लिहाज़ ब ख़ूबी न किया जावे तो वे शक फ़रेब और मुग़ालत: दिही की गुन्जायश बहुत रहैगी ॥ *

दफ़ः ५९ जब बाक़ी का सबब दरयाफ़्त हो गया तो उसके वसूल की आ ईन की रू से कई सबीलें साहब कलक्टर के इख़्तियार में हैं इस अमर में कोई क़ायदः ख़ास हिदायत के वास्ते मुक़र्रर नहीं हो सकता क़वानीन के मुताबिक़ साहब मौसूफ़ को इख़्तियार है कि जो तदबीर मुनासिब जानें अमल में लायें और इस तजवीज़ में जो महनत और ज़िम्मःदारी है इससे दरेग़ करना न चाहिये बड़ा मक़सद यह हो कि बाक़ी जल्द और आसानी से और इस तरह कि हत्तुलइम्कान बाक़ीदार पर ख़र्च और तकलीफ़ कम पड़े व वसूल हो ॥ *

दफ़ः ६० तदबीरात में एक क़िस्म वह है जो मुहाल से तअ़ल्लुक़ रखती है और दूसरी क़िस्म वह है जो ख़ुद बाक़ीदार और उसके माल मनक़ूलः और ग़ैर मनक़ूलः से तअ़ल्लुक़ रखती है पहिली क़िस्म इस क़ायदः पर मबनी है कि हर मुहाल जमा सरकारी के वास्ते हमेशः मकफ़ूल है इस वास्ते बाक़ी का मवाख़िज़ः मुहाल से करना नाजायज़ नहीं हो सकता हाँ अगर बेमौक़ा और ख़िलाफ़ मसलहत हो तो मुमकिन है हक़ीयत का इन्तक़ाल वरासत के रू से हो या और सबब से बाक़ी के वसूल का मानअ़ नहीं हो सकता कि मुहाल बाक़ियात के वास्ते नीलाम न हो या बन्दोबस्त फ़िस्ख़ कर के मुस्ताजरी या ख़ाम न किया जाय मगर दूसरी क़िस्म का तदारुक जो ख़ुद बाक़ीदार से मुतअ़ल्लिक़ है सिर्फ़ उस शख़्स की निसबत जायज़ है जिसने जायदाद से सरकारी हिस्सः लेकर हज़्म किया हो कि वह बज़ात ख़ुद ज़िम्मःदार है और बाक़ी के सबब मुक़ैयद होने का सज़ावार माल मनक़ूलः और ग़ैर मनक़ूलः के नीलाम के बाब में यह क़ायदः याद रखना चाहिये कि बइसतिस्नाय उस मुहाल के जिसमें बाक़ी पड़े ऐसे माल पर सिर्फ़ उस वक़्त मवाख़िज़ः हो सकता है जब असिल बाक़ीदार उसका मालिक हो या बाक़ी पड़ने के बाद किसी और के पास मुन्तक़िल किया गया हो ॥ *

दफ़ः ६१ बाक़ी के वसूल की जो सबीलें साहब कलक्टर के इख़्तियार में हैं उनका बयान करना मुफ़ीद होगा और यह कि उनके दरमियान तजवीज़ करने के लिये कई उमदः क़वायद का ज़िक्र हो जिन से इख़्तियार मज़कूरः वाला के इसत्यामाल में अमानत और हिदायत हो ॥ *

दफ़ः ६२ मालगुज़ारी के वसूल के वास्ते तदबीरात मुजौवज़ः क़ानून ज़ैल में लिखी जाती हैं *

अौवल — दस्तक याने मुतालबः और हाज़री का हुक्मनामः *
दोम — बाक़ीदार को मुक़ैयद करना *

सेउम — माल मन्क़ूलः की कुरकी *

चहारुम — खाम तहसील याने मुनाफ़ा की ज़बती *

पनजुम — जिस पट्टी में बाक़ी है उसको और पट्टीदार के हाथ मुन्त क़िल करना *

शिशुम — जिस पट्टी में बाक़ी है उसका या तमाम मुहाल का ग़ैर स ख्स को इज़ार: देना *

हफ़तुम — उस पट्टी का जिस में बाक़ी है या तमाम मुहाल का नी लाम करना *

दफ़: ६३ अव्वल इजराय दस्तकात — दस्तक ।। अहकाम वास्ते इजराय द स्तकात मुमालिक मुफ़्तूहः और मफ़तूहः के क़ानून २७ सन १८०३ ई० की दफ़ आत ३ व ४ व ५ व ७ व ८ व ६ व १० में मुन्दर्ज हैं लेकिन क़ानून १० सन १८१८ ई० की दफ़: ४ और ५ की ज़िमन अव्वल में जहां शरायत मज़कूर: बाला जिला कटक के वास्ते सादिर की जाती हैं यह अमर ज़ियाद: तसरीह से मुन्दर्ज है ।। या मुतालिब: का महज़ अलाम नम: है या बाक़ीदार के लिये हुक्म नामः कि हाकिम तहसील के हुज़ूर में अपनी बाक़ी रखने का जवाब दे मालगुज़ार पर लाज़िम है किस्त के वाजिब होने की तारीख पर या उस से पहिले ज़र तलबी तहसीलदार के पास या हुज़ूरी होने की हालत में साहब कलक्टर के पास पहुंचावे अगर न दे तो मुस्तौजिब तदारुक: का है और सब किस्म के तदारुक में इजराय दस्तक तदारुक खफ़ीफ़ है ॥*

दफ़: ६४ अकसर औक़ात और खसूसन बाक़ी रखनेकेपहिले क़सूर के वास्ते जो दस्तक क़िस्त के दूसरे दिन जारी की जाती है वह महज़ इत्तिलाना मः है जब उस से कार बरारी न हो और दस्तक मीआद के अन्दर बाक़ी दा खिल न की जावे तब फिर दस्तक ख्वाह दस्तकात मुतअद्दिदः चपरासी या सवार की मारफ़त जारी करनी चाहियें इस सूरत में दस्तक को हुक्मनामः हाज़ि र होने के लिये समझना चाहिये जिसके ज़रयेः सब कोई जो ज़िम्मे.दार बाक़ी के हैं साहब कलक्टर ख्वाह तहसीलदार के पास हाज़िर किये जायें तादाद द स्तक बाक़ीदारों की कसरत और औज़ाय व अतवार के मवाफ़िक चाहिये ज़रूर नहीं कि हर एक बाक़ीदार के वास्ते अलाहिद: अलाहिद: दस्तक हो बल्कि उसी क़दर पर किफ़ायत करनी चाहिये जो बाक़ीदारों के एहज़ार के लिये किफ़ायत करे यह वह तदबीर है जिस से बाक़ी के जमीय असबाब जो पहिले मख़फ़ी थे बखूबी खुल जाते हैं लेकिन जो बाक़ीदार रूपोश भी हो जा वें या हाज़िर होने से इन्कार करें तो इस सूरत में भी असिल हक़ीक़त बाक़ी का

दरयाफ़्त करना गांव और परगन: के अहलकारों की मारफ़त या किसी और तर ह से कम्तर मुशकिल होगा यह अमर अकसर तहसीलदार के मुतअल्लिक़ होता है और वाके मे चाहिये कि तहसीलदार अपने इलाक़: के हालात से ऐसी वाक़फ़ीयत रक्खे कि पहलेही से आगाह हो कि कहां और किस तरह से बाक़ी पड़ने का मुहतमाल है और तहसीलदार हमेश: जान्ता होगा कि फ़लां ने गांव में फ़सिल अच्छी हुई या ख़राब और मालगुज़ार खुश हाल हैं या तंग हाल और यह भी उसको मालूम होगा कि उनका आपस में माफ़िक़ हैं या मुख़ालिफ़ और यह भी ज़रूर है कि हर एक मालगुज़ार की कैफ़ियत और से मुत्तिला हो कि बर वक्त अपना देन अदा करता है या नहीं इस ख़बर से तहसीलदार को ऐसी लयाक़त होनी चाहिये कि बमुजर्रद बाक़ी पड़ने के तजवीज़ कर सके कि किस तरह से इस मुक़द्दमें: में कार बन्द हों लिहाज़ा जब कि पहिली या दूसरी दस्तक से बाक़ी वसूल नहो तो ज़रूर है कि साहब कलक्टर को फ़ौरन कैफ़ियत मुफ़स्सल लिखें और अपनी राय के साथ वजूहात मुन्दरज करें कि किस तरीक़े: और तदबीर का अख़्तियार करना मुनासिब है साहब कलक्टर बहुत ताकीद करें कि यह कैफ़ीयत हमेश: ब उजलत तमाम भेजी जावे जब रपोर्ट साहब कलक्टर के पास पहुंचे तो उसके इम्तहान को बहुत सबीलें उनके अख़्तियार में हैं जिनसे बख़ूबी जांच लें मसलन अपनी वाक़फ़ियत साबिक़: से और काग़ज़ात दफ़तर से और हस्ब ज़रूरत वाक़िफ़कारों के बयान से ऐसे मामिल: में देर करनी या सबील वसूल की तजवीज़ में ताख़ीर करनी बड़ी ख़राबी बरपा करैगी जहां कहीं तहसील करने में दिक़्क़त हो तो सब बातों से यह अमर मुक़द्दम है कि साहब कलक्टर फ़िल्फ़ौर बाक़ी का सबब अपने दिल में ठहरा लेवें और जो तदबीर वसूल की बेहतर हो उसको बिला ताख़ीर तजवीज़ करें और उस तदबीर में जिस क़दर तवक़्क़ुफ़ आईन से लाज़िम आवे सिर्फ़ उसी को जायज़ रक्खें ॥ *

दफ़: ६५ दस्तकात बिला ज़रूरत जारी न करनी चाहियें जिस से बाक़ीदार पर बे फ़ायद: ख़र्च पड़े तहसील मुहालवार चाहिये न मौज़ावार चुनांचि जब कई मौज़ा की जमा और बन्दोबस्त अलाहद: है लेकिन एकही मालिक या मालिकों के एक गरोह के कबज़े: में हैं तो उनको एकही मुहाल शुमार करके सब के वास्ते एक दस्तक काफ़ी है दस्तकात सिर्फ़ इतनी जारी करनी मुनासिब हैं जो बाक़ीदार के अहज़ार के वास्ते काफ़ी मालूम हों और जिस सूरत में कि ज़ाहिरन: उसकी हाज़री की उम्मेद न हो तब इजराय दस्तकातकामौकूफ़

करना चाहिये ख्वाह न ख्वाह कुछ यह ज़रूर नहीं है कि बाक़ी के हर मुक़द्
मे: में दस्तक ॥ इस बात में क़ानून याज़दहुम सन् १८२२ ई० की दफ़: २ और ज़िमन दोम के
मरातिब पर लहाज़ करना चाहिये और जानना चाहिये कि क़ानून मज़कूर अगरचि मनसू
ख हो गया मगर क़वायद और उसूल मुन्दर्जे: ज़िमन मज़कूर बहाल और और बरक़रा
र हैं मज़मून दफ़: २४ क़ानून अव्वल सन् १८४५ ई० इस बात के वास्ते क़तई है ॥ जारी हो
अगर क़िस्त साबिक़ की बाक़ी चली आती है और फिर दूसरी क़िस्त वाजि
बुल् अदा हुई या अगर बाक़ीदार की मुफ़लसी मशहूर हो या मालूम हो
कि उसकी नीयत बाक़ी देने की नहीं इस सूरत में शायद एक दस्तक जारी
करनी भी मसलहत न होगी और इस तरह से मुहाल के ऊपर ख़र्च ज़ायद
न पड़ेगा और वह सर्फ़ औक़ात जोकि अन्जाम के मुन्तज़िर रहने से मुत
सव्विर था न होने पावेगा ॥ ॐ

दफ़: ६६ वह दस्तूरुल्अमल जो सदर बोर्ड ने दस्तकात के इन्तज़ाम की
बाबत जारी किया तितिम्मः नम्बर ६ में मुन्दर्ज है जिस से इजराय दस्तकात में
ज़्या द: सितानी और मुहासबे में ख़यानत के इन्सिदाद के वास्ते कमाल
हिदायत होती है एक बेज़ाबती ने कहीं कहीं दख़्ल पाया जो ऐसी फ़ाश
है कि उस के ज़िक्र की भी चन्दां ज़रूरत नहीं वह यह है कि बाज़ हुक्काम माल
जो नहीं चाहते कि हिसाब हमारे तलबाने का बहुत ज़्याद: मालूम हो मा
लगुज़ारी की तलबी सरकारी चपरासी या सवार की मारफ़त करते हैं और
इसी तरह तलबाना बग़ैर इजराय दस्तक के मालगुज़ारों से वसूल करते हैं यह
तो मह्‌ना जायज़ है अगरचि कोई बेचार: और नावाक़िफ़ काश्तकार शाय
द ऐसी बात पर मोतरिज़ न हो लेकिन और सब उसका मुक़ाबिल: करेंगे॥ ॐ

दफ़: ६७ दोम बाक़ीदार का क़ैद करना — हर एक मालगुज़ार जिसके
ज़िम्म: सरकारी बाक़ी है मुक़ैयद होने का सज़ावार है क़ैद कराने का अ
ख़्तियार अदालत दीवानी के ज़रिये से अमल में आता ॥ है मगर जो कोई

॥ दफ़: ११ क़ानून २७ सन् १८०३ ई० के बमूजिब साहब जज्ज मुक़द्दमात बा
क़ी में क़ैद करते हैं तो उनका फ़ेअ़्ल महज़ अमर तामील है याने जब साह
ब कलक्टर दरख़्वास्त करें तो उन पर लाज़िम है कि क़ैद करने का हुक्म
जारी करें और जो बाक़ीदार सरकारी देन अदा करने से इनकार करे तो मुराफ़ा
सिर्फ़ अर्ज़ रूप नालिश बमूजिब दफ़: १६ उसी क़ानून के जायज़ और वह
नालिश मुताबिक़ ताबीर अदालत सदर दीवानी नम्बर ३३० सिर्फ़ मुक़द्दम:

नम्बरी के ज़रयः हो सकती है दफ़ाः २० क़ानून हशतुम सन् १८३२ ई० और क़ानून हफ़तुम सन् १८२२ ई० की दफ़ाः २३ ज़िमन् ३ में अहकाम जो मुक़द्दमात सरसरी में बाक़ीदार की क़ैद कराने के वास्ते हैं उसी तौर पर हैं जिस का ज़िक्र ऊपर हो चुका लेकिन सरसरी मुक़द्दमात के बाब में सदर दीवानी अदालत ने सरकुलर हुक्म मवर्रखः ४ जनवरी सन् १८३३ ई० और ताबीर नम्बर ७८४ में हुक्म दिया है कि बाक़ीदारों की क़ैद और रहाई के वास्ते कुछ ज़रूर नहीं कि हुक्म मारफ़त साहब जज अदालत दीवानी के जारी हो बल्कि दीवानी जेलखाने के दारोग़ा के नाम कलक्टर का वारंट बाक़ीदार के लेने ख़्वाह छोड़ देने के वास्ते काफ़ी है क्योंकि वह अख़्तियार जो साबिक़ में साहब जज को हासिल था अब बाक़ैल में साहब कलक्टर के पास मुन तक़िल हुआ बाद उसके ताबीर नम्बर ८६२ जारी हुई जिस के रूसे माल के बाक़ीदारों की बाबत दफ़ाः ११ क़ानून २७ सन् १८०३ ई० की शरायत क़ायम व बहाल की गई चुनांचि साहब कलक्टर ही के हुक्म से क़ैद करने का दस्तूर जो बाज़ इज़ला में मुरव्विज हो गया था मौक़ूफ़ करना चाहिये ॥ ※ ‡ ‡

तलबी ग़ैर वाजिब का उज़्र रखता हो इस तरह रिहाई पा सकता है कि ज़र बाक़ी की ज़मानत दाख़िल कर के अपने दावी के सबूत के वास्ते अदालत दीवानी में नम्बरी नालिश रुजू करे गिरफ़्तारी के बाद कुछ ज़रूर नहीं कि बाक़ीदार फ़िल्फ़ौर जिहलखानः में क़ैद किया जावे ‡ ‡ दफ़ाः ११ क़ानून २७ सन् १८०७ ई० को देखना चाहिये ‡ ‡ बल्कि अख़्तियार है कि जिन चपरासियों की मारफ़त गिरफ़्ता हुआ तहसीलदार उनकी हिफ़ाज़त में दस दिन तक तहसीलदारी में और साहब कलक्टर दस दिन तक कचहरी सदर में हाज़िर रक्खें कोई शख़्स सिवाय अपनी ख़ास बाक़ी या किसी हिस्सःदार की बाक़ी के वास्ते जिसका नम्बरदार और ज़िम्मेःदार है मुक़ैयद नहीं हो सक्ता कोई वारिस या क़ायम मुक़ाम या कारिन्दः उस शख़्स की बाक़ी के वास्ते जिस से उस को हक़ वरासत या अख़्तियार मिला है मुक़ैयद नहीं हो सक्ता ॥ ※

दफ़ः ६८ जानना चाहिये कि क़ैद करना सिर्फ़ ख़ास मुक़द्दमात में काम आता है जब बाक़ीदार का हाल और वज़ा ऐसी है कि जिहलखानः में जाने से बहुत डरता हो और जब उस के पास जायदाद अदाय बाक़ी के लिये मौजूद हो तो इस सूरत में शायद इस तदारुक से और कोई बेहतर तदबीर न निकलेगी मगर मुफ़लिस और क़रज़दार पर क़ैद करना कुछ ना

सीर न करैगा और ग़रीब व बे नसीब आदमी की निसबत जो दयानतदार और महनत कश भी है सरीह ज़ुल्म है आगे क़ैद का रवाज बहुत था बल्कि शुरू अ तहसील के सिलसिलः का उसी से समझा जाता था लेकिन अब मुद्दत से उस की सख़्ती और ग़ैर सलाहियत सब पर वाज़ेः हुई है यहां तक कि चन्द साल के अरसः से नौबत बमौक़ूफ़ी पहुंच गई जो कवाअद साहबान सदर बोर्ड ने इस बाब में मुकर्रर किये तितिम्मः नम्बर ७ में मुन्तख़िब हुये ॥ *

दफ़ेः ६९ सेवम माल मनकूलः की क़ुरक़ी — जो अख़्तियार हर मालिक ज़मीन को अपनी रयाया की क़ुरक़ी में हासिल ॥ इस बाब में ज़िमन २ दफ़ेः ४ क़ानून २७ सन १८०३ ई॰ पर लिहाज़ करना चाहिये ॥ है वही अख़्तियार साहब कलक्टर मालगुज़ार की निसबत रखते हैं उसके बमूजिब बाक़ीदार का असासुल्बयत जिसको इसलाम की शरह में माल मनकूलः और शास्त्र में अस्थावर कहते हैं जहां दस्तयाब हो क़ुरक़ी और ज़बती के लायक़ है मगर आलात किश्तकारी और मवेशी ज़रायत और कारीगरों के औज़ार बाक़ी के वास्ते क़ुरक़ी और नीलाम के लायक़ नहीं है ॥ *

दफ़ेः ७० वही ऐतराज़ जो क़ैद करने की निसबत दफ़ेः ६८ में लिखे गये क़ुरक़ी के बाब में भी आयद हो सकते हैं जो बाक़ी रक्खा करते हैं वह अकसर छोटी छोटी मिल्कीयत के मालगुज़ार होते हैं उनका माल मनकूलः उन्हीं के वास्ते मुफ़ीद है मगर और कोई उसका कम ख़्वाहां होगा और मालिक उसको आसानी से मुन्तक़िल कर सकता है अगर क़ुरक़ व नीलाम किया जावे तो ज़र क़लील वसूल होता है हाल आंकि बाक़ीदार को तकलीफ़ और ज़रर बहुत हुआ मगर जो बाक़ीदार ख़ुशहाल है और अन्दा सरकार की बाक़ी रखता है तो उसके असासुल्बयत से क़ीमती असबाब को क़ुर्क़ करना ख़ूब है बल्कि शायद इससे कोई तदबीर बेहतर न निकलैगी अलहासिल क़ुरक़ी सिर्फ़ उस सूरत में पसन्द के लायक़ होगी जब उम्मेद क़वी हो कि तमाम बाक़ी या उस में से ज़र कसीर वसूल हो जावे गा ॥ *

दफ़ेः ७१ चाहारुम ख़ाम तहसील याने ज़बती मुनाफ़ा ज़मीन — इस में दो तरीक़े मुख़्तलफ़ अकसर मख़्लूत किये जाते हैं एक तो क़ुरक़ी चंद रोज़ः जिसकी वागुज़ाश्त के बाद मुनाफ़अ का हिसाब समझाना पड़ता है दूसरे बन्दोबस्त फ़िस्ख़ करना और मोअ़ाद मुऐनः के वास्ते मुनाफ़ा का ज़ब्त करना एक ख़ासीयत में दोनो मुताबिक़ हैं याने साहब कलक्टर ख़्वाह

वह अ़सहःदार जिस को साहब मौसूफ़ मतऐयन करें मालिक का क़ायम मु
काम हो जाता है और जो अख़्तियार इलाक़ः में मालिक को पहुंचता है वही
अख़्तियार उसको हासिल होता है और एक नतीजा भी दोनो से बराबर निक
लता है क्योंकि दफ़ः १० क़ानून अव्वल सन १८४५ ई० मानेअ है कि कोई मुहा
ल बऐयाम कुरक़ी की बाक़ी इल्लत में नीलाम हो और इस अमर इमतिया
ज़ नहीं किया गया कि कुरक़ी पहिली सूरत की हो ख्वाह दूसरी सूरत की लि
हाज़ा दोनो तरीक़ः तहसील के अख़्तियार करने में तामुल तमाम और उस
के अन्जाम के लिये निहायत खबरदारी और होशियारी चाहिये॥ *

दफ़ः ७२ खाम तहसील चंद रोज़ः की बाज़े वक़्त कुरक तहसील। इस
बात में ज़िमन अव्वल दफ़ः २४ और १ से ४ तक दफ़ः २५ क़ानून २७ सन १८०३ ई० देख
ना चाहिये। भी कहते हैं और हाल उसका यह है कि जहां बाक़ी पड़े और त
दबीरात की तकमील में इस क़दर देर होगई कि नुकसान और बरबादी का इ
हतिमाल ज़रूर हो तो साहब कलक्टर को इजाज़त होती है कि इस किस्म की
तहसील अपने ही अख़्तियार से अमल में लावें पर ज़ाहिर है कि मुस्ताज
री या नीलाम के अन्जाम में कुछ अरसः गुज़रेगा बल्कि जो बाक़ी के पहिले
तहक़ीक़ात अमल में आती है उसमें भी बाज़ औक़ात तवक्कुफ़ होता है
इन सब मुक़द्दमात में ऐसा बन्दोबस्त करना ज़रूर है कि बाक़ीदार कोतःअन्दे
श होकर जायदाद मुहाल को खुर्द बुर्द न कर ले फिर यह भी हो सक्ता है कि
बाक़ीदार मुक़ैयद हो गया और ज़रूर हो कि एक शख़्स सरकार की तरफ़ से
गांव के अहतिमाम के वास्ते मुतऐयन किया जाय अलल अमूम तहसीलदार
इस काम के वास्ते मुकर्रर हो मगर जब गांव बड़ा है और जब ज़्यादः होशि
यारी और मेहनत की हाजत हो एक सज़ावल मुतऐयन होसक्ता है जो स
रकार की तरफ़ से मालिक का सब अख़्तियार और काम अन्जाम देगा औ
र आमदनी में से बहिसाब फ़ी सदी या बतौर मशाहरः मेहनतानः पावेगा॥ *

दफ़ः ७३ इस हालत में अहलकार सरकार जो कोई हो हमेशः २
बाक़ीदार का क़ायम मुक़ाम हो जाता है और जिस क़दर मालगुज़ार को वसू
ल करने का अख़्तियार है उसको भी इतना वसूल करना चाहिये जहां का
श्तकार ग़ैर मालिक हों वहां जमाबन्दी मुक़र्रिरः के बमूजिब वसूल करना २
होगा फिर जहां मालिकों का एक गरोह ज़मीन जोतता है ज़रूर होगा कि जो
दस्तूर और क़ायदः बाक़ियात सनीन साबिक़ः और ज़र तलबी हाल की बा
बत गांव में राइज हो उसको अमल में लावे और उसके बमूजिब तहसील २

करे मसलन अगर यह दस्तूर हो कि शुरकाय जमा सरकारी और गांव खर्च अपनी अपनी सीर के मुताबिक़ बाछ करते याने बहिसाब रसदी फैलाते हैं इस हालत में सज़ावल अपना मेहन्तानः गांव खर्च में दाख़िल करके बाछ के मुवाफ़िक फैलावे बाद अज़ां वैसा ही वसूल करे वाज़ह है कि इस अख़्तियार के अमल में लाने से उस वक़्त बड़ा फ़ायदः मुनसहिर है जब तनाज़े के सबब बाक़ी पड़ी हो और इस बायस से तसफ़ीयः हिसाब सालानः और हर एक शख़्स की ज़मीन पर जर तलबी की तकसीम दुशवार हो क्योंकि जिस बात की तामील करने से नम्बरदार आजिज़ था ओहदःदार सरकार उस बातको अपने ही अख़्तियार से करता है फ़सिल हाल के इसतिग़राक का अख़्तियार जो सरकार को पहिले हासिल था और जिस को सिर्फ़ तलबी हाल की निसबत सरकार ने फरोगुज़ाश्त किया हालत कुरकी में फ़िर पैदा होता है ॥ क्योंकि सरकारी ओहदःदार मालिक की जगह होता है और अख़्तियार कुरकी भी रखता ॥ इस बाब में दूसरी ज़िमन का जुमलः अख़ीर दफ़ः ९७ क़ानून २९ सन १८०३ ई० देखना चाहिये ॥ है इस वास्ते जब गांव गुनजायशी हो वह ख़तरः जो अकसात ॥ इस इलतवा का ज़िक्र दफ़ः ३१ में हुआ ॥ के अल्लवा से सरकार पर आयद होता है सिरफ़ एकही फ़सिल की किस्तों पर पहुंचता है अलबत्तः एक फ़सिल जायदाद को मालगुज़ार हज़्म कर सकता है मगर बाक़ी पड़ने से साहब कलक्टर को अख़्तियार हासिल है कि आइन्दः को खड़ी फ़सिल का मवाख़ज़ः करें जब तक उससे बाक़ी की बेबाक़ी करलें॥

दफ़ः ७४ जब कोई गांव कुर्क हो तो निहायत चुस्ती और मुज़ल्लत से हर शख़्स की काश्त और ज़िम्मःदारी की कैफ़ीयत पटवारी से दरयाफ़्त की जावे इस काम में बन्दोबस्तके कागजात और पटवारीके हिसाब सालाना से बड़ी अआनत हासिल होगी और साहब कलक्टर कुर्क तहसील के हर मुकद्दम को गनीमत जान कर इस मौक़ा में काग़ज़ात मज़कूर का इम्तहान और हस्बुलज़रूरत उनकी तरमीम करें अगर साल ज़िराअत के शुरू में याने बरसात से पहिले कोई गांव कुर्क हो तो साल आइन्दः के तरद्दुद का इन्तज़ाम सरकारी ओहदःदार के ज़िम्मः होगा यह एक बहुत मुशकिल काम है जिसके वास्ते देहात और रआया से खूब वाकफ़ीयत दरकार है लिहाज़ा इसके इनसिराम के लिये ज़रूर है कि अमलः कारगुज़ार मुकर्रर हो और उनको बख़ूबी हिदायत की जावे हर तरह की तदबीर से कोशिश की जाय कि मालिकों से भी इस्तआनत और इत्तफ़ाक़ इस बात के अन्जामदेह

सिल हो ॥ *

दफ़ेः ७५ फिर याद रखना चाहिये कि कुरक़ी के ऐयाम में जिस क़द्र वसूल हो पहिले ज़र तलबी अक़सात हाल में महसूब किया जावे और जब तक अक़सात मज़कूर बेबाक़ न हो हाल की तहसील से अक़सात माज़ियः की बाक़ी मुजरा न की जाय मसलन एक गांव खरीफ़ की बाक़ी के लिये खीफ़ करने के पहिले कुर्क़ किया जाता है इस सूरत में ज़रूर है कि जो कुछ तहसील हो उसी फ़सिल याने रबीअ की अक़सात में महसूब हो न खरीफ़ गुज़श्तः की किस्तों में बरनाज़ाहर है कि जब गांव कुरकी से वागुज़ाश्त होगा तो मालिक के ज़िम्मः बाक़ी निकलेगी हाल आंकि उस के अदा करने के वास्ते जायदाद बाक़ी नहीं है ॥ *

दफ़ेः ७६ जब कुरक़ी वागुज़ाश्त हो जरूर है कि कुल तहसील का हिसाब तफ़सीलवारमालिकोंको समझाया ॥ दफ़ेः २५ ज़िमन २ क़ानून २७ सन १८०३ई॰मोमुलाहिज़ः करना चाहिये ॥ जावे बाद इस के जो कुछ बाक़ी बाब सनीन माज़ियः के निकले जो बर वक़्त तसफ़ीयः हिसाब के महसूब न हुई थी अलबत्तः उसके वास्ते मुहाल बदसतर ज़िम्मःदार है ॥ *

दफ़ेः ७७ खाम तहसील याने दूसरी क़िस्म मज़कूरः दफ़ेः ७१ जिसमें एक मीआद मुअैनः तक मुनाफ़अ ज़ब्त रहते हैं यह एक तरह का तदारुक है जो पहिलेही से चला आता है चुनांचि क़ानून ३० सन १८०३ई॰दफ़ः २७ ज़िमन ३ में साफ़ लिखा है कि तसर्रुफ़ की सज़ा के वास्ते खाम तहसील करना जायज़ है मगर इस बाद में क़ानून ९ सन १८२५ई॰दफ़ः ४ की रू से अख़्तियार ज़ियादः तसरीह के साथ उस इलाक़ः के वास्ते हासिल है जिसका बन्दोबस्त इस तमरारी नहीं हुआ और अब अकसर औक़ात खाम की सबील इस क़ानून के बमूजिब की जाती है मगर मीआद पन्द्रः बरस से ज़ियादः नहीं हो सकती आईन मज़कूर पर लहाज़ करने से मालूम होगा कि खाम तहसील करना जायज़ नहीं जब तक बाक़ी पड़ने से एक महीनः न गुज़र जाय और उस में फ़िस्ख करना बन्दोबस्त का भी वाजिब होता है माहाज़ा यह तदारुक बग़ैर मनज़ूरी सदर बोर्ड और व तवीअत गवर्न्मेंट के नाफ़िज़ नहीं हो सकता अलल अमूम सदर बोर्ड की मनज़ूरी के बाद खाम तहसील का मुक़द्दमः मुकम्मिल हो जाता है मगर सदर बोर्ड एक रपोर्ट सेःमाहा इन मुक़द्दमात की गवर्न्मेंट के हुज़ूर में इत्तलाअ के वास्ते भेजते हैं उस वक़्त या बर वक़्त अपील के

गवर्न्मेन्ट को अख्तियार तरमीम का हासिल है मगर गवर्न्मेन्ट इस अख्ति यार को बहुत कम अमल में लाते हैं उसका मतलब यही है कि मुक़द्दमात नादिर का अलाज मौजूद रहे और सिर्फ़ उन में इस अख्तियार के बमूजि ब दस्तअन्दाज़ी मुनासिब होती है तितिम्मः नम्बर ८ में वह दस्तूरुलअ मल मुन्दरिज है जो सदर बोर्ड ने रपोर्ट और हिसाब सालानः की तैयारी के वास्ते जारी किया ॥ *

दफ़ेः ७९ जब ज़मीन अच्छी और असामी बहुत हैं और गांव की आमदनी काश्तकार ग़ैर मालिक से नक़दी मिलती है और जमाबन्दी ऐसी गुन्जायशी है कि जमा मुजरा कर के फ़ाज़िल जैसा चाहिये बचता है तो खाम रखने में तामुल ज़रूर नहीं है ऐसी हालत में थोड़ी सी इल्तिफ़ात और खबर गीरी से बाक़ी वसूल हो जायगी और यकीन है कि गांव की कुरक़ी भी होगी मगर जहां असामी कलील और बाक़ीदार मालिकों का एक गरोह काश्तकार है और जिस जगह कि तहसील बदाईसे होती है और गांव खराब और बे तरद्दुद हो गया हो वहां खाम तहसील ब तामुल तमाम अख्तियार की जावे खाम तहसील के बरामद कार के वास्ते इतनी बातें हाकिम को लाज़िम हैं याने हालात किश्तकारी से वाक़िफ़ होना और रआया पर अख्तियार रखना और अजलत और इस्तहका म के साथ काम करना जब साहब कलक्टर बखूबी जान्ते हों कि हम खुद यह सफ़ात रखते हैं या अफ़सरान मातहत के ज़रिये से उसको अमल में ला सकते हैं तबक़िमा को बिल्कुल अपना मुतीअ कर सकेंगे जब दो तीन मुहाल व बजः अहसन खाम किये गये और जमा सरकारी से ज़ियादः तहसील हुई तो तमाम ज़िला को अबरत होगी और साबित होगा कि अगर लोग खयानत करके बाक़ी रक्खें या कमी जमा के वास्ते फ़रेब और सरकशी करें तो भी कुछ बन न पड़ेगा अबकि हर गांव की जायदाद और तमाम मुल्क की आमदनी का हाल बखूबी खुलगया चाहिये कि जिस जगह मुनासिब हो वहां खाम रखने में चन्दां दुश्वारी न हो मगर बहुत इलाक़े का खाम रखना सलाह नहीं क्योंकि खाम के अन्जाम में दक़ीक़: रसी और तज़ीए औक़ात हाकिम पर बहुत ज़ियाद होती है बल्कि साहब कलक्टर जबतक न जान लें कि हम को इस काम के सरन्जाम की फ़रागत और मौक़ा बखूबी हासिल है तब तक खाम तहसील का क़स्द न करें जब मुहाल खाम हो गया तब

कोई ज़मींदार मीयाद मुन्कज़ी होने के पहिले बाक़ी दाखिल करके दखलया।
बी का दऋवा नहीं कर सकता और जिस वक़्त मुहाल फिर आबाद और।
ज़ी मन्फ़ैद हुआ फ़िलफ़ौर ज़मीदारों को दखल देना सलाह नहीं बल्कि इ
स अमर में अह्तियात और ताम्मुल चाहिये ॥ *

दफ़ेः ७९ बाज़ औक़ात ज़मीदारों के इनकार और किसी मुस्ताजि
र के न खड़े होने से बु मजबूरी मुहाल को खाम रखना पड़ता है ऐसे गां
व का इन्तज़ाम और बन्दोबस्त उसी तरह चाहिये जैसा कि न देहात का जो
बऋल्लत बाक़ी खाम किये जाते हैं ॥ *

दफ़ेः ८० कुर्क और खाम तहसील में सब फ़र्क हक़ीक़ी है कुर्क त
हसील का यह हाल है जैसा दफ़ेः ७३ में मज़कूर हुआ कि सरकारी ओहदः
दार जो मुहाल मक़रूक़ः का मुह्तमिम है मालिकों का क़ायममक़ाम हो जाता है
और जो बातें अज़ रूय अहद और रवाज के उन पर लाज़िम और वाजि
ब थीं उसपर भी वाजिब औ लाज़िम होती हैं लिहाज़ा जिस जगह मालि
कों ने ज़मीन कमी लगान पर ठेकः में दी या रहन की हो तो जिस क़दर।
मालिक वसूल करता सरकारी अह्लकार को ज़्यादः वसूल करने का अ।
ख़्तियार नहीं पहुंचता और मालिकों की जोत से जो बाछ या रवाज के मु।
ताबिक़ निकले ज़ायदः तलब करना जायज़ नहीं है खाम तहसील का।
हाल इस के खिलाफ़ है क्योंकि उस में जो हुक़ूक़ और लवाज़मात मुहाल।
के मालिकों पर वाजिब थे फ़िलहाल सब मौक़ूफ़ होजाते हैं इस वास्ते खाम
मुआमलः सरकारी मुह्तमिम सब काश्तकारों से ज़मीन की पूरी लगान वसूल
कर सकता है बावजूदेकि मालिकों ने उस के खिलाफ़ कुछ अहद किया।
हो या खुद अपने हुक़ूक़ मालिकानः के सबब तख़्फ़ीफ़ का दऋवा करते
हों ग़रज़ खाम तहसील के ऐयाम में सरकारी मुह्तमिम वैसाही जो अख़्ति
यार है जैसा कि वह शख़्स जो मुस्ताजरी या बाक़ी के नीलाम से दखील
है फिर वा गुज़ाश्त के वक़्त याद रहे कि खाम तहसील के पहिले मनसू।
ख़ी ॥ बनारस के इस्तिमरारी इलाक़ः में खाम तहसील और ज़ब्ती मुनाफ़ऋ सर्फ़।
बमूजिब ज़िमन दूसरी और तीसरी दफ़ेः १७ कानून शशुम सन् १७९५ ई० के अमल में
आ सकती है अगर्चि इसमें खास मन्सूखी बन्दोबस्त का ज़िक्र नहीं है मगर तसर्रुफ़
स रीह के मुक़द्दमात में हाकिम को अख़्तियार हासिल है कि जब तक मुहाल बेबाक़ न
हो और जिस क़दर सरकार ने तरक़्क़ी मुहाल के वास्ते सर्फ़ किया हो वह भी बेबाक़।
न हो तब तक खाम तहसील बदस्तूर रक्खे ॥ बन्दोबस्त अमल में आई थी लि

हाज़ा अब बन्दोबस्त जदीद करना पड़ता है मालिकों से जिन को अब दख़ल दिया जाय मालगुज़ारी का नया इक़रार नामः लिया जाय और यह एक मौक़ा मुनासिब है कि काग़ज़ात बन्दोबस्त की सलाह और जुम्लः मरातिब का तसफ़ीयः किया जाय जो नये बन्दोबस्त के वक़्त इन्फिसाल के लायक़ हैं॥ *

दफ़ः ८१ पनजुम जिस पट्टी में बाक़ी पड़ी है किसी पट्टीदार बेबाक़ के हाथ इन्तक़ाल करनी — मुहाल मश्तरकः में जब पट्टीदार अलहदः ज़मीन रखते हैं मामूल है कि जब क़रज़दार और मुफ़लिश हो जाते हैं तो अपनी मिल्कीयत किसी शरीक के पास एक मीआद तक सिपुर्द करके ख़ुद तलाश मआश के वास्ते चले जाते हैं या गांव में बतौर साकिन ग़ैर मालिक क़ायम रहते हैं साहब कलक्टर को क़ानून ॥ ज़िमन अव्वल दफ़ः १७ क़ानून २७ सन १८०३ ई० और भी ज़िमन तीसरी और चौथी दफ़ः तीसरी एक्ट अव्वल सन १८४१ ई० पर रुजूअ करना चाहिये दफ़ः १४ क़ानून ९ सन १८११ ई० के बमूजिब भी यह अख़्तियार हासिल है लेकिन इस क़ानून की रू से अमल करना दस्तूर नहीं है ॥ की रू से इजाज़त हासिल है कि जिस वक़्त कोई शरीक बाक़ी रक्खे और बज़रयेः इस दस्तूर के अपने तईं इस हादसः से न छुड़ावे ख़ुद इस तरीक़ः पर अमल कर के मुफ़ीद तहसील करें इन्तक़ाल की तीन सूरतें हैं एक तो दवाम के लिये दूसरी मीयाद मुक़र्ररः के लिये तीसरी ता अदाय बाक़ी जिस के एवज़ इन्तक़ाल किया गया पहिली क़िस्म यानें इन्तक़ाल दायमी हक़ीक़त में बैअ बहुक्म सरकार है दूसरी सूरत यानें इन्तक़ाल मीआदी बमंज़िले उस रहन के है जिसको पटबन्दक कहते हैं कि उसमें असल और सूद के अदा के वास्ते एक मीआद के मुनाफ़ा काफ़ी शुमार होते हैं तीसरी क़िस्म महज़ रहन मामूली है मगर वासलात का हिसाब राहिन को समझाना नहीं ॥ इस बाब से सरकुलर हुक्म सदर बोर्ड मरक़ूमः २३ जोलाई सन १८४७ ई० की इबारत ज़ैल मुतअल्लिक़ है ॥ *

जब कोई पट्टी पट्टीदार बेबाक़ के हाथ मुन्तक़िल की जाती है तो अगर इन्तक़ाल दायमी है इन्तक़ाल लेने वाला उस पट्टी में मालिक का हक़ और अगर मीआदी है तो मुर्तहिन का हक़ हासिल करता है और हक़ मज़कूर इन्तक़ाल के लायक़ है इसी वास्ते ऐसे मुक़द्दमात में ज़मानत की हाजत नहीं ॥ पड़ता ज़ाहर है कि तीनों में दूसरी सूरत ज़यादः मुलायम और आसान भी है लिहाज़ा बमूजिब उसके इन दिनों में अकसर अमल किया जाता है लेकिन तीसरी सूरत देहात के रवाज से ज़यादः मिलती है और ग़ैर शख़्स को

मुस्ताजरी देने से बहुत बेहतर है अज़बसकि यह तदबीर कुल शिरका य की ज़िम्मःदारी मुशतरकः पर मबनी है लिहाज़ः उसके अमल में ला ने से ज़िम्मःदारी मज़कूर में कुछ ज़रर और नुकसान आयद नहीं हो स कता कुल मुहाल तमाम जमा के वास्ते बदस्तूर ज़िम्मःदार रहता है और अगर इन्तक़ालदार बाकी रक्खे तो इन्तकाल मानअ नहीं कि हिस्सः मु न्तक़लः भी वैसाही नीलाम हो जैसा कि कोई और हिस्सः गैर मुन्तक़लः इ न्तक़ाल की हक़ीयत हाल से यह भी निकलता है कि पट्टी मन्तक़लः में इ न्तक़ालदार की हक़ीयत काबिल वरासत और लायक इन्तक़ाल खानगी के भी होती है ॥ *

दफ़ः ८२ जब मुहाल मुशतरकः के शुरकाय में सिर्फ़ एक फ़रीक़ बाक़ी रखता हो तो हत्तुलइमकान इस सबील इन्तकाल को अख़्तियार करना चाहिये ज़रूर है कि साहब कलक्टर इस बात के मुन्तज़िर न रहें कि खुद पट्टीदारान बेबाक़ दरख्वास्त गुज़रानें बल्कि साहब मौसूफ़ खुद इन्त क़ाल लेने की दरख्वास्त पर तरगीबदिलावें और उनको बख़ूबी फ़हमायश करें कि इस तदबीर से ग़ैर शख्स की मदाखिलत के इनसिदाद करने में उ नको क्या क्या फ़ायदः हासिल है और यह भी समझा दें कि अपने शु रकाय की इमदाद और अआनत करनी उनपर वाजिब और लाज़िम है*

दफ़ः ८३ क़वानीन के मुताबिक़ गवर्नमेन्ट की मनज़ूरी इस क़िस्म के इन्तक़ाल की तकमील के लिये ज़रूर है तितिम्मः नम्बर ९ में नकशः मु न्दर्ज है जिस के मवाफ़िक़ मन्ज़ूरी हासिल करने के वास्ते रपोर्ट करनी चा हिये इस नकशः में एक खानः है जिसमें तादाद ज़मीन जो मालिकान के दखल की मआश के वास्ते दफ़ः ७ क़ानून अव्वल सन १८४१ई० की रू से तजवीज़ करनी पड़ती है मुन्दर्ज होनी चाहिये ॥ *

दफ़ः ८४ शशुम जिस पट्टी में बाक़ी पड़े उसको या कुल मुहाल की गैर शख्स के हाथ मुस्ताजरी करनी—यह भी एक सबील है जिसे हिन्दो स्तानी सरकारें अकसर अमल में लातें हैं उसका खुलासः महज़ यह है कि जब मालिक अपनी मिल्कीयत का बन्दोबस्त न कर सके तब सर कार अपने हकूक़ की हिफ़ाज़त के लिये एक शख्स को बजाय मालिक मुतअैयन करती है कि जब तक मालिक अपनी मिल्कीयत की खबर गीरी की फिर इस्तताअत पैदा न करे इन्तज़ाम करता रहे यह तदारुक नीलाम से मुलाइम है और असल अमर उसी को पसन्द करना चाहिये

ख़ुसूसन जिस हालत में मालिक क़दीमी और मौरूसी हों ख़्वाह वह एक ग
रोह हो या एक ख़ानदान या एक ही शख़्स कभी कभी इस तरह का इन्तज़ाम
ज़मींदार आप भी कर लेते हैं कि जब किसी गांव के शुरका मुफ़लिस होगये
या तनाज़ा के सबब आपस में इत्तफ़ाक़ नहीं रख सकते तब अपना गांव कि
सी ग़ैर मक़दूर को बतरीक़ इजारः के हवालः कर देते हैं कि वह मुहाल की
मालगुज़ारी की ज़िम्मःदारी लेकर कुछ हक़ सेर वग़ैरः उनकी औक़ात बसरी
और नाम व इज़्ज़त की बहाली के वास्ते छोड़ देता है॥ ※

दफ़ः ८५ जिन क़वानीन में मुस्ताजरी की इजाज़त है उनके अहका
म मुन्दर्जः ज़ैल हैं ज़िमन ४ दफ़ः १७ क़ानून २७ सन् १८०३ ई० में सरकार को
इजाज़त है कि जब कोई शख़्स बाक़ी के सबब अपनी मिलकीयत से बे द
ख़ल हो तो उसकी ज़मीन मुस्ताजरी बक़ैद मीआद ख़्वाह किसी और बा
त के करे दफ़ः ४ क़ानून ६ सन् १८२५ ई० के बमूजिब जिन देहात का बन्दो
बस्त इस्तिमरारी नहीं है और ज़र बाक़ी एक महीनः वाजिब हुआ साहब
कलक्टर हस्ब इजाज़त सदर बोर्ड कि तबीयत हुक्म गवर्नमेन्ट के हो
उनका बन्दोबस्त मनसूख़ करके पन्द्रः बरस की मीआद तक मुस्ताजरी दे
सकते हैं इन दिनों में मामूल है कि जहां बन्दोबस्त मीआदी है पिछली ज़िमन
के मवाफ़िक़ अमल किया जाता है और हक़ुल्मिल्क मालिक का लिहाज़
रहता है याने मीआद मुस्ताजरी की क़लील होती है और मीआद के गुज़र
जाने पर मालिक को फिर अख़्तियार दख़लयाबी का बग़ैर अदाय ज़
र बाक़ी के होता है॥ ※

दफ़ः ८६ मुस्ताजर तजवीज़ करते वक़्त याद रहे कि उस शख़्स की
दरख़्वास्त जो मुहाल में इस्तहक़ाक़ मालिकानः रखता है और लोगों की
दरख़्वास्त से ज़्यादः लायक़ मन्ज़ूरी के है मसलन जिस तअल्लुक़े में
बिस्वःदार के साथ बन्दोबस्त हुआ जब वह बाक़ी रक्खे तो अव्वल
तअल्लुक़ःदार को मुस्ताजरी का अख़्तियार देना चाहिये और अलाह
दः अज़ क़ियास मौज़ा मरहूनः में राहिन को फिर जहां बाक़ीदार के मुहाल
से ज़मीन ग़ैर सरकार की मुलहिक़ हो या उससे मुत्तसिल हो तो उस शख़्स
को भी पहिली मुस्ताजरी का अख़्तियार दिया जाय॥ ※

दफ़ः ८७ मुस्ताजरी का ठेकः सरकार और ख़ास ख़ास मुस्ताजिर के
दरमियान होता है क़ाबिल वरासत और इन्तक़ाल के नहीं और बाज़े
में मुस्ताजिर सरकार की तरफ़ से बमन्ज़िलः सरबराह [illegible] कार के हैं पहिले

तो इस से यह निकलता है कि मुस्ताजिर की वफ़ात के बाद उसका वारिस स्ताजिरी में कुछ इस्तेहक़ाक़ नहीं रखता उसी वक़्त ठेकः फ़िस्ख हो जाता है ब कुल इसके कि सलाह की नज़र से दरगुज़र करके वारिस के साथ बन्दोबस्त कि या जाय दूसरे यह कि अगर एक मुहाल के कई मुस्ताजिर हों और उनमें से कोई फ़ौत होवे तो जो ज़िन्दः रहें वही कुल के मुस्ताजिर रहते हैं तीसरे यह कि जब तक किसी मुक़द्दमे में सरकार तरफ़ैन से क़रार न दी जावे तब मुस्ताजिर के दख़ल में महकमः दीवानी कुछ दस्त अन्दाज़ी नहीं कर सकता ॥ यह बात हुक्काम सदर बोर्ड ने बारहा तजवीज़ की है और हाकिमान दीवानी ने भी इजलास कामिल इस राय पर बमुक़द्दमः अपील ख़ास इमाम बख़्श बनाम अल्लः आमीलादीन बनाम सैयद फ़रज़न्द अली वग़ैरः रसपान्डन्टान मुनफ़सलः २८ दिसम्बर सन् १८४५ ई० के इत्तफ़ाक़ राय किया है ॥ वरासत या इन्तक़ाल रज़ामन्दी की राह से मुस्ताजरी ठेकः का इस्तहक़ाक़ नहीं हो सकता मगर र भी ऐसी दरख़्वास्त बग़ैर बजहात क़वी के ख़ारिज न करनी चाहिये ख़ुलासः यह कि ऐसे वरासत या इन्तक़ाल की दरख़्वास्त सिर्फ़ उस वक़्त मनज़ूर की जावे जब कोई क़बाहत सराहतन् उसके तसलीम करने से आयद हो हुक्काम मज़कूरः ने ख़ास नज़र करके और सब बातों में इख़्तियार कामिल मिस्ल मालिक के रखा है और मालिक बेदख़ल अपनी ज़मीन सीर का महज़ काश्तकार होता है और सीर का लगान दफ़ आत ७ और १० क़ानून अव्वल सन् १८४१ ई० के बमूजिब मुक़र्रर किया ता है अगर पन्द्रः बरस की मीयाद में ठेकः फ़िस्ख हो तो मालकान को कुछ दावी दख़लयाबी का अज़ रूए इस्तहक़ाक़ नहीं कर सके पस ऐसे दख़ली की मीआद के अन्दर सरकार को अख़्तियार है कि बन्दोबस्त हाल का जिस तौर से मुनासिब जाने वैसाही करे मुस्ताजिर के इक़रार नः में एक यह शर्त हो कि बग़ैर इजाज़त साहब कलक्टर के अपनी तर फ़ से किसी और शख़्स को ठेकः न दे मगर ऐसी दरख़्वास्त को बग़ैर कामिल के नामन्ज़ूर करना भी न चाहिये ॥ ※

दफ़ः ८८ जो मुस्ताजिरी दफ़ः ४ क़ानून ९ सन् १८२५ ई० के व अमल में आती है उसमें मनसूख़ी बन्दोबस्त भी शामिल होती है ज़ा कुछ ज़रूर नहीं कि मुस्ताजरी की जमा साबिक़ जमा के बराबर होवे फिर मीयाद मुस्ताजरी के ख़त्म होने पर मुहाल लायक बन्दोबस्त जदी द के होता है लिहाज़ा की जमा जो हो ज़रूर है कि जमींदार

दरख़्वास्त लिखदें और काग़ज़ात मुश्तमलः बन्दोबस्त की तकमील करें अगर कोई मुहाल साबिक़ से ज़ियादः जमा पर मुस्ताजिरी दिया जावे और सरकार की कुछ बाक़ी उस मुहाल में न हो तो दफ़ः मज़कूरः । । याने दफ़ः ४ । क़ानून ९ सन् १८२५ई । । बाला के बमूजिब मालिक मालिकानः के मुस्तहक़ हैं ॥ ※

दफ़ः ८९ बहुत ज़रूर है कि उन क़वायद की तफ़सील और तशरीह से वख़ूबी की जावे जिनके बमूजिब मुक़द्दमात मुस्ताजरी में हुक्काम माल कारबन्द होते हैं ताकि मालगुज़ार अच्छी तरह से मुतनब्बेः हों कि बाक़ी पड़ने की सूरत में हमारे हक़ में सरकार क्या तजवीज़ करैगी और जो लोग मुस्ताजरी की ख़्वाहिश करें उनको वख़ूबी इत्मीनान हासिल हो कि हमारा ठेकः किसी ख़फ़ीफ़ बात पर फ़िस्ख़ न होगा और इस सबब से मुस्ताजरी लेने की तरफ़ भी ज़ियादः राग़िब होंगे इस मतलब के हुसूल के वास्ते जो दस्तूरुल अमल सदर बोर्ड ने गवर्नमेन्ट की इजाज़त से जारी किया है सिलसिलः । नम्बर १० में मुन्दर्ज है चूंकि मुस्ताजरी की हालत में कोई मुहाल या पट्टी बाक़ी के सबब लायक़ नीलाम के नहीं है लिहाज़ा अदाय मालगुज़ारी । के वास्ते मुस्ताजिर से ज़मानत काफ़ी लेनी ज़रूर होती है और चाहिये । कि वसीक़ः ज़मानत पर रजिस्टरी की जावे ताकि मिल्कीयत मकफ़ूलः । का इस्तिग़राक़ कामिल हो ॥ ※

दफ़ः ९० हफ़्तुम जिस पट्टी में बाक़ी पड़ी है या कुल मुहाल का नीलाम — और यह एक तदबीर है जो सिर्फ़ सरकार अंगरेज़ की तर्ज़ । इन्तिज़ाम से पैदा हुई है हिन्दोस्तानी अमलदारियों में मुतलक़ उसका रि । वाज नहीं हिन्दोस्तानी सरकारों में अगर्चे लोगों का हक़ मिल्कीय त ज़मीन में होता है और इन्तक़ाल ख़ानगी नीलाम हिबः रहन के ज़रिये से उन के इलाक़ः में बराबर हुआ करता है मगर यह इन्तक़ाल तरफ़ैन की मन्ज़ूरी पर मौक़ूफ़ है सरकार उसके वास्ते हुक्म जारी नहीं करती बाक़ियात के मुक़द्दमात में मुहाल के नीलाम करने की क़ुदरत इस लिये हासिल होती है कि सरकार अंगरेज़ ने अपनी जमा तख़फ़ीफ़ से मुक़र्रर की और रिआया को इतमीनान और ऐतबार हासिल है कि जब नौबत तजवीज़ जमा की आवेगी बेशी जमा की ज़ियादः अन्दाज़ः से न होगी ॥ ※

दफ़ः ९१ मुमालिक बंगालः व बिहार व उड़ीसः में बन्दोबस्त इस्तिमरारी के सबब मिल्कीयत ज़मीन की हालत में बड़ा तग़य्युर वाक़े हुआ उस

तो इस से यह निकलता है कि मुस्ताजिर की वफ़ात के बाद उसका वारिस मुस्ताजिरी से कुछ इस्तेहक़ाक़ नहीं रखता उसी वक़्त ठेक: फ़िस्ख़ हो जाता है ख़ुसूस इसके कि सलाह की नज़र से अज़ सर नौ वारिस के साथ बन्दोबस्त किया जाय दूसरे यह कि अगर एक मुहाल के कई मुस्ताजिर हों और उनमें से कोई फ़ौत होवे तो जो ज़िन्द: रहें वही कुल के मुस्ताजिर रहते हैं तीसरे यह कि जब तक किसी मुक़द्दमे में सरकार तरफ़ैन से क़रार न दी जावे तब तक मुस्ताजिर के दख़्ल में मह्कम: दीवानी कुछ दस्त अन्दाज़ी नहीं कर सकता ॥ यह बात हुक्काम सदर बोर्ड ने बारहा तजवीज़ की है और हाकिमान सदर दीवानी ने भी इजलास कामिल इस राय पर बमुक़द्दम: अपील ख़ास इमाम बख़्श बनाम उल्लः अमीरुन्निसा बनाम सैयद फ़रज़न्द अली वग़ैर: रसपान्डन्टान मुनफ़सल: २९ दिसम्बर सन् १८४५ ई० के इत्तफ़ाक़ राय किया है ॥ वरासत या इन्तक़ाल ॥ इन्तक़ाल की राह से मुस्ताजरी ठेक: का इस्तहक़ाक़ नहीं हो सकता मगर फिर भी ऐसी दरख़्वास्त बग़ैर बजूहात क़वी के ख़ारिज न करनी चाहिये ॥ अलल्ख़ुसूस ऐसे वरासत या इन्तक़ाल की दरख़्वास्त सिर्फ़ उस वक़्त नामन्ज़ूर की जावे जब कोई क़बाहत सराहतन् उसके तसलीम करने से आयद हो हुक्क़ाम मज़कूर: से क़त्अ नज़र करके और सब बातों में मुस्ताजिर अख़्तियार कामिल मिस्ल मालिक के रखता है और मालिक बेदख़ल: अपनी ज़मीन सीर का महज़ काश्तकार होता है और सीर का लगान दफ़ आत ७ और १० क़ानून अव्वल सन् १८४२ ई० के बमूजिब मुक़र्रर किया जाता है अगर पन्दर: बरस की मीयाद में ठेक: फ़िस्ख़ हो तो मालकान बेदख़ल कुछ दअ़वी दख़लयाबी का अज़ रूए इस्तहक़ाक़ नहीं कर सके पस इस बेदख़ली की मीयाद के अन्दर सरकार को अख़्तियार है कि बन्दोबस्त मुहाल का जिस तौर से मुनासिब जाने वैसाही करै मुस्ताजिर के इक़रारनाम: में एक यह शर्त हो कि बग़ैर इजाज़त साहब कलक्टर के अपनी तरफ़ से किसी और शख़्स को ठेक: न दे मगर ऐसी दरख़्वास्त को बग़ैर वजः कामिल के नामन्ज़ूर करना भी न चाहिये ॥ *

दफ़: ८८ जो मुस्ताजिरी दफ़: ४ क़ानून ९ सन् १८२५ ई० के बमूजिब अमल में आती है उसमें नवसुख़ी बन्दोबस्त भी शामिल होती है लिहाज़ा कुछ ज़रूर नहीं कि मुस्ताजरी की जमा साबिक़ जमा के बराबर होवे फिर मीयाद मुस्ताजरी के ख़त्म होने पर मुहाल लायक़ बन्दोबस्त जदीद के होता है लिहाज़ा मुहाल की जमा जो हो ज़रूर है कि ज़मींदार नई

दरख़्वास्त लिखदें और काग़ज़ात मुतअ़ल्लिक़ः बन्दोबस्त की नक़ल ली करें
अगर कोई मुहाल साबिक़ के ज़ियादः जमा पर मुस्ताजिरी दिया जावे और
सरकार की कुछ बाक़ी उस मुहाल में न हो तो दफ़ः मज़कूरः ११ याने दफ़ः ४।
क़ानून ९ सन् १८२५ई ११ वाला के बमूजिब मालिक मालिकानः के मुतअ़ल्लि-
क़ हैं ॥ *

दफ़ः ८९ बहुत ज़रूर है कि उन क़वाइद की तफ़सील और तसरी-
ह बख़ूबी की जावे जिनके बमूजिब मुक़द्दमात मुस्ताजरी में हुक्काम माल-
कारबन्द होते हैं ताकि मालगुज़ार अच्छी तरह से मुतनब्बेः हों कि बाक़ी
पड़ने की सूरत में हमारे हक़ में सरकार क्या तजवीज़ करेगी और जो मफ़-
रूरी ख़्वाहाँ मुस्ताजरी की बख़ूबी इत्मीनान हासिल हो कि हमारा ठेकः
किसी ख़फ़ीफ़ बात पर फ़िस्ख़ न होगा और इस सबब से मुस्ताजरी लेने
की तरफ़ भी ज़ियादः राग़िब होंगे इस मतलब के हुसूल के वास्ते जो इश्तिहा-
र मुश्तमिल सदर बोर्ड ने गवर्नमेन्ट की इजाज़त से जारी किया है सिलसिलः
नम्बर १० में मुन्दर्ज है चूंकि मुस्ताजरी की हालत में कोई मुहाल या पट्टी
बाक़ी के सबब लायक़ नीलाम के नहीं है लिहाज़ा अदाय मालगुज़ारी
के वास्ते मुस्ताजिर से ज़मानत काफ़ी लेनी ज़रूर होती है और चाहिये
कि वसीक़ः ज़मानत पर रजिस्टरी की जावे ताकि मिल्कीयत मकफ़ूलः
का इस्तिग़राक़ कामिल हो ॥ *

दफ़ः ९० हफ़्तुम जिस पट्टी में बाक़ी पड़ी है या कुल मुहाल का
नीलाम – और यह एक तदबीर है जो सिर्फ़ सरकार अंगरेज़ी की तर्ज़
इन्तिज़ाम से पैदा हुई है हिन्दोस्तानी अमलदारियों में मुतलक़ इसका र-
वाज नहीं हिन्दोस्तानी सरकारों में अगरचः लोगों का हक़ मिल्कीय-
त ज़मीन में होता है और इन्तिक़ाल ख़ानगी नीलाम हिबः रहन व ग़ैरः
से उन के इलाक़ः में बराबर हुआ करता है मगर यह इन्तिक़ाल तरफ़ैन की
मनज़ूरी पर मौक़ूफ़ है सरकार उसके वास्ते हुक्म जारी नहीं करती बाक़ियात
के मुक़द्दमात में मुहाल के नीलाम करने की क़ुदरत इस लिये हासिल होती
है कि सरकार अंगरेज़ ने अपनी जमा तख़्फ़ीफ़ से मुक़र्रर की और इसका
को इत्मीनान और ऐतबार हासिल है कि जब नौबत तजवीज़ मालगुज़ारी की
आवेगी वही जमा की ज़ियादः अन्दाज़ः से न होगी ॥ *

दफ़ः ९१ मुमालिक बंगालः व बिहार व उड़ीसः में बन्दोबस्त इस्ति-
मरारी के सबब मिल्कीयत ज़मीन की हालत में बड़ा तग़य्युर वाक़े हुआ उस

बन्दोबस्त का नतीजः यह निकला कि जिस देहात में मालिकों के गरोह या
गुरबाय खिदमती थे उनके हुकूक़ अक्सर ज़ायल हो गये और जिन लोगों
की हैसियत आगे कुछ भी थी उनके हक़ में एक हक़ जदीद बल्कि मिल्की
यत कुल्ली पैदा हुई ऐसी हालत के वास्ते नीलाम का रवाज बहुत मुनासि
ब था अव्वलः जो लोग इस्तिमरारी बन्दोबस्त में ज़मींदार ठहर गये थे बाज़ औ
क़ात वे से सवाय हुये मगर उनके हुकूक़ ख़रीदार नीलाम की तरफ़ मुन्त
क़िल हो गये और तब्दील मिल्कियत में मज़ाहमत वग़ैरह के गरोह एक
अन्दाज़ पर रहे क्योंकि साबिक़ दस्तूर के मवाफ़िक़ आपने मआमलात क
रते और जमा की तहसील करने वाले के साथ हस्बुलमक़दूर बमुक़ाबिलः
पेश आते रहे और यक़ीन है कि अर्सः दराज़ तक उनको ख़बर न हुई हो
कि इस बन्दोबस्त के ख़ास्से हालत में एक फ़र्क़ कुल्ली पैदा हुआ जिस व
क़्त कि अज़लाअ बंगालः वग़ैरः में ख़रीदारान नीलाम जोश व ख़रोश में आ
ये और मिल्कियतज़मींदारी के सौदे में हज़ारों आदमी मुब्तिला होगये उस
हंगाम में मुमालिक मग़रबीः और शुमालीः सरकार अंगरेज़ के तहत हुकू
मत में आये और उन दिनों इस मुल्क का एक बन्दोबस्त मीआद क़ली
ल के वास्ते बड़ी ताजील के साथ अमल में आया और उस वक़्त नीला
म का तरीक़ः व मामूल जारी होने लगा इस दरमियान में कचहरियों के बा
ज़े कारख़ाना फ़ितनःअंगेज़ों ने फ़ुरसत पाकर ग़नीमत जाना कि सदहा देहात
की ज़मींदारी हासिल करें यहां तक कि अमूरात मालगुज़ारी में बड़ी अ
बतरी यानी अन्जाम कार यह क़बाहत इस क़दर बरपा हुई कि गवर्मेन्ट
के हुज़ूर तक शामिलः जा पहुंचा हुक्काम सदर बोर्ड ने बारहा इस हा
ल की असल हक़ीक़त आशकारा की और साहब जी अख़्तियार और
फ़िरासत राबर्टसन साहब बहादुर नेः इस ताकीद के साथ इन क़बाहतों
की रपोर्ट † † साहब मौसूफ़ जो चिट्ठी बनाम औहदः जनी कलेक्टरी ज़िला कानपुर के
तहरीर फ़रमाई है और आफ़ गन्स की रपोर्ट मरक़ूम १६ अगस्त सन् १८३४ ई० तितिम्मः
माल नम्बर ६८ में मुन्दर्ज है † † की कि आख़िर कार क़ानून अव्वल सन्
१८२१ ई० के बमूजिब एक इस की ग़रज़ से ख़ास कमीशन मुक़र्
र हुआ कि हक़तलफ़ी का इलाज करें और जो नीलाम फ़रेब या बेइ
नसाफ़ी से हुए थे उन को मुस्तरिद करें क़ानून मज़कूर के दीबाचः में व
ह ख़राबियां जिनके तदारुक के वास्ते क़ानून जारी हुआ तफ़सील से
मुन्दर्ज हैं फिर क़ानून अव्वल सन १८२३ ई० की रू से अहल कमीशन

का अख़्तियार ज़ियादः किया गया इलाक़ा में जो साहिबान कमिश्नर मुक़र्रर किये गये थे वे बहुत ज़ियादः बार व लयाक़त अख़्तियार थे लेकिन सन् १८२९ ई॰ में अख़्तियार कमिश्नर और भी बढ़ाया गया हाल क्योंकि पहलेही से बहुत था और दफ़ः १० क़ानून अव्वल सन् मज़कूर के मुताबिक़ हर एक कमिश्नर माल को दिया गया और नई तजवीज़ में बड़ा इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ उसके बाद इन मुक़द्दमात के इन्फ़िसाल के वास्ते और इन्तज़ाम में कई तरह की तग़ीरात वाक़ै हुये चुनांचे क़ानून २ सन् १८३५ ई॰ से मुनासिब हुई कि आइन्दः को इस तरह के मुक़द्दमः को ख़त्म न होगी मगर थोड़ा सा अरसः गुज़रा कि इस कमीशन को कोन ख़ुदा हज़ार मेहनत व मशक़्क़त से इस्तेमाल को पहुंचा तदबीरात मज़कूरः के साथ और तदबीरें दूसरी क़िस्म की क़ानून ७ सन् १८२२ ई॰ और क़ानून ९ सन् १८३३ ई॰ वग़ैरः के रूसे अमल में आई हैं कि उनके बमूजिब मालिकान ज़मीन के वाक़ई हुक़ूक़ और उनकी ज़िम्मःदारी का असिल हाल मुशख़्ख़स हुआ ॥

दफ़ः ९२ हासिल कलाम यह है कि मामिलात मज़कूरः बाला के सबब से नीलाम के एतबार में ख़लल वाक़े हुआ है क्योंकि ख़्वाह नीलाम सिवाय अन्देशः बे ज़ाबती के जिसके सबब से हुक्काम दीवानी नक़्स ख़लल करके नीलाम मन्सूख़ किया करते हैं सन् १८२१ ई॰ के मामिलः को फ़रामोश नहीं करते जिसके बमूजिब अमलः नीलाम इश्तहार के रूसे में पड़ा था अलावः इसके देखते हैं कि बिलफ़ेल ओहदःदारान सरकार तहसील नीलाम को उसकी सख़्ती के बाइस पसन्द नहीं करते और फिर भी उनपर ज़ाहिर है कि सब कहीं रक्खा वग़ैरः के हुक़ूक़ तफ़सीलवार मुतहक़्क़िक़ और मुन्ज़बत किये गये हैं लिहाज़ा वह बड़ा अख़्तियार और मदाख़िलत जो आगे हुक़ूक़ की फ़र्द न होने से ख़रीदार नीलाम को हाल में हासिल थे अब बाक़ी न रहे ॥

दफ़ः ९३ इस बाब में ऊपर का मुख़्तसर बयान इस वास्ते लिखा गया था कि ओहदःदारान सरकार को वह मुश्किलात जो बाक़ी में नीलाम की तदबीर में मुश्किल हैं बख़ूबी मालूम और आश्कारा हो जावें क़ानून की रू से साहब कलक्टर को बदस्तूर साबिक़ अख़्तियार कुल्ली हासिल है और नीलाम दर्असल उन्हीं की राय पर मुनहसिर है सरकार की दफ़ः ४९ क़ानून अव्वल सन् १८४१ ई॰ के बमूजिब इस्लाह की कुछ बातों के वास्ते जमी

स मुरक्काय और तमाम मुहाल को जिम्मःदार रखना जायज़ है और ज़ाहर है कि जो नीलाम शरायत क़ानून के मुताबिक़ अमल में आवे कामिल औ र वसई है क़ानून अव्वल सन १८४५ ई० में नीलाम के क़वायद बहुत तसरीह के साथ लिखे गये हैं जो शख़्स उसके बमूजिब अमल करने का इक्सेव शरायत मज़ कूर को बतामुल तमाम मुलाहिज़ः करे शरायत और अहतियातें जो नीलाम के वक़्त मल्हूज़ रहनी चाहियें थोड़ी और आसान हैं इस्वास्ते अगर नीलाम बे जालागी के सबब से मुस्तरिद हो तो साहब कलक्टर के लिये जाय उज़्र बाकी न रहेगी मगर ज़ाबित नीलाम की तफ़तीस से ज़्यादः ज़रूर और और मुक़द्दम है कि उन सूरतों का बयान किया जाये जिन्के लिहाज़ से साहब कलक्टर नी लाम के बाब में अपनी तजवीज़ करें ॥ ❖

दफ़ः ६९ जो मौज़ा एक शख़्स ख़्वाह कई शख़्स की मिल्कीयत गैर मुनक़िस्मः हो ख़सूसन जिस मौज़ा में ख़ुद मालिक काश्त और सकूनत नहीं ऐसे मौज़ा के नी लाम में अतराज़ और क़बाहत नहीं हो सकती अगर गांव किसी लाम साबिक़ में ख़रीदः गया हो तो कुछ अजब नहीं है कि दूसरे नीलाम में मालिकान क़दीम अ पनी मिल्कीयत फिर पावें बल्कि ऐसे मुक़द्दमात में यह भी करीन मसलहत हो सकता है कि दफ़ः २ क़ानून मज़कूर के मुताबिक़ बमुजर्रद वक़ू अ बाकी के और बग़ैर किसी और तदबीर के सेनहीं नीलाम अमल में आवे क्यों कि इस ताज़ील से मालिक पर कम ख़र्च पड़ता है और तजीय औक़ात और मेहनत बेफ़ायदः नहीं होती जब बाक़ीदार का मामिलः ऐसा अब तर हो कि उसकी दुरुस्ती की उम्मेद न रहे तब मिल्कीयत के जल्द नीला म करने से यह फ़ायदः हासिल होता है कि ख़रीदार मालिक कामिल हो जाता है और जिस क़र्ज़ और रहन वग़ैरः के फन्दे में मालिक साबिक़ फंस गया था और उसके सबब से मौज़ा की तरक़्क़ी की उम्मेद न थी उस से मालिक जदीद ख़लासी पाता है लिहाज़ा ऐसी सूरत में जिस क़दर उजलत हो उसी क़दर फ़ायदः मतसौवर है फ़िर मुमकिन है कि हक़ मिल्कीयत के किसी नुक़्स या ऐसे और सबब से मा लिक बय ख़ानगी से आजिज़ हो और ख़ुद चाहता है कि बाक़ी के नीलाम से मिल्कीयत मुतक़िल हो जावे ऐसी हालत में देर क रने की कोई वजः नहीं हो सकती क्योंकि जब तक गांव नीलाम न किया जावे तब तक बाक़ी का तरीक़ः बन्द न होगा लि हाज़ा जितनी जल्दी नीलाम में हो उतनी कम बाक़ी होगी

कोई गांव इस सूरत से नीलाम पर न चढ़ाया जायगा कि पहिले ख़्वाह मख़्वा ह बाक़ी के बराबर हो जित्नी बोलियां हों सब की समाअत हो और बोली ज़र बाक़ी तक न पहुंचे तो मुहाल अलअमूम सरकार के लिये ख़रीदा जा य इस सूरत में सरकार की ज़र बोली मुजरा देकर माबक़ी का बाक़ीदार बदस्तूर ज़ात व माल से ज़िम्मःदार होता है अगर मशहूर हो कि बाक़ीदार और माल बहुत रखता है साहब कलक्टर को अख़्तियार है कि ज़र बाक़ी से भी कम बोली पर नीलाम ख़त्म करें और फ़िल्फ़ौर बाक़ीदार के और माल से माबक़ी वसूल करें॥ ❖

दफ़ा ९५ जब गांव के मालिक एक गरोह हों जो ख़ुद काश्तकार भी हैं और ख़सूसन जब ऐसे शुरकाय बहुत हों और क़ुर्ब व जवार के ज़मींदारान हम क़ौम उनके मोमिद और मादिन रहते हों तो उसके नीलाम से ज़्यादः हो शियारी ज़रूर है ऐसे गांव में पट्टीदारों की कसरत के बायस यक़ीन है कि बसा औक़ात उसके नीलाम में बाज़े बे जुर्म मुज्रमों की मकाफ़ात में फंस जावे और इस सबब से अगर बग़ैर इम्तियाज़ के नीलाम का तरीक़ः अमल न अ ख़्तियार किया जावे तो अजब नहीं कि रआया अपने तईं मज़लूम जानक र सरकार से सरकशी करें और ऐसा हंगामः बरपा करें कि अन्जाम का म [illegible] ज़िब तअस्सुफ़ का हो ऐसे देहात में जब तक बाक़ी का सबब बख़ूबी [illegible] कशिफ़ न हो और उसके वसूल के वास्ते और सब तदबीरात अमल में न आ ई हों और यह भी वाज़ः हो कि बजिन्स ग़ालिब सबील नीलाम से मतलब सर कार का बरामद होगा तब तक कुल्ल गांव के नीलाम की दरख़्वास्त न करनी चाहिये उस सूरत की बाक़ी जिसका बयान सदर बोर्ड के सरक्युलर नम्बर २ की दफ़आत ११८ और ११९ में मुन्दर्ज है मूजिब नीलाम की है बल्कि उसकी वज़ू हात से कवी और संगीन वजूहात शायद किसी और तरह के मुक़द्दमात में न मिलेंगी बयान मज़कूर यह है कि एक क़िस्म के मुक़द्दमे हमेशः नीलाम के वास्ते सबब साफ़ी रखते हैं यानि जिस सूरत में शुरकाय ज़र बाक़ी न दें औ र चाहें कि सरकशी और ज़ुल्म व हंगामः के सबब अपना नाम मश हूर कर के औरों को ऐसा धमकावें कि किसी को गांव को मुस्ताजरी लेने ख़्वाह ख़रीदने की जुरअत न हो इस तरह की बदमामलगी की ना ज़िश में यक़ीन है कि जमीअ शुरकाय हमेशः शरीक हुए हों गे और नीलाम से ख़ास मक़सद यह है कि उनकी शोरःपुश्ती और मुतमर्रदी मौ जावे ऐसी हालत में तदबीर नीलाम वाक़ेअ में ॥ ॥

मुस्तहिक़्क़: सज़ा के है चुनांचि उसके वक़ूअ से सब हिस्से दार अपने मुस
ल: हुक़ूक़ मिल्कीयत से महरूम और महज़ काश्तकार हो जावेंगे कुछ शा
यद हो कि बाज़े मुक़द्दमात ऐसे मिलेंगे जिनमें सुरूकाव ख़ास और आम
क़ाबिलसज़ा के मुर्तकिब होंगे और जिनकी सज़ा औरों की इबरत के लि
ये मुफ़ीद होगी मगर इस लिये कि कोई सज़ा क़रारवाक़ई हो उसके अन
जाम से किसी तरह का ख़लल गुबन्दा न रहे जब ऐसा न हो और सज़ा का
तदारुकनातमाम औरबे हासिल निकले तो फ़ायदः के अवज़ हाकिम के
इख़्तियार में ख़लल और ज़रर नमूदार हुआ और सरकार की हुकूमत पर
निक़ारत आयद हुई इसवास्ते बहुत ज़रूर है कि साहब कलक्टर कमाल इ
हतियात और तहम्मुल से इसतरह के मामिलः में पेश आवें ताकि तरी
क़: मुनासिबः उनका सबके नज़दीक वाजबी और क़ाबिल तसलीम के हो
साहब मौसूफ़ पर साबित करना इस अमर का लाज़िम होगा कि बाक़ी श
रारत से पड़ी और यह कि सब तरह की फ़हमायश और तदारुक से कार
गुज़ारी न हुई अलावा इसके बख़ूबी दरयाफ़्त करें कि मुहाल की ज़मीन बश
र्त खिदमत कामिलः के इस क़ाबिल है कि कुल जमा उस से वसूल हो स
की है बाद अज़ां अगर नीलाम अमल में आवे ज़रूर है कि अपने बड़े इ
ख़्तियार से मुतम रहें और शोरः पुश्तों का ज़ोर तोड़ें और उनकी सरकशी
को पामाल करें जब यह बात हासिल हुई औरज़हूर हुकूमत और ग़लबः
सरकार का आशकारा हुआ अगर ख़िसारः भी पड़े चन्दां इल्तफ़ात के
क़ाबिल नहोगा क्योंकि इसतरह के मामिलः में बड़ा मतलब यह है कि
नीलाम के ख़रख़शः में ज़मींदार लोग मुफ़ीद न उठा सकें और ज़बरदस्ती
की राह से अपना मतलब यानी जमा की तख़फ़ीफ़ हासिल न करसकें सा
हब कलक्टर यह भी याद रक्खें कि इस मतलब के अन्जाम के वास्ते सिर्फ़
अपनी ही दानिस्त में ज़मींदारों की बदमामिली और सज़ा की ज़रूरत ठह
रानी काफ़ीनहीं बल्कि अक़ीक़तः सबूत रूबकारी और चिट्ठियात में बख़ूबी
मुन्दर्ज करनी वाजिब है वगरनः नुक़्सान वाला और अपने क़ायममुक़ाम
पर अपनी तजवीज़ की मुनासिबत और सलाहियत क्योंकर ज़ाहिर करेंगे
और वाज़ह है कि मन्ज़ूरी साहबान सदर की ज़रूर है और मुमकिन है
कि दूसरे साहब कलक्टर के अहद में नीलाम के मुक़द्दमः की तकमील
अख़्तताम को पहुंचे लिहाज़ा उनपर वजूहात नीलाम रोशन होनी चाहि
यें ज़मींदार लोग ख़ूब तजर्बःकार और मिज़ाजदां होते हैं और जब देखें

गो कि साहब कलक्टर इस वज़ा पर चल्ते हैं तो वह लोग उनके मुक़ाबलः से परहेज़ करेंगे क्योंकि उनको ख़ूब साबित है कि उस मुक़ाबिलः के अन्जाम में बजुज़ ज़रर और बदनामी के कुछ उम्मेद नहीं है ॥ *

दफ़ः ९६ दफ़ऄात ७ और १० क़ानून अव्वल सन् १८४१ ई० की इबारत के मुताबिक़ साहब कलक्टर को अख़्तियार है कि जो मालिक साबिक़ नीलाम के सबब से काश्तकार होजावें उनकी हालत और हक़ूक़ मुशख़्खस करें और चाहिये कि यह काम नीलाम के बाद फ़िल्फ़ौर किया जाय और इसका अन्जाम हर सूरत में ज़रूर है गो कुल्ल मुहाल या सिर्फ़ कोई हिस्सः उसका नीलाम होवे और गो सरकार ख़रीदार हो या कोई और क्योंकि गांव की बहबूदी व रिफ़ाहियत आइन्दः अक्सर उसके हुस्न अन्जाम पर मुनहसर है अलबत्तः जैसा इस तरह के जुमलः मुक़द्दमात में वैसा इस काम के अन्जाम में भी साहब कलक्टर को ख़बरदार रहना लाज़िम है कि अहालियान महालः की साज़िश से सरकार के हक़ूक़ वाजबी में कुछ ख़लल और नुक़सान आयद न हो यह भी याद रहै कि दफ़ः १० क़ानून अव्वल सन १८४१ ई० में लिखा है कि मुहाल के नीलाम से सब पट्टीदारों के तमाम हुक़ूक़ मालिकानः मन्सूख़ और मादूम हो जाते हैं इसवास्ते सायर के कुल्ल हक़ूक़ भी ख़रीदार के हाथ मुन्तक़िल हो जाते हैं लिहाज़ा फलकर और अजनास ख़ुदरौ का हक़ मालिकानः हमेशः ख़रीदार को मिलता है मगर किसी तरह के अबवाब तहसील करने का अख़्तियार सिर्फ़ उस सूरत में क़ाबिल जवाज़ के होगा जब कि ज़िक्र उनका बन्दोबस्त के वक़्त व फ़हवाय दफ़ः ९ क़ानून नहुम सन १८२५ ई० के लिखा गया हो ॥ *

दफ़ः ९७ पहिले इससे दफ़ः ५८ में मज़कूर हुआ कि किसी गांव का हिस्सः या पट्टी ग़ैर मुनक़सिम नीलाम में सरकार के नाम से ख़रीदनी न चाहिये अगर कोई ख़रीदार मुयस्सर न हो तो ज़रूर है कि ऐसे हिस्सः या पट्टी का नीलाम मौक़ूफ़ किया जाये फिर यह बात ग़ौर तलब रहेगी कि कुल्ल गांव से इस बाक़ी का मवाख़ज़ः करना क़रीन मसलहत है या नहीं ॥ *

दफ़ः ९८ चन्द साल से गवरन्मेन्ट बाक़ी के नीलाम के मुक़द्दमात पर बहुत तवज्जुह करते हैं चुनांचि जो इश्तहार गज़ट में छपते हैं उनके ज़रीये से मुक़द्दमात सायर होने के वक़्त मद्द नज़र रहते हैं और सदरबोर्ड की रपोर्ट सिःमाहा से कैफ़ीयत मुफ़स्सिल उन मुक़द्दमात की बाबत जिन में नीलाम की तकमील हो चुकी है बहुज़ूर गवरन्मेन्ट पेश की जाती है हिदायतनामः मुन्दर्जः

सदर बोर्ड और नक़्श: जात जो साहब कलक्टर को इस बाब में गुज़रानें चाहियें तितिम्मः नम्बर ११ में मुन्दर्ज हैं ॥ *

दफ़ः ९९ बाक़ी के वसूल के वास्ते अव्वल उसी मुहाल को नीलाम करना चाहिये जिसमें बाक़ी पड़े क्योंकि हर एक मुहाल अपनेही जमा के वसूल के लिये मुस्तग़रक़ होता है इस लिये जब तक कि मालिक के क़ब्ज़: में या किसी दूसरे के दख़ल में जिसके पास मालिक ने अपनी ख़ुशी से मुन्तक़िल किया हो रहे तब तक बाक़ी के वसूल के वास्ते उसी मुहाल को नीलाम करना चाहिये क़ब्ल इसके कि मालगुज़ार का कुछ और माल ग़ैर मनक़ूलः नीलाम हो ॥ इस म क़दमः की तफ़सील सदर बोर्ड ने सरकुलर नम्बर २ की दफ़: १२७ में बतफ़सील मुन्दर्ज है ॥ हां मगर जो उसके नीलाम से ज़र बाक़ी बेबाक़ न हों तो अलबत्तः मालगुज़ार जो कुछ और मिल्कीयत रखता हो क़ाबिल नीलाम के होगी दर सूरते कि मुहाल मालिक के इनकार ख़्वाह बाक़ियात के सबब किसी सरकारी मुस्ताजिर के दख़ल में हो और उसके अह्द में बाक़ी पड़े तो ऐसी बाक़ी के वास्ते मुहाल क़ाबिल नीलाम के नहीं मगर उसको ख़ुद मुस्ताजिर और उसके ज़ामिन की मिल्कीयत ग़ैर मनक़ूलः के नीलाम से वसूल करना चाहिये ॥ *

दफ़: १०० क़ानून अव्वल सन् १८४५ ई० में शरायत मुन्दर्ज हैं जिनके बमूजिब सिवाय उस मुहाल के जिस में बाक़ी पड़ी है और मौज़ावों का भी नीलाम किया जाय ॥ इस अमर के मुतअ़ल्लिक़ सदर बोर्ड का सरकुलर नम्बर १९ मरक़ूमः २ अगस्त सन १८४७ ई. है चुनांचि अबारत चौथी दफ़: की ज़ैल में लिखी जाती है ४ क़तआ़त ज़मीन व हवेली व बाग़ वग़ैरः माल ग़ैर मनक़ूलः जो मुहाल या हिस्सः मुहाल नहीं हैं उनका नीलाम बमूजिब दफ़: ३७ क़ानून २७ सन १८०३ ई० के होता है दफ़: मज़कूर में हुक्म है कि ऐसी मिल्कीयत उस दस्तूरुलअमल के मुवाफ़िक़ जो ज़मीन मालगुज़ारी के वास्ते जारी है नीलाम की जाय जहां तक क़ाबिल इजरा के हो इस सबब से ऐसे मुक़द्दमात में दस्तूरुलअमल मज़कूर के बमूजिब अमल करना चाहिये और नक़्श: इश्तिहार नीलाम उसी क़दर तबदील पावे जो मुक़द्दम: की सूरत से मुवाफ़िक़ हो ॥ मगर याद रहे कि सिर्फ़ उस सूरत में कि मौज़ा अपनी बाक़ी के लिये नीलाम हो दफ़: २७ के मुताबिक़ ख़रीदार हक़ जदीद और कामिल हासिल कर सकता है ॥ इन दोनों तरह के हक़ का इम्तियाज़ क़ानून २१ सन १८२२ ई० में मुफ़स्सल मुन्दर्ज है और अगरचि क़ानून मज़कूर मनसूख़ हो गया मगर ता हाल उसूल मुन्दर्ज: उसके बहाल और बर क़रार हैं चुनांचि

रहन अव्वल सन १८४५ ई० उन उसूल पर ईमा बरता हैया बर खिलाफ़ इसके ॥ अब दूसरे मुहाल की बाक़ी के वास्ते कोई मौज़ा नीलाम हो तो सिर्फ़ च हल मुक़द्दमा ही की हक़ीक़त मिल्कीयत नीलाम होती है लिहाज़ा । खरीदार उस सख्स के क़ायम मुक़ाम हो कर उसका बोझ उठाता है ॥ याने जिसने लवाज़मात और शरायत रहन वग़ैरः मालिक —— सा बिक़ ने मिल्कीयत पर इस्तहाक़ किये खरीदार सबका ज़िम्मःदार होता है यहांतक ज़रमालगुज़ारी की तहसील का जिक्र खत्म हुआ अब । जो और काम उसके मुतअल्लिक़ हैं उनका जिक्र किया जाता है ॥

॥ आबकारी और मुसकिरात का ज़िक्र ॥

दफ़ः १०१ मालगुज़ारी की तहसील के वास्ते यह अख्तियार ॥ और अमलः साहब कलक्टर के सिपुर्द है जिसके सबब से मुनासिब हुआ कि आबकारी और मुसकिरात की तहसील भी साहब मौसूफ़ के मुतअल्लि क़ हो हिन्दोस्तानी सरकारों में आबकारी और मुसकिरात से जो आमदनी होती है सायर में शुमार की जाती और मालगुज़ारी से ग़ैर मालगुज़ारी के तौ र तहसील होती है मगर सरकार अंगरेज़ने उसको जुदा कर और एक नया तरीक़ः आबकारी मुहाल के बन्दोबस्त के वास्ते जारी किया ॥

दफ़ः १०२ इस काम के इन्तज़ाम में यह बात ______ साहब कलक्टर के दुलाक़ः से दूर है कि शराब और मुसकरात का खर्च ज़्यादः कर कर इस तरह से सरकारी महसूल को बढ़ावे बल्कि बरखिलाफ़ इसके यह अमर मद्दनज़र रह ना चाहिये कि महसूल सरकारी को तंग तरीक़ों से वसूल करके शराब वग़ै रः की क़ीमत ज़्यादः करावे और इसी तरह से उसका खर्च कम करावें ज़ाहि र है कि अशियाय मज़कूरः का सर्फ़ कुलीयतन क़ाबिल मुमानअत के नहीं है अव्वल इससबब से कि अगर उसका बरताव बेएतदाल और अन्दाज़ा के साथ होतो कुछ सबब नुक़सान का नहीं है दूसरे यह कि सब मुल्कों में तजुरबःकार मुत्तफ़िक़ हैं कि जिस सूरत में सरकार की तरफ़ से किसी चीज़ की बिल्कुल मुमानअत हो तो मखफ़ी उसका रवाज बाक़ी रहता है क्योंकि वह चीज़ बेश क़ीमत हो जाती है यहां तक कि अपफ़राद पर नफ़ा उसको हिफ़ाज़त से आजेज़ होते हैं और लोग बिलज़रूर उनको धोखा देकर इसे माल में लाते हैं लिहाज़ा इस बाब में यह क़ायदः जारी किया महसूल सरकारी

इस अन्दाज़ः से ज़ियादः किया जावे जिस से इन अशयाय की क़ीमत तो बढ़ जावे लेकिन महसूल की ज़ियादती इस क़दर न हो कि मुनाफ़े की तमा से चोरी करने वालों को ख़तरह का ख़ियाल न रहे ॥ *

दफ़ः १०३ जो इन्तज़ाम आबकारी और मुसकरात के महसूल की तहसील के वास्ते मुरव्विज है तसरीह उसकी क़ानून १० सन् १८७३ ई० और क़ानून ७ सन् १८२४ ई० में मुन्दर्ज है मगर हर एक क़िस्म के महसूल का थोड़ा सा ज़िक्र यहां भी मुफ़ीद होगा ॥ *

दफ़ः १०४ अशयाय महसूली जो ज़ियादः मुस्तअमिल हैं ज़ैल में लिखी जाती हैं पहिले वह शराब जो हिन्दोस्तानी तरीक़ः से बनती है दूसरे वह शराब जो वलायती तरीक़ः से बनती है तीसरे ताड़ी चौथे भंग या कोई और नशः जो उसके दरख़्त से बने पांचवें अफ़ीवन ख़ुश्क हो या घोली हुई ॥ *

दफ़ः १०५ हिन्दोस्तानी शराब का महसूल—सब से ज़ियादः आमदनी हिन्दोस्तानी शराब के महसूल से होती है और उसकी तहसील तीन तरह से हो सकती है पहिले तो सदर भट्टी के तक़र्रुर से दूसरे बन्दोबस्त तफ़सीली से जिस में जुदागानः हर दूकानदार को शराब की तैयारी और फ़रोख़्त के वास्ते पट्टः † † अकसर जगः इस पट्टः को लैसंस याने इजाज़त नामः भी कहते हैं † † दिया जाता है तीसरे बन्दोबस्त इजमाली से जिस में एक परगनः या ज़िलः का ठेकः किसी मुस्ताजिर को दिया जाता है ॥ *

दफ़ः १०६ सूरत अव्वल सदर भट्टी—सदर भट्टी दीवारों के अहाते के दरमियान किसी बड़े शहर के मुत्तसिल वाक़ा होती है और उस के गिर्दा गिर्द चार कोस तक या किसी दायरे मुऐयन तक मुमानअत होती है कि इस भट्टी की शराब के सेवाय और शराब का ख़र्च न हो सदर भट्टी की शराब को लंडन परूफ़ * * लंडन परूफ़ एक मरतबः का नाम है जो वास्ते तेज़ी शराब के मुसतअमिल है † † से बक़दर चहारुम हिस्सः के तेज़ी में कम होना चाहिये और जो कोई उसको अहाते से बाहर ले जावे तो एक महसूल मुक़र्ररी फ़ी गैलन ‡ ‡ गैलन एक पैमानः है बक़दर ३०४ सिक्कः के ‡ ‡ देना पड़ता है यह शराब इजारःदारों की मारफ़त बिकती है और फ़रोशिन्दः को उस महसूल के सिवाय जो वास्ते मिक़दार शराब मुन्दर्जः पट्टः के मज़कूर है एक ख़राज यौमीयः इजाज़त फ़रोख़्त के एवज़ देना पड़ता है ॥ *

दफ़ः १०७ सूरत सानी बन्दोबस्त जुदागानः—जहां सदर भट्टी

न हो ख्वाह सदर भट्ठी की सरहद्द से जो देहात खारिज हों वहां लैसंस दिये जाते हैं और उन में यह मुन्दर्ज होता है कि महसूल योमीयह मुकर्रर: पर एक या कई भट्ठियों में कि उनके अरज़ व तूल का अन्दाज़ः मुतय्येयन हो शराब खींची जायगी और उसी जगः या फ़लानी और जगः फ़रोख्त उसकी जायज़ होगी ॥ ❖

दफ़ः १०८ सूरत सालिस बन्दोबस्त मुस्ताजरी — जिस हालत में सारे परगनः या और जगः का बन्दोबस्त इजमाली किया जावे तो मुस्ताजर को अख्तियार हासिल है कि भट्ठीवाले के साथ जिसतरह चाहे बंदोबस्त करे मगर उसकी सरहद से शराब बाहर लेजाने की मुमानियत है ॥ ❖

दफ़ः १०९ दूसरे जो शराब बलायती तरह से बिकती है — इस किस्मकी शराब के बेंचने और मुन्तक़िल करने की परवानगी नहीं जब तक कि खन्नः न मिले ख्वाह उस खन्नः में यह मुन्दर्ज हो कि महसूल अदा हुआ ख्वाह यह कि माल समन्दर की राह से दूसरे मुल्क को रवानः होगा ख्वाह अरसः हुआ कि शक्कर के बाज कारखाने मुतअल्लिक रम शराब के कारखाने से मुकर्रर हुए और शराब मज़कूर या इस मुल्क में खर्च होती है या दूसरे बलायत को रवानः होती है लिहाजा जो अहकाम महसूल शराब बलायती के बाब में जारी हुए बिल्फ़ेल क्या दः तवज्जः और लिहाज़ के लायक़ हैं सदर बोर्ड ने जो सरक्युलर इस अमर में जारी किया है उस में से अहकाम मुफ़ीदः तितिम्मः नम्बर १२ में मुन्दर्ज हैं ॥ ❖

दफ़ः ११० ताड़ी — ताड़ का अर्क़ ताज़ः हो ख्वाह खमीर किया हुआ क़ाबिल महसूल के है ताड़ी के सेवाय इस दरख्त की कदर और मुनफ़अत कम है दरख्त ताड़ का शुमार और ताड़ी के महसूल का हिसाब सहूलत से हो सकता है ॥ ❖

दफ़ः १११ चौथे भंग — इस दरख्त का नशः बनाया महसूल के लायक है मगर अज़ बस कि उस के दरख्त का सन बहुत काम आता है और अशयाय तिजारत से है इसवास्ते ज्यादः अहतियात चाहिये कि खिराज की तहसील के कवायद ज़िराअत में खलल अन्दाज़ न हों इस दरख्त की ज़िराअत और उसके कार बार जमा करने और उससे टाट और रस्सी वगैरः बनाने में किसी तरह की मुजाहिमत क़ानून की रू से नहीं हो सकती सिर्फ़ नशः की फ़रोख्त पर महसूल लगता है ॥ ❖

दफ़ः ११२ पांचवीं अफ़ीवन — अफ़ीवन का महसूल वसूल करना ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

स्सस्नन् उन इज़्लाओं में जहां पैदा होती है बहुत मुशकिल है मुमानिअ़त है कि
कार इजाज़त सरकार और सिर्फ़ सरकार की कोठी के वास्ते पोस्त की ज़िराअ़त
की जावे लिहाज़ा जो अफ़यून कि क़ीमत मुक़र्ररः सरकार से कम क़ीमतको
खरीद होकर ख़र्च में आती है यक़ीनन चोरी का माल है कलकत्तः की राह
से सरकारी अफ़यून अक्सर चीन को भेजी जाती है लिहाज़ा कलकत्तः
के नीलाम में जिस भाव पर अफ़यून बिके उसके मुताबिक़ सरकार के त
माम इलाक़ः में अफ़यून का निर्ख़ मुक़र्रर होता है और ज़ाहिर है कि यह
निर्ख़ उस से बहुत ज़ियादः है जिसपर लोग यहाँ देने पर राज़ी हैं क्योंकि य
हां उसकी ज़िराअ़त और ख़ुफ़ियः फ़रोशी बस हूलियत मुमकिन है हाल
ने में बतौर आज़मायश अफ़यून कलकत्तः के भाव से कुछ कम क़ीमत पर
बिकती है मगर ज़ाहर है कि कलकत्तः की निर्ख़ से थोड़े फ़र्क़ में तो कुछ मु
ज़ाक़ः नहीं लेकिन ज्यादः फ़र्क़ क़भी कभी मन्ज़ूर न होगा क्योंकि सरकार
का फ़ायदः इसी में है कि जहां अफ़यून का भाव ज़्यादः हो वहां फ़रोख़्त
के वास्ते भेजी जावे जो अहकाम अफ़यून की ख़ुरदः फ़रोशी के बाब में जा
री हैं उनकी ग़िहृत से तामील करने में इस बात को एहतियात ज़रूर है
कि रेआया पर ज़ुल्म व तअ़द्दी न हो ॥ *

दफ़ेः ११३ साहब कलक्टर को क़वानीन आबकारी की तामील और म
हसूल सरकारी की हिफ़ाज़त के वास्ते अख़्तियार हासिल है चुनांचि उनको
जायज़ है कि भट्ठी ना जायज़ जो बग़ैर लेसंस के हो उसका और उसकी शरा
ब का तजस्सुस करें और सरकार की अ़दूल हुकमी की सज़ा जुर्मानः और
क़ैद से दें बाक़ीदारों या उनके ज़ामिनों से बाक़ियात महसूल उसी सबील से
वसूल हो सकती है जिस से मालगुज़ारी की बाक़ियात मुसताजिर या उसके
ज़ामिन से वसूल हो सकती है ॥ *

दफ़ेः ११४ आबकारी मुहाल का ऐसा बन्दोबस्त होना चाहिये जो मु
फ़ीद हुस्न इन्तिज़ाम फ़ौजदारी और मूजिब रफ़ाय आम का हो अगर कहीं
शराब के बिकने से बद इन्तज़ामी या फ़ितना अंगेज़ी ख़्वाह ऐसी बद अ़त
वारी वक़ूअ़ में आवे जिस से अवाम की आफ़ीयत में ख़लल मालूम हो
उसकी सज़ा तनसीख़ लैसेंस और मसदूदी दूकान से चाहिये ॥ *

दफ़ेः ११५ दफ़ेः १०५ में जो तीन तरीक़ः मुख़्तलिफ़ मुख़्तलिफ़ आब
कारी मुहाल के वास्ते मज़कूर हैं जब साहब कलक्टर उनमें से किसी एक तरी
क़ः के पसन्द करने की तजवीज़ करें तो उस बड़े इख़्तियार पर जो उनको कार

एत अमलः और मुलाज़िमों के सबब हासिल है लिहाज़ कौं अलबत्तः जैसा कि सब मुलकों में मशहूर है वैसा यहां भी होगा कि कहत साली और मैया स तंगदस्ती में आबकारी की आमदनी में ख़लल पड़ेगा क्योंकि पहिले तो वह अशयाय जिनसे शराब और नशा बनता है उन दिनों में गरां कीमत हो जाती हैं और फिर रिआया को ख़रीदने का मक़दूर कम होता है मगर इसतरह की कमी बेशी से कता नज़र करके आबकारी की तर्ज़ इन्तज़ाम से भी ब डा फ़र्क़ निकलता है क्योंकि ज़ाहिर है कि साहब कलक्टर की वज़ा हर क़िस्म आमदनी के इन्तज़ाम में बड़ा असर रखती है आबकारी की जुम लः रक़ूमात का बन्दोबस्त पर सबील मुस्ताजरी करना अकसर मुनासिब औः और है इस सूरत में जब साहब कलक्टर होशियारी और इस्तकलाल में मा सिर हों तो इस वक़्त कुछ ऐवज नहीं कि मुस्ताजिर आपस में माज़िश कर कर अपने फ़ायदः और सरकार के नुक़सान के लिये अपने इजारे में तख़फ़ीफ़ क रावें लिहाज़ा साहब कलक्टर को लाज़िम है कि सब इजारों की असल हकीक़त और अन्दाज़ः से आगाह रहें सो मुनासिब है कि तादाद भट्टी औ र दुकान और आमदनी मुतफ़र्रक़ः जो महसूल के सिवाय किसी और आम दनी की बाबत मुस्ताजिर को मिलती है साहब मौसूफ़ को इन सब बातों इत्त ला हो फिर साहब कलक्टर हमेशः आमादः रहें कि इन्दुलज़रूरत मुस्ताजरों को कनारः कर कर तमाम इन्तज़ाम अपने हाथ में लेलें बन्दोबस्त ख़ास का इन्तज़ाम तहसीलदारों की मारफ़त ब वजह अहसन हो सकता है और उसमें पहिला असर यह ज़रूर होगा कि हाकिम ज़ुमलः लैसंस साबिक़ मन सूख़ कर कर लैसंस जदीद अपनी मुहर व दस्तख़त से जारी करें और अम लः माल और भी अहलकारान फ़ौजदारी के वसीले से जो लोग शराब बर सबील नाजायज़ खींचें या बेचें क़वानीन के मुताबिक़ उनका तदारुक ब शिद्दत करें ॥

दफ़ा २२६ साहब कलक्टर हमेशः अपने ज़िला के आबकारी बन्दोबस्त का हाल अज़रूय तख़मीनः के इस तरह से बख़ूबी दरियाफ़्त कर सकते हैं कि उनको दूसरे ज़िला के बन्दोबस्त की कैफ़ियत के साथ मुक़ाबिलः करें और सूरत बन्दोबस्त हाल को साथ सूरत बन्दोबस्त साबिक़ के और हालत बन्दोबस्त एक सिम्त को साथ हालत बन्दोबस्त दूसरी सिम्त के मवाज़िनः करें सन १८४२ ईसवी में सदर बोर्ड ने एक सरकूलर जारी किया जिसमें हुक्म है कि हुक्काम माल ऐसे मुक़ाबिलः के तरीक़ः पर मुतवज्जह हों मा

क़ुदर मज़कूर: तिलिम्म: नम्बर १३ में मन्दर्ज है और उसका मज़मून न सिर्फ़ आबकारी के मुक़द्दम: में मुफ़ीद है बल्कि अस्ल: मतलब उसका यह है कि पैमायश और बन्दोबस्त में जो मुफ़स्सल कैफ़ीयत: हर ज़िला की बाबत हुई है उस्के मुक़ाबिल: करने से हुक्काम ग़ौर कर के ख़ूब समझ लें कि जम्ल: मुक़द्दमात में किया फायद: हासिल हो सकता है ॥ ❖

इस्टाम्प का महसूल

दफ़: ११७ इस्टाम्प से सरकारी आमदनी को बढ़ाना महज़ रस्म वलायती दस्तूर है अमल्दारी सरकारी अंगरेज़ी के पहिले उसका रवाज हिन्दोस्तान में मुतल्लक़ न था लिहाज़ा ज़रूर है कि मुमालिक जदीद में उसका इजरा ताम्मुल से हो काग़ज़ की क़ीमत उसके इस्टाम्प याने मुहर के मवाफ़िक़ बढ़जाती है इसवास्ते मसल्लबैंक नोट के साहब साहब कलक्टर की तहवील में महाफ़िज़त और फ़रोख़्त के वास्ते रक्खे जाते हैं जो क़ायद: कि इस्टाम्प से तअल्लुक़ रखता है सब क़ानून १० सन् १८२९ ई० में तफ़सील और तसरीह के साथ मुन्दरिज है ॥ ❖

दफ़: ११८ इस्टाम्प के बाब में जो बातें मुक़द्दम हैं ज़ेल में लिखी जाती हैं अव्वल यह कि काग़ज़ तहवील में बहिफ़ाज़त रहे दूसरे यह कि उस्की फ़रोख़्त दियानत से अमल में आवे तीसरे यह कि इस तरह का बन्दोबस्त करना चाहिये जिससे ख़रीद व फ़रोख़्त बआसानी और बग़ैर किसी तरह की मुज़ाहिमत के हो और यह मुमकिन नहो कि लोग काग़ज़ कीमत को हद से ज़्याद: बढ़ावें चौथे यह कि ऐसी दग़ाबाज़ी का इन्सिदाद किया जावे जिस्से फ़रेबी लोग इस्टाम्प जाली बनाकर ख्वाह पुराना इस्टाम्प किसी तदबीर से दोबार: ख़र्च में लाकर सरकार की आम्दनी में ख़लल डालें

दफ़: ११९ पहिला और दूसरा मतलब याने इस्टाम्प की हिफ़ाज़त और फ़रोख़्त बदयानत सिर्फ़ उस चुस्ती और होशियारी से मुमकिन है जो ज़रूर करके तअल्लुक़ और तसरुफ़ के इन्सदाद के वास्ते ज़रूर है चाहिये कि काग़ज़ इस्टाम्प का बड़ा ज़ख़ीर: ख़ज़ाने: की कोठरी में मुक़फ़्फ़ल रहे और उस्की कुन्जी साहब कलक्टर के क़ब्ज़े: में रहे और वहां से निकालकर सिर्फ़ उन्हीं इस्टाम्प फ़रोशों के हवाले:

हिसाब के समझाने और ज़र आमदनी के अदा के वास्ते ज़मानत दे सकें और
फिर भी उनको सिर्फ़ इतना स्टाम्प सिपुर्द करना चाहिये जिसके वास्ते ज़र
ज़मानत किफ़ायत करे ॥ ❋

दफ़ा १२० तीसरे मतलब के हुसूल के वास्ते याने कि काग़ज़ स्टा-
म्प की क़ीमत में ज़ियादती देना नहो ज़रूर है कि चिट्ठियात बतलब स्टा-
म्प के साहब सुपरंडन्ट स्टाम्प मुक़ाम कलकत्ता के पास बर वक़्त भेजी जा-
यें ताकि काग़ज़ बक़दर किफ़ायत हमेशः मौजूद रहे और यह कि स्टाम्प
फ़रोश ब तादाद मुनासिब मुक़ामात शायस्तः पर मुक़र्रर किये जावें और
हत्तुलइम्कान ऐसा बंदोबस्त हो कि स्टाम्प फ़रोश एक दूसरे के मुक़ाबिला में
हों ताकि ज़ियादः तलबी और बेशी क़ीमत उनके इत्तफ़ाक़ से मुमकिन न हो
अगर किसी वक़्त येह इहतिमाल हो कि क़ीमत के बेजा इज़ाफ़ा के लिये स्टाम्प
फ़रोश आपस में मिल गये तो शायद मुफ़ीद हो कि साहब कलक्टर अवा-
म को इख़्तियार दें कि बक़दर सौ पचास रुपये के स्टाम्प बिला ज़रिये
फ़रोसिन्दों के ख़ज़ाने से इकट्ठा ख़रीद करें और साल गुज़श्तः में फ़रो-
ख़्त की बाबत जो सरकार को मेहनताना देना पड़ा बक़दर उसके काग़ज़
की क़ीमत से मुजरा करें ❋

दफ़ा १२१ चौथे जालसाज़ी — जालसाज़ लोग मसनूई स्टाम्प के बना-
ने का ख़याल कम करते हैं क्योंकि मुहर और निशान काग़ज़ स्टाम्प के जुर्म
में ऐसी हिकमत से होता है कि तक़लीद उसकी निहायत मुश्किल है मगर
चूंकि हिन्दोस्तानी स्याही काग़ज़ में इस तरह से नफ़ूज़ न होसक्ती जो धो-
ने से छूट न सके लिहाज़ा अकसर यह दग़ाबाज़ी की जाती है कि पहिले
लिखे हुए काग़ज़ को पानी से धोकर दुबारह ख़र्च में लाते हैं अदालत
दीवानी में बाज़ औक़ात यह भी रिवाज़ है कि एक काग़ज़ बड़ी क़ीमत
के एवज़ सायल को दो किता कम क़ीमत नत्थी करने की इजाज़त
है चुनाञ्चे एक पर मज़मून सवाल का लिखा जाता है और दूसरा कि-
ता सादः रहता है आइन्दः को दग़ाबाज़ सादह काग़ज़ मिसल से
जुदा कर कर दोबारह फ़रोख़्त करते हैं ❋

दफ़ा १२२ अदालत दीवानी में दस्तूर है कि जब कोई मुक़द्दमः
राज़ीनामः की रूसे फ़ैसल हो तो अर्ज़ी दावी की कुल क़ीमत या कुछ
उसमें से वापिस दी जाती है पस जालसाज़ काग़ज़ मुश्तबः [illegible]
फ़रेब से जारी करते हैं कि किसी साबिक़ मुक़द्दमः की अर्ज़ी दावी धोये हुए [illegible]

म्प पर गुज़रते हैं इसके बाद राज़ीनामः दाख़िल कर कर इश्ताम्प मज़कूरः की क़ीमत नक़द सरकार से लेते हैं ऐसीऐसीजालसाज़ी के वास्ते तदबीरें तो तजवीज़ हुईं ।। इस बाब में सदर दीवानी अदालतके हुक्म सरक्यलर मुन्दर्जः ज़ैल को देखना चाहिये २ अगस्त सन् १८३९ ई० और २६ जनवरी और २९ मई सन १८४० ई० और भी नम्बर ९८१ मरक़ूमः २५ मई सन् १८४३ ई० ।। लेकिन जो हाकिम मुतअल्लिक़ इश्ताम्प होशियारी और बेदारी में कोताहीकरेंतो हज़ारों तदबीरें कुछ फ़ायदः नकरेंगी इसवास्ते हाकिम हमेशः ख़बरदार रहे ऐसा न हो कि कोई फ़रेबी अपनी किसी क़दीम दग़ाबाज़ी के तरीक़ः को जारी करे या जाल की सूरत जदीद निकाले ॥ *

दफ़ः १२३ बसीग़ःजात कम क़ीमत के इश्ताम्प पर तजवीज़ होने के सबब जो मुक़द्दमात दायर होते हैं उन में तहक़ीक़ात और सज़ा की तजवीज़ के वास्ते साहब कलक्टर को दफ़ः १५ क़ानून १० सन् १८२९ ई० में अख़्तियार हासिल है और यह अख़्तियार बतवीअत साहब सिपरन्टेंडन्ट इश्ताम्प बोर्ड आफ़ किस्टम्स व नमक व अफ़ीयून के अमल में आता है जैसा हुक्म गवर्न्मेन्ट मसदूरः २६ अप्रैल सन् १८४३ ई० मशारियः सदर बोर्ड तारीख़ ग़ुररः दिसम्बर सन मज़कूर में लिखा है ॥ *

---

* ॥ मुराफ़ेः अदालत दीवानी ॥ *

दफ़ः १२४ अलग़रज़ यह सब अख़्तियार व हुक्मत सरकारी तहसील के वास्ते क़वानीन की रूसे साहब कलक्टर को हासिल है मगर मुमकिन है कि बेतअम्मुलीऔर अदम अहतियात शरायत क़ानून के सबब किसी मुक़द्दमः में इत्तिफ़ात और तवज्जुह बख़ूबी अमल में न आई हो और क़ानून के ख़िलाफ़ फ़ैसलः हुआ हो लिहाज़ा जब कोई शख़्स किसी फ़ैसलः से अपनी हक़तल्फ़ी जाने तो अख़्तियार है कि अपने मुक़द्दमः को फिर पेश कर कर तजवीज़ सानी बग़ैर बेतअम्मुल कराये यह बात अदालत दीवानी के महकमः में नालिश रुजूअ करने से हासिल होती है और उस अदालत में सब तरह के मुक़द्दमात ख़्वाह वह जिन में सरकार तरफ़ैन ।। इस बाब में दफ़ः ७ क़ानून २ सन् १८०३ ई० के मज़मून पर लिहाज़ करना चाहिये ।। से हो या दूसरे क़िस्म के दायर होते हैं इब्तदा में महकमः आला जिस में इस तरह का मुराफ़ेः होसकता है याने सदर दीवानी

अदालत के हाकिमन बाब गवर्नर जनरल बहादुर बइजलास कौंसिल इस बाब में दफ़ः २ क़ानून सन् १७९३ ई० और क़ानून २ सन् १८०२ ई० के दीबाचः को देखना चाहिये इस में और उस हालत में ऐसे मुराफ़ः से सिर्फ़ यह मुराद थी कि जिस अदालत आला से मुक़द्दमः इन्फ़िसाल पाया मुस्तग़ीस को अख़्तियार हो कि उसी महकमः से फिर अपने मुक़द्दमः की नज़र सानी ग़ौर कामिल से हासिल करे मगर अब दीवानी का अख़्तियार हुक्काम जुदागानः को दिया गया और ख़ास उसके इन्तज़ाम के वास्ते हाकिम मुक़र्रर हुये और इस तरह से यह ज़ाहिर मामिलः देखने में आता है कि एक मुक़द्दमः जो हाकिम आला बल्कि गवर्नमेन्ट की तजवीज़ से फ़ैसला हुआ हो फिर अदालत दीवानी के किसी हाकिम अदना के हुज़ूर में नज़र सानी के वास्ते पेश हो साहब कलक्टर पर उनके जुमलः अहकाम की बाबत अदालत दीवानी में नालिश हो सकती है और सदर बोर्ड को बतौर अम्र हुक्म गवर्नमेन्ट के इस बात की तजवीज़ करनी पड़ती है कि जवाबदिही और अदाय ख़र्चः सरकार की तरफ़ से होवेगा या साहब कलक्टर बज़ात ख़ो ज़िम्मःदार होंगे यह तरीक़ः अगर्चः एक अच्छा मन्सूबः है ख़ता और ग़लती के इन्सिदाद के वास्ते मगर ऐसा न हो कि कोई हाकिम किसी मामिलः मुतअल्लिक़ः पर क़दम मारे ख़्वाह किसी अम्र में तफ़्तीश ज़रूरी या अहतियात को फ़रो गुज़ाश्त करे इस लिहाज़ से कि अगर हम से सहो होगा तो उसकी दुरुस्ती अदालत दीवानी में हो जायगी और हाकिम को याद रहे कि ऐसे मुक़द्दमात बहुत कम हैं जिन में दीवानी के महकमः से वाजबी फ़ैसला सरकार के ख़िलाफ़ होवे और उस से इल्ज़ाम शदीद उस हाकिम की निस्बत आयद न होगा जिसका हुक्म मन्सूख़ हुआ नीलाम के मुक़द्दमात में सरकारी ओहदःदार पर बड़ी रिआयत हुई क्योंकि दफ़ः २४ क़ानून अव्वल सन् १८४५ ई० में मुमानिअत है कि उन वजूहात के सिवाय जो बहुज़ूर हुक्काम माल अपील के ज़रियः से पेश की गई मुद्दई दूसरी वजूहात को महकमः दीवानी में पेश कर सके इस बात में कुछ शुबहः नहीं है कि जुम्लः मुक़द्दमात की वजूहात और सुबूत उसी तसरीह के साथ साहब कलक्टर के हुज़ूर में पेश होती हैं जिस तरह कि साहब जज के हुज़ूर में फिर क्या वजः है कि साहब कलक्टर की तजवीज़ सहीह न हो अदालत दीवानी और दारुलमाल में एकही आईन और एकही क़वायद जारी हैं लिहाज़ा ज़रूर है कि दोनों की तजवीज़ भी अलल्अमूम यकसां हो मुक़द्दमात दीवानी

की फांरखाई के वास्ते जो दस्तूरुलअमल महकमः सदर बोर्ड से जारी हुआ ति तम्मा नम्बर २४ में मुन्दर्ज है ॥❋

दफ़े १२५ ऐसे मुक़द्दमात की जवाबदिही के अंजाम करने के वास्ते साहब कलक्टर को इजाज़त है कि जिस वकील को सब से लायक़ जानें उस्से इस्तआनत और ✝ ✝ इस बाब में दफ़ा २७ क़ानून २७ सन् १८१४ ई० को देखना चाहिये ❋ इस्तमदाद करें साहब मौसूफ़ अपनी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ एक शख़्स को इस काम के वास्ते तजवीज़ करते ✝✝ इस अमर से दफ़ा ४ क़ानून २३ सन् १८२९ ई० और अहकाम गवर्नमेन्ट मसदूरह २५ अपरेल सन् १८३० ई० मजारियः साहबान सदर बोर्ड व तारीख़ १० मई सन् मज़कूर मुतअल्लिक़ हैं ✝ हैं और वह शख़्स हुक्काम आला की दरख़्वास्त के बमूजिब गवर्नमेन्ट से मुक़र्रर किया जाता है और जिन मुक़द्दमात दीवानी में सरकार शरीक हो उसको मेहनताने मिलता है मेहनताने बहिसाब मज़कूरह दफ़ा २५ क़ानून २७ सन् १८१४ ई० बर वक़्त अदा करना चाहिये और यह बात बसहूलत मुमकिन है क्योंकि हुक्काम सदर दीवानी अदालत ने हुक्म जारी किया है कि उन मुक़द्दमात में जिनमें सरकार शरीक है साहब जज अपने फ़ैसला में इतना बतौर याद्दाश्त बढ़ावें कि जिस से तादाद मेहनतानै वकील सरकार की मुन्कशफ़ हो चाहिये कि साहब कलक्टर ज़र मज़कूर फ़िल्फ़ौर वकील सरकार को दें और अगर उस मेहन्ताना के अदा करने का तरफ़ सानी सज़ावार हो तो साहब मौसूफ़ उससे जल्दी वसूल करलें ॥❋

दफ़ा १२६ बज़रिये अदालत हाय दीवानी जो रुपया याफ़तनी सरकार हैं चाहिये कि वकील सरकार की मारफ़त वसूल किया जावै सब तरह की रक़्मात की बाबत ऐसाही करना चाहिये ख़्वाह वह ख़र्चे मुक़द्दमात मुनफ़सला मुल्क हिन्दोस्तान के मुतअल्लिक़ हो ख़्वाह मुक़द्दमात हज़ूर मलकः इंगिलस्तान के और ख़्वाह वह ख़र्चः उन मुक़द्दमात के मुतअल्लिक़ हो जिनमें सरकार एक फ़रीक़ है ख़्वाह ऐसे मुक़द्दमात के मुतअल्लिक़ जिनमें सरकार सिर्फ़ इत्तफ़ाक़न इ- लाक़ः रखती है मसलन ऐसा मुक़द्दमः जिन में सरकार कम्पनी ने वास्ते मुराफ़अः हज़ूर मलकः इंगिलस्तान के ख़र्च्यः बतौर पेश गी फ़रीक़ैन को दिया है ख़्वाह ज़र याफ़तनी मुक़द्दमात मुफ़लसी के मुतअल्लिक़ हो जिनमें मुफ़लिस के तरफ़सानी से स्टाम्प की क़ीमत

ली जाती है ॥

तीसरी फ़सिल

॥ दफ़्तर की हिफ़ाज़त और मिल्कीयत ज़मीन की रजिस्टरी ॥
॥ की बाबत ॥

दफ़ः १२७ क़ानून २३ सन् १८०३ ई० के बमूजिब दफ़्तर कलक्टरी इसवास्ते मुक़र्रर किया गया कि आइन्दः को सरकारी मालगुज़ारी और रआया के हक़ूक़ और मिल्कीयत की हिफ़ाज़त हो उसके तक़र्रुर का ख़ास यह मतलब था कि बन्दोबस्त और देहात मुन्क़स्मः की तक़सीम जमा के जुम्लः काग़ज़ात और सब अस्नाद जो किसी तरह सरकारी मुतालिबः से तअ़ल्लुक़ रखते हों अह्तियात तमाम से रहें ॥ ⁝ ⁝ क़ानून २३ सन् १८०३ ई० की इबारत ॥ ⁝ ⁝ ॥ ∴

दफ़ः १२८ क़ानून मज़्कूर की रू से दफ़्तर का अह्तिमाम दो हिन्दोस्तानी अहलकारों के ज़िम्मः होता है और इब्तिदाय उनके ओहदः की क़दर इस तजवीज़ से वाज़ह की गई थी कि नव्वाब गवर्नर जनरल बहादुर व कौंसल के हुक्म से मुक़र्रर हों और बजुज़ इसके कि उनकी बद आमिल्गी नव्वाब ममदूह के नज़दीक साबित हो मौक़ूफ़ नहों लेकिन अब यह हुक्म तबदील हो गया और मुहाफ़िज़ात दफ़्तर का तक़र्रुर और माज़ूली उसी तरह की जाती है जैसे और हिन्दोस्तानी ओहदःदारों की जिनका माहवारः दस रुपैयः या ज़ादः हो जैसा दफ़ः १७ में बयान हुआ ॥

दफ़ः १२९ दफ़्तर के अख़राजात के वास्ते क़ानून ⁝ ⁝ क़ानून २३ सन् १८०३ ई० दफ़ः ९ ⁝ ⁝ मज़्कूर में अख़्तियार दिया गया कि देहात की तक़सीम और अख़्तिलात और बैअ़ व हिबह वग़ैरः इन्तिक़ालात पर रसूम ग़ाइस्सस्म को फ़ीस भी कहते हैं ॥ ली जावे रसूम की तफ़सील यह है कि ख़ालसः देहात में फ़ीसदी ।) जमा सरकारी पर और अराज़ी माफ़ी में पैदावारी सालानः २॥) सैकड़ा फ़ीस मुक़र्रर की गई अदाय रसूम सब पर वाजिब व लाज़िम है और उसकी तहसील उसी तरीक़ः से हो सकती है जिस से मालगुज़ारी की बाक़ी ली जाती है मिल्कीयत के इन्तिक़ाल पर

जो विरासत की रू से हो और नये नम्बरदार के तक़र्रुर और देहात की तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल ॥ जिसका ज़िक्र ज़ैल में दफ़ः १६६ में आवेगा ॥ और ज़िकनी मालिकों के दाख़िल ख़ारिज पर क़ानून के बमूजिब रसूम नहीं लगती मगर मुंतक़लात के जुमलः इन्तक़ालात और बटवारः और अलहदगियात पर रसूम लगती है ख़्वाह तरफ़ैन के फ़ैसल से हो ख़्वाह अदालत के हुक्म से ॥ *

दफ़ः १३०. चूंकि दफ़्तर इस इन्तज़ाम की रू से ख़ास व आम के फ़ायदः के वास्ते मुक़र्रर हुआ ज़रूर है कि उसकी निसबत ऐसा बन्दोबस्त किया जाय कि सब को आमद व रफ़्त और काग़ज़ात का मुलाहिज़ा बिला तकल्लुफ़ हासिल हो जहां तक ब शर्त हिफ़ाज़त दफ़्तर के मुमकिन हो जो इन्तज़ाम साहबान सदर बोर्ड ने इस बाब में किया तितम्मा नम्बर १५ में मुन्दर्ज है *

दफ़ः १३१ काग़ज़ात कलक्टरी के एक तरीक़ः पर इन्तज़ाम करने में थोड़े दिनों से ज़यादः लेहाज़ करना हुआ यह उमदः मतलब के वास्ते आईन नहुम के बन्दोबस्त और मसाहत के सबब अब बड़ी सहूलियत हासिल हुई मुमालिक मग़रबी के अज़लाअ में दफ़्तर की तरतीब यकशी है उस के बयान में कुछ अशकाल नहीं ॥ *

दफ़ः १३२ फ़र्ज़ किया जाय कि गवर्न्मेन्ट ‡ यह हुक्म हिदायतनामः बन्दोबस्त के तितिम्मः ६ में मुन्दर्ज है ‡ के हुक्म मरक़ूमः ३० अकतूबर सन् १८३७ ई० के म्वाफ़िक़ ज़िला के परगनों का इन्तज़ाम अमल में आया और हिदायतनामः बन्दोबस्त की दफ़ः ४५ के बमूजिब देहात की फ़िहरिस्तें मुरत्तब हो गई हैं ॥ *

दफ़ः १३३ फ़िर हर परगनः के वास्ते एक बड़ी किताब बने और उस में हर मौज़ा के लिये एक सफ़ह अलाहदः हो और हर एक सफ़ह का उनवान हस्तुलइम्कान तितिम्मः नम्बर १६ के ख़ानजात से मुताबिक़ हो मगर कोई ख़ानः बतौर मुतफ़र्रक़ात जायज़ न होगा हर मौज़ा के सब मुक़द्दमात क़िस्मवार एक सफ़ ख़ानः में मुन्दर्ज करने चाहियें ताकि उसके कुल्ल मुक़द्दमात का हाल किताब से ज़ाहिर हो जाय सब ख़ानों में मुक़द्दमात सिर्फ़ बइन्दराज तारीख़ हुक्म आख़ीर के लिखे जायेंगे जिस वक़्त कि मिसिल दफ़्तर में सिपुर्द की जाय यह किताबें आम फ़िहरिस्तें होंगी जिनसे मुक़द्दमात का पता और निशान मिलेगा॥

दफ़ः १३४ दफ़्तर की तरतीब का तरीक़ः इस तरह बख़ूबी सम

भ में आवेगा कि फ़र्ज़ किया जाय कि तमाम काग़ज़ात बिल्कुल अबस हैं और बयान किया जाय कि उसकी दुरुस्ती के वास्ते क्या क्या तद्बीरें करनी चाहियें सो फ़र्ज़ कीजिये कि किसी दफ़्तर के काग़ज़ात जिनके औराक़ अलग अलग मुन्तशिर पड़े हैं बड़े सन्दूक़ों से दरहम बरहम निकले फ़िल्वाक़अ जब हुक्काम इब्तिदाय इस बात पर मुतवज्जः होने लगे साहबान कलक्टर के दफ़्तरों में बहुत सन्दूक़ ऐसे काग़ज़ों से भरे निकले ॥ *

दफ़ः १३५ पहिले जितने काग़ज़ात एक मुक़द्दमः के मुतअल्लिक़ हों एकट्ठे किये जायें कि ऐसे मजमूअः को मिसिल कहते हैं यह मिसलें शायद मुकम्मिल या नाक़िस मगर जिस वक़्त इस क़दर भी मुरत्तब हों कि मुक़द्दमः की कैफ़ीयत ख्वाह मौज़ा का कुछ हाल उन से मुनकशिफ़ होता हो तो ज़रूर है कि सब वरक़ों पर नम्बर शुमार तारीख़ की तरतीब से बाहिर के गोशः पर लिखा जाय और सूत से नत्थी की जाय और फिर एक और वर्क़ बतौर फ़िह्रिस्त काग़ज़ात के मिसिल पर लगाया जाय इस फिह्रिस्त के उन्वान पर मौज़ा का नाम और मुक़द्दमः ⁞⁞ किस्म मुक़द्दमः फ़िह्रिस्त आम की किसी मद के मुताबिक़ होगी ⁞⁞ की क़िस्म और हुक्म आख़ीर की तारीख़ लिखी जायगी मिसिल के काग़ज़ात का नाम और तारीख़ें भी फिह्रिस्त में मुन्दर्ज होंगी इस तरह से कि हर काग़ज़ की मद पर एक नम्बर शुमार लिखा जायगा इस नम्बर के मुताबिक़ जो काग़ज़ के बाहिरी कोनः पर है काग़ज़ात की मीज़ान लिख कर फ़िह्रिस्त बन्द की जाय ताकि आइन्दः और कोई काग़ज़ उस में न मिल सके जब कोई मिसिल दो तीन गांव के मुतअल्लिक़ हो जैसे हद्द की तकरार या ताअल्लुक़ः का मुक़द्दमः चाहिये कि जो गांव ज़ियादः मशहूर हो मिसिल उसके नाम के नीचे लिखी जाय बाक़ी और मौज़ा के बस्तों पर एक याददाश्त रक्खी जाय जिसे जाकड़ कहते हैं और जुदागानः फ़िह्रिस्तों और आम फ़िह्रिस्त की किताब में भी याददाश्त के लिये कैफ़ीयत मुन्दर्ज हो ॥ *

दफ़ः १३६ इसके बाद जितनी मिसलें एक मौज़ा से तअल्लुक़ रखती हों सब यकजा की जायें और एक अलाहदः फ़िह्रिस्त में जिसके ऊपर मौज़ा का नाम लिखा जायगा तारीख़वार मुन्दर्ज हों माबाक़ी किता ब फ़िह्रिस्त आम में उस मौज़ा के सफ़्ह पर हर मुक़द्दमः के न होने की तारीख़ उसको ख़ास मद के ख़ाने में लिखी जायगी वाज़ह हो कि मौज़ा

को ऋलाहदः फ़िहरिस्त और आम फ़िहरिस्त की तरतीब में फ़र्क़ ।। कुछ है

१ सरक्यूलर सदर बोर्ड मरक़ूमः ११ जनवरी सन् १८४८ ई० इस अमर के मुतअल्लिक़ है । चुनांचि ज़ैल में लिखा जाता है ।।

२ अकसर यह ख़याल होता है कि अलाहदः फ़िहरिस्त परगनः रजस्टर की उन मरातिब की महज़ नक़ल है जो किसी मौज़ा से मुतअल्लिक है और बस्तः के साथ रखी जाती है मगर वाक़अ में ऐसा नहीं है अलाहदः फ़िहरिस्त का मतलब यह है कि हर बस्तः की मिसिल को नई तरतीब हो जो उसके मज़मून से इलाक़ः न रखे बल्कि ऐसी हो कि कोई मिसिल या कोई मिसिल का काग़ज़ न जा सके इस वास्ते मिसलों के नम्बर व बक़ैद तारीख़ हुक्म आख़ीर की रदीफ़वार हो फिर अलाहदः फ़िहरिस्त पर मिसिलें उस तरतीब से मुन्दर्ज होगी जिस तरतीब से मुहाफ़िज़ दफ़्तर ने पाई मअ़ हाज़ा नम्बर हर एक के और याददाश्त परगनः रजस्टर के उस ख़ानः से जिसके मतअल्लिक़ है म अः तारीख़ और मिसिल के जुमलः काग़ज़ात की तादाद मुन्दर्ज होगी जब नई मिसलें दफ़्तर ख़ानः में रखी जाये परगनः रजस्टर के ख़ास ख़ानः में मुन्दर्ज की जाये और अलाहदः फ़िहरिस्त के नीचे भी एक नया ज़िक्र मरातिब मज़कूरः वाला के शामिल मुन्दर्ज हो परगनः रजस्टर में मरातिब बमूजिब तकसाम मुक़द्दमात मुन्दर्ज किये जाते हैं मगर अलाहदः फ़िहरिस्त में बमूजिब तारीख़ फ़ैसलः के रदीफ़वार लिखा जाये ।।

३ तमाम अलाहदः फ़िहरिस्त को नये सिरे से तरतीब देने के वास्ते हुक्म देना बिल्कुल शायद मसलत नहीं मगर इस में कुछ अशकाल नहीं कि सब अलाहदः फ़िहरिस्तें जो गलत हैं ख़त्म की जाये इस तरह से कि कुल मिसिल की तादाद का ज़िक्र मुख़्तसर मुन्दर्ज किया जाय और नई फ़िहरिस्त बसूरत सहीह शुरूअ़ हो ।।

४ दो प्रति अलाहदः फ़िहरिस्त के बतौर नज़ीर के भेजे जाते हैं जिन में एक शुरूअ़ से मुरत्तब और दुरुस्त है और दूसरे से यह ज़ाहिर होगा कि फ़िहरिस्त नादुरुस्त जो अब मुरौवज है किस तरह इसलाह की जाय और आइन्दः को सहीह बनाई जाय ।।

चुनांचि अलाहदः फ़िहरिस्त में तारीख़ इनफ़िसाल की तरतीब से मिसिल का ख़ुलासः मज़मून और तारीख़ दोनो मुन्दर्ज होती हैं और फ़िहरिस्त आम में सिर्फ़ तारीख़ फ़ैसलः लिखी जाती है और ख़ानजात के मुताबिक़ तरतीब होती है जिनसे क़िस्म मुक़द्दमः ज़ाहिर होती है ।।

दफ़ः १३७ हर एक मौज़ा की मिस्लें उसकी अलाहदः फ़िहरिस्त के

साथ इकट्ठी रक्खी जायें और फिर तितने गांओं की मिसलें इकट्ठी रखनी मुमकिन हों एक सुफ़ेद बस्तः में बांधी जायें जिस पर परगनः का नाम और देहात के नामों के पहिले हरूफ़ जली कलम से लिखे जायें ॥

दफ़ः १३८ तब बस्तः जात हरूफ़ तहज्जी के तरतीब से तख़्तों पर या आलमारियों में रक्खे जायें और एक या कई आलमारी ख्वाह तख़्ते बसअ़त मुनासिब के हर परगनः के वास्ते मख़सूस हों और उसकी किसी नमूद की जगः पर परगनः का नाम जली कलम से लिखा जावे ॥

दफ़ः १३९ ऊपर के बयान से जाहिर होगा कि दफ़तर का इन्तज़ाम परगनः वार और मौज़ावार है पस काग़ज़ निकालने के वास्ते सिर्फ़ इतनी बात मालूम होनी चाहिये कि वह काग़ज़ किस मौज़ा के और मौज़ा किस परगनः के मुतअ़ल्लिक़ है काग़ज़ मतलूबः की तारीख़ और क़िस्म मुक़द्दमः को ख़बर रखनी चंदां ज़रूर नहीं है दीवानी के महकमः में दफ़तर का इन्तज़ाम बिल ज़रूर तारीख़वार याने डिगरी की तरतीब से होता है मगर चूंकि क़ानून [illegible] याने दफ़ः ११ क़ानून ३ सन् १९०४ ई० की रू से [illegible] के हुक्म से तितनी डिगरियां ज़मीन की मिलकीयत से तअ़ल्लुक़ रखती हैं उनकी नकलें साहिब कलक्टर के दफ़तर में भेजी जाती हैं जाहिर है कि दफ़तर कलक्टरी में ऐसी डिगरियों की निशांदिही परगनः और मौज़ा की रू से मुमकिन है ॥

दफ़ः १४० जो अंगरेज़ी चिट्ठियात किसी मौज़ा की बाबत लिखी गई हों हिन्दोस्तानी काग़ज़ात में अक्सर उनपर हवालः होता है अ़लावः इस के अगर फ़िहरिस्त आम की किताब में एक मद बढ़ाई जाय जिसमें हर एक मौज़ा की बाबत चिट्ठियात आमदनी व रफ़्तनी का ज़िक्र बक़ैद तारीख़ मुन्दर्ज हो तो और सहूलियत हो जायगी इस सूरत में फ़िहरिस्त आम मुमकिन होगी और हर एक मौज़ा की निसबत जो वक़ाया और तजवीज़ें लिखी गई हों उन का निशान उस से हासिल होगा ॥

दफ़ः १४१ चूंकि दफ़ः १२ में हुक्म हुआ कि जो मुक़द्दमात महकमः कलक्टरी में ज़ेर तजवीज़ हों उनकी तक़सीम फ़िहरिस्त आम की मद्दात के मुताबिक़ हो लिहाज़ा हाकिम को अख़्तियार होगा कि अगर कोई मुक़द्दमः ग़लती से दूसरी क़िसिम में लिखा गया हो तजवीज़ के वक़्त उसको इसलाह करे इस तरह से इतमीनान हासिल होता है कि हर एक मुक़द्दमः मद मुनासिब के ख़ानेः में सहत और एकतरीक़ः से मुन्दर्ज हुआ ॥

दफ़ः १४२ तहसीलदार और क़ानूनगो और पटवारियों के काग़ज़ात

दफ़्तर कलक्टरी में दाख़िल होते हैं ज़रूर है कि उनका भी कुछ बयान किया
जाय ॥ *

दफ़ः १४३ तहसीलदार का उम्दः काम यह है कि अपने इलाकः का
ज़र मालगुज़ारी तहसील करे और हिसाब व किताब जो उसके मुतअल्लि
क़ है सुरतबररक्खे उसकी हिदायत के वास्ते नक़्शःजात तजवीज़ हुये मगर
उनका तज़्किर इस किताब को आइन्दः फ़सिल से ज़यादः मुनासिब रखता
है जिस में ज़िला के ख़ज़ानेः और हिसाब व किताब का बयान किया
जायेगा ॥ *

दफ़ः १४४ अलावः इसके इन्फ़िसाल हुक़ूक़ के बाज़ मुक़द्दमात
में जो साहब कलक्टर के साम्हने पेश होते हैं तहसीलदार पर रुजूअ
किया जाता है इस बाब में सरसरी मुक़द्दमात के मुतअल्लिक़ उसके का
म और इख़्तियार ख़ास का ज़िक्र क़ानून हसबुल सन् १८३१ ई॰ की द
फ़ः १२ में मुन्दर्ज है बाक़ी के मुक़द्दमात में भी तहसीलदार की रपोर्ट
साहब कलक्टर की आइन्दः कारखाई की बुनियाद होती है फिर मिस्ल
कीय ज़मीन के रजस्टरों में नाम चढ़ाने औ बासलात और हद्द के त
नाज़अ और बाज़े और इसी तरह के मामिलात में कि ज़मीन से वास्त
रखते और साहब कलक्टर के साम्हने पेश होते हैं जो तहक़ीक़ात मौका
पर की जाती है तहसीलदारही की मारफ़त होती है मगर फ़ैसलः करने
का तहसीलदार को अख़्तियार नहीं है लिहाज़ा ऐसी सब तहक़ीक़ात रपोर्ट
की सूरत से लिखी जाती है और हर एक रिपोर्ट पर साहब कलक्टर या उ
सके ता इन में कोई हाकिम हुक्म आख़ीर देते हैं बाद उसके मुक़द्दमात दफ़
तर कलक्टरी में मौजावार हुक्म आख़ीर की तरतीब से रक्खे जाते हैं तहसी
लदार को ऐसे काग़ज़ात की नक़्ल रखनी ज़रूर नहीं मगर अकसर अपने इ
तमीनान के वास्ते नक़्ल रख । । सदर बोर्ड के हुक्म आम मरक़ूमः २ सितम्बर सन्
१८४२ ई॰ की रूसे तहसीलदारों को अख़्तियार है कि मालगुज़ारी या और रजस्टरों के
इन्तख़ाब की नक़्ल मुस्तहक़ः सायलों को दें मगर और तरह के काग़ज़ मुत्फ़र्रिक़ात की
नक़्ल देने की इजाज़त नहीं है । । लेते हैं और फ़िलवाक़अ बहुत क़रीन मस
लहत है ॥ *

दफ़ः १४५ क़ानूनगो के ओहदः से जो काम मुतअल्लिक़ हैं क़ानून
चहारुम सन् १८०८ ई॰ की सातवीं दफ़ः में उनकी तफ़सील मुन्दर्ज है उनमें
जो ज़यादः ज़रूर हैं और अब क़ानूनगो बजा लाते हैं ज़ैल में लिखे जाते

अव्वल तहसीलदारी के हिसाब किताब के ज़रूरी काग़ज़ात के मुसन्ना रक्खैं देम परगनः के सब माली हिसाब किताब और मालगुज़ारी के दाखिलों पर अपने दस्तख़त करें सेकम पटवारियों से काग़ज़ात लें और जांचें और मुरत्तब करें और जो कुछ ग़लती निकले तहसीलदार को उसकी इत्तला दें क़ानूनगो के पुराने काग़ज़ात ख़सूसन जो सरकार अंगरेज़ की अमलदारी से आगे लिखे गये बहुत मुफ़ीद हैं उनको बड़ी हिफ़ाज़त से रखना चाहिये इनदिनों दफ़ातर का इन्तज़ाम और मिल्कीयत के रजस्टरों की तरतीब बिल्कुल मुमकिन हो गई है इस वास्ते ओहदः क़ानूनगो का बड़ा मतलब यही रह गया कि परगनः के हिसाब किताब और नक़्शाज़ात जो गुज़राने जाते हैं मुक़ाबिलः और इम्तिहान करें अब कुछ ऐसे काग़ज़ात अलाहदः नहीं लिखते जिनके वास्ते जुदा दफ़्तर रखने की ज़रूरत हो मगर बहुत काग़ज़ात सब मिसलों में ऐसे निकलेंगे जिन पर दस्तख़त उनके होंगे ॥ *

दफ़ः १४६ ज़रूर है कि जितने नक़्शःजात और मामली काग़ज़ात ज़िला में बनाये जाते हैं क़ानूनगो उनकी तैयारी के तरीक़ः से ख़ूब वाक़िफ़ हों और ऐसे काग़ज़ात में मिल्कीयत ज़मीन की निसबत जो कुछ लिखा जाता है उसकी तफ़सील और बयान उन्हीं के ओहदः से मुतअल्लिक़ है मिल्कीयत ज़मीन की बाबत जो वसायक़ और इक़रार नामजात लिखे जाते हैं उस वक़्त ज़ियादः मोतबर समझे जाते हैं जब क़ानूनगो की मुहर व दस्तख़त उनपर सब्त हों ॥ *

दफ़ः १४७ पटवारी गांव का मुहासिब और हक़ूक़ का रजस्टर बनाने वाला है और जो इक़रार नामे मालिक और रआया के दरमियान लिखे जाते हैं वही तसदीक़ करता और मुहासलान मुश्तरकः में शुरका जो ज़मीन का बन्दोबस्त आपस में करते हैं अपने काग़ज़ात में उसकी कैफ़ीयत लिखता है पटवारी के काग़ज़ात बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि जो अमर उसमें लिखा जाता है किसी न किसी रैयत या मालिक के हक़ूक़ में मोसिर होना है काग़ज़ात मज़कूर जो अज़रूय दफ़आत १२ और १३ क़ानून नम्बर सन १८७३ ई० के बनाने चाहियें उनकी तरतीब का तरीक़ः साहबान सदरबोर्ड ने बड़ी मेहनत और अहतियात से मुकम्मिल किया है सो मसविदः उसका जो मंज़ूर सदरबोर्ड की अख़बार से होगी दूसरी से मुन्सलिक नहीं चुनांचि तितिम्मः नम्बर १७ में मुन्दर्ज है जब यह काग़ज़ात किसी गांव के दाखिल न किये जायें तो दफ़आत १४ और १५ क़ानून मज़कूर की रू से मालगुज़ार मुस्ताजिर के

चढ़ी सज़ा के होंगे क्योंकि ऐसी सूरत में बाद इजराय दस्तूरुल अमल मुन्दरजः क़ानून को मुमानियत है कि लगान की बक़ाया रखा हुआ आया याद देके दार पर बइल्लत अहद शिकनी किसी महकमः में नालिश करें लिहाज़ा महकमात दीवानी को इस बात की खबर देनी ज़रूर पड़ी जिस वक़्त सदर बोर्ड के दस्तूरुल अमल के मुताबिक़ मालगुज़ार मुस्तहक़ ऐसी सज़ा के होने लगे चुनांचि जैसे बन्दोबस्त आईन नम्बर ९ सन १८३३ ई० किसी ज़िला में मकम्मिल होता जाता था गजट में अक्सर इश्तहार इत्तला दी जाती थी कि दस्तूरुल अमल मज़कूर जारी हुआ और अब कि बन्दोबस्त मुल्क मुमालिक मग़रबी का खतम हो गया दस्तूरुल अमल मज़कूर हर जगह मुरव्विज है ॥

दफ़ेः १५८ पटवारियों के काग़ज़ात जैसे साल बसाल हर गांव की बाबत दाखिल होते हैं उसी गांव की और मिस्लों के साथ तरतीब पर मौक़ा मुनासिब से रक्खे जायें और फ़िहरिस्त आम में उनका ज़िक्र ज़ाबतः के मुवाफ़िक़ किया जाय ॥

दफ़ेः १५९ जब दफ़तर की तरतीब बखूबी हो गई तो उसका हुस्न इन्तज़ाम बहाल रखने के वास्ते खबरगीरी ज़रूर होगी किसी दफ़तर के इन्तज़ाम का हाल और मुहाफ़िज़ दफ़तर की लियाक़त दरयाफ़्त करनी बहुत सहल है इस तरह से कि अपनी फ़िहरिस्तें तलब करके इत्तफ़ाक़न खोली जावें और किसी मिस्ल का निशान करके तलब की जाये फिर लिहाज़ किया जाय कि उसके निकालने में कितनी देर लगी और किस तौर से पता लगाया गया अगर दफ़तर की तरतीब कमायनबग़ी हो तो मिस्लें मतलबः दो तीन लमहे में मिल जायगी एक दस्तूरुल अमल तजवीज़ करना चाहिये कि उसके बमूजिब जो मिस्लें मुकम्मिल होती जायें दफ़तर में सिपुर्द और मुहाफ़िज़ दफ़तर के हाथ से अपने मौक़अ पर रक्खी जायें सो ऐसा दस्तूर एक तो यह हो सकता है कि हर सनीचर को सरिश्तःदार गुज़श्तः ( ) याने हफ़तः मक़बूल उसके जो खतम होनेवाला है ( ) हफ़्त की मिस्लें मुहाफ़िज़ दफ़तर के सिपुर्द करे और आइन्दः हफ़तः में मिस्लें मज़कूर हमेशः अपनी जगः तरतीब पर मरत्तब की जायें बहुत ज़रूर है कि इस काम में बाक़ियात बढ़ने न पावे और यह कुछ कि मिस्लें तरतीब से बाक़ी नहीं रहीं हमेशः इस तरह से दरयाफ़्त हो सकता है कि सरिश्तःदार से किसी क़िस्म मुक़द्दमात की फ़िहरिस्त तलब की जाये फिर हाल के किसी मुक़द्दमः की निसबत देखा जाय कि किस तारीख फ़ैसलः हुआ और किस तारीख मिस्ल मुहाफ़िज़ दफ़तर को सौंपी गई और उसके बाद मुहाफ़िज़ खानः में जाकर देखा जाय कि दफ़तर में मौक़अ मुनासिब पर रक्खी है या नहीं जब मुहाफ़िज़ दफ़तर किसी मिस्ल की बाबत अपनी र

मालगुज़ारी का ज़िम्मः रखते हैं उनकी तफ़सील और तसरीह ज़मीन व ताद़ाद जमा जिसके ज़िम्मःवार हैं मालूम हो जाय आगे इससे मज़कूर । दफ़ेः १६ पर रुजूअ करना चाहिये ॥ हुक्म कि इनराज दस्तकात और तहसील मुहाल वार की जाय न मौज़ावार याने एक मालिक या मालिकों के गरोह से जो रकूमात तहसीलनी हैं सब एक मुश्त तलब की जावें और हर एक मौज़ा की जमा के वास्ते अलाहदः मुतालबः किया जाय अगर हर साल के शुरू अ में एक नया मालगुज़ारी रजिस्टर मुरत्तब किया जाय तो उसके ख़ास फ़ायदों के सिवाय यह भी मालूम होगा कि मुतालबः की कितनी रकूमात का यकजा करना मुमकिन है इस तरह से यह रजिस्टर तहसीलदार को तहसील करने और हिसाब रखने में हिदायत करेगा अलावः इसके साल ब साल मन्सूख होने के सबब और उसके इस्तेमाल के फ़ायदः के वाक़ैस से ख़्वाह न ख़्वाह वर वक़्त मुरत्तब किया जायगा इस रजिस्टर का नक़्शः और उसकी तर्तीब की हिदायतें ज़िमिम्मः नम्बर १९ में मुनदर्ज हैं ॥ *

दफ़ेः १६२ रजिस्टर मज़कूरः वाला तहसीलदार उस वक़्त बनाया करें जब आइन्दः साल की तहसील के हिसाब किताब दुरुस्त करें ज़मीन की मिल्कीयत के ख़ास और इन्तज़ाम से जो तग़ीरात साल के अन्दर वाक़ेअ हों साहब कलक्टर उनकी इत्तला तहसीलदारों को किया करें और वह आइन्दः साल के रजिस्टर में मुन्दर्ज किया करें मगर हर एक तबदील को सनद के वास्ते साहब कलक्टर के हुक्म इत्तलाअ पर हवाला करना चाहिये इस सूरत में दर्मियानी तग़ीरात का रजिस्टर दरकार न होगा अगर तहसीलदार रजिस्टर बनाते वक़्त दरयाफ़्त करे कि कहीं तग़ीयुर वाक़ेअ हुआ मगर इत्तलाअ उसको नहीं आई तो मुनासिब है कि यह हाल साहब कलक्टर को लिखे और हुक्म का इन्तज़ार करके रजिस्टर बतौर साबिक़ मुरत्तब करे और अमरों का ज़िक्र बतौर याददाश्त के उस मुक़ाम पर लिख दे ॥ *

दफ़ेः १६३ इस रजिस्टर में जो तग़ीयुरात वाक़ेअ होते हैं वह साहब कलक्टर के बाज़ अमरः तरीन कामों से निकलते हैं और उनका ज़िक्र मुफ़स्सल यहां ज़रूर है उनमें कुछ मुहाल की माहियत में मुफ़्लिस होने हैं याने तिनसे मुहालात मुनक़िसिम ख़्वाह एक दूसरे से मरबूत हो जाते हैं और कुछ मालिकों के नाम में असर करते हैं याने दाख़िल ख़ारिज के मुक़द्दमात और कुछ देहात की जमा में तासीर करते हैं जैसे नये मवाज़ात की जमा जिन की तौज़ीअ पर चढ़ानी ख़्वाह मौज़ा साबिक़ की जमा ख़ारिज करनी या उन

का घटाना बढ़ाना इन अक़साम की तफ़सील ज़ैल में अलाहदः अलाहदः की जाती है याने अव्वल मुहाल का अरकलात=दोम=मुहालात की तक़सीम याने बटवारः=सोम मालिकों के तग़ीरात-याने दाख़िल ख़ारिज के मुक़द्दमात=चहारुम मवाज़ा का ज़िला की तौज़ी पर चढ़ाना=पञ्चुम मवाज़ा का तौज़ी से ख़ारिज करना=शिशुम मवाज़ः की जमा तबदील करनी॥ *

दफ़ेः १६४ अव्वल मुहालात का अरकलात—मुहालात का अरकलात क़ाबिलः की रू से क़ानून नोज़दहुम सन् १८१४ ई० की दफ़ेः ६ के बमूजिब होता है और अरकलात मुतलक़ सिर्फ़ ऐसे हालात में हो सकता है कि जिन अराज़ियात का रिहन मनज़ूर है साबिक़ एकही ज़मींदारी के अजज़ाय हों और अब ख़ुद मालिक अरकलात की ख़ास दरख़ास्त करें ऐसे अरकलात पर रसूम भी ली जाती है याने मुहाल मुरक्कब की जमा पर चार आना सैकड़ा और उसके सबब से अराज़ियात ऐसी मख़लूत हो जाती हैं कि फिर उनकी तफ़रीक़ मुमकिन नहीं होती बजुज़ इसके कि बिल्कुल से सी नई तक़सीम और जमा की तशख़ीस जदीद अमल में आवे जिस में साबिक़ की तक़सीम पर कुछ लिहाज़ न हो यह तरीक़ः बहुत कम जारी है मगर ऐसी ज़रूरतें मुतसौवर हैं जिन में मालिकों को ऐसी क़िस्म का अरकलात मतलूब हो॥ *

दफ़ेः १६५ दफ़ेः १६१ में जो इरशाद है कि रजिस्टर में एक मालिक या मालिकों के सब गांव के कुल मुहालात यकजा किये जावें यह अमर बिद्न क़वायद और ज़वाबित मुतररहः बाला के नहीं आ सकता है और उस से अहलकारान सरकार और मालिकान ज़मीन के लिये भी आसानी निकलती है और यह बाक़ियात और इन्तक़ाल वरासत वग़ैरः के मुक़द्दमात में दस्तकात कम जारी होती हैं लिहाज़ा अहुदेःदारान की दिक़्क़त में तख़फ़ीफ़ और मालिक के अख़राजात में कमी होती है मगर जो मालिक किसी सबब से ऐतराज़ करे तो यकजाई मज़कूर मुमकिन न होगी जब मुहालात इस तरह से इकट्ठे किये जाते हैं तो अलाहदः मुहालों की जमा की तफ़रीक़ बहाल व बरक़रार रहती है अगर मालिक चाहे कि फ़लाना गांव की जमा पहिले बेबाक़ करे तो उसका नाम अफ़्ज़ेदुरसाल में दाख़िल करने से हमेशः मुख़तार रहेगा कि ज़र आमदनी उसी मौज़ा के नीचे सियाहा कराये और इस सूरत में साहब कलक्टर को लाज़िम होगा कि पहिले उन मवाज़ा की बाबत जिन में बाक़ी है तहसील की तदबीरात

राज पयान हुआ और मुहालात की तक़सीम में हिस्सःदारी मुश्तर्कः प
र किस सूरत से —— अमल किया जाता है और उन शुरका या शुरका
के वारिसों को जो हिस्सःदारी मुश्तर्कः से आप को बचाना और अपने
मुहाल पर बिला मदाख़लत दूसरे के क़ब्ज़ः करना चाहते हैं आईन ॥

॥ मुहालात की तक़सीम की बाबत जो क़वानीन जारी हुये उनके सिलसिले
से अम्र वाज़ह है कि हुक्काम वाला मुक़ाम गवर्नमेन्ट पर यह ख़तरे पोशीदः न थे जो
हिस्सःदारों को मिल्कीयत में उस मशहूर क़ायदः से आयद होते हैं कि एक मुहाल के
शुरकाय बिल्इश्तराक और बिलइनफ़िराद मुहाल की मालगुज़ारी के ज़िम्मःदार हैं चुनां
चि क़ानून १७ सन् १८०५ ई० की दफ़ः ३ से आश्कार है और उसी क़ानून के दीबाचः से
यह भी वाज़ह है कि हुक्काम मज़कूर के नज़दीक यह अम्र ठहरा था कि इस ख़तरः का म
आलजःसहो अख़्तियार है जो मुहाल मुश्तर्कः के मालिकों को हासिल है कि हर वक़्त ज़मीन
के अपने अपने हिस्सों की तक़सीम और तफ़रीक़ करालें अगर जानें कि बटवारः उनके ह
क़ में मुफ़ीद होगा इस अख़्तियार के अमल में लाने के वास्ते क़ानून १९ सन् १८०३ ई० की
दफ़ः २१ में हुक्म है कि जिस वक़्त मुहाल मुश्तरकः गैर मुनक़िसमः का मालिक अपने हि
स्सः पर अलाहिदः क़ब्ज़ः करना चाहे तो साहब कलक्टर फ़िलफ़ौर मिल्कीयत मुश्तरकः
की तक़सीम जारी करें चन्द रोज़ यह क़ायदः किसी क़दर फ़रामोश हुआ क्योंकि क़ानून शिशु
म सन् १८०७ ई० में उन मुहालात की तक़सीम से जिनकी जमा हज़ार रुपैयः ख़्वाह पांच
सौ रुपैयः से कम हो इमतनाअ है मगर अन्जामकार इस फ़रामोशी का यह हुआ कि क़ानू
न पंजुम सन् १८१० ई० को रूसे क़ायदः मज़कूरः साबिक़ ज़ियादः तसरीह के साथ जारी कि
या गया और क़ानून शशुम सन् १८०७ ई० मनसूख़ हुआ चुनांचि लिखा है कि छोटे
छोटे मुहालात की तक़सीम की मुमानिअत बहुत हिस्सःदारों के ज़रर कसीर की बाय
स हुई और उसके सबब से लोगों के हुक़ूक़ में इस क़दर नुक़सान आयद हुये थे कि
अगर चि छोटे मुहाल होने से सरकार को दिक़्क़त होती है इल्ला न इस क़दर कि उस के
बायस से ऐसा ज़रर और नुक़सान ज़रूर या क़रीन सलाह हो फिर क़ानून नोज़दहुम स
न् १८१४ ई० में क़वानीन साबिक़ः के अहकाम कुछ तबदील पाकर नये सिर से जारी
हुये और साहब कलक्टर पर बदस्तूर वाजिब रहा कि एक या कई शरीकों की दरख़्वा
स्त पर तक़सीम जारी करें बशर्तेकि हिस्सः की बाबत कुछ उज़्र पेश न हो मगर क़ा
नून नहुम सन् १८११ ई० मनसूख़ नहीं हुआ बल्कि बहाल और बरक़रार रहा और
उसकी इबारत पट्टीदारी मुहालात की तक़सीम हिस्सि में ज़ियादः सहूलत बख़्शती है
इस तक़रीर के बमूजिब कि ज़मींदारों के फ़ायदः और बेहतरी के वास्ते ज़रूर है कि

मुहालात के हिस्सों की तक़सीम आसानी से मुमकिन हो ॥ ††

की रू से अख़्तियार हासिल है कि मुहाल में जो हिस्सः रखते हों अ-
लाहिदः करा के मुहाल बरास:क़ायम करा लें अगर उन के हिस्सः की
मिक़दार में और हिस्सःदार उज़्र पेश करें तो हिस्सः मज़्कूर का अला
हिदः करना नामुमकिन होगा जब तक ख़्वाहिन्दः तक़सीम दीवानी में
हिस्सः मुतनाज़िअः पर अपना हक़ साबित न करे मगर जो हिस्सः की
मक़दार ग़ैर मुतनाज़ा हो तो साहब कलक्टर पर लाज़िम है कि दरख़्वा
स्त के बमूजिब तक़सीम मतलूब अमल में लावें अगर हिस्सः की मिक़दार
महकमः दीवानी की डिगरी से मुक़र्रर या मुहतमिम बन्दोबस्त की क़
रारदाद से मुअय्यन और मुशख़्ख़स हो गई हो और उसके बमूजिब दख़
ल दिया गया हो तो साहब कलक्टर पर वाजिब है कि दरख़्वास्त पर तक़
सीम करें मगर जो फ़ैसलः के बाद तरफ़ेन के हाल में नई सूरत पैदा हुई
और हिस्सः की तअय्युन के वास्ते फ़ैसलः जदीद ज़रूर हो तो तक़सीम क
रनी नहीं चाहिये ॥

दफ़ः१६८ मुहाल के अजज़ा इस तरह पर एक दूसरे से बिल्कुल मुन
क़ता करके अलाहेदः मुहाल बनाने को तक़सीम †† या बटवारः कह

†† क़ानून नोज़दहुम सन् १८१४ ई० की दफ़ः ३ पर लेहाज़ करना चाहिये म
तन के ज़ैल में तक़सीम की एक और क़िसिम का ज़िक्र आता है चुनांचि सदरबोर्ड के सरक्
लर मरक़ूमः १० जौलाई सन् १८४६ ई० की दफ़ः ५ में पहिले दरजः को बमूजिब बटवा
रः क़ानून नोज़दहुम सन् १८१४ ई० और दूसरे दरजे को तक़सीम बमूजिब दरख़्वास्त त
रफ़ैन के ताबीर किया है इन मानी पर इस रिसालेः में पहिले दरजः के वास्ते तक़सी
म मुकम्मिल और दूसरे के वास्ते तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल मुस्तअमिल है जो अख़्ति
यार क़ानून हफ़्तुम सन् १८२२ ई० का अबमजीब साहबान कलक्टर को हासिल
है उसकी रू से उन्हें जायज़ है कि तक़सीम मुकम्मिल और तक़सीम ग़ैर मुकम्मि
ल दो भी अपनी ही मरज़ी से जारी करें मगर हर शख़्स को क़ानून नोज़दहुम
सन् १८१४ ई० की रू से इस्तेहक़ाक़ है कि अगर तक़सीम मुकम्मिल को ज़िया
दः पसन्द करे तो उसी को अमल में लावे ॥

ते हैं और क़ानून नहुम सन् १८११ ई० या नोज़दहुम सन् १८१४ ई० की
शरायत †† के बमोजिब से अमल में आता है ॥

† इस बात में हारिंगटन साहब के क़वानीन माल की किताब जिल्द २ सफ़ह: ४८१ में ऐसा लिखा है कि क़ानून नह्नुम सन् १८२२ ई० और क़ानून नौज़ दहुम सन् १८२६ ई० की मशाबहत में बड़ा फ़र्क़ यह है कि पहिले क़ानून से ज़र मालगुज़ारी की तक़सीम ज़ियाद: आसानी से हो सकती है क़ानून नौज़दहुम सन् १८१६ ई० की आठवीं दफ़: में हुक्म है कि हर एक हिस्स: मनक़िस्म:फ़िलवाक़ई जमाबंदी के मुताबिक़ और कुल्ल मुहाल की निकासी और जमा के रसदी हिसाब से जो तक़सीम के वक़्त हो फ़र्द मालगुज़ारी मुशख़्ख़स हो मगर क़ानून नह्नुम सन् सन् १८२२ ई० की दफ़ात २ और ५ के बमूजिब मुहाल मुशतर्क: के किसी पट्टीदार ख़्वाह शरीक का सब या कई गाँव और मुहाल ग़ैर मुनक़िस्म: का कोई हिस्स: मुशख़्ख़स जो फ़िलवाक़ई किसी शरीक के क़ब्ज़: में हो कुल्ल मुहाल से इस तरह अलाहिद: हो सकता है कि उस हिस्स: की अराज़ी पैमायश की जाय और जमाबन्दी से पन्दर: या बीस फ़ीसैकड़: अख़राजात और मुनाफ़ा के वास्ते मुजरा देकर बाक़ी जमा सरकारी ठहराई जायगी बशर्तेकि और शुरका उस तरीक़: तशख़ीस में कुछ उज़्र पेश न करें और उस हिस्स: की ज़मीन क़ाबिल ज़िराअत में पांच सहस तरद्दुदी हो और इस क़ानून की दफ़: ६ में एक और तरीक़: के वास्ते इजाज़त है जिसकी रू से मुहाल ग़ैर मुनक़िस्म: के जमीअ शुरका जमा की तक़सीम अपनी तजवीज़ से करसकें बाद तफ़तीश साहब कलक्टर और मन्ज़ूरी सदर बोर्ड के फ़क़त आईन नह्नुम सन् १८३३ ई० के बन्दोबस्त में देहात के हर एक हिस्स: के हालात बख़ूबी मुनकशिफ़ हुये और उस सबब से मुक़द्दमात तक़सीम में इस क़दर सहूलत पैदा हुई कि फ़र्क़ मज़कूरे बाला अब चन्दां लिहाज़ के लायक़ न रहा ॥ *

दफ़: १६६ जिन देहात मुशतर्क: में कुल्ल ज़मीन या जुज़्व जुमल: शुरका के शामिलात में है अकसर औक़ात एक तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल ऐसी जारी होती है जिसमें कुल्ल शामिलात मुनक़िस्म होकर शरीकों के आपस में बाँटी जाती है और हर क़िसमत पर कुल्ल जमा का हिस्स: मुनासिब बाँधा जाता है मगर ताहम मुहाल मुनक़िस्म नहीं होजाता और ज़िम्म:दारी मुशतरक: बहाल और बरक़रार रहती है इसतरीक़: के इजराय के बाद गाँव ज़मींदारी या पट्टीदारी ग़ैर मुकम्मिलकी क़िसम से निकल कर पट्टीदारी में दाख़िल होजाता है और हक़ीक़तहाल यह है कि जब शुरका बट

वार: की दरख़्वास्त करते हैं अक्सर हालात में कोई तदबीर मतसूर होती है मुनासिब है कि दोनों क़िस्म की इख़्तियारात व ख़्वास्तगारान तक़सीम को समझादी जाय अगर तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल को पसन्द करें तो तक़सीम मुकम्मिल की ज़रूरत नहोगी ख़्वाह तक़सीम मातहत: दीवानी के हुक्म से हुई हो ख़्वाह मालिकों की दरख़्वास्त से ॥

दफ़े: १७० तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल के फ़वायद यह हैं पहिले मालिकों के गरोह मुशतरक: को बदस्तूर शामिल और मुत्तफ़िक़ रखती है और इस तरह से लोगों को अपने इन्तज़ाम पर मुस्तैद करने के वास्ते मुफ़ीद होती है दूसरे हक़ शफ़ा: मुन्दर्जः दफ़े: ४ क़ानून अव्वल सन् १८४१ ई० महफ़ूज़ रहता है तीसरे अख़राजात में तक़सीम मुकम्मिल की निस्बत तख़फ़ीफ़ और मुहाल का इन्तज़ाम बवजह: किफ़ायत के होता है और क़बाहत इस क़िस्म की तक़सीम में यह है कि ज़िम्मःदारी मुशतरक: बहाल रहने से मुमकिन है कि काहिल कोताः अन्देश शरीकों की ग़फ़लत से मेहनती मालिक नुक़सान उठावें यक़ीन है कि क़दीम गरोह शुरका के जो बरसला आपस में मुत्तफ़िक़ रहते और दोनों क़िस्म तक़सीम की इख़्तियारात बख़ूबी पहिचानते हैं मुहालों की तक़सीम मुकम्मिल कम चाहेंगे बल्कि अपनी मिल्कीयतों की तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल पसन्द करेंगे मगर जिस मौज़ा में बेगानः लोगों ने कुछ दख़ल पाया था गरोह के दरमियान कुछ तनाज़ा तकरार बरपा है वहाँ तक़सीम मुकम्मिल लायक़ पसन्द के होगी ॥ *

दफ़े: १७१ वाज़ह है कि मुहाल की तक़सीम मुकम्मिल और हिस्सों की तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल दोनों सूरतों में तरीक़: और क़वायद तक़सीम एक ही हैं चाहिये कि मुहाल की अलाहदः अलाहदः क़िस्मतें मालिकों के हुक़ूक़ के मुताबिक़ हों और जमा की तशख़ीस सब क़िस्मतों पर बराबर मगर तक़सीम मुकम्मिल में ब निस्बत ग़ैर मुकम्मिल के ज़ियादः एहतियात चाहिये क्योंकि उस में तमाम शुरका की ज़िम्मःदारी मुशतरक: का सिलसिलः मुनक़ता हो जाता है और सरकारी जमा की तहसील बिल्कुल ख़ातिर: तशख़ीस मुनासिब पर मुनहसर है अगर तक़सीम में साज़िश दख़ल पावे और बरवार: इन्साफ़ से नकिया जावे तो शायद इस सबब से मुहाल के एक हिस्सः पर जमा संगीन होगी लिहाज़ा सरकार की मालगुज़ारी वाजबी की तहसील में नुक़सान आयद होगा ॥

वास्ते दफ़ेः २५ क़ानून नोज़दहुम सन १८१४ ई० में अगरचि इजाज़त दी जाती है कि हुक्काम सदर बोर्ड ऐसे बटवारेः को मन्ज़ूर करें मगर ताहम उसमें यह शर्त है कि अगर साबित हो कि जमा की तशख़ीस साज़िश या ग़ल्ती की राह से की गई सदर बोर्ड की मनज़ूरी की तारीख़ से दस बरस तक गवर्न्मेन्ट को अख़्तियार होगा कि तक़सीम मज़कूर मन्सूख़ करके दूसरे बटवारः का हुक्म सादिर करे ॥ *

दफ़ेः १७२ कहीं कहीं ऐसी सूरतें वाक़ञ हुई हैं जिन में सहब न कलक्टरी के हुक्म से मुहालात बे ज़ाबतः मुनक़िसम हुये और बमूजिब क़ानून के तहक़ीक़ात और हुक्काम आला के अहकाम की तरफ़ रुजूअ नहीं किया गया ऐसे मुक़द्दमात में नज़ीर मज़कूरः हाशियः †† साहब कलक्टर ज़िला टपरः और अमीनउद्दीनअपीलान्ट बनाम किशोरी रामदास मुद्दआअलेह यह मुक़द्दमः सदर दीवानी अदालत ने तारीख़ पांचवी जून सन १८११ ई० को फ़ैसल किया और मुक़द्दमात मतबूआ की पहिली जिल्द के सफ़ेः ३३१ में मुन्दर्ज है ॥ * †† के मुताबिक़ हुक्काम सदर दीवानी ने तजवीज़ की है कि अलाहदः अलाहदः हिस्सों के मालिक उस बाक़ी के बिलइस्तिराक ज़िम्मः दार नहीं हैं जो ग़ल्ती के इज़हार से पहिले चढ़ी मगर बे ज़ाबतः बटवारः को नक़शः अबस और बातिल है और बे ज़ाबती ज़ाहिर होने के बाद लाज़िम है कि नई तक़सीम क़वानीन मतज़म्मन मुबहुसः के मुताबिक़ की जावे ॥ *

दफ़ेः १७३ जैसे मिल्कीयत और क़बज़ः की सूरत मुतफ़र्रिक़ होती है वैसाही मुहाल मुश्तरकः की तक़सीम का तरीक़ः मुकम्मिल होगा ग़ैर मुकम्मिल मुतफ़र्रिक़ होगा ॥ *

दफ़ेः १७४ देहात †† देहात मज़कूरः क़ानून नज़दहुम की दफ़ेः ३० के मुवाफ़िक़ इस बयान से ताबीर किये गये हैं याने देहात मुश्तरकः जिन में क़बज़ः बिलइस्तमाल है और ज़मीन शुरका कुल्ल मुहाल में हक़्क़ीयत मिल्कीयत मुश्तरकः रखते हैं और मुहाल की किसी अराज़ियात के वास्ते किसी का कुछ ख़ास और अलाहदः हक़ नहीं है ॥ * †† ज़मींदारी की तक़सीम में दफ़ेः ७ से दफ़ेः १९ तक क़ानून नोज़दहुम सन १८१४ ई० के दस्तूरुलअमल को अख़्तियार करना चाहिये इस सूरत में कुल्ल मुहाल की ऐसी क़िस्मतें में तक़सीम की जायगी जो मालिकों के हिस्सों के बराबर होंगी और हर एक को ख़्वाह रज़ामन्दी से ख़्वाह मुनहसर अस्तेहुम की तजवीज़

या चिट्ठी डालने के तरीक़: से सब सब ज़िम्मेदारी की जायेगी ॥

दफ़ः १७५ देहात पट्टीदारी ग़ैर मुकम्मिल में याने जहां ज़मीन कुछ शामिलात में है और कुछ अलाहदः अगर मालिकों को मंज़ूर हो चाहिये कि हर एक का क़बज़ः बहाल रक्खा जाय और ऐसी शामिलात ज़मीन से बराबर की जाय तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल में ऐसा इन्तज़ाम बहुत पसन्दीदः है मगर तक़सीम मुकम्मिल में अगर क़बज़ान मक़बूज़: एक शख़्स के एक दूसरे से फ़ासिलः पर हों तो बेहतर इन्तज़ाम यह होगा कि हर को तरग़ीब दीजाय कि अपनी अपनी क़दीम अराज़ियात को छोड़ कर अज़ सर नौ ऐसी तक़सीम करें कि नये मुहाल की अराज़ी इकट्ठी और हलक़: बन्दी के तरीक़: पर हो इस क़िस्म के मुक़द्दमात में अकसर औक़ात उस क़ायदः का निकालना मुशकिल पड़ता है जिसके रू से ज़मीन ख़्वाह हक़ूक़ मुशतरक: तक़सीम होंगे शायद हिस्सः मौरूसी मालूम भी हों और उनपर किसी क़दर अमल भी होता हो मगर पट्टी की ज़मीन उनके मुताबिक़ नहीं इस हालत में जो जो मालिक अपने अपने हिस्सः मौरूसी से ज़यादः ज़मीन रखते हों ज़मीन के मुताबिक़ तक़सीम के ख़्वाहां होंगे और कम वाले अपने हिस्सः के बमूजिब चाहेंगे अगर साहब कलक्टर क़ानून हफ़्तुम सन् १८२२ ई० के बमूजिब इस अमर का फ़ैसलः करें ज़रूर है कि तजवीज़ उनकी मिल्कियत की हालत मौजूदः के बहाल रखने पर मबनी हो उनको अख़्तियार नहीं कि बिला रज़ामन्दी ज़मीन शुरका के शरीकों के हक़ की मिक़दार मुऐयन करने के लिये नया क़ायदः मुक़र्रर करें जो कोई किसी क़दीम रवाज को मंसूख़ करना या मुनाफ़े की तक़सीम के वास्ते एक दस्तूर जो अमल दरामद के ख़िलाफ़ हो जारी करना चाहिये उसे फ़क़त यही चारः है कि दीवानी में नालिश करे जहां मुक़द्दमा उसकी बनज़्हत पर तजवीज़ होगा॥

दफ़ः १७६ जहां सब ज़मीन साबिक़ से मुनक़सिम और अलाहदः अलाहदः क़बज़: में है याने देहात पट्टीदारी में चूंकि तक़सीम ग़ैर मुकम्मिल पेशतर हो चुकी है अब मालिकों को सिर्फ़ तक़सीम मुकम्मिल के वास्ते जाय मुतालबः बाक़ी है मगर इस बात के तसलीम करने से पहिले कि फ़लाना गांव इस क़िस्म में दाख़िल है दरयाफ़्त ज़रूर है क्यों कि अकसर औक़ात कहते हैं कि ज़मीन बटी और पट्टीवारी अलाहदः है हाल आंकि वाक़े में बहुत ज़मीन अभी तक ग़ैर मु

नाक़िसिम है और इस सूरत में गांव को पट्टीदारी गैर मुकम्मिल करना चा
हिये और इस अमर का इम्तियाज़ लिहाज़ के लायक़ है क्योंकि क़ानून ९
नहुम सन् १८११ ई॰ की शरायत देहात पट्टीदारी मुकम्मिल से खास मु
नासिबत रखती हैं ॥ *

दफ़ः १७७ फ़िर यह मुमकिन है कि देहात पट्टीदारी मुकम्मिल में भी शरका के हकूक़ मुहाल के कसराती हिस्सों से मौसूम हों और स ब को क़ुबूल भी हो कि हिस्सः मज़कूर शुरूअ़ में शुरका के हकूक़ की मि क़दार व अन्दाज़ः था पर जब इन हिस्सों के मुताबिक़ ज़मीन बट गई मुद्दत के बाद पट्टी पट्टी की क़दर कमोबेश होने लगी इस सूरत में जिनको पट्टियां कम क़दर की हैं वह हिस्सों के मुताबिक़ तक़सीम जदीद के ख्वाहां होंगे और जो शुरका क़दर वाली ज़मीन पर क़ाबिज़ हैं क़बज़ः मौजूदः को ऐसी तबदील का मुक़ाबिलः करेंगे इस हालत में साहब कलक्टर को महज़ यह अख़्तियार है कि क़बज़ः मौजूदः के मवाफ़िक़ बटवारः करें ↑↑ और हर

↑↑ इस बात में सदर दीवानी अदालत मुक़ाम आगरः के दो फ़ैसलों पर रुजूअ़ हो जो बमुक़द्दमः बख्सीराम और टीकाराम अपीलांट और शिवबख्श वगैरः रसपान्डन्ट किये गये पहिला फ़ैसलः मरक़ूमः ११ जनवरी सन् १८४८ ई॰ उसी साल के मतबूअ़ः फ़ैसलों के सफ़हः १६ में है और दूसरा मरक़ूमः २३ अगस्त सन् १८४८ ई॰ उसी साल के फ़ैसलों में सफ़हः २८१ में छपा है अदालत आलीयः ने पहिले शुरका के हिसिस मक़बूलः के मुताबिक़ मुहाल की तक़सीम जदीद का हुक्म दिया मगर नज़र सानी में उनके नज़दीक़ यह हुक्म क़ानून ९ सन् १८११ ई॰ के खिलाफ़ मालूम हुआ तब यह फ़ैसलः किया कि पट्टी मौजूदः के लिहाज़ से बटवारः हो वाज़ह है कि इस फ़ैसलः के मुताबिक़ मुद्दआअलेः गांव के आधे से ज़यादः पायेंगे हालांकि तसलीम करते हैं कि हमारा हक़्क़ निस्फ़ही है और आधी जमा से ज़यादः उनको देना पड़ेगा अब देखा चाहिये कि कोई ऐसी हालत बाक़ी है या नहीं जिसमें इन मुक़द्दमात में गांव की तक़सीम अज़रूय हिस्सः कसराती करानी मुमकिन है॥ *

एक पट्टी की जमा उसकी क़दर के मुवाफ़िक़ जो बटवारः के वक़्त हो मुश
ख़्ख़स करें बिला लेहाज़ उस हिस्सः जमा के जो शुरका साबिक़ से दे
ते चले आये हैं ↑↑ दीवानी अदालतें शुरका की तादाद ज़मीन को ९

†† दफ़ेः ३७ क़ानून २५ सन् १९०२ ई॰ पर लेहाज़ हो ॥ *

बाबत जो चाहैं हुक्म दें मगर हर एक नये मुहाल के वास्ते जिन पर गां
व तक़सीम हो तादाद जमा का मुस्तक़िल करना हुक्काम माल हो के इख़्ति
यार में है ॥ ¶

¶ क़ानून ७ सन् १८२२ ई॰ की दफ़ेः १२ और ज़िमन २ पर रुजूअ किया
जाय ॥ *

दफ़ेः १७८ जहां देहात पट्टीदारी में हक़ीयत शुरका की यह
तर्ज़ है कि हर एक मालिक क़िश्तहाय मुऐयन रखता है जिन पर सरका
री मालगुज़ारी गांव के रवाज के मवाफ़िक़ फैलाई जाती है ऐसे मुहालात
में जमा की नई तक़सीम उस वक़्त मतलूब होती है जब किसी सबब से सर
कारी मुतालबः बाज़ मिल्कीयतों पर औरों की निसबत ज़ियादः हो जाता है
इलाक़ः बुंदेलखन्ड के देहात भैजबरारी की ख़ासीयतों में एक यह है
कि इस नई तक़सीम के वास्ते बाज़ शरतों के बमूजिब दस्तूरात मुक़र्रर हैं
और बावजूद इसके मुहाल यकजाई और ग़ैर मुनक़सिम रहता है बुंदेलखन्ड
के बन्दोबस्त आईन नहुम सन् १८३३ ई॰ के वक़्त इस बाब में ज़ियादः ग़ुफ़्
तगू हुई कि इस तरह के बड़े बड़े मुहालात को छोटे छोटे मुहालात में तक़
सीम करना किस किस सूरत में क़रीन मसलहत है चुनांचि बन्दोबस्त की
मतबूअः रपोर्ट पर रुजूअ करने से वाज़ह हो †† इस बाब में चार्लिस ऐलन साह
ब की रपोर्ट ज़िलेअ हमीरपूर की दफ़ेः ७५ और वलयम मेवर साहब की रपोर्ट ज़िले
अ कालपी की दफ़ेः १५६ से १५९ तक और सफ़ेः ६१ से सफ़ेः ७१ तक मुलाहज़ः कर
नी चाहिये †† होगा कुछ शक नहीं कि ऐसी तदबीर के इजरा में बड़ी एह
तियात और तामुल ज़रूर है और जब तक कि ख़ुद मालिक तक़सीम की
दरख़्वास्त पेश न करैं अमल में न लानी चाहिये याद रहै कि इन पट्टी
देहात और देहात मुतफ़र्रक़ः दफ़ेः गुज़श्तः की तक़सीम में जमा की मुना
सिब हिस्सों की जमाबन्दी के लेहाज़ से जो तक़सीम के वक़्त हो करनी चा
हिये और हरगिज़ जुदी जुदी यही उस जमा से जो बन्दोबस्त के वक़्त हर
एक पर मुक़र्रर हुई अलाहदः मुहाल न बनाए जायेंगे बशर्ते कि यह कि
तहक़ीक़ात से साबित हो कि जमा की तफ़सील मज़कूर जमाबन्दी हाल

से नहीं निस्बत और मुताबिक़त रखती है कि बन्दोबस्त के वक़्त रखती हो इन क़ायदः पर अमल करना देहात मुशतरकः में सरकारी मालगुज़ारी की हिफ़ाज़त के वास्ते बहुत ज़रूर है मगर यक़ीन है कि उसके सबब वह लोग तक़सीम में बहुत मुज़ाहिम होंगे जिनके पास मुनाफ़ा की पट्टियां हैं और जो उनको बाबत जमाबन्दी हाल के रसदी हिसाब से कम बाना देते हैं ॥ ＊

दफ़ः १७९ जिन देहात से तक़सीम के दस्तूरुल अमल मुन्दर्जः दफ़आत ७ क़ानून १९ सन् १८७४ ई० से दफ़ः २४ तक ख़ास तालुक़ नहीं रखते वहां तामुल करना चाहिये कि तक़सीम किस तौर से की जाय और हाल यह है कि दस्तूरुल अमल मज़कूर देहात मुमालिक मग़रबी और शिमाली की हालत से कमतर मुताबिक़ है ऐसे मुक़द्दमात बख़ूबी नः समझने के सबब बाज़ औक़ात तक़सीम का काम बरसों तक पड़ा रहता है और मालिक बरबाद और मिलकीयत ख़राब हो जाती है लेकिन जो मामिलः तक़सीम का कमाहक़्क़ह समझ में आवे और फिरासत से जारी हो तो उसकी तकमील में दिरंग नहोगी ॥ ＊

दफ़ः १८० तक़सीम पहिले यह अमर ज़रूर है कि कुल जमीन की पैमायश और तख़मीनः याने जमाबन्दी बलिहाज़ लियाक़त जमीन के मुश्तहर: याने नक़्शः किस्तवार किसी अमीन आज़मूदः कार होशियार से बनवाई जाय मुनासिब है कि पैमायश हत्तुलइम्कान सब शरीकों के रूबरू हो और अगर शुरका किसी रक़म की सेहत पर एतराज़ करें तो उसकी समाअत और तहक़ीक़ात करनी ज़रूर होगी फिर हत्तुलवसअ इस कामकी आज़मायश तहसीलदार याहमदस्तूरुलअमलः या तहसीलदारी के अहलकारों में किसी मातबर ओहदेदार की मारफ़त की जाय मगर शायद सब लोग इसपर मुत्तफ़िक़ होंगे कि तक़सीम की बुनियाद के वास्ते बन्दोबस्त का ख़सरः और नक़्शः किस्तवार सहीह और काफ़ी है इसमूरत में पैमायश जदीद की हिक़त और अख़राजात की ज़रूरत नहोगी ॥ ＊

दफ़ः १८१ जब यह बात ठहर चुके तो शुरका को हुक्म हो कि जिस तरह से तक़सीम चाहते हैं बयान करें याने उनके हिस्सः का अलाहिदः एक बराबर की रूसे हो या गांव के रवाज पर और यह कि कुल ज़मीन शामिल कर के फिर नये सिर से तक़सीम चाहते हैं या हर शख़्स अपनी पट्टी पर क़ाबिज़ रहकर कमी बेशी शामिलात से बराबर कराया जाय

ता है और अगर पिछली सूरत के मवाफ़िक़ चाहें तो वह किस तरह से की जाय याने किसी क़ायदः मुऐयन से मसलन ज़मीन के मुत्तसिल होने या क़बज़ः साबिक़ या किस्म ज़मीन के लेहाज़ से या किसी मुनहसर अ़लाहः की तजवीज़ पर फिर शुरूअ़ में इस बात की तजवीज़ हो कि नये मुहाल आपस में ( ) याने पट पट ( ) मुखतलत हों या मुन्तशिर ( ) याने क़ता वट ( ) और यह कि कहां तक तक़सीम की जाय याने आयामील और शार और असामी और आवादी मुनकिसिम हो या उन में से कुछ शिरकत में रहे अकसर औक़ात यह सब बातें शुरका खुद फ़ैसला कर सकते हैं खसूसन अगर किसी ग़रज़ मातबर और दबाव वाले जैसे तहसीलदार या क़ानूनगो को हुक्म दिया जावे कि उनकी कारखाई का अहतिमाम करे और तसफ़ीहः के वास्ते तरीक़ बहुत मुमकिन है कि ऐसे अक़रार नामः की हर एक ज़िमन पर अ़ातराज़ात पेश हों खसूसन जहां गांव में बहुत अदावत हो ऐसे अ़ातराज़ात की समाअ़त करनी चाहिये और ग़ौर व तामुल के बाद उनका फ़ैसलः जिस तरह क़रीन इनसाफ़ हो और खुद तरफ़ैन की राय के वमूजिब या उनके क़ुर्बजवार के अहल फिरासत की राय के मवाफ़िक़ मालूम हो किया जाय मुनासिब है कि तसफ़ीयः सब सूरतों में कामिल और मुफ़स्सल हो और तजवीज़ किया जाय और कच्चा रस दे कि फ़रीक़ैन मुन्तशिर हो जितने दस्तखत करने को तैयार हों उनसे दस्तखत करा लिये जावें ॥ ❋

दफ़ः १८२ जब तक़सीम का तरीक़ः इस तरह से ठहर गया तब नक़ल अक़रार नामः या रूबकारी की जिस में शरायत उसकी मुनदर्ज हों अमीन को इस हुक्म से देनी चाहिये कि गांव में जाकर अक़रारनामः की शरायत असल में लावे और बन्दोबस्त जदीद के ज़ावतः पर सब काग़ज़ात मुरत्तब कर के मीआ़द मुऐयन में फिर हाज़िर हो तक़सीम के वक़्त शायद नये अ़शकालात पैदा होंगे लेकिन अगर खबर गीरी और तनदिही की जाय तो आसानी से रफ़ा हो जावेंगे मगर अमीन को हुक्म हो कि जो खुद किसी अमर को रफ़ा न कर सके तो फ़िलफ़ौर हिदायत के वास्ते अर्ज़ करे और हाकिम को ज़रूर है कि उसपर हुक्म सादिर करने में कुछ तारवीर न होने पावे मुतमर्रिद लोग चाहेंगे कि ग़ैर हाज़िर होकर तक़सीम का इन्सिदाद करें मगर इस सबब से कभी देर न होनी चाहिये ऐसे लोगों को बखमनुमाई की जाय कि ग़ैर हाज़िरी से तुम अपने मामिलः में खलल डालते हो मगर यह नहीं हो सकता कि ऐसे सबब से तुम्हारे ग़ैरों को दिक़्क़त और नुक़सान आयद हो जहां लोग अ

ज़ राह अमर तक़सीम में मुज़ाहिम हों तो दफ़ः २१ क़ानून नोज़दहुम सन् १८२४ ई० की रूसे साहब कलक्टर को अख़्तियार है कि जुरमाना करें॥ *

दफ़ः १८३ यह बात हमेशः मलहूज़ ख़ातिर रहे कि अमीन का मतलब तनाज़ा बरपा करना और तक़सीम में देर लगाना है क्योंकि इसमें रिशवत लेने की बहुत सूरतें निकलती हैं ऐसा चलन बख़ूबी बन्द न होगा बग़ैर इसके कि हाकिम मामिलः तक़सीम से वाक़फ़ीयत कामिल रक्खें और मुक़द्दमः की कारवाई पर बराबर मुतवज्जः रहें और जो अमीन कुछ बदमामिलगी करे फ़िलफ़ौर उसकी सज़ा जुरमाना या मौक़ूफ़ी से करें मुनासिब और मुफ़ीद है कि कई अमीन आज़मूदःकार हमेशः इस काम के वास्ते मौजूद रहें जिनका मतलब और बहतरी इसी में है कि अपना काम अज़लत और दयानत से अन्जाम दे कर अमीनों की फ़िहरिस्त में अपना नाम बहाल रखवायें और तक़सीम का काम बकसरत पायें क़ानून ११ सन् १८३५ ई० की निसबत गवर्नमेन्ट ने हुक्म दिया है कि अमीनों की उजरत के वास्ते तादाद मुक़र्ररः क़ानून १९ सन् १८१४ ई० बिलफ़ेल बहाल रहे॥ *

दफ़ः १८४ जब किसी मुहाल की तक़सीम ख़त्म हो तो रसूम महकमः क़ानून ३३ सन् १८०३ ई० उन लोगों से वसूल करनी चाहिये जिन पर बमूजिब दफ़ः १४ क़ानून मज़कूर के वाजिब है॥ *

दफ़ः १८५ सोम मालिकों की तबदील याने दाख़िल ख़ारिज — दाख़िल ख़ारिज में कुछ तजवीज हक़ की नहीं उस से सिर्फ़ क़ब्ज़ः की हक़ीक़त हाल ज़ाहिर होती है दाख़िल ख़ारिज का मतलब यही है कि मालिक का नाम रजिस्टर में चढ़ाया जाय याने जिस शख़्स को साहब कलक्टर मालगुज़ारी का ज़िम्मःदार और मुहाल की तहसील और इन्तज़ाम का मुख़्तार जानें उसका नाम मगर वाक़अ में लोग हमेशः इस तरफ़ मायल हैं कि फ़ाल मज़कूर को बमन्ज़िले तजवीज़ हक़्क़ीयत के जानें और हक़ पर क़ाबिज़ होने के वास्ते ज़रूरयात से समझें बावजूद इसके कि अदख़ाल नाम महज़ ऐसे दख़्ल की का नतीजः है जो पहिले सरसब्ज़ हो चुका अगर तरतीब रजिस्टर के असल अच्छी तरह न समझे जायें यह मुग़ालतः हमेशः राह पा सकेगा लिहाज़ा अब तफ़तीस इसकी ज़रूर है कि किस शख़्स का नाम चढ़ाया जाय और किस तरीक़ः से दर्ज करना उसका मुनासिब है॥ *

दफ़ः १८६ वह मालिक मुल्हिक़ इन्दराज नाम के हैं जो मुहाल की मालगुज़ारी बिला तवस्सुत दूसरे के अदा करते हैं और जिनको सदर माल

गुज़ार या नम्बरदार कहिते हैं मालिक या अपने ही हक़ की रू से सदर मा लगुज़ार होते हैं या गांव के शरीकों के क़ायम मुक़ाम होने से॥ *

दफ़ः १८७ जो अपने हक़ की रू से मुताबिक़ दस्तूर नामका हो वह अज़ रूय क़बज़ः मालिक होता है याने वह शख़्स जिसका क़बज़ ज़ाहिर और मशहूर है यह बात क़ानून ६२ सन् १८७३ ई० के कुल मतल ब खुसूस दफ़आत २३ और ६१ के मज़मून से निकली और मामिलः वे हक़ीक़त हाल से भी वाजिब होती है क्योंकि रजिस्टर का एक ही तरी के: पर बनाना ज़रूर है और ज़ाहिर है कि अगर महज़ हक़ पर हसर हो तो मालिक शरःश्री का मुकम्मिल और सहीह रजिस्टर बनाना अमर मुहाल है इसवास्ते कि अगर क़बज़ः से क़तअ नज़र की जाय तो हक़ की तलाश एक अमर मजहूल है जिसकी तहक़ीक़ और तफ़तीश बहुत मुश्किल और साहब कलक्टर के अख़्तियार से बाहर बल्कि मह कमात दीवानी के हीतेः अक़्तदार में है फिर रजिस्टर में बाज़ औक़ात मा लिक अज़ रूय हक़ और कभी अज़ रूय क़बज़ः मुन्दर्ज करना बायस अबतरी का होता है और उस से रजिस्टर की असल सूरत जिस में एक ही किसिम के हालात का बतरीक़ यकसा ज़ाहिर करना मक़सूद है जाती रहती है इनवजूहात से ज़रूर पड़ता है कि मालिक अज़ रूय क़बज़ः के मु न्दर्ज किया जाय ॥ *

दफ़ः १८८ लेकिन ऐसी ज़रूरतें भी पेश आती हैं कि कोई शख़्स मालिक मशहूर और मारूफ़ तो है मगर गांव का महतमिम नहीं लेहाज़ा साहब कलक्टर उसको मालगुज़ारी का ज़िम्मःदार और गांव की तहसी ल का मुख़तार बदरजः औवल नहीं जानते हैं मिसाले इसकी यह हैं कि कार बन्द अपने आक़ा और बेटा अपने बाप और वली जिसका व ली है उसकी तरफ़ से मुहाल की सरबराही करते हैं या यह सूरत होवे कि असिल और मशहूर मालिक बन्दोबस्त को बे दख़ल हो और उसका हक़ व अख़्तियार दूसरे शख़्स मसलन मुरतहिन या मुस्ताजिर सरकारी या सरबराह कार मुक़र्रर: अदालत दीवानी की तरफ़ मुन्तक़िल किया जा य ऐसे मुक़द्दमात के वास्ते मालगुज़ारी रजिस्टर में मालिक और मुहतमिम का जुदा जुदा ख़ानः है जब मालिक ख़ुद अपनी मिल्कीयत का अहतिमा म करता है तो मुहतमिम का ख़ानः ख़ाली रहता है जब मालि क अपने मुहाल का ख़ानगी ठेकः देता है तो बाज़ औक़ात ठेकः में यह

पाते होते हैं कि ठेकःदार जर मालगुजारी अदा करे और मुहाल का अहतिमा म हो इस सूरत में ठेकःदार का नाम मुहतमिम के खानेः में लिखा जावेगा मगर जो मालिक खुद मालगुजारी अदा करता रहे तो यह खानः खाली रः हेगा ॥ *

दफ़ः १८६ मालिक और मुहतिमिम दोनो की तबदील होती हैः और दोनो की तबदील रजस्टर मे मुन्दर्ज होनी चाहिये मसलन मुहाल म रहूनः में मुरतहिन मालगुजारी का बिल्कुल ज़िम्मःदार होता है मगर ताः हम राहिन कोशरअन फकुलरेहन का अखतियार रहता है, और अखित यार मज़कूर काबिल इन्तक़ाल के है और अगर राहिन उसको इन्तक़ाल करे तो उसे इस्तहक़ाक़ है कि इन्तक़ाल मज़कूर सरकारी रजस्टर में मन्द र्जे कराये और चूंकि यह तबदील मालिक के खानः में होगी इसवास्तेः मुर्तहिन के हक्क और कब्ज़े में कुछ खलल न होगा क्योंकि उसका ना म खानेः मुहतमिम में बदस्तूर रहेगा ॥ *

दफ़ः १९० रजस्टर में नाम का दाखिल खारिज उस वक्त होगा जब हक्क मिल्कीयत या अहतिमाम में कुछ तबदील वाकअ हो बाज़ः वक्त यह तबदील किसी सरकारी महकमः के हुक्म से होती है मसलन महकमः दीवानी की डिगरी के सबब या नीलाम इजराय डिगरी या नीलाम बाकियात सरकारी की जिहत या इसवजः से कि बाकी के सबब मालिक व नम्बरदार को मुहाल के अहतिमाम से महरूम किया गया है ऐसे मुक द्दमात में दाखिल खारिज हाकिम के हुक्म से होता है और उसमें फ़री क़ैन पर कब्ज़ा नहीं किया जाता अगर रजस्टर कलायन्बग़ी दुरस्त रहे और उसमें उन अशखास के नाम जो वाकअ में काबिज़ हैं मुन्दर्ज हों तो दाखिल खारिज में कुछ दिक़्क़त न होगी ॥ *

दफ़ः १९१ फिर हक्क मिल्कीयत और अहतिमाम की तबदीलः खुद फ़रीक़ैन के फ़ेल से भी वाकअ होती है जैसे बैअ रेहन हिबः वगै रः से ऐसे मुकद्दमात में दस्तूर है कि फ़रीक़ैन एक वक्त हाज़िर होकर दर ख्वास्त दाखिलखारिज की पेश करते हैं इस सूरत में दाखिल खारिज ः का इश्तिहार कचहरी कलक्टरी और और मुहाल में करना चाहिये और पूरे पन्द्रः दिन उज़्रदारों की हाज़री के वास्ते मुकर्रर किये जायें माहाज़ा परगनः के तहसीलदार से भी मुकद्दमः की सब बजूहात की कैफ़ीयत तः लब करनी चाहिये उसके बाद अगर इन्तक़ाल के बाब में कुछ मानअ

न हो दाख़िल ख़ारिज हो सकता है और क़बज़ः का वाक़ई इन्तक़ाल ख़्वा उसके साथ अमल में आवेगा या फ़ौरन् बाद उसके ऐसी कारवाई के तरीक़ः में कुछ आय अतराज़ नहीं और उसमें यह सहूलत है कि ख़्वाहाँ ख़रीद इस तरह दरयाफ़्त कर सके कि कोई शख़्स बेअ का मानअ होनेवाला है या नहीं मगर इस से यह नहीं लाज़िम आता कि इन्तक़ाल मिल्कीयत सिर्फ़ इसी तरह से हो सकता है और यह भी ज़रूर नहीं कि जो अग़राज़ इश्तहार के सबब से पेश हों हमेशः इन्तक़ाल से मानअ हों बल्कि यह हो सकता है कि बावजूद दाख़िल ख़ारिज के किसी वजः से क़बज़ः का वाक़ई इन्तक़ाल अमल में न आया हो और इस सूरत में रजिस्टर में जो दाख़िल ख़ारिज हुआ उसका मुस्तरिद करना ज़रूर होगा ॥ *

दफ़ः १८२ बाज़ औक़ात इन्तक़ाल मुतनाज़ा के मुक़द्दमात पेचदार पेश आते हैं शायद एक फ़रीक़ ज़ाहर करे कि फ़लानी मिल्कीयत हमारे पास मुन्तक़िल हुई है लिहाज़ा हमारे नाम रजिस्टर में चढ़ाई जाय और फ़रीक़ सानी जिनके नाम रजिस्टर के ख़ाने: मालिक में मौजूद हैं इन्तक़ाल से मुनकिर हो ऐसे मुक़द्दमः में इन्तक़ाल की हक़ीक़त वह: है जिसकी तहक़ीक़ात क़ानून ४५ सन् १८७३ ई० की दफ़ः ४१ की रू से करनी चाहिये अगर ज़ाहर हो कि इन्तक़ाल हक़ीक़त में वाक़अ हुआ तो दाख़िल ख़ारिज करना ज़रूर होगा इस मामिलः में वाजिब नहीं कि अगला मालिक दाख़िल ख़ारिज से राज़ी हो और न यह ज़रूर कि वह शख़्स जिसके पास मिल्कीयत मुन्तक़िल हुई इन्तक़ाल को बाजबो साबित करे क्योंकि दफ़ः मज़कूर में साफ़ लिखा है कि नाम का इन्दराज किसी सूरत में उसके हक़ में जो जाहिरी मालिक की तरह रजिस्टर में दाख़िल किया जाता है असर न करेगा और न उसके हक़ में जिसका नाम नहीं चढ़ा मगर जो अपना हक़ मिल्कीयत मह़कमः दीवानी में या और तरह से साबित करेगा माहव कलक्टर इन्तक़ाल की हक़ीक़त हाल को सवदील नहीं कर सकते और हाल मज़कूर का रजिस्टर में मुन्दर्ज करना न असल इन्तक़ाल के हक़ को पायदार करता है न मालिक साबिक़ के हक़ को ज़ईफ़ ॥ *

दफ़ः १८३ इन्तक़ाल के मुक़द्दमात इससे भी ज़ियादः उस वक़्त पेचदार हो जाते हैं कि जो शख़्स अपना नाम मालिक के ख़ाने में दाख़िल कराया चाहता है पहिले इस से मिल्कीयत का मुस्तमिल और हक़ीक़ मिल्कीयत पर ज़ाहिरी मुतसर्रिफ़ हो और मालिक साबिक़ इन्तक़ाल से मुन

फिर और इन्दराज नाम से मानअ हो यह दिक्कत सिर्फ़ उन मुक़द्दमात में हो सकती है जहां मुद्दआलिय कुछ हक़ अज़रुय क़ानून मिस्ल मुस्ताजिर सरकारी या मुरतहिन के नहीं रखता और महज़ सरबराहकार उस शख्स का है जिसका मालिक होना पहिले क़बूल कर चुका है इस तरह की वे बुनियाद दरख्वास्त पेश करनी ऐसी सरीह बेईमानी की बात है कि उसपर तवज्जः करनी कुछ ज़रूर नहीं और अजब नहीं कि साहब कल्लकटर ऐसी बद मामिलगी पर इल्तिफ़ात करनी किसी तरह गवारा न करें गे इस सूरत में जो इक़तदार साहब कल्लकटर को दाखिल खारिज के हुक्म से निकल्ता है इस तरह अमल में लावें जिससे वे इन्साफ़ी की बातें पायमाल और मुक़द्दमात दीवानी के अख़राजात का इनसिदाद हो मगर गैरमुमकिन है कि अगर इन्तक़ाल फ़िलवाक़अ वक़अ में आया और मालिक साबिक़ को मुहाल से अल्लाक़ः न रहा दाखिल खारिज की इम्तनाअ में कुछ फ़ायदः और मतलब न होगा अगर मालिक साबिक़ ने ज़रर और नुक़सान उठाया हो वह बिल्कुल उसके सरबराहकार की बदमामिलगी से होगा और मालज़ः उसका सिर्फ़ महकमात दीवानी से मुमकिन है जो फ़वायद मालिक साबिक़ को नाम के इन्दराज से मुतसौवुर हैं इससे हासिल हो चुके कि नाम आगे से रजस्टर में मौजूद और खुद मालिक साबिक़ दाखिलखारिज से मुतअज़्ज़िर था अलः हिस्सः दाखिल खारिज से सिर्फ़ यह ज़ाहिर होता है कि इन्तक़ाल क़बज़ः वाक़अ में हुआ उस से किसी फ़रीक़ के हक़ में असर नहीं होता॥

दफ़ः २६४ देहात मुशतरकः में अगर कोई हिस्सः बैअ किया जाय तो हर एक शरीक अकसर हालात में हक़ शफ़ियः रखता है जब कोई पट्टी व इल्लत बाक़ी नीलाम हो तो दफ़ः ४ क़ानून अव्वल सन १८४१ ई० में और जब किसी शरीक की हक़ीयत व इल्लत डिगरी अदालत के नीलाम हो तो दस्तूरुलअमल मक़रीयः हुक्काम सदर दीवानी ॥ यानि दस्तूरुलअमल जो सदर दीवानी अदालत ने दफ़ः ११ क़ानून ४ सन १८४८ ई० के मुताबिक जारी किया ॥ अदालत के आठवें हुक्म से हक़ शफ़ियः पर अमल करने की हिदायत मुन्दर्ज है हक़ शफ़ियः की शर्त बन्दोबस्त के वाजिबुलअर्ज़ में अकसर लिखी गई और आम तौर यह हक़ महकमात दीवानी में मक़बूल हुआ मगर बइल्लतिसनाअ सूरत नीलाम मज़कूरः बाला कोई सरकारी तरीक़ः नहीं जिस से हक़ ...

अः का दरुस्ती किया जाय लिहाज़ा अगर बेनाम ख़ानगी के मुक़द्दमः में कोई शरीक ज़ुन्नदार हो और साहब कलक्टर के हुज़ूर में शफ़ायः का दावी करै तो दाख़िलख़ारिज न किया जाय बजुज़ इस सूरत के कि क़बज़ः का इन्तक़ाल वाक़ई हो अगर बेनाम के मवाफ़िक़ क़बज़ः होने में शुबहः न हो तो रजिस्टर में दाख़िल ख़ारिज करदेने से कुछ चारः नहीं और इस सूरत में शफ़ायः का दावीदार अलाज अपना दीवानी से कर सकता है साहब कलक्टर के हुज़ूर में जो अरज़ी गुज़रानी गई बुमनज़िलेः अतराज़ के दफ़तर में मौजूद रहै गी और इस अमर को बजः सबूत होगी कि ज़ुन्नदार ने हत्तुलवसअ अपने हक़ की पैरवी वक़्त मुनासिब पर की जब महम्मदी शरअ की रू से दावी शफ़ायः का पेश किया जाय तो साहब कलक्टर को तरीक़ः मज़कूरः बाला पर कारबन्द होना चाहिये और इस सूरत में कलक्टर का सवाल बुमनज़िलः तलब मवासिबत ‡ यानै मुतालबः या दावी जो फ़िलफ़ौर बमुजर्रद समाअत फ़रोख़्त के किया जाता है मेक्नाटन साहब की महम्मदी शरअ के असूल और नज़ीर की किताब सफ़ेहः ४८ और २०२ और १८७ पर रुजूअ करना चाहिये ‡ के होगा जो महम्मदी शरअ की रू से लाज़िम है ॥

दफ़ेः १८५ जहाँ इन्तक़ाल वरासत के बायस होता है याने मुक़द्दमात फ़ौती नामः में एक यह दिक़्क़त होती है कि पहिले मालिक का क़बज़ः यकायक उठ जाता है और अगर बहुत दावीदार खड़े हो जायें तो ग़ालिब शुबह पैदा हो कि कौन वारिस है ऐसे मुक़द्दमः में साहब कलक्टर दाख़िल ख़ारिज सिर्फ़ उस सूरत में कर सकते हैं कि वरासत का दावीदार क़ाबिज़ः ¶ इस बाब में दफ़ेः ४ ताचीर नम्बर १००८ मवरख़ः २९ मई सन १८३६ ई० मसदर सदर दीवानी अदालत मग़रबी पर लेहाज़ करना चाहिये ¶ कामिल हासिल करै क़ानून १९ सन १८४१ ई० में तुक़द्दमात वरासत मुतनाज़अः की बाबत ऐसे कामिल अहकाम और इन्तज़ाम मुन्दर्जे हैं कि महकमः दीवानी से जो हुक्म नातिक़ जारी हो फ़िलफ़ौर शुबहः जाता रहैगा कि किस शख़्स का नाम चढ़ाया जाय ॥

दफ़ेः १८६ क़ानून ८२ सन १८०३ ई० की दफ़ेः २९ में कोई सबीलें मज़कूर हैं जिनसे साहब कलक्टर तबदील मिल्कीयत की ख़बर पा सकते हैं लेकिन याद रहै कि साहबान रजिस्टर इस्नाद मुक़र्ररः क़ानून १७ सन १८०३ ई० फ़क़त दस्तावेज़ों की रजिस्टरी की ख़बर दे सक

ते हैं जिसका इस्तेहक़ाक़ ग़ैरहूं मालिक रखता है और इसी वास्ते उसी की
दरख़्वास्त पर दाख़िल ख़ारिज का हुक्म मुनहसर होता है और जब त
क कि क़बज़ः के अलावः मालिक के हक़ की निसबत भी इतमीनान न हो
और रसूम मुक़र्ररः दफ़ः १० क़ानून २३ सन् १८७१ ई० अदा न करें दा
ख़िल ख़ारिज मुल्तवी करते हैं फिर मालिक से मुहासल को जमा के वा
स्ते नई दरख़्वास्त लेते हैं और जब यह सब बातें मुकम्मिल हुईं हुक्म
जारी करते हैं कि मालिक साबिक़ का नाम ख़ारिज और नये मालिक का
नाम दाख़िल हो और शायद यह तरीक़ः यहां भी जारी हुआ हो नहीं
रजिस्टर आबतः से दुरुस्त नहीं कि उनमें दाख़िल ख़ारिज किया जाय॥

दफ़ः २०० मगर हक़ीक़त यह है कि रजिस्टर में दाख़िल ख़ारि
करना एक ऐसा अमर है कि क़तअ़ नज़र किसी फ़रीक़ की दरख़्वास्त के
साहब कलक्टर पर वाजिब व लाज़िम है साहब मौसूफ़ के ज़िम्मः है।
कि अपने तवाबअ़ की मारफ़त मिल्कीयत के जमीअ़ तग़ीरात से मुत्तलअ़
हुआ करें जब उनको इतमीनान हासिल हो कि क़बज़ः का इन्तक़ाल वा
क़ई अमल में आया तो ज़रूर होता है कि उसी के मुताबिक़ रजिस्टर में ना
म की तबदील करें और रसूम जो सरकार ने तरतीब दफ़्तर के वास्ते मुक़र्र
र की हैं तहसीलें और हाल यह है कि अगर इसकाम को बमौक़अ़ न
किया करें तो उनके रजिस्टर की क़दर फ़ौत हो जायगी और जो मतलब उ
स से मक़सूद है याने वाक़ई हालात का काग़ज़ सहीह होना जाता रहे
गा मालगुज़ारी के अदा के वास्ते नई दरख़्वास्त गुज़रानी ज़रूर नहीं इस
वास्ते कि किसी ख़ानगी इन्तक़ाल से सरकारी हक़ में जिस से ख़ुद ज़मीन
या मालिक क़ाबिज़ की जायदाद से ज़र मुतालिबः वसूल किया जाता है
असर नहीं होता॥

दफ़ः २०१ अराज़ी मौज़ा का तौज़ीअ़ में दाख़िल करना — नये
देहात को तौज़ीअ़ में दाख़िल करने के वास्ते क़ानून ४८ सन् १८७१ ई० की
अहकाम मुन्दरिज हैं ऐसे मुहालात जदीद इनदिनों क़ायम नहीं हो सक
ते हैं जिनसे सरकारी मालगुज़ारी में फ़र्क़ आवे क्योंकि बन्दोबस्त की पैमा
यश से इस मुल्क की तमाम ज़मीन नापी गई और किसी न किसी मौ
ज़ा की हद में अगर जमा उसकी मुक़र्रर हुई इसवास्ते अब ऐसे देहात
निकलने जिनपर जमा नहीं बंधी और जिनको अभी सरकार तौफ़ीर कहते
थे मुमकिन नहीं चुनांचि मुक़द्दमात तौफ़ीर के मुतअ़ल्लिक़ मुनक़तअ़ हो गये

से जो तकलीफ़ और दिक़्क़त रआया पर होती थी जाती रही और उसके इन्सिदाद से यह भी एक बड़ा फ़ायदः आईन नहुम सन् १८३३ ई० की मसाहत से इस मुल्क में हासिल हुआ क़ानूनगो के मवाज़नः क़दीम में शायद ऐसे मवाज़ा के नाम मुन्दर्ज हों जिन पर अगले दिनों में सरकारी मालगुज़ारी लगती थी और अब तौज़ीअ में नहीं है मगर ऐसे देहात की ज़मीन पर या तो जमा बांधी गई या मालूम हुआ कि वह आराज़ी जंगल की है जिसपर अब कुछ जमा नहीं लीजाती लिहाज़ा उन देहात के मौज़ेअ का दरयाफ़्त करना सरकार को चन्दां ज़रूर नहीं है ॥ *

दफ़ेः २०२ बन्दोबस्त आईन नहुम में बारहा ऐसा हुआ कि कई देहात मुलहिक़ः जिन्में मालिक एक ही हैं और एक क़िस्मि की मिल्कीयत रखते हैं बन्दोबस्त के वक़्त यकजा किये गये और शामिल नापे गये जिनका नाम मवाज़अ मशमूलः के नामों से मुरक्किब हुआ ।। इस अमर का ज़िक्र हिदायत नामः बन्दोबस्त की दफ़ेः ७ में मुन्दर्ज है ।। अगर मालिक चाहे कि उनको अलाहदः करावे और हर एक पर जुदा जमा लगावे तो मुक़द्दमः महज़ क़िस्म बटवारः का होता है पस उसी क़िस्म के दस्तूरात पर कारबन्द होना चाहिये यह भी होसकता है कि मालिक अपनी अराज़ी में नया गांव बसावे और उसका नाम रक्खे और रग़बत रखता हो कि यह नाम सरकारी दफ़्तर में ब शमूल नाम साबिक़ के लिखा जाय या बतौर मुहाल अलाहदः के इस तरह की दरख़्वास्त जो पेश आवे उसका तय करना सहल होगा ॥ *

दफ़ेः २०३ एक सूरत यह भी मुतसौवर है कि जो ज़मीन एक शख़्स या एक गरोह के साथ किसी नाम से बन्दोबस्त हो गई उस में से एक हिस्सः पर दूसरा फ़रीक़ दूसरे नाम से महकमः दीवानी में अपनी मिल्कीयत का दावी कर के अपना हक़ साबित करे ऐसी डिगरी का इजरा महज़ बटवारः का मुक़द्दमः होगा चुनाचि साहब कलक्टर पर लाज़िम है कि कुल मौज़ा की जमा से नये मौज़ा के वास्ते हिस्सः मुनासिब तशख़ीस करके उसकी जमा मुक़र्रर करें और जैसे मुहाल मुनक़िसमः में बटवारः से दो मुहाल हो जाते हैं वैसाही इस मुक़द्दमः में पहिले मौज़ा की जगह दो मौज़ा क़ायम करें ॥ *

दफ़ेः २०४ जो मवाज़ः एक या कई आदमीयों के हीन हयात अल्ताफ़ हैं वह जिस वक़्त पर ज़ब्त होते जायें तौज़ीअ में चढ़ाये जायेंगे

इस तरह के मुक़द्दमात में अहतियात और ततद्दिही ज़रूर है कि पोशिद:गी के सबब सरकार का नुक़सान नहो लिहाज़ा तहसीलदार और क़ानूनगो ऐसे देहात की फ़िहरिस्त मुकम्मिल मिले और उनको ताकीद हो कि जिस वक़्त माफ़ीदार अरबोर फ़ौत हो उसको ख़बर देनी अपने ज़िम्म: जानें ॥ *

दफ़: २०५ इस मुल्क की कई जग: ख़ससन् ज़िला: गोरखपूर और कोह हिमाल: में मावैन दरयाय जमुना और सारधा के बड़े बड़े क़तआत जंगल दरख़्त और घास के वन्दोबस्त से ख़ारिज रक्खे गये और उनका इन्तज़ाम सरकार की मरज़ी पर मुनहसर रहा और उनकी हदबन्दी साहब मश्राहत ने की तब से ऐसे क़तआत हासिल करने के वास्ते जो शरायत ज़रूर हैं मुक़र्रर हुई और कोई आफ़ डायरक्टरसके हुज़ूर से मन्ज़ूर हो गई चुनांचि: हर एक क़तअ: जो अता किया जाय उसका रक़ब: चार हज़ार ईकड़ ज़मीन से ज़याद: नहो जिन शरायत के मवाफ़िक़ ऐसे क़तआत अता किये जाते हैं तितिम्म: नम्बर ११ में मुन्दर्ज हैं इज़लाअ गोरखपूर और सहारनपूर और देहरादून में बहुत क़तआत अहलयूरोपियन और अहल हिन्द को दिये गये हैं चाहिये कि इस तरह की सब उफ़्तादः ज़मीन मुनासिब क़तआत पर तक़सीम हो जो चार हज़ार ईकड़ से ज़याद: नहो और उनका नक़्श: बनाया जाय और हदबन्दी क़रार वाक़ई अमल में आवे क़ब्ल इसके कि मौहूब अलैह के सिपुर्द कीजाय जिस वक़्त सरकार किसी शख़्स को क़तअ ज़मीन बख़्शे और वह उसपर क़ाबिज़ हो क़तअ मज़कूर: उस नाम से जो मालिक रक्खे तौज़ीअ मे चढ़ाया जाय ॥ *

दफ़: २०६ पनजुम तौज़ीअ से मवाज़अ का ख़ारिज करना — अब कि देहात मआफ़ी की तहक़ीक़ात तमाम हो गई कुल मौज़ा को तौज़ीअ से ख़ारिज करना कमतर ज़रूर होता है सरकार अब अपने फ़ज़्ल से मवाज़अ माफ़ नहीं करती है अगर कुल मौज़ा दरया से कट जाय चाहिये कि तौज़ीअ से ख़ारिज हो क्योंकि उसके बाद फिर कभी तौज़ीअ पर क़ायम नहीं हो सकता और जो ज़मीन उस मौक़अ पर फिर बरामद हो उन देहात में शामिल होगी जो महाज़ी वाक़अ हैं और साबिक़ में बनिस्बत गङ्गा दरयाबुर्द के दरया से फ़ासल: पर थे शायद मौज़ा के अख़राज की सूरत यह भी हो कि क़तअ जंगल जो सरकार से अता हुआ और मौहूब

सद्द सन्दाय शरायत से क़ासिर रहा इसवास्ते ज़मीन फिर सरकार के क़ब्ज़ः में आई ॥ *

दफ़ः २०७ शरायत मवाज़ा की जमा की तबदील—माल का बन्दोबस्त सरकार और मालगुज़ार के दरमियान एक अहद व पैमान है और उसकी रूसे मालगुज़ार को मीआद बन्दोबस्त में इस्तेहक़ाक़ है कि अपने गांव की हदूद मुऐनः के अन्दर ज़मीन के बिल्कुल मुनाफ़ा हासिल करके सरकारी मुतालबः की मुजराई के बाद अपने सर्फ़ में लावे मसाहत का नक़शः अकसर औक़ात हदूद की सहीह दस्तावेज़ है और मसाहत के कुल रक़बः से मिक़दार ज़मीन जिसका मालगुज़ार मुतअल्लिक़ है व सहल ज़ाहिर होती है खसरः की पैमायश में अगर कुछ फ़रेब या ग़लती वाक़ः हुई हो जिस से तादाद ज़मीन मज़रूअः वक़्त मसाहत के कम या ज़्यादः लिखी गई उसके बायस अहद व क़रार की शरायत में कुछ फ़र्क़ नहीं हो सकता अगर कोई पटवारी दग़ाबाज़ी से अपने खसरः में कुछ ज़मीन फ़रोगुज़ाश्त करे तो मुस्तवजिब सज़ा के लायक़ होगा और नक़शः किश्तवार और बन्दोबस्त की मिसिल में तरमीम करनी पड़ेगी मगर एक बार जो जमा गवर्नमेन्ट से मनज़ूर हो गई ऐसे सबब से बढ़ाई नजायगी एक ही तरह का मुक़द्दमः है जिसमें ज़मीन तौफ़ीर पर दावी इज़ाफ़ः की नज़दीक मुमकिन है याने जब मसाहत के बाद अलाहदः महकमों से ज़मीन का कोई क़तअः दोनों की मसाहत से उनकी सरहद पर रह गया हो क़ानून ११ सन् १८१९ ई० की दफ़ः ३१ ज़िमन २ में हुक्म है कि जिन देहात का बन्दोबस्त दवामी हुआ उनकी हदूद के दरमियान जितनी ज़मीन दहसालः बन्दोबस्त के वक़्त थी अगर उसके वास्ते फ़रेब या ग़लती या किसी और सबब से इज़ाफ़ः जमा का दावी किया जाय नाजायज़ और बातिल हो और इस हुक्म का मानी मतलब मुमालिक मग़रबी और शिमाली के बन्दोबस्त से बिल्कुल मुतअल्लिक़ है कि वहां जमीअ देहात की हदूद अहतियात से मुक़र्रर होयीं ॥ *

दफ़ः २०८ फिर भी बहुत असबाब हमेशः मौजूद रहते हैं जिनके बायस मवाज़अ की जमा में तबदील करनी पड़ेगी कसोरत्वबक़्स उनमें यह हैं अव्वल तबदील रक़बः गंग शिकस्त और गंग बरामद के सबब दोम ज़मीन का सरकारी काम में आना जिसके सबब मुजराई

जमा होती है सोम तरफ़ीफ़ जमा जब बन्दोबस्त की संगीनी वाक़ई साबित हो चाहारुम क़तअः जमीन अताय सरकार से कुछ ज़मीन ज़ब्त होनी पन्जुम दीवानी की डिगरी से कुछ ज़मीन एक मौज़ा से निकल कर दूसरे में शामिल होनी हर एक अमर की बाबत कितनी बातों का ज़िक्र ज़रूर है ॥

दफ़ः २०९ औवल तबदील रक़बः बसबब गंग शिकस्त और गंग बरामद के — चूंकि हर एक गांव का बन्दोबस्त मसाहत के बाद हुआ है लिहाज़ा हमेशः ब सहूलियत तहक़ीक़ हो सकता है कि फ़लाने गांव की किस क़दर ज़मीन दर्या से कट गई या किस क़दर दर्या के हट जाने से निकली कहीं इन हालात में बन्दोबस्त के वक़्त इन्तज़ाम जमा के वास्ते एक ख़ास क़ायदः मुक़र्रर हुआ अगर जहां इन मुक़द्दमात के लिये ऐसी शर्त मुक़र्रर नहीं हुई गवर्नमेन्ट ने बतारीख़ २७ अगस्त सन् १८४५ ई० एक क़ायदः आम तजवीज़ किया चुनांचि जैसे में मुन्तख़िब किया ।। दफ़ः २१० और २११ क़ायदः मज़कूरः बाला का इन्तख़ाब है ।। जाता है ॥

दफ़ः २१० आईन की रू से ज़मींदार पर वाजिब है कि मुक़द्दमात गंग शिकस्त में अपनी दरख़्वास्त के बमूजिब जमा अदा करता रहे गो उसके गांव में इस क़दर नुक़सान हुआ हो कि उसको पैदावारी से अदा मुमकिन न हो फिर आईन के मुताबिक़ सरकार को अख़्तियार है कि गांव में जो नई ज़मीन दर्या से निकले उस से मालगुज़ारी तलब करे मगर यह हाल सदर बोर्ड के सरक्युलर नम्बर २ की दफ़ः १६७ ।। दफ़ः मज़कूरःज़ैल में मुन्तख़िब है आईन नहुम का बन्दोबस्त ऐसा तरह है कि जमा की तरफ़ीफ़ कमतरज़रूर होगी सिवाय उन देहात के जिनमें गंग शिकस्त हो सकती है इन मुक़द्दमात में ज़रूर है कि आइन्दः गंग शिकस्त या गंग बरामद के तग़ीर से जमा के इन्तज़ामवास्ते शरायत मुक़र्रर हों इसलिये हमेशः ऐसे मुहालात की दरख़्वास्त और उसकी नक़ल में एक यह शर्त मुन्दर्ज हो कि अगर किसी वक़्त गंग शिकस्त या गंग बरामद दस वें हिस्सः से ज़ियादः हो मुहाल लायक़ बन्दोबस्त जदीद के होगा ।। के बमूजिब तरमीम हुआ और हुक्म मज़कूर का वाजबी होना ज़ाहिर है उससे यह दस्तूर ज़ाहिर हुआ कि जब कहीं रक़बः का दसवां हिस्सः या ज़मीन बक़दर जमाबन्दी दसवां हिस्सः के दर्या से कट जाय ज़मींदार को इस्तहक़ाक़ है कि पैदावारी के बमूजिब बन्दोबस्त जदीद का मुतालबः करे और सरकार के वास्ते भी यह हुक्म है कि किसी गंग बरामद ज़मीन

पर जमा बांधनी जायज़ नहोगी बशर्त इसके कि रक़बः नौ बरामद या उस की पैदावारी असिल मुहाल के दसवें हिस्सेः से ज़्यादः हो ॥ *

दफ़ेः २११ इन अहकाम की रआयत वहां भी ज़रूर है जहांसा हब बन्दोबस्त वाजिबुलअर्ज़ में उनके मुन्दर्ज करने से बन्दोबस्त के वक़् ग़ाफ़िल रहे हों जिन मुक़द्दमात में गंग शिकस्त के अम्र पर अहकाम था ला के बमूजिब तरमीम बन्दोबस्त ज़रूर हो अगर किसी सबब से गांव की निकासी उससे ज़्यादः या बराबर निकले जो बन्दोबस्त के वक़् शुमार की गई तो मालिक को कुछ इसलेःक़ाक़ तख़फ़ीफ़ जमा का नहोगा अगर निका सी कम निकले तो तख़फ़ीफ़ उसी क़दर देनी चाहिये और हाल की निका सी पर जमा उसी तरह मुसख़्ख़स की जाये जैसे असिल बन्दोबस्त के वक़् की गई थी फ़िर अगर गंग बरामद दसवें हिस्सेः से ज़्यादः होने के सबब स रकार इज़ाफ़ः का दअ़वा करे मालिक के अख़्तियार में होगा कि कुल मुहा ल का बन्दोबस्त जदीद तलब करे या सिर्फ़ ज़मीन नौ बरामद की जमा मुजो वज़ः की दरख़्वास्त दे ॥ *

दफ़ेः २१२ गंग शिकस्त के सबब जो तख़फ़ीफ़ दी जाती है सर कारी हिसाब में अकसर बतौ मआफ़ी ज़र माल के मुन्दर्ज होती है और इस सूरत में हर साल बाक़ी फ़र्ज़ी की तरह हिसाब से ख़ारिज होने के लि ये गवरन्मेन्ट का हुक्म चाहिये इस से पहिले कि तौज़ीह पर चढ़े ॥ *

दफ़ेः २१३ गंग शिकस्त के मुक़द्दमात को हमेशः ख़ुद मालिक पेश करेंगे मगर गंग बरामद के छिपाने में सर गर्म रहेंगे गंग बरामद का दावी ईज़ा रसानी के तौर पर बरपा न करना चाहिये मगर फिर भी सरकारी ओह दःदार उस से ग़ाफ़िल नरहैं तितिम्मः नम्बर २२ में दस्तूरुलअमल मुन्द र्ज है जो हुक्काम सदरबोर्ड ने गंग शिकस्त और गंग बरामद की रपूट के बाब में साहबान कलक्टर की हिदायत के वास्ते जारी किया ॥ *

दफ़ेः २१४ अगर देह मआफ़ी में गंग बरामद हो तो जब तक ज़ मीन क़ाबिल ज़िराअ़त की ज़ियादती से मआफ़ी का कुल रक़बः रजस्टर ‡ यानै रजस्टर मज़कूरः दफ़ेः १५३ ‡ के रक़बः पर दस बीघा सैकड़े से ज़्यादः न ब ढ़ैतबतक मआफ़ीदार के क़बज़ः में कुछ मुज़ाहिमत न की जायेगी अगर ज़मी न मज़कूर की ज़्यादती से कुल रक़बः तादाद मुन्दर्जः रजस्टर पर दस बीघा सैकड़े से ज़्यादः बढ़े तो जितनी बेशी हो देह मआफ़ी के मालिक की ज़मीं दारी और ख़राज के लायक़ ठहरेगी अगर मौज़ा मआफ़ी बिल्कुल कट जा

य और नई जमीन उसकी बाग़ः बरामद हो तो ज़मीन बरामद देहात महाज़ी के मुतअल्लिक़ होगी और मौज़ा माफ़ी फिर कभी कायम नहोगा॥

दफ़ः २१५ दाम तख़फ़ीफ़ जमा जो ज़मीन के सरकारी काम में आ ने से होती है—जब देहात खालसः की ज़मीन किसी सरकारी काम मसलन छावनी लशकर या मकानात सरकार या सड़क या नहर में आवे तो ज़र ऐव ज़ जो मालिकों को दिया जाता है इस तरह से वयजः अहसन मुजरा हो सक ता है कि जमा में उसी क़दर तख़फ़ीफ़ की जाय क़ानून अौवल सन् १८२४ ई० में ऐसी शर्तें मुन्दर्ज हैं जिन्की रू से मालिकों पर ज़मीन का सरकार के क़बज़ः में छोड़ देना बमजबूरी लाज़िम होता है तितिम्मः नम्बर २३ में दस्तूरुलअमल है जिस में हुक्काम सदरबोर्ड ने इन मुक़द्दमात के तरीक़ः रपटें की हिदायत की और नहर गंग की ज़मीन के मुआवज़ः के अहकाम गवरनमेन्ट तितिम्मः मज़कूर में मरकूम हैं इन अहकाम से इसतरह के और मुक़द्दमात की कार्रवाई का आम क़ायदः निकलैगा ज़र ऐवज़ की तादाद जिसका हिसाब सदरबोर्ड के सरकलर में मज़कूर है उसको साहब कलक्टर की अौवल तजवीज़ समझना चाहिये जो बमूजिब क़ानून मज़कूर मालिकों के देने को तैयार हैं मालिक अलबत्तः ज़ी अख़्तियार है कि उसपर उज़ राज़ करे मगर वाक़ेआ में अक्सर उसकी बाबत कम किया जाता है॥

दफ़ः २१६ साहब कलक्टर को यह ख़्याल नहो कि जब ज़र ऐवज़ मुक़र्रर हुआ और उसको रू से सरकारी जमा में तरमीम हुई तब उ नका काम ख़त्म होगया जब ज़मीन मक़बूज़ः सरकार मज़ारआन गैर मालि क की है तब ज़रूर है कि उनकी हक़ तलफ़ी न हो और उसके बदले या दूसरी ज़मीन उनको मिले या बऐवज़ नुकसान के किसी और तरह कुछ मुआवज़ः किया जाय अगर ज़मीन मज़कूर किसी शरीक की सीर से हो वे दख़ल होने से शायद मालिक का हाल और शरीकों की निसबत बदल जायगा और इस सबब से मुक़द्दमात पेश आवेंगे जिनका तसफ़ीयः फ़ौरन ज़रूर होगा वरन गुज़ाश्त में फ़ूट और ख़राबी पड़ैगी ऐसे हालात में बहुत शक्लें पैदा हो सकती हैं तफ़सील उनकी मुमकिन नहीं यही काफ़ी है कि इस अफ़सर अलहुम की ज़रूरत की तरफ़ मुतवज्जः कर दिया गया और इन अहकाम के इशकाल पञ्चायत या मुनहसर अल्लेहुम से बखूबी रफ़ा हो सकते हैं बहुत ज़रूर है कि मुक़द्दमः के इस दरजः में साहब कलक्टर ख़ुद बज़ात ख़ास मुतवज्जः होकर बतकाज़ाय मुनासिब हालात फ़ैसलः करें क्योंकि

कि जब सरकार इस तरह से फ़ायदः आम के वास्ते मिल्कीयत पर दस्तअन्दा ज़ः होती है तो बड़ी अहतियात चाहिये कि बिला ज़रूरत मालिकों पर नुक़सा न और नअद्दी न हो ॥ *

दफ़ः २१७ खास तख़फ़ीफ़ बसबब संगीनी जमा के — जिन हाला त में यह अमर ज़रूर होता है वह क़ब्ल इस केहसब्लालेकी दफ़ः ४२ में म ज़कूर हुये जिस नक़शः से उनकी रपूट चाहिये तितिम्मः नम्बर ३ में मुन्द जे है ॥ *

दफ़ः २१८ चहारुम ज़मीन अराज़ सरकार में से कुछ ज़ब्त होनी — जंगल का जो क़तअ किसी को दिया गया और लेनेवाला अक़रार नामः की शरायत पूरी करने से क़ासिर हुआ और पांचवें और दसवें साल की पै मायश में कुछ ज़मीन ज़ब्ती के लायक़ ठहरी उस वक़ बाक़ी उसके पास रहेगी और जमा उसकी इस हिसाबसे ठहरैगी कि फ़र्ज़ किया जावे कि ज़ मीन मज़रूआ साल बसाल बहिस्सः मसावी तरद्दुद हुई और इस तरह से लायक़ जमा के बशरह † † मुशरेह दफ़ः ५ तितिम्मः नम्बर २१ † † रसदी हो गई है ॥ *

दफ़ः २१९ पन्जुम डिगरी अदालत के बमूजिब ज़मीन एक मौ ज़ा से दूसरे मौज़ा में शामिल होनी — बन्दोबस्त के वक़ जमीय मवाज़ अ की हदूद मुक़र्रर हुईं और उसके मुताबिक़ जमा मुसख़्ख़स की गई मगर जायज़ था कि साहब मुहतमिम बन्दोबस्त के फ़ैसलों का मुराफ़ अ महकमात दीवानी में किया जाय और इस सूरत में मुमकिन है कि हदूद का इन्तज़ाम इस तरह से अनजाम पावे कि जिस हदूद बन्दी पर जमा मुस ख़्ख़स की गई उसके ख़िलाफ़ हो ऐसी डिगरी के मुक़द्दमात में ज़मीन के साथ उसकी जमा भी मुन्तक़िल होनी चाहिये और दोनो गांव की ज मा में तरमीम की जाय और यह तजवीज़ कि जमीन मुन्तक़लः की कि तनी जमा चाहिये अहलकारान माल करेंगे इस लिये कि जमा की तश ख़ीस अदालत दीवानी के अख़्तियार से बाहर है मगर दरसूरते कि ज़ मीन की दख़लयाबी का दअ़वा इस तरह हो कि फ़लां आराज़ी बन्दोबस्त के वक़ हमारे गांव में नापी गई और उसकी जमा भी मुसख़्ख़स हो गई। तो अलबत्तः अगर डिगरी मुद्दई के हक़ में हो जमा की इसलाह ज़रूर न होगी ऐसी डिगरी के इजरा से कुछ अजब नहीं कि सरकार को नुकसान हो क्योंकि मुमकिन है कि अगर इस तरह का फ़ैसलः ग़लती या साज़िश

सौंद दे चुके उसके बाद मिसिल्ल की मुहाफ़िज़त बिल्कुल उसी के ज़िम्मः है हर सूरत कि वह तदबीरात जिनके वास्ते सदर बोर्ड ने हुक्म (तितिम्मः नम्बर १५ से मुराद है) जारी किया है और जिनका ज़िक्र दफ़ः १३० में है क़रार वाक़ई अमल में आई हों ॥ *

दफ़ः १५० अलग़रज़ इस अमर के इतमीनान को कि दफ़तर का इन्तज़ाम ऐसा होगया जिस से कार रवाई बख़ूबी हो सके इतनी बातें ज़रूर हैं पहिले मिसलों का ऐसा इन्तज़ाम कि तलब के वक्त जल्द निकल आवें दूसरे महकमः के क़वायद में जो मीआद मुकर्रर है उसकी पिछली तारीख़ तक मिसलों का अपनी जगः पर रक्खा जाना और फ़िहरिस्तों में दाख़िल होना तीसरे यहकि हर एक मौज़ा के वास्ते अलाहदः फ़िहरिस्तें बख़ूबी मुरत्तब हुई चौथे ख़ुद मिसलों का अच्छी तरह मुरत्तब होना और हर वरक़ पर हस्ब दस्तूर नम्बर शुमार और फ़िहरिस्त में काग़ज़ात की तफ़सील होनी और तकमील के बाद फ़िहरिस्त का बन्द होना फ़िहरिस्त की तकमील सरिश्तःदार के अहतिमाम से चाहिये इस से पहिले कि मिसिल्ल मुहाफ़िज़दफ़तर को सिपुर्द हो और मुहाफ़िज़दफ़तर जबतक मिसिल्ल इस तरह से मुकम्मिल नहो लेने से इन्कार करे ॥ *

दफ़ः १५१ जिन रजस्टरों का क़ानून ४ सन १८०३ ई० की रु से साहब कलक्टर को मुरत्तब करना लाज़िम है दफ़तर के काग़ज़ात में ज़रूरी और लिहाज़ तलब हैं यहां तक कि ख़ास तज़्करः उनका ज़ैल में किया जाता है ॥ *

दफ़ः १५२ इस बात में याद रहे कि जब क़ानून मज़कूर जारी कियागया उस वक्त मुमालिक मग़रबी में माल्गुज़ारी का इन्तज़ाम हालके इन्तज़ाम से बाज़ अमर में फ़र्क़ रखता था उन दिनों इस मुल्क में जो बन्दोबस्त कियेगये बंगालेके बंदोबस्तसमुशाबःथेचुनाचउन्मेंदहातकीमिक़दारज़मीनऔर हैसीयत और अहल बन्दोबस्त के हक़ूक़ की कैफ़ीयत के बाब में बख़ूबी तहक़ीक़ात और तफ़तीश नहीं की गई मगर उसके बाद क़ानून हफ़तुम सन १८२२ ई० और नहुम सन १८३३ ई० की शरायत के मुताबिक़ जितने अमर ज़मीन की मिलकीयत से इलाक़ः रखते हैं मुहक़्क़क़ और मुनक़्क़ हो गये और जिस क़दर तहक़ीक़ात से कि मुतसव्वर था तमामः अमूर की फ़र्दें मुकम्मिल बनाई गई हैं इस सबब से अब मिलकियत की रजस्टरी का ऐसा तरीक़ः अमल में लाना मुमकिन है जो अगले

तरीक़: से बेहतर और कामिल हो और इस से यह भी निकलता है कि क़ानून ४२ सन् १९०३ ई० के बाज़ अल्फ़ाज़ हाल के इन्तज़ाम से रब्त नहीं मिलते क़ानून मज़कूर ऐसा आईन नहीं जो हक़ूक़ में मुअस्सिर हो बल्कि दस्तूरुल अमल की तरह है जिस में बाज़ क़वायद पर कारबन्द होने का हुक्म दिया गया है इसवास्ते न उसके मानी लग़वी की तरफ़ बल्कि उसके मुद्दआ और मुराद पर तवज्जः की जाय ॥ *

दफ़ा: १५३ इस अमर की तफ़तीश करने में देहात लाख़िराजी व मआफ़ी के रजिस्टरी पे लेहाज़ करना कुछ ज़रूर नहीं सब मुक़द्दमात मआफ़ी की तहक़ीक़ात और इनफ़िसाल अब ख़त्म हो गया जिस मुआफ़ी की वजूहात कामिल न निकलें ज़ब्त होकर उसपर जमा बांधी गई और तौज़ीअ में दाख़िल की गई और जिसकी वजूहात कामिल पाई गई वागुज़ाश्त हुई माफ़ीदारान हाल की हयात तक या दवाम के वास्ते और हीन हयात की मआफ़ी को जैसे ज़ब्त होती जाती है तौज़ीअ में दाख़िल करने के वास्ते अहकाम मुनासिब जारी हुये इसवास्ते क़ानून ३१ और ३६ सन् १९०३ ई० की दफ़ात अख़ीर में जो हुक्म है कि आराज़ी मआफ़ी के रजिस्टर एक मीयाद मुऐयन के बाद बनाया करें अब उस की ज़रूरत न रही जितने क़तआत दस बीघा से ऊपर हैं उनकी एक ही फ़िहरिस्त बनानी चाहिये कि दफ़्तर में इस्तनाद के वास्ते मौजूद रहे इसनाद मआफ़ी की जो दफ़ीलकारों को दी जाती है उन का और फ़िहरिस्त मज़कूर का अमद: मतलब यह है कि मआफ़ी का हक़ साबित और मुसतहकिम हो और मालिकान ज़मीन आयन्द: को तहक़ीक़ात की अज़ीयत और तकलीफ़ से महफ़ूज़ रहें नक़्श: रजिस्टरी का और वह ख़त व किताबत जिस के ज़रिय: से नक़्श: मज़कूर मुक़र्रर हुआ सिलसिल: नम्बर १९ में मुन्दर्ज है जिसके मुलाहज: से यह अमर बख़ूबी ज़ेहन नशीन होगा अगर कभी आराज़ी लाख़िराज़ी की बाबत रजिस्टर इन्तक़ाल मिल्कियत और वरासत वग़ैर: का जैसा ख़ुलास: में है दरकार होगा यही फ़िहरिस्त उस रजिस्टर की बुनियाद होगी ॥ *

दफ़ा: १५४ ज़मीन मालगुज़ारी के वास्ते निहायत ज़रूर है कि रजिस्टर का एक तरीक़: मुमकिन तजवीज़ किया जाय और सहत तमाम से मुरत्तब रहे क्योंकि सरकारी मालगुज़ारी और मालिकों के हक़ूक़ की हिफ़ाज़त उसी पर मुनहसर है ॥ *

दफ़ेः १५५ क़ानून ४२ सन् १८०३ ई० में दो तरह के रजस्टर बनाने का हुक्म है पहिला जिसका ज़िक्र दफ़ेः २ से दफ़ेः २९ तक है मालगुज़ारी रजस्टर के नाम से मशहूर दूसरा जिसका ज़िक्र दफ़ेः ३० से दफ़ेः ३९ तक है क़ानून में बलफ़्ज़ परगनः रजस्टर ताबीर किया गया है परगनः रजस्टर मालगुज़ारी रजस्टर के बाद मुक़र्रर हुआ चुनांचि मालगुज़ारी रजस्टर मुमालिक बंगाला और बनारस के वास्ते अज़रूय क़ानून ४८ सन् १७९३ ई० और ११ सन् १७९५ ई० के और परगनः रजस्टर क़ानून हशतुम सन् १८०० ई० की रू से जारी हुआ मगर क़वानीन सन् १८०३ ई० में मुमालिक मफ़तूहः और मुफ़ौवज़ः के वास्ते दोनो रजस्टर का हुक्म एक है क़ानून में है ॥

दफ़ेः १५६ क़ानून में यह हुक्म है कि मालगुज़ारी रजस्टरों की तरतीब बिल्कुल मालिकों के मुहालात की रू से की जाय ज़िला की क़िस्मतों याने परगनात और पट्टजात और तरफ़ों पर कुछ लेहाज़ नहो लेकिन परगनः रजस्टर की तरतीब के वास्ते यह हिदायत है कि अव्वल परगनात और पट्टजात और तरफ़ों परफ़ों पर लहाज़ कियाजाय और मुहालात ख़्वाह इजमाय मुहालात जिस क़िस्मि में वाक़ अ हों ज़ेल में उनकी तसरीह की जाय ज़ाहिर है कि यह तरीक़ः उस बन्दोबस्त के वास्ते तजवीज़ हुआ जिस में अकसर ऐसे मुहालात पर जमा मुक़र्रर हुई कि उसमें बहुत मौज़ा एक ही परगनः या कई परगनः के मुतअल्लिक़ थे और जमा की तफ़सील मौज़ावार न की गई अलावः इसके वह तरीक़ः उस ज़मानेः का था कि अज़ला की पैमायश मुकम्मिल न हुई थी और इस सबब से मौज़ा और परगनात की हदूद बख़ूबी मालूम न थी ॥

दफ़ेः १५७ मगर हाल के इन्तज़ाम में इन दोनो अमर की बाबत साबिक़ से कमाल अख़्तिलाफ़ है क्योंकि सबब मवाज़ा की पैमायश और परगनात में हलक़ः बन्दी हो गई अकसर बन्दोबस्त के वक़्त हर एक मौज़ा या जुज़ मौज़ा ॥ मौज़ा और मुहाल की तारीफ़ के वास्ते हिदायत नामः बन्दोबस्त की दफ़ः ५ और उसपर लेहाज़ करना चाहिये ॥ के वास्ते अलाहिदः दरख़्वास्त और इक़रारनामः लिया गया मगर बाज़ औक़ात कई मौज़ा ख़्वाह इजमाय मौज़ा के एक ही मुहाल ॥ यहां मुहाल के लफ़्ज़ से वही मुराद है जो क़ानून २२ सन् १८०३ ई० की दूसरी दफ़ः में मुन्दर्ज है ॥ क़रारदिये गये और सब के वास्ते एक ही दरख़्वास्त और इक़रार नामः लिया गया लेकिन उस सूरत में भी अकसर मौज़ा की जमा अलाहिदः मुक़र्रर होकर दरख़्वास्त या बन्दोबस्त की कैफ़ियत में

व तफ़सील मुन्दर्ज हुई जिन मुक़द्दमात में यह तरीक़ः अमल पज़ीर न हुआ वह ऐसे शाज़ व नादिर हैं कि उनके सबब से बन्दोबस्त के मौजावार हो ने का रंग नहीं बदला ॥ *

दफ़ः १५८ इस नज़र से ज़ाहर है कि रजस्टरी के असूल उस वक़्त ब ख़ूबी अमल में आवेंगे जब मालगुज़ारी रजस्टर में मुहालात इस तरतीब से मुन्दर्ज किये जायें कि एक एक मालिक या मालिकों के मुहाल्लात यकजा हों और परगनः रजस्टर में मवाज़ा परगनात की हलक़ः बन्दी की रू से लिख जायें और मुहाल की तक़सीम पर कुछ लेहाज़ न हो अलग़रज़ कचहरी की ज़बान में मालगुज़ारी रजस्टर मुहालवार बनेगा याने देहात की तरतीब मालिक ख़्वाह मालिकों के गरोह की रू से होगी और परगनः रजस्टर मौज़ा वार बनेगा याने ज़मीन मवाज़ा की हद्द के मुताबिक़ मुन्दर्ज होगी ॥ *

दफ़ः १५९ क़ानून में हर पांचवें साल रजस्टर जदीद और मुकम्मिल बनाने का हुक्म है और मीयाद मज़कूर के अन्दर तग़ैयुर व तबद्दुल के रजस्टरों का मुरत्तब करना चाहिये था जिनके मुरातिब से रजस्टर पन्ज सालः तैयार होता और यह भी हुक्म था कि मालगुज़ारी रजस्टर पन्ज सालः और दरमियानी दोनों अंगरेज़ी और फ़ारसी में लिखे जायें मगर परगनः रजस्टर सिर्फ़ फ़ारसी हो लेकिन इन बातों की तामील में बड़ी ग़फ़लत हुई क्योंकि रजस्टर पन्ज सालः सब अज़ला में न बनाये गये और अगर किसी ज़िला में एक दफ़ः बनाये भी गये तो फ़िर सर नौ से रजस्टर जदीद कमतर मुरत्तब हुये शकल मतलूबः के रजस्टर शाज़ व नादिर मिलते हैं हां उनकी तरतीब के वास्ते सब बातें मौजूद हैं और जो अमदः फ़ायदः क़ानून के इजरा से मतलूब हैं वाक़अ में अक्सर हासिल हो चुके और क़ानून का असिल मनशा य यह है कि हमेशः एक मीआद मुऐनः के बाद सही रजस्टर तैयार हुआ करे और माबैन मीआद के जो तग़ैयुर वाक़अ हो उसका भी एक सही रजस्टर बना करे फिर मीआद की तऐयुन और दरमियानी रजस्टर के नक़शः की तजवीज़ करने पर चन्दां लिहाज़ की ज़रूरत नहीं ॥ *

दफ़ः १६० और हक़ीक़त हाल यह है कि थोड़ी और ख़फ़ीफ़ बातों के तबदील करने से न सिर्फ़ क़ानून की मुराद हासिल होगी बल्कि बड़े और ख़ास फ़ायदे होंगे जिनसे रजस्टरों की तैयारी में आसानी होगी और उनके ख़र्च की बचत भी निकलेगी ॥ *

दफ़ः १६१ मालगुज़ारी रजस्टर का मतलब यह है कि जो लोग ज़र

पर मबनी हो तो इस सबब दोनों मौज़ा से एक मौज़ा में आराज़ी जमा की गुन। जायश न रहेगी चूंकि ऐसे मुक़द्दमात में सरकार का मतलब है इसवास्ते उस की वजूहात की भी समाअ़त करनी चाहिये और जमीन मुतनाज़िआ की जमा लेने का हक़ जो सरकार को है उसमें कुछ नुक़सान आयद नहीं हो सकता जब तक मुक़द्दमः में सरकार खुद फरीक़ैन से क़ायम की जाय

दफ़ः २२० वाज़ह रहे कि क़िस्मि अख़ीर के सिवाय सब मक़द्दमात मज़कूरः में जमा की तबदील के वास्ते गवरन्मेन्ट की मनज़ूरी ज़रूर है क़िस्मि अख़ीर में हुक्काम सदर बोर्ड तरमीम जमा मञ्जूर कर सकते हैं इस लिये कि बमूजिब डिगरी अदालत दीवानी के अमल में आती और बटवारः से ज़ियादः मिलती है क्योंकि उसमें तबदील जमा नहीं सिर्फ़ नये सिर से तक़सीम की जाती है ॥

दफ़ः २२१ मरातिब मज़कूरः दफ़आत १९५ से २०१ तक माल गुज़ारी रजस्टरी में इन मालिकों के दाख़िल ख़ारिज से मुतअल्लिक़ हैं जो ख़ुद बिला वास्तः ज़र मालगुज़ारी दाख़िल करते हैं मगर उनके सिवाय बहुत मालिक अपने क़ायम मुक़ाम याने नम्बरदार की मारफ़त मालगुज़ारी देते हैं और निहायत ज़रूर है कि उनकी मिल्कीयत में जो तगारात होती है उनके इज़हार के वास्ते कुछ इन्तज़ाम हो पटवारी के काग़ज़ात में जो दफ़ः १५० हुये इस अमर का बन्दोबस्त हुआ इस बाब में। दस्तूरुलअमल मुजरीयः हुक्काम सदर बोर्ड ऐसा क़ायम और उम्दः है कि हुक्काम मज़कूर के सरक्युलर मतबूअः नम्बर ३ से अहकाम मुसर्रहः जैल बिला कम व कास्त इन्तख़ाब किये जाते हैं चुनांचि दफ़आत २२२ से २२३ तक अबारत सरक्युलर मज़कूर की है ॥

दफ़ः २२२ सरक्युलर मज़कूर की दफ़ः २२० — जिन इज़्लाअ में बन्दोबस्त हो गया हुक्म होवे कि हर मुहाल का पटवारी खेवट याने वाजिबुलअर्ज़ की एक सहीह नक़ल ले उस से हर एक शरीक का नाम और तादाद जमीन मक़बूज़ः उसकी जहां क़बज़ः अलाहदः अलाहदः है या वह हिस्सः जो बन्दोबस्त के वक़्त था और जमा जिसका ज़िम्मःदार है ज़ाहिर होगी ॥

दफ़ः २२३ दफ़ः २२१ — जिन देहात में शरीकों ने बन्दोबस्त के वक़्त गांव की मिल्कीयत शामिलात लिखवाई है वहां अलाहदः इसवाजिबुलअर्ज़ में उनका क़बज़ः और ज़िम्मःदारी बिलफ़ेल मुन्दर्ज होगी

दफ़ः २२४ दफ़ः २२२—हर साल पहिली अकतूबर तक नकशा ११ याने नक़शा इन्तक़ाली तितिम्मः नम्बर १७ नक़शः सातवां इस नक़शः में सिर्फ़ वही लोग मुन्दर्जे होंगे जो मिल्कीय में क़बज़ः कामिल रक्खे हैं औ काश्तकारमिल्कीयत के हक़ का दावीदार मगर उस से वे दखल हैं वह सिर्फ़ जमाबन्दी में मुनदर्जे होगा और जो लोग गांवकी बाछ के मवाफ़िक़ लगान तो देते हैं मगर काश्तकार गैर मालिक हैं वह भी सिर्फ़ जमाबंदी में मुन्दर्जे होंगे ११ तितिम्मः के मवाफ़िक़ पटवारी एक नया कग़ज़ तीन प्रति बनावे एक नक़ल अपने पास अपने दफ़तर में रक्खे और दो नक़लें तहसीलदारी में दाख़िल करे॥

दफ़ः २२५ दफ़ः २२३-पहिले छः खानों में मरातिब ज़ैल मुन्दर्ज़े होंगे मौज़ा का नम्बर और नाम और नम्बरदार और पट्टीदार का १ नाम और हर एक जमा जो बन्दोबस्त के पहिले साल की खेवट में १ मन्दर्जे थी छः खाने जो बाद उनके हैं उनमें जो मामिले साल के दरमियान एसे पेश आवें जिनसे कबज़ः की तबदील होतीहै उन के मरातिब मुन्दर्जे हों पिछले चार खानों में कबज़ः और जिम्मःदारी का हाल जसा१ साल के अखीर में है लिखा जायगा और आयन्दः साल के पिहिले चार खाने बिल्कुल उसके मिताबिक होंगे॥

दफ़ः २२६ दफ़ः २२४—मुलाहिज़ः से मालूम होगा कि नमूनः १ ११ नक़शः मुन्दर्जः तितिम्मः पर रुजूअ हो ११ में साल के अखीर पर सिर्फ एकही नम्बरदार का नाम मन्दर्जे है चुनांचि नवयेखानेः सबारवेंखाने तक के मरातिबसे ज़ाहर है कि सरन सिंह एक नम्बरदार भादों के महीने में मरगया और उसका बेटा बहादुर सिंघ उसके हिस्सः और जिम्मःदारी का वारिस हुआ१ मगर ओहदः नम्बरदारी का वारिस न हुआ नम्बरदारी का ओहदः गांव के रवाज के मवाफ़िक साहिब कलकटर के हुक्म से मुकर्रर हो और तकरुर के बाद साहब मौसूफ तहसीलदार को मुत्तला करें और तहसीलदार पटवारी को बुलाकर नये नम्बरदारका नाम खानेः मुअैयन में १ लिखवादे इस मुक़द्दमः में यह फ़र्ज किया जाता है कि यह बातें अखीर साल तक अमल में न आई थीं लिहाज़ा पटवारी के रजिस्टर तबदील नाम के खानेः १३ याने नम्बरदार के खानेः में एक नामसाल के अखीर में खाली होगा॥

दफ़ः २२७ दफ़ः २२५—इन काग़ज़ात की दो नक़लें जो१ तहसीलदार के पास दाखिल होती हैं तहसीलदार दोनों पर मुहर कर

के एक अपने दफ़तर में रक्खे और दूसरे कलक्टरी में भेजे कि वास्ते
खत साहब कलक्टर व डिपटी कलक्टर के गांव के काग़ज़ात के साथ
रहे ताकि इन्तज़ामुल ज़रूरत उस पर अमल किया जावे ॥

दफ़ेः २२८ दफ़ेः २२६ — जब मालिक के खानेः में या मिल्की
यत की तक़सीम में कुछ तबदीली वाक़े न हुई हो एक साल का का
ग़ज़ या यानें खेवट या नक़शः इन्तकाली या बिलकुल साल गुज़स्तः के काग़ज़ से
मुताबिक होगा मगर जो कोई हिस्सःदार फ़ौत हुआ या अपने हिस्सेः
का रहन या बैअ किया हो तो उस साल के काग़ज़ में वारिस या मुरत
हिन या मुश्तरी का नाम लिखा जायगा और पटवारी बतौर याददाश्त
के तबदील का सबब वरासत बैअ वग़ैरः मुन्दर्ज करेगा तहसीलदार
और क़ानूनगो के ज़िम्मः होगा कि कोई मामिला जिसमें हक़ मुन्तक़ि
लः की कैफ़ीयत बेनही वाजिबुल अर्ज़ के मुताबिक नहीं मुन्दर्ज
न होने पावे ॥

दफ़ेः २२९ दफ़ेः २२७ — बाज़ ज़िला में कभी ऐसा होता
है कि फ़रीक़ैन जो बैअ व रेहन वग़ैरः करना चाहते हैं साहब कल
क्टर के हुज़ूर में इत्तलाः दिही के वास्ते सवाल मुतज़म्मिन हाल मा
मलः पेश करते हैं और उनका मकसद यह होता है कि मामिलः को
एक गूनः याददाश्त दफ़तर में रहे ऐसे सब मुकद्दमात में सवाल तह
सीलदार के पास भेजा जाय और उसको अख़्तियार चाहिये कि
अगर मामिलः से फिलवाक़े कब्ज़ः और ज़िम्मःदारी में तगय्युर
हुई हो तो उस साल की खेवट में हाल मुन्दर्ज करावे ॥

दफ़ेः २३० दफ़ेः २२८ — एक सूरत यह भी है कि जब अदा
लत दीवानी से किसी इन्तमाली मौज़ा के हिस्सः को डिगरी हो या
किसी मौज़ा में जिसकी ज़मीन अलाहदः कब्ज़ः में है हुक्म खासः
जारी हो कि मुद्दई फ़लां फ़लां खेत पर कब्ज़ः पावे अगर इन अह्क
म के इजरा से लम्बरदारों की तबदील नहो तो तहसीलदार को हु
देना चाहिये कि आइन्दः साल की खेवट में हाल मजकूर मुन्दर्ज करे
है जो माल के महकमः से पट्टी वग़ैरः का इन्तकाल हो कर भी इसी
तरह लिखा जाय ॥

दफ़ेः २३१ दफ़ेः २२९ — पोशीदः न रहे कि इस हुक्म का म
सद यह है कि जो शुरकाय खुद नम्बरदार नहीं और इसवास्ते

का नाम माल्गुज़ारी रजस्टर में मुन्दर्जे नहीं उनके हक़ूक़ की भी फर्द ब॰ खूबी मुरत्तब रहे ॥

दफ़ः २३२ दफ़ः २३०— पटवारियों को हुक्म दिया जाय कि काग़ज़ात मज़कूरः हर साल १५ अकतबर तक तहसीलदारी में दाखि॰ ल किया करैं और तहसील्दार इसबातका जिम्मःदार होगा कि साह व कलक्टर को नक़ल पहिली नवम्बरतक रवाना हो जाय साहब॰ कलक्टर को भी हुक्म दिया ं ं याने साहब कमिश्नर हुक्म दें ं ं जायकिहर साल पहिली जनवरी को तुम्हारे सरिश्तः में खबर दें कि काग़ज़ात मज़कू र पहुंच गये और हर एक गांव के बस्तः के साथ रख दिये और तम हुक्काम सदर बोर्ड के हजूर में रपूर्ट किया करो कि पहिली फ़िब्रवरीत॰ क इन अहकाम की तामील हो गई है ॥

दफ़ः २३३ दफ़ः २३१— साफ ज़ाहर है कि अगर सब मरातिब मु हक्कक़ः बन्दोबस्त और उनके तग़ीरात का निशान मुरत्तब न रहै तो ब न्दोबस्त से जो मुल्क का उम्दः फायदः होता है महफूज़ न रहैगा इस॰ वास्ते हुक्काम सदर बोर्ड अहकाम मज़कूरः वाला को सब से आसानऔर मुनासिब और ज़रयः कामिल समझ कर इजरा करते और इतमीनान र खते है कि अगर हुक्काम मातहत उनकी तामीलोल में बखूबी तवज्जः और तनदिही करैगे तो इस अमरः काम के अन्जाम की उम्मेद अबस न होगी

दफ़ः २३४ ऊपर के बयान से जाहिर होगा कि माल्गुजारी रज॰ स्टर के खानजात किस तरीकः से मुरत्तब किये जायें और कबजः मि ल्कीयत के तग़ीरात क्योंकर मुन्दर्जे हों ॥

दफ़ः २३५ अब परगनः रजस्टर का ज़िक्र किया जाता है दफ़आ १५६ से १५८ तक मज़कूर हुआ कि परगनः रजस्टर व लिहाज मौज़ा देहात के बनैगा मवाज़ा का इन्तजाम उन फिहरिस्तों के मुताबिक़ हो जिनकी तरतीब के वास्ते हिदायत नामः बन्दोबस्त की दफ़आत १७ और ४५ मे अहकाम मुन्दर्जे हैं इन फिहरिस्तों में ज़िला की कुल्ल जमीन बिल्जरूर आ गई है जिस तरह से बन्दोबस्त के वक़्त मौज़ावा र ं ं बन्दोबस्त के हिदायतनामः की दफ़ः ५ में मौज़ा की तारीफ मुन्दर्जे है मौज़ाके पहिचानने के वास्ते यह हिदायत काम आवेगी कि नकशः आब याने जनरल इस्टेटीम न जो बन्दोबस्त के वक़्त तैयार हुआ जिस ज़मीन के वास्ते एक अलाहदः सतर है वह अ लाहदः मौज़ा भी है नकशः मज़कूरः हिदायतनामः बन्दोबस्त के तितिम्मः नम्बर १४

में मुन्दर्ज है ।।। तक़सीम हुई तितिम्मः नम्बर २४ में एक नक़्शः मुन्दर्ज है । जो गवरन्मेन्ट के हुक्म सन १८४४ ई० के साथ जारी हुआ अगर परगनः रजिस्टर इस नक़्शः से मुताबिक़ बने तो बहतर है और उस में यह भी फ़ायदः होगा कि जो कैफ़ीयत मरदुम शुमारी वग़ैरः मरातिब की इजराय सरकलर के ज़रये: से सनद दवामी के तौर पर हासिल हुई परगनः रजिस्टर उस से मुताबिक़ होगा इस रजिस्टर का सरनौ से पन्न साला मुरत्तब करना ज़रूर नहीं अगर मौज़ा की तक़सीम ख़्वाह उसको जमा या रक़बा तबदील की बाबत ख़बर मतलूब हो तो फ़िह्रिस्त ।।। जिसका बयान दफ़ः २३६ में है ।।। उस पर हवालः करने से जल्द निशान मिलेगा मगर मासिवाय इसके अगर एक तितिम्मः रजिस्टर भी मुरत्तब किया जाय और उस में हर एक तबदील की यादहाश्त जिस वक़्त वक़ूअ में आवे अंगरेज़ी ज़बान में लिखी जाय तो ज़्यादः आसानी होगी ऐसी हर एक यादहाश्त पर नम्बर देना चाहिये और परगनः रजिस्टर के ख़ानेः कैफ़ीयत में अगर मौज़ः के मुक़ाबिल भी यह नम्बर लिखा जाय तो तबदील का निशान रहैगा चुनांचि तितिम्मः के नक़्शः में बतौर नज़ीर इस तरह की बातें मुन्दर्ज हैं परगनः रजिस्टर के नक़्शः में और मरातिब के अलावः मरदुम शुमारी भी है क़ानून ९ सन १८०३ ई० की रू से गो मतलूब नहीं मगर गांव की क़दर दरयाफ़्त करने के वास्ते बहुत ज़रूर है ऐसे ।। याने मरदुम शुमारी वग़ैरः ।। अमूर के तहक़ीक़ करने में बड़ी दिक़्क़त पड़ती है और उनको सेहत अक्सर मुश्किलः होती है तो भी उसको कैफ़ीयत हत्तुलइमकान सेहत से लिखनी न लिखने से बेहतर है § ।। * इस बाब में किताब मज़फ़्फ़रनुस्सेल पर रुजूअ हो याने अहाते :: बंगाल के मगरबी और शिमाली इज़लाअ का अमल जो शिक्सपीयर साहब ने तालीफ़ की अकबराबाद में तरजुमः उसका सन १८४८ ई० में छापा गया ।। § *

दफ़ः २३६ अब दफ़्तर की तरतीब और तबदील मिलकीयत को रजिस्टरी का तरीक़ः बयान हो चुका और मालूम हुआ होगा कि यह तरीक़ः जुमलः मरातिब मतलूबः में ख़ूब मुकम्मिल है और उसको तामील के वास्ते सब तदबीरें जारी हैं और अगर फ़िलजुमलः अशखास और इन्तिज़ाम किया जाय तो उसकी तामील सेहत मायूल से मुमकिन है । अब अहलक़ारान इस बात का कुछ ज़्यादः तज़किरः किया जाता है जिस ने ख़ास ज़मीन मुमालिक मग़रबी और शिमाली की

ज़न मिल्कीयत पर लिहाज़ होता है ॥ *

दफ़ेः २३७ जो वसीक़े ज़मीन की मिल्कीयत में असर करते हैं उनको एहतियात से महफ़ूज़ रखने के फ़ायदेः सब मुल्कों में मशहूर हैं चुनांचि उनकी तसरीह यहां ज़रूर नहीं मासिवाय उनके इन इन दस्तावेज़ों के निगाह रखने से हिन्दोस्तान में सरकार का भी बड़ा मतलब है क्योंकि इस मुल्क में अक्सर आमदनी सरकार को ज़मीन के मुहासिल से हासिल होती है इसवास्ते जिस चीज़ से कि मिल्कीयत की क़दर बढ़ती है उस से सरकार की मालगुज़ारी हाल का इतमीनान और इस्तेक़बाल के लिये इज़ाफ़ा की उम्मेद क़वी होती है मगर अलावः इसके तरीक़ः मालगुज़ारी मुस्तामिलः मुमालिक मग़रबी और शिमाली की निसबत अमर मज़कूर ख़ासकरख़ास और लेहाज़ तलब है ॥ *

दफ़ेः २३८ हिन्दोस्तानी सरकारों में जमा का बन्दोबस्त सालियानः होता था और किसी क़ायदः मुऐन से जमा मुशख़्ख़स नहीं की जाती बल्कि फ़रीक़ैन याने तहसील करनेवाले और अदा करनेवाले की क़ूवत और हिकमत के मवाफ़िक़ कम व बेश होती थी ऐसी हालत में तहक़ीक़ात करनी कि ज़मीन का मालिक कौन है कुछ ज़रूर न थी उन दिनों अगर तसलीम भी किया जाता कि अस्लअस्ल ज़मींदार ज़मीन की मिल्कीयत रखते थे और बैअ व रेहनवग़ैरह हुआ करता ताहम उसकी क़दर ख़ुद सरकार के हाल पर या उस नवाह की रआया के रवैयः पर ज़यादः मुनहसर होती न ऐसे आईन मुक़र्ररी पर जिसके क़ायदः से मुराफ़ह किया जाय

दफ़ेः २३९ मगर सरकार अंगरेज़ ने मुतालबः कई बरस की मीआद के वास्ते बतादाद मुनासिब मौज़ावार मुक़र्रर किया और इस सबब से ज़मीन की क़दर बढ़ाई और उस क़दर को मुशख़्ख़स किया सरकारी जमा दे कर जो बचे वह मालिक का हक़ है ख़्वाह गांव के रक़बः के अन्दर ज़यादती तरद्दुद से हो या नई ज़िराअत की ख़ूबी या किसी और सबब से पस इस वास्ते कि तनाज़ा का इनसिदाद हो और हर शख़्स को अख़्तियार हो कि अपनी मिल्कीयत की तरक़्क़ी करे इस बात की तशख़ीस ज़रूर हुई कि कौन शख़्स मालिक है और उसकी मिल्कीयत की क्या क़िस्म और मिक़दार है और क्या क्या हालात उसमें वाक़े हो सकते हैं ॥ *

दफ़ेः २४० देहात मुशतरकः में यह अमर ज़यादः मतलब है क्योंकि उन में ज़िम्मेःदारी मुशतरकः की जिहत से सब शरकाय एक गि

रह में बंधे हैं किसी न किसी हालत में इस इस्लाक़ से शरीकों पट्टीदारों का क़ब्ज़ा होता है मगर जो मुल्क बगैरह से गुरेज़ करनी मन्ज़ूर हो तो नागुरेज़ है कि इस बात के ठहराने के वास्ते वसीले मौजूद हों कि बाक़ी के मुक़द्दमात में शुरू काय में कौन बाक़ीदार है और कहां तक उसको अपनी बाक़ी अदा करने के वास्ते ज़िम्मेदार है ॥

दफ़ः २४१ मुमालिक मग़रबी और शिमाली में सरकार अंगरेज़ की शुरूअ अमलदारी से कई बरस तक यह ख़याल जारी रहा कि रआया के हुक़ूक़ का इन्फ़िसाल मामूली अदालतों से मुमकिन है जहां हर मज़लूम दस्तन्दा- काब की रू से अपने मुक़द्दमे की तजवीज़ करा सकता है और इस तरह से हर सूरत की हक़तल्फ़ी का मालजः मौजूद है ख़्वाह वह महसूलकिरदा रान के ज़ुल्म से हुई हो या आईन मालगुज़ारी की कारवाई से मगर तजरबे से यह ख़याल बातिल निकला चुनांचि बीस बरस न गुज़रने पाये थे कि क़ानून अव्वल सन् १८२१ ई० के बमूजिब एक कमीशन मुक़र्रर हुई जिनको ख़ास अख़्तियार मिला था कि इस क़िस्म की जो बे इन्साफ़ियां हुई हों उनको रफ़ा करें और क़ानून हफ़्तुम सन् १८२२ ई० जारी हुआ कि दफ़तर की इसी तरतीब और तजवीज़ की ज़रूरी मुफ़स्सिलः बाला के तौर से आइन्दः की हक़तल्फ़ी का इन्सिदाद हो ॥

दफ़ः २४२ दीवानी अदालतों का अपने कार मुफ़ौवज़ः के इन्तज़ाम से क़ासिर रहना कुछ ताज्जुब नहीं अहल हिन्द को मिल्कियत ज़मीन के बाब में तफ़तीश करने की महारत न थी कि हर हर क़िस्म की तमीज़ करें और वह क़वायद निकालें जो हुक़ूक़ मज़कूरः से इलाक़ः रखते हों हाल में भी अगर ग़ौर किया जाय तो मालूम होगा कि अहल हिन्द गो अहल इल्म और कार सरकार में लियाक़त शुमार भी हों मगर इस बाब ख़ास में अगर तरबीयत न किये गये हों तो बहुत नावाक़िफ़ हैं मगर उन दिनों में उनकी इस्तेदाद इस से भी कम थी लिहाज़ा देहात की हालत में सरकार अंगरेज़ के तरीक़ों और देहात के रवाज क़दीम के बाहम मिलने से जो तग़ीरात वाक़ा हुये उनके इदराक से क़ासिर रहे फिर उहदःदारान अंगरेज़ ने अपने क़वायद को तो समझ लिया मगर इस मुल्क के क़दीम तरीक़ः मिल्कियत और रवाज की तहक़ीक़ात करने की फ़ुरसत और क़ाबू न पाया इस सबब से अहल हिन्द और अहलकारान अंगरेज़ी में यह अमर ख़ास जो इस अमर के मुतअल्लिक़ है कैसे वाक़िफ़ और माहिर हैं

कि उसको निस्बत तफ़तीश माक़ूल कर सकें मौजूद नथे अलावः इसके सर॰
कारी आईन में भी कुछ ख़बर इस अमर की मुन्दर्जे न थी लिहाजा अजब
न नहीं कि बहुत अहदःदार जिनपर ऐसे मामिलात का फ़ैसलः फ़िल्फ़ौ
र लाज़िम था इस वक़्त में मुन्तख़िब हो गये हों इस हाल से बे इन्साफ़ी॰
और ज़ी (?) मने पेश आया कि कारसाज़ लोग औरों के हक़ पर क़ाबिज़ हो
ने लगे और जिन पर ज़ईफ़ों के हक़ूक़ की हिफ़ाज़त वाजिब थी उन्हों ने
इस तरह की ग़ल्तियों को ऐसी बरहमी में बहुत मुक़द्दमात बढ़ गये॰
और उनके इन्फ़साल में ताक़ियात भी बहुत हो गईं अन्जाम उसका यह
हुआ कि दीवानी मक़्क़मात इस बरहमी और कसरत कार से आरी हो ग
ये और क़बाहत के इन्सदाद के वास्ते ज़रूर हुआ कि तदबीरात चुस्त॰
जारी हों अलहासिल दीवानी की नेकनामी और मालगुज़ारी के इतमीना
न के वास्ते ज़रूर पड़ा कि इस तरीक़ः के अरिक़लाफ़ रफ़ा करने और॰
इश्तिबाह अर बरहमी की जगः इन्तज़ाम और तरक़्क़ी जारी करने के॰
वास्ते कमायनबग़ी पैरवी की जाय इससे कागज़ात का वह तरीक़ः निक
ला जो क़ानून हफ़तुम सन् १८२२ ई॰ की रूसे शुरूअ हुआ ॥ *

दफ़ः २४३ बाज़े अब तक इस तरीक़ः रजिस्टरी की अज़मत और
दिक़्क़त के लिहाज़ से उसके अन्जाम से मायूस हैं देखते हैं कि तमाम मु
ल्क छोटे छोटे हिस्सों पर मुनक़सिम है जिनके तरीक़ः मिल्कियत के॰
ख़ास और ज़ाहिर हैं और एक दूसरे से बहुत मुख़्तलिफ़ फिर रआया की॰
जिहालत आम से वाक़िफ़ हैं और रआया में जो ज़ियादः कारसाज़ और
ख़राब लोग हैं हमेशः उनके पेश नज़र रहते हैं इन बातों से यह नतीजः
निकालते हैं कि इस हाल में मिल्कियत ज़मीन की सहीह रजिस्टर बना
ने में कोशिश करनी अबस होगी बल्कि समझते हैं कि इस इरादः से बा
ज़ रहना बहतर है ऐसा नहो कि ग़लत रजिस्टर बनाने से क़बाहतें बढ़॰
आयें ॥ *

दफ़ः २४४ इन अश्कालात का हक़ीर जान्ना इस रिसालः का म
क़सद नहीं है हां बहुत ज़रूर है कि जुमलः अहदःदारान सरकार उनके॰
वजूद से वाक़िफ़ होकर इनसिदाद पर मुस्तैद हों तरीक़ः मज़कूरः वाला पर
सरकार ने क़दम मारा है अब उस से बाज़ आना ग़ैर मुमकिन लिहाज़ा॰
और भी ज़ियादः ज़रूर है कि ख़बरदारी से तफ़तीश की जाय कि किस वि
स सबब से उसकी तामील मसदूद रही सरकार ने दानिशमन्दी की राह से॰

ज़ाहिर किया है कि यह मक़सूद नहीं कि आईन के इजरा से मिल्कीयत के
इन्तज़ाम में तग़य्युरात अज़ीम वाक़ेअ हों बल्कि यह अच्छी तजवीज़ की
है कि हुक़ूक़ मौजूद: की तहक़ीक़ और तशख़ीस की जाय और तरीक़ इन
साफ़ और क़वानीन की मदद से यही हुक़ूक़ क़ायम और बहाल कि
ये जायें इस मक़सद के अन्जाम के वास्ते क़वानीन में दस्तूरुलअमल
मुन्दर्जे हैं और उसकी तामील में बहुत कुछ काम ख़त्म हो गया है अ
ब सिर्फ़ यही बाक़ी रहा कि हर ओहद:दार तनदिही से तफ़तीश करे कि
इस अम्द: मतलब के अन्जाम में क्या क्या मरातिब अमल में आ ये
और उसकी तरक़्क़ी के वास्ते मुझसे क्या मदद हो सकती है॥

दफ़: २४५ ऐसा ख़याल करना कि तमाम मरातिब ज़रूरी अम
ल में आ चुके अल्बत्त: अबस और बातिल होगा क्योंकि असली
काग़ज़ात जो बन्दोबस्त के वक़्त बनाये गये बारहा ग़लत और नाक़िस
निकले और ग़लत निकलने का कुछ तअज्जुब नहीं किस वास्ते कि
बन्दोबस्त के वक़्त उसका तरीक़: अजनबी था और ख़ूब मुकम्मिल भी
नहीं और उसके अन्जाम के वास्ते जो लोग तजवीज़ हुये उनको हमे
श: महारत और लियाक़त कमायनबग़ी न थी और बमजबूरी काम इस
उजलत से ख़त्म करना पड़ा कि सिहत कुल्ली ग़ैर मुमकिन थी अ
लाव: इस के रिआया जेहल और नावाक़फ़ीयत के सबब बन्दोबस्त के
मरातिब का मक़सद और कैफ़ीयत और यह बात कि उन के हाल में
क्या असर करेगा न समझ सके और चूंकि मरातिब मज़कूर: तश
ख़ीस जमा के साथ होते हुये थे इस वास्ते उनकी निस्बत शुबह: पैदा
हुआ इस सूरत में मुक़ाम तअज्जुब यह है कि बन्दोबस्त के वक़्त इतना
ब तरीक़ अहसन अन्जाम हो गया कारगुज़ारी की इस तरक़्क़ी से बहुत
मुनासिब और माक़ूल है कि आइन्द: को उम्मेद और हिम्मत पैदा हो न य
ह कि बाक़ी मांद: काम की अज़मत देख कर ना उम्मेद हो जायें॥

दफ़: २४६ अब फ़र्ज़ किया जाय कि एक हाकिम साहब कमिश्
नर किसी ज़िला के बहद तिमास के वास्ते मुक़र्रर हों जहां कई साल तक
सूरत उनके क़याम की है और साहब मौसूफ़ रजिस्टरी के तरीक़: से वा
क़िफ़ और यक़ीन जानते हैं कि अन्जाम उसका मुनासिब है और उ
स से अम्द: फ़वायद निकलेंगे मगर मुक़द्दमात मामूली में बन्दो
बस्त के काग़ज़ात पर रुजूअ करने का इत्तफ़ाक़ हुआ और हरचन्द

किया कि काग़ज़ात मज़कूरः ग़लत और नाक़िस हैं और इस से यह न तीजः निकला कि ऐसी बुनयाद पर जो रजस्टर बनाये गये वह भी ना क़िस होंगे इस वास्ते अब मैं चुस्ती और तनदिही के साथ ग़लतियों की इसलाह पर कमर बांधी इस रिसाले की यह मुराद है कि ऐसे मामिलेः में साहब मौसूफ़ को हिदायत और मदद करे और यह सा बित करे कि किसी वक़्त सर नौ से शुरूअ कर के वह सेहत हासिल करनी जो बन्दोबस्त के वक़्त मलहूज़ थी मुशकिल नहीं॥ *

दफ़ेः २४७ इस काम के अनजाम के वास्ते जो अख़्तियार दर कार है हाकिम मसरूह गवरन्मेन्ट के हुक्म मवर्रिख़ः १२ सितम्बर सन् १८४८ ई॰ पर हवालः करने से दरयाफ़्त करेगा कि उसके ज़रयः से यह अख़्तियार उनको हासिल हो गया चुनांचि हुक्म मज़कूर तितिम्मः नम्बर २५ में मुन्दर्ज है और उसमें वह हदूद मुन्दर्ज हैं जिन के अन्दर अख़्तियार मज़कूर का बरतना चाहिये और जो अहतियातें कि असना य तहक़ीक़ात में मलहूज़ रखनी होंगी और ताकि साहब मौसूफ़ को इस काम के अनजाम में हुक्काम आला से तक़वीयत कुल्ली हासिल हो जाहर करना इसबात का उन को ज़रूर होगा कि मैं काम की माहिय त और मिक़दार और अनसराम के तरीक़ेः से बख़ूबी वाक़िफ़ हों॥ *

दफ़ेः २४८ ऐसे हाकिम की पहिली कोशिश यह हो कि काग़ ज़ात और रजस्टरी के तरीक़ेः मजरीयः गवरन्मेन्ट की तालीम अमलः सदर और परगनः और देहात के ओहदःदारों को करें तरीक़ः मुशर्रहः बा ला की ख़सूसियात में रआया की तालीम के वास्ते इन दिनों बड़ी सहू लत होगई चुनांचि उन्हीं की ज़बान में बाज़ रिसालेः जारी हुये और मुब तदीयों के वास्ते किताबों का एक सिलसिलः उरदू और हिन्दी में छापा गया जिसका मक़सद यही है कि रुपतदी पटवारी के काग़ज़ात बख़ूबी समझ ले और हक़ीक़त यह है कि मालगुज़ारी का तरीक़ः दरसूरते कि कमायनबग़ी समझ में और कमाहक़्क़ू बरतने में आवे रआया की ता लीम आम की तरफ़ सब वसीलों से ज़ियादः उभाड़ेगा और भी ज़ाहर है कि हक़ूक़ की रजस्टरी सहीह और मुकम्मिल मुरत्तब होने की कुछ उम्मेद न होगी जब तक रआया को इतनी तरबीयत न हो कि यह तरी क़ः समझ ले और उसकी तामील पर निगःबान रहे मगर फ़िलहा ल गो इतने वसीले दरयाफ़्त करने के मौजूद हैं ताहम जाय अन्देशः है

कि वार एक अरसेः के इतना भी इत्मीनान हो कि अहदःदारान आला जैसे सरिश्तःदार तहसीलदार क़ानूनगो इस तरीक़ः से इतनेमाहिर होंगे कि उनको इस्तताअत इस तजवीज़ की हासिल हो कि फ़लां गांव का काग़ज़ सहीह मुरत्तब हुआ और जहां नाक़िस या ग़लत हो उसको तरमीम कर सकें ॥ *

दफ़ेः २४९ जब साहब कलक्टर मुतमैयन होगये कि जिन अशखास की मारफ़त यह काम अन्जाम होगा आगाही काफ़ी रखते हैं तो उनके वसीलेः से दरयाफ़ करेंगे कि काग़ज़ात मज़कूरः कहां तक नाक़िस हैं फिर जिन गांवों की मिसिल की इसलाह ख्वाह तरतीब जदीद अयादः ज़रूर मालूम हो उनकी फ़िहरिस्त मुरत्तब करायें यक़ीन है कि बाज़ देहात ऐसे निकलेंगे जिन्में नई पैमायश और बिल्कुल मिसिल जदीद की तैयारी बहुत ज़रूर हो ॥ *

दफ़ेः २५० कई मुक़द्दमात ग़ालिबन ऐसे पेश आवेंगे कि उनमें पैमायश जदीद और कुल्ल काग़ज़ात का अज़सरनौ बनाना ज़रूर हो और जिनमें काग़ज़ात मज़कूर की इजराय तरतीब के वास्ते साहब कलक्टर अख़्तियार रखते हैं मसलन मौज़ा की तक़सीम या ख़ाना तहसील बइल्लत बाक़ी ऐसी हालत ग़नीमत जानें और तदबीर मुनासिब करें और सूरतें इस तरह की भी शायद वाक़अ हों जिनमें तनाज़आ के सबब या मुहाल के किसी जुज़्व के नुक़सान से मालिक ख़ुद मुस्तैद होंगे कि नई पैमायश और तरतीब काग़ज़ात का ख़र्च अपने ज़िम्मः लें और यक़ीन है कि इन्हीं मुक़द्दमात में तजदीद काग़ज़ात की औरों से ज़्यादः ज़रूरत होगी इस काम के अन्जाम में ऐसी जद्दव जुहद हो कि ज़मींदार पर कम ख़र्च पड़े और ताबुमक़दूर किसी को तकलीफ़ और दिक़्क़त नहो फिर लोगों के समझाने में मेहनत करनी चाहिये कि इसमें उनकी बहतरी है और फ़लां फ़लां फ़ायदे: निकलेंगे जो काम कि देहात में करना चाहियें हत्तुलइमकान जाड़े के मौसिम में किया जाय कि उन दिनों में ख़ुद साहब कलक्टर उसकी निगःबानी कर सकें जो अगर साहब मौसूफ़ अहतिमाम के वास्ते नज़दीक न रह सकें किसी लायक़ उहदःदार मातहत के ज़िम्मः करें ॥ *

दफ़ेः २५१ ऐसी कारवाई में अगर साहब कलक्टर चुस्ती और हिकमत अमली से मुस्तैद रहें तो जिन काग़ज़ात की तरमीम ज़रा

द: ज़रूर हो ग़ालबन ग्ररस: क़लील में ग्रौर बिला ज़रूरत ख़र्च सर १ कारी के दुरुस्त करसकें गो जब किसी गांव के काग़ज़ात जदीद मुरत्तब हु १ ये तो मालगुज़ारी ग्रौर परगन: रजस्टरों की महात उस मौज़ा की बाबत १ ग्रौर पटवारी के कुल्ल काग़ज़ात गोया नई बुनयाद पर बनाये गये ग्रौ र नफ़सुलग्रमर में यह काम याने इसनाद बन्दोबस्त की इसलाह महज़ प टवारी के उस साल के काग़ज़ात का नये सिर से बनाना है इस तरह से कि मिल्कीयत ज़मीन मुनफ़सल: हाल पर काग़ज़ात मज़कूर की बुनियाद १ है न साल गुज़श्त: के काग़ज़ात पर जैसा कि मामूल है फ़िर यह भी फ़ा यद: हासिल होगा कि ग्रपने काम में पटवारियों ने तालीम पाई ग्रौर ख़ास व ग्राम को फ़हमायश हुई कि पटवारी के काग़ज़ात समझने ग्रौ र उनकी सेहत पर मुस्तैद रहने में हमारी बेहतरी है ग्रगर ज़मीदार इबतिदाय ग्रपने देहात की पैमायश ग्रौर काग़ज़ात की तजदीद का ख़र्च ग्रपने १ ज़िम्म: लेने पर तैयार न हों तो शायद ज़रूर होगा कि कई मौज़ा में जहां १ मालिक ज़याद: मुहताज ग्रौर इस ग्रमर से नाराज़ हों उनके ग्रख़राजा त सरकार के ज़िम्म: होने के वास्ते साहब कलक्टर हुक्काम ग्राला से दर ख़्वास्त करें ताकि कुल या जुज़ उसका कान्टनजन्ट बिल में मुन्दर्ज कि १ या जाय कई ज़िलों में इत्तफ़ाक़ हुग्रा कि पटवारी ऐसे तालीम हुये कि ख़ुद बिला दिक़्क़त ज़मीन की पैमायश ग्रौ ग्रौर नक़्श: जात कि़श्तवार का खींचना ग्रौर ग्रमीन ग्राज़मूद:कार का कुल्ल काम ग्रनजाम कर सके *

दफ़ै: २५२ ग्रख़तियार मुसर्रह: दफ़ै: २४७ के बमूजिब साहब क लक्टर जो फ़ैसल: करते हैं तारीख़ इन्फ़िसाल से तीन बरस ।। इस बाब में ऐक्ट १३ सन १८४८ ई० पर लेहाज़ हो ।। तक उसका मुराफ़: नालिश नम्ब १ री से ग्रदालत दीवानी में हो सकता है लिहाज़ा बहुत ज़रूर है कि हर १ एक फ़ैसल: को वजूहात तसरीह से लिखी जायें ताकि फ़ैसले: मज़ १ कूर: जिन हुज्जतों ग्रौर दलायल पर मबनी है ग्रच्छी तरह ज़ाहर हों चुनांचि ग्रगर हुक्म ग्रख़ीर की वजूहात ग़फ़लत ग्रौर ग़लती से लि खी जायें तो इस सबब से क़दर ग्रौर क़ूवत उसकी घट जायेगी ग्रौर शायद जो तजवीज़ फ़ी नफ़सही मुनासिब ग्रौर ग्रदल की रू से थी वह महज़ उसी सबब से मुसतरिद हो जाय फ़िर जब महकमात दीवानी १ क़ानून हफ़तुम सन १८२२ ई० की दफ़: ३१ की ज़िमन ग्रौवल के मुता बिक़ महकम: कलक्टरी से काग़ज़ात तलब करते हैं साहब कल १

कर प्रेसपट को तामील में बहुत एहतियात करें कि ज़रूरी काग़

१ इसकी तरफ़ हुक्म सरक्यूलर सदर बोर्ड नम्बर २३ मरकूमः ७ नव्वम्बर सन १८४७ ई० इशारः करता है चुनांचि सरक्यूलर मज़्कूर ज़ैल में मरकूम है जो सरक्यूलर मवर्रख़ः २७ नवम्बर सन १८४६ ई० कलमी जारी हुआ है मुसल मुन्दर्जः उसके में सदर दीवानी ने इत्तफ़ाक़ राय किया लेहाज़ा बहुत ज़रूर है कि शरायत उसकी बदुरुस्ती और एहतियात अमल में आवें सरक्यूलर मज़्कूरः बाला ज़ैल में लिखा जाता है ॥ ❋

२ जिस वक़्त अदालत दीवानी बमूजिब जिमन अव्वल दफ़ः ३१ क़ानून हफ़्तुम सन १८२२ ई के महकमः कलक्टरी से काग़ज़ात तलब करें साहब कलक्टर को लाज़िम है कि बतामुल तमाम मुक़द्दमः को मुताले: करें और दरयाफ़्त करें कि काग़ज़ात मिसिल जो बः तामील अदालत भेजे जाते हैं मुकम्मिल हैं और जो साहब मौसूफ़ के नज़दीक कुछ काग़ज़ात बाक़ी हों तो उनको भी मालूम करें या रुबकारी और मुक़द्दमात मुशाबेह: उसके की जिस में बज़ात ज़्यादः तर तसरीह से मुन्दर्ज हों वास्ते मज़ीद एहतियात के भेजदें अगर ऐसा कोई काग़ज़ इस से पहिले उरदू में तरजुमः न किया गया हो चाहिये कि फ़ौरन तरजुमः करें क्योंकि मुनासिब है कि सब बातें जो मुक़द्दमात से मुतअल्लिक़ हैं जुमलः अहालियान मुक़द्दमः को ज़ाहिर और वाज़ह हों ॥ ❋

३ मुक़द्दमात मज़्कूरः दफ़ः बाला में साहब कलक्टर पर लाज़िम है कि अव्वल काग़ज़ात साहब कमिश्नर के हुज़ूर में भेजदें और साहब कमिश्नर के ज़िम्मः यह बात होगी कि जुमलः कवागज़ जो इस मुक़द्दमः या इस क़िस्म के मुक़द्दमात के मुतअल्लिक़ हों मगर मिसिल में शामिल नहीं हैं शामिल और हस्बुलज़रूरत तरजुमः किये जायें ॥ ❋

४ साहब कमिश्नर बतामील तमाम मुक़द्दमः मुरसिलः साहब कलक्टर के बाब में हुक्म नातिक़ सादिर करें और सदर बोर्ड को इस तरह के मुक़द्दमात में मुफ़स्सल इत्तला किया करें ॥ ❋

ज़ात जो मुक़द्दमः से मुतअल्लिक़ हैं महकमः मज़्कूर में इरसाल किये जावें जिस मेहनत और दर्द सर से माक़ूबात जज को मज़्कूरः बाला से मुफ़स्सल ख़बरें दी जाती हैं ताकि साहब मौसूफ़ को उमर मुतनाज़ः दीवानी में सहीह फ़ैसलः करने की इस्तेदाद हो यह मेहनत इसे

या बहुत मुफ़ीद है ॥ *

दफ़ः २५३ क़ता नज़र इससे पोशीदः नहीं रह सकता कि दफ़्तर कलक्टरी में काग़ज़ात हद से बढ़ जाते हैं साल ब साल ऐसा अम्बार काग़ज़ात का दफ़्तर में रक्खा जाता है कि उसके सबब से एक मुतवस्सित कमरः भर जावे इस वास्ते कुछ शुबहः नहीं कि उन में से अकसर काग़ज़ात का रद्दी करना अस्द ज़रूर हो और सिर्फ़ हाल के काग़ज़ात या जिनकी ज़ियादः ज़रूरत हो रक्खे जायें परगनात की फ़िहरिस्तों पर रुजूअ़ करने से काग़ज़ात कार आमदनी का निकम्मे काग़ज़ात से मुलाहज़ः करना सहल हो जायगा और हर मरतबः कि किसी गांव की पैमायश जदीद और मिस्ल बन्दोबस्त की तरमीम पेश आवे उसको ग़नीमत जानें कि पुराने काग़ज़ात जब थोड़े अरसः में निकम्मे साबित हों रद्दी करके निकालें और नई मिसिल बिल्कुल उन के बदले रक्खी जावे ॥ *

* ॥ चौथी फ़सिल ॥ *

* ॥ मालिक और रआया में मुक़द्दमात सरसरी की ॥ *
* ॥ तजवीज़ का बयान ॥ *

वाज़ह हो कि अकसर दफ़आत फ़सिल हाज़ा की इस वजः से ख़ारिज हुई हैं कि उनको शरायत इकट १० सन १८५९ ई० की रूसे मनसूख़ हो गई अहकाम आम सदर बोर्ड माल जो बनज़र हुसन तामील इकट मज़कूरः वाला जारी हुई हैं इस किताब के तितिम्मः २९ में मुन्दर्ज हैं ॥ *

दफ़ः २५४ ऐसा कम होता है कि जिस मालिक ने सरकार से अदाय मालगुज़ारी का अहद किया हो मौज़ा की व कसरत ज़मीन ख़ुद जोतता हो बल्कि अकसर औक़ात हिस्सः कसीर शुरका या शिकमी मालिक या असामियान जोतते हैं और जिस तरह से सरकारी मालगुज़ारी वसूल करने के वास्ते साहब कलक्टर सरसरी अख़्तियार रखते हैं वैसा ही ज़रूर है कि सदर मालगुज़ार और अशख़ास मातहत में जो तमाज़ा बाबत हिस्सेः जमा या लगान या अमूरात मुतअ़ल्लिकः उसके के पेश

आदि उनकी सरसरी तजवीज़ के वास्ते इन्तज़ाम किया जाय यह अख़्तिया
र सरसरी क़ानून ८ सन् १८३१ ई० की रूसे साहब कलक्टर को हासिल है

दफ़ः २५५ मुक़द्दमात सरसरी लायक़ तजवीज़ साहब कलक्टर
के यह हैं पहिले जो नालिश मालिक असामियों पर वास्ते लगान वा
जिबुलअदा के करे दूसरे जो नालिश असामी मालिक पर वाजिबुल अ
दा से ज़ियादः तलबी की करे तीसरे जो नालिश असामी मालिक पर
अपनी काश्त से बेदख़ली की बाबत करे चौथे जो नालिश मालिक पर
वारी या अपने क़ाबिज़ः पर गांव के काग़ज़ात पेश कराने के वास्ते करे
चुनांचि हर एक क़िस्म का तज़्किरः अलाहिदः मुनासिब है ॥

दफ़ः २५६ पहिले जो नालिश मालिक असामियों पर वास्ते
लगान वाजिबुलअदा के करे – साहब कलक्टर जिस शख़्स को गांव
को लगान तहसील करने का मुख़्तार जानें यह हो जो मिल्कियत का
आहरी क़ाबिज़ हो याने जिसने साल गुज़श्तः में गांव की तहसील की
और सब काम मालिकानः अन्जाम दिया इल्ला अगर बाद उसके साह
ब कलक्टर या किसी और हाकिम जी अख़्तियार के हुक्म से ज़ाबितः
के मुताबिक़ बेदख़्ल हुआ हो यह वह शख़्स है जिस से सरकारी माल
गुज़ारी वसूल की जाय और जिसका नाम दफ़ः १८५ के बयान के मुता
बिक़ मालगुज़ारी रजिस्टर मे मुन्दर्ज हो ॥

दफ़ः २५७ जो मालिक शुरका की क़ायम मुक़ामी से नम्बरदार
होता है वह अपने शरीकों से जो कुछ गांव के दस्तूर के मुवाफ़िक़ वाजि
बुलतलब हो याने हिस्सः मालगुज़ारी और गांवख़र्चः मुक़र्ररः तलब कर
सकता है मुतासिबः मज़कूर या मिक़दार मुऐयनः मुआवज़ः बन्दोबस्त
हो सकती है या ज़मीन फ़क़त मज़रूअः या मज़्रूअः उफ़्तादः पर मय शरह
मुक़र्ररः के मुताबिक़ या बाछ याने रसदी तक़्सीम मालियानः की बम
जिब तहसील हो सकती है ऐसे मुक़द्दमात में दअ्वी के इन्साफ़ में गांव
के रवाज पर रुजूअ करना चाहिये और रवाज मज़कूर या वाजिबुलअर्ज़
बन्दोबस्त से निकलेगा या शुबहेः की हालत में इज़्हार से जो इन्दुल्
मामिलः लिया जाय ॥ मुतासिबः कौता

दफ़ः २५८ अगर चि सरकार ने अपने
तौरब फ़ासिल के कटने और खलियान से उठने के बाद तक मुस्तग्नी की
है मगर इस सबब से मालिक के हक़ में कुछ ख़लल नहीं पड़ता जिस

की रू से फ़ाज़िल की जायदाद लगान में मुस्तग़रिक़ रहती है चुनांचि यह इख़्तियार क़ानून २८ सन् १८०३ ई० की दफ़ेः १७ ज़िमन २ से निकल ता है लिहाज़ा मालिकों को जायज़ है कि जब तक उनका मुतालिबः बेबाक़ न किया जाय फ़ाज़िल उठाने से मुमानिअत करें और सरकारी जमा की क़िस्त वाजिब होने से एक महीने पेश्तर बाक़ी लगान के वास्ते सरसरी नालिश कर सकते हैं ॥ *

दफ़ेः २५९ मालिक को दो तरीक़ः का इख़्तियार है जिस से असामी पर मवाख़ज़ः करे याने कुरक़ी माल या नालिश सरसरी ॥ *

दफ़ेः २६० अगर कुरक़ी पसन्द करे तो मालिक अपने इख़्ति यार से असामी का माल कुर्क़ करके उस शख़्स की मारफ़त जो क़ानू न†† अव्वल सन् १८३९ ई० की शरायत के मुवाफ़िक़ मुक़र्रर हुआ हो नी

†† इस क़ानून के बिनाए पर हुक्काम सदर बोर्ड ने अहकाम ज़ैल सादिर कि ये चुनांचि सरक्यूलर मतबूअः नम्बर २ में मुन्दर्ज हैं ॥ *

सरक्यूलर मज़कूर की दफ़ेः ४३ अज़ बसकि क़ानून अव्वल सन् १८३९ ई० की रू से साहबान कलक्टर को इख़्तियार है कि बक़ाया के वसूल के लिये माल मक़रूक़ः का नीलाम करने के वास्ते जिस शख़्स को चाहें मुक़र्रर करें लिहाज़ा हु क्काम सदर बोर्ड फ़रमाते हैं कि उनको हिदायत की जाय कि हर एक तहसीलदा री में एक आदमी इस काम के वास्ते मुक़र्रर करें जो तहसीलदार की जाय क़याम पर हाज़िर रहे और माल मक़रूक़ः के ज़र नीलाम से दस रुपये सैकड़ा पावे ॥ *

दफ़ेः ४४ मगर जो एक उहदःदार के गुज़ारः के वास्ते यह काम किफ़ा यत न करे तो सदरबोर्ड हुक्म देते हैं कि यह उहदः नायब तहसीलदार को दिया जाय ॥ *

दफ़ेः ४५ जमीअ मुक़द्दमात नीलाम या कुरक़ी में जो उहदःदारान मज़ कूर ने किये हों साहबान कलक्टर उनसे एक साफ़ फ़िहरिस्त माल मक़रूक़ः की तलब करें जिसमें हर रक़म की कैफ़ीयत मुन्दर्ज हो वरनः जिस चीज़ का मुहा सबः इस तरह से न किया गया हो उहदःदारान मज़कूरैन उसकी क़ीमत मुहासि बा के ज़िम्मःदार होंगे ॥ *

लाम कराता है और वह या नायब तहसीलदार है या और शख़्स जो इस काम के वास्ते मुक़र्रर हो कुरक़ी की हालत में आगरअसामी अप

ना माल नीलाम से बचाना चाहे तो ज़रूर होगा कि ज़र मतलूब अदा क
रे या उसके अदा के वास्ते मंज़ूर सद मालज़ामिनी दाख़िल करे जब नक़
महकमः कलक्टरी में बा गुज़ाश्त क़ुर्क़ी की नालिश कर के दावी का मु
क़ाबिलः करे ॥ *

दफ़ः २६१ अगर मालिक नालिश सरसरी का तरीक़ः अख़्ति
यार करे तो असामी की ज़ात पर मवाख़ज़ः और उसको जवाबदिही के
वास्ते गिरफ़्तार कराता और रूपोशी की सूरत में डिगरी हासिल कर के
उसके माल मनक़ूलः या जिस मिल्कीयत में बाक़ी पड़ी उसपर डिगरी
जारी कराता है ॥ *

दफ़ः २६२ जिस हाल में कि लगान बटाई से अदा होती है
मालिक को अख़्तियार है कि जब फ़सिल पक जावे तब क़ुर्क़ करे
और क़ानून २८ सन १८०३ ई० की दफ़ः ११ की रू से कटवावे और त
क़सीम करावे अगर मालिक इस मामिलः में रवाज के ख़िलाफ़ या ता
अद्दी इस तरह करे कि असामी को बिला वजः मवक़्क़ः नुक़सान हो तो
असामी बागुज़ाश्त क़ुर्क़ी या ज़ियादः सितानी या ज़र तावान का मुक़
द्दमः दायर करने से अलाज अपना कर सकता है क़ुर्क़ी के तरीक़ः मुक़
र्रिरः आईन के सिवा अगर मालिक और किसी तरह असामी की फ़सि
ल में दस्त अन्दाज़ी करे तो तअद्दी है जिसके वास्ते फ़ौजदारी अदालत में
सज़ावार सज़ा का होगा फिर सरसरी नालिश करने से ग़ल्लः की मिक़दा
र मुतैय्यन या बाज़ार के निर्ख़ से उसकी क़ीमत का इस्तेह्क़ाक़ साबित
कर सकता है ॥ *

दफ़ः २६३ जब लगान लेने का यह रवाज हो कि फ़सिल के
एक हिस्सः मुऐय्यन के एवज़ में जिसकी मिक़दार कनकूत से ठहराई जा
य नक़द रुपया लिया जाता हो तो यहां तरीक़ः मरई रहे अगर असामी
क़ाश्तकार के कनकूत पर एतराज़ करे तो बागुज़ाश्त क़ुर्क़ी या ज़ियादः
सितानी या तावान का मुक़द्दमः दायर करके अपना अलाज कर सक
ता है इन दोनों तरह के मुक़द्दमात में फ़सिल पकने पर लगान वाजिबु
लअदा होता है और अगर उस वक़्त असामी लगान देने पर मुस्तइद न
हो तो बाक़ीदार ठहर चुकी हो अगर तरफ़ैन के दरमियान इसके ख़ि
लाफ़ कोई रवाज माने हुए हो तो यही एक सूरत है जिसके सबब से
बमुजर्रद तैयारी फ़सिल के मुतालिबः के अख़्तियार में कुछ ख़लल

आसके ॥

दफ़ः २६४ जहां कहीं गांव की तहसील दस्तूर मज़कूरः दफ़आ त वाला याने बटाई या कनकूत के रवाज पर की जाती है वहां अव्व लः मालिक का इस बात में मतलब है कि क्या क्या जिन्स बोई जा ती है फ़सिलो का सिलसिलः याने यह कि फ़लानी फ़लानी जिन्सः किस किस बारी से बोई जायेगी रवाज से मुक़र्रर होता है जो इस र वाज के खिलाफ़ कम कीमत जिन्स बोई जाय तो अगर मालिक सि र्फ़ हिस्सः मामूली पावे ज़रूर खिसारः उठावेगा इस सूरत में वाज़ः है कि जिस आला जिन्स की नोबत रवाज की रू से है मालिक उस जिन्स की औसत पैदावारी के हिसाब से हिस्सः मामूली की पूरी क़ी मत पाने का मुस्तहक़ है और उसके एवज़ या ज़र नक़द या उस जि न्स में जो बोई गई कुरकी या सरसरी नालिश के ज़रयेः से वसूल क र सकता है अगर काश्तकार एतराज़ करे कि ऐसा रवाज नहीं तो यह एक अमर है जो मुक़द्दमः के और अमूरात मुतअल्लिक़ः की तर ह तजवीज़ किया जायगा और शायद बोने के मौसिम में जब मालिक असामी को बे दखल करना चाहता और असामी बे दखली की नालि श सरसरी में रुजूअ लाये हो इस तरह का तनाज़ा साहब कलक्टर के सामने पेश आवेगा ऐसी हालत में अगर असामी बाक़ीदार न हो उसकी बेदखली जायज़ न होगी मगर असामी को इबरत देनी चाहि ये कि मालिक के ऐसे वाजबी दअवी के मुक़ाबिलः से अपने ऊपर बिला शुबहः खराबी लायेगी ॥

दफ़ः २६५ कानून ८ सन् १८३१ ई० की दफ़ः १३ में साहबा न कलक्टर को अख्तियार दिया गया कि साहब कमिश्नर की इजा ज़त से सरसरी मुक़द्दमात तहक़ीक़ात और रपोर्ट के वास्ते तहसील दारों के सिपुर्द किया करैं इस तरीक़ः पर रुजूअ करने से इतना फ़ायदः निकलता है कि एक क़ायदः आम होना चाहिये कि जब अरायज़ दअवी गुज़रैं तहसीलदारों के पास हमेशः भेजी जायें तहसीलदार अ कसर हालात में मौक़ए नज़ा पर जा सकता है और इस तरह से कि तरफ़ैन को चन्दां दिक़्क़त न हो मुक़द्दमात सफ़िया कराके वापस देगा कि फ़िलफ़ौर फ़िहरिस्त से खारिज हो मगर दरसूरते कि तहसीलदार की रपूर्ट पर कुछ एतराज़ हो तो तजवीज़ करनी ज़रूर पड़ेगी और

जिस हाकिम के ऋहतिमाम में यह क़िस्म हो फ़िल्फ़ौर मुक़द्दमेः को तै करें जिन मुक़द्दमात में इस तौर से तहसीलदार पर रुजूअ करना सलाह नहीं यह है कि तहसीलदार पर कुछ तरफ़दारी का ऋहति माल हो या फ़रीक़ैन के कारिन्दे ऋहल्ल ऋख़्तियार साहब कलक्टर के महकमेः में मौजूद रहते हों या जिनका ऐसे ऋमरात पर मदार है जो ऋौर ऋक़साम मुक़द्दमात में साहब कलक्टर के हुज़ूर ज़ेर नज़र हैं जैसे वरासत मुतनाज़ा या बाज़ क़िस्म ऋसामी के हुक़ूक़ या दीवानी ऋदालत के ऋहकाम का इजराय ॥ ॐ

दफ़ेः २६६ दीग ऋसामी को नालिश मालिकों पर ज़ियादः सितानी की बाबत—जो रक़ूमात सरसरी तरीक़ः से वाजबी ऋौर मवाफ़िक़ ज़ाबिते के वसूल नहीं हो सकतीं ऋगर मालिक ऋसामी से ज़ाबितः या बे ज़ाबितः तहसील करले तो ऋसामी उसके वापस पाने के वास्ते तावान शामिल करके या छोड़ के जैसी सूरत हो ऋपना ऋल्लाज सरसरी महकमे में कर सकेगी ॥ ॐ

दफ़ेः २६७ दहारुम मालिक की नालिश पटवारी या कारिन्दः पर हिसाब पेश कराने के वास्ते—ऐसे मुक़द्दमात कम वक़ूअ में आते हैं इस बात पर ऋक्सर इत्तफ़ाक़ है कि पटवारी न फ़क़त मालिक का बल्कि सरकार का भी नौकर है ऋौर उसके हिसाब किताब का सालियानः पेश कराना सरकार की जानिब से ऋमल में ऋाता है ताकि सभों के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त हो तब भी हिसाब तलब करने का ऋख़्तियार मालिको रहना ज़रूर है ताकि उसका दबाव क़ायम रहे ऋगर पटवारी ऋपने काम के ऋन्जाम में काहिल हो उसके हुस्न कारगुज़ारी के लिये मालिक जो कोशिश करे चाहिये कि साहब कलक्टर ब ख़ुश ऋहसन उसकी तक़वीयत करें जब मालिक ऋपने मौज़ा का ऋहतिमाम पटवारी के सिपुर्द करै तो उसपर ऋौर भी कारिन्दः ऋौर गुमाश्तः वग़ैरः ऋहल्ल हिन्द पर जब तक नौकर हैं या फ़िल्फ़ौर मुस्तअफ़ी या माज़ूल होने के बाद किसी मामिलः की बाबत जो उनके ज़िम्मः मुतऋल्लिक़ है नालिश ⸸ इस बाब में क़ानून ५ सन् १८०० ई० दफ़ेः १९ इन्तज़ाम बनारस ऋौर क़ानून २९ सन् १८०३ ई० दफ़ेः ३७ इन्तज़ाम सूबेजात की बाबत ऋौर हुक्म सदर दीवानी की तामीर मसदरः २९ ऋप्रैल सन् १८३५ ई० नम्बर ९९६ को देखना चाहिये ⸸ हो सकती है ॥ ॐ

दफ़ेः २६८ सरसरी मुक़द्दमात की पहिली तीन क़िस्मों की रपूटें हाक़िमान सदर बोर्ड साहिबान कलक्टर और कमिश्नर से तलब करते हैं चुनांचि तितिम्मः नम्बर २६ में नक़्शःजात मुन्दर्ज हैं ॥ *

दफ़ः २६९ जो साहब कलक्टर अपने ज़िला के हाल से वाक़िफ़ रहना चाहते हैं सरसरी मुक़द्दमात के सिसिलबन्द पर ब तवज्जः तमाम लिहाज़ करें ऐसा इन्तज़ाम करना बहुत ज़रूर है जिस से सरसरी मुक़द्दमात जल्द फ़ैसल हों और बाक़ियात जमा न होने पावे अलावः इसके मुक़द्दमात मज़कूर पर लिहाज़ करने से अहवाल आम को बहुत आगाही होगी मुक़द्दमात की कसरत और क़िल्लत पर नज़र रहे और कमी बेशी के असबाब की तहक़ीक़ की जाय अगर किसी ख़ास मुक़ाम पर ख़्वाह किसी एक क़िस्म के मुक़द्दमात हद मामूली से बढ़ जावें तो यक़ीन है कि कारवाई में कोई ग़लती या किसी मौक़ः पर कोई कबाहत वक़ूअमें आई है जिसकी इसलाह और तदबीर ज़रूर होगी मगर जो ऐसी कसरत इस सबब से हुई हो कि लोग अपने कार व बार के अन्जाम में कोशिश करते हैं ताकि बाक़ी के वक़्त सरकारी अहलकारों की मदाख़िलत की जगः न रहे तो इस सूरत में यह एक अमर पसन्दीदः और इतमीनान का बाइस है मालगुज़ारों की हर तरह हिम्मत बंधवानी चाहिये कि अपना वाजबी मुतालिबः अपनी कोशिश से बतरीक़ मुनासिबः क़ानून वसूल कर लिया करें मालगुज़ार को आईन से अख़्तियार काफ़ी इस अमर के वास्ते हासिल है और मालगुज़ार और आसामी के दरमियान हर तरह की बे ज़ाबितः मदाख़िलत इल्ज़ाम शदीद के लायक़ ॥ *

दफ़ः २७० जिस सबब से मालिक और असामी के दरमियान ख़िराज ज़मीन के मुक़द्दमात सरसरी में साहब कलक्टर हाकिम ठहरते हैं उसी वजः से उन मुक़द्दमात में भी जो क़ानून हफ़्तुम सन् १८२४ ई० की दफ़ः ८ ज़िमन दो की रू से मुस्ताजिर आबकारी बाक़ियात के लिये शराब खींचने और बेंचने वालों पर दायर करते हैं हाकिम ठहराये गये ॥ *

॥ पांचवीं फ़सिल ॥

॥ महकमात दीवानी के अहकाम का इजराय ॥

दफ़ः २७१ दीवानी अदालतों से जो अहकाम मिलकियत ज़मीन के मुक़द्दमात में सादिर होते हैं कई सबब से उनकी तामील साहब कलक्टर की मारफ़त मुफ़ीद और पसन्दीदः है ॥

दफ़ः २७२ महकमात दीवानी के ज़रीये अहकाम जो ज़मीन ख़ालसः की बाबत जारी होते हैं सरकार के हक़ूक़ में चिल्नफ़र कम व बेश असर करते हैं ज़मीन में ज़मींदार की मुतलक़ मिल्कीयत होनी सरकार ने तसलीम की और अख़्तियार (१ क़ानून २५ सन् १८०३ ई॰ की दफ़ः ३६ से यह बात निकलती है) कामिल दिया है कि मालिक जिस तरह चाहें आईन के मुताबिक़ दूसरे के हाथ मुन्तक़िल करें मगर ताहम जिस तरीक़ः से इन्तक़ाल किया जाता है और जो अहकाम ऐसे इन्तक़ाल के मुक़द्दमात में महकमात दीवानी से जारी हों मुमकिन है कि ज़मीन की क़दर में बड़ा असर पैदा करें जब ज़मींदार का इस्तेहक़ाक़ कामिल है तो ज़मीन की क़दर बढ़ जायगी और उसके हाल में तरक़्क़ी होगी दरसूरतेकि और हालात भी मुवाफ़िक़ हों मगर जिस सूरत में मालिक की बदमाशिल्ली या अदालत की ग़लती से इस्तेहक़ाक़ में कुछ इश्तबाह दख़ल पावे तो यक़ीन है कि गांव की क़दर में बड़ा ख़लल पड़े बल्कि बिल्कुल ख़राब हो जाने का अन्देशः है इस से यह निकलता है कि ज़िला की तरक़्क़ी अदालत गुस्तरी के तरीक़ः पर ज़्यादः मुनहसर है और इसी सबब से उसकी दुरुस्ती के वास्ते कमाल कोशिश करने में साहब कलक्टर का बड़ा मतलब है ॥

दफ़ः २७३ मगर अलावः इसके मुमालिक मग़रबी के इन्तज़ाम में ख़ास हालात हैं जिनके सबब से ज़्यादः ज़रूर और मुनासिब है कि साहब कलक्टर अदालत दीवानी की कार रवाई से वाक़िफ़ रहें ॥

दफ़ः २७४ जब किसी मौज़ा में बाक़ी पड़ती है और तजवीज़ इस बात की करनी होती है कि वसूल के वास्ते क्या क्या तदबीरें अख़्तियार की जायें उस वक़्त ज़रूर पड़ता है कि मिल्कीयत के इस्तेहक़ा-

की क़बाहत या नुक़्स से हुआ है, अगर इस तरह साहबान कल। क्टर तवज्जुह करें तो मुमकिन है कि दीवानी के तरीक़: ख्वाह अ। न्जाम कार में ऐसी सूरतें इसलाह की नज़र आयें जो बहुत फ़ाय द: मन्द हों और अगर मौक़अ मुनासिब पेश आये तो लाज़िम हो गा कि हुक्काम आला की तजवीज़ के वास्ते अरज़ करें ॥*

दफ़ः २७९ महकमात दीवानी अपने अहकाम को साह बान कलक्टर की मारफ़त दो सूरत में जारी किया करते हैं पहिले जहां क़वानीन की रूसे वाजिब और ज़रूर होता है दूसरे जहां सा हब जज की राय पर मुनहसर है ॥*

दफ़ः २८० साहब कलक्टर की मदद पर रुजूअ करना। आईन के मुताबिक़ ज़रूर होता है अौवल देहात ख़ालसः की त। क़सीम में दोम देहात ख़ालसः और मआफी के बड़े देहात की क़ु रकी और नीलाम में सोम इन्तक़ाल मिल्कीयत के कलक्टरी रजस्टर के इन्दराज में ॥*

दफ़ः २८१ अौवल देहात की तक़सीम – क़ानून १९ सन। १८१४ ई० की दफ़ः २ में हुक्म है कि तक़सीम हमेशः साहब कल। क्टर की मारफ़त हो दफ़आत १६७ से १८४ तक जो दस्तूरुल अमल तक़सीम बमूजिब दरख्वास्त फ़रीक़ैन के वास्ते मुन्दर्ज हुआ वही अ सलन अमूर दीवानी की तक़सीम से भी मुतअल्लिक़ होता है इल्ला उस तक़सीम के बाज़ मदारिज जो फ़रीक़ैन की राय या साहब कलक्ट र के हुक्म से फ़ैसल किये जाते हैं वह अदालत की तजवीज़ में आ। सकते हैं जब अदालत ने हुक्म दिया कि मौज़ा का एक जुज़्व मुऐ यन डिगरीदार का हक़ है तो अलबत्तः उसे अहतियात लाज़िम हो गी कि डिगरीदार के साथ इन्साफ़ किया जाय ॥*

दफ़ः २८२ अगर मुहाल ग़ैर मुनक़सिम के कसरात में कि सी कसर की डिगरी हो तो अदालत को इस अमर की ख़बरगीरी। लाज़िम होगी कि क़ानून १९ सन १८१४ ई० की दफ़ः ८ और क़वानी न मुसर्रह: दफ़ः मज़कूर: के क़ायद: के मवाफ़िक़ मौज़ा का हिस्स:। मुनासिब डिगरीदार को दिया जाय ॥*

दफ़ः २८३ अगर किसी मुहाल मुशतरक: ग़ैर मुनक़सिम: में ख़ास अराज़ियात की डिगरी हो जिसके वास्ते हुक्म है कि साह

व कलक्टर जमा मुनासिब तशखीस करके अलाहदः मुहाल मुक़र्रर करें तो इस सूरत में अदालत दीवानी का अख़्तियार सूरत मज़कूरः बाला से क़लील होता है क्योंकि जमा की तशख़ीस में उनको मदाख़िलत का अख़्तियार नहीं ॥ क़ानून ७ सन् १८२२ ई॰ की दफ़ः २२ ज़िमन २ पर रुजूअ चाहिये ॥ मगर मुनासिब है कि ऐसे सब मुक़द्दमात में साहब कलक्टर अमलः मरातिब मुसर्रहः अदालत दीवानी पर ज़ियादः लिहाज़ करें और ॥ जब क़ानून १९ सन् १८१४ ई॰ की दफ़ः १९ के बमूजिब रपूर्ट ख़ातिमः मनज़ूरी के वास्ते भेजें तो ज़रूर है कि अगर ऐसे मरातिब अदालत दीवानी से लिखे गये हों उनका ज़िक्र रपोर्ट में करें और यह कि उनकी तजवीज़ किस किस लिहाज़ से हुई ॥

दफ़ः २८५ मुमकिन है कि तक़सीम की डिगरी ऐसी ऐबारत से जारी हो जो उस मुहाल की हालत मिल्कीयत से मुनासिबत नहीं रखती मसलन कसरात से एक कसर के वास्ते डिगरी की जाय हालांकि मुहाल कई अलाहदः अलाहदः मिल्कीयतों से मुरक्कब है जिनपर जुदा जुदा क़बज़ः है और इस तरह से तजवीज़ करनी मुशकिल बिल मुहाल है जिस हिस्सः की डिगरी हुई वह किस तरह से अलग किया और किसकी आराज़ीयात से लिया जाय जब मिल्कीयत ज़मीन मुमालिक मग़रबी का अहवाल ख़ास व आम की समझ में कमतर आता था इन मुक़द्दमात का वक़ूअ ज़ियादः होता था और सदर दीवानी अदालत ने क़ाबिल तजवीज़ ॥ सदर दीवानी अदालत के सरकुलर हुक्म नम्बरी ११४५ मरक़ूमः २४ जून सन् १८४२ ई॰ के हुक्म ७ पर लिहाज़ करना चाहिये सरकुलर मज़कूर किताब नामः बन्दोबस्त सिलसिलः १८ में मुन्दर्ज है ॥ की कि ऐसी डिगरी इजरा के लायक़ नहीं है नम्बर से ख़ारिज की जाय और फ़रीक़ैन को इजाज़त हो कि अज़ सर नौ मुक़द्दमः दायर करें मगर अब एक इलाज मुक़द्दमः के दरजः मुनासिब में किया जाता है चुनांचि हर मुद्दई ॥ सदर दीवानी अदालत के सरकुलर हुक्म मरक़ूमः ३ अगस्त सन् १८४७ ई॰ में यह अमर तसरीह के साथ मुन्दर्ज है और सरकुलर मज़कूर से सरकुलर मरक़ूमः २४ जून सन् १८४२ ई॰ के मतलब की और तरमीम पाई ॥ पर लाज़िम है कि अपना मुक़द्दमः ऐसी ऐबारत से जो मिल्कीयत के हाल से मुनासिबत रखती हो रुजूअ करे और यह डिगरी हाल में कमतर जारी होती है जिसका इजरा दरहक़ीक़त मुमकिन न हो मगर बावजूद इसके अगर मुशकिल सूरतें पेश आवें तो

साहब कलक्टर अदालत दीवानी को उन के हालात की तसरीह लिखें और सबूर अहकाम के मुन्तज़िर रहें फिर अहकाम की तबीयत जहां तक मुमकिन है की जाय मगर दरसूरतेकि साहब कलक्टर फिर भी तामील करनेमेंतअम्मुलहों तो साहब कमिश्नर से रुजूअ करें और उनकी सलाह पर चलें ॥

दफ़ः २८५ दोम मिल्कीयत ज़मीन ख़ालसः की कुरक़ी और नीलाम — क़ानून पन्जुम सन् १८२७ ई॰ की शरायत की रूसे अदालत हाय दीवानी पर वाजिब है कि मिल्कीय ज़मीन की कुरक़ी साहबान कलक्टर मास्त की मारफ़त किया करें जब कहीं मालिकों के तनाज़ा से रफ़ाहियत आम या लोगों के हक़ूक़ में ख़लल आयद होताहो तो दफ़ः २६ क़ानून ५ सन् १८१२ ई॰ के मुताबिक़ देहात मुश्तरकः मुसल्लिम कुर्क़ हो सकते हैं अलाहाज़ुलक़ेयास मवाज़ा के इजराभी क़ानून दोम सन् १८०६ ई॰ की दफ़ः ५ ज़िमन् २ की रू से कुर्क़ हो सकते हैं और याद रहे कि जब कहीं कुल्ल मुहाल या उसका जुज़व अदालत दीवानी के हुक्म से कुर्क़ किया जाय तो क़ानून अव्वल सन् १८४५ ई॰ की दफ़ः १० के बमूजिब वसूल बाक़ी के वास्ते नीलाम सिर्फ़ फ़सली साल के आख़ीर में हो सकता है ॥

दफ़े २८६ फ़िर डिगरी अदालत के नीलाम से पहिले कुरक़ी कभी इस लिहाज़ से की जाती है कि ज़मीन के मुहासिल में तसर्रुफ़ न होने पावे कुरक़ी के सब मुक़द्दमात में साहब कलक्टर या जो ओहदःदार मिल्कीयत के अहतिमाम के वास्ते मुक़र्रर किया जाता है मालिक साबिक़ का क़ायम मुक़ाम होता है और साबिक़ मालिक से कुछ ज़ियादः अख़्तियार नहीं रखता दफ़आत ७२ से ७६ तक जो मरातिब कुर्क़ी चन्द रोज़ः व इल्लतबाक़ी के मुन्दर्ज हैं इस कुरक़ी से भी मुतअल्लिक़ हैं लेकिन क़ानून ५ सन् १८२७ ई॰ की दफ़ः ४ के मुताबिक़ महकमः दीवानी पर लाज़िम है कि बित्तफ़सील मिल्कीयत का बयान करे जिसकी कुर्की का हुक्म सादिर हुआ और उसमें यह भी शामिल है कि मिल्कीयत मज़कूर: की कुरक़ी कहां तक की जाय हुक्काम माल के तअल्लुक़ मिल्कीयत की सिर्फ़ सरबराही है पस जिस हालत में मालिक ख़ुद जोतने वाले अपनी सीर ज़मीन की शरह नर्म होने से मुनाफ़ः पाते हैं और उनकी मिल्कीयत कुर्क़ हो तो अदालत से इस्तिफ़सार करना चाहिये

कि आया मन्ज़ूर है कि ज़मीन के कुल्ल मुनाफ़ेअ़ मालकानः चुके हों। अगर ऐसा हुक्म मिले तो साहब कलक्टर को ठहराना पड़ेगा कि किस क़दर ज़मीन सीर वाजबी है और उसपर शरह रिआयती मुनासिब मुक़र्रर करें चुनांचि इस फ़ेल का अख़्तियार गवर्न्मेन्ट की तजवीज़ ॥ तजवीज़ मज़कूर तितिम्मः नम्बर २५ में मुन्दर्ज है ॥ मरक़ूमः १२ सितम्बर सन् १८४८ ई॰ से साहब मौसूफ़ को हासिल है अगर काश्तकार ग़ैर मालिक की शरह बढ़ानी ज़रूर पड़े तो क़ानून ५ सन् १८१२ ई॰ की दफ़आ़त ८ और १० में इसका अख़्तियार साहब कलक्टर को दिया गया और दफ़ः ११ में दफ़आ़त मज़कूर की शरायत बिलतख़सीस मिल्कीयत मज़बतः सरकार के मुतअ़ल्लिक़ की गईं साहब कमिश्नर अपने काम का एक ज़रूरी अमर यह समझें कि जो देहात साहबान कलक्टर इस तरह से अपनी अमानत में रखते हैं उनका अहतिमाम बदुरुस्ती और दियानत से अन्जाम पावे इन्तज़ाम हाल से जिसमें ख़रीफ़ की तहसील अमा मीवार एक हिसाबी साल में की जाती है और उस से ख़रीफ़ की सरकारी क़िस्त आइन्दः साल में मुक़र्रर होती है कुछ सख़्ती की सूरत पैदा हो सकती है मसलन् जब साहब कलक्टर ख़रीफ़ की तहसील कर चुके शायद हुक्म आवे कि ज़र तहसील अदालत दीवानी में भेज दें क़ब्ल इसके कि अकसात ख़रीफ़ सरकार को वाजिबुल अदा हों और इस सूरत में आइन्दः साल के हिसाब में बाक़ी पड़ेगी जिसका वसूल करना क़ाबिज़ हाल से सख़्त होगा ऐसी सख़्ती के इन्सिदाद के वास्ते साहब कलक्टर को पैरवी करनी चाहिये और अव्वलन् सूरत मज़कूर में तहसील ख़रीफ़ अकसात ख़रीफ़ के अदा के वास्ते रोकनी जायज़ होनी है मगर जो ग़ल्ती या सहो से न रोकी गई हो सरकार के दावी में अपने कुल्ल मुतालिबः की बाबत सिर्फ़ इस सबब से कुछ ख़लल आयद नहीं हो सकता कि महकमः दीवानी की डिगरी साहब कलक्टर की मारफ़त जारी हुई सरकार अपनी जमा पाने की मुस्तहक़ है लोगों के उन अफ़आ़ल से कुछ इलाक़ः नहीं जो ख़ुद अपने मामिलात में या अपने हुक़ूक़ की पैरवी में अदालत दीवानी की मारफ़त करें ॥

दफ़ः २८७ ज़मीन ख़ालसः की मिल्कीयत या मआफ़ी की बड़ी अराज़ियात का नीलाम क़ानून चहारुम सन् १८४६ ई॰ की दफ़ः ६ की रू से मुमालिक मग़रबी और शिमाली में साहबान कलक्टर काल

माल की मारफ़त किया जाता है अब सरकार ने ऐसे नीलाम के वास्ते आ॰ ईन में एक तरीक़ः तजवीज़ किया जो मुमालिक बंगालः के तरीक़ से मुख़ लिफ़ है तो यक़ीनन् उस काम और अख़्तियार के लिहाज़ से किया जो इस फ़सिल के शुरुमें मज़कूर है जिस दस्तूरुल्अमल के मवाफ़िक़ ऐसे नीलाम की तामील चाहिये और जिसके वास्ते क़ानून चहारुम सन् १८४६ ई॰ की दफ़ः २ की रू से गवर्न्मेन्ट आला की मनज़ूरी हासिल है हुक्काम सदर दीवानी अदालत ने १४ दिसम्बर सन् १८४६ ई॰ को जारी किया चुनांचि लिसिल्नः नम्बर २७ में मिलैगा ॥ *

दफ़ः २८८ बाज़े वक़् ऐसा होता है कि डिगरीदार के सहो या शरारत से एक मिल्कीयत मुश्तहिर ब नीलाम हो जाती है जिस में फ़िल् हक़ीक़त वह शख़्स जिसपर डिगरी हुई मुतल्लक़ इस्तेहक़ाक़ नहीं रखता ऐसे मुक़द्दमः में असिल मालिक को नीलाम से ख़ौफ़ और ख़तरः हो सकता है इसवास्ते दीवानी ने सरकुलर † † सदर दीवानी अदालत के सरकुलर मुवर्रखेः १॰ जून सन् १८४२ ई॰ और ३१ मई सन् १८४७ ई॰ पर रुजूअ चाहिये † † के ज़रये: से ऐसे ज़ुल्म का इनसिदाद क़रार वाक़ई किया अगर साहब कलक्टर शुबहा रखते हों कि कोई नीलाम इस क़िस्म का है तो ख़बरदारी से मिल्कीयत के वाक़ई मालिक को इरादः नीलाम से इत्तला दें और उसको हिदायत करें कि इम्तनाअ नीलाम के वास्ते क्या करना चाहिये हुक्काम दीवानी सिर्फ़ साहब कलक्टर के एतराज़ पर ऐसे नीलाम को फ़िस्ख़ न करैंगे मगर वह फ़रीक़ जिसकी हक़्क़तल्फ़ी हुई सवाल गुज़रान कर तहक़ीक़ात की इस्तदुआ करे तो उसकी समाअत से इनकार नहीं कर सकते ॥ *

दफ़ः २८९ साहबान कलक्टर तनदिही और मुस्तैदी से इस काम का अन्जाम करें फिर अपने ज़िला में मिल्कीयत ज़मीन की क़दर दरयाफ़्त करने के लिये दीवानी नीलामों को मुफ़ीद जानें मगर उनकी बोलियों से नतीजे जल्द निकालने न चाहैं क्योंकि अकसर औक़ात मिल्कीयत की क़दर आरज़ी होती है मसलन् डिगरीदार शायद जानता हो कि मुद्दाअलेह की और कुछ जायदाद नहीं इस वास्ते मिल्कीयत को अपने कुल मुतालिबः के एवज़ लेने पर तैयार हो या इसद या अदावत के सबब लोग क़ीमत अन्दाज़ः से ज़ियादः बोलैं गे या शायद मामलः साज़ जानते हो कि किसी तीसरे फ़रीक़ के हक़ का इन

कताअ हो सो अगर ऐसे मुश्तबः मुक़द्दमात सब ख़ारिज किये जायें तो फिर भी इतने रहिजांयेंगे जिनसे नतायज वाजिबुलतसलीम निकलें कि मिल्कीयत ज़मीन की क़दर मुरौवजः क्या है और उसकी क़ीमत में इन्तज़ाम हाल क्या असर करता है पोशीदः न रहै कि ऐसी तहक़ीक़ात कमतर मिलैगी जो इससे ज़यादः दिलचस्प या फ़ायदःमन्द हो सके॥

दफ़ः २९० नाम ज़मीन की मिल्कीयत या इन्तक़ाल कलक्टरी रजस्टर में मुन्दर्ज करना — क़ानून ३ सन् १८०३ ई० की दफ़ः ११ के बमूजिब अदालतों पर वाजिब है कि ख़ालसः ज़मीन की बाबत जो डिगरी किया करें सभों की नक़लें साहब कलक्टर के पास भेजें यह नक़ल मौज़ा के और काग़ज़ात के साथ हमेशः दफ़्तर कलक्टरी में रक्खी जायें और फ़ेहरिस्तों में मवाक़ः मुनासिब पर मुन्दर्ज हों इस अमर का उम्दः फ़ायदः जिससे अदालत की डिगरियों का पता मौज़ावार लिखता है दफ़ः १३९ में मज़कूर हो चुका अगर डिगरी कई मौज़ा के मुतअल्लिक़ है तो मवाज़ा मुतअल्लिक़ः पर रुजूअ करने के वास्ते फ़िहरिस्त आम में याददास्त लिखा जाय॥

दफ़ः २९१ जब डिगरी की रू से साहब जज किसी फ़रीक़ को दख़ल दिलाते हैं तो कलक्टरी रजस्टर में दाख़िल ख़ारिज के वास्ते भी हुक्म देते हैं चुनांचि यह बात मिल्कीयत के हुकमी इन्तक़ाल का एक नतीजः लाज़मी है मुमकिन है कि जिस शख़्स का नाम ख़ारिज करने को हुक्म है उसका नहीं बल्कि दूसरे का नाम रजस्टर में मुन्दर्ज हो इस हाल में अदालत दीवानी को ख़बर देनी चाहिये और सदूर हुक्म की दरख़्वास्त की जाय और अदालत से जो हुक्म सादिर हो फ़िल्फ़ौर जारी किया जाय मगर साहब कलक्टर अलबत्तः अख़्तियार रखते हैं कि हुक्म के इजरा से अगर ज़ुल्म देखें तो साहब कमिश्नर के हुज़ूर में अर्ज़ करें॥

दफ़ः २९२ जब मुद्दआअलैः का नाम सिर्फ़ शुरका की क़ायममुक़ामी से मालगुज़ारी रजस्टर में मुन्दर्ज हो तो शायद ख़्वाह मुनद्रजः वाजिबुलअर्ज़ की रू से अदालत दीवानी को जायज़ नहीं कि दूसरे का नाम उसकी जगः दाख़िल करे इस सूरत में जो मिल्कीयत कि नम्बरदार अपने हक़ की रू से रखता है डिगरी से दूसरे को पास मुन्तक़िल होजायगी और अगर डिगरी के सबब उसका इ

वः गांव से बिल्कुल्लीयः उठ जाय तो नम्बरदारी से माज़ूल हो जायगा और उस वक़ जुरका को तजवीज़ करने का अख़्तियार होगा कि गांव के दस्तूर बमूजिब शख़्स माज़ूल की जगः दूसरे को नम्बरदार करैं अगर अदालत के हुक्म से जिस ज़मीन की डिगरी हुई मुहाल से अलाहदः की जाय तो डिगरीदार रजस्टर में नये मुहाल का मालिक मुन्दर्ज किया जायगा और बाक़ी ज़मीन के के वास्ते क़दीम शरीक नया नम्बरदार तजवीज़ करैं गे चुनांचि ऐसे तरीक़ः को अदालतों ने तसलीम किया ॥ *

दफ़ः २९३ अगर वह शख़्स जिस पर डिगरी हुई नम्बरदार न हो और मुहाल की तक़सीम का भी हुक्म न हो तो नामो का दाख़िल ख़ारिज सिर्फ़ पटवारी के क़ागज़ नम्बर ७ में किया जायगा और तहसीलदार की मारफ़त पटवारी के नाम दाख़िल ख़ारिज का हुक्म जारी होगा

दफ़ः २९४ जब किसी मिल्कीयत का मुक़द्दमः अदालत में दरपेश हो तो बाज़ वक़ साहब कलक्टर को मुमानियत की जाती है कि बिला इजाज़त अदालत के दाख़िल ख़ारिज करैं यह बात बतौर आलाम के की जाती है क्योंकि मशहूर है कि इन्तक़ाल मिल्कीयत के बाब में जो हो गया या होनेवाला है साहब कलक्टर सब से जल्द और सहीह ख़बर पाते है अगर साहब मौसूफ़ को यक़ीन हो कि बावजूद मुमानियत अदालत के इन्तक़ाल दरपेश है तो फ़रीक़ैन को तम्बीह करदें और फ़िल्फ़ौर अदालत को सब अहवाल की इत्तला करें अगर इन्तक़ाल इस शर्त से क़ुबूल किया जावे कि मुन्तक़िल करनेवाले के इस्तहक़ाक़ के बाब मे अदालत का फ़ैसलः जो कुछ हो तसलीम किया जायगा तो इसी शर्त पर दाख़िल ख़ारिज भी करना चाहिये॥ *

दफ़ः २९५ मुक़द्दमात मुसर्रेह बाला की डिगरीयों के इजरा में अदालतों पर अज़ रूय आईन लाज़िम है कि इजराय डिगरी साहबान कलक्टर के सिपुर्द करैं मगर इस क़िस्म के सिवाय क़ानून हफ़्तुम सन् १८२५ ई० की दफ़: ६ की रू से अदालतों को अख़्तियार है कि जिस वक़ किसी डिगरी के इजरा में साहब कलक्टर की मदद से ताजील और तकमील जानैं उसके वास्ते साहब मौसूफ़ से मदद चाहैं और यह बात ख़्वाह फ़रीक मुस्तहक़ के दख़्ल दिलाने की बाबत हो या वासिलात के हिसाब का तसफ़ीयः और तरह इस बाब में हुक्काम

सदर दीवानी अदालत ने अपनी राय ॥ सरकुलर हुक्म अदालत सदर दीवा नी मग़रबी नम्बर १९६ मर्कूमः ३० सितम्बर सन् १८३६ ई० पर रुजूअ करना चाहिये ॥ तजवीज़ की कि हुक्काम अदालत को हत्तुलइमकान इस इजाज़ त पर अमल करना क़रीन मसलहत है चुनांचि उनके नज़दीक यही है कि मिल्कीयत ज़मीन की बाबत डिगरी का इजरा इस सबब से जल्द और ख़ातिर ख़्वाह होगा ऐसे मुक़द्दमात में और भी जहां कहीं अज़ रूय आईन रुजूअ करना लाज़िम हो साहब कलक्टर पर वाजि ब है कि अदालतें जो कुछ चाहें उसके इत्तफ़ाक़ में सरगर्म और मु स्तैद रहें साहब जज तजवीज़ कर सकते हैं कि साहब कलक्टर की मारफ़त किसी काम का अन्जाम देना फ़ायदःमन्द होगा और साह ब जज इस तरह से जो तजवीज़ करें साहब कलक्टर को अताअ त से चारह नहीं ॥

दफ़ः २९६ इस नज़र से कि साहबान कलक्टर कार मज़ कूर के अन्जाम में मुस्तैद रहें महकमात ॥ सरकुलर अहकाम मज़री यः सदर दीवानी अदालत मरक़ूमः ज़ैल पर लिहाज़ करना चाहिये नम्बर १२ मरक़ूमः १२ दिसम्बर सन् १८३४ ई० और नम्बर २८ मरक़ूमः २१ दिसम्बर सन् १८३८ ई० और नम्बर ८८ मरक़ूमः १९ जून सन् १८४० ई० ॥ दीवानी से: माही नक़्सः सदर दीवानी अदालत में इरसाल करते हैं जिस में इ जराय डिगरी के मुक़द्दमात में साहब कलक्टर के नाम जो अहका म जारी हुये और से: माही के आख़ीर तक तामील से बाक़ी रहे मुन्दर्ज किये जाते हैं इस नक़्शः के चौथे ख़ाने का उनवान यह है ज़ुदम ॥ हुक्काम सदर दीवानी अदालत के सरकुलर नम्बर ५२ मरक़ूमः २ मई सन् १८४४ ई० और सरकुलर सदर बोर्ड नम्बर ४ मरक़ूमः २८ माह व सन् म ज़कूर पर लिहाज़ चाहिये ॥ तामील के वास्ते साहब कलक्टर को यज़रा त चुनांचि उसकी ख़ानःपुरी के वास्ते साहब जज नक़्शः साहब क लक्टर के पास भेजते हैं कि ख़ुद अपनी कैफ़ीयत लिख दें जब क हीं साहब जज किसी कैफ़ीयत को इतमीनान के लायक़ नहीं सम झते तो उसको नक़्शः से इन्तख़ाब ॥ इस बाब में सदर दीवानी अदालत के सरकुलर हुक्म मवर्रख़ः ५ मई सन् १८४३ ई० नम्बर ३९ पर लिहाज़ करना चाहिये ॥ करके साहब कमिश्नर के पास भेजते हैं और उस वक़्त सा हब कमिश्नर पर लाज़िम होता है कि तवक्कुफ़ का सबब दरयाफ़्त

करें और साहब कलक्टर को हिदायत करें कि किस तरह कार ब॰
न्द हों ॥*

—*—

॥ छठी फ़सिल ॥

॥ ज़िला का मुहासिबः और ख़ज़ाने का अहतिमाम ॥

दफ़ेः २६७ पहिले इस से दफ़ेः १४७ में तसरीह हुई कि किस त
रह से दफ़्तर कलक्टरी गांव के हिसाब किताब मरतबः पटवारी का म॰
खज़न होता है इन बहियों से इस बात का ज़ाहिर करना मकसूद है कि
किस क़दर लगान मालिकों ने काश्तकारों से तहसील की और किस
वक़्त और किसकी मारफ़त और किसकी बाबत रक़ूमात मालगुज़ारी॰
उन्हों ने ख़ज़ाने में दाख़िल की ॥

दफ़ेः २६८ मालगुज़ार ज़र सरकारी तहसीलदार के ख़ज़ाने
में दाख़िल करते हैं चुनांचि तहसीलदारियों के ख़ज़ाने सदर ख़ज़ाने॰
की शाख़ें शुमार हो सकते हैं ज़र ख़ज़ाने की हिफ़ाज़त में तहसीलदार
सिर्फ़ इसक़दर ज़िम्मःदार है कि उसके ओहदः के अन्जाम के वास्ते जो
क़वायद जारी हों सबको कमाहक्कूहू बजा लावे जो ओहदःदार तहसी
ल के ख़ज़ानेः का ज़िम्मःदार है वह तहवीलदार याने ख़ज़ानची तह॰
सील का है और हमेशः कलक्टरी के ख़ज़ानची का आवरदः होता है
और कुल ज़िले के तहवीलदारों का ख़ज़ानची कलक्टरी हमेशः ज़ा॰
मिन है इसवास्ते जब तहवीलदार किसी रक़म की रसीद देदे तो दाख़िल
कुनिन्दः उस क़दर मुतालिबः सरकारी से बरी हो गया और साहब क॰
लक्टर के ज़िम्मः हो जाता है कि रक़म मज़कूर सरकारी हिसाब में॰
बदुरुस्तीमुन्दर्ज हो और ज़र नक़द बहिफ़ाज़त रक्खा जाय लिहाज़ा हि
साब किताब की दो किस्मि हैं जिसपर साहब मौसूफ़ की तवज्जुः हो
नी चाहिये याने पहिले वह हिसाब किताब कि तहसीलदार उन रक़ू॰
मात कोबाबतबनाताहैजो उसके खज़ाने में दाख़िल और सदर ख़ज़ानेः में
इरसाल की जाती हैं दूसरे जो हिसाबात साहब कलक्टर साहब एको
न्टन्ट के हुज़ूर में पेश करते हैं उन रक़ूमात की बाबत जो उनके ख़ज़ाने

में दाख़िल और उस से ख़र्च होती हैं ॥

दफ़ः २९९ तहसीलदार जो हिसाब साहब कलक्टर के हज़ूर में भेजते हैं फ़ारसी ख़त में बतौर सियाक़ के लिखे जाते हैं मुनासिब है कि उस तरीक़े: से हर एक ओहदः दार माल वाक़िफ़ हो जो हिदायत और नक़शः जात इन हिसाबों की निसबत हुक्काम सदर बोर्ड ने तजवीज़ किये तितिम्मः नम्बर ८ में मिलैंगे मुहासबः की ग़लतियों का बड़ा इन्सिदाद इससे होता है कि तहसीलदार बिलइल्तज़ाम हर रोज़ कचहरी बन्द करने से पहिले सियाहः (याने तितिम्मः २८ का नक़शः नम्बर ३) रोज़मर्रः जिस में दिन भर की आमद व ख़र्च मुन्दर्ज है रवाना किया करता है कलक्टरी कचेहरी में ऐसा बन्दोबस्त करना ज़रूर है कि सियाहः मज़कूर बरवक़्त पहुंचा करे और तहसीलदार के और हिसाब से मुक़ाबलः किया जाय जो हर महीने की पन्दरहवीं और आख़ीर तारीख़ को इरसाल करता है तितिम्मः के नक़शःजात देखने से मालूम होगा कि अक्सर रक़ूमात ज़र आमदनी की हैं क्योंकि तहसीलदार को अख़्तियार नहीं कि बिदून हुक्म ख़ास साहब कलक्टर के कुछ रुपयः ख़र्च करे सिवाय ज़र अमानत के जो मुन्सिफ़ों ने भेजा हो ॥

दफ़ः ३०० ज़र नक़द तहसील के ख़ज़ाने से ख़ज़ाने कलक्टरी में ब ताजील और हिफ़ाज़त इरसाल करने के वास्ते तवारीख़ मुक़र्रः पर या जब रुपयः मक़दार मुअय्यन से ज़ियादः जमा हो जाय अमलः पुलीस की सलाह से इन्तज़ाम हो अगर मुमकिन हो तो इरसाल एक ही दिन में पहुंचे मगर जो रात को मुक़ाम करना ज़रूर पड़े तो उसके वास्ते ऐसा मौक़ः तजवीज़ हो जो महसूर और पहरः काफ़ी से महफ़ूज़ हो अय्याम सरमा में जब साहब कलक्टर दौरः करें तहसीलदारियों को बनज़र देखें कि ख़ज़ानेः का मकान बे ख़टके बना है और उसपर पहरः मुस्तैद रहता है और सुबलग जो फ़िलवाक़ ख़ज़ाने में है सियाहे से मुताबिक़ है ॥

दफ़ः ३०१ बारहा इरसाल की ज़रूरत इस तरह से रफ़ा की जाती है कि जो रुपयः कलक्टरी ख़ज़ानेः में जमा है उसके वास्ते हुक्म ख़ज़ानेः तहसीलदार के नाम जारी हो चुनांचि [illegible] हलयान तजारत या ओहदःदार जो सरकारी काम बनाने [illegible] हसन होती है कि जो ज़र नक़द सदर से फ़ासलः [illegible]

तहसीलदारी के लिया करें ऐसा इन्तज़ाम हर तदबीर से आसान किया जा य बग़रतेकि कुछ ख़तरः का अन्देशः नहो इस अमर में अहतियात ज़ा हिर यह है कि तहसीलदार के नाम हुक्म ख़ज़ानः जारी होने से पहि ले हमेशः ज़र नक़्द कलक्टरी ख़ज़ानेः में सियाहः किया जाय और हु क्म ख़ज़ानः साहब कलक्टर के मुहर व दस्तख़त से मुज़ैयन हो न सि र्फ़ ख़ज़ानची का रुक़्आ तहसीलदार के नाम ॥ *

दफ़ेः ३०२ जो हिसाब किताब साहब कलक्टर साहबान कमि श्नर और एकौन्टन्ट के हुज़ूर में भेजते हैं सब अंगरेज़ी ज़बान में लिखे जाते हैं सरकारी जमा व ख़र्च के सब मामिलात उन में मुन्दर्ज हैं और अलबत्तः इस से बड़ी तवालत होती है चार्लिस एलन साहब बहादुर ने उनका मुफ़स्सल हाल अपनी किताब मुलक़्क़ब बदस्तूरुलअमल ए कौन्टन्ट मे जो गवरन्मेन्ट के हुक्म से बमुक़ाम आगरः सन् १८४७ ई० में छपी लिखा और हर एक हिसाब की तरतीब के वास्ते दस्तूरुलअ मुन्दर्ज किये यहां सिर्फ़ अललअमूम बाज़ अमदः हिसाबों की कैफ़ी यत और मक़सद के तज़किरः क़लील की गुंजायश है ॥ *

दफ़ेः ३०३ ख़ज़ानः के माहवारी हिसाब । मुलक़्क़ब ट्रेज़री एकौ न्ट । से हर रक़म आमद हो या ख़र्च अपने अपने ख़ानेः मुनासिब में ज़ाहर होती है इस किताब की तरतीब सहीह और रवानगी पर वक़्त साहब एकौन्टन्ट के पास नेहायत ज़रूर है क्योंकि उसी से मुल्की किताबें बन्ती हैं और मुल्की हिसाब जब तक ख़ज़ानेः का हिसाब हर ज़िला से न पहुंचे ख़त्म नहीं हो सकता ॥ *

दफ़ेः ३०४ हर किस्म आमदनी की आज़मायश और रज री का अलाहदः अलाहदः तरीक़ः है मगर आमदनी मालगुज़ारी के ब में जो तरीक़ः जारी है सब से ज़्यादः इत्तफ़ात और तफ़तीश ज़रूर है इस वास्ते ज़ैल में उसका कुछ ज़िक्र किया जाता है ॥

दफ़ेः ३०५ बन्दोबस्त ज़िला की मनज़ूरी के वक़्त गवरन्मेन्ट तजवीज़ करते हैं कि कुल्ल मीआद के साल साल की बाबत हर ए क मुहाल से किस क़दर तहसील की जाय हर साल के शुरूअ में हर कलक्टर एक हिसाब नामज़द क़िस्तबन्दी । यह नक़्शः अमल एकौन्टन्ट के नक़्शः नम्बर १२ में मिलैगा । परगनःवार तैयार क हैं जिस में यह मरातिब हर परगनः की बाबत क़िस्तों के बमूजिब

मुन्दर्ज होते हैं साहब एकौन्टन्ट की कचहरी में गवर्न्मेन्ट के अहकाम के मुकाबिलः से जो बंदोबस्त के बाब में जारी हुये नक़्शः मज़कूरः का इम्तिहान होता है उसको मीज़ान मेक़दार मुनीवज़ः गवर्न्मेन्ट से न ज़्यादः हो न कम ॥

दफ़ः ३०६ अब इस मुतालिबः की तहसील का हाल ज़ाहिर करने के वास्ते साहब कल्क्टर हर महीने एक हिसाब जो तौज़ीअ ¶ साहब एकौन्टन्ट के दस्तूरुलअमल का नक़्शः नम्बर ७ ¶ हाल कहलाता है भेजते हैं और उस में महीने का ज़र मुतालिबः और तहसील और बाक़ी मुन्दर्ज होती है इसका मुतालिबः उस से मुताबिक़ है जो ख़ज़ानः के हिसाब की इस मद § याने आमदनी माल का ख़ानः § में मुन्दर्ज है और जो बाक़ी रहे आयन्दः महीनः की तौज़ीअ में बढ़ाया और यहीं हिसाब किया जाय पिछले महीने के आख़ीर में याने ३० अप्रैल को बाक़ी रहती है वह साल की बाक़ी ठहरती है और उस साल का ज़र मआफ़ी बहुक्म गवर्न्मेन्ट मुजरा करके यह रकम दूसरे सिलसिले के हिसाब बाक़ी सालहाय गुज़श्तः और मुलतवी व बक़ाया तौज़ीअ में मुन्दर्ज होती है और जब तक बसूल या ख़ास हुक्म गवर्न्मेन्ट से मआफ़ न हो बक़ाया तौज़ीअ ¶ साहब एकौन्टन्ट के दस्तूरुलअमल नम्बर १६ में यह नक़्शः मुन्दर्ज है ¶ से ख़ारिज नहीं हो सकती ॥

दफ़ः ३०७ आख़ीर साल में बक़ाया सनवात मज़कूरः की एक फ़िहरिस्त अलाहदः और मुफ़स्सल रपोर्ट साहब कमिश्नर के हुज़ूर में की जाती है जैसा दफ़ः ४० में ज़िक्र हो चुका ॥

दफ़ः ३०८ ख़ज़ाने से नक़दी का ख़र्च सिर्फ़ बकज़ान ज़ैल से हो सकता है बहुक्म हाकिम जो इख़्तियार ख़्वाह जो अहलत्यान सरकार रुपयः तलब करने का इख़्तियार रखते हैं उनकी रसीद के बमूजिब या उन लोगों की रसीद से जो बरबज़ बिल दस्तख़ती सुबल आडीटर के रुपये लेने का मनसब रखते हैं ख़्वाह रक़ूमात अमानत की वापसी के ज़रये से या जो रक़ूमात और ख़ज़ानः में हुन्डयों के वास्ते दाख़िल की गई हों जब ख़ज़ानः का हिसाब साहब एकौन्टन्ट के हुज़ूर में रवानः किया जाय तो हर रक़म ख़र्च को बाबत रसीद या सनद भी साथ होनी चाहिये और जो सरकारी ख़र्च में आया है उसका बिल दस्तख़ती सुबल आडीटर का साथ हो इस तरह से हर रक़म जो

ख़र्च की जाती है साहब कलक्टर पर साबित करना पड़ता है कि पानेवा
ले का दस्तख़ती सहीह था और रुपयः वाक़अ में उसी को मिलैगा॥ *

दफ़ः ३०९ इन्प्रफ़ीशन्ट ।। इस अ़ेबारत से वह रुपयः मुराद है जो ख़र्च
होने के सबब मौजूद नहीं है और उसे अक्सर निज़दात कहते हैं ।। बालनिस ।
याने निज़दात एक तदबीर ज़ाबितः के मवाफ़िक तो नहीं है मगर उस से ।
यह बड़ी सहूलत होती है कि साहब कलक्टर अपनी ज़िम्मःदारी से
बाज़ रक़ूमात अ़लस्सहिसाब ख़र्च करते हैं जबतक साहब कलक्टर इन
रक़ूमात के ख़र्च की मनज़ूरीसिविलआडीटर की दस्तख़ती हासिल करते ।
हैं ख़ज़ानः के हिसाब में बतौरनक़द मुन्दर्ज रहती बाद उसके अपनी अ
पनी सहात में महसूब होती हैं जब तक निज़दात की सब रक़ूमात का ।
तसफ़ीयः न हो साहब कलक्टर बज़ातही उनके ज़िम्मःदार हैं लिहाज़ा
बहुत ख़बरदार रहें कि कम से कम हों और बजुज़ इसके कि ज़रूरत ना
गुज़ीर पेश आवे किसी रक़म को जब तक मन्ज़ूरी कामिल हासिल न
कर लें ख़र्च न करें ॥ *

दफ़ः ३१० अपने ख़ज़ानेः के अहतिमाम के वास्ते साहब ।
कलक्टर बज़ातही ज़िम्मःदार हैं अगर उसमें तग़ल्लुब या नुक़सान ।
होजाय तो कमी का मुतालिबः साहब कलक्टर से हो सकता है इल्ला
अगर साहब ममदूह साबित करदें कि जो अहतियातें मामूल और मु।
क़र्रर हैं अमल में लाये और ख़िसारा किसी सबब से पड़ा जो उनके
अख़्तियार से और बनज़र अहवाल रोज़मररः के अहाते क़यास से बा
हर है ख़ज़ानः रखने की मदद के वास्ते साहब कलक्टर को एक ख़ज़ा
नची मिला कि वह अक्सर एक मालदार महाजन या साहूकार होता
है जो ज़मानत ।। ब तादाद काफ़ी दाख़िल करे हमेशः यह क़ायदः मल

।। हुक्काम सदर बोर्ड मग़रबी के सरकुलर मतबूअः नम्बर ४ की दफ़ः
२०६ जैल से मन्तख़िब की जाती है ॥ *

दफ़ः २०६ ख़ज़ानचियों की ज़मानत की तादाद और कैफ़ीयत और उनकी
तनख़्वाह के तअ़ेयुन के वास्ते अहकाम जैल सादिर होते हैं ॥ *

सदर बोर्ड ने जैल के मवाफ़िक ख़ज़ाने तीन दरजः पर तक़सीम किये
और हरदरजकी ज़िम्मःदारी के लिहाज़ से मिक़दार ज़मानत मुक़र्रर की जब अ
हालियान अहलकः की तनख़्वाह तरमीम हो इस हुक्म के बमूजिब तबदी

जावगी चिन्नफ़ैल कुछ तबदीली ज़रूर नहीं ॥

पहिला दरजः — जिस ख़ज़ानेः का रोज़मररः ख़र्च पांच हज़ार रुपयः से ज़यादः हो ख़ज़ानची ज़मानत बक़ैद पच्चीस हज़ार रुपये के दाख़िल करै और पचास रुपया मशाहरः पावे इस दरजः में यह ज़िलाऋ हैं अलीगढ़ चिन्नौर बदायों बुलन्दशहर देहरादून इटावः फ़तहपूर गुरगांवा हमीरपूर हिसार कुरंगाबाद जाधनपूर नज़लपूर कमाय मैनपुरी पिथली भीत सहारनपूर शाहजहांपूर ॥

दूसरा दरजः — जिसका ख़र्च रोज़मररः पांच हज़ार रुपये के ऊपर और दस हज़ार रुपये के नीचे है ख़ज़ानची जामनी पचास हज़ार रुपये की दाख़िल करै और अस्सी रुपया तनख़्वाह पावे इस दरजः में यह ज़िलाऋ हैं अलीगढ़ आज़मगढ़ बांदा बरैली गोरखपूर मथुरा मिरज़ापूर मुरादाबाद सागर ॥

तीसरा दरजः — जहां रोज़मररः ख़र्च दस हज़ार रुपयेः से ज़यादः हो ख़ज़ानची ज़ामनी बक़ैद एक लाख रुपयेः के दाख़िल करै और सौ पचास रुपये तनख़्वाह पावे इस दरजः में यह ज़िलाऋ हैं आगरः इलाहाबाद बनारस कानपूर दहली फ़र्रुख़ाबाद ग़ाज़ीपुर मेरठ पानीपत ॥

हुक्म रहै कि ख़ज़ानची के हवालेः ज़र नक़्द थोड़े दिनों के ख़र्च की मिक़दार से ज़यादः नहो और तादाद जमानत हमेशः उस मिक़दार से बहुत बढ़ती रहै बाक़ी ख़ज़ानः बड़े मज़बूत और दो कुफ़्ल के सन्दूक़ों में रक्खा जाय कि एक कुनजी उसकी साहब कलक्टर और एक ख़ज़ानची के पास रहै सियाहा के बाब में जो क़वायद तजवीज़ [] होये अगर सा

[] साहब एकौन्टन्ट के दसतख़तज़्अमल हिस्सः औवल दफ़ेः ६३ सफ़हे १९ पर रुजूअ़ हो ॥

हब कलक्टर उनपर लिहाज़ करैं और हर रोज़ पेश कराके उनै तसदीक़ करैं तो तादाद ज़र नक़्द से जो ख़ज़ानची के हवालेः है हमेशः आगाह होंगे और मिक़दार मुनासिब से ज़यादती का ख़तरः न रहैगा ॥

दफ़ेः ३११ मामूल है कि साहब कलक्टर अपने ख़ज़ानेः का अहतिमाम किसी साहब असिसटन्ट या डिपटी कलक्टर को सिपुर्द करते हैं मगर डिपटी कलक्टर अगर क़ानून नम्बर सन १८३३ ई॰ की रू से मुक़र्रर हो तो इस काम के वास्ते गवरनमेन्ट से उसको रुख़

स अख्तियार मिलना ‡ ‡ चाहिये यह इन्तज़ाम बाज़ वजूहात से ।

‡ ‡ गवरन्मेन्ट के अहकाम मरकूमः १९ नवम्बर सन् १८४१ ई० पर लिहाज़ किया जाय जो इस किताब की दफ़ेः १६ सफ़ेः १४५ में मतबूआ हैं ॥ *

करीन मसलहत है मगर उसके बायस साहब कलक्टर अपनी ज़ाती ज़िम्मःदारी से बरी नहीं ‡ ‡ होते और न इस बाज़पुरश से कि ।

‡ ‡ गवरन्मेन्ट की तजवीज मरकूमः यकुम नवम्बर सन् १८३१ ई० की दफ़े ७ में लिखा है कि जो फ़ेल डिपटी कलक्टर करैं सिर्फ़ साहब कलक्टर की ज़िम्मःदारी से किया जाता है फिर २५ जौलाई सन् १८३९ ई० को गवरन्मेन्ट आला ने तजवीज़ की कि साहब कलक्टर ख़ज़ाने की ज़िम्मःदारी मुतफ़र्रिद रखते हैं इल्ला अगर किसी सरकारी काम की सहूलत के वास्ते साहब मौसूफ़ इजाज़त पाकर अपने ख़ज़ानेः का बिल्कुल अहतिमाम दूसरे को सौंपें और नक़्द रुपया की रसीद लें जब किसी डिपटी कलक्टर ग़ैर मुतअह्हद को ख़ज़ानेः का अहतिमाम गज़ट के हुक्म बमूजिब दिया जाय तो १९ नवम्बर सन् १८४१ ई० के हुक्म से दस्तूर साबिक़ ने इस क़दर तरमीम पाई कि डिपटी मौसूफ़ बमशारिकत ख़ज़ानची के ख़ज़ानेः की हिफ़ाज़त और सब क़वायद और हिसाबात मुक़र्ररः की तामील मुताल्लिक़ का ज़िम्मःदार है मगर ताहम साहब कलक्टर उस ज़िम्मःदारी कुल्लीयः से जो उनपर सरकारी ख़ज़ानेः के सर दफ़्तर होने से लाज़िम है बरी नहीं होते फ़क़त जुमलों मुसर्रहः बाला से निकलता है कि जब तक साहब कलक्टर ज़िला का अहतिमाम करते हैं ख़ज़ानः के अहतिमाम में मुस्तैद रहने और उसके काम बा ज़ाबित और सेहत होने की ज़िम्मःदारी से नहीं छूट सकते मगर बाज़ कामों की ज़िम्मःदारी ऐसे डिपटी कलक्टर पर डालनी जायज़ है जो ब इजाज़त अहतिमाम मे मुक़र्रर हुआ हो ॥ *

सब अमूरात मुतअल्लिक़ः हिसाब व ख़ज़ानः मुस्तैदी से और ज़ाबितः के मवाफ़िक़ तामील किये जाते हैं वाज़ह हो कि साहब कलक्टर की नेकनामी के वास्ते वाजिब है कि इस काम के असूल और तरीक़ों से ख़ूब वाक़िफ़ हों और अगर तामील में कुछ सह्व या ग़फ़लत राह पावै तो बड़ी तकलीफ़ का बायस होगा और आ ।

रक़म का वसूल ग़ैर मुमकिन हो वे तवक्कुफ़ तजवीज़ करनी चाहिये कि
मुआफ़ी की रपट की जाय या हिसाब में रहै इस तजवीज़ की दिक्कत से
अकसर इस तरह गुरेज़ की जाती है कि रक़म मुशतबः अलवसूल की
मद में डाल देते हैं मगर जब एक रक़म को मुआफ़ी सजाह या इन
साफ़ की रू से वाजिब ठहर चुके फ़िर मुतालिबः उसके वास्ते बेजा है
जो रक़ूमात अहल मुक़द्दमात को देनी चाहियें बे सबब मद्द अमानत
मे रखनी ऐन बे इन्साफ़ी है मसलन उस जमीन का महसूल जो तना
ज़ा या और सबब से क़ुर्क़ हो जिस से ज़बती मुनाफ़ा नहीं निकल्ती
फिर इस सबब से जिस माल का मुल्क की तरक्क़ी में ख़र्च करना मुम
किन था मुफ़्त नाकारा पड़ा रहता है जहां मुक़द्दमात का इन्तज़ाम
परगनःवार मज़कूरः दफ़ः १३ जारी हुआ वहां मुफ़ीद होगा कि रक़ूमा
त मुसर्रह वाला भी हत्तुलमक़्दूर परगनःवार तक़सीम हों ताकि वही
शख़्स उनकी तफ़तीस और तहक़ीक़ात करै जो उस परगनः के और
अमूरात से वाक़िफ़ हो और रक़ूमात मज़कूर उसी मिस्कोयत के
और मुक़द्दमात के साथ पेश और तजवीज़ की जायें चुनांचि बारहा
ऐसा पायाजायगा कि जिन मुहालात के मालिकः में दिक्कत और द
र्दे सर ज़्यादः है वह फ़िलवाक़ा क़लील हैं और जिन देहात का हा
ल अबतर हो जाता है उनके सबब से दफ़्तर की कई शाख़ों में मुक़द्द
मात बरपा हो जाते हैं लिहाज़ा जरूर पड़ता है कि जितने मुक़द्दमात
किसी मुहाल की बाबत दायर हों एकबारगी पेश होकर बतरीक़ः इन्सा
फ़ और हमरंगी के तैय किये जायें ताकि उस मुहाल के अहवाल फ़िर
हालतइतमीनानपर आ जावें ॥

दफ़ः ३१७ ऐसे जुदे हिसाब से कनारः किया जाय जो सरका
री हिसाब और किताबों में मुन्दर्ज नहीं होता सरकारी हिसाबों में आ
मदनी और ख़र्च की सब रक़में लिखी जाती हैं और मुक़द्दमात ख़ास
की आमदनी और ख़र्च बाद मुजराई अख़राजात के तहरीर नहीं हो
ते बाज़ औक़ात सरकारी मतालिब के वास्ते ऐसा रुपया अमानत र
ख्खा जाता है जिसकी कुछ इजाज़त नहीं और हर चन्द यह अमर
दियानत और नेक नीयती ही से हो फिर भी ऐसा क़ायदः बहुत ना
मुनासिब है और अलावः बसकि सरकार ने सड़क और सरकारी कामों
की तरक्की के वास्ते ज़र कसीर मुक़र्रर किया है ऐसी बे ज़ाब्ती का

कुछ जुज़ बाक़ी नहीं रखता फिर इस किस्म के साथ एक दस्तूर बेजा लायक़ तज़क़ः के है कि मश्राफ़ी मुजब्बाः वगैरः का बन्दोबस्त गवर्न मेन्ट की मनज़ूरी के वास्ते बे रफ़ैर पड़ा रहता है और चूंकि ऐसी अख़ राजियात को जमा होने मनज़ूरी तक तौजीह में नहीं चढ़ती इस वा स्ते उनकी आमदनी पराफ़िस्ट इन्दुत्तास यानें उस ज़मीन की तहसील की मद्द के नीचे जो तौज़ीह में नहीं चढ़ी लिखी जाती है और इसतरह से आमदनी मज़कूर उन सब अख़्तियारों और इम्तिहानों से छुट जाती है जो ज़रूर है कि मालः की सब रक़मों पर आयद हों ॥

॥ सातवीं फ़स्ल ॥

॥ मुतफ़र्रक़ात के बयान में ॥

दफ़ः ३१८ अब कई कामों का तज़्करा बाक़ी रहा जो इत्तफ़ा क़ से साहब कलक्टर के ज़िम्मः होते हैं और ऊपर की किसी फ़स्ल में शामिल नहीं हो सकते ॥

दफ़ः ३१९ लोकल एजन्टी रैयात आम जो मज़हब या किसी और मक़सद के वास्ते मुक़र्रर हो और मिल्कीयत नज़ूल और मज़ बतः सरकार की ख़बर गीरी के वास्ते क़ानून १९ सन् १८१० ई० के बमूजिब लोकल एजन्ट याने मुख़्तार कार मुक़र्रर हुए और क़ानून मज़कूर की दफ़ः ९ की रूसे साहब कलक्टर अपने ओहदे के म वजब एक मुख़्तारकार होते हैं साहब मौसूफ़ के साथ अफ़सर औक़ात डाकटर साहब और बारगमास्टर और जो अशख़ास और गवरन्मेन्ट से तजवीज़ हों शामिल होते हैं ॥

दफ़ः ३२० गवरन्मेन्ट ने कोर्ट आफ़ डायरक्टर्स के हुक्म आर्डी नम्बर १७ सन् १८४१ ई० मरक़ूमः २६ अगस्त सन् मज़कूर पर लिहाज़ चाहिये कि काम नआप नहीं है कि मसारिफ़ दीनी की ख़बर गीरी में सरकारी नौकर श रीक हों सिवाय उस क़दर के कि ख़्वाह नख़्वाह ज़रूर पड़े जहां मदा ख़िलत ज़रूर पड़ती है चाहिये कि मसारिफ़ इमारतों की ख़बर गीरी में मुनहसर हो और मामिलात दीनी में मदाख़िलत करने से बिल्कुल

अंग्रेज़ हो जब मदाख़िलत की ज़रूरत मालूम हो तो जिस मज़हब के म
आरिफ़ की ख़बरगीरी दरकार है गवर्न्मेन्ट उस मज़हब के ख़ासख़ास मो
तबर और मुतदैयन को बतौर लोकलएजन्ट के मुक़र्रर करेंगे कि वह ब
तरीक़ कुमेटी ख़ास के मामिलात ख़ैरात का एहतिमाम करें॥

दफ़ेः ३२१ लूकल एजन्टों पर यह भी लाज़िम होता है कि
सब मिल्कीयत नज़ूल पर सरकार का हक़ साबित करने में पैरवी करें
और जहां सरकार का हक़ साबित हो उसका इन्तज़ाम उनके ज़िम्मः
है इस काम के अन्जाम में कुमैटी को बड़ा अख़्तियार है और चूंकि उन
सब में साहब कलक्टर ज़िला की मिल्कीयत के हालात से ज़्यादः
वाक़िफ़ हैं उनपर इस अमर की ज़िम्मःदारी होती है कि नज़ूल का
कोई बे असल और बेहूदः दावी पेश नहो अकसर बड़े शहरों और क़
सबात में छोटे क़िला ज़मीन के या वह इमारतें होती हैं जिनका फ़ा
यदः आम हो और सरकारी माल मशहूर और शायद क़ानूनगो के
दफ़्तर में भी इसी कैफ़ीयत से मुन्दर्ज हों जहां सरकार के ऐसे माल
मुहाफ़िज़ की फ़िहरिस्त मौजूद हो ख़्वाह तरतीब उसकी ममकिन
है तो जिस अफ़सल से कि हुमकान हो दावी सरकार की हक़ीक़त
तजवीज़ की जाय अगर मालिक नहो तो सरकार का हक़ साफ़ हो
गा अगर बेदख़ल लोग बेहूदः दावी पेश करें या ऐसे हक़ूक़ के मुद्द
ई हों जो अरसेः दराज़ से मौक़ूफ़ हुये तो उनकी तहक़ीक़ात और इन
फ़िसाल किया जाय अगर दावी ख़ारिज हो तो दावीदार को अख़्तिया
र है कि अदालत दीवानी से अपना इलाज चाहे अगर ज़मीन का
ज़ाहिरी मालिक और क़ाबिज़ कोई मौजूद हो तो सरकार का दावी पे
श करना मुनासिब नहीं सिवाय इस सूरत के कि वजूहात निहायत
क़वी और मज़बूत हो और ऐसे दावी का सबूत और पैरवी सिर्फ़ अ
दालत दीवानी में मुमकिन है॥

दफ़ेः ३२२ जब तक गवर्न्मेन्ट की इजाज़त हासिल नहो
तो ज़मीन और इमारत सरकारी का नीलाम न किया जाय ज़मीन
या बग़ाते ख़िराज बिकैअी या लाख़िराजी जैसे कि पिछले बन्दोबस्त
में जमाबन्दी से ख़ारिज थी या दाख़िल जब सरकारी ज़मीन के नी
लाम से किसी को तकलीफ़ या ईज़ा मुतसौव्वर हो तो नीलाम की इ
जाज़त न दी जायगी ऐसी सूरत में जिसके ईज़ा पाने का अन्देशा

उसी के हाथ बक़ीमत वाजबी बेचनी चाहिये मसलन मसजिद या ठाकुरद्वारा के पास जो ज़मीन है इस तरह न बेंची जाय कि लोग लड़ाई के मामिलात की बाबत बेज़ार हों और अलाहाज़ुलक़ियास सरकारी ज़मीन के ठेकःदार या उस ज़मीन के मालिक को जो ज़मीन नज़ूल से मुत्तसिल है पहिले अख़्तियार दिया जाय कि हक़्क़ मिल्कियत क़ीमत मुनासिब पर ख़रीद करें और नीलाम की नौबत पहुंचनी ज़रूर नहोगी जिस ज़मीन का नीलाम या बैअ इस तरह की जाय ख़रीदार का हक़्क़ जब तक गवर्न्मेन्ट से मनज़ूर नहो क़तई नहोगा और रपट करने में हमेशः ज़रूर होता है कि ज़मीन की मेक़दार और हाल जिस दक़ीक़ः रसी से हो सके नक़्शः और लिखी हुई कैफ़ीयत से वाज़ह किया जाय जब बड़े शहरों के सवाद में नज़ूली ज़मीन बकसरत हो तो घर बनाने के वास्ते बहुत लोग ख़्वाहिश करते हैं वास्ते तसफ़ीयः सारी ज़मीन नज़ूल वाक़ेअ सवाद दारुलहुकूमत आगरः के गवर्न्मेन्ट ने २५ अपरैल सन् १८४५ ई० को दस्तूरुलअमल तजवीज़ किया और साहिबान सदर बोर्ड ने बतौर हुक्म सरकुलर के मुश्तहर किया कि तितिम्मः नम्बर २९ में मौजूद है ॥

दफ़ः ३२३ नज़ूल की क़ीमत का रुपयः गवर्न्मेन्ट अकसर औक़ात उसी शहर की तरक़्क़ी में ख़र्च करती है जिस में ज़मीन मज़कूर वाक़ेअ है और जो सरकारी काम छोटे या बड़े इस ख़र्च से चलते हैं लेकिन सजन्टों के अहतिमाम और ख़बरगीरी में रहते हैं ॥

दफ़ः ३२४ ख़र्चः सड़क यानी जमा मालगुज़ारी पर फ़ी सदी एक रुपयः बन्दोबस्त के वक़्त मालगुज़ारों ने इक़रार किया कि आम सड़क जो उनके गांव में चलती है उसकी तरम्मत की ज़िम्मःदारी का ज़िमः के बदले जमा पर फ़ी सदी एक रुपयः सरकार को दिया करेंगे यह रक़म सरकारी मुतालिबेः के साथ शामिल करके एक ही वक़्त और तरीक़ेः से तलब होती है तहसीलदार वसूल करके ख़ज़ाने सदर में भेजता है और वहां मद्द अमानत में सियाहा होती है और बमूजिब बिल अंगरेज़ी के जो लफ़्टन्ट गवर्नरी के तीन साहिबों का दस्तख़ती हो ख़र्च की जाती है लफ़्टन्ट गवर्नरी बमूजिब तजवीज़ गवर्न्मेन्ट मरक़ूमः १० फ़िबुरी सन् १८५१ ई० मुक़र्रर है और ज़िला का सब सड़कों की ख़बरदारी उनके ज़िम्मः है सिवाय उनके जिनकी तरम्मत गवर्न्मेन्ट

गुरेज़ हो जब मदाख़िलत की ज़रूरत मालूम हो तो जिस मज़हब के म
आरिफ़ की ख़बरगीरी दरकार है गवर्नमेन्ट उस मज़हब के अशख़ास मो
तबिर और मुतदैयन को बतौर लोकलएजन्ट के मुक़र्रर करेंगे कि वह ब
तरीक़ कुमेटी ख़ास के मामिलात ख़ैरात का अहतिमाम करें॥

दफ़ः ३२१ लूकल एजन्टों पर यह भी लाज़िम होता है कि
सब मिल्कीयत नज़ूल पर सरकार का हक़ साबित करने में पैरवी करें
और जहां सरकार का हक़ साबित हो उसका इन्तज़ाम उनके ज़िम्मः
है इस काम के अन्जाम में कुमेटी को बड़ा अख़्तियार है और चूंकि उन
सब में साहब कलक्टर ज़िला की मिल्कीयत के हालात से ज़यादः
वाक़िफ़ हैं उनपर इस अमर की ज़िम्मःदारी होती है कि नज़ूल का
कोई बे असल और बेहूदः दावी पेश न हो अकसर बड़े शहरों और क़
सबात में छोटे क़िता ज़मीन के या बहुत इमारतें होती हैं जिनका फ़ा
यदः आम हो और सरकारी माल मशहूर और शायद क़ानूनगो के
दफ़्तर में भी इसी कैफ़ीयत से मुन्दर्ज हों जहां सरकार के ऐसे माल
मुताबिक़ः की फ़िहरिस्त मौजूद हो ख़्वाह तरतीब उसकी ममकिन
है तो जिस अजलत से कि इमकान हो दावी सरकार की हक़ीयत
तजवीज़ की जाय अगर मालिक न हो तो सरकार का हक़ साफ़ हो
गा अगर बेदख़ल लोग बेहूदः दावी पेश करें या ऐसे हक़ूक़ के मुद्द
ई हों जो अरसः दराज़ से मौक़ूफ़ हुये तो उनकी तहक़ीक़ात और इन
फ़िसाल किया जाय अगर दावी ख़ारिज हो तो दावीदार को अख़्तिया
र है कि अदालत दीवानी से अपना अलाज चाहे अगर ज़मीन का
ज़ाहिरी मालिक और क़ाबिज़ कोई मौजूद हो तो सरकार का दावी पे
श करना मुनासिब नहीं सिवाय इस सूरत के कि वजूहात निहायत
क़वी और मज़बूत हों और ऐसे दावी का सबूत और पैरवी सिर्फ़ अ
दालत दीवानी में मुमकिन है॥

दफ़ः ३२२ जब तक गवर्नमेन्ट की इजाज़त हासिल न हो
ले ज़मीन और इमारत सरकारी का नीलाम न किया जाय ज़मीन
या बराती ख़िराज बिके थी या लाख़िराजी जैसे कि पिछले बन्दोबस्त
में जमाबन्दी से ख़ारिज थी या दाख़िल जब सरकारी ज़मीन के नी
लाम से किसी को तकलीफ़ या ईज़ा मुतसौवर हो तो नीलाम की इ
जाज़त न दी जायगी ऐसी सूरत में जिसके ईज़ा पाने का अन्देशा है

उसी के साथ बक़ीमत वाजबी बेचनी चाहिये मसलन् मसजिद या ठाकुरद्वारा के पास जो ज़मीन है इस तरह न बेची जाय कि लोग सजह्व के मामिलात की बाबत बेज़ार हों और अल्लाहाज़ुल्किफ़ायत सरकारी ज़मीन के ठेकेदार या उस ज़मीन के मालिक को जो आराज़ी नज़ूल से मुलहिक़ है पहिले अख़्तियार दिया जाय कि हक़ मिल्कीयत क़ीमत मुनासिब पर ख़रीद करे और नीलाम की नौबत पहुंचनी ज़रूर नहोगी जिस ज़मीन का नीलाम या बैअ इस तरह की जाय ख़रीदार का हक़ जब तक गवरन्मेन्ट से मनज़ूर नहो कतई नहोगा और रपोर्ट करने में हमेशः ज़रूर होता है कि ज़मीन की मेक़दार और हाल जिस दक़ीक़ः रसी से हो सके नक़्शः और लिखी हुई कैफ़ीयत में वाज़ह किया जाय जब बड़े शहरों के सवाद में नज़ूली ज़मीन बकसरत हो तो घर बनाने के वास्ते बहुत लोग ख़्वाहिश करते हैं वास्ते तसफ़ीयः दावी ज़मीन नज़ूल वाक़ेअ सवाद दारुलहुकूमत आगरः के गवरन्मेन्ट ने २५ अपरैल सन् १८४५ ई॰ को दस्तूरुलअमल तजवीज़ किया और साहिबान सदर बोर्ड ने बतौर हुक्म सरकुलर के मुश्तहर किया कि तितिम्मः नम्बर २९ में मौजूद है ॥

दफ़ः ३२३ नज़ूल की क़ीमत का रुपयः गवरन्मेन्ट अकसर औक़ात उसी शहर की तरक़्क़ी में ख़र्च करती है जिस में ज़मीन मज़कूर वाक़ेअ है और जो सरकारी काम छोटे या बड़े इस ख़र्च से बन्ते हैं लोकल एजन्टों के अहतिमाम और ख़बरगीरी में रहते हैं ॥

दफ़ः ३२४ ख़र्चः सड़क़ आने जमा मालगुज़ारी पर फ़ी सदी एक रुपयः बन्दोबस्त के वक़्त मालगुज़ारों ने अक़रार किया कि आम सड़क जो उनके गांव से चलती है उसकी मरम्मत की ज़िम्मःदारी का ज़िम्मः के बदले जमा पर फ़ी सदी एक रुपयः सरकार को दिया करेंगे यह रक़म सरकारी मुतालिबः के साथ शामिल करके एकही वक़्त और तरीक़ः से तलब होती है तहसीलदार वसूल करके ख़ज़ाने सदर में भेजता है और वहां मद्द अमानत में सियाहा होती है और बमूजिब बिल अंगरेज़ी के जो लोकल कुमेटी के तीन साहिबों का दस्तख़ती हो ख़र्च की जाती है लोकल कुमेटी बमूजिब तजवीज़ गवरन्मेन्ट मरकूमः १० फ़िब्रवरी सन् १८४१ ई॰ मुक़र्रर है और ज़िला की सब सड़कों की ख़बरदारी उनके ज़िम्मः है सिवाय उनके जिनकी मरम्मत गवर्न्मेन्ट

की तरफ़ से होती है ॥ *

दफ़ेः ३२५ इस से यह निकलता है कि साहब कलक्टर अपने ओहदे के लिहाज़ से इस आमदनी के ख़ज़ानची हैं और उनपर लाज़िम है कि कुमैटी की कार्रवाई में पेशवाई करें साहब ममदूह इस अमर के ज़िम्मःदार हैं कि ज़मीन के मालिकों से बन्दोबस्त के वक़्त जो इक़रार किया गया है कि मरम्मत सडक के मुतालिबे से बरी रहेंगे और सडकें मज़दूरों की मारफ़त उनके आराम के वास्ते मरम्मत हुआ करेंगी बवजः अहसन मरई रहे जब सड़क की आमदनी का यह ओमदः मतलब बख़ूबी अमल में आजावे सिर्फ़ उस वक़्त जायज़ है कि जो फ़ाज़िल बचे बड़ी सड़कों की मरम्मत में लगाया जाय पुल बनवाने से या ऊंचे करने और कंकड़ डालने से ॥ *

दफ़ेः ३२६ फ़ौज की रसद रसानी — क़ानून ११ सन् १८०६ ई० और ६ सन् १८२५ ई० की शरायत के बमूजिब सब ज़मींदार और और मुस्ताजिरों पर वाजिब है कि जब फ़ौज उनके इलाक़ेः में सफ़र करे अबूर दरया और रसद रसानी का इन्तज़ाम करें दर सूरत तगाफ़ुल जुरमानः के सज़ावार होंगे फ़िर सरकार यह भी इक़रार करती है कि जो ख़र्च इन कामों में पड़े और फ़ौज के चलने से ज़िराअत में जो पायमाली हो उसका ज़र ओवज़ मालिकों को देगी यह इन्तज़ाम साहब कलक्टर के ज़िम्मः होता है और इसी वास्ते अफ़सर कमान उनको पहिले से चिट्ठी भेजते हैं कि फ़ौज फ़लानी राह चलेगी और फ़लानी जगः मुक़ाम करेगी और साहबान कलक्टर ज़िम्मःदार हैं कि फ़ौज के चलने में कुछ रोक न हो और फ़ौज को जो असबाब दियाजाय उसकी क़ीमत वाजबी मालिकों को मिले इन ओमदः मतालिब के वास्ते बारहा अहकाम अहल क़लम और अहल सैफ़ के नाम जारी हुये चुनांचि उनमें से बाज़ ज़रूरी मुन्तख़िब होकर एक रिसालेः में बमुक़ाम आमलः सन् १८४७ ई० में गवर्न्मेन्ट के हुक्म से मतबूअ हुये और सन् १८४८ ई० में बमुक़ाम आगरः एक तितिम्मः उनका छपा उससे मालूम होगा कि बड़ी सडक पर हज़ार दिक़्क़त से एक इन्तज़ाम तजवीज़ हुआ और उसका बताकीद तमाम अमल में आना फ़ौज की कार्रवाई और बासिन्दगान क़ुर्ब जवार सड़क के आराम और रफ़ाहियत

के वास्ते बहुत ज़रूर है

दफ़ः ३२७ पेनशन याने मालियानः — मालियानः [illegible] सरकारहाय साबिक़ के दावों की तजवीज़ के लिये जो अहकाम मुक़र्रर हुये उनका ज़िक्र यहां ज़रूर नहीं तहक़ीक़ात जो बमूजिब दफ़ः [illegible] क़ानून २४ सन् १८०३ ई० और क़ानून ८ सन् १८०५ ई० और क़ानून २३ सन् १८[illegible] ई० और क़ानून ११ सन् १८१३ ई० के बमूजिब दायर हुये मज़कूर के सबब बहुत फ़रेब बरपा हुये और सालहा साल तक दायर रहे मालूम होता है कि ऐसे दावों का इनफ़िसाल होगया अब साहब कलक्टर का सिर्फ़ यही काम है कि जिस मालियाने का वाजबी होना तजवीज़ होगया दिया करें

दफ़ः ३२८ मालियानः कई क़िसिम होता है जो ज़ाबितः ज़रूर है उसका तज़्किरः अलाहिदः अलाहिदा ज़ैल में किया जाता है

दफ़ः ३२९ पहिली क़िसिम — जो मालियानः दफ़ः २ क़ानून २४ सन् १८०३ ई० के मवाफ़िक़ माफ़ी दायमी के एवज़ दिया गया वह ज़ब्त नहीं हो सकता बल्कि वरासत और इन्तक़ाल के लायक़ है और जैसे और मिल्कीयत के मुक़द्दमात अदालत में रुजू होते हैं इसके भी हो सकते हैं शुबहः होता है कि यह अख़्तियार हमेशः मरई नरहा और यह कि ऐसे मालियानेः क़लील हैं जिनके वास्ते गवर्न्मेन्ट ने तजवीज़ ख़ास की कि इस क़ानून के बमूजिब [illegible] क़ानून ६ सन् १८१७ ई० की शरायत के मवाफ़िक़ ऐसे मालियानेः की ज़ब्ती और मन्ज़ूरी महज़ गवर्न्मेन्ट की मरज़ी पर मुनहसर है और किसी अदालत में उनके इस्तहक़ाक़ का मुतालिबः नहीं हो सकता मगर जब गवर्न्मेन्ट से ज़ब्ती और मनज़ूर हो जाय तो उनकी बाबत दावों की समाअत अदालत में हो सकती है यक़ीन है कि मालियाने मज़कूरः वरासत वग़ैरः इन्तक़ालात के सबब से छोटे छोटे हिस्सों पर तक़सीम होंगे और उनके देने में सरकार को बड़ी दिक़्क़त और ज़िम्मःदारी होगी इस वास्ते उनके बन्दोबस्त के लिये यह म[illegible] आया कि बाज़ार की क़ीमत के मवाफ़िक़ कई साल का मालियानः देकर सरकार उस मालियानेः को ख़रीद करले साहिबान कलक्टर को अख़्तियार है कि जिस वक़्त ज़रूर जानें इस तरह की दरख़्वास्त पेश करें ॥

दफ़ः ३३० दूसरी क़िसिम जो सालियानः अह्दनामः की रू से मुक़र्रर हुआ - यह वह सालियाने हैं कि जब मुल्क पहिले सरकार के क़ब्ज़ः में आया तो रईसों और नवाबों वग़ैरः के अह्दनामेः में मुन्दर्ज हुये और सरकार की इज़्ज़त उनके बरवक़्त अदा होनेपर मन्हन है और इस क़िसिम से ख़्वा दवामी हो ख़्वाह एक या कई शख़्सों के हीन हयात तक हर एक सालियानःदार की वफ़ात पर तहक़ीक़ात कामिल ज़रूर है कि वारिस मुस्तहिक़ है या नहीं॥

दफ़ः ३३१ तीसरी क़िसिम जो सालियानः बइस्तसनाय दफ़ः २ क़ानून २४ सन १८०३ ई० के और किसी दफ़ः की रू से दिया गया हो - यह वह सालियानः है जो उन लोगों के नाम बहाल हुआ जो मुल्क के क़ब्ज़ः के वक़्त पाते थे अब उनके वारिसों पर बहाल करने का दावी इस्तेहक़ाक़ की रू से नहीं जब कहीं कुल या जुज़्व सालियाने के वास्ते सलाह या ख़ैरात की नज़र से फ़िर बहाली की वजूहात पाई जायें तो गवर्न्मेन्ट के हुज़ूर में अहवाल इर्साल करना ज़रूर है और अगर सालियानः अज़ सरनौ बहाल न हो तो ज़ाबितः की रू से ज़ब्त होजाता है॥

दफ़ः ३३२ चौथी क़िसिम जो सालियानः आराज़ी मज़बूतहके एवज़ में दिया गया हो - और यह बतौर ख़ैरात के उन लोगों को अता होता है जो अरसः से आराज़ी मुआफ़ी पर बजः ज़ईफ़ के क़ाबिज़ थे तो ज़ब्ती से तकलीफ़ और सख़्ती कम हो यह सिर्फ़ ताहीन हयात होता है और जिस शख़्स के हाथ से ज़मीन ज़ब्त हुई उसी की वफ़ात पर मुनक़ता हो जाता है॥

दफ़ः ३३३ पांचवीं क़िसिम जो पेनशन पीराना साली के वास्ते नौकरों को मिलती है - यह पेनशिन सरकारी नौकरों को दस्तूरुलअमल मुन्दर्जः तितिम्मः औवल की रू से अता होती है॥

दफ़ः ३३४ अगरचि बइस्तसनाय पहिली क़िसिम के इन सब अक़साम को अताया की बहाली का दावी अदालत में नहीं हो सकता ।। हुक्काम सदर दीवानी अदालत की ताबीरी नम्बर २३० मरक़ूमः १२ जनवरी सन् १८१६ ई० और ३४३ मरक़ूमः ६ जौलाई सन् १८२१ ई० पर लिहाज़ चाहिये ।। मगर ताहम दफ़ः १६ क़ानून २४ सन् १८०३ ई० में लिखा है कि साहब कलक्टर के ज़िम्मः यह

काम है कि जो सालियानः वाजिब और मन्ज़ूर है बहाल रक्खा दियाजाय और यह कि जब कोई शख़्स साहब कलक्टर के किसी फ़ेल से सालियानः की बाबत अपने तईं मज़लूम जाने अख़्तियार है कि मुआमले के वास्ते ज़िला की दीवानी में नालिश करे ॥

दफ़ः ३३५ सालियानः अलावः सरकार इमदाद दिहन्दः में ज़ब्ती के लायक़ नहीं ॥ सदर दीवानी अदालत की तहरीर नम्बर ७८८ मरक़ूमः ३ मई सन् १८३३ ई० पर रुजू करना चाहिये ॥

है यह उन सब सालियानों के मुतअल्लिक़ समझना चाहिये जो सरकार से क़ानून २४ सन् १८०३ ई० की दफ़ः २ और तीन की रू से दायमी या हीन हयात मुआफ़ी के एवज़ नादिये गये हों ॥

दफ़ः ३३६ साहब कलक्टर बज़ातख़ुद इस बात के ज़िम्मः दार हैं कि सालियानः जिसको पाना है उसी को मिले और कारसाज़ी के इन्सिदाद और ख़सूस इस बात के वास्ते कि हीन हयाती सालियानःदारों की वफ़ात की रपट बरवक़्त हो बड़ी एहतियात ज़रूर है इस अमर के मुतअल्लिक़ जो अहकाम आगे क़ब्ज़े पहिले ब आसानी उन पर रुजू करना मुमकिन न था अब तितिम्मः नम्बर ३० में उनका ख़ुलासः मुन्दर्ज किया गया ॥

तितिम्मः नम्बर १

मुतअ़ल्लक़ः दफ़ः १९

* दस्तूरुल् अमल बाबत तजवीज़ पेन्शिन के जो सरकारी ओहदः *
* दारों ग़ैर मुतअ़हेद को मरहमत होती है *

दफ़ः १ बुढ़ापे और ज़ोफ़ के वास्ते जो पेन्शिन तजवीज़ होती है वह सिर्फ़ उन आला दरजः के अहिल्कारों को मिल्ती है जिनका नाम इस दस्तूरुल्अमल के ज़ैल में मुन्दर्ज है और छोटे दरजः के मुलाज़िम मिस्ल सवार पियादः चपरासी जमादार लासकार ;| इस शहाले ने सरकारी जहाज़ों के हिन्दोस्तानी मल्लाह इस दस्तूरुल्अमल की शरायत से मुस्तसना हैं ;| मल्लाह व अहल हिरफ़ः और मज़दूर नौकर चाकर वग़ैरः किसी तरह की पेन्शन पाने के मुस्तहक़ न होंगे ॥

दफ़ः २ सिवाय हिन्दोस्तानी हुक्काम दीवानी और मुन्सिफ़ों और पन्डितों के जब तक मुलाज़िम ने बीस बरस ख़िदमतगुज़ारी ;| सरकार की नकी

;| इन्तख़ाब तजवीज़ गवरन्मन्ट ममालिक हिन्द फ़ीनानशिल डिपार्टमेन्ट मुवर्रख़ः १९ मार्च सन् १८४२ ई॰ ॥

अगर कोई शख़्स एक मुद्दत तक ऐसी नौकरी पर मुलाज़िम रहे जिसमें मुस्तहिक़ पेन्शन पाने का न था और फिर ऐसी नौकरी करे जिसमें मुस्तहिक़ पेन्शन पाने का हो तो पहिली नौकरी की मुद्दत उस मुद्दत में जो मुन्दर्जः शरायत पेन्शन के है महसूब न होगी *

जब कोई शख़्स ऐसा काम करे जिसके वास्ते ख़ास परवरिश सरकार से होनी चाहिये और उसकी ख़िदमतगुज़ारी के ऐयाम पेन्शन पाने के लिये काफ़ी न हों तो उस मुक़द्दमा की तजवीज़ अलाहिदः होगी

* इन्तख़ाब तजवीज़ मरक़ूमः बाला मुवर्रख़ः २२ जून सन् १८४२ ई॰ *

सूरत मज़कूरः बाला में अगर मुलाज़िम की तरक़्क़ी उस ओहदह पर जहां उसे पेन्शन मिल सकती है बसबब किसी उम्दः काम करने या जवांमर्दी के हुई हो तो वह

मुस्तहिक़ पेन्शन पाने का हो सक्ता है ॥

॥ इन्तखाब एहकाम हुक्काम वाला मुकाम कोर्ट आफ़ डायरेक्टर्स मुवर्रवः ६ नोम्बर सन् १८५४ ई० ॥

अगर कभी बसबब इजराय अहकाम तखफ़ीफ़ के कुछ ऐसे असखास बरखास्त हो गये हों कि बसबब ज़ईफ़ी के कोई नोकरी उन्के खातिर ख्वाह नहीं मिल सक्ती तो उन्के साथ ब रआयत पेश आना बजा और बर हक़ है ॥

होगी तब तक मुस्तहिक़ पेन्शन पाने का नहोगा ॥

दफ़ेः ३ कोई ओहदःदार सरकार बसबब तवालत ऐयाम मुलाज़िमत के मुस्तहिक़ पेन्शन का नहीं है जब तक यह साबित नहो कि कुहूनसाली या बीमारी दायमी या नाबीनाई ख्वाह किसी और ज़ोफ़ बदनी या फ़ितूर अक़्ल के सबब अब वह नौकरी न कर सकेगा तब तक उसको पेन्शन नः मिलेगी ॥

दफ़ेः ४ पेन्शन पाने के वास्ते यह भी ज़रूर है कि तालिब पेन्शन ने अपने सरिश्तः के हाकिम या हुक्काम से अपनी खुश अतवारी और कारगुज़ारी की सनद इसतरः की हासिल की हो जिससे इस्तेहक़ाक़ लुत्फ़ सरकारी का उसकी निसबत साबित हो ॥

दफ़ेः ५ जब कोई शख्स बमूजिब शरायत मरक़ूमः बाला के मुस्तहक़ पेन्शन पाने का हो और पेन्शन देनी उसके वास्ते तजवीज़ हो तो पेन्शन की तादाद मुताबिक़ शरायत मुन्दर्जः ज़ैल के मुक़र्रर की जायगी ॥

अौवल यहकि अगर वः शख्स बीस बरस से ज़ियादः और तीस बरस से कम का नोकर है तो उसको पेन्शन मशाहरः की एक तिहाई से ज़ियादः न मिलेगी और मशाहरः बहिसाब औसत पंजसालः गुज़श्तः तारीख दरख्वास्त पेन्शन से शुमार किया जायगा ॥

दोम यह कि अगर तीस बरस या ज़ियादः का नोकर है तो बहिसाब मरक़ूमः बाला मशाहरः के निस्फ़ से ज़ियादः पेन्शन न मिलेगी ॥

सोम यहकि हिन्दोस्तानी हुक्काम दीवानी और मुफ़्ती और पन्डित बाद नोकरी पन्द्रः बरस के मुस्तहिक़ पेन्शन पाने के बहिसाब ज़िमन अौवल मज़कूरः बाला के और बाद बाईस बरस के मुस्तहक़ पेन्शन मज़कूरः ज़िमन दोम मरक़ूमः बाला के होंगे ॥

॥ इन्तख़ाब हुक्म गवर्न्मेन्ट आला मरक़ूमः बिस्तुम अक्तूबर सन् १८४३ ई०

वास्ते सबूत इस्तहक़ाक़ मुन्दरजे ज़िमन् सोम के ज़रूर है कि कुल्ल मीयाद उसी खिदमत में याने मुफ़्ती या पन्डित के ओहदः में गुज़री हो चुनांचि अगर और नौकरी में गुज़री होगी तो मुस्तहिक़ उसका न होगा ॥ *

चहारुम यह कि तिहाई और आधी तनख़्वाह की पेन्शन में भी मदारिज होंगे चुनांचि पेन्शन की तादाद बलेहाज़ ज़िम्मःदारी और कारगुज़ारी और मुद्दत मुलाज़िमत के मुकर्रर की जायगी *

दफ़ेः ६ कोई पेन्शन किसी सरकारी नौकर के अयाल व अतफ़ाल या क़राबतदार को नदी जायगी सेवाय उस सूरत के कि नौकर मज़कूर सरकार के काम के अन्जाम मे मारा गया या ज़ख़्मी और मजरूह होकर मर गया ॥

दफ़ेः ७ अगर कोई सूरत पेन्शन पाने की सिवा इन शरायत के हो या सरकार से किसी खास खिदमत गुज़ारी के वास्ते खिलाफ़ शरायत मुन्दरजेः बाला के पेन्शन मुकर्रर हो जाये तो जब तक मन्ज़ूरी हुक्काम बाला मुक़ाम कोर्ट आफ़ डायरक्टर्स की न आले तब तक वह पेन्शन आरज़ी शुमार की जायगी ॥

दफ़ेः ८ जब किसी मुलाज़िम के लिये कोई हाकिम बाबत पेन्शन के सरकार मे दरख़्वास्त करे तो लाज़िम है कि दरख़्वास्त में इतनी बातें तसरीह और तफ़सील के साथ ज़रूर मुन्दर्ज किया करे अव्वल जिस शख़्स के वास्ते पेन्शन की दरख़्वास्त की जाय उसका नाम और क़ौम और उमर और नाम उस जगः का जहां वह रहना चाहता है और ओहदः हाल और नाम उन ओहदों के जिनपर साबिक़ में मुलाज़िम रहा और कुल्ल मुद्दत नौकरी सरकार की दोम तादाद मुतवस्सित मशाहरः या आमदनी दीगर ब हिसाब औसत पन्ज साला तारीख़ दरख़्वास्त से सोम आरज़ः जिसके सबब से वह शख़्स लायक नौकरी के न रहा याने कुहनसाली या मर्ज़ दायमी या नाबीनाई या फ़ितूर किसी क़ुवत ज़ाहिरी या बातनी में चहारुम कैफ़ीयत और जिन ओहदों पर साबिक़ काम किया हो उनकी कारगुज़ारी का हाल ॥

दफ़ेः ९ जो हाकिम कि दरख़्वास्त पिन्शन की करे और वक़ातही या व ज़रीये काग़ज़ात सरकारी के कैफ़ीयत मज़कूरेः बाला से वाक़िफ़

न हो तो उसे मुनासिब है कि उम्मेदवार पेन्शन से ज़रूरी बातों की एक कै फ़ीयत लिखवा ले और अगर हाजत हो तो उस कैफ़ीयत की तसदीक़ के लिये हलफ़ या अक़रार नामः ले ले ॥

दफ़ः १० जो उम्मेदवार पेन्शन कि बसबब बीमारी दायमी या ना बीनाई या किसी और नुक़सान रूहानी या जिसमानी के लायक़ ख़िद मतगुज़ारी के न रहा हो तो रपट के साथ एक कैफ़ीयत †† तिब्बी दरबाब

†† गवर्न्मेन्ट आला की तजवीज़ मरक़ूमः ३० दिसम्बर सन् १८४८ ई० के बमूजि ब ज़रूर है कि दरख़्वास्त करनेवाला कुमैटी तिब्बी के सामने हाज़िर हो जब वह किसी ऐसे क़स्बे के नेवाह में रहता हो जहां ऐसी कुमैटी हुआ करती है अगर किसी सबब से कुमैटी में हाज़िर नहीं हो सकता तो पेन्शन की दरख़्वास्त में ग़ैर हाज़िरी की वजह त बख़ूबी लिखी जाये चुनांचि गवर्न्मेन्ट के इश्तिहार मरक़ूमः ६ फ़िब्रवरी सन् १८४६ ई० पर लिहाज़ हो ॥

सिदाक़त आरज़ः के लेकर भेजदे ॥

दफ़ः ११ लाज़िम है कि वह हाकिम जिसके मातहत उम्मेदवार पेन्शन मुलाज़िम हो मवाफ़िक़ दस्तूरुलअमल बाला के पेन्शन की रप ट लिखे और उस रपट के साथ अलाहिदः काग़ज़ पर एक रजिस्टर मु ताबिक़ नक़शः मशमूलः सरक़लर हाज़ा के लिखकर गवर्न्मेन्ट की ख़िदमत में भेजे ॥

दफ़ः १२ हर वक़्त ख़ाली होने किसी पेन्शन के चाहिये कि फ़ौ रन उसकी इत्तलाअ साहब सिविल आडीटर को की जाय और जिस ख़ज़ानेः से पेन्शन दी जाती है वहां के मुहतमिम को लाज़िम है कि अप ने अमलेः में से किसी शख़्स लायक़ को इस काम के वास्ते मुतऐयन करै कि जब पेन्शन ख़ाली होती जाय फ़ौरन उसकी इत्तलाअ साहब मौसूफ़ को किया करै और वह शख़्स व शख़्स साहब मज़कूर के इस हुक्म के अन्जाम के वास्ते गवर्न्मेन्ट के नज़दीक ज़िम्मःदार होगा ॥

दफ़ः १३ अगर कोई शख़्स बादगुज़रने छः महीने के अपना ज़र पेन्शन लेना चाहे तो जब तक मारफ़त सिविल आडीटर के गवर्न्मेन्ट की मन ज़ूरी न आलेगी तबतक उसको रुपया न मिलेगा मगर जो बाक़ी रहना ज़र पेन्शन का बसबब ग़फ़लत के या किसी सरकारी अफ़सर के हुक्म से हुआ

हो कि पिन्शन दार उसमें शामिल हो तो इस सूरत में सविल अडीटर को अ
ख़्तियार है कि बाक़ियात पेन्शन दार को दिलवा दें ख्वाह मक़द्दमः के
मुनफ़ौसिला और हुक्म के वास्ते बहुज़ूर गवर्न्मेन्ट अर्ज़ करें॥

दफ़ेः २४ साहब सविल अडीटर को लाज़िम है कि इस तरह की
पेन्शन और हर तरह की पेन्शन में कमाल होशियारी रक्खें ताकि अग
र कोई बात खिलाफ़ इस दस्तूरुलअमल के अमल में आई हो तो गवर
मेन्ट को उसकी इत्तला करें सिवा उन मुक़द्दमात के जिनमें खास इजा
ज़त दी गई हो॥

दफ़ेः २५ अलावः इसके साहब सबिल अडीटर को हुक्म है कि
हर साल के आख़ीर में कैफ़ीयत इस अमर की कि साल भर में कितनी पेन्श
न तख़्फ़ीफ़ में आई और कितनी जदीद मुक़र्रर हुई बहुज़ूर गवरन्मेन्ट भे
जा करें और वास्ते इन्सिदाद फ़रेब के साहब मौसूफ़ को ज़रूर है कि हर
साल तहक़ीक़ात इस अमर की किया करें कि कितने पेन्शनदार मरे और
भी इनसान की उमर मामूली से मुक़ाबिलः कर लें और जिस इलाक़ः
से कि उमर मामूली के मुक़ाबिलः करने में पेन्शन में कम तख़्फ़ीफ़ हुई
हो तो ज़रूर है कि वहां तहक़ीक़ात करें कि आया यह अमर बसबब
फ़रेब के है या नहीं और बाद तहक़ीक़ात के बहुज़ूर गवरन्मेन्ट रपूर्ट करें

फ़िहरिस्त उन मुलाज़िमों अहल क़लम की जिन को हस्ब शरायत सदूरः बाला के सरकार से पेन्शन मिल सकती है

रजिस्टर किरानी अौवल सकोन्टन्टएन्ट कसर एकज़ामीनर रीडर मुहाफ़ि
ज़ कुतुबख़ानः मुहाफ़िज़दफ़तर मुतरज्जिम तरजुमान अंगरेज़ी और हिन्दोस्ता
नी नक़लनवीस मुन्शी जवाबनवीस अंगरेज़ी और हिन्दोस्तानी हिसाब न
वीस मुहर्रिर मुतसद्दी गुमाश्तः कारकुन बशर्तेकि माहवारी मशाहिरः
उनका दस रुपयः से ज़यादः हो ख़ज़ान्ची अौवल सरिश्तः माल के हिन्दो
स्तानी मुलाज़िमान आला सरिश्तःदार दीवान सरिश्तः मुफ़स्सिलात माल के
हिन्दोस्तानी मुलाज़िम आला तहसीलदार अामिल पेशकार अमीन इलाक़
जात के मुलाज़िम आला दारोगः पुलीस मौलवी क़ाज़ी पंडित मुफ़्ती हिन्दो
स्तानी हुक्काम दीवानी सदरअमीन मुन्सिफ़ अदालत दीवानी के अफ़सरा
न आला नाज़िर हिन्दोस्तानी डाक्टर मुताबिक़ अहकाम मसदूरः गवर्न्मे
न्ट मुकेशल डिपार्टमेन्ट मवर्रखः हफ़तुम सितम्बर सन् १८३१ ई॰ मुहतमि

दस्तूरुलअमल बनाईन भत्ता जो गैर मुतअह्हद ओहदेदारों को सफ़र के वास्ते सरकार
से मिलेगा मुताबिक़ अहकाम गवर्मेंन्ट मरकूमे ११ जौलाई सन् १८४६ ई०
के हुक्म गवर्मेंन्ट मज़कूरह बाला मुन्दर्जे गज़ट

१ बनज़र ईज़ाय और इजल्माय उन अहकाम के कि दरबाब भत्ता सफ़र मुलाज़िमान गैर मुतअह्हद सरकार के जारी है हुज़ूर लफ़टेनन्ट गवर्नर बहादुर मुल्क गरबी से अहकाम ज़ैल ब पास इत्तलाय आम मुश्तहर किये जाते हैं ❋

२ भत्ता सफ़र तमाम मुलाज़िमान गैर मुतअह्हद का कि ख़्वाह अंगरेज़ हों या हिन्दोस्तानी और अलाक़ा रखते हों किसी सरिश्ते माल या अदालत या मुल्की से बमूजिब तफ़सील ज़ैल के ज़्यादह न होगा तनख़्वाह के दसवें हिस्से के सिह चन्द से ❋

३ अगर कोई ओहदेदार बमूजिब हुक्म ख़ास गवर्मेंन्ट के बसबील डाक कहीं को जावेगा तो अैयाम कूच में उसको चार आना फ़ी मील ज़्यादह मिलैगा और बाबत अैयाम मुक़ाम के वही ब हिसाब सिह चन्द दसवें हिस्से तनख़्वाह के ❋

४ यह शरह भत्ता के हुक्म अगस्त सन् हाल से जारी होगी और वास्ते उन लोगों के है कि जिनकी तफ़सील ज़ैल में लिखी जाती है ख़्वाह ओहदे पर मुस्तक़िल हों ख़्वाह और तौर पर ❋

५ अव्वल — अमलह मुक़र्ररह साहबान मुतअह्हद का उस वक़्त के दौरह पर हों यानी एक मुक़ाम या मुक़ाम मुअैयनह कचहरी उस साहब के से कहीं को जावे ❋

६ दोयम — सदरुलसिदूर और सदर अमीन और मुन्सफ़ और डिपटी कलक्टर और डिपटी मजिस्ट्रैट वक़्त दौरह के या उस वक़्त कि ब हुक्म गवर्मेंन्ट एक मुक़ाम से दूसरे मुक़ाम को जावैं बग़ैर सूरत अपने तरक़्क़ी क़ायम मुक़ामी दर्जे आला के ❋

७ सेवम — नजीब व बरक़न्दाज़ान व सिपाहियान परवीन्शल पलटन उस वक़्त कि अपने ज़िले या क़िसमत मामूली से बाहर किसी जगह जाने के लिये मामूर हों ❋

तितम्मा नम्बर २

मुतअल्लके दफ़ा ४०

इक़्तबास हुक्म सरकुलर नम्बर २ मुसद्दरह सदर बोर्ड बनाम कमिश्नरान माल के वाक़ियात के बयान में

दफ़ा १६८ चूंकि साहबान सदर बोर्ड को ख़बर पहुंचे कि कहीं कहीं ऐसा हुआ कि तहसीलदारों या और ओहदेदारों पर जुरमाने होकर ज़र जुरमानह देहात के

बाक़ियात में स्याहा हुआ इसवास्ते तरीक़ा रपोरट बाक़ियात के बयान करने के पहिले साहबान सदर बोर्ड तुमको यह हुक्म देना ज़रूरियात से जानते हैं कितुम अपने इलाक़े के साहबान माल को मनअ करो कि फिर कभी इस दस्तूर क़ादीम को अमल में न लावें ॥

दफ़ा २६९ वह तरीक़े जिनके बमोजिब मालगुज़ारी की बाक़ियात जो बाक़े में वाजिबुल अदा हों वसूल हो सकी हैं या जिनसे मालगुज़ारान मुफ़लिस अपनी हक़ीयत से ख़ारिज किये जाते हैं उनका ज़िक्र हो चुका और वह सबील जिससे ओहदेदारान मरातबे को बसबब ग़फ़लत या नाल्याक़ती की सज़ा होती है सहल और आजहर है चुनांचः उनकी मौक़ूफ़ी या सज़ा बक़दर क़सूर के साहबान कलक्टर कर सकते हैं मगर साहबान मौसूफ़ को यह अमर हरगिज़ जायज़ नहीं कि किसी ओहदेदार की तनख़्वाह काटकर मौज़े की बाक़ी में मजरूह करें ॥

दफ़ा २७० एक दस्तूर और है जिसका इन्सदाद साहबान सदरबोर्ड को मंज़ूर है और वह यह है कि साल हाल की आमदनी साल गुज़श्ते की बाक़ी में मद्द सब होती है क्योंकि साहब कलक्टर को हुक्म है कि जमा मुक़र्रह हर साल की आमदनी से उसी साल के अन्दर वसूल कर लिया करें और अगर ज़मींदारों की शरारत से बाक़ी पड़े तो जो तरीक़े मुक़र्रर हैं अमल में लावें अगर आख़िर साल तक बाक़ी रहे तो साहब कलक्टर का काम यह है कि ग़ौर कर कर जो सबील सबसे बेहतर समझें उसपर कारबन्द हों और अगर बाक़ी के माफ़ करने की कोई ख़ास वजह देखें तो माफ़ी की दरख़्वास्त करें वगरना जो तदबीर मुनासिब हो या तो ख़ुद अमल में लावें या रपोरट वास्ते मंज़ूरी हाकिम आला के भेजें अगर उनके नज़दीक बाक़ीदार इस लायक़ है कि उसको इजाज़त हो कि बाक़ी बर सबील क़िस्तबन्दी की साल आयन्दह में अदा करे तो इस बात की रपोरट करें हर चन्द कि साहबान सदरबोर्ड इस तरीक़ह को बग़ैर ज़रूरत कामिल के पसन्द नहीं करते क्योंकि ख़ुद इस तरह के मामलः को आयन्दह पर डालना निहायत ख़राबी जानते हैं ॥

दफ़ा २७१ मगर जिस वक़्त साहब कलक्टर एक साल की बाक़ी मुलतवी छोड़ कर दूसरे साल की आमदनी में उस बाक़ी का स्याहा करें तो यह बाक़े में साहब कलक्टर की तरफ़ से सरकार और रिआया के हक़ में बे इन्साफ़ी है और इस्तिक़ान में यह अमर इसबातपर दिलालत करता है कि साहब कलक्टर अपने ज़िले के हाल वाक़ई को छुपाते हैं और अपने उमूरात मुफ़ौव्विज़ः में ग़फ़लत करते हैं और हाकिमान आला पर उनके काम ज़्यादह मुश्किल करते हैं ॥

दफ़ा २७२. जिन नक़्शःजात के मुताबिक़ रपोरट बाक़ियात की होगी ज़ैल में लिखे जाते हैं ॥

रपोरट सालानह

दफ़ा २७३ (अलिफ़) नम्बर १— यह नक़्शह सिरफ़ याददाश्त है जिस्से कुल्ल तादाद जमा और वसूल और बाक़ी उस साल की वाज़े होती है और यह नक़्शः मये नक़्शः (अलिफ़) नम्बर ५ के आख़ीर साल में बराबर भेजना चाहिये ख़्वाह बाक़ी हो या नहो ॥

दफ़ा २७४ (अलिफ़) नम्बर २— यह नक़्शः उन्ही बाक़ियात के लिये कैफ़ियत मुफ़स्सिलः है और इस नक़्शः में एक ख़ानह है जिसमें हरूफ़ ए बी सी डी ई लिखे जाते हैं और बमजर्रद देखने के फ़ीअलफ़ौर ज़ाहर होगा कि आया बाक़ी अज़ क़िस्म ग़ैर मुमकिन अलवसूल है या लायक़ वसूल वग़ैरह के अगर कुछ बाक़ी एक क़िस्म की हो और कुछ दूसरी क़िस्म की तौ दो हरफ़ मिलाकर इस खानः में लिखे जायेंगे और अगर ज़रूर हो तो दो से ज़्यादह हरफ़ भी मिलाकर लिखे जायेंगे ॥

दफ़ा २७५ (अलिफ़) नम्बर ३— जो कुछ कि हरफ़ के नीचे मुतफ़र्रक़ लिखा जाता है इस गोशवारह में हर एक हरफ़ के जुम्लः बाक़ियात इकट्ठी लिखी जायेंगी इस नक़्शः में तफ़सील मुवाज़े की कुछ हाजत न होगी ॥

दफ़ा २७६ (अलिफ़) नम्बर ४— यह बाक़ियात ग़ैर मुमकिन अलवसूल की कैफ़ियत परगनहवार है ॥

दफ़ा २७७ (अलिफ़) नम्बर ५— यह नक़्शः बाक़ियात सनीन माज़ियह क़िब्ल साल रपोरट का है मक़सद उसका यह है कि अगर बाक़ियात संवात की बग़ैर रपोरट के पड़ी रही हों तौ इस नक़्शः से यह बात ज़ाहर होजायेगी और साहब कलक्टर पर वाजिब होगा कि एक मीआद मुनासिब के अन्दर रपोरट कियाकरें ॥

दफ़ा २७८ चाहिये कि साहबान कलक्टर साल के तमाम होने पर फ़ीअलफ़ौर रपोरट सालियानह तुम्हारे पास भेजाकरें और जो जो रक़में माफ़ी की ग़ैर तलब हों तुम उनपर अपनी राय और तजवीज़ लिखकर साहब मौसूफ़ के पास वापस किया करो और उनको इजाज़त दो कि जो तदबीरें साहब कलक्टर के अख़्तियार में हैं उनके मुताबिक़ तजवीज़ क़ितई करें और तुमको चाहिये कि साहबान कलक्टर को हिदायत करो कि अहकाम मज़कूरह की तामील एक मीआद मुअैयनह में करें और नक़्शःजात ऐसी उजलत से तुम्हारे (यानी साहब कमिश्नर) पास भेजें कि पहिली तारीख़ माह जनवरी में बाद साल रपोरट के तुम्हारे

दफ़तर से सदर बोर्ड को रवानह हो जाया करे॥ यह जो लिखा है कि जनवरी तक हिसाब सालियानह का सदर बोर्ड में पहुंचाना चाहिये यह उस वक़्त का ज़िक्र है जब रपोर्ट साल फ़सली के बमूजिब लिखी जाती थी अब कि रपोर्ट बमूजिब साल अंगरेज़ी के गुज़रानी जाती हैं मुद्दतमह मज़कूरह दफ़ा हाज़ा की क़ैद न रही लेकिन रपोर्ट का और सब तरीक़ह बहाल है॥ यह काम ब आसानी हो सकता है क्योंकि हिसाब में सिवाय बाक़ियात साल रपोर्ट के और कोई बाक़ी मुन्दरज न होगी॥

दफ़ा १७६ तुमको चाहिये कि साहब कलक्टर की असल रपोर्ट या उसकी नक़ल जो मुनासब जानो सदर बोर्ड में भेजा करो और अगर कोई और कैफ़ियत साहब कलक्टर ने अपनी कार रवाई की तौज़ीय के वास्ते जो बमूजिब तुम्हारे ईमा के अमल में लाये हों भेजी हो उसका भी इरसाल करना चाहिये मुनासब है कि गोशवारे (अलिफ़) नम्बर ३ और नम्बर ४ तुम्हारे तजवीज़ आख़ीर के बमूजिब तरमीम के बाद मुनक़िसम और मुन्तज़िम किये जायें क्योंकि मक़सूद यह है कि वह न राय साहब कलक्टर की बल्कि तुम्हारी राय को ज़ाहिर करें हर रक़म की बाबत जो हुक्म तुम तजवीज़ करोगे चाहिये कि उसको नक़शः नम्बर २ (अलिफ़) में मुन्दरज करके सदर बोर्ड में रवानह किया करो॥

रपोर्ट बाक़ियात सनीन माज़ियह की

दफ़ा १८० नक़शे (बे) नम्बर एक से नम्बर ४ तक उन बाक़ियात की रपोर्ट के लिये मुक़र्रर हैं जो संवात माज़िया में क़बल साल आख़ीर के पड़े हों और उनके जुदा बयान करने की कुछ हाजत नहीं क्योंकि हक़ीक़त में वह वैसे हैं जो पहिले गुज़र चुके और ऐसे आसान हैं कि तफ़सीर की ज़रूरत नहीं रखते उनकी असल या नक़ल अपनी राय के साथ भेजा करो॥

दफ़ा १८१ इन रपोर्टों में अकसर उन बाक़ियात का बयान होगा जो फ़र्ज़ी हैं लिहाज़ा मुनासिब है कि जो इस तरह की बाक़ियात एक ही सबब से पड़े हों वह एक जगह इकट्ठे लिखे जायें क्योंकि उनके वास्ते एकही कैफ़ियत और एकही तजवीज़ किफ़ायत करेगी मुकर्रर लिखने की कुछ हाजत न होगी मसलन जो बाक़ी बसबब बन्दोबस्त सरसरी के या बमूजिब क़ानून हफ़तुम सन १८२२ ई० या क़ानून नुहुम सन १८३३ ई० के होवे उनकी हर एक क़िस्म का मजमूआ अलाहिदह अलाहिदह लिखा जायगा और जो मालूम है कि सब के वास्ते एकही कैफ़ियत किफ़ायत करे लिहाज़ा उनका अंजाम और तजवीज़ भी ब आसानी होजायगी॥

दफ़ा १८२ साहबान कलक्टर को याद दिलाना चाहिये कि जितने परगने में

नक़्शजात में सब का एकही शुमार सिरे से अख़ीर तक बराबर बराबर च-
ला जाय किसी जगह से शुमार जदीद शुरूअ नहो ॥

दफ़ा १८३ इन नक़्शजात के वास्ते फ़ुलीस कैप से बड़ा काग़ज़ इस्तेमाल
में न आवे क्योंकि बड़े काग़ज़ की हाजत अक्सर बसबब किरानियों की बे
परवाई के परागन्दह लिखने से होती है बसबब तवालत कैफ़ियत साहब
कलक्टर या कसरत हिंदिसों के नहीं होते ॥

दफ़ा १८४ साहबान कलक्टर जब वाक़ियात सनवात साज़िया के लिये रपोरट
करें तो दो क़िस्म की बाक़ी में बख़ूबी इमतियाज़ करें एक तो वह जिसमें दरख़ास्त
माफ़ी मुतलक़की कीजावे दूसरे वह कि बाक़ी तो लायक़ वसूल के है लेकिन
फ़ी अलहाल उसका वसूल होना ग़ैर मुमकिन है मगर साहब कलक्टर के
नज़दीक दर सूरत पैदा होने किसी जायदाद के उसका वसूल ज़रूर हो ॥

दफ़ा १८५ ब निसबत वाक़ियात दूसरे क़िस्म के सदर बोर्ड का इरशाद यह
है कि इन वाक़ियात की रपोरट एक अलाहिदह नक़्शः में गुज़रानी जाय अला
वह इसके यह भी हुक्म है कि एक किताब साहब कलक्टर के दफ़तर में ब-
नाई जाय जिसमें यह वाक़ियात मुन्दरज हों और वह किताब मुलक़ब हो
ब किताब बक़ायाय मुलतवी उलवसूल जिनकी तहसील आइन्दह में जिसवक़्त
मुमकिन हो की जाय । सरकुलर मज़कूरह सतन के बाद दरियाफ़त हुआ कि इस किता-
ब बक़ाया मुलतवी उल वसूल के बहाल रखने में जाय एतराज़ है मुनासिब है कि बाक़ी
की हर रक़म की बाबत क़तई तजवीज़ कीजाय कि आया वसूल हो या नहीं अगर वसूल
के लायक़ हो तो बक़ाया तौज़ीय पर मतालबः क़ायम रहे जब तक उसके वसूल की कुछ
उम्मेद हो वरनः नज़र से किनारह होजाने का अहतमाल है फ़िर अगर तजवीज़ हो कि
वसूल इसका न चाहिये या ग़ैर मुमकिन है तो मुनासब है कि माफ़ कीजाय और सरकारी
हिसाब से महो हो किताब बक़ाया मुलतवी उलवसूल की तरह जिस रक़ूमात का इमतहान
मामूली नहीं बल्कि हाकिम की फ़क़त मरज़ी या तनदही के बमूजिब पेश हो सकी हों या
नहीं अकसर बाइस ज़ुल्म और साज़िश हिन्दोस्तानी अहलकारों के हो सकी है लिहाज़ा द-
फ़आत १८४ से १८७ तक जो इस किताब के जारी रखने का हुक्म देते हैं मनसूख़ जाने
जावें ॥

दफ़ा १८६ इस किताब के वास्ते फेहरिस्त ब तरतीब हरूफ़ तहजी बनानी
चाहिये कि उसके देखने से हर एक मुक़द्दमः जिसमें बाक़ी का वसूल मुनासिब
मालूम हो इस किताब से बआसानी निकाला जायगा ॥

दफ़ा १८७ इन तदबीरों से हाल वाक़ई हर मुक़द्दमा का लिखाहुवा मौजूद

रहेगा और मुमकिन न होगा कि वाक़ीदारान ममदी के मुक़द्दमात सरिश्ते की ग़फ़लत या अरसे दराज़ के गुज़रने के सबब मसदूत होजायँ उन मालगुज़ारों के मुक़द्दमात के साथ जो बसबब हादिसः या मुसीबत के बाक़ी में लायक़ रिआयत के हैं ॥

दफ़ा १८८ रपोर्ट वाक़ियात सनीन माज़ियह की अब बतौर मामूल के साल में एक वक़्त मुऐयन पर भेजने न चाहिये बल्कि जिस वक़्त साहब कलक्टर तैयार करें फ़ौरन भेजे जाय और तुमको अहतियात रखनी चाहिये कि इन रपोर्टों के भेजने में बेफ़ायदह देर न लगे सबका फ़ायदह इसी में है कि नक़शाजात बाक़ी से साफ़ और ख़ाली रहे मदर बोर्ड को यक़ीन है कि अगर तुम बख़ूबी इस अमदह बात पर तवज्जुह करते रहोगे तो जल्द ज़ाहिर होगा कि साहबान कलक्टर को हर साल में सरफ़ उसी साल का नक़शह तैयार करना पड़ा करेगा इस वास्ते कि सम्वात के जुमलह बक़ाया नक़शजात से ख़ारिज हो गये ॥

नक़शः (अलिफ़) नम्बर १ मुतअल्लक़ै तितम्मा नम्बर २

यादाश्त तहसील बाबत सन फ़लां

ज़िले	जमा सन फ़लां			वसूल बाबत सन फ़लां			बाक़ी आख़ीर सन फ़लां			

नक़शः (अलिफ़) नम्बर २ मुतअल्लक़ै तितम्मा नम्बर २

नक़शः सालियानः तफ़सीलवार बाबत वाक़ियात माल सन फ़लां ज़िले फ़लां

नम्बर	हरूफ़	परगनः	मौज़ा	मालिक	मुस्ताजर	ज़ामन	जमा	बाक़ी	कैफ़ियत मा-अर कलक्टर	तजवीज़ साहब कमिश्नर
							मीज़ान	— —		

नक़शः (अलिफ़) नम्बर ३ मुतअल्लक़ै तितम्मा नम्बर २

नक़शः गोशवारा

ए	दायरुल वसूल	रूपया
बी	मुनहसर ऊपर फ़ैसला अदालत के	रूपया
सी	फ़र्ज़ी	रूपया
डी	मुश्तबहुलवसूल	रूपया
ई	ग़ैर मुमकिन उलवसूल	रूपया

नक़्शः (अलिफ़) नम्बर ४ मुतअल्लिक़े तितम्मा नम्बर २

गोशवारा नक़्शः सालियाना बाक़ियात ग़ैर मुमकिनउलवसूल का बाबत सन फ़स्लो ज़िले फ़लां

नम्बर मुताबिक़ नक़्शः नम्बर २ के	परगने	मौज़ा जिसमें बाक़ी है	जमा	बाक़ी	कैफ़ियत साहब कमिश्नर
		हक़ीक़ी			यहां सबब बाक़ी पड़ने का और उस्की ग़ैर मुमकिनउलवसूल होने का बयान मुख़्तसर लिखा जायगा
		फ़र्ज़ी			
			मीज़ान		

नक़्शः (अलिफ़) नम्बर ५ मुतअल्लिक़े तितम्मा नम्बर २

नक़्शः याद्दाश्त बाक़ियात सनीन माज़िया का

ज़िले	बाक़ी हक़ीक़ी	फ़र्ज़ी	मीज़ान	साहब कलक्टर की कैफ़ियत	कैफ़ियत साहब कमिश्नर की
				यहां कैफ़ियत इस बात की चाहिये कि रिपोर्ट मुफ़स्सिले कब तक रवाना हो जायेंगे	

नक़्शः (बे) नम्बर १ मुतअल्लिक़े तितम्मा नम्बर २

नक़्शः तफ़सीलवार बाक़ियात सनीन माज़िया का लग़ायत सन फ़स्लो

नम्बर	ज़िला	परगने	मौज़ा	मालिक	मुस्ताजिर	आसामी	जमा	बाक़ी हर साल: सन	बाक़ी हर साल: तादाद बक़ाया	मीज़ान	कैफ़ियत साहब कलक्टर की	तजवीज़ साहब कमिश्नर
१	चे	कंतत	मलवाज़ूरा	:::	ख़ाम	:::	:::	१२३९ फ़स्ली	:::	:::		
								१२४०	:::	:::		
२	सी	जैतुं	गंगा बृक्षव	जलालउद्दीन और बाबू दीपनरायनसिंह	:::	:::	:::	१२३४ १२३६ १२३७ १२३८ १२३९ १२४०				
							मीज़ान					

नक़्शः (बे) नम्बर ४ मुतअल्लक़े तितम्मा नम्बर २
गोशवारा बाक़ियात परगनेवार बाबत हर साल के

परगना	सन	रुपया	आना	पाई	बाकी		
छिबरामऊ	१२२५ फ़सली	८४६	१५	६			
	१२३३	४९९५	१	३			
	१२३५	४२८	४	÷			
	१२४३	२२७७	८	४	८५५०	१३	※
बनौर	१२२५	१४०	६	४			
	१२३३	१७७३	१५	३			
	१२४०	१००	÷	४			
	१२५२	१००	१५	६			
	१२५३	७२६	※	÷	२०८३४	५	÷
				कुल	२१९८५	२	※

तितम्मः नम्बर ३
मुतअल्लक़े दफ़ा ४२

सरकुलर नम्बर २ मुसद्दरह सदर बोर्ड माल सरसरी बन्दोबस्त के बयान में दफ़ा १६५ जहाँ कहीं संगीनी जमा के सबब से बाक़ी पड़ी हो और जमा में से कुछ तख़फ़ीफ़ करनी मुनासब मालूम हो और मुस्ताजरी या नीलाम की तदबीर करनी बेजा ठहरे तो साहबान कलक्टर रपोरट तख़फ़ीफ़ जमा की बतौर बन्दोबस्त सरसरी के मुताबिक़ नक़्शा मुन्दरजे ज़ैल के भेजा करें ÷

दफ़ा १६७ बन्दोबस्त आईन नुहम सन् १८३३ ई० में जमा ऐसी नरमी से तजवीज़ हुई कि मुक़द्दमात गंग सिकिस्त के सिवाय तख़फ़ीफ़ की बहुत कम हाजत होगी और जिन मुहालात में अहतमाल गंगशिकस्त या गंग बरामद का हो चाहिये कि ऐसे मुहाल के इक़रार नामजात में एक शर्त इस मज़मून की मुन्दरज की जावे कि अगर गंग सिकस्त की कमी या बेशी फ़ी सदी दस से ज़्यादह हो तो मुहाल क़ाबिल बन्दोबस्त जदीद के हो ※

नक़्शा मुहालात ज़िले फ़लां जिनका बन्दोबस्त खसरी हुआ है बहिसाब ईकड़ कसरात छोड़ कर के

परगनह	नम्बर	मौज़ा	जमा औसत					बाकी पंज सालह गुज़श्ता की	जमामाल आखिरी बन्दोबस्त गुज़श्ता की	जमा मजोज़ह					कुल रकबा	रकबा मालगुज़ारी				शरह औसत फ़ी ईकड़			कैफ़ियत
			बन्दोबस्त अव्वल	बन्दोबस्त दोयम	बन्दोबस्त सेवम	बन्दोबस्त चहारुम	बन्दोबस्त पंजुम			सन् १८४५ व ४६ ई० / सन १८५० व ५१ ई०	सन १८४६ व ४७ ई० / सन १८५१ व ५२ ई०	सन् १८४७ व ४८ ई० / सन १८५२ व ५३ ई०	सन् १८४८ व ४९ ई० / सन १८५३ व ५४ ई०	सन् १८४९ व ५० ई० / सन १८५४ व ५५ ई०		काबिल ज़राअत और बंजर जदीद	आबपाशी	बिना आबपाशी	कुल मज़रूआ	कुल रकबा पर	कुल मालगुज़ारी रकबा पर	मज़रूआ पर	

तिलस्मा नम्बर ४
मुतअल्लिक़े दफ़ा ४३
इन्तख़ाब सरकुलर नम्बर ४ मुसद्दरह साहबान सदर बोर्ड माल पैमाने बारिश के बयान में

दफ़ा २३३ साहबान कमिश्नर माल को हुक्म होता है कि अपनी क़िस्मत की हर तहसील और थाने में एक एक पैमाना बारिश नक़शः मशमूलः सरकुलर हाज़ा के मुताबिक़ बनवाकर रख दें ॥

दफ़ा २३४ पानी की मिक़दार नापने के लिये एक गज़ बनाया जाय जिसमें इन्चों का निशान हो और हर इन्च दस हिस्सों बराबर पर मुनक़सिम हो अगर होशियारी और अहतियात से उसका इस्तैमाल किया जावे गा तो बारिश की तादाद व सेहत तमाम मालूम होगी और जिन क़ायदों पर इस काम में लिहाज़ करना चाहिये नक़शा मशमूला के ज़ैल में लिखे जाते हैं ॥

दफ़ा २३५ साहबान कलक्टर को चाहिये कि एक पैमाना बारिश का सदर में भी रक्खें और सब माहवारी रजिस्टर सदर और मुफ़स्सल के बअहतियात तमाम नत्थी करके दफ़्तर में रक्खें ॥

दफ़ा २३६ इस्तैमाल के लिये नक़शा रजिस्टर का एक नमूना इस हुक्म के साथ भेजा जाता है और साहबान कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि जब इस अमर का इन्तज़ाम मुकम्मिल हो तो रपोर्ट सदर बोर्ड में इरसाल करें और साहबान मौसूफ़ को यह भी चाहिये कि रजिस्टरों साबिक़ की नक़लें जो अहलकारान कमसरियट या मसाहत में बनाई गई हों हर साहब ज़िले के पास भिजवादें कि दफ़्तर में रक्खी जायें ॥

नक़शा पैमाना बारिश का जो इज़लाय मग़रबी में जारी होगा

यह नक़शा बहिसाब फ़ीफ़ुट एक इन्च बनाया गया

र हुई है यह एक पैमाना टीन का बना है तूल इस पैमाने का इसे है तब तीन फ़ुट डेढ़ इन्छ है क़ से क़ तक एक फ़ुट है और ज़ से ज़ तक तीन इन्छ और चार रुवस इन्छ का है वे वे वे एक पक्का चबूतरा है इससे एक नल है अन्दर उसके पैमाना बारिश रक्खा जाता है और इस चबूतरा को मैदान में बनाना चाहिये कि किसी तरफ़ से आड़ न हो॥

यह गज़ लोहे का बनाना चाहिये और दो फ़ुट आठ इन्छ लम्बा हो इस से पानी नापा जाता है येगज़ ३२ हिस्सों बराबर पर मुनक़िसम है और हर इन्छ पर बड़ा निसान है और हर इन्छ दस हिस्सों बराबर पर मुनक़िसम है और हर दसवें हिस्सा पर छोटा निशान है चुनांचे तमाम गज़ में तीन सौ बीस छोटे हिस्से हैं पानी नापने के वक़्त जब दस इन्छ तक पानी हो तो मालूम हुआ कि एक इन्छ पानी बरसा और जब एक इन्छ पानी हो तो दसवां हिस्सा इन्छ का बरसा और जब एक छोटा हिस्सा हो तो सौ हिस्सों से एक हिस्सा पानी बरसा मुनासब है कि आठपहर में एक बार पानी नापा जाय और अगर बारिश शिद्दत से हो तो कई बार नापना ज़रूर पड़ेगा ॥

बारिश का रजिस्टर कचहरी फ़लां बास्ते महीने फ़लां सन १८ ई

तारीख़	दिन	हवा किस तरफ़ की है	हाल बादल का	मिक़दार पैमायश की		कैफ़ियत
				इन्छ	दसवां हिस्सा इन्छ का	
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१						अय्याम क़हत साली में यहां कैफ़ियत लिखनी चाहिये कि देहात में फ़सिल की क्या हालत है

सरकुलर सदरबोर्डमाल नम्बर २ बाबत सन १८४७ ई०

दफ़ा २ साहबान कमिश्नर को चाहिये कि अपने अपने कलक्टरान मातहत से रपोरट सिमाही मुताबिक़ नमूने मुनसलिके सरकुलर हाज़ा बाबत हाल पैमाना बारिश के हासिल करके खुद रपोरट सिमाही महिकमा बोर्ड में मुरसिलकिया करें ॥

दफ़ा ३ हाल मज़कूर के दरियाफ़्त करने का आसान तरीका यह है कि साहब कलक्टर उस अहलकार को जो पैमाना का मुहतमिम हो हिदायत करे कि वह अपने रजस्टर माहवारी में मुरातिब ज़ैलिया ज़ेर मद कैफ़ियत दरज किया करे और अहलकार के लफ़्ज़ से वह मुहर्रर मुराद नहीं है जो बारिश का हाल लिखता है बल्कि अफ़सर दफ़्तर मुराद है यानी तहसीलदार या थानेदार और उसको चाहिये कि आलात पैमायश को अपने रूबरू जाँचे और अगर कुछ मरम्मत हुईहो तो उसका हाल उसी कैफ़ियत की मद में लिखा जावेगा ॥

दफ़ा ४ कलक्टर या दूसरे ओहदेदारों को जो ज़िले के अन्दर जावें हिदायत करनी चाहिये कि वह पैमाना बारिश को मायनः करके उसका हाल दरियाफ़्त कर लेवें और कमिश्नरों को बवक़्त दौरा सालाना के देखना चाहिये कि इनहिदायात की तामील क़रार वाक़े होती है ॥

दफ़ा ५ ज़िले की वसाअत पर लिहाज़ करके हरसदर मकाम में चन्द पैमाना हाय ज़ायद इस ग़रज़ से मौजूद रहने चाहिये कि वह व ऐवज़ पैमाने हाय बेकार के काम में आवें और जब मरम्मत की ज़रूरत हो तो अहतियात करनी चाहिये कि पैमाना ऐसे कारीगर को दिया जाय जो अपने फ़न में होशियार हो और मरम्मत के वक़्त आलात के असली हिसाब में फ़रक़ न होजाने पावे और नीज़ इस अमर की अहतियात चाहिये कि गज़ की तक़सीम का नम्बर दुरुस्त लिखा जावे और अगर कोई शै पैरने वाली मुसतामल न होती होतो रंग या दीगर शै रोग़नी से हज़र करना चाहिये क्योंकि उस्से पानी का दरियाफ़ करना दुशवार होता है ॥

दफ़ा ६ हुक्काम बोर्ड को मंज़ूर है कि इन क़वायद की तामील और अमूरं सहीजात रजस्टर की तरतीब निहायत अहतियात और होशियारी के साथ होवे और सही लिखा जावे अगर मरातिब मुन्दर्जे नक़शाजात मज़कूर सही होंगे तो ग़ाला ज़दगी या कहित साली की सूरत में उसके देखने से बहुत फ़ायदह हासिल होगा और अगर मरातिब मज़कूर खिलाफ़ वाक़े होंगे तो नतीजे ग़लत पैदा होगा और ग़लती नतीजा से नक़सान लाज़िम आवेगा ॥

रपोर्ट सिहमाही मशअ्अर हाल पैमानः हाय बारिश					
ज़िले	तादाद पैमाना हाय				कैफ़ियत
	बमुक़ाम सदर		बमुक़ाम तहसीलहा	बमुक़ाम थाना	
	मुस्ताहसनहा	नाक़ाबिलहा			
					इस मुक़ाम पर साहब कलक्टर को हाल कार आमद या बेकार होने पैमाना हाय बारिश का लिखना चाहिये और यह कि किस पैमाना में किस आलः को मरम्मत हुई है ॥

सरकुलर सदर बोर्ड माल मरकूमा ३ अगस्त सन् १८५७ ई०

कमिश्नरों को चाहिये कि अपनी अपनी क़िसमत की वही आत रजस्टर इरसाल करने के वक़्त अपनी चिट्ठियों में हर एक ज़िले की बारश का हिसाब औसत बतौर खुलाशः मुताबिक़ नमूना ज़ैल के दर्ज किया करें ॥

ज़िले	औसत
कुल क़िसमत	

तितम्मा नम्बर ५

मुतअल्लिक़े दफ़ा ५७

दफ़ा २४५ साहबान बोर्ड हुक्म देते हैं कि हरसाल १५ जनवरी को तुम अपने दफ़तर से नक़शा सालाना जमा व ख़र्च नकावी का बरवक़्त भेजा करो इस नक़शा की तरतीब बमूजिब तारीख़ मंज़ूरी सदर बोर्ड के चाहिये ॥

दफ़ा २४६ जब दरख़ास्त नकावी की भेजी जावे तब इसमें नक़शा के बमूजिब चाहिये मगर जो ख़ाने ज़र तकावी के बेबाक़ करते वक़्त भरे जाते हैं वह ख़ाली रहें ॥

दफ़ा २४७ इस नक़शा में सिरफ़ अंगरेज़ी तारीख़ लिखनी चाहिये और अगर तारीख़ मालूम न होसके तो सिरफ़ महीने का लिखना काफ़ी होगा तेरहवां ख़ाना इसवास्ते है कि उसमें कुल तक़ावी के वसूल होने की तारीख़ मुन्दर्ज हो और जो कुछ उस तारीख़ से पेशतर वसूल हो कैफ़ियत के ख़ाना में लिखना मुनासब होगा ॥

दफ़ा २४८ साहबान कलक्टर को चाहिये कि इस नक़शा में कुल तादाद तक़ावी की जिसके लिये सदर बोर्ड की मंज़ूरी हुई हो मुन्दर्ज किया करें गो तमाम ज़र तक़ावी इस नक़शा के तैयार होने की तारीख़ तक तक़सीम न हुआ हो ॥

दफ़ा २४९ साहबान कलक्टर को इस क़ायदह कुल्लिया पर लिहाज़ रखना चाहिये कि जिस तक़ावी के लिये बोर्ड से मंज़ूरी हुई हो अगर मंज़ूरी की तारीख़ से तीन महीने के अन्दर न दीजाय तो फिर उसके देने के वास्ते मंज़ूरी जदीद दरकार होगी ॥

नक़शा रजिस्टर तक़ावी ज़िले फ़लां बाबत सन १८४ ई०

	१४	१३	१२	११	१०	९	८	७	६	५	४	३	२	१
कैफ़ियत	कुल तक़ावी कब वसूल होगी	तारीख़ इख़्तिताम	कब तक़ावी अदा होगी	कब तमाम होगा	किस काम के वास्ते	तारीख़ रुपया देने की	तादाद रुपया जो दिया गया	तादाद ज़र मंज़ूरी	नम्बर व तारीख़ मंज़ूरी सदर बोर्ड	तारीख़ दरख़ास्त	नम्बर दरख़ास्त	मौज़े	परगने	ज़िले

सरकुलर सदरबोर्ड माल नम्बर ६ बाबत सन १८४७ ई० मरक़ूमे २ मई सन १८४७ ई०

हर गाह हुक्काम बोर्ड को दरयाफ़्त हुआ है कि पिछले सालों में ज़र तक़ावी व गरज़ तामीर रोसी (?) के बाबत पर पेश हुआ को और नक़शा अव्वल ३१ मार्च सन १८४७ ई० से शुरू होवेगे) मुताबिक़ सरकुलर नम्बर २८ मरक़ूमा २९ अमारात के जो दवाम के लिये क़ायम रहें बहुत अकतूबर सन १८४७ ई० इस तौज़ीय को हर कस रत से सिर्फ़ हुआ है लिहाज़ा हुक्काम मौसूफ़ीन शिशमाही पर मुरसल करने का हुक्म हुआ है ॥ जो मंज़ूर है कि नक़शा तौज़ीय मुताबिक़ नमूना ज़ैल हर सेह माही

दफ़ा २ इस नमूना से इन मरातिब का इनकशाफ़ मंज़ूर है कि आमें आम ले ॥

तकावी गैर वसूली के किस क़दर वाजिबुल अदा है और तहसील से किस क़दर वसूल होता जाता है इज़लाय के दफ़्तरों में इस नक़शा को तफ़सील वार लिखना चाहिये मगर तौज़ीह में सिर्फ़ एक रक़म मीज़ान कुल बाबत तमाम ज़िले के दरज की जावे गी ॥

नमूना

तौजीह शिशमाही मुतज़म्मिन हाल ज़रे हाय तकावी और वसूल और बाक़ी बाबत ज़िले — जो ३१ दिसम्बर और ३० जून को पेश हुआ करै गी

ज़र तकावी जो दिया गया			तकावी वाजिबुल तलब			तकावी गैर वसूली		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
ता आख़िर शिशमाही गुज़श्ता	अन्दर शिशमाही रवां	मीज़ान	ता आख़िर शिशमाही गुज़श्ता	अन्दर शिशमाही [illegible]	मीज़ान	वसूल अन्दर शिशमाही	जो वाजिबुल तलब नहीं हैं	जो वाजिबुल तलब हैं

सरकुलर सदर बोर्ड माल नम्बर ५ मरक़ूमे २३ मारच सन १८५५ ई०

बनाम जमीअ साहबान कमिश्नर ममालिक मग़रबी व शिमाली

गवरमेन्ट ममालिक मग़रबी की मंज़ूरी से हुक्काम सदर बोर्ड नीचे लिखे हुए क़ायदह तरमीम नक़शजात के बाब में कि ऐसी तकावियात की बाबत मुरत्तब व मुरसिल होते हैं जो इज़लाय बनारस में अज़रूय दफ़ा २ क़ानून ९६ सन १७९३ ई० और ममालिक मुफ़्तूहा और मफ़तूहा में अज़रूय दफ़आत ८ लगायत २५ क़ानून ४९ सन १८०३ ई० अमारात वग़ैरह मुफ़ीदह दवाम के वास्ते मरहमत होती हैं मुऐयन फ़रमाते हैं ॥

दफ़ा २ इन क़ायदों की रू से सदर बोर्ड के सरकुलर अहकाम मुन्दर्जे हाशिया [illegible]

(१) छपे हुये सरकुलर नम्बर ४ की दफ़आत २४५ लगायत २४८ नम्बर [illegible] सन १८४७ ई० नम्बर २५ सन १८४७ ई० हरफ़ D सन १८५३ ई० मंसूख हुये और चाहिये कि आयन्दः से नक़शजात मुनसलिके हाज़ा अमल में आवें ॥

दफ़ा ३ नक़शा (अलिफ़) किस्म मज़कूरह बाला की तकावियों की बाबत सदर बोर्ड की मंज़ूरी के लिये इस नक़शा के मुताबिक़ दरख़्वास्त हुआ करें गी

और चूंकि इन नक़शों से सहिकमे सदर बोर्ड में एक रजष्टर मुरत्तिव होगा इस वास्ते कुछ ज़रूरत नहीं कि क़िस्सवार रजष्टर जो अबतक आते थे आयन्दह आवें ॥

दफ़ा ४ नक़शे (बे) आयन्दह से तक़ावियात मज़कूर की तौज़ीह हर कमिश्नरी की बाबत साल हिसाबी के मुताबिक़ सालानह मुरसिल होगी और चाहिये कि दफ़्तर कमिश्नरी से ५ मई तक रवानह हुआ करे चूंकि अब वह सालानह नक़शा मौक़ूफ़ हुआ जिस्में रक़म तकावी कि फ़ीअल वाक़े खर्च हुई हों मुन्दरज होती थीं इसवास्ते लाज़िम पड़ा कि जिस क़दर ज़र तकावी खर्च न हुआ हो उसका हाल मालूम होवे ताकि सदर बोर्ड का रजष्टर सही व दुरुस्त रहे और वाज़े हो कि यह अमर बिला शामिल करने नक़शे अलाहिदह के इसतरह पर हो सक्ता है के तौज़ीय की कैफ़ियत के खाने में लिख दिया जाय मसलन ॥

तादाद ज़र तकावी की जो मंज़ूर हुआ ॥

सन् १८५३ व ५४ ई० की तकावी की बाक़ी जो खर्च नहीं हुई ॥

सन् १८५४ व ५५ ई० में मंज़ूर हुआ ॥

मीज़ान

साल के अन्दर दिया गया ॥

हस्व मुन्दर्जः खाने २ ॥

नम्बर और मिक़दार हरएक रक़म की जो तीन महीने के अन्दर न लिये जाने के सबब ज़बत हुई ॥

बाक़ी जिसका हिसाब सन् १८५५ ई० में दिया जावेगा ॥

दफ़ा ५ नक़शा (जी) अक़सात वाजिबुल तलब और वसूल और बक़ाया तकावी की मुफ़स्सिल कैफ़ियत साल हिसाबी की रूसे इस नक़शा के मुताबिक़ लिखी जायगी और सिर्फ़ वह मुक़द्दमे इसमें दर्ज होंगे जिनमें अक़सात मुअैयनह के बमूजिब तकावी का कुछ भी हिस्सह साल के अन्दर वाजिबुल वसूल हुआ हो और चाहिये कि खाने ८ व १० व ११ की रक़मों की मीज़ान तौज़ीय के खाने ६ व ७ व ८ की रक़मों से व तरतीब मुताबिक़ हुआ करे ॥

दफ़ा ६   वाज़े हो कि कहीं कहीं अदाय तकावी के वास्ते तकावीदारों पर वक़्त मुनासिब से पेशतर तक़ाज़ा हुआ है इसवास्ते हुक्काम सदर यह क़ायदह आम जारी फ़रमाते हैं कि जब किसी अमारत वग़ैरह

मुफ़ीदह दवाम के वास्ते तक़ावी मर्हमत हो तो उस्की वापसी की क़िस्तें उस वक़्त तक शुरू न हों जब तक के ग़मारत वग़ैरह मज़कूर के तय्यार हो जाने की तारीख़ मुअैयनः से बारह महीने न गुज़र जायें और बजुज़ सूरतहाय मख़सूस के उस तारीख़ से तीन बरस के अन्दर कुल ज़र तक़ावी वसूल हुआ करे॥

नक़्शा (अलिफ़)

दरख़्वास्त तक़ावी की कि ग़मारात वग़ैरह मुफ़ीदह दवाम के वास्ते मर्हमत होगी

१ ज़िला	२ परगनह	३ मौज़ः	४ नम्बर दरख़्वास्त	५ तारीख़ दरख़्वास्त	मिक़दार तक़ावी		८ क़िस्म ग़मारत के वास्ते	९ ग़मारत मज़कूर का बनना कब तक होगा	१० ज़र तक़ावी कब वसूल होगा मअ तारीख़ व तादाद अक़सात	११ कैफ़ियत
					६ जो तलब की गई	७ जो बाद तहक़ीक़ात मंज़ूर की				

नक़्शा (बे)

तौज़ीह सालानह बाबत तक़ावियात के कि ज़िले फ़लां में ग़मारात वग़ैरह मुफ़ीदह दवाम के वास्ते मर्हमत हुई कैफ़ियत वसूल व बाक़ी

तक़ावी जो दी गई			तक़ावी वाजिबुल वसूल			वसूलयाबी साल हाल	बक़ायाय तक़ावी		कैफ़ियत
साल गुज़श्ता के आख़ीर तक	साल हाल में	मीज़ान	साल गुज़श्ता के आख़ीर पर	साल हाल के अन्दर	मीज़ान		ग़ैर वाजिबुल वसूल	वाजिबुल वसूल	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

नक़शारज़ी

नक़्शः मुफ़स्सिल मुशार अक़सात वाजिबुलतलब व वसूल व बाक़ीत क़ावियात के कि ज़िले फ़लां में अमरात वग़ैरः मुफ़ीदह दवाम के वास्ते मरहिमत हुई बाबत सन् १८५ ई

नम्बर	परगनह	मौज़ा	नम्बरमुन्दर्जैरजिस्टरतक़ावी	नम्बरबतारीख़ मंज़ूरी	तादादज़रतक़ावी	अक़सातवाजिबुलवसूल				बीक़ी	सहवकलक्टरकीकैफ़ियत॥	साहबकमिश्नरकाहुक्म॥	
						सन् १८ ई० के आख़ीरपर	सालहालकेअन्दरवाजिबुलवलहुई	मीज़ान	सालहालकेआख़ीरतकवसूलहुआ				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	

हिन्दीवअमसलीहेमन्द
सेकलक्टरी

खुलासः

हुक्काम सदर बोर्ड बमंज़ूरी गवरन्मेन्ट तक़ावियात की बाबत कि अमरात वग़ैरः मुफ़ीदह के वास्ते मरहिमत हुई हों क़ायदः और नक़्शे मुअैयन फ़रमाते हैं ॥ ❖

तितिम्मह नम्बर ६

मुतअल्लिके दफ़ः ६६

सरक्युलर हुक्म नम्बर २ मुसद्दरह सदर बोर्ड माल का इन्तख़ाब दस्तकात बाब में ॥ ❖

दफ़ा ५५ बाज़ ज़िले में दस्तक के जारी होने का तरीक़ः ऐसा नाक़िस है किसपर ऐतराज़ शदीद हो सक्ता है यानी हिसाब साफ़ व दुरुस्त नहीं और हिन्दोस्तानी अहलकारों की ज़्यादः सितानी के इन्सिदाद की भी कोई सूरत नहीं अज़ बसकि अज़लाय मज़कूरह में नरासिरे से

बन्दोबस्त इस बाब में करना चाहिये लिहाज़ा सदर बोर्ड को यह मौक़ै वास्ते इजराय एकही दस्तूर के तमाम मुल्क में मुनासिब मालूम होता है दस्तक का और नक़्शजात हिसाब तलबानह का एक नमूनह इस चिट्ठी के शामिल है ॥ नक़्शजात नम्बर १ से नम्बर १२ तक देखने चाहियें ॥ चाहियें कि अपनी क़िसमत के अज़लाय में इजरा के वास्ते भेज दो कि किसी को नक़्शजात साबिक़ इस ख़याल से कि वह बेहतर हैं बहाल रखने का अख़्तियार न हो क्योंकि मक़सद अहकाम हाल का यह है कि अब ऐसा बन्दोबस्त जारी किया जाय जो सब जगह इकसां हो ॥

दफ़ा ५६ अगर्चि इन नक़्शों के ख़ानों से मतलब आपही ज़ाहिर है लेकिन वास्ते मज़ीद अहतियात के उनकी बाबत ज़ैल में लिखाजाता है ॥

दफ़े ५७ नक़्शा नम्बर १ दस्तक का नया नमूनह है ॥

दफ़ा ५८ नक़्शा नम्बर २ छपी हुई दस्तकात के वास्ते यह तहसीलदार की रसीद का नमूनह है बीच का ख़ाना भरने में सिर्फ़ अव्वल और आख़र के नम्बरों का लिखना काफ़ी होगा ॥

मसलन

दस्तकात मुरसिलह ———————————————— अदद

अज़ ———————————————— नम्बर ५०

ता ———————————————— नम्बर २५०

दफ़े ५९ नक़्शा नम्बर ३ माहवारी तलबानह का रजिस्टर मौज़ूअ वार है अगर दस्तक वाक़ियात अकसात सावक़ह के लिये जारी हो तो एक रजिस्टर मुताबिक़ इस नक़्शह के बतौर तितम्मह के बनाना चाहिये और कुल का गोशवारह बनाकर रजिस्टर के पहले वरक़ के दूसरे सफ़ह पर मुवाफ़िक़ नक़्शह मुफ़स्सिलह ज़ैल के लिखनह चाहिये ॥

नाम परगनह का	तादाद दस्तकात की साबिक़ की क़िस्तों की बाक़ी के वास्ते जारी हुई	तादाद दस्तकात की जो हाल की क़िस्तों की बाक़ी के वास्ते जारी हुई	कुल दस्तकात जो महीने में जारी हुई	तलबानह		
				तनक़दी	वसूल	बाक़ी

दफा ६० नक्शा नम्बर ४ मुलाज़िमों का नक्शा और गोशवारह जमा व खर्च तलबानह माहवारी का बाबत किसी एक तहसील के है ÷

दफा ६१ चाहिये कि नक्शजात नम्बर ३ और नम्बर ४ माह आयन्दह की पांचवीं तारीख को सदर में रवानह हों ःः

दफा ६२ नक्शा नम्बर ५ यह नक्शह रजिस्टर तलबानह सालियानह बाबत एक तहसील के है उसके देखने से फ़ौअलफ़ौर वाज़े होगा कि साल भर में एक मौज़े पर कितनी दस्तकात जारी हुई अगर किसी ज़मीनदार या मुस्ताजर के कई मौजों में बाक़ी हो तो कैफ़ियत उसकी खानह अखीर में लिखी जाय और तलबानह के बाक़ी रहने की कैफ़ियत भी लिखनी होगी ःः

दफा ६३ नक्शह नम्बर ६ यह साल भर के मुलाज़िमों का नक्शा और सालियानह जमा व खर्च तलबानह का गोशवारह एक तहसील की बाबत है ÷

दफा ६४ नक्शह नम्बर ७ यह क़ानून गो की रिपोर्ट का नमूनह है जिसमें तादाद दस्तकों की जो तहसीलदार ने बदस्तखत क़ानून गो जारी की हों मुन्दरज हो ÷

दफा ६५ अगर पन्द्रहवीं तारीख क़िस्त देनी वाजिब हो तो मुनासिब है कि २६ तारीख दस्तक जारी हुआ करे और २७ तारीख को क़ानून गो अपनी रिपोर्ट जिसमें तफ़सील तादाद दस्तकात की जो २६ तारीख जारी हुई मुन्दरज होवे साहब कलक्टर के पास भेजा करे और बाद अज़ां हफ़्ते व हफ़्ते रिपोर्ट मज़कूर भेजा करे जब तक बाक़ी वसूल न हो या दूसरी क़िस्त वाजिब हो ÷

दफा ६६ नक्शजात मुफ़स्सिले ज़ैल साहब कलक्टर के दफ़तर में लिखे जायेंगे ÷

दफा ६७ नक्शह नम्बर ८ किताब रवानगी दस्तकात ÷

दफा ६८ नक्शह नम्बर ९ माहवारी रजिस्टर दस्तकों का जो किसी एक तहसील से जारी हुई हों और जो दस्तकात कि साहब कलक्टर नाज़र की मारफ़त जारी करें उनका भी एक रजिस्टर उसी के मुताबिक़ कचहरी में रहेगा ÷

दफा ६९ नक्शह नम्बर १० माहवारी गोशवारह दस्तकात मज़रिये का और तलबानह जमा व खर्च तमाम ज़िले का ःः

इस नक्शह में बाद अन्दराज मीज़ान के ज़िकर उन दस्तकात का लिखना

चाहिये जो बाला बाला कचहरी कलक्टरी से जारी हुई हों॥

दफ़ा ७० नक़्शह नम्बर २१ तमाम ज़िले की दस्तकात का रजिस्टर सालियानह व तफ़सील जमा व खर्च व बाक़ी के॥

दफ़ा ७१ नक़्शा नम्बर २२ गोशवारह दस्तकात मजारिये का और तलबानह सालियानह जमा व खर्च तमाम ज़िले का॥

दफ़ा ७२ यह दस्तूरुल अमल इन नक़्शजात के आम इजराय और कारखाई के वास्ते और क़बाहतों के इन्सदाद के लिये नाफ़िज़ होता है॥

दफ़ा ७३ सिवाय छपी हुई दस्तकों के और कोई दस्तक जारी न होगी और अब जो सवालिक मग़रबी में छापेखाने मुक़र्रर हुए हैं छपी दस्तक के मिलने में कमाल आसानी है और सिवा उनके और किसी तरह के हुक्मनामे की इजाज़त नहीं॥

दफ़ा ७४ दस्तकात के जारी करने में नाज़र को कुछ मदाखलत न देनी चाहिये॥

दफ़ा ७५ दस्तकात मजारिये का एक गोशवारह साहब कलक्टर अपनी तौज़ीह के साथ हर महीने में साहब कमिश्नर के पास भेजेंगे और कमिश्नर एक गोशवारह मुताबिक़ नक़्शा २३ के मये नक़्शजात बाक़ियात माल सालियाना सदर बोर्ड में इरसाल करेंगे॥

दफ़ा ७६ सदर की कचहरी में एक मुहर्रिर खास अमूरात दस्तक के अहतमाम के वास्ते मुअैयन रखना चाहिये और उसके ज़िम्मे होगा कि तहसीलदारों को हस्ब ज़रूरत दस्तकें भेजा करे और हिसाब तलबाना का किताब में लिखा करे और अगर तहसीलदार और क़ानूनगो अपने नक़्शजात के भेजने में तवक़्क़ुफ़ करें तो उसकी इत्तलाय साहब कलक्टर को दे॥

दफ़ा ७७ मुहर्रिर मज़कूर को अहतियात रखनी चाहिये कि क़ब्ल इजराय दस्तकात के हर दस्तक पर साहब कलक्टर या डिपटी कलक्टर की मुहर व दस्तखत और नम्बर खत्त अंगरेज़ी और फ़ारसी में हों और नम्बर एक से शुरू होकर बराबर सिलसिलह वार साल अखीर तक एक ही शुमार पर चला जाय बाद अज़ाँ नई साल में नया सिलसिला नम्बरों का शुरू हो और एक किताब बमूजिब नम्बर ८ के रक्खें जिस में हर दस्तक व तर्तीब नम्बर मुन्दर्ज हो॥

दफ़ा ७८ हर दस्तक [illegible] दिन की मीआद के लिये जारी होगी बिलिहाज़ क़ुर्ब या बाद मौज़े के तहसीलदारी से॥

दफ़ा ७६ जो दस्तकात कि प्यादों की मारफ़त जारी होंगे उन पर फ़ीद स्तक बारह आने मुक़र्रर हैं और जो सवारों की मारफ़त जारी होंगे उन पर डेढ़ रुपया मुक़र्रर है॥
दफ़ा ८० तलबाना कुल मीआद मुअैयनह के वास्ते लिया जायगा और जिस शख़्स की मारफ़त दस्तक जारी होगी वह शख़्स मीआद मुअैयनः के अन्दर दस्तक के वापिस लाने का ज़िम्मेदार होगा॥
दफ़ा ८१ जिस काम के वास्ते दस्तक जारी हुई अगर पहले दस्तक से न निकले तो फिर दूसरी दस्तक जारी की जायगी और दस्तक सानी में दोनों का तलबाना मुन्दरज होगा॥
दफ़ा ८२ तमाम ज़र तलबाना हिसाब सरकारी से महसूब किया जायगा॥
दफ़ा ८३ चाहिये कि कुल ज़र तलबाना दाख़िले में और माल के स्याहे और खतौनी में मुन्दरज हो और उसके वास्ते एक नया खाना बनाया जावे॥
दफ़ा ८४ मज़कूरी प्यादों के रखनेका दस्तूर मौकूफ़ करना चाहिये और दस्तक सिरफ़ सरकारी मुलाज़िम ख़्वाह उन प्यादों की मारफ़त जारी करनी चाहिये जिनकी तनख़्वाह सरकारी से तीन रुपया माहवारी है ऐसे प्यादे बक़दरे ज़रूरत मुक़र्रर होंगे और हर तहसीलदार को चाहिये कि उनकी तादाद जिस क़दर ज़रूर हो तहक़ीक़ कर कर और साहब कलक्टर की ख़िदमत में रिपोर्ट करके उनकी इजाज़त तक़र्रुर के वास्ते हासिल करे इस शरत से कि अगर प्यादों की तनख़्वाह तलबानह से ज़्यादह हो तो ज़र फ़ाज़िल अपने पास से दे यह सरकारी मुलाज़िम एक दस्तक से तीन दस्तक तक ले जासकेगा॥
दफ़ा ८५ कचहरी सदर के मुहर्रिर को चाहिये कि तहसीलदारों के माहवारी नक़शजात नम्बर ३ और ४ को दस्तकात मंसूख़ के साथ जो वापस आते हैं और कानूनगोयों के रजिस्टर दस्तकात और किताब रवानगी के साथ मुक़ाबिला करै बाद अज़ां अपने नक़शजात नम्बर ६ व १० तैयार करे। अगर किसी ग़लती के सबब नक़शजात मज़्कूरह मुक़ाबिला में मुताबिक़ न निकलें तो हिदायत के वास्ते साहब कलक्टर के हुज़ूर में कैफ़ियत पेश करे इसी तरह मुहर्रिर मज़कूर को चाहिये कि हर साल के आख़ीर में अपने नक़शजात सालियाना तैयार करके साहब कलक्टर के सामने पेश

के जब साहब कलक्टर के दस्तखत होलें तो तमाम सालके हिसाब को वासिलबाक़ी नवीस के सिपुर्द करे और उस्से रसीदलेले ॥

दफ़ा ८६ सदरबोर्ड को यक़ीन है कि इस दस्तूरुलअमल का इजराय निहायत मुफ़ीद होगा और यह कि ज़मीनदार उस ज़्यादह सितानी से जोउन पर हुआ करती है इस के इजराय से निजातपावें और मालगुज़ारी की तहसील में बड़ी आसानी हो इसवास्ते बहुत ज़रूर है कि तुम अपनी क़िसमत के इज़लाय में बख़ूबी तामील इस्की करादो ॥

नक़्शा नम्बर १ मुतअल्लिके ततिम्मा नम्बर ६
दस्तक का नमूनह

नम्बर दस्तक   इजरायकचहरीतहसीली   ज़िले   मुहरदस्तखत साहब कलक्टर

नामपरगनह	नाममौज़ा	नामकाश्तकार या मालज़ामन	क़िस्तबाबत माह		तारीख़ इजरा	तारीख़ वापसी	तलबानह			किसकी मारफ़त जारीहुये		
			जुम्लह माल वाजिब	ग़ैर वसूल			ज़रतलबी	वसूल	बाक़ी	सवार	चपरासी	कैफ़ियत

कैफ़ियततामीलदस्तक   दस्तकमंसूखहुई   तारीख़ इजराय
औरवापिसनहोनेकीदर   तारीख़   में
सूरत तवक़्क़ुफ़

अस्ल ——— द० अस्ल ——— द० अस्ल ——— द० अस्ल ——— द०

मुहरयानामतहसीलदार बदस्तखत   मुहरयानामदफ़्तरवासिलबाक़ीनवीस बदस्तखत   मुहरयानामक़ानूनगो बदस्तखत   मुहरयानामतहसीलदार बदस्तखत

नक़्शा नम्बर २ मुतअल्लिके ततिम्मा नम्बर ६
नक़्शा रसीद तहसीलदार का बर वक़्त पाने दस्तकात वापस के

तादाद दस्तकात जो नहवील में बाक़ी रहें	तादाद दस्तकात कि रसीद उनकी हाल में दी गई	नम्बर रदीफ़वार फ़ुलां से फ़ुलां तक	तारीख़ रवानगी दस्तकात कचहरी कलक्टरी	तारीख़ पहुँचने की कचहरी तहसीली में

मुहर या अलक़ाब तहसीलदार वदस्तख़त — मुक़ाबिला हुआ

अमल — व

इत्तलाक़नवीस वदस्तख़त

नक़शा नम्बर ३ मुतअल्लिक़ै तिलस्मा नम्बर ६

किताब तलबाना मौज़ेवार परगनह   माह   सन्

नाम परगनह	नाम मौज़ह	नाम बाक़ीदार	किस्त बाबत माह: माल वाजिब	किस्त बाबत माह: [illegible]	किस्त बाबत माह: ग़ैर वसूल	नम्बर दस्तक जो जारी हुई	तारीख़ इजरा	तारीख़ वापसी	तलबानह: ज़र तलबी	तलबानह: [illegible]	तलबानह: बाक़ी

मुहर या अलक़ाब तहसीलदार — मुक़ाबिला हुआ

अमल — व

इत्तलाक़नवीस वदस्तख़त

नक़शा नम्बर ४ मुतअल्लिक़ै तिलस्मा नम्बर ६

नक़शा मासवार मुलाज़िमान और गोशवारह जमा व ख़र्च तलबानह बाबत कचहरी तहसीली परगनह   माह   सन्

तादाद प्यादा व चपरासियान मुलाज़िम सरकार	तादाद प्यादगान मुतइय्यनह हाल साहब कलक्टर	तादाद मुशाहरा बमअय्य (३) महीना के	मीज़ान कुल तलबाना जो महीने में वसूल हुआ	[illegible]	तारीख़ देने मुशाहरा की	[illegible]	तारीख़ इरसाल फ़ाज़िल रुपया की ख़ज़ाना सदर में	[illegible]

अमल — व — मुक़ाबिला हुआ

मुहर या नाम तहसीलदार — अमल — व — इत्तलाक़नवीस

दस्तकात तितम्मा नम्बर ६   १८० मुतअल्लिक़ दफ़ा ६

नम्बर और तारीख़ दस्तक की जो जारी हुई	तारीख़ वुसूल (इज्रा)	किसकी मारफ़त जारी हुई			नाम मौज़े जिसमें बाक़ी रही	नाम परगनह	कैफ़ियत
		सवार	चपरासी	प्यादः			

नक़्शा नम्बर ८ मुतअल्लिक़ै तितम्मा नम्बर ६

किताब रवानगी दस्तकात कचहरी निज़ामत ज़िले   वक़ैद तारीख़ इबतदा और ख़रायत के

सन्	तारीख़ रवानगी दस्तकात	नाम कचहरी तहसीली जहाँ को भेजी गई	तादाद दस्तकात इरसाली	नम्बर रदीफ़वार	तारीख़ रसीद तहसीलदार

नक़्शा नम्बर ९ मुतअल्लिक़ै तितम्मा नम्बर ६

किताब दस्तकात जो कचहरी तहसीली परगनह से महीने में जारी हुई

तारीख़ रवानगी	नम्बर दस्तक	तारीख़ [illegible]	तारीख़ वापसी	किसकी मारफ़त जारी हुई			तलबान		[illegible]	नाम मौज़े	नाम परगनः
				सवार	चपरासी	प्यादः	ज़स्तगवी	वसूल			

नाम फ़ैसल कुनिन्दा [illegible]	मुलाज़िमान तहसील			तादाद दस्तकात जो जारी हुईं			तादाद जुमला दस्तकात जो साल में जारी हुईं	तलबाना			मुआहदाजात प्यादों की [illegible]	फ़ाज़िल	ख़र्च नक़शों के छापने का	जो कुछ मद पर फ़ुटइन्दुल ख़ास में जमा हुआ
	सवार	चपरासी	प्यादह	सवार	चपरासी	प्यादह		ज़र तलबी	वसूल	बाक़ी				

नक़शा नम्बर १३ मुतअल्लिक़े तितम्मा नम्बर ६

गोशवारह दस्तकात मजारिये और तलबाना का ज़िले फ़ुलां बाबत सने फ़ुलां

तादाद दस्तकात मजारिये	तादाद तलबाना	सिर्फ़ तनख़्वाह चपरासियान	बाद मुजरा होने ख़र्च के जो सरकार में स्याहा हुआ

यह नक़शा अंगरेज़ी में लिखा जायगा और बारह नक़शे अगले उर्दू होंगे ✢

तितम्मा नम्बर ७
मुतअल्लिक़े दफ़ा ६८

सरकुलर हुक्म मजारिये सदर बोर्ड माल नम्बर २ बाक़ीदारों की क़ैद के बयान में
दफ़ा २२४ दिरबफ़ेत स्वील ज़र मालगुज़ारी के वास्ते बाक़ीदारों का जेलख़ाना में क़ैद रखना बहुत कम अमल में आता है लिहाज़ा उसका ज़िकर करना ज़ायद मालूम हुआ लेकिन जो दस्तूर है कि यह माहा नक़शा बाक़ीदारों मुक़ैयदा सदर बोर्ड में इरसाल किया जाता है इसलिये नक़शा ज़ैल इस बात की तहरीर के वास्ते तजवीज़ हुआ ❋

दफ़ा २२५ जो कहीं बसबब सतमर्दी के या किसी और सबब से बाक़ीदार मुक़ैयद हो तो साहब कलक्टर को याद रखना चाहिये कि उसको जेलख़ाना से मुफ़लिसी के सबब रिहाई न दें जब तक कि इक़रार नामा इस मज़मून का तसदीक़ न करें कि आइंदह जो कुछ जायदाद हमारी निकले अदाय बाक़ी के वास्ते बतौर सरसरी ज़िम्मेदार है जबतक कि सरकार अपना दावा तमाम

और व हुक्म खास व अगराज़ास्त न करे॥

दफ़ा १९६ मुनासिब है कि ऐसे इक़रार नामजात व अहतियात तमाम साहब कलक्टर के दफ़्तर में रक्खे जायें ताकि आयंदह बरवक़्त मुनासिब उनपर अमल किया जाय॥

नक़शा बाक़ीदारान माल का जो व हुक्म साहब कलक्टर के क़ैद हुये मिसमत फ़ुलाँ में दुव्तदाय फ़ुलां लगायत फ़ुलां सन १८ ई०

ज़िले	नाम बाक़ीदारों का जो मुक़ैयद हुये	सबब क़ैद	तारीख़ क़ैद होने की	मुद्दत क़ैद	कैफ़ियत

तितम्मा नम्बर ८

मुतअल्लक़े दफ़ा ७७

इन्तखाब सरक्यूलर हुक्म सदर बोर्ड माल नम्बर २ फ़िसल बन्दोबस्त और खाम तहसील के बयान में जो बमूजिब दफ़ा चहारुम कानून नुहम सन १८२५ ई० के होता है और देहात खाम की रिपोर्ट सालतमाम के बाब में

दफ़ा १९८ जब खाम रखना किसी गाँव का एक मीआद मायनः तक मुनासिब मालूम हो सदर बोर्ड में बमूजिब नक़शा नम्बर १ मुन्दरजे ज़ैल के रिपोर्ट भेजनी चाहिये॥

दफ़ा १९९ चाहिये कि पटवारी या किसी और रैयत फ़क़त अख़्तियार की नगाँव दी जाय कि मौज़े खास अपने अहतिमाम में ले ताकि तहसील का खाम तहसील की दिक़्क़त और तनीब औक़ात से महफ़ूज़ रहे लेकिन मालिकों को जिनकी मतमरदी के सबब से मौज़े खाम हुआ कि इलपांगे परस की बुजाज़त न होनी चाहिये सिवाय रक़्म स्वायती बाद मिनहाई पांच रुपये से कड़े की॥

दफ़ा ११० जो मवाज़े खाम तहसीलदार के एहतमाम में हों चाहिये कि उनमें जिसक़दर जल्दी हो सके तुख्मरेज़ी के बाद रबीअ और खरीफ़ की जमाबन्दी अलाहिदह अलाहिदह बामिक़दार ज़ेराअत और तमाम असामियान मय तादाद लगान हरएक के तयार की जाय और बादहू तहसील के खाम एक सा बारी बनाया जाय जो कैफ़ियत कि खाम तहसील में होनी है उनमें मय

वही मुआ़हदत इसी हिसाब से रफ़ै होगी दर सूरते कि दुरुस्ती से बनाया जाय ÷
दफ़ा २२१ मुक़द्दमात ज़ैल में सदर बोर्ड को रपोर्ट करना ज़रूर नहीं क्योंकि साहब कमिश्नर को अख़्तियार है कि उन मुक़द्दमात में ख़ाम तहसील की इजाज़त दें यानी जब कोई गांव ता तरमीम जमा बमूजिब क़ानून नुहुम सन् १८२३ ई० के ख़ाम किया जावे ख़्वाह जब किसी मौज़े का इक़रारनामा मालगुज़ारी नहीं है लिहाज़ा अह्तमाम उसका साहब कलक्टर के ज़िम्मे होता है और इस सूरत में ख़ाम रखने के सिवा कोई चारह नहीं होता ख़्वाह जब किसी गांव का मालगुज़ार बाक़ी न दे और इन्सदाद तसर्रुफ़ के वास्ते ख़ाम रखना मुनासिब भी हो जब तक कि कुछ तरीक़ा बन्दोबस्त का तजवीज़ हो ॥
दफ़ा २२२ नक़्शा नम्बर २ ख़ाम देहात की जमा व अ़सल बाक़ी साल तमाम की है और चाहिये कि साहबान कलक्टर उसमें जुमलः देहात ख़ाम को मुन्दरज करें ख़्वाह बतौर सज़ा बमूजिब क़ानून नुहुम सन् १८२५ ई० के ख़ाम किये गये हों ख़्वाह वास्ते हिफ़ाज़त जमा सरकारी के चाहिये कि इस नक़्शा को तुम साल फ़सली के मुनक़ज़ी होने से पन्द्रह दिन के अन्दर सदर बोर्ड में रवाना किया करो ॥
दफ़ा २२३ साहब कमिश्नर के अख़्तियार में है कि बग़ैर अस्तम्ज़ाज़ सदर बोर्ड के ज़र पेशगी बतौर तक़ावी ख़ाम तहसील देहात में ख़र्च करने की इजाज़त दें और अह्तियात रक्खें कि तक़ावी ज़र तहसील से बेबाक हो जावे अगर मिनजुम्ले तक़ावी के अख़ीर साल पर कुछ बाक़ी रहे तो चाहिये कि वह ज़र तहसील में से मुजरा की जावे और मद्द ख़र्च में महसूब हो ÷

नक़्शा नम्बर २ मुतअ़ल्लिक़े तितम्मा नम्बर ८

नक़्शा मुहाल ख़ाम का कि हस्ब हिदायत मुन्दरजे दफ़ा ४ क़ानून नुहुम सन् १८२५ ई० वास्ते इजाज़त के रिपोर्ट की जाती है बाबत ज़िले फ़ुलां

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
ज़िले	परगनह	मौज़े	जमा बाबत सन् फ़सली	नाम बाक़ीदार	मीआद ख़ाम तहसील	कैफ़ियत बाक़ियात अक़्सात साल की गो ख़ुसूसन बाक़ियात जिसके सबब से बन्दोबस्त फ़िसख़ हुआ	तारीख़ इश्तहार फ़िसख़ बन्दोबस्त	तारीख़ हुक्म ख़ाम तहसील के वास्ते	तारीख़ रिपोर्ट ब हुज़ूर साहब कमिश्नर	कैफ़ियत उन हालात की जिनके सबब फ़िसख़ बन्दोबस्त की ज़रूरत पड़ी	कैफ़ियत साहब कमिश्नर

नक़्शा नम्बर २ मुतअल्लके तितम्मा नम्बर ८
नक़्शा देहात खाम बाक़ै किस्मत फ़ुलां सन फ़ुलां फ़सली

१	२	३	४	५		६		७		८	९	१०
ज़िले	परगन्नह	मौजे	जमा साबिक़	तशखीसात तमाम की		कुल वसूल		बाक़ी		[illegible]	जो वक्त तहसील जो माल की मद्द से लिया हुआ	कैफियत
				नक़्दी	जिन्सी	नक़्दी	जिन्सी	नक़्दी	जिन्सी			

तितम्मा नम्बर ८ मुतअल्लके दफा ८३
इन्तख़ाब सरकुलर हुक्म नम्बर २ मुसद्दरह सदर बोर्ड माल इन्तकाल के बाब में
बमूजिब ज़िमन अव्वल दफा २७ क़ानून २७ सन १८०३ ई०

दफ़ा २०४ अगर किसी पट्टीदार को बाक़ी रखने की आदत पड़ गई हो और मुन्तज़िमी बहबूदी और पट्टीदारान दीगर के बन्दोबस्त क़रार वाक़ई में हर्ज डालता हो तो इजाज़त है कि बमूजिब ज़िमन अव्वल दफा २७ क़ानून २७ सन १८०३ ई० के रिपोर्ट वास्ते अखराज उसके और उसके हिस्से के इन्तकाल दायमी के की जावे लेकिन साहिबान सदर बोर्ड इस तरह की दरख्वास्त में सिर्फ उस वक्त इत्तफ़ाक़ राय करें गे जब नक़्शा आदत बद मामलगी का बख़ूबी साबित होगा॥

दफ़ा २०५ जब दफा २७ के बमूजिब इन्तकाल हो तो रिपोर्ट उसकी बमूजिब नक़्शा ज़ैल के करनी चाहिये और जिस तरह से रिपोर्ट मुक़द्दमात मुस्ताजरी क़ानून नुहम सन १८२५ ई० की रवानगी के वास्ते अजलात तमाम चाहिये वैसे ही इस क़िस्म के इन्तकाल के मुक़द्दमात में भी उजलत दरकार है॥

दफ़ा २०६ अहतियात चाहिये कि दखल ज़मींदारान बेदखल का उनकी निज जोत पर बहाल रक्खा जावे और नक़्शा इन्तकाल में एक खाना ८ मी वास्ते मुन्दर्ज किया गया है कि उसमें शरह लगान जिसको इन्तकालन्दर पट्टीदारान बे दखल से लेने का इक़रार करता है मुन्दर्ज की जावे॥

नक़्शा इन्तकाल हक़ूक़ पट्टीदारान बाक़ीदार का मुताबिक़ ज़िमन अव्वल
दफ़ा २७ क़ानून २७ सन १८०३ ई० के

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
ज़िले	परगना	मौज़ा	जमाबाबत सन गुज़श्ता	नाममहालमुतअल्लिक़ाके	नाम पट्टीदारान और तादाद जमा जिसके वास्ते हर एक ज़िम्मेदार है	नामपट्टीदारानबाक़ीदार	तादाद बाक़ी जिसके हर एक बाक़ीदार	नाम पट्टीदारान के बाक़ी जो इन्तकाल होंगे	तारीख दरख्वास्त इन्तकाल	मुद्दत इन्तकाल	तारीख अदाय बाक़ी की इत्तला की बहाली के	तारीख रिपोर्ट व हुज़ूर साहब कलेक्टर	तादाद निज़जोत और प्रारम्भ नुक़सान की	कैफ़ियत दरख्वास्त की जिनके सबब इन्तकाल मंज़ूर हुआ	कैफ़ियत साहब कलेक्टर

तितम्मा नम्बर १० मुतअल्लिक़ दफ़ा ८६

खुलासा सरकुलर हुक्म सदर बोर्ड माल मुवर्रखे २६ जून सन् १८४४ ई०

साहबान सदर बोर्ड माल इज़लाय मग़रबी और शिमाली ब मंज़ूरी गवर्नमेन्ट हुक्म देते हैं कि हुक्काम माल को मुनासिब है कि आयंदह से इज़लाय मग़रबी और शिमाली मुकद्दमात मुस्ताजरी और हिस्सों मुहालात के इन्तकाल में दस्तूरुलअमल मुन्दरजे जैल पर अमल किया करें ॥

दफ़ा अव्वल मालूम हो कि दफ़ा चहारुम सरकुलर हुक्म नम्बर २ में क़वायद इन्तकाल मिलकियत बाक़ीदारों के मुस्ताजरों के हाथ जैसे तसरीह से चाहिये बयान नहीं हुये इसवास्ते क़वायद हाज़ा बतौर तितम्मा के उन क़वायद की तशरीह के लिये हिदायतें जारी होती हैं ॥

दफ़ा दोयम क़ानून नुहम सन् १८२५ ई० की दफ़ा चहारुम सिर्फ़ उन्हीं मुहालात के मुतअल्लिक़ है जिनका बन्दोबस्त इस्तमुरारी नहीं हुआ और बाक़ी में उस हुक्म से फ़रक़ रखता है जो ज़िमन ४ दफ़ा १७ क़ानून ६ सन् १७६५ ईसवी में ज़िले बनारस के लिये मुक़र्रर है और उस हुक्म से भी जो ज़िमन ४ दफ़ा १७ क़ानून २७ सन् १८०३ ई० में इज़लाय मफ़्ज़े और मुफ़्तूहा के वास्ते मुअ़य्यैन है ॥

दफ़ा सेयम इज़लाय मफ़्ज़े और मुफ़्तूहा में दफ़ा ४ क़ानून ९ सन् १८२५ ई० की रूसे ज़िमन ४ दफ़ा १७ क़ानून २७ सन् १८०३ ई० मंसूख हुआ लिहाज़ा उन्हीं के साहबान माल को हुक्म दिया जाता है कि बमूजिब क़ानून मज़कूरह अव्वल के अमल किया करें न बमूजिब क़ानून मुतज़क्किरह सानी के ॥

दफ़ा चहारुम मुताबिक़ दफ़ा ४ क़ानून ९ सन १८२५ ई० के साहब कलक्टर किसी मुहाल का बन्दोबस्त मंसूख नहीं कर सके जब तक कि क़िस्त के वाजिब होने से एक महीना पूरा न गुज़र चुका हो और बाद शाये करने इश्तहार मंसूखी बन्दोबस्त के कलक्टरी और तहसीलदारी की कचहरी और बाक़ीदार के मौज़े में पन्द्रह दिन न गुज़र जांय ॥

दफ़ा पंजुम जो इश्तहार मुस्ताजरी जारी हो चाहिये कि उसमें सिरफ़ वही बाक़ी मतलूब न हो जो उस वक़्त तक वाजिबुल अदा है बल्कि अगर कोई क़िस्त माबैन मीआद इश्तहार के वाजिब हो वह भी तलब कीजावे और साहब कलक्टर को इजाज़त है कि बाक़ी लेने से इनकार करें जब तक कुल बाक़ी जो उस वक़्त तक वाजिबुल अदा है न दीजाय ॥

दफ़ा शिशुम चाहिये कि बाक़ीदार बाक़ी नक़द दाख़िल करें लेकिन साहब कलक्टर को अख़्तियार है कि रुक़े या ज़मानत इलतवाय मंसूखी बन्दोबस्त के वास्ते लें अगर उस सबील को ग़ुज़ारत वसूल के लिये काफ़ी समझें ॥

दफ़ा हफ़्तुम साहब कलक्टर को इजाज़त है और क़रीन मसलहत भी यही है कि फ़ौरं फ़िसख़ बन्दोबस्त के बाद मुस्ताजिर को दख़ल दिलावें मगर जबतक मंज़ूरी सदर बोर्ड की जो फ़िसख़ की तारीख़ से एक महीना बाद दीजाती है न आलेगी तबतक मुस्ताजरी मुकम्मिल शुमार न की जावेगी ॥

दफ़ा हश्तुम मंज़ूरी सदर बोर्ड के बाद मुस्ताजिर के क़ब्ज़े में मीआद मुस्ताजरी तक किसी तरह का ख़लल न किया जावेगा बजुज़ उस सूरत के कि गवर्नमेन्ट सख़्ती और बे इन्साफ़ी के ख़याल से मुहाल फिर मालिक के सिपुर्द करें ॥

दफ़ा नुहुम दस्तूरुल अमल मज़्कूरे बाला उन मुक़द्दमात से मुतअल्लिक़ है जिन में कुल मौज़े मुस्ताजरी दिया जाता है लेकिन इन्तक़ाल बमूजिब क़ानून अव्वल सन १८४१ ई० के वास्ते भी काफ़ी है मुक़द्दमात इन्तक़ाल मज़्कूर: में चाहिये कि वही क़ायद: मलहूज़ हो जो वास्ते मुक़द्दमात क़ानून ९ सन १८२५ ई० के मुऐयन है और चाहिये कि दोनों में कार रवाई एकसान हो सिवा इसबात के कि पट्टी को इन्तक़ाल में बाक़ी की वजह सबूत पेशी दी हो जैसा [illegible] क़ानून [illegible] सन १८४१ ई० में [illegible] है ॥

दस्तूरुल अमल ख़ास वास्ते ज़िलाय बनारस के.

दफ़ा दहुम ज़िलाय बनारस में इन्तक़ाल सिरफ़ बमूजिब ज़िमन ४ दफ़ा २७ क़ानून ६ सन १७९५ ई० के अमल में आसक्ता है और उसका

इजराय ना अखतितास साल फसली के जायज़ नहीं॥

दफ़ा याज़दहम इज़राय बनारस में अगर साल फ़सली की पछली क़िस्त वाजिब होने के बाद बाकी रहे तो साहब कलक्टर को अखतियार है कि बाक़ीदार को बेदखल कर के ज़मीन मुस्ताजरी में दें॥

दफ़ा द्वाज़दहम क़िबल इस्से कि साहब कलक्टर किसी मौजे को मुस्ताजरी में दें चाहिये कि इश्तहार मुस्ताजरी मीआदी पन्द्रह दिन का जारी करें और मीआद उसकी तारीख इजराय इश्तहार कचहरी कलक्टरी से और आवेज़ान होने इश्तहार के बाकीदार के मुहाल पर शुमार की जावेगी॥

दफ़ा सेज़दहम अगर मीआद मज़कूर के अन्दर बाकी अदा न हो तो साहब कलक्टर को अखतियार है कि मुहाल मुस्ताजरी में दें और मुस्ताजर को दखल दिलावें मगर जबतक मंज़ूरी गवरमेन्ट की न आवेगी वह मुस्ताजरी मुकम्मिल न होगी॥

इन्तखाब सरकुलर हुक्मनम्बर २ मुसद्दरः सदर बोर्ड माल

दफ़ा १०२ जब मुस्ताजरी के मुकद्दमात की रिपोर्ट बमूजिब क़ानून नुहम सन १८२५ ई० सदर बोर्ड की मंज़ूरी के लिये की जावे तो चाहिये कि बमूजिब नक़शा ज़ैल के कैफ़ियत भेजी जावे और इस नक़शा के जारी करने से यह मक़सद है कि साहबान सदर बोर्ड पर वाज़े हो कि इन मुकद्दमात की रिपोर्ट बर वक़्त होती है या नहीं साहबान कलक्टर को हुक्म देना चाहिये कि जो फ़िसख बन्दोबस्त मुस्ताजरी उन के हुक्म से हो उसकी इत्तलाय फ़ौरं साहब कमिश्नर को किया करें और साहब कमिश्नर को लाज़िम है कि सदर बोर्ड में इस रिपोर्ट को बताजील तमाम इरसाल किया करें अगर साहब कमिश्नर मुकद्दमा मुस्ताजरी में कुछ ज़्यादह तहक़ीक़ात करनी चाहिये तो मुनासिब है कि फ़ौरं बाद पहुंचने रिपोर्ट साहब कलक्टर के करें और चाहिये कि साहबान कलक्टर फ़ौजदार और उसका जवाब लिखें चाहिये कि रिपोर्ट और खत व किताबत इस जल्दी से हो कि सदर बोर्ड में नक़शा फ़िसख बन्दोबस्त का छः हफ़्ते के अन्दर पहुंचे और अगर कुछ खतूत बाबत मुस्ताजरी के तहरीर हुए हों तो उसका ज़िकर मय तारीख खतूत के खाना आयनः में मुन्दरज करना चाहिये॥

नक़शा ठेके मुस्ताजरी को वास्ते मंज़ूरी के मुताबिक़ दफ़ा ५ क़ानून ९ सन १८२५ ई० के तजवीज़ हुआ है बाकी ज़िले फ़ुलां

ज़िले	परगनह	मौज़े	जमाबाबत सन फ़सली	नाम बाक़ीदार	नाम मुस्ताजिर	नाम ज़ामिन	मीज़ान दहबेरी	कैफ़ियत बाक़ी व असबात हाल कैफ़ियत कुल वाक़िआत जिससे [illegible]	तारीख़ कुर्क़ी मुहाल [illegible]	तारीख़ [illegible]	तारीख़ [illegible] मुस्ताजिर	तारीख़ [illegible]	कैफ़ियत [illegible]	कैफ़ियत साहब कमिश्नर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५

तितम्मा नम्बर ११
मुतअल्लिक़े दफ़ा ९८

इन्तख़ाब सरकुलर हुक्म मुसद्दरह सदर बोर्ड मालमुवर्रखे ५ फ़रवरी सन् १८४८ ई०

चहारुम अगर किसी मुहाल में बाक़ी पड़े जिसका वसूल बग़ैर नीलाम के न हो सके तो अगर ज़रूरत हो साहब कलक्टर उस मुहाल को कुर्क़ करके दरख़ास्त हसूल इजाज़त नीलाम की करें और नक़्शा मुन्दर्जे ज़ेल के मुनासिब कैफ़ियत लिखें और अहतियात से सब ज़रूरी बातें उस कैफ़ियत में मुन्दर्ज करें॥

पंजुम अगर नीलाम करने में साहब कमिश्नर की राय साहब कलक्टर से मुत्तफ़िक़ हो तो मुनासिब है कि फ़ौरन अपनी तजवीज़ लिखकर कैफ़ियत सदर बोर्ड में रवाना करें पर अगर साहब कमिश्नर जानें कि बाक़ी और तदबीर से भी वसूल हो सक्ती है तो खुद उस मुक़द्दमा को तै करके साहब कलक्टर को हिदायत करें॥

शिश्तुम चूंकि सिवाय वजूहात मज़कूरह दफ़ा ९९ के कोई नीलाम मुस्तरद नहीं हो सक्ता बजुज़ इसके कि साहब कमिश्नर के सामने अपील किया जाय और इस तरदीद सिर्फ़ ख़िलाफ़ क़ानून होने के सबब से हो सकता है लिहाज़ा साहबान कमिश्नर नीलाम के हर मुक़द्दमा की कैफ़ियत जिसमें अपील हुआ हो साफ़ और मुख़्तसर मये वजूहात अपील और नगीं तजवीज़ के सदर बोर्ड की इत्तलाय के लिये इरसाल करें॥

बिस्त व नुहुम बाद मुकम्मिल होने नीलाम के जिस क़दर जल्द होसके एक नक़शा नीलाम का नक़ल करके सदर बोर्ड में इरसाल करें और हर ज़िले के वास्ते एक सालाना नक़शा जिसमें तादाद मुक़द्दमात नीलाम की मुन्दरज हो और उसकी तरतीब बमूजिब नक़शा मुन्दर्जे ज़ैल के हो हर साल के अख़ीर में यानी ३१ दिसम्बर तक तैयार किया जाय और वह नक़शा सदर बोर्ड में अख़ीर जनवरी आयंदह तक पहुंचा करे ॥

नक़शा मुहालात ज़िले फ़ुलां कि दरख़्वास्त नीलाम की बइल्लत बाक़ी के की जाती है

परगनह	मुहाल	नाम मालिकान और नवइयत मिल्कियत	जमा	तफ़सील बाक़ी				साहब कलक्टर की कैफ़ियत बाक़ी की बाबत और नीलाम की दरख़्वास्त की वजूहात	कैफ़ियत साहब कमिश्नर
				साल	नाम क़िस्त	तादाद	मीज़ान		

नक़शा कैफ़ियत मुक़द्दमात नीलाम जो मालगुज़ारी के वसूल के वास्ते सन् फ़ुलां के दरमियान अमल में आये

परगनह	मुहाल	नाम मालकान व नूयमलकियत	जमा	साल	नाम क़िस्त	तादाद	मीज़ान	ज़र नीलाम और तारीख़ अदा की	नाम और मसकिन और पेशा ख़रीदारों का	तारीख़ हुसूल इजाज़त सदर बोर्ड दरबाब नीलाम	तारीख़ नीलाम	तारीख़ अमल दस्तक नीलाम	कैफ़ियत इस बात की कि अपील हुआ सो क्या तजवीज़ हुई

सरक्युलर हुक्म मुसद्दरह सदर बोर्ड माल मुवर्रख़े २ मई सन् १८५५ ई०

दफ़ा अव्वल सदर बोर्ड मुमालिक मग़रबी दस्तूरुल अमल ज़ैल तामील शरायत क़ानून अव्वल सन् १८५५ ई० के वास्ते जिससे क़ानून साबिक़ यानी द्वाज़दहुम सन् १८४१ ई० तरमीम हुआ है जारी करते हैं ॥

दफ़ा दोयम साहबान कलक्टर और अफ़सरान ज़िले पर लाज़िम है कि दस्तूरुल

ःज्ञात्वाप्रकारकवः ब
त्वैमलंघ्रगरेक्ती —
ः९५नैम ऐोःबहिसा
लज्ञुगारादिय:
५९३६१ नैन है
ावीनवीस ॥ —

अमल साबिक़ के बमूजिब नीलाम की दरख़्वास्त किया करें ॥

दफ़ा सेवम जब साहबान कलक्टर को पास सदर बोर्ड से इजाज़त नीलाम की आवै तो साहब कलक्टर ब अख़्तियात तमाम बमूजिब दफ़ा ५ क़ानून नीलाम के इश्तिहार जारी करें इस मज़मून का कि सदर बोर्ड से फ़ुलां दिन मुक़र्रर हुआ है बाद उस दिन के ज़र बाक़ी न लिया जावैगा और बाक़ीदारों को तंबीह की जाती है कि अगर उस दिन तक ज़र बाक़ी न देंगे तो मिलकियत मुन्दर्जे इश्तिहार नीलाम की जावैगी फ़क़त मगर इस इश्तिहार को गज़ट में छपवाने की कुछ हाजत नहीं ॥

दफ़ा चहारुम अगर मुद्दत मुक़र्ररह सदर बोर्ड की मुनक़ज़ी होजाय और बाक़ी अदा न होवै तो साहब कलक्टर को ज़रूर है कि बिला तअम्मुल और बग़ैर तग़ीर व औक़ात के दूसरा इश्तिहार व इन्दराज नाम मुहाल और तारीख़ नीलाम जारी करें और इस इश्तिहार को बमूजिब दफ़ा शिशम के गज़ट में छपवावें ॥

दफ़ा पंजुम साहबान कलक्टर को चाहिये कि इजराय इश्तहार सानी के साथ मुनादी बमूजिब दफ़ा हफ़्तुम के करावें ताकि रोज़ मुआयनः अदाय बाक़ी के बाद रय्यत या शिकमी असामियों से कोई शख़्स मालकान बाक़ीदार को ज़र लगान न दे वगरनः बमूजिब दफ़ा मज़कूरह के वह ज़र लगान महसूब न होगा ॥

दफ़ा शिशम साहबान कलक्टर को लिहाज़ रखना चाहिये कि पहिले इश्तिहार का क्या मक़सद है और दूसरे इश्तिहार का क्या मक़सद है और बहुत ख़बरदार रहना चाहिये कि उनकी तहरीर और इजराय बमूजिब हिदायत दफ़ा पंजुम और शिशम के की जाय ॥

दफ़ा हफ़्तुम अगर ज़र नीलाम के दाख़िल न होने के सबब से दूसरे नीलाम की हाजत हो तो सिरफ़ इश्तिहार बमूजिब दफ़ा शिशम के काफ़ी होगा मगर इस अमर की अहतियात रहे कि जिस दिन ख़रीदार को ज़र नीलाम देना चाहिये था उसके पूरे तीन दिन गुज़रने के बाद यह इश्तिहार जारी हो ॥

दफ़ा हश्तुम यह भी याद रखना चाहिये कि ज़िमन आख़ीर दफ़ा माज़ूरह में से यह बात निकलती है कि जब किसी मुहाल का नीलाम सानी नज़दीक होतो उसके मालकों को अख़्तियार है कि अपनी बाक़ी अदा करें और अगर रोज़ नीलाम मुअय्यनः इश्तिहार से एक दिन पहिले ग़ुरूब आफ़ताब तक बाक़ी तमाम दाख़िल करें तो नीलाम सानी मौक़ूफ़ रहेगा ॥

दफ़ा नुहम अमल दस्तक देने के वक़्त साहबान कलक्टर इस बात को याद

नियान रक्खैं कि जो तारीख वास्ते अदाय बाकी के सदरबोर्ड से मुकर्रर हुई उस तारीख के दूसरे दिन से नीलामदार की हक़्क़ियत शुरूअ होती है॥

सीरी माल मरकूमे २ जौलाई सन १८४७ ई०

जब किसी हक़्क़ियत को बक़ायाय माल गुज़ारी की इल्लत में नीलाम करना मुनासिब मुतसव्विर होकर उसकी रिपोर्ट बोर्ड में भेजी जाती है तो अक्सर रिपोर्ट में अमूर ज़रूरिये जिनसे बोर्ड को दरियाफ़ होवे कि नीलाम करना लाबद है या नहीं मतरूक रहते हैं लिहाज़ा हुक्काम बोर्ड दरख़्वास्त फ़रमाते हैं कि आयन्दह क़वाइद मुफ़स्सिले ज़ैल मो बमो तामील पाया करें॥

दफ़ा २ अव्वल अमर ज़रूरी जिसको दरियाफ़ करके साफ़ साफ़ लिखना चाहिये यह है कि हक़्क़ियत किस क़िसम की है आया मुहाल जिसका नीलाम करना मंज़ूर है ऐसे अशख़ास की मिल्कियत है जो ख़ुद हक़्क़ियत पर नहीं रहते और उसकी काश्त नहीं करते हैं याकि मालकान ख़ुद काश्त रूपरवन्द के कब्ज़े में है॥

दफ़ा ३ सूरत अव्वल में ख़ुद ज़र बाक़ी और नोयय्यत कब्ज़े के लिहाज़ से अमूमं नीलाम की दरख़्वास्त मंज़ूर की जावेगी॥

दफ़ा ४ सूरत सानी में हाल मुफ़स्सल तादाद और क़ौम और चाल चलन पट्टीदारों यानी हिस्सेदारों का लिखना ज़रूर है और ज़र बाक़ी की भी शरह करनी लाज़िम है यानी आया बाक़ी व वजः शोरह पुश्ती या नफ़ाक़ हिस्सेदारों या तग़ाल्लुब या आफ़ात चन्द रोज़ह या तंगदस्ती ज़मीनदारों के ज़हूर में आई या क्योंकर और अगर बाक़ी हिस्सेदारों के नफ़ाक़ से पड़ी हो तो कैफ़ियत नज़ाय की लिखनी चाहिये और इस अमर की वजह कि कलक्टर उसको बतौर मसलहत रफ़े क्यों नहीं कर सका और अगर बाक़ी हवादस चन्द रोज़ह से वाके हुई हो तो लिखना चाहिये कि नीलाम के एवज़ मतालबह सरकारी को एक मीआद तक मुल्तवी रखने में क्या क़बाहत थी और यह कि बाक़ीदार लोग फ़र्दं फ़र्दं क्यों ज़िम्मेदार हैं और कुल हिस्सेदार वाला जमाल बाक़ी के ज़िम्मेदार क्यों नहीं क़रार पाये हैं और अगर बाक़ी बराह शोरह पुश्ती के हो तो सबूत शोरह पुश्ती का लिखना चाहिये॥

दफ़ा ५ अगर कलक्टर को निनजुमले मुहाल के सरफ़ एक पट्टी या हिस्से का नीलाम करना मंज़ूर हो तो साहब मौसूफ़ को लिखना चाहिये कि पट्टीदारों ने बाहम मुत्तफ़िक़ होकर और तादाद बाक़ी अदा करके पट्टी या हिस्से बाक़ीदार को ख़ुद क्यों नहीं लेते हैं॥

दफ़ा ६ मुनासिब है कि रिपोर्ट नीलाम के साथ नक़ूल नमूनेजात नम्बर २ व ३ कागज़ात यानी वही नमूने जो हिदायतनामा बन्दोबस्त के बन्दोबस्त और नक़्शः मुतज़म्मिन हाल कमी तितम्मा नम्बर २३ में मुन्दरज हैं ÷ बेशी मालगुज़ारी जो बाद तारीख़ बन्दोबस्त वाक़ै हुई हो मुरसिल किये जावैं और लिखना चाहिये कि मुहाल बमुक़ाबिले हैसियत साबिक़ अैयाम बन्दोबस्त के बिलफ़ेल किया हैसियत रखता है और अगर कुछ बदल गया हो तो वजह तबदीली की ÷

दफ़ा ७ अगर मुहाल किसी के पास रहन हो तो मालिकों के क़बज़े की नौइयत की शरह चाहिये कि आया वह ख़ुद मुहाल में रहते हैं या बाहर रहते हैं और औरों से काश्त कराते हैं और अगर वह मुहाल में रहते हैं तो कितने लोग हैं और उनकी क्या काम और कैसी चाल चलन है ÷

दफ़ा ८ हमेशः नीलाम की दरख़्वास्त करने में साहब कलक्टर को रिपोर्ट करना चाहिये कि ख़रीदारों की दस्तयाबी की उम्मेद है या नहीं और बक़ाया के वसूल के लिये सिवाय नीलाम के दूसरा कुछ इलाज है नहीं है या बमुक़ाबिले दीगर सबील वसूल मालगुज़ारी के साहब कलक्टर नीलाम की सबील को किसी ख़ास वजह से पसन्द करता है ÷

दफ़ा ९ असाल अमूम बिला उम्मेद दस्तयाबी ख़रीदारों के नीलाम की रिपोर्ट करना ग़ैर मुनासिब है मगर इस क़ायदह आम से मवार मुफ़स्सले ज़ैल मुस्तसना हैं ÷

अव्वल अगर बाक़ी ऐसी नज़ाय से बाक़ै हुई जिसको कलक्टर रफ़ै नहीं कर सक्ता है तो अगर ख़रीदार लोग दस्तियाब न होवैं मुनासिब है कि गवर्नमेन्ट मुहाल को ख़रीद करके नज़ाय रफ़ै करने का इस्तहक़ाक़ कामिल हासिल कर लेवे और अगर मुनासिब पाया जावे तो बाद ईफ़ाय ज़र बाक़ी के गवर्नमेन्ट को अख़तियार रहेगा कि मुहाल उस शख़्स को वापस करे जो बेक़सूर हो ÷

सानियं उस सूरत में कि ख़ुद मालिक ने मुहाल को नीलाम में जब बद नीयत बक़ायाय मालगुज़ारी या ब मौजे इजराय डिगरी नीलाम कराया या ख़रीद किया हो क्योंकि जो लोग ऐसे बेवहार में हाथ डालते हैं उनको बेवहार का नतीजह आम इससे कि नफ़य हो या नुक़सान गवारा करना चाहिये ÷

सालिसं उस सूरत में जब बाक़ी शोरह पुश्ती या बद दियानती या मुफ़

...से पैदा हुई हो क्योंकि नीलाम से गवर्नमेन्ट को अख़्तियार रहेगा कि अव्वल तो अशख़ास शोरह पुश्त और बद चलन को मुहाल से बाहर करै और बाद अज़ान रुपय। और मशक़्क़त की मदद से मुहाल को सरसब्ज़ और आबाद करे ॥

दफ़ा २० पस जब ख़रीदारों की दस्तयाबी की उम्मैद न हो और ताहमनी लाम की दरख़्वास्त की जावे कलक्टर को लिखना चाहिये कि अगर मुहाल सरकार के लिये ख़रीद किया जाय तो आयनदह उसका क्योंकर इन्तज़ाम होगा आया साहब मौसूफ़ नोअयत कब्ज़े को शिकस्त करेगा या कब्ज़ेके ...दो रफ़े करके असल मालक को वापस करैगा या पहले शोरह पुश्तों को दुरुस्त कर के और ता चन्दी मुहाल को ख़ाम रखके आबाद और सर सब्ज़ करेगा और जब बेस क़ीमत हो जाय तो गवर्नमेन्ट के फ़ायदह के लिये उसको नीलाम कर डालेगा या क्योंकर ॥

दफ़ा २१ साहब कलक्टर को लाज़िम है कि जब कोई मुहाल गवर्नमेन्ट के लिये ख़रीद किया जाय जिस तरह नीलाम की रिपोर्ट लिखने में ग़ौर और ख़ूज़ अतम हुआ था उसीतरह मुहाल के सरफ़ आयनदह की बाबत बनआमक व नामुल तदबीर करे पस तरीक़े इजराय दस्तकात दरिहतहारी और नीलाम का और गवर्नमेन्ट के लिये अन्धा धुन्ध मुहालात का ख़रीद करना इस तरह पर कि गोया कोई कल चल रही है आयनदह बहुज़ूर बोर्ड या गवर्नमेन्ट के मक़बूल न होगा ॥

तितम्मा नम्बर १२ मुतअल्लके दफ़ा २०८

सरकूलर आबकारी नम्बर १ मरक़ूमे २ मई सन् १८५७ ई०

आबकारी के तफ़सीलवार दस्तूरुल अमल आम को मशोरह साहबान सदर बोर्ड रफ़ानियो गवर्नमेन्ट की मंज़ूरी से दस्तूरुल अमल ज़े ...को मुख़ालिफ़ तारीख़ो में एक २१ सन् १८५६ ई० के अहकाम के इजराय की मुराद से नाफ़िज़ फ़रमाते हैं ॥

दरबाब उन भट्टियों के जिन में अंगरेज़ी तौर पर कशीद हो

दफ़ा १ भट्ठे की दरख़्वास्त उस ज़िले के साहब कलक्टर को गुज़रनी चाहिये जिसमें भट्ठी वाक़े है साहब कलक्टर उस दरख़्वास्त को मय अपनी रिपोर्ट के किसमत के साहब कमिश्नर की मारफ़त साहबान सदर बोर्ड की ख़िदमत में भेजेंगे ॥

दफ़ा २ साहबान सदर बोर्ड रफ़ानियो को अख़्तियार है कि किला तहरी र

वजूहात पट्टा की दरख़ास्त ना मंज़ूर करें लेकिन उनके हुक्म जो ... ... अपील होने के वक्त गवर्नमेन्ट के हुज़ूर वजूहात लिख भेजनी होंगी॥

दफ़ा ३ जिन लोगों को भट्टियों में कशीद करने का पट्टा मिले उन्हें पांच हज़ार रुपया नक़द या बज़रिये काग़ज़ सरकार ज़िले के साहब कलक्टर के पास दाख़िल करना होगा दरसूरत ... ख़िलाफ़ आईन आबकारी के जो ममालक मग़रबी में जारी हो और बशरत साबित होने के हुज़ूर में उस हाकिम के जिसको अज़रूये आईन मुक़द्दमात आबकारी के फ़ैसले का अख़्तियार हो वह रुपया कुल या जिस क़दर कि हस्ब तहरीर साहबान सदर बोर्ड रेवेन्यू के हुज़ूर गवर्नमेन्ट से तजवीज़ हो मये पट्टा ज़ब्त होगा और जब बग़ैर ज़ब्ती के पट्टा मुनक़ज़ी हो तो साहब कलक्टर अमानत का रुपया वापिस करेंगे॥

दफ़ा ४ जो लोग कशीद शराब का पट्टा हासिल करें उनको इक़रार नामा ऐसी तदबीरों और उन अहकाम की बजाआवरी का बमुराद हिफ़ाज़त जमा सरकारी के लिखदेना होगा जोकि ब मंज़ूरी गवर्नमेन्ट वक़्तन् फ़वक़्तन् साहबान सदर बोर्ड रेवेन्यू के हुज़ूर से सादर हों पट्टा बाद लेने उस इक़रार नामा के जो बमूजिब ज़मीमे नम्बर अव्वल हो दियाजायगा।

दफ़ा ५ जब तक कि सायल ज़िले के साहब कलक्टर को इस अमर का इतमीनान न कराये कि उसका कारख़ाना इस क़दर है जिस में तीन सौ गैलन शराब या सिये खिंच सकती है तब तक पट्टा न दिया जायगा॥

दफ़ा ६ जबतक कि ज़िले के साहब कलक्टर को इसबात का इतमीनान न करा दिया हो कि कारख़ाना के मकान और अहाते ऐसे बने हुए हैं और ऐसी दीवार से घिरी हुई हैं कि जिस से जमा सरकारी की हिफ़ाज़त कामिल हो तबतक भी पट्टा न मिलेगा॥

दफ़ा ७ जो सरकार की तरफ़ से एक या कई अहलकार भट्टी पर मुतअय्यन हों उनका ख़र्च भट्टी के पट्टेदार के ज़िम्मे होगा और उसको यह भी लाज़िम है कि उस एक या कई अहलकार के रहने के वास्ते अहाते के अन्दर ऐसी जगह मकान बनवा दे जहां से अहाते को आमद व रफ़्त सब दिखाई देती हो॥

दफ़ा ८ भट्टी के पट्टेदार को लाज़िम है कि सामान कशीद का लाना शुरू करने से पहले भट्टी के मकान के अहाते की कैफ़ियत मशमूल ... ... हरजगह मकान ज़ख़ीरह व गोदाम वग़ैरह के जो उस कारख़ाने में

मुतअल्लक हो और तफसील खास कर नवीक और पीपे वगैरह ज़रूफ को जो उसके इस्तअमाल में हों लिखकर साहब कलक्टर के हुज़ूर गुज़राने जो निशावान या दूसरा अहलकार आबकारी का कि साहब कलक्टर की तरफ से इस काम पर मुक़र्रर हो उसे चाहिये कि सब ज़रूफ को देखले और माप कर उनपर निशान कर दे बाद अज़ान सरफ़ वही ज़रूफ भट्टी के इस्तअमाल में आयें ॐ

दफा ९ पट्टेदार को लाज़िम है कि जिस रोज़ भट्टी के शुरूअ करने या कशीद मौक़ूफ़ करने का इरादा रखता हो उससे कम से कम पांच रोज़ पेश्तर इत्तिला करे ॐ

दफा १० कोई शख्स शराब का कशीद करनेवाला बिदून खास मंज़ूरी सरकार गवर्नमेन्ट के बिलकुल या जुज़वी शरायत मुन्दर्जे दफात ६ और ७ और ८ और ९ से माफ़ न होगा ॐ

दफा ११ पट्टेदारों को हर साल सितम्बर के महीने में साल आयन्दह के पट्टे की तजदीद के लिये दरख़ास्त करनी लाज़िम है और जिन पट्टों की तजदीद न हो वह मंसूख और नाजायज़ समझे जावेंगे और जो शराब भट्टी में कशीद हो उसकी ज़बती और गिरफ़तारी के वास्ते और कशीद कुनन्दों को उस सज़ा के वास्ते जो अशरबे की कशीद नाजायज़ के लिये अज़रूय क़ानून मुक़र्रर हो ऐसे पट्टों की रू से हिफाज़त न होगी ॐ

दफा १२ साहब कलक्टर और डिपटी कलक्टर और सरवेर यानी मुमतहिन अशरबे या दूसरा अहलकार जो उसके मातहत इस काम के लिये मुक़र्रर हो यह अख्तियार रखते हैं कि दिन और रात में जिस वक्त चाहें हर इजाज़ती भट्टी के कारख़ाना और गोदाम वगैरह मकानात के अन्दर जो उससे मुतअल्लक हों कर नवीक वगैरह ज़रूफ मुस्तअमलः कशीद के देखने और मापने के लिये और खींची हुई शराब की खासियत के दरयाफ़्त हाल अज़रूय पैमानः और इमतहान के लिये और अज़रूय तजरबे या दूसरी तरीक़ से महसूल की तादाद का अन्दाज़ह करने की मुराद से बिला मज़ाहमत चले जायें ॐ

दफा १३ जो अहलकार आबकारी कि पट्टा की हुई भट्टी पर मुतअय्येन हो उसको लाज़िम है कि जितनी शराबें उस भट्टी में खींची जावें सब की खासियत को पैमाना और इमतहान से दरयाफ़्त करे और जितनी शराब बाहर जावे या गोदाम और जखीरह वगैरह मकानात में जहां शराब हमेशह

रक्खी जाती हो मौजूद होवे मअक्का हिसाब मये तफ़सील मिक़दार और अ-न्दाज़ह तेज़ी के तरतीबवार रक्खे ॥

दफ़ा २४ बग़ैर रुखसतः दिये हुये साहब कलक्टर के कोई शराब भट्टी के अहा-ते से बाहर न जाने पावेगी और उस रुखसतः में शराब की तादाद और तेज़ी हाकिम साहब के अमला इमतहान अशरबे से दरियाफ़त करके दर्ज होगी और वह तेज़ी चाहिये कि सिवाय उन सूरतों के जिनका ज़िकर आगे आवे गा लंदन के अन्दाज़ह से कम न हो ॥

दफ़ा २५ कोई शराब बमूजिब मरक़ूमै बाला जबतक कि उस पर महसूल मुतअैयनः एक यानी एक रुपया फ़ी इम्पेरियल गैलन कि तेज़ी में अन्दाज़ह लंदन के मुसावी हो या एक रुपया से कम या ज़्यादह उस क़दर जिस क़दर तेज़ी अन्दाज़ह लंदन से कम या ज़्यादह हो दाखिल न होले तब तक भट्टी से बा-हर न जायेगी और अगर शराब समुन्दर पार जानेवाली हो तो जब तक कि उसका [illegible] बमूजिब दफ़ा ८ और २६ ऐक्ट २१ सन् १८५६ ई० के न होले तब तक बाहर नहीं निकल सक्ती है ॥

दफ़ा २६ रम शराब और अरक़ और शराब की रूहें जो पट्टे की हुई भट्टि-यों में त्यार की जावें उनपर महसूल बक़दर अन्दाज़ह उस शराब के लगेगा जो उनकी त्यारी में सरफ़ हुई हो और दूसरी सूरत में महसूल बमूजिब दफ़ा-त २४ व २५ के होगा ॥

दफ़ा २७ जो कारखानेदार पट्टा की हुई भट्टी के चाहें कि समुन्दर पार रवाना करने के इक़रार नामा के बमूजिब शराब को रवानह करें उन्हें बमूजिब इ-ह काम दफ़ात २५ से २८ तक इश्तहार आबकारी मुवर्रख़े ७ अपरैल और अपरैल सन् १८५७ ई० के कलकत्ते गज़ट में छापा गया और बमूजिब उन ज़वाबत के जो आइन्दह इस बाब में सादर हों अमल करना होगा ज़मीमै नम्बर २ ॥

दफ़ा २८ जो कारखानेदार पट्टा की हुई भट्टी के ममालिक मग़रबी में सौदाग-रों वग़ैरह को शराब व शराब मकतर अपनी भट्टियों की कशीद की हुई दिया चाहें उनको अख़तियार है कि बशरत हासिल करने रुखसतः साहब कलक्टर या दूसरे हाकिम इआबकारी मुतअल्लिक़ उस ज़िले के जिसमें वह भट्टी वाक़े हो सौदागरों मज़कूर के हाथ या किसी ग़रज़ के साथ जो एम रुखसत में [illegible] शराब फ़रोख्त करें लेकिन आठ गैलन से कम न हो और बराबर महसूल ब हिसाब एक रुपया फ़ी इम्पेरियल गैलन [illegible]

जाने के पेश्तर हर हाल में अदा कर दिया जाय ॐ

दफ़ा १९ बाद अदा होने महसूल मुऐयन के साहब कलक्टर या दूसरा हाकिम मसबूकुलज़िकर बमूजिब नक़शा नम्बर ३ मुन्दर्जे ज़मीमे के रवन्नः इनायत करेगा यह रवन्नः शराब को रास्ते पर गिरफ़्तारी से महफ़ूज़ रक्खेगा लेकिन उसकी रूसे यह इजाज़त न होगी कि जिन शख़्सों के नाम उसमें बतौर बोरंदह शराब लिखे हों उनके सिवा दूसरे के हाथ शराब मज़कूर बेची जाय ॐ

दफ़ा २० रवन्नःमज़कूर की तजदीद दूसरे ज़िले के वास्ते हो सकती है या एक ही ज़िले में दूसरी जगह का नाम तबदील हो सक्ता है बशर्तेकि साहब कलक्टर या दूसरा हाकिम मसबूकुलज़िकर इसबात का इतमीनान कर ले कि जिस पीपे में भट्टी से गई थी उसमें से निकाली नहीं गई है ॐ

दफ़ा २१ मुसन्ना ऐसे असल या रवन्नःमजदद का उस ज़िले के साहब कलक्टर या दूसरे हाकिम मसबूकुलज़िकर को भेजदेना चाहिये जहां शराब का भेजना मंज़ूर है और वह मुसन्ना माल की कचहरी में किसी नज़रगाह आम पर लगा दिया जायगा और अगर ज़िले या परगनह या छावनी के महसूल आबकारी की मुस्ताजरी हो तो मुस्ताजर को भी उसकी इत्तला दी जायगी ॐ

दफ़ा २२ जिस भट्टी का ठेका सरकार से सररिश्ते कमसेरियट में रम शराब के देने का हो और उससे जो शराब दीजाय उसकी निसबत भी अहकाम दफ़ा १८ व १९ व २० के मुतअल्लक़ होंगे लेकिन साहब कलक्टर को ऐसी सूरत में बमंज़ूरी खास गवर्नमेन्ट के चाहिये कि उस शराब पर जिस क़दर अज़रूए रवन्नः मज़कूरह बाला के महसूल जमा हुआ हो वह मआफ़ करदे या वापिस करे ॐ

दफ़ा २३ यह अमर ज़िले के साहब कलक्टर की मरज़ी पर मुनहसर है कि अशख़ास मातबर को बमूजिब ज़मीमे नम्बर ३ के बाबत खानगी रम शराब या शराब सफ़ेद के पट्टा दी हुई भट्टी से बशर्त दरख़्वास्त मुसद्दक़ इस अमर के कि शराब मज़कूर सरफ़ खानगी खर्च के वास्ते लिये रवन्नःखास इनायत करें और शराब की तादाद दो अमपीरियल गैलन या बारह कवार्ट बोतल से कम न हो और इस सूरत पर कि शराबहाय ख़ास के की गैलन एक रुपया के हिसाब से पूरा महसूल पेश्तर दाखिल हो गया हो और उस भट्टी के मालिक या सरबराहकार ने थोक बिक्री यानी फ़रोख़्त इकजाई की सनद हासिल करली हो ॐ

से हाकिम मज़कूर से दरख़ास्त करें और यह सनद आम सिर्फ़ उसी मीआद के वास्ते जो मज़कूर हुई मवस्सर होगी और उसकी रसूम भी उसी क़दर लगेगी और जिस ज़िले में इकजाई फ़रोख़ कुनन्दह बेंचता हुआ पहुंचै वहां के आबकारी मुहाल का हाकिम सनद की पुश्त पर अपनी सहीह करेगा ॥

दफ़ा ३० जो शख़्स कि किसी मुक़ाम ख़ास के लिये या बतौर आम शराब ख़मर व मफ़तर की फ़रोख़ के वास्ते सनद बतौर मज़कूर हासिल करे वह बग़ैर फ़रोख़ मुतफ़र्रक़ या किसी और उज़र के शराब मज़कूर को दो इम्पीरियल गैलन या बारह बोतल से कम नहीं बेच सकता है ॥

दफ़ा ३१ जो शख़्स कि शराब मफ़तर व मख़मर मज़कूरह दफ़ा २८ की ख़ुरदह फ़रोशी के वास्ते सनद हासिल करे उस्को हर सनद के वास्ते बमूजिब तजवीज़ साहब कलक्टर के दो रुपये से आठ रुपये तक महीना देना होगा और जिस महीने में कि वह सनद हासिल हो हमेशा उसके शुरूअ से हिसाब किया जायगा ॥

दफ़ा ३२ यह सनद तीन महीने तक बीना सिफ़ कसैरे के वास्ते या एक साल अमली मज़कूरह बाला से ज़्यादह अरसे के लिये न दी जायगी और अमूमन उसका महसूल सिहमाही अदा किया जायगा और हर शख़्स को अख़तियार है कि अपनी सनद साल अमली को जिस सिहमाही के आख़ीर पर चाहिये मंसूख़ कराले लेकिन उसको चाहिये कि हाकिम आबकारी मुहाल को बज़रिये तहरीर अपने उस इरादह से दूसरी सिमाही के शुरूअ होने से पेश्तर किसी वक़्त इत्तला दे और सनद वापिस करने को पेश करे और सनदें ख़ुरदह फ़रोशी की उस नक़्शा के मुवाफ़िक़ दी जायंगी जो ज़मीमे नम्बर ६ में है ॥

दफ़ा ३३ जो लोग कि सनद फ़रोख़ इकजाई और ख़ुरदह फ़रोशी की लें उन को लाज़िम है कि बमूजिब शरायत मुंदर्जे सनद के अमल करें दर सूरत उदूल के मुजरिम को सज़ा बमूजिब मज़कूरह ऐक्ट २१ सन १८५६ ई० के होगी ॥

शराब कशीदगी बतौर हिन्दोस्तानी और उसकी फ़रोख़

दफ़ा ३४ शराबों का बतौर हिन्दोस्तानी बनाना साहब कलक्टर की सनद के बग़ैर नाजायज़ है और जिस भट्टी की इजाज़त साहब कलक्टर दें उसमें शराब खींचने के लिये पट्टा बतौर नक़्शा ज़मीमा नम्बर ७ के मरहमत होगा और उसके मज़मून के मुवाफ़िक़ इक़रार नामा लेलिया जायगा ॥

दफ़ा ३५ जो शराब कि सनद की हुई भट्टियों में खींची जाय उसकी ख़ुरदह

फ़रोख़्त की सनद मानवर बेंचने वालों को जिनके वास्ते दस्तख़ायतें इजाज़त अता हुई हों बमूजिब नक़शा ज़मीमे नम्बर ८ के दीजायगी और दफ़ा बाला के बमूजिब इक़रार नामा ले लिया जायगा ❁

दफ़ा ३७ अगर खींचने वाला और बेंचनेवाला शराब का एक ही होतो मुमानियत नहीं है लेकिन सनद कशीद व फ़रोख़्त की जुदी जुदी मिलनी चाहिये ❁

दफ़ा ३८ बेशतर और बन्दोबस्तों के यह एहतियात ज़रूर है कि जिन भट्टियों पर शराब भी बिकती हो उनकी और हर ज़िले की जुदीजुदी दूकानों की एक फ़ेहरिस्त मुकम्मिल रखना चाहिये ❁

दफ़ा ३९ परगनह के नक़शा और हालात मुफ़स्सिल मुन्दर्जे मिसल बन्दोबस्त से और उनके सिवाय ज़िले के हालात दरियाफ़्त करने के दूसरे वसीलों से मुमालिक मग़रबी के साहबान कलक्टर बलिहाज़ एहतियातों जवानों के यह बात तजवीज़ कर सकेंगे कि कहां कहां भट्टी और दूकान का जारी रखना मुनासिब है मगर इस तजवीज़ में दो हदूद से महफ़ूज़ रहने की एहतियात चाहिये यानी भट्टी और दूकान मज़कूर न इस क़दर कम हों कि लोगों को शराब नाजायज़ की कशीद और चोरी से लेजाने की तरग़ीब हो और न इस क़दर ज़ियादह हों जिससे शराब ख़ुवारी और उस्से जो ख़राबियां होती हैं उनकी कसरत हो ❁

दफ़ा ४० भट्टियां और जुदी जुदी दूकानों के मुक़र्रर करने में जहांज़रूरत हो वहां ऐसा इन्तज़ाम करना चाहिये कि आपुस में फ़ासिला मुनासिब पर हो और जहांतक मुमकिन हो थाने पुलीस से भी उनका बाद ज़ियादह न हो ये यह क़ायदह आम होना चाहिये ख़सूस मुफ़स्सलात में कि भट्टी और दूकानें एक जगह पर हों लेकिन बड़े सहरों में और ख़ास सूरतों में अगर इसके ख़िलाफ़ हो तो जायज़ है ❁

दफ़ा ४१ सदर की भट्टियों में अशरबे की साख़्त व अहतमाम साहब कलक्टर के बिदून ख़ास इजाज़त साहबान सदर बोर्ड के जारी न होगी ❁

दफ़ा ४२ इन ज़िलाय में यह जो तरीक़ा जारी हो रहा है कि हिन्दोस्तानी शराब की ख़ुरदह फ़रोख़्त का ठेका दे दिया जाता है या दरख़्वास्त लेने ने ठेका हस्ब दिलख़्वाह के हरएक जुदी भट्टी और दूकान की बाबत से अहतमाम सरकारी में हो सनद दे दीजाती है यही तरीक़ा जाये

भी जारी रहेगा॥

दफ़ा ४३ तमाम ज़िले का एक ठेका दे देना ममनूअ है और बिदून खास मंज़ूरी माल्हवान बोर्ड के निस्बत छोटे छोटे ज़िलाओं के कहीं नहीं दिया जायगा अमूमन जुदे जुदे पट्टे परगनों या परगनों के हल्कों के वास्ते मुनासिब शर्तों पर देने लाज़िम हैं॥

दफ़ा ४४ आबकारी का साल अमली गवर्नमेन्ट से तजवीज़ हुआ है कि साल तरद्दुदी के मुताबिक होवे यानी यकुम अक्टूबर से ३० सितम्बर तक और इसी के मुवाफ़िक़ बाबत महसूल आबकारी के तमाम बन्दोबस्त और ठेके और पट्टे होंगे और इस कायदह से तिजावज़ ब ज़रूरत हाल किसी मुकाम के सिर्फ़ गवर्नमेन्ट की मंज़ूरी खास से जायज़ होगा॥

दफ़ा ४५ अगस्त के आखिर में और सितम्बर के शुरू में फ़सल खरीफ़ की पैदावार का हाल और रब्बीअ की तुख्मरेज़ी का हाल बरसात और दरियाओं की तुग़्यानी से अच्छी तरह क़यास में आसक्ता है और कशीद शराब के सामान का ज़खीरह और कीमत का उतार चढ़ाउ और अन्दाज़ह शराब के खर्च का जो कि मय नोशी की कसरत के अय्याम में यानी अक्तूबर से जून तक हो यह सब मरातिब सेहत काफ़ी के साथ महसूब हो सकते हैं इसवास्ते तहसीलदारों को इस मौसम में आबकारों बग़ैरह से दरियाफ़्त करना चाहिये कि हर परगनह में किसक़दर महसूल आबकारी तख़मीनन दाखिल होगा ताकि साहब कलक्टर को एक अन्दाज़ह इस बात का मालूम हो जाय कि बाद मिनहाई नफ़अ व नुक़सान के जो फ़ी सदी पन्दरह रुपये से बीस रुपये तक हो किसक़दर रुपये से कम ठेका ना मंज़ूर करना चाहिये॥

दफ़ा ४६ जुदे जुदे परगने या हल्क़े के वास्ते अक़ल दरजे एक महीने पेश्तर से ठेका का इश्तहार दिया जाय और दरख्वास्तें मये ज़मानत काफ़ी बसीग़े ज़मानत या ज़मानत मुश्तबर व मुआफ़िक़ बज़रिये तहरीर गुज़रनी चाहियें और उनकी तजवीज़ रोज़ मुऐयन पर आम कचहरी में हो और जो दरख्वास्त सब से ज़्यादह हो वही मंज़ूर की जाय लेकिन उस अंदाज़ह से कम न हो वे जो दफ़ा बाला में मज़कूर हुआ और ऐसे शख्स की तरफ़ से भी न हो जो पेश्तर किसी वक़्त आइन आबकारी के मदूल का मुजरिम हुआ हो और जो रुपया कि किसी ने पेश्तर अपनी दरख्वास्त में लिखा हो अगर

पीछे उससे बढ़ाया जाय तो वह किसी सूरत से मंज़ूर न होगा ❋

दफ़ा ४७ साहब कलक्टर को अख़्तियार है कि इस तरीक़े को अख़्तियार करें क्योंकि अकसर मुफ़ीद पाया गया है बशर्तेकि ठीक मुवाफ़िक़ क़ायदह मज़कूर के अमल किया जाय और अवाम को यह इतमीनान हो जाय कि किसी तरह का तिजावज़ या मामले पीछे जायज़ न रक्खा जायगा अगर साहबान कलक्टर इस तरीक़े को अख़्तियार न करें तो चाहें इसबात का इश्तहार दें कि ठेके बतौर नीलाम के दिया जायगा मगर जो शख़्स नीलाम बोले चाहिये कि ज़मानत कामिल हस्ब हैसियत अपनी बोली के देने की इस्तेदाद बेबाक व गुंजाइश रखता हो ❋

दफ़ा ४८ महसूल या ठेका की तादाद को शरह रोज़ मर्रह की मुसावात हिसाब से बाबत तमाम अर्से पट्टा या इक़रार नामा के तजवीज़ करना ख़ाली अज़ क़बाहत नहीं है क्योंकि बाज़ मौसमों में ख़र्च शराब का और आमद बनिसबत दूसरे मौसमों के ज़्यादह होती है इसवास्ते माहवारी किस्तों का हुक्म हुआ है और साल या कम अर्से का मनाफ़ा तजवीज़ करके ब क़यास आमद के महीनों पर तक़सीम कर दिया जाय ❋

दफ़ा ४९ बेहतर ज़मानत यह है कि दो महीनों की किस्तों का रुपया नक़द दाख़िल किया जाय और यह इजाज़त दी जाय कि साल की आख़ीर दो किस्तों में वह रुपया महसूब होजाय बशर्तेकि और सब किस्तें अदा हो गई हों इस बन्दोबस्त से और इस क़ायदह से कि पिछली किस्त साल के तमाम होने से थोड़े दिन पहले अदा होजाय मुफ़स्सिल की इरसाल सदर ख़ज़ाने में पहुँच कर क़ब्ल तमाम होने पिछले महीने के महसूब होजायगी और ऐसी बाक़ियात कि बराय नाम ही रहने न पायेंगी ❋

दफ़ा ५० जो ठेकेदार कि अच्छे नेक नाम हों उनसे साहब कलक्टर सिमाही पर ठेका के रुपया के अदा होने का ऐसा बन्दोबस्त कर सके हैं कि रुपया मज़कूर नामज़द बतादाद माहवारी होवे लेकिन मरातिब्ने मालगुज़ारी के इन्तज़ाम की रिपोर्ट जिस साल के हिसाब से भेजी जाती है उसके मुवाफ़िक़ आमद व ख़र्च की कैफ़ियत में महसूब होने से मुनासिब है कि ३० अपरैल तक का ज़र वाजिब उस तारीख़ तक वसूल हो गया हो ❋

दफ़ा ५१ मुस्ताजर को अख़्तियार है कि दूसरे कशीद करने वालों और बेंचने वालों से जिनके मुक़ाम उसके ठेके की सनद में लिखे हों अपना बन्दोबस्त करले और उसको साहब कलक्टर कुछ सादे नक़्शे व तादाद मुनासिब मुताबिक़ एबारत सनद साख़्त और फ़रोख़्त के मरहमत करेंगे और उनपर उसके ठेके की शरायत लिखदेंगे व नज़र इंसदाद अमल बेजा के शरायत ज़ैल कबूलियत और पट्टा दोनों में लिखी जायेंगी ॥

अव्वल यह कि जो भट्टियां और जुदी जुदी दूकानें लिखी गई हों बिदून इजाज़त साहब कलक्टर या अफ़सर आबकारी मुहाल के उनकी जगह की तब्दील व तौसीअ न हो ॥

दोयम ठेके का रुपया बमूजिब तादाद माहवारी और अक़सात के अपने ठीक वक़्त पर अदा हो जाया करे और साल भरका मतालबे बरस के तमाम होने से साठ दिन पहले वसूल होजाय ॥

सेवम ठेके की हद्द से बाहर शराब न जाने पावे और ठेकेदार आईन आबकारी से ख़ुद या उसके अगमाज़ से कोई और तख़ालफ़ न करने पावे वरने उसको सज़ा अज़रूय क़ानून होगी और पट्टा फ़िसख़ हो जायगा ॥

चहारुम इक़रारनामे तहरीरी आबकार खींचनेवालों और बेंचनेवालों से लिये जायें और जो रुपया अदा करें उसकी रसीद तहरीरी दी जाय और हिसाब बतरतीब रहे जो ऐसा न करेगा उसका सरसरी नालिश का इस्तहक़ाक़ मारा जायगा ॥

पंजुम पट्टा की हद्द मुन्दर्जे के अन्दर खींचनेवालों और बेंचनेवालों को सनद कशीद और फ़रोख़्त शराब की दी जायगी और उनको अख़्तियार होगा कि तहसीलदारी या आबकारी की कचहरी में सनद की रजस्टरी करवालें ॥

दफ़ा ५२ महसूल आबकारी के इस तरीक़े का बन्दोबस्त सालाना साहिब कमिश्नर की मंज़ूरी से होगा और जो बरस से ज़्यादह अरसे के वास्ते हो तो उसकी मंज़ूरी साहबान बोर्ड से चाहनी होगी ॥

दफ़ा ५३ अगर व बायस न पेश होने किसी दरख़्वास्त दस्त दिलख़्वाह के या किसी और वजह ख़ास की ज़रूरत से ज़िले के किसी हिस्से में मुहाल की आमद का जांचना ज़रूर पड़े तो ख़ाम तहसील की जायगी ॥

दफ़ा ५४ यह तरीक़ जो बाज़ी हाकिमों ने अख़्तियार किया है कि तहसीलदार या और किसी हिन्दोस्तानी अहलकार के अहतमाम में आदमियों को नौकर रखके मसारिफ़ मोलले ना और कशीद करवाके ख़ुरदह फ़रोशी करना इसमें नुक़सान है लिहाज़ा यह तरीक़ ममनूअ किया जाता है ॥

दफ़ा ५५ मुनासिब तरीक यह है कि शराब के खींचने वालों और बेचने वालों से जो कि भट्टी और दूकान पर तहसील की हद्द के अन्दर या ज़िले के और किसी हिस्से में मुतअैयन हों बतौर इन्तज़ाम खास इक़रार नामे जुदा जुदा लेलिये जावें और सनदें वास्ते कशीद और फ़रोख्त मुतफ़र्रिक के उनको दी जायें और जो रुपया वसूल हो उसपर दस रुपया सैकड़ा के हिसाब से तहसीलदार को या दूसरे अहलकार को जो अहतमाम करे अमलः ज़ायद के खर्च ने के वास्ते दिया जाय ॥

दफ़ा ५६ तहसीलदार या दूसरा जो अहलकार हो उसे चाहिये कि यह अहतियात अमल में लाये कि मतालबः के वसूल करने में एक अन्दाज़ह माक़ूल से ज़्यादह तादाद न हो और ख़याल रखना चाहिये कि कशीद करने वाले अक्सर ठेकेदारों से तकावी लेकर काम चलाते हैं और इसी के सबब काम ज़्यादह होने से ठेका बढ़ता है लेकिन सरकार की तरफ़ से तकावी नहीं दीजाती है पस जो लोग कि सामान कशीद की खरीद के वास्ते कहीं और से क़र्ज़ दाम लेकर काम चलाते हैं उनकी निसबत उससे मुबकदोश होने की ज़मानत भी मलहूज़ रहे ॥

दफ़ा ५७ जो अहलकार इलाक़े के हाल से वाक़िफ़ हैं वह खूब जानते होंगे कि आबकारों में से कौन अपना रुपया लगाते हैं और कौन क़र्ज़ से काम चलाते हैं दोनों के साथ बन्दोबस्त मुनासिब करना चाहिये मगर हर हाल में ज़मानत काफ़ी लेलेनी वाजिब है और जिस भट्टी की ज़मानत न हो जाय उससे काम न होने पाये ॥

दफ़ा ५८ आबकारों के साथ बन्दोबस्त करने में यह अहतियात रहे कि साल के मौसम के मुवाफ़िक़ यानी जब हसब मामूल खर्च शराब का कम बबेश हुआ करता है उसके लिहाज़ से माहवारी क़िस्तों की तादाद ज़ायदः और कम मुक़र्रर की जाय ॥

अहकाम दरबाब ताड़ी

दफ़ा ५९ दफ़ात ४६ से ५८ तक मुताल्लिक आबकारी के इस सरिश्ते से भी मुतअल्लिक़ हैं अक्सर ऐसा होता है कि तमाम ज़िले के वास्ते एक ठे का लिया जाता है और जिन मुक़ामों में ताड़ और खजूर के दरख्त होते हैं वह मालूम हैं पस जो आमदनी है सिरफ़ तख़मीनन से मालूम होजाती है ताड़ी की फ़रोख्त की सनद बमूजिब नक़्शा ज़मीमा नम्बर २ के दीजायेगी ॥

दफा ६० बाज़ी सूरतों में ठेकेदार महसूल आबकारी का जितने हिस्से ज़िले का ठेका ले उतनेही का ठेका ताड़ी का भी लेता है यह अमर काबिल ऐतराज़ नहीं है लेकिन अहतियात रहे कि ताड़ी की फ़रोख्त के वास्ते जुदी सनद दी जाय और हमेशे दूकानें नाले और हिसाब अलाहिदह रक्खे जायें ❉

दफा ६१ जहां ताड़ी मरअसर का खर्च इस कदर कम हो कि अहकाम रो क मज़कूरह बाला का इजराय मुनासिब न हो तो उस्की रिपोर्ट सदर बोर्ड को करनी चाहिये ❉

मुसक्कात खुराक

दफा ६२ जो अहकाम कि दरबाब आमद व रफ्त गांजह और भंग और चरस के इज़लाय समालिक मगरबी में जारी हैं वह सब ज़मीमे नम्बर २० मेंजम्अ कर दिये गये हैं ❉

दफा ६३ इन इज़लाय में भंग का बोना सब आदमियों के वास्ते जायज़ किया गया है और बतौर दवा के सब्ज़ी का पीना या उसके दरख्त की नसों से सुन बनाना ममनूअ नहीं है लेकिन उस दरख्त को असली हालत में या तौरपर तयार करके बतौर मुसक्कात खुराक इस्तैमाल में लाना या जमा करना या बेचना बिला हुसूल रोसे हुक्म के जो साहबान सदर बोर्ड की मंज़ूरी से दिया गया हो मने है ❉

दफा ६४ गांजः और भंग और चरस की खुरदह फ़रोशी या सनद साहब कलक्टर बमूजिब नक़शा ज़मीमा नम्बर २१ के देंगे ❉

दफा ६५ मुसक्कात मज़कूरह बाला की खुरदह फ़रोशी के महसूल का ठेका कुल इज़लाय तमाम ज़िले के वास्ते होना चाहिये सिवाय उन जहां यह अशियाय आसानी से बहम पहुंचती हैं और ज़िले के जुदे जुदे हिस्सों के वास्ते जुदे ठेकों का देना आसान हो ❉

दफा ६६ जहां मुसक्कात मज़कूर की खुरदह फ़रोशी के महसूल का ठेका तमाम ज़िले के वास्ते हो वहां पट्टे तीनबरस के लिये साहब कमिश्नर मंज़ूरी से दिये जायें ❉

दफा ६७ आबकारी मुहाल के इस सरिश्ते से दफात ४६ से ५१ तक के अहकाम मुतअल्लक़ हैं मगर किसी सूरत में बन्दोबस्त खाम की मंज़ूर करना न चाहिये ❉

फ़रोख़्त अफ़ीयून

दफ़ा ६८ जिन ज़िलाओं में अफ़ीयून पैदा होती है सिर्फ़ सदर की कचहरी और उन तहसीलियों में जिनको साहब कलक्टर तज्वीज़ करें पांच तोले तक के खरीदारों के हाथ बेची जाय और उनके नाम और सकूनत और पेशे लिखलिये जांय और शरह फ़रोख़्त की असीरुपये के सेर से बारह रुपये सेर मुक़र्रर है उसमें से ग्यारह रुपये क़ीमत सरकार है और एक रुपया चुंगी और खर्च की बाबत का है और वाज़े हो कि सरकारी अफ़ीयून जो जमा हो और आयंदह बनारस की आढ़त से मंगाई जाय सिर्फ़ वही बिकेगी ✤

दफ़ा ६९ जिन ज़िलाओं में पोस्त की ज़राअत मना है साहब कलक्टर सरकारी अफ़ीयून की फ़रोख़्त के वास्ते वही इन्तज़ाम इन्हीं शरायत के साथ वहां भी करें और उन ज़िलाओं में बसूरत ख़ास सिवाय मुलाज़िमान सरकार के दूसरे शख़सों को बशरायत मरकूमे बाला बेचने की इजाज़त दीजाय लेकिन यह इजाज़त सिर्फ़ बड़े शहरों के वास्ते है कि जहां उसकी ख़रीद पर अच्छी तरह से निगरान रह हो सकेंगे और जबतक साहबान सदर बोर्ड की ख़िदमत में एक रिपोर्ट मुतज़म्मिन तद्बीरात वास्ते दफ़े करने फ़रोख़्त अफ़ीयून नाजायज़ के इरसाल न होगी और जबतक साफ़ मंज़ूरी साहबान ममदूहीन की नफ़ाज़ न पावे तबतक बिकने न पावेगी ✤

दफ़ा ७० सरकारी अफ़ीयून इसमें उन शख़्सों के हाथ बेची जायगी जिनको उसकी फ़रोख़्त की इजाज़त बमूजिब दफ़ा बाला के हो और उनसे क़ीमत ८० रुपये के सेर से २५ सेर या जो आयंदह साहबान बोर्ड तजवीज़ करके मुक़र्रर करें ली जायगी ✤

दफ़ा ७१ सरकारी अफ़ीयून की ख़ुर्दह फ़रोशी की सनदें साहब कलक्टर सब अशख़ास को जो उसकी फ़रोख़्त के मजाज़ हों देंगे ख़्वाह वह सरकारी नौकर हों या ग़ैर और सनद का नक़्शा बमूजिब ज़मीमे नम्बर २२ के है ✤

दफ़ा ७२ वास्ते हिफ़ाज़त उन अहल पेशे तबाबत के जो मातबर क़रार पाये हैं सनद ख़ास दी जायगी और उनकी दरख़्वास्त पर वह सनद सालानह साहब कलक्टर के हुज़ूर से मजद्दद हो सकेगी (ज़मीमा नम्बर २२ को देखो) ✤

दफ़ा ७३ मुल्क ग़ैर की अफ़ीयून सब लोगों के पास बेचनी मना है

और जो बेंचेगा उसको बमूजिब एक्ट मज़कूर के सज़ा होगी मगर अफ़यून मुतज़ायद: जिसको डाकटर अज़रूय अपनी सनद के खालिस और क़ाबिल फ़रोख्त बयान करैं वह सरकारी गोदाम से बशरत पसंद साहब एजन्ट मसौरअल्ले अफ़यून बनारस के बेंचने के वास्ते दी जायगी और जो डाकटर की राय से नाकारह होगी हमेश: फ़ौरं नेस्त व नाबूद कर दी जायगी ॥

दफ़ा ७४ अफ़यून को फ़रोख्त दूसरी शै के साथ मिला कर मसलं मदक या और जिस नाम से हो ममनूअ है मगर यह हुक्म उस आमेज़िश से मुतअल्लक़ नहीं है कि जो डाकटर अ़लाज के वास्ते बमूजिब दफ़ा ७२ के मुरत्तिब करैं ॥

दफ़ा ७५ बिदून मंज़ूरी खास गवरमेन्ट के निसबत खुरदह फ़रोशी अफ़यून के कोई ज़िले या ज़िले का हिस्सा इन अहकाम के इजराय से मुसतसना न होगा ॥

फ़ौजकी छावनी

दफ़ा ७६ दफ़आत ५८ से ६७ तक के अहकाम मुक़ाम की हालत के मुवाफ़िक़ छावनियों से भी मुतअल्लक़ होंगी और हलक़ै बमूजिब एक्ट १९ सन् १८५३ ई० के बनाये जायेंगे और सुपरंटंडन्ट आबकारी से मुतअल्लक़ होंगे मगर कशीद और फ़रोख्त शराब मकनर और मखमर के पट्टे और महसूल के ठेके उन हदूद के अन्दर बइत्तलाअ़ और सलाह साहब कमान अफ़सर के दिये जायेंगे ॥

दफ़ा ७७ जो इक़रारनामे कि इन हदूद के अन्दर महसूल के ठेकेदारों से लिये जायें उनमें यह शरत दाखिल की जायगी कि अगर किसी खास मुक़ामपर फ़ौज के हाकिम के हुक्म से दूकान बन्द हो जाये और उसके सबब से कुछ हिस्से बिक्री का दूसरी दूकान से जा लगे या पट्टा की मीआद के अन्दर लशकर कहु न घट य बढ़ जाये तो पट्टा की तरमीम होगी ॥

दफ़ा ७८ जिन छावनियों में कि सुपरंटंडन्ट आबकारी मुक़र्रर न हो उनसे भी अहकाम बाला मुतअल्लक़ हैं मगर उन सूरतों में साहब कलकटर को चाहिये कि आबकारी के एक्ट की दफ़आत ८५ और ८६ के अहकाम पर अमल करैं ॥

दफ़ा ७९ जिस सूरत में कि कोई सदर बाज़ार कि जिस में आबकारी की दूकान हो बइजाज़त गवरनर जनरल या कमान्डरान चीफ़ बहादुर के लशकर के साथ जाय तो अज़लाय के साहब कलकटर बरवक़्त दरख्वास्त साहब कमिशनर कमसरियट के आबकारी के ठेकेदार या फ़रोशिंद: को जो उस लशकर में

हो बाबत उस ज़िले के जिसमें होकर वह लश्कार निकले सनद इनायत कर दे ॥

दफ़ा ८० जो अहकाम कि गोरह की फ़ौज को सफ़र में शराब बेचने की ममानियत के बाब में है वह ज़मीमे नम्बर २३ में अज़सर नौ छापे गये ॥

अहलकारान आबकारी

दफ़ा ८१ ममालिक मग़रबी में इस इबारत की रूसे दारोगाह आबकारी का ओहदह ओहदह तहसीलदारी से और छोटे छोटे इलाकों में पेशकारी और नाज़र एक कलक्टरी से सामिल किया जाता है और इन अहलकारान बाला दस्त के मातहत अहलकार आबकारी वह होंगे जो कलक्टरी से मुतअल्लिक़ हों या गैर मुतअल्लिक़ जिनको साहबान कलक्टर बमूजिब दफ़आत मज़कूरह बाला के खास मुकर्रर फ़रमावें ॥

दफ़ा ८२ जो अख़्तियारात कि दफ़ा ४३ ऐक्ट मज़कूर में असनाद को पेश कराने की बाबत और दफ़ा ५५ में अहाते के अन्दर जाने और देखने की बाबत और दफ़ा ५६ में मसकान और गोरदह के रोकने और गिरफ़्तार करने की बाबत मुंदरज हैं उनको जमादार और उससे नीचे दरजे के अहलकार अपने अफ़सर के हुक्म से अमल में ला सक्ते हैं ॥

दफ़ा ८३ जो अख़्तियारात कि ऐक्ट की दफ़ा ५७ में बाबत गिरफ़्तारी उन शख्सों के जिनके पास आलात कशीद शराब बिला इजाज़त हों और बाबत गिरफ़्तारी उन आलात के मअ असबाब कशीद शराब और शराब और मुसक्कात ख़ुशक के और बाबत गिरफ़्तारी उन लोगों के जो फ़रोख़्त नाजायज़ करते हों मुंदरज हैं और जो अहकाम दफ़ा ५८ में बाबत तलाश और गिरफ़्तारी उन लोगों के जो कशीद शराब बिला इजाज़त करते हों या अपने पास रखते हों लिखे हुए हैं उनको सिरफ़ वही अहलकार आबकारी अमल में ला सकते हैं जिनका दरजे जमादार से ऊपर है ॥

दफ़ा ८४ निसबत वह गिरफ़्तारी और तलाश मसकान नाजायज़ शराब और ख़ुशक और निसबत वह गिरफ़्तारी अशख़ास जिनके पास अशिया मज़कूर निकलें जो अख़्तियारात दफ़ात ५६ और ५७ और ५८ ऐक्ट मज़कूर में दरज हैं उन अख़्तियारात को बजाय अफ़सरान पुलीस और परमट वह अहलकार अमल में लायेंगे जिनको गवरमेन्ट की मंज़ूरी से नाफ़िज़ किये जायें और गवरमेन्ट इस बात की मजाज़ होगी कि उनको ग-

एतियागत को अमूद मुनासिब के साथ तफ़वीज़ करे ॐ

दफ़ा ८५ जो ज़बती और सज़ा कि बाबत नक़ज़ अहकाम ऐक्ट मज़कूर के हो और जो माल गिरफ़्तार शुदह क़ुरक़ किया जाय उस्की निसबत साहब कलक्टर या अफ़सर आबकारी की इत्तलाय रसानी की नालश पर साहब मजिस्ट्रैट के हज़ूर से हुक्म होगा और र जुर्म से छः महीने के अन्दर इत्तला होनी चाहिये ॐ

दफ़ा ८६ तमाम असबाब और माल सिवाय अफ़ीयून के जिसकी की बाबत हुक्म होकर नीलाम का हुक्म हुआ हो वह ता वक़्ते कि उसकी बाबत अपील मरजूये का फ़ैसले न होले नीलाम न होगा और अगर अपील न होतो माबैन मीआद अपील भी नीलाम न किया जायगा ॐ

नक़शेजात मुतअल्लक़े ऐयाम मुक़र्ररह

दफ़ा ८७ नक़शा ज़मीमा नम्बर २५ बाबत रिपोर्ट बंदोबस्त आबकारी यंदह साल के साहब कमिश्नर की मंज़ूरी के वास्ते भेजा जायगा और मुसन्ना उसका साहबान बोर्ड को रवाने होगा और हरएक मामूले मैं वक्त इनक़ज़ाय साल बन्दोबस्त अमल में आयेगा और रिपोर्ट उसकी रवाने की जाय गो यह रिपोर्ट छावनी और उसकी नवाह के सुपरंटेंडन्ट आबकारी भी जो बमूजिब ऐक्ट १८ सन् १८५३ ई० मामूर हों और इस नक़शा की बाबत जो मरातिब बतौर तसरीह लिखे गये गलती और गलत फ़हमी की गुंजायश न होगी ॐ

दफ़ा ८८ तरीक़े इज़ारह देने अफ़ीयून की ख़ुरदह फ़रोशी का इसवास्ते नक़शा में उसका खाना नहीं लिखा गया ॐ

दफ़ा ८९ इसी ज़मीमे के नक़शा नम्बर १० २ तक वही हैं जो और उसकी वाक़ियात की रिपोर्ट के इस्तामाल में आते थे मगर क़ के उनमें तरमीम करदी गई है यह सालानह रिपोर्ट हरसाल रे को या उस्से पेश्तर साहबान बोर्ड की खिदमत में भेजनी चाहिये ॐ

दफ़ा ९० जो वाक़ियात ना मुमकिन उलवसूल कि ठेकेदारों की तरफ़ साब से खारज करने के लिये उनकी रिपोर्ट व मुराद मंज़ूरी गवरमेन्ट हबान बोर्ड के पास भेजनी लाज़िम है साहबान कमिश्नर को है कि बन्दोबस्त खास में जो वाक़ियात नामुमकिनउलवसूल हों उन्हें खारज करदें ॐ

दफ़ा ९१ कैफ़ियत मुतालबे और वसूल बाक़ी महसूल आबकारी की

कि रिपोर्ट इन्तज़ाम माल के ज़मीमे के तौर पर भेजने का हुक्म है सिर्फ़ इस वास्ते है कि इन्तज़ाम बाक़ी कस्नीन साबिक़े और हाल गुज़श्ते की आमद बाक़ी का हाल दरियाफ़्त हो इस वास्ते वाक़ियात को तफ़सील वार लिखना उसमें ज़रूर नहीं॥

दफ़ा ८२ जो अफ़ीयून कि बनारस की आढ़त से मँगानी हो उसकी दरख़ास्त साहबान कलक्टर हर साल हुक्म मई को बमूजिब उस नक़्शे के जो उसी ज़मीमे में दर्ज है साहब कमिश्नर के पास भेजा करें और ज़मीअ दरख़ास्तें क़िस्मत के साहब कलक्टरों की ऐसे वक़्त आजाया करें कि उस महीने से आख़िर होने से पेशतर बोर्ड की कचहरी में पहुँच जावें॥

दफ़ा ८३ यह सरकुलर आर्डर इस बाब में अगले तमाम सरकुलरों का नासख़ है (ज़मीमे नम्बर २५) मगर सिवाय उनके जो दूसरे ज़मीमों के अन्दर छापे गए हैं॥

विलीम हनरी टो।
सेकरटरी

ज़मीमह १

मुतअल्लिके दफ़ा ४ सरकुलर सदर बोर्ड माल ममालिक
मग़रबी नम्बर २ हुक्म मई सन् १८५७ ई०

नम्बर रजस्टरी मुद्दई ————————

बपाबन्दी शरायत और क़वायद मुन्दरजे दफ़ात लग़ायत ८३ सरकुलर सदर बोर्ड माल ममालिक मग़रबी नम्बर २ मरक़ूमे हुक्म मई सन् १८५७ ई० और नीज़ बवक़्तबाक़ दीगर क़वायद मुशअ़आर हिफ़ज़ आमदनी सरकार जो बतजवीज़ हुक्काम सदर बोर्ड मौसूफ़ व मंज़ूरी गवर्नमेन्ट वक़्त फ़वक़्त नफ़ाज़ पावें इस सनद की रूसे मुसम्मा ———— को अख़तियार दिया जाता है कि वह भट्ठी बग़रज़ तैयारी शराब मक़तर मुताबिक़ क़ायदे अंगरेज़ी मक़ाम ———— पर वाक़े ज़िले ———— क़ायम और जारी रक्खे॥ यह सनद ३० सितम्बर सन् १८ ई० तक नाफ़िज़ और मुस्तमिर रहेगी और बाद उसके मंसूख़ हो जायगी इल्ला उस सूरत में कि अज़रूए सनद मुताबिक़ दफ़ा ११ सरकुलर मरक़ूमे बाला उसकी तजदीद कराई॥

ज़िले ———— ———— दस्तख़त
मरक़ूमे तारीख़ ———— साहब कलक्टर

ज़मीमा २

मुतअल्लक़े दफ़ा १७ सरकुलर सदरबोर्ड माल ममालिक

मग़रबी नम्बर १ यक्म मई सन् १८५७ ई०

इक्तबास दफ़ात २५ लग़ायत २९ इश्तहार आबकारी मजारिये महकमे बोर्डमाल कलकत्ते मरकूमे ७ अपरैल सन् १८५७ ई०

दफ़ा २५ किसी भट्टी सनदयाफ़्ते से शराब बाहर ले जानी जायज़ न होगी इल्ला इस सूरत से कि निशानात मुफ़स्सिले ज़ैल पीपे महमूले शराब के ऊपर और नीचे चारों तख्तों पर बखत्त जली रंग से लिखी या खोदी गई हों यानी नाम भट्टी और निशान मारूफ़ मालिक भट्टी का और वज़न शराब महमूल और मिक़दार तेज़ी शराब ¹ कि वह लंदन पररूफ़ से कम न होगी लिखे हों मसलन अगर पीपा धोवे के रम शराब से महमूल हो तो यह अलफ़ाज़ लिखे जायेंगे ❋

रमशराब
अमपेरलगिलन
बी औरकम्पनी
धोवे
¹जो पी ५

¹ यानी लंदन पररूफ़ से तेज़ी में पंज दर्जे आला ❋

दफ़ा २६ जायज़ है कि वह शराब जो ख़ास सरफ़ कलकत्ते के वास्ते हो बिला अदा होने महसूल बतौर पेशगी किसी भट्टी इजाज़त याफ़्ते से अहलकारान आबकारी के अहतमाम में इस ग़रज़ से गोदाम आबकारी वाक़े कस्टम हौस कलकत्ते में उठा दी जाय कि वह वहाँ जमा रहे साहब कलक्टर कलकत्ते उस शराब मुनतक़िले और मजतमा का महसूल उस वक़्त तहसील करेंगे जब यह शराब मकान कस्टम हौस से सरफ़ मवाक़े के लिये बाहर जाय और अगर शराब आठ रोज़ से ज़्यादह गोदाम मज़कूर में रक्खी रहेगी तो हर पीपे पीछे ज़र किराया ब हिसाब दे पाई यौमिये लिया जायगा ❋

दफ़ा २७ जब शराब हस्ब मुफ़स्सिले दफ़ा बाला मुनतक़िल और जमा की जाय तो जायज़ है कि अगर मालिक शराब तादाद महसूल ब हिसाब एक रुपये फ़ी अमपेरल गिलन हस्ब महकूमे दफ़ा ७ ऐक्ट २१ सन् १८५६ ई० बज़रिये नक़द या नोट सरकारी कामिलुलक़ीमत अमानतन अदा करे और इस

असर का इक़रारनामा लिखदेवे कि अगर शराब समन्दर पार भेजी जाय
गी तो हम महसूल मुक़र्रह अदा करेंगे उस वक़्त शराब को भट्ठी
से समन्दर पार जाने के लिये बाहर करे और जब सबूत रवानगी बदस्तूर उस
न्स साहब कलक्टर के पास गुज़रे तो साहब मौसूफ़ इक़रारनामा को फ़िस्ख़
और ज़र अमानत को वापस करेगा ॥

दफ़ा २८ जो लोग भट्ठी सनदयाफ़्ता जारी रखते हैं उनको इजाज़त दी जाय
गी कि अगर वह लोग इक़रारनामा इस्मी आनरेबल ईस्टइंडिया कम्पनी
इस शरत से लिखदेवें कि हम तारीख़ इक़रारनामे से चार महीने के अन्दर उ
स क़दर शराब पर जो बतौर माल तिजारती समन्दर पार न भेजी जाय महसूल
बहिसाब ७ फ़ी असप्रेरट गिलन अदा करेंगे तो अपनी शराब को बिला अ
दाय महसूल पेशगी समन्दरपार भेजने के लिये भट्ठी से बाहर ले जायें ॥

दफ़ा २९ ज़रूर है कि जिस बन्दर से शराब जहाज़ पर लदे वहां का किसी कोठी
मुस्तनद का कोई हिस्सेदार नवीसिन्दगान इक़रारनामे में शामिल होकर
मुनफ़रद और मुश्तरका इसबात का ज़िम्मेदार हो कि जानीबमहसूल जो कु
छ रुपये इक़रारनामा की रू से वाजिबुलअदा हो वह उस का देनदार हो
गा ॥

दफ़ा ३० साहब कलक्टर को अख़्तियार है कि बिला ज़ाहिर करने दलील
के ज़मानत मदख़ूले को ना मंज़ूर करे इल्ला अगर उसके हुक्म से अपील
हो तो साहब मौसूफ़ को बहुज़ूर हुक्काम बाला आवाद्ल वजह नामंज़ू
री ज़ाहिर करनी लाज़िम होगी ॥

दफ़ा ३१ भट्ठी और आलात तैयारी शराब उस रुपये के देने में मकफ़ूल रक्
खे जायेंगे जो इक़रारनामा से वाजिबुलअदा हो ॥

दफ़ा ३२ इक़रारनामा किसी मिक़दार शराब के लिये क़बूल नहीं किया जा
यगा जो एक हज़ार असप्रेरट गिलन से कम हो और मिक़दार शराब जो ब
ज़रूय तहरीर इक़रारनामा भट्ठी से बाहर जाय एक हज़ार गिलन से क
म न होगी ॥

दफ़ा ३३ जब इक़रारनामा हस्ब ज़ाबते तहरीर पावेगे साहब कलक्टर
को लाज़िम है कि फ़ौरन नक़ल मसहहा उसकी उस साहब कलक्टर कस्टम
के पास भेजे जो मक़ाम रवानगी पर मुतअय्यन हो और उसको चाहिये
कि बिला अख़ज़ महसूल अज़ां बाबत शराब मुन्दर्जे इक़रारनामा र
वाना करे ॥

दफा २४ जब शराब बगरज़ रवानगी बाहर समन्दर कस्टम हौस में पहुंचे तो इस्तआल कुनन्दगान को यह ज़ाहर करना चाहिये कि उसकी हिफ़ाज़त में कौनसा इकरारनामा लिखा गया और उनको लाज़िम है कि अपने आते साहब कलक्टर माल और भट्टी का बीजक पेश करें तब शराब की मिक़दार का अन्दाज़ह किया जायगा और अहलकार कस्टम हौस उसकी तेज़ी का इमतहान करेगा अगर मिक़दार उस निशान के मुताबिक़ पाई जाय जो पीपे पर लिखा हो (पीपे वही होंगे जो भट्टी से बाहर निकाले गये हों) तो शराब के समन्दर पार जाने की इजाज़त दी जायगी और उस नक़ल इकरारनामा पर जो साहब कलक्टर कस्टम के पास मुरसल हुई थी मिक़दार शराब मुन्दरज होगी और अगर मिक़दार मुताबिक़ निशान मशाबिता पीपे के न हो तो मिक़दार कमी पर महसूल हस्ब महकूमै दफा ११ रेगू० २१ सन् १८५६ ई० लिया जायगा ॥

दफा २५ जब तमाम मिक़दार मुन्दरजै इकरारनामा नक़ल इकरारनामा पर तहरीर पाजाय तब साहब कलक्टर कस्टम नक़ल मज़कूर को उस साहब कलक्टर माल के पास जहां से वह नक़ल आई हो वापिस करेगा और साहब कलक्टर माल इंदुलवरूद नक़ल असल इकरारनामा को खारज कर देगा ॥

दफा २६ अहलकारान रवानगी माल को इस अमर की अहतियात करनी चाहिये कि जो जो मिक़दारीन वक़्तन फ़वक़्तन इकरार नामों में लिखे जावें वह सेहत के साथ नक़ल इकरार नामा में जो साहब कलक्टर कस्टम के पास रहते हैं दरज हुआ करें और उनको लाज़िम है कि मक़ाम अन्दराज के पास अपने दस्तख़त करके सेहत इबारत अन्दराज की तसदीक़ करें ॥

दफा २७ अगर तारीख़ इकरारनामा से चार महीनें के अन्दर तमाम मिक़दार शराब मुन्दरजै इकरारनामा समन्दर पार रवाने न हो ...
क़ूमे दफावाला मुन्दरज नक़ल न हो तो साहब कलक्टर माल को कि इन्दुलवरूद सार्टीफ़िकट मुरसिले साहब कलकटर कस्टम उस क़दर महसूल को जो मिक़दार शराब गैर रवाने शुदह पर मुताबिक़ इकरारनामे वाजिबुलवसूल हो वसूल करें इल्ला उस सूरत में कि मीआद बढ़ाई गई हो ॥

दफा २८ जायज़ है कि इकरार नामजात जिनकी मीआदें मुनक़ज़ी हुई हों हस्ब मरज़ी साहब कलक्टर माल बाद मंज़ूरी साहब कमिश्नर तारीख़

अनक़ज़ाय मीआद अव्वल से और चार महीने के लिये मजदद लिखे जाय मगर मीआद सानी चार महीने से कम या ज़्यादह न होगी और मीआद सानी के अख़्तिताम पर साहब कलक्टर इक़रारनामजात मुनक़ज़ी अलमीआद का तसफ़िआ करके उस मिक़दार शराब पर जो कम होया समन्दर पार रवाने न हुई हो महसूल वाजिबी तहसील करेगा ॥

दफ़ा २९ ज़र मुजराई जो तादाद इन्तहाई है मुताबिक़ शरह ज़ैल बाबत चू जाने या टपक जाने उस शराब के जो बाद तहरीर इक़रारनामा भट्टी हाय वाक़िअ मुफ़स्सिल से समन्दर पार जाने के लिये बाहर जाय मालिक को दिया जायगा ॥

अगर बाद मुसाफ़त २०० मील से ज़्यादह न हो .... ५) फ़ी सदी
अगर ऐज़न २०० मील से ज़्यादह और ३०० मील से कम हो ...... ७॥) फ़ी सदी
अगर ऐज़न ऐज़न ३०० मील से ज़्यादह हो .... १०) फ़ी सदी

ज़मीमा ३ (अलिफ़)

मुतअल्लिक़े दफ़ा २९ सरकुलर सदरबोर्ड माल ममालिक मग़रबी नम्बर — हुक्म मई सन् १८५७ ई०

नम्बर रजिस्टरी शुदह

वाज़े हो कि भट्टी बसनद याफ़्ता मौसूमे —— से जो मकाम —— ज़िले —— में वाक़े है शराब —— जिस पर महसूल जायज़ अदा हो चुका है बमिक़दार मु —— फ़स्सिले ज़ैल मश्मूल: —— अदद पीपे बनाम और पते —— साकिन ज़िले —— रवाने हुई है और पीपों पर निशानात मुन्दरजे ज़ैल कन्दह हैं लिहाज़ा यह रवन्ने अता हुआ ॥

यह रवन्ने तारीख़ अज़ रोज़ से —— रोज़ तक नाफ़िज़ व मुस्तमिर रहेगा ।

मिक़दार शराब रवाने शुदह

नम्बर —
तारीख़ अमरीकन —
नाम —
नाम भट्टी —
ओपी

ज़िले —— दस्तख़त ——
तहरीर फ़ी अलतारीख़ —— साहब कलक्टर
दस्तख़त कार भट्टी

शरत २ इस अमर का क़सद करना जायज़ न होगा कि गुम्मे या भट्टी की रेज़गारी से रूह शराब कशीद की जाय ❈

शरत ३ भट्टी लाहनी पर बिला हसूल सनद इकजाई मुतअल्लिकै दफ़ा २६ शराब मखमर का थोकवार फ़रोख्त करना या बिला हसूल सनद खुर दा फ़रोशी हस्बमहकूमै दफ़ा २७ ऐक्ट २१ सन् १८५६ ई० बतौर खुरदह फ़रोख्त करना जायज़ न होगा ❈

शरत ४ बिला हसूल इजाज़त अफ़सर कमानियर छावनी के शराब मखमर गोरह हाय फ़ौज के हाथ फ़रोख्त न की जायगी ❈

शरत ५ साहब कलक्टर या दीगर अहलकार मुहतिमिम उस ज़िले का जिसमें भट्टी लाहनी वाक़े हो हर वक्त मजाज़ होगा कि अन्दर जाकर भट्टी को मुआयनै करें ❈

ज़िले ——————— दस्तख़त ———————

तहरीर फ़ी अलतारीख़ साहब कलक्टर

ज़मीमा ५

मुतअल्लिकै दफ़ा २८ सरकुलर सदर बोर्ड माल ममालिक मग़रबी

नम्बर १—मरक़ूमै इकम मई सन् १८५७ ई सवी

नम्बर रजिस्टरी मुदह ———————

नाम फ़रोसिन्दह ———————

मौक़ै फ़रोख्त ———————

इस सनद की रूसे मुसम्मा ——————— साकिन ———————

ज़िले ——————— को अख्तियार दिया जाता है कि वह बअमतायत शराय त मुन्दर्जे ज़ैल शराब हाय मकातर और मखमर जो मुताबिक़ तरीक़े अं गरेज़ी तैयार या बाहर से ममालिक मग़रबी में आई हो थोकवार फ़रोख्त करे अगर वह किसी शरत के ख़िलाफ़ अमल करेगा तो यह सनद ज़ब्त की जायगी और तावानात मुफ़स्सिलै दफ़ात ४३ व ४४ ऐक्ट २१ सन् १८५६ ई० उसपर आयद होंगे ❈

शरत १ सिरफ़ शराब हाय मुफ़स्सिलै बाला फ़रोख्त होंगे और किसी क़िस्म से कोई शराब जो हस्ब तरीक़े हिन्दोस्तानी के तैयार हुई हो फ़रोख्त न होगी न किसी शराब अंगरेज़ी से आमेज़ की जायगी और इन बातों का क़सद करना भी नाजायज़ होगा ❈

शरत २ मिक़दार शराब हाय मुफ़स्सिलै बाला जो फ़रोख्त हो वो अस्सन

मिक़दार मानी बारह बोतलों क़वार्ट से कम न होगी और तकमील तादाद
मज़कूर को इस तरह पर कि कुछ बोतल शराब मकातर और कुछ बोतल
शराब मख़मूर की होवें जायज़ न होगी बल्कि कुल बारह बोतल शराब
मख़मूर ख़्वाह शराब मक़ातर की होगी ❋

शर्त ३ किसी क़िस्म की शराब किसी मिक़दार तक किसी छावनी फ़ौजकी
हदूद में फ़रोख़्त न की जायगी इल्ला उस सूरत में कि मंज़ूरी साहबअफ़सर
कमांडियर की हासिल होवे ❋

शर्त ४ लाज़िम है कि दूकान या मौक़े फ़रोख़्त पर तख़्ती चोबी आवेज़ाँ
या बुलंद की जाय और उस पर नाम अहल सनद और यह अलफ़ाज़ कि
अहल सनद अख़्तियार फ़रोख़्त योकबार हसबुल हुक्म दफ़ा २६ ऐक्ट
२१ सन १८५६ ई० रखता है रंग से लिखे जायेंगे ❋

यह सनद तारीख़ आमरोज़ह से ३० सितम्बर सन १८   ई० तक
मोअस्सिर रहेगी फिर मंसूख़ हो जायगी यह सनद ज़िले ——— से मुत
अल्लिक़ है लेकिन अगर अहल सनद इन्तकाल की दरख़्वास्त करे तो ममा
लिक मग़रबी के किसी और ज़िले से इस तरह मुतअल्लिक़ हो सकती है कि
उस ज़िले का हाकिम मुहतमिम आबकारी मुहाल ज़हर सनद पर दस्त
ख़त करदेवे ❋

ज़िले ———   दस्तख़त ———
नक़ल रवन्नगी तारीख़ ———   साहबकलक्टर

ज़मीमा ६

मुतअल्लके दफ़ा ३४ सरक्युलर सदर बोर्ड ममालिक मग़रबी
नम्बर १ — मरक़ूमे इक्कीस मई सन १८५७ ईसवी

नम्बर रजिस्टरी मुद्दह ———
नाम फ़रोशिन्दह ———
मौक़े फ़रोख़्त ———

इस सनद की रूसे मुसम्मा ——— साकिन ——— ज़िले ——— को अख़्तियार
दिया जाता है कि वह बग़रज़ तिजारत शराब मुन्दरजे ज़ैल शराब हाय मक़
तर और मख़मूर जो मुताबिक़ तरीक़े अंगरेज़ी तैयार या बाहर से ममालि
क मग़रबी में लाई हों बतौर ख़ुर्दह फ़रोशी फ़रोख़्त करे अगर किसी शर्त
की ख़िलाफ़ अमल करेगा तो यह सनद ज़ब्त की जायगी और तावानात मु
फ़स्सिलै दफ़ात ४३ व ४४ व ४५ ऐक्ट २१ सन १८५६ ई० उसपर आयद होंगे ❋

शरत १ सिर्फ़ शराब हाय मुफ़स्सिले वाला बतौर खुर्दह फ़रोशी फ़रोख़्त होंगी और किसी हीले से कोई शराब जो हस्ब तरीक़े हिन्दोस्तानी तियार हुई हो फ़रोख़्त न होगी न किसी शराब अंगरेज़ी से आमेज़ की जायगी और इन हरकात का क़स्द करना भी नाजायज़ होगा ❖

शरत २ शराब हाय मक़तर और मख़मर मिनजुमले अक़साम इजाज़त याफ़ते उन अशख़ास से हासिल की जायेंगी जो सनद थोक फ़रोशी की रखते हैं ❖

शरत ३ फ़रोख़्त शराब सिर्फ़ उस दूकान में होगी जिसकी बाबत सनद अता हुई है और किसी हीले से और किसी जगह फ़रोख़्त न की जायगी ❖

शरत ४ किसी क़दर शराब जो दो अम्पीरियल गैलन यानी बारह बोतल क्वार्ट से ज़्यादह हो एक वक़्त पर किसी के हाथ फ़रोख़्त न होगी और जायज़ नहीं है कि कोई शख़्स दूकान या अहाता दूकान में शराब पीवे ❖

शरत ५ कोई पारचे पोशीदनी या जिनस किसी क़िसम की शराब के मुबादिले में न ली जायगी ❖

शरत ६ जायज़ नहीं है कि दूकान जिसकी बाबत यह सनद दी गई है तलूअ आफ़ताब से पहिले या आठ बजे रात के बाद फ़रोख़्त शराब के लिये खुली रहे ❖

शरत ७ कोई शख़्स बदमआश दूकान से शराब लेने न पावेगा और क़िमारबाज़ी या और क़िसम अजतमाय मुफ़सदाने अहाते दूकान में होने न पावेगा और अशख़ास मुश्तबे की इत्तलाय साहब मजिस्ट्रेट या अफ़सर पुलीस को दी जायगी ❖

शरत ८ दरवाज़ह दूकान पर तख़्ती चोबी बुलंद की जायगी उसपर नाम अहल सनद और यह अलफ़ाज़ कि अहल सनद को मुताबिक़ दफ़ा २ ऐक्ट २१ सन १८५६ ई० खुर्दह फ़रोशी का अख़्तियार है लिखे रहेंगे ❖

शरत ९ जब कभी अहलकार आबकारी जो अख़्तियार सनद [illegible] तलब करे तो अहल सनद को लाज़िम है कि सनद और हिसाब के अवराक़ मुलाहिज़े के लिये पेश करे और उसको चाहिये कि दिन या रात में हर वक़्त अहलकार आबकारी को दूकान के अन्दर जाने दे ❖

शरत १० अगर अहल सनद अलावह इसके शराब हाय मक़तर और मख़मर की फ़रोख़्त थोकबार की सनद भी रखता हो तो [illegible] रोज़ के हिसाब जुदागाना लिखे जायेंगे ❖

मुवस्सिर रहेगा ❖

ज़िले ________

दस्तखत ________

तहरीर फ़ीमल तारीख़ ________

साहब कलक्टर

हदूद भट्टी

मौक़े भट्टी

मौक़े दूकान मुतअल्लिके भट्टी

ज़मीमेट

दफा ३८ मुतअल्लिके सरकुलर सदर बोर्ड माल ममालिक मग़रबी
नम्बर २ मरकूमे हुक्म मई सन् १८५७ ईसवी

नम्बर रजस्टरी शुदह ________

नाम फ़रोसिंदह ________

मौक़े फ़रोख़्त ________

इस इजाज़तनामा की रूसे मुसम्मा ________ साकिन ________ वाक़े ज़िले ________ को अख़्तियार दिया जाता है कि वह शराब जो मुताबिक़ तरीके हिन्दोस्तानी तैयार हुई हो बरिआयत शरायत ज़ैल बतौर खुरदह फ़रोशी फ़रोख़्त करे अगर नाम बुरदहः किसी शरत के ख़िलाफ़ अमल करेगा तो यह इजाज़त नामा ज़ब्त किया जायगा और वह उन ताबानात का मस्तूजिब होगा जो दफ़आत ४३ व ४४ व ४५ ऐक्ट २२ सन् १८४६ ई० में मज़कूर हैं ❖

शरत अव्वल सिवाय शराब कशीद शुदह उस भट्टी सरकार या फ़नः के जिसकी हदूद में दूकान वाक़े हो और किसी जगह की शराब दूकान मज़कूर में फ़रोख़्त न होगी ❖

शरत दोयम फ़रोख़्त शराब सिर्फ़ उस दूकान में हुआ करेगी जिस्से यह इजाज़तनामा मुतअल्लिक़ है और किसी हीले से दूसरी जगह फ़रोख़्त न की जायगी ❖

शरत सेवम किसी शख़्स वाहिद के हाथ एक वक़्त में एक सेर से ज़्यादह शराब फ़रोख़्त न होगी ❖

शरत चहारुम तुलू आफ़ताब से पहिले और आठ बजे रात से पीछे दूकान खुली न रहेगी और न उस में शराब फ़रोख़्त होगी ❖

शरत पंजुम पास्बे पोशीदनी ख़्वाह अजनास शराब के एवज़ न ली जायगी ❖

शरत शशम बदमाशों को दूकान पर आने की इजाज़त न होगी और क़मार बाज़ी और कार्रवाइयात मुफ़सदाने उसमें न होने पावेंगी और अशख़ास मुशतबह की बाबत मजिस्ट्रेट या पुलीस अफ़सर को इत्तलाअ दी जायगी ❖

दह ताड़ी फ़रोख़ होगी ❋

शरत चहारुम तुलू आफ़ताब से पहले और आठ बजे रात से पीछे दूकान न खुलेगी और न उसमें ताड़ी फ़रोख़ होगी ❋

शरत पंजुम ताड़ी की अवज़ पार्चे पोशीदनी या अजनास का लेना जायज़ न होगा ❋

शरत शिशुम बदमाशों को दूकान में बैठने की इजाज़त न होगी और क़मार बाज़ी और हरकात मुफ़सदाने वहां न होने पायेंगी और अशख़ास मुश्तबह की बाबत साहब मजिस्ट्रेट या अफ़सर पुलीस को इत्तलाय दी जायगी ❋

शरत हफ़तुम दूकान पर एक तख़ती चोबी आवेज़ां रहेगी उस पर नाम फ़रोशिंदह और यह अलफ़ाज़ कि फ़रोशिंदह ताड़ी की फ़रोख़ का मजाज़ है लिखे रहेंगे ❋

शरत हशतुम बवक़्त तलब अहलकार आबकारी जो अख़्तियार के इजाज़तनामा और हिसाब बिक्री दूकान मुआयनः के लिये पेश होंगे और अहलकार आबकारी को हर वक़्त दूकान के अन्दर जाने का अख़्तियार रहेगा ❋

शरत नुहम ज़र मह़सूल बाबत दूकान मुताबिक़ अक़सात मुन्दर्जे ज़ैल मुस्ताजर सरकारी या साहब ईजन्ट को अदा किया जायगा ❋

यह इजाज़तनामा तारीख़ अमरोज़ह से ३० सितम्बर सन् १८ ईस्वी तक नाफ़िज़ और मुस्तमिर रहेगा ❋

ज़िले ——————— दस्तख़त ———————

तहरीर की असल तारीख़ ——————— साहब कलक्टर

तफ़सील अक़सात

ज़मीमे १७

मुतअल्लक़े दफ़ा १२ सरकुलर सदर बोर्ड माल ममालिक मग़रबी

नम्बर १८ मरक़ूमे इकम सद्र सन् १८५७ ईस्वी

क़वायद मुतज़म्मिन इन्तज़ाम आमद व रफ़्त गांजह और भंग और चरस माबैन इज़ला य ममालिक मग़रबी ❋

क़ायदह अव्वल जिन अशख़ास को गांजह या भंग या चरस ममालिक मग़रबी के किसी ज़िले में लेजाना मंज़ूर हो उनको चाहिये कि हर एक दूकान की बाबत किता परवाना मन्ज़री ज़िले के अहलकार मुहतमिम आबकारी मुक़ाम से हासिल करें जिसमें मुफ़स्सल लिखा हो ❋

क़ायदह दोम जिन अशख़ास को गांजा या भंग या चरस ममालिक मग़रबी के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पहुंचाना मंज़ूर हो उनको भी लाज़िम है कि हर एक दरमियान बोझ की बाबत किता परवाना उस ज़िले के अहलकार मुहतमिम आबकारी मुक़ाम से हासिल करें

[illegible] चाहते जाते हों ॥

[illegible] खतः जान मज़कूरतुलसदर सिरफ़ताज रों वग़ैरह अशख़ास को जो मुस्त [illegible] फ़रोख़्त करते हों अता होंगे ॥

क़ायदह [illegible] नाम शख़्स सुपुर्ददार दूरसाल और नाम मुरसिल अलैः और तादाद [illegible] और [illegible] हरएक पुलन्दह और नाम मंज़िल खतः में मुफ़स्सिल लिखे जा[illegible] नवीसिन्दह खतः को अहतियात करनी चाहिये कि तादाद और वज़न पुलंदों का सहीह सहीह दर्ज होवे और लाज़िम है कि उसके रूबरू हो एक पुलंदह [illegible] से नक़ल किया जाय और वही खतः वास्ते हिफ़ाज़त माल मुरसिलै के वश[illegible] सलामत रहे अस्नाय राह के इज़राय के लिये काफ़ी होगा और खतः [illegible] की ज़रूरत न होगी ॥

क़ायदह पंजुम अगर मालिक या उसका कारिंदह जो अख़्तियार जो माल के साथ जाय अस्नाय राह में माल को दो हिस्से करना चाहें तो उसको लाज़िम है कि हरएक हिस्से माल की बाबत खतः अलाहिदह व इन्दराज तफ़सील मरकूमै सदर उस ज़िले के अहलकार मुहतमिम आबकारी मुहाल से हासिल करें जिससे माल तक़सीम किया गया और खतः साबिक़ दर सूरत में अहलकार मज़कूर को वापिस किया जायगा ॥

क़ायदह शिशम ज़रूर है कि मंज़िल आख़िर पर खतः उस ज़िले के अहलकार मुहतमिम आबकारी मुहाल के रूबरू पेश किया जाय और अहलकार मौसूफ़ को अहतियात दरियाफ़्त करना चाहिये कि माल हस्ब तफ़सील खतः पहुंचा और हवाले हुआ है या नहीं ॥

क़ायदह हफ़्तुम अगर मालिक माल अस्नाय राह में कुछ फ़रोख़्त करना चाहे तो अहलकार जो अख़्तियार को चाहिये कि बाद हाज़िर आने बाय और मुश्तरी के बशर्ते कि मुश्तरी सनद रखता हो ज़िकर मामले फ़रोख़्त का खतः में इस तफ़सील से लिखे कि किस क़दर माल बाक़ी रहा और किस क़दर पुलंदों की बाबत खतः क़ायम है मगर ऐसी फ़रोख़्त सरफ़ अमले थोक बार में जायज़ होगी और अहतियात करनी चाहिये कि अस्नाय राह में अदना अदना फ़रोख़्त से माल मुरसिले हीसते बिलकुल ग़ायब न हो जाय ॥

क़ायदह हश्तुम फ़रोख़्त थोकबार मुफ़स्सिलै वाला सिरफ़ उस शख़्स के वास्ते जायज़ होगी जो फ़रोशिन्दह सनद याफ़तह हो या अगर महसूल सरकार की मुस्ता[illegible] हो तो उस शख़्स के लिये जायज़ होगी जो मुस्ताजर सरकारी मुक़र्ररह वक़ से अख़्तियार का जावते रखता हो पस अगर फ़रोख़्त और तरह पर की जाय या किसी पुलन्दह का माल बिला इजाज़त बेच किया तो तमाम माल मुरसिले ज़ब्त हो[illegible] और [illegible] उन तावानात का मस्तूजिब होगा जो क़ानून परमट में मुंदर्ज है ॥

क़ायदह हुक्म कोई ख़ास इस सूरत मरीह से नहीं लिखा जायगा कि इस क़दर माल गाँजह या भंग या चरस कलम री सरकार अंगरेज़ बहादुर से फ़ुलां मुल्क ग़ैर में हिफ़ाज़त से पहुंचे लेकिन जब ऐसे माल की बाबत ख़ास हुक्म मरकूमे वा ला हासिल किया जाय तो उसमें यह वसूलात दीजायगी कि मुल्क ग़ैर की सरहद तक माल की हिफ़ाज़त होती रहे ॥

ज़मीमे १२

मुतअल्लिक़े दफ़ा ६४ सरकुलर सदर बोर्ड मालम्मालिक मग़रबी

नम्बर १ मरकूमे इकतम मई सन् १८५७ ईसवी

नम्बर रजिस्टरी शुदह ————

फ़रोसिंदह सनद याफ़तह ————

मौक़े फ़रोख़्त ————

बूस इजाज़तनामे की रूसे मुसम्मा ———— साकिन ———— वाक़े ज़िले ———— को अख़्तियार दिया जाता है कि वह बरियायत शरायत ज़ैल माल गाँजह और भंग और माजून और चरस और ख़ुरदह फ़रोशी फ़रोख़्त करे अगर नामबुरदह किसी शरत के ख़िलाफ़ अमल करेगा तो इजाज़तनामा हाज़ा ज़ब्त होकर उस पर वह तावानात आयद होंगे जो दफ़ आत ४३ व ४४ व ४५ ऐक्ट २१ सन् १८५६ ई० में मज़कूर हैं ॥

शरत अव्वल फ़रोसिन्दों को लाज़िम है कि सिरफ़ वही मुसकरात फ़रोख़्त करें जो उन्हों ने ताजर थोकदार से बइजाज़त मुस्ताजर सरकार या साहब अजन्ट के ख़री द किये हों या जो मुस्ताजर या अजन्ट मौसूफ़ ने उनको ख़ुरदह फ़रोशी के लिये हवाले किये हों ॥

शरत दोम माल मज़कूर सिरफ़ उस दूकान में फ़रोख़्त होगा जिस से यह इजाज़त नामा मुतअल्लिक़ है और किसी जगह फ़रोख़्त न होगा ॥

शरत सेवम गाँजह और भंग पाव सेर से ज़्यादह और माजून या चरस ५) तोले से ज़्यादह एक वक़्त पर किसी शख़्स वाहद के हाथ फ़रोख़्त न होगी ॥

शरत चहारुम तुलूअ आफ़ताब से पहले और आठ बजे रात से पीछे दूकान खुली न रहेगी और न उसमें माल फ़रोख़्त होगा ॥

शरत पंजुम बमुवाफ़िक़े गाँजह या भंग या माजून या चरस के पास पीने देने का अजनास का लेना जायज़ नहीं ॥

शरत शिशुम बदमाशों को दूकान की आमद व रफ़्त की इजाज़त न होगी और क़मार बाज़ी और हरकात मुफ़सिदाने न होने पायेंगी और अशख़ास मुश्तबह की बाबत

ज़िले ——— दस्तख़त ———

तहरीरफ़ीअलतारीख़ ——— साहबकलक्टर

ज़मीमेः २ (बे)

मुतअल्लिके दफ़ा ७१ सरकुलर सदर बोर्ड माल ममालिक मग़रबी

नम्बर १ मरकूमे इक्कीस मई सन् १८५७ ईसवी

नम्बर रजिस्टरी मुदह्ह ———

फ़रोसिंदह ———

मौक़े फ़रोख़ ———

इस इजाज़तनामा की रूसे मुसम्मा ——— साकिन ——— वाक़े ज़िले ———
को अख़्तियार दियाजाता है कि वह बरिआयत शरायत ज़ैल अफ़यून बतौर ख़ुर-
दह फ़रोशी फ़रोख़ करे अगर किसी शरत के ख़िलाफ़ अमल करेगा तो इजाज़त
नामः हाज़ा ज़ब्त होकर उसपर वह तावानात आयद होंगे जो दफ़आत ३३ व ४४
व ४५ व ५३ एक्ट २१ सन् १८५६ ई० में मज़कूर हैं ❈

शरत अव्वल वाजिब है कि सिरफ़ वही माल अफ़यून फ़रोख़ होवे जो सरकार से
हासिल हुआ हो ❈

शरत दोम फ़रोसिन्दह को लाज़िम है कि उस ज़िले के गोदाम सरकारी से अफ़यून
ख़रीद करे जिस्में उसकी दूकान वाक़े हो और ब क़ीमत ——— फ़ी आसार वज़नी
८० तोले हस्बमुन्दरजे इश्तिहार सदर बोर्ड माल हासिल करे ❈

शरत सेवम किसी हीले से किसी और मुसक्कात या ग़ैर नाक़िस का अफ़यून में आ-
मेज़ करना या उस्की आमेज़िश का क़स्द करना जायज़ न होगा ❈

शरत चहारुम ५ तोले से ज़्यादह अफ़यून एक वक़्त पर एक शख़्स के हाथ फ़रोख़
करना जायज़ न होगा ❈

शरत पंजुम कैफ़ियत हर एक फ़रोख़ की एक बही रजिस्टर में जो उस ग़रज़ से
मुरत्तिब रहेगी दरज होगी और इन्दुल तलब अहलकार आबकारी जी अख़्तियार
के बही मज़कूरह और इजाज़तनामा पेश किया जायगा ❈

शरत शिशम ब मुवाज़िले माल अफ़यून के पास्ते पोशीदनी या अजनास का लेना
जायज़ न होगा ❈

शरत हफ़तुम बदमाशों को दूकान की आमद व रफ़्त की इजाज़त न होगी और क़-
मारबाज़ी या हरकात मुफ़सिदाने वहां न होने पायेंगी और तमाम मुआमले
की बाबत साहब मजिस्ट्रेट या अफ़सर पुलीस को इत्तलाअ दी जायगी ❈

शरत हशतुम दूकान में एक तरफ़ी चोबी साये जो रहेगी उसपर नाम फ़रोसिंदह

से जब फ़ौज का पेश खीमा क़रीब आजाय उस वक़्त तक जब पिछला गारद एक मील का मिल आगे निकल जाय किसी को दूकान पर न आने देवे और अहलकार अदना अपने अफ़सर को कैफ़ियत इस अमर की लिखवा देगा कि दूकान कब बन्द हुई और फिर कब खुली ॥

क़ायदह सेवम तहसीलदार आबकार को क़ितआ सारटी फ़िकट अता करके उसके हरजे को मुताबिक़ शरह योमिया मुन्दरजे इजाज़तनामा व इज़ाफ़ै २० फ़ी सदी बाबत नलफ़ा नफ़े के महसूब करेगा मगर मलहूज़ रहे कि अगर दूकान सरफ़ छः घंटे तक बंद रही हो तो दूकानदार हरजे का मुस्तहक़ न होगा और अगर छः घन्टे सेज़्यादह बन्द रही तो बारह घंटे महसूब किये जायंगे और अगर बारह घंटे सेज़्यादह बन्द रही हो तो चौबीस घंटे के हिसाब से हरजा पायेगा ॥

क़ायदह चहारुम वह अहलकार हिन्दोस्तानी जो गोरों की पलटन या जमाअत के साथ मुतअय्यन हो फ़ौज के खीमे गाह पर या उस्के क़रीब उसी तरह पर बन्दोबस्त करेगा और उसको अख़तियार रहेगा कि अगर ज़रूरत देखे तो साहब कमान अफ़सर से जवानान गारद बग़रज़ तअय्युनाती मौक़े मज़कूर के तलब करे ॥

क़ायदह पंजुम साहब कलक्टर को चाहिये कि बवक़्त इत्तलाय इस अमर के कि गोरों की किसी पलटन या जमाअत ने कूंच किया पहले से वक़्त मुनासिब पर तहसीलदार को उसकी इत्तलाय करे और तहसीलदार इन क़वाअद की तामील का पर वाक़ई का ज़िम्मेदार समझा जायगा ॥

क़ायदह शिशम जब मुहाल सीग़ो खास तहसील में हो तो वह ज़र हरजे जो बाबत बन्द रहने दूकान के दिया जाय मुस्ताजरान महसूल या आबकारी के ज़र ठेके से मनहा न होगा पस मुनासिब है कि वह रुपया हिसाब में व मद बक़ायाय आबकारी दाख़िल न हो क्योंकि शख़्स मुस्तहक़ को हवाले होने के बाद अमूमन सरकारी हिसाब में जमा ख़र्च किया जायगा ॥

ज़मीमे १४ (अलिफ़)

मुतअल्लके दफ़ा ८७ सरकुलर सदर बोर्ड माल ममालिक मग़रबी

नम्बर १—इकम मई सन् १८५७ ईसवी

नक़शा बन्दोबस्त आबकारी वग़ैरह बाबत सन् १२६ फ़सली

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
ज़िले	परगने	नाम मुस्ताजर	ज़मानत	तादाद दफ़ाकीन	सन् १२६ फ़सली मुताबिक़	सन् १२६ फ़सली	ज़्यादती	कमी	तहसील औसत बाबत ५ बरस माक़बल साल पैवस्तह	कैफ़ियत
						आबकारी नाड़ी मुस्कात				खाने २ बेहतर है कि हर एक परगने की बाबत न बाबत और हिस्से आराज़ी व हिसाब नक़शा मसीगे माल या पुलीस के लिया जाय क्योंकि परगनेजात नक़शह ज़िले में लिखे रहते हैं अलबत्ते क़स्बैजात जिनसे सवाद मुतअल्लक़ हो इस ममानिअत से मुस्तसना हैं उनको भी खा-ने में दाख़िल करना चाहिये ❁ खाने ३ अगर महसूल मुस्ताजर को न दिया गया हो तो इस खाने में खाम लिखा जाय गा ❁ खाने ४ अगर ज़मानत में ज़र नक़द या नोट सरकारी दाख़िल हुआ हो तो तादाद मुन्दरज होगी वरने नाम ज़ामिन का लिखा जायगा ❁ खाने ५ इस खाने में तादाद भट्टीजात और सुवाके फ़रोश सनद याफ़्ते जहां जहां भट्टी न-हीं हैं दर्ज होंगे खाने ६ अगर परगने में तहसील खाम हो तो पैदावार तख़मीनी लिखी जायगी ❁ खाने ७ अगर मुस्ताजर दस्तयाब न हों तो आमदनी तख़मीनी [illegible] तहसील के [illegible] आयंदह में हासिल होगी लिखनी चाहिये ❁ खाने ८ व ९ जो कैफ़ियात बाबत खाने ६ व ७ के तफ़रीक़ वाके हैं उनपर लिहाज़ करना ज़रूर है वरने इन खानों को रखना कुछ फ़ायदा न होगा ❁ खाने १० अगर मुमकिन हो तो हर परगने की बाबत [illegible] तहसील और [illegible] में नक़शा [illegible] ज़िले में [illegible] मुन्दरज होगी ❁

फ़ार्म नम्बर ४८ (बे)

मुतअल्लिके दफ़ा ८८ सरकुलर सदर बोर्ड माल ममालिक मग़रबी

नम्बर १ मरक़ूमै ७ मई सन् १८५७ ईस्वी -

नक़्शे नम्बर १

नक़्शा गोशवारह जमा वासिल बाक़ी महसूल आबकारी मुतअल्लिके ज़िले ——

बाबत सन् ——

	मतालबै	ज़र वसूल	ज़र बाक़ी
फ़रोख़्त थोकवार शराब हाय मक़तर और मख़सर जो मुताबिक़ तरीके अंगरेज़ी तैयार हुई हैं			
फ़रोख़्त बतौर ख़ुरदह फ़रोशी मौज़ा			
मौज़ा मौज़ा			
त्यारी और फ़रोख़्त शराब मक़तर जो मुताबिक़ तरीके हिन्दोस्तानी त्यार हुई			
ताड़ी			
मुसक्कात मन्शी			
अफ़यून सरकारी फ़रोख़्त शुदह			
मीज़ान			

नक़्शा नम्बर २

नक़्शा तफ़सील बक़ायाय आबकारी मुतअल्लिके ज़िले —— बाबत सन् —— फ़सली

नम्बर	नाम बाक़ीदार	नाम ज़ामिन	कैफ़ियत इक़रारनामा	मतालबै	ज़र बाक़ी	कैफ़ियत साहब कलक्टर	कैफ़ियत साहब कमिश्नर
				आबकारी			
				ताड़ी			
				मुसक्कात			
			मीज़ान				

नक़्शा नम्बर ३

नक़्शा तफ़सीली बक़ायाय आबकारी मुतअल्लिके ज़िले —— बाबत सनीन माक़ब्ल

नम्बर	नाम बाक़ीदार	सन्	मतालबै	ज़र बाक़ी	कैफ़ियत साहब कलक्टर	कैफ़ियत साहब कमिश्नर
			आबकारी			
			ताड़ी			
			मुसक्कात			
		मीज़ान				

बाबत बन्दोबस्त आबकारी	२५ अकतूबर सन् १८५३ ई०
बाबत दरख़्वास्त बतलब अफ़यून	२० दिसम्बर सन् १८५३ ई०
बाबत अफ़ुवाज़ गोरह बहालत कूच	२६ जनवरी सन् १८५५ ई०
बाबत बार बरदारी और फ़रोख़्त शराब व हाय मक़तरा व अफ़यून	२० अपरैल सन् १८५५ ई०
क़वाइद मसहहा बाबत इन्तज़ाम मुहालात आबकारी	१८ अपरैल सन् १८५६ ई०
क़वाइद बाबत फ़रोख़्त अफ़यून आबकारी	९ सितम्बर सन् १८५६ ई०
बाबत दरख़्वास्त बतलब अफ़यून	३ नवम्बर सन् १८५६ ई०
क़वाइद बाबत फ़रोख़्त अफ़यून आबकारी	२३ जनवरी सन् १८५७ ई०

तितम्मा नम्बर १३

मुतअल्लिक़े दफ़ा १२६

हुक्म सदर बोर्ड माल इजलास मग़रबी मुवर्रख़े १७ जून सन् १८४२ ई०

दफ़ा अव्वल साहबान सदर बोर्ड चाहते हैं कि हर एक ज़िले में हुक्काम माल अपने इलाक़े की आबकारी के बंदोबस्त की तरफ़ मुतवज्जह हों और चूंकि बन्दोबस्त क़ानून नम्बर सन् १८३३ ई० में सब तरह की कैफ़ियत बाबत रक़बे और जमा और मरदुम शुमारी वग़ैरह के हासिल हुई है इस बाब में मरातिब आबकारी की उससे मुक़ाबिला करें ❋

दफ़ा दोम इस बात की कार बरारी के लिये हाकिम को कुछ अन्देशा न चाहिये कि महसूल बढ़ाने की पैरवी करने से मुसक्किरात का ख़र्च होना है उस सबब पर महसूल लगे और इस बात की तामील में मुसक्किरात के ख़र्च की ज़्यादती का इन्सदाद बख़ूबी मुतसव्वर होगा ❋

दफ़ा सेवम सदर बोर्ड ने दो † नक़्शा जो इस किताब में हैं पहले मतबूआ से फ़र्क़ रखता है क्योंकि जो मरातिब पीछे तहक़ीक़ हुये नक़्शों में उनके बमूजिब इसलाह और तरमीम हुई ❋ नक़्शा (अलिफ़) और (बे) के शामिल इस सरकुलर के किये हैं और उनके देखने से हुक्काम माल को दरियाफ़्त होगा कि उनके इज़लाय में शराब और मुसक्किरात पर जैसा चाहिये महसूल लगता है या नहीं और अगर महसूल कम है तो मालूम होगा कि उसकी अफ़ज़ायश की तदबीर करनी चाहिये ❋

दफ़ा चहारुम नक़्शा (अलिफ़) में हर ज़िले की आमदनी मालियात मुन्दरज है यह नक़्शा साहब इकौनटेंट के दफ़्तर से तैयार किया गया है और उसमें हर ज़िले की कैफ़ियत साल हाय गुज़श्ता की वैसी है मुन्दरज है जैसा एक ज़िले उस साल में था यानी उसमें परगने और मौज़े वग़ैरह के दाख़िल ख़ारिज पर लिहाज़ नहीं किया गया है ❋

इस तरह के क्यास से आबकारी की निसबत और फ़र्द मुख़्तलफ़ हो तो मालूम होता है कि नक़शे में कुछ ग़लती है और चाहिये कि किस मद में गुबह हो यह भी जाँचा जाय तीनों मद्दात यानी जमा और ख़र्च और अदद मशीनों की निसबत के मुक़ाबिले से दूकानदार के जाँचने में फ़ायदह हासिल होगा और किसी मद में ग़लती और इख़्तिलाफ़ अज़ीम बाक़ी न होगा ॥

दफ़ा दवाज़दहुम इसपर भी अहतिमाल है कि इज़लाय मुख़्तलिफ़ में निसबत नज़कूरह के दरमियान इख़्तिलाफ़ हो और यक़ीन है कि ऐसा इख़्तिलाफ़ इन्तज़ाम के अच्छे या बुरे होने से हुआ होगा इस बात पर हुक्काम की तवज्जुह सब से ज़्यादह चाहिये क्योंकि जहाँ इन्तज़ाम अच्छा नहीं वहाँ तदारुक बहुत ज़रूर है ॥

दफ़ा सेज़दहुम चाहिये कि आबकारी का मुस्ताजरी बन्दोबस्त ख़ाम तहसील के साथ मुक़ाबिले किया जाय और किसी एक मुस्ताजर के इन्तज़ाम को दूसरे मुस्ताजर के इन्तज़ाम से और जहाँ सदर भट्ठी है उसकी तहसील को उस इलाक़े की तहसील से जहाँ सदर भट्ठी न हो मुक़ाबिले किया जाय इस तरीक़ से साहब कलक्टर देहली की रिपोर्ट मुवर्रख़े २६ जौलाई सन् १८४८ ई० में से दफ़ा ४ का इन्तख़ाब किया गया और उससे ज़ाहिर होगा कि आबकारी के बन्दोबस्त में किया क़बाहत बाक़ी होती है और उसकी इसलाह किस तरह से हो सकती है ॥

दफ़ा चहारदहुम कितै नज़र इससे ज़ाहिर है कि अफ़यून का ख़र्च सिवाय उसके जो महसूल देकर बिकती है बहुत ज़्यादह है इसवास्ते साहबान सदर बोर्ड को मंज़ूर है कि सब हुक्काम इस बात की तरफ़ तवज्जुह करें और अपनी अपनी राय लिखें ॥

दफ़ा पाँजदहुम अगर इस तरह से चन्द साल के वास्ते कई परगनों या ज़िलों की तहक़ीक़ात कथूबी की जाय तो ज़रूर है कि मुफ़ीद नतीजे निकलेंगे अलबत्ता नक़शों से सेहत कुल्ली मुतसव्विर नहीं हो सकती मगर जहाँ फ़रेब या दग़ा ग़ालिब हो वहाँ ज़रूर इस तरीक़े से ज़ाहिर हो जायगी ॥

दफ़ा शाज़दहुम यक़ीन है कि यह सब उमूरात बग़ैर मेहनत और दिक़्क़त के अंजाम हुआ करेंगे और कचहरी के हिंदोस्तानी अहलकारान को ताकीद किया जाय ताकि जल्द उरदू में नक़शजात मुरत्तब करके तय्यार किया करें और यह नक़शे इस तरह पर तय्यार होंगे कि साहब कलक्टर को फ़ौरन ज़ाहिर हो जायगा कि कौनसी बात लायक़ तवज्जुह के है ताकि उसमें तहक़ीक़ात करें और उन अहलकारों से कैफ़ियत तलब करें जो लायक़ जवाब देने के हों अगर ख़ुद साहब

[illegible] को इस काम की तरफ़ मैलान और फ़ुरसत न हो तो इजाज़त है कि यह
काम डिप्टी कलक्टर के सुपुर्द करें और वह खुद रिपोर्ट तैयार करके अपने द-
[illegible] से भेजें यक़ीन है कि जो साहबान डिप्टी कलक्टर क़ानून नम्बर [illegible] सन्
[illegible] के ज़रिये से किसी ज़िले में मुक़र्रर रहे हैं अक्सर उनको हाल ज़िले का
ख़ूब मालूम होगा और उनको इस्तेदाद इस बाब में कैफ़ियत लिखने की हासि-
ल होगी चुनांचे मुनासिब है कि अपनी अपनी राय इस बाब में लिखें ❖

दफ़ा [illegible] साहबान सदर बोर्ड का यह हुक्म नहीं कि हर साहब कलक्टर
यह नक़्शा [illegible] और रिपोर्ट फ़ीअलफ़ौर बनायें मगर मक़सद यह है
कि [illegible] के ज़ेहन में यह बात बैठ जाय और उसकी तरफ़ मुतवज्जह हो
कर बाद दो तीन महीने के एक रिपोर्ट अपनी तरफ़ से या किसी अपने अफ़सर मा-
तहत की तरफ़ से भेज दें या यह लिखें कि फ़िलहाल इस काम की तकमील कर सक्ते
हैं या नहीं उम्मेद है कि बाज़े साहबान ज़ी इस्तेदाद और अज़मूदह कार अपनी
राय लिख दें ताकि मालूम हो कि इस बात की ज़्यादह तफ़तीश से कुछ फ़ायदह
निकलता है या नहीं ❖

दफ़ा [illegible] हुक्काम ज़िले को यह बात ज़ाहिर होना चाहिये कि उनकी कारगुज़ा-
री [illegible] के वास्ते वह ज़रिये अब मौजूद हैं जो पेश्तर न थे और हुक्काम
मज़कूर को आमादह रहना चाहिये कि अगर उनके ज़िले में बनिस्बत और
[illegible] के किसी तरह का तफ़ावुत अज़ीम महसूलात में वाक़े हो तो उसका स-
बब बयान करें ❖

दस्तख़त हेनरी मेरस अलेट
सेक्रटरी सदर बोर्ड मग़रबी

इन्तख़ाब दफ़ा ४ रिपोर्ट साहब कलक्टर देहली बनाम ईजन्ट अफ़यून
ग़ाज़ीपूर—२६ जौलाई सन् १८४२ ईसवी

दफ़ा ४ [illegible] ग़फ़लत कि आबकारी के उमूरात और मुहाल मुसक्कात में वाक़े हो-
ती है उतनी किसी और सरकारी काम में नहीं है क्योंकि साहबान कलक्टर इन-
की तरफ़ मुतवज्जह होने को बहुत कम फ़ुरसत पाते हैं और यह एक आम ख़या-
ल है कि बन्दोबस्त ख़ाम में बहुत सी दिक़्क़त और दरदसरी होती है और इसी
[illegible] बन्दोबस्त मुस्ताजरी हुआ करता है और
[illegible] महसूल आबकारी में कमी होती जाती है हालांकि शराब
[illegible] का ख़र्च बढ़ता चला जाता है मुस्ताजरी बन्दोबस्त मे
[illegible] है लेकिन हक़ीक़त हाल यह है कि [illegible]

लोगों में कमतर रहते हैं जिनको मुआमलात आबकारी से कुछ सरोकार रखने की ख्वाहिश
हो जब शराब फ़रोश देखते हैं कि बन्दोबस्त खाम में अफ़सरान सरकारी किनारह
करते हैं तो वे आपस में इत्तफ़ाक़ करके कुल का इजारह लेते हैं अलबत्ते उनको
यह जवाब नहीं होती कि इकबारगी महसूल कम कराने का इरादह करें लेकिन ऐ
सी तदबीर करते हैं जिससे महसूल रफ़ते रफ़ते कम होजाय और अकसर सरकार को
इस कमी महसूल में इसतरह फ़रेब देते हैं कि जिन अहलकारों के तसदीक़ कर
ना ज़मानत का मुतअल्लिक़ है उनको रिसवत देकर जाली ज़मानत पेश करके मंज़ूर
कराते हैं हक़ीक़त यह है कि आबकारी और मुहाल मुसक्क़ात के खाम बन्दोब
स्त में बहुत कम तवज्जुह और मेहनत की हाजत होती है जो शुरू में होती नामालू
नहीं असल हाल उसमें यह है कि दारोग़ै आबकारी को मुताबिक़ दफ़ा ५७ कानून
१३ सन १८७६ ई० इसतरह की तरग़ीब दी जाय कि वह खुद अपने फ़ायदह के लिये
कोशिश करे चुनांचे मैं ने यह तजवीज़ की है कि वास्ते अदाय शुआहरह दारोग़ै
र मुहर्रिर और चपरासियों और और अखराजात के दस रुपये सैकड़ा देता हूं और अ
ब मेरे ख्याल में आता है कि अगर इससे भी ज्यादह मसलन पंदरह रुपये सैकड़ा दि
या जाय तो यकीन है कि सरकार को और भी ज्यादह फ़ायदह होगा इस तरह से
बन्दोबस्त से ब निसबत बन्दोबस्त साबिक़ के यानी मुस्ताजरी बन्दोबस्त की
निसबत सात हज़ार रुपये सालियाने की बेशी महसूल हुई और इस साल के
नक़शे बाक़ियात से मालूम होगा कि ४२८६ ७॥।) ३ पाई की तलबी से कुल ८॥।)
बाक़ी रहे और उसके बाद यह भी वसूल हो गए ॥

तितिम्मा नम्बर ४
मुतअल्लिके दफ़ा १२४
इन्तिखाब सरकुलर हुक्म नम्बर ४ मुसद्दरै सदर बोर्ड माल

दफ़ा १५७ दरसूरतेकि साहब कलक्टर मुकद्दमात दीवानी में अर्ज़ी व जवाब दावा वग़ैरा दाखिल करने में ग़फ़लत करें या साहिब कमिश्नर उन मुकद्दमात पर कमायस्वग़ी तवज्जुह न करें जो मुताबिक दफ़ा ३ कानून दोयम सन् १८२४ ईसवी के उनके पास भेजे जाते हैं तो जिस शख्स की ग़फ़लत से यह कुवाहत वाके हुई है जिस कदर नुकसान उससे आयद हुआ हो वह उसका ज़िम्मेदार है ॥

दफ़ा १५८ जिसवक्त अर्ज़ी दावा अदालत दीवानी से साहब कमिश्नर के पास पहुंचे तो साहब मौसूफ़ को मुनासिब है कि अपने दफ़्तर और साहब कलक्टर के दफ़्तर के कागज़ात से दरयाफ़ करें कि आया मुनासिब है कि मुद्दई की दर्खास्त कबूल की जाय या सरकार की तरफ़ से जवाब दिही करें

दफ़ा १५९ अगर तजवीज़ की जाय कि मुद्दई का दावा काबिल तसलीम के है और दावा ज़र नकद के वास्ते हो तो चाहिये कि साहब कलक्टर को हुक्म दियाजाय कि ज़र मतलूवा एक अर्ज़ी या रूबकारी के साथ अदालत में भेजदें जिस में यह दर्खास्त हो कि हाकिम दीवानी मुद्दई को ज़र अता करदें और अर्ज़ी दावा की पुश्त पर उसकी कैफ़ियत लिखें ॥

दफ़ा १६० अगर ज़मीन पर दखलयाबी का दावा काबिल तसलीम के हो तो चाहिये कि साहब कलक्टर को हुक्म दिया जाय कि दखल दिलावें और सायल से दखलयाबी का इकरारनामा लेलें बाद इस के चाहिये कि साहब मौसूफ़ इकरारनामा मज़कूर रूबकारी के साथ अदालत में भेजदें इस दर्खास्त से कि दखलयाबी की कैफ़ियत अर्ज़ी दावा की पुश्त पर तहरीर करें

दफ़ा १६१ अगर साहब कमिश्नर की राय में दावा काबिल तसलीम के नहो और उसकी जवाबदिही मुनासिब जानें तो अदालत दीवानी के हाकिम को इत्तिला की जाय कि वकील सरकार को जवाबदिही के लिये हुक्म दें साराज़ा साहब कमिश्नर को लाज़िम है कि जिस हाकिम के नाम पर नालिश होय उसको हिदायत करें कि फ़लानी फ़लानी तरह से जवाब दिही करनी चाहिये जिस तारीख साहब कमिश्नर जवाबदिही के लिये साहब कलक्टर को हुक्म दें अगर इसके बाद ६: हफ़्ते के अन्दर मुद्दई

नम्बरी नालिश दायर न करे तो साहब कलक्टर अदालत दीवानी के हाकिम को इमा करें कि मुद्दई की अर्ज़ी की पुश्त पर यह बात तहरीर फ़रमावें और मुद्दई को हुक्म दें कि या मुक़द्दमे की पैरवी करे या नालिश से दस्त बरदार हो ॥

दफ़ा १६२ जब साहब कमिश्नर अर्ज़ी नालिश पर ग़ौर कर के तजवीज़ करें कि उस हाकिम का नाम जिसपर नालिश हुई है बेफ़ायदा अर्ज़ी में लिखा गया है और सरकार को इस मामले से कुछ सरोकार नहीं तो उसको लाज़िम है कि साहब कलक्टर को हुक्म दें कि उस मुक़द्दमे में जवाबदिही न करें बल्कि सिर्फ़ इसी बातकी जवाबदिही करें कि सरकार को इस मुक़द्दमे से कुछ इलाक़ा नहीं और इस बात की दरख़ास्त करें कि ख़र्चा मुद्दई से लिया जाय ॥

दफ़ा १६३ अगर दावा मुद्दई का सिर्फ़ इसी वास्ते हो कि साहब कलक्टर ने ख़िलाफ़ क़ानून और बरअक्स इन्साफ़ के हुक्म दिया है और सरसरी नज़र से यह बात ज़ाहिर भी होती हो तो साहब कलक्टर को बज़ातख़ुद उस मुक़द्दमे की जवाबदिही करनी पड़ेगी ॥

दफ़ा १६४ साहब कमिश्नर को मुनासिब है कि एक कैफ़ियत सालाना कुल मुक़द्दमात की जो अदालत दीवानी में दायर हों और जिनमें सरकार तरफ़ैन से हो मुताबिक़ नक़शे ज़ैल के सदर बोर्ड में रवाना किया करें चाहिये कि नक़शा मज़कूर साहब कमिश्नर के महकमे से १५ जनवरी को सदर बोर्ड में रवाना कियाजाय ॥

दफ़ा १६५ जिन मुक़द्दमात की अपील सदरदीवानी अदालत में हुई हो उनके सवाल और जवाब साहिब कलक्टर बदुस्तिआनत उस बकील के तैयार करेंगे जो मुतअल्लिक़ उस महकमे के है जिस के फ़ैसले से अपील हुई और नज़रसानी के बाद चाहिये कि साहब कमिश्नर काग़ज़ात मज़कूर सदर बोर्ड में मै कैफ़ियत ज़रूरियात के भेजदें फिर साहबान सदरबोर्ड उसको पसन्द कर के या किसी बात की तरमीम कर के स्टाम्प मुअैना पर लिखवाकर वकील अदालत सदर दीवानी के पास दाख़िल करने के वास्ते भेजदेंगे

दफ़ा १६६ चाहिये कि अज़लाअ के हुक्काम को यह बात बताकीद जताई जाय कि मुक़द्दमात दीवानी के सवाल जवाब के काग़ज़ात में कोई अम्र फ़रोगुज़ाश्त न करें बल्कि हर मुक़द्दमे को जिसमें सरकार तरफ़ैनसे हो हत्तुलवसा मुकम्मिल करें इसवास्ते कि अगर महकमे मातहत के फ़ैसले

रपोर्ट मुफ़स्सिल उन हालात की जिनसे मुक़द्दमा पैदा हुआ और सवालदहि व कील सरकार और जो तरीक़ वास्ते पैरवी मुक़द्दमे के तजवीज़ करें भेजें और इस रपोर्ट के साथ हमेशा काग़ज़ात मुफ़स्सिले ज़ैल होने चाहिये ॰

(अव्वल) नक़ल अर्ज़ीदावा उर्दू (दोयम) खुलासा तर्जुमा उसका (सोयम) म सव्वदः जवाबदावा उर्दू (चहारुम) खुलासा तर्जुमा जवाबदावा निस्फ़ काग़ज़ का हाशिया छोड़ कर (पांचवें) फ़िहरिस्त मुफ़स्सिल उन काग़ज़ात की जो वास्ते पेश करने के हमराह जवाबदावा हस्ब तरीके मुरत्तिबे दाल मुन्दर्जे क़ानून म. वूत दफ़ा ४० ऐक्ट १६ सन् १८५३ ईसवी के तजवीज़ हों और कुल मिसिल फ़ा रसी मअ़ नक़ल मुलाहिज़ा उसका वास्ते तफ़हीम मुक़द्दमे के मुनासिब जानें भेजें

३ साहब कलक्टर को एहतियात रखनी चाहिये कि जवाब मुजम्मिज़ा मु. खतसर और हावी कुल मदारिज़ पर हो और उसमें हर एक बयान या वजह मुन्दर्जे अर्ज़ीदावा जो उसूल मुक़द्दमा है दर्ज हो और कोई बयाल ना दुरुस्त या दलील मुक़स्सिर अमूर तस्क़ीह तलब बिला तर्दीद फ़रोगुज़ाश्त नहो

४ साहब कमिश्नर अपनी राय जिस वजह की निस्बत चाहें हाशिये का ग़ज़ नम्बर ४ मुतज़क़्किरे दफ़ा २ मुन्दरिज करें और काग़ज़ात मिन दाखि लाय नम्बर १ लग़ायत नम्बर ५ मज़कूरे वाला बज़रीये रपोर्ट अलाहिदः या डाकट हुक्काम सदर बोर्ड की ख़िदमत में भेजें ॰

५ हुक्काम सदर बोर्ड इन काग़ज़ात को बाद दाख़िल नकल मै हिदायत साफ़ वापस भेजेंगे जो बाद पैरवी मुक़द्दमा निस्बत कारखाई आइन्दा साहब कमिश्नर की राय पर रहेगी और साहब मौसूफ़ दीगर अहकाम ज़रू री वास्ते हिदायत साहब कलक्टर के सादिर करेंगे अलाहदा रुजू करना या जवाबदिही करना अपील ख़ास अदालत ज़िला का अपनी तजवीज़ से मंज़ूर करेंगे बग़ैर सदर अदालत दीवानी में नहीं ॰

६ साहब कमिश्नर नतीजे मुक़द्दमे मुतदायरे अदालत ज़िला मह कमे ऊला और सानी से हुक्काम सदर बोर्ड को बखूबी इत्तिला देते रहेंगे हिदाय त जदीद के लिये सिवाय उस हालत के कि कोई शुबहा या मुश्किल वा क़े हो दरख़ास्त करना ज़रूर नहीं ॰

७ वकील सरकार को दरयाफ़्त दायर होने दस्तिगासा मुतअ़ल्लिक़ व सरकार के साहब कलक्टर मौक़ूफ़ कल्लफ़ मुफ़स्सिल रखनी चाहिये और जि स वक़्त हुक्म अख़ीर सादिर हो फ़ौरन साहबान कलक्टर और साहबान क मिश्नर को इत्तिला पहुंचानी चाहिये ॰

८ बवजह साहब कमिश्नर और कलक्टर को अपने सदर मुक़ाम पर मौजूद न होने के सबब से या बवजह दीगर वास्ते मंज़ूरी दरख़ास्त अपील बनाराज़ी फ़ैसला मुख़ालिफ़ मुराफ़ा अन्दर मीआद मुऐयना के वक़्त न मिले और वकील सरकार उसकी ताकीद करे तो साहब कलक्टर को इख़्तियार है कि दरख़ास्त दायर करने अपील के क़ब्ल अज़ मंज़ूरी व मुराफ़ात मवाने मुन्दर्जे दफ़ा ५ अपनी राय अमल में लावें ॰

९ जब तक पहिले से मनज़ूरी हुक्काम सदर बोर्ड न होले कोई नालिश मिनजानिब सरकार अदालत दीवानी में दायर न होगी ॰

१० हुक्काम सदर बोर्ड पैरवी जुमला मुक़द्दमात अपील आम या ख़ास सदर अदालत दीवानी की जिन में सरकार अपीलान्ट हो या रसपान्डेन्ट अपने ज़िम्मे रक्खेंगे ॰

११ दरख़ास्त अपील आम सदर अदालत दीवानी बमूजिब ज़िम्न २ दफ़ा २ ऐक्ट २५ सन १८५३ ईसवी तारीख़ फ़ैसला से छः हफ़्ते के अन्दर उस अदालत में गुज़रनी चाहिये जहां से फ़ैसला हुआ हो और साहब कमिश्नर उस दरख़ास्त के गुज़राने की इजाज़त देने के मुजाज़ हैं इल्ला बनज़र वजूह मुन्दर्जे दफ़ा ८ साहब कलक्टर को चाहिये कि ख़ुद दरख़ास्त दाख़िल करा के उस कारवाई की रपोर्ट वास्ते मन्ज़ूरी के भेजें ॰

१२ बमूजिब ज़िम्न १ दफ़ा ५ ऐक्ट १६ सन १८५३ ईसवी दरख़ास्त अपील ख़ास अदालत सदर दीवानी या उस अदालत में जहां से फ़ैसला ख़िलाफ़ मुराद सादिर हुआ हो तारीख़ फ़ैसला से बाबैन तीन महीने के गुज़रनी चाहिये और इस मीआद में वास्ते भेजने रपोर्ट मुफ़स्सिल मारफ़त साहब कमिश्नर व हुज़ूर हुक्काम सदर बोर्ड बहुत मुहलत मिलती है हुक्काम ममदूह निस्बत वजूह अपील ख़ास और बमुक़ाम क़ाबिल अपील के अगर मुनासिब जानें अपनी राय देंगे ॰

१३ अपील अदालत सदर दीवानी में ख़्वाह सरकार अपीलान्ट हो ख़्वाह रसपान्डेन्ट साहब कलक्टर हमेशा अपनी रपोर्ट में दर्ज किया करें कि आया दरख़ास्त अपील बमूजिब ज़िम्न २ दफ़ा २ ऐक्ट २५ सन १८५३ ईसवी गुज़रानी गई है या नहीं और काग़ज़ात मुफ़स्सिले ज़ैल भेजें ॰

सरकार रसपान्डेन्ट	सरकार अपीलान्ट
१ फ़ैसला अदालती नक़ल मुक़द्दमा	१ मुस्तदआ उल कयास
२ ब्योरेवार नक़ल फ़ैसला अदालत मातहत	२ मुस्तदआ उल कयास

२ वकालतनामा बनाम वकील सरकार सदर १३ मसला ब्रासुल कमाल अदालत दीवानी वास्ते पैरवी मुक़द्मे के

१४ चूंकि हुक्काम सदर बोर्ड पैरवी अपील सदर अदालत दीवानी की अपने ज़िम्मे लेंगे पस ज़रूर नहीं कि साहब कलक्टर उस मुक़द्मे में जिसमें सरकार रसपांडन्ट हो बमूजिब मुअबिंग जवाब गुज़िबात या उस मुक़द्मे में जिसमें सरकार अपीलान्ट हो मजिबान अंगरेज़ी या फ़ारसी भेजें मगर साहब मौसूफ़ को चाहिये कि एक रपोर्ट में अपनी राय के अललखुसूस निसबत उन वजूहात के जो हस्ब दफ़ा १० ऐक्ट ४५ सन १८५३ ईसवी पेश करनी चाहें इरसाल करें ❖

१५ अपील ख़ास मुतदायरै सदर अदालत दीवानी में साहब कलक्टर को चाहिये कि अलावा काग़ज़ात मुतज़क्किरै दफ़ा १३ की एक नक़ल मुसद्दिका डिगरी मुराफ़ै ऊला मुताबिक़ जिल्द २ दफ़ा ५ ऐक्ट १६ सन १८५३ ईसवी में एक रपोर्ट निसबत वजूहात उज्र हस्ब दफ़ा ६ ऐक्ट १६ सन १८५३ ईसवी के भेजा करें ❖

१६ जुमला मुक़द्मात अपील ख़ास अदालत दीवानी में ख़्वाह सरकार रसपान्डन्ट हो या अपीलान्ट मिसिल मुक़द्मे फ़ारसी मुतअल्लिक़ कचहरी साहब कलक्टर भेजी जाय ताकि आइन्दा किसी अम्र के दरयाफ़्त करने में तवक़्क़ुफ़ और ज़रूरत न हो अपील ख़ास में मिसल सिर्फ़ उस हालत में भेजी जाय जबकि मुलाहिज़ा उसका वास्ते इन्किशाफ़ हाल मुक़द्मे के निहायत ज़रूर समझा जाय ❖

१७ हुक्काम सदर बोर्ड को ऐसे मुआमलात की इत्तिला हुई है जिन में मौक़ा अपील बवजह ग़फ़लत साहब कलक्टर दरबाब गुज़रान्ने दरख़्वास्त अपील या वसूल नक़ल मुसद्दिका फ़ैसलजात क़ब्ल बन्द होने कचहरी के बवाइस तातील मुहर्रम व दसहरा के जाता रहा है जब कभी मीआद अपील अन्दर तातील या अन्क़रीब बाद इफ़्तिताह कचहरी गुज़र जायगी तो साहब कलक्टर को चाहिये कि नक़ल काग़ज़ात मतलूबा लेने और दरख़्वास्त अपील दस्त तज़्किरै दफ़ा ८ और ११ क़ब्ल अज़ बरख़ास्त कचहरी गुज़राने दें ❖

इत्तलात दीवानी के मुक़द्दमात का नक़शा सालाना जिसमें स
रकार तरफ़ैन सेहैं बाबत सन् फ़लां ॥

नाम ज़िला	नम्बर मुक़द्दमा	नाम अदालत	नामत रफ़ैन	तारीख रुजू नालिश	कजूहात मुक़द्दमा और क़ीमत अशयाय मुतनाज़िआ की	कैफ़ियत
						इस कैफ़ियत में लिखनाचाहिये कि साहब कलक्टरने जवाब मतलूब दाखिल किया है या नहीं और मुक़द्दमे मेंक्या कार्रवाई हुई है और अगर देर हुई हो तो उसका क्या सबबहै

॥ तितिम्मा नम्बर १५
मुतअ़ल्लिके दफ़ा १३० ।

सरकुलर हुक्म मुसद्दरे साहबान सदर बोर्ड ममालिक
मगरबी नम्बर १ मुवर्रिखे २५ फ़रवरी सन् १८४८ ईसवी

(दफ़ा अव्वल) क़ानून २३ सन् १८०३ ईसवी और क़वानीन मुतअ़ल्लिकः की रूसे दफ़्तरी दफ़्तर ज़मीअ़ कागज़ात हिंदुस्तानी मुतअ़ल्लिके माल्गुज़ारी का जाय हिफ़ाज़त मुक़र्रर हुआ ✦

(दफ़ा दोयम) गवर्नमेन्ट का मनशा है कि कागज़ात दफ़्तर मज़कूर के मुलाहिज़ा की हरख़ास आम को इजाज़त हो लिहाज़ा साहबान कलक्टर वग़ैरा तरीके मुन्दर्जे ज़ैल को अमल में लावें ✦

(दफ़ा सोयम) चाहिये कि दफ़्तरख़ाने में आने जाने के वास्ते सिर्फ़ एक ही दरवाज़ाहो और साम्ने दफ़्तर ख़ाने के एक कमरा जिसके दरमियानमें दरवाज़ा वाके हो उस कमरा में मुहाफ़िज़ दफ़्तर और उसके मददगार के बैठने की [illegible] ✦

(दफ़ा चहारुम) जो कोई दफ़्तर के कागज़ात का मुलाहिज़ा करना चाहे लाज़िम है कि साहब कलक्टर को सवाल दे जिसमें उसका मतलब और कागज़ात

तूबा की कैफ़ियत जिस क़दर हो सके मुन्दरिज हो यह दरख़ास्त साहब क-
र मन्ज़ूर करें और सायल को हुक्म दें कि मुहाफ़िज़ दफ़्तर के पास कमरा
फ़्तर में जाय और मुहाफ़िज़ दफ़्तर फ़िलफ़ौर जिस बस्ते में काग़ज़ात मत
हैं लावे और अपने किसी मददगार को सिपुर्द करे और उस मददगार
मुक़ाबिले में सायल को इजाज़त होगी कि ब इतमीनान काग़ज़ात देख ले
दफ़ा पंजुम जो मददगार मुहाफ़िज़ दफ़्तर सायल के साथ कमरे में र
हैं चाहियेकि ऐसे हर मददगार पीछे फ़ी घंटा सायल से आठ आना बतौर
र ले लिये जावें ✧

दफ़ा शशुम किसी ग़ैर शख़्स को इजाज़त नहीं कि मुहाफ़िज़ दफ़्तर के क
में क़लमदवान लेजाय मगर इजाज़त होगी कि पिन्सल और काग़ज़ अ
साथ लावे और सिर्फ़ पिन्सलही से याद्दाश्त अपनी लिखे अगर किसी
याद्दाश्त या नक़ल ग़ैर मुसद्दिक़ा सियाही से चाहिये तो इजाज़त है कि
ददगार मुहाफ़िज़ दफ़्तर से लेवे और उसको हक़ नक़लनवीसी मुवाफ़िक़
ापतह्र ी केदेवे ✧

चुनांच इस सरकुलर के बाद अहकाम उजरत नक़ल के मुसर्रह हैं ✧

(दफ़ा हफ़्तुम) साहब कलक्टर को चाहिये कि हत्तुलवसा किसी काग़ज़
को मुहाफ़िज़दफ़्तर या उस के मददगारों की ख़बरगीरी से बाहर न जाने दें
ख़्वाह वह काग़ज़ मुहाफ़िज़ दफ़्तर के कमरे में तलब हो ख़्वाह बमूजिब दरख़ा-
स्त हुक्काम माल या अदालत हाय दीवानी के ✧

(दफ़ा हश्तुम) जब और कचहरी जिसको काग़ज़ तलब करने का अ-
ख़्तियार है मिस्ल कचहरी अदालत दीवानी नज़दीक हो सहूलत के वास्ते
साहब कलक्टर को चाहिये कि कचहरी मज़्कूर के हाकिम को इजाज़त दें
कि काग़ज़ात मतलूबा मुहाफ़िज़ दफ़्तर से बिला तवस्सुत तलब करें और
जब ऐसा हुक्म मुहाफ़िज़ दफ़्तर के पास पहुंचे चाहिये कि बिला तवक़्क़ुफ़
काग़ज़ात मतलूबा किसी मददगार की हिफ़ाज़त में भेजदे अगर हाकिम मि
सिल मतलूबा को उसवक़्त मुलाहिज़ा करले तो मददगार मज़्कूर मुलाहि
ज़ा के बाद अपने साथ वापस लावे लेकिन अगर हाकिम देर तक मिसिल
का रखना चाहे तो मददगार कचहरी में छोड़ दे मज़्कूर मगर रसीद हस्ब
ज़ाबिता मै नक़ल फ़ेहरिस्त मिसिल की लेले ✧

(दफ़ा नहुम) जो फ़ीस याने हक़ सरकार क़ानून ३३ सन् १८०३ ईसवी में
मज़्कूर हुआ चाहिये कि हमेशा मुक़द्दमात बटवारा क़ानून १९ सन् १८१४ ई०

में रजिस्टर मालगुज़ारी के तरमीम होने के वक्त लियाजाय और भी सदर माल
गुज़ारों के इन्तिक़ाल हक़ीयत के सब मुक़द्दमात में सिवाय इन्तिक़ाल बमू
जिब विरासत के तरमीम रजिस्टर और वसूल हक़ सरकार उस वक्त कियाजाय
कि हक़ीयत के इन्तिक़ाल होने की ख़बर हो ख़्वाह तरफ़ैन से मिले ख़्वाह कानू
नगो ज़िम्न ४ दफ़ा ७ क़ानून चहारुम सन १८०८ ईसवी के बमूजिब उसकी
ख़बर दें ख़्वाह दफ़्तर के काग़ज़ात से दरयाफ़्त हो जब इन्तिक़ाल बमूजिब
हुक्म अदालत दीवानी के अमल में आवे तो सदर मालगुज़ारी के रजिस्टर
में दाख़िल ख़ारिज के साथ फ़ीस लीजाय मगर याद रहे कि फ़ीस सिवाय
इन्तिक़ाल सदर मालगुज़ारों के न लीजाय क्योंकि सिर्फ़ उनके इन्तिक़ा
ल में रजिस्टर मज़कूर क़ानून ४२ सन १८०३ ईसवी तरमीम करना पड़ता है
(दफ़ा दहुम) फ़ीस मुसर्रहे वाला में फ़ीस मुन्दर्जे दफ़ा ५ जमा कीजाय
और उसमें जो मददगार जदीद मुहाफ़िज़दफ़्तर को इस दस्तूरुलअमल के द
फ़्तर के वास्ते दरकार हो तनख़्वाह पावें मुनासिब है कि मुहाफ़िज़ान दफ़्तर
अपने मददगार की दुरुस्त नवीसी साहब कलक्टर की मन्ज़ूरी के वास्ते पेश
करें और उनके सलूक के ज़िम्मेदार रहें ✤

दफ़ा याज़दहुम अगर फ़ीस मज़कूर मददगारों के मुशाहरे के वास्ते
किफ़ायत न करे तो जिस क़दर स्टाम्प का काग़ज़ बमूजिब दफ़ा ४ सरकु
लर हाज़ा के पेश किया जाय उसी रुपये के ख़र्च के वास्ते साहबान सदर
बोर्ड इजाज़त देंगे ✤

सरकुलर सदर बोर्ड मग़रबी नम्बर २१ मवर्रिख़े २ सि
तम्बर सन १८४५ ईसवी, उजरत नक़लनवीसी के
बाब में

...अज़ल्लाअ से जो जवाब पहुंचे उनसे मालूम हुआ कि नक़लनवीसी की मि
क़दार उजरत की बाबत बाज़ अज़लाअ में बहुत इख़्तिलाफ़ है और यह
कि अक्सर औक़ात अन्दाज़े से ज़्यादा लीजाती है चूंकि वाज़ह है कि
...कलक्टरी और ख़ुसूसन बन्दोबस्त के काग़ज़ात की नक़ूल ब आसानी हा
सिल होनी चाहिये इसवास्ते मुनासिब है कि सदर दीवानी अदालत के
...दाज़े के मुवाफ़िक़ उजरत मुरव्विजे हाल कम की जाय चुनान्चे
...जो उजरत नक़्शे ज़ैल के मुताबिक़ मुक़र्रर की गई ✤

अंगरेज़ी	उर्दू	नक़्शःजात खसरा व थोकबस्त और जुमला नक़्शःजात मुतफ़र्रिक़ा
१५०० लफ़्ज़ फ़ी रूपिया	४००० लफ़्ज़ फ़ी रूपिया	बमूजिब तजवीज़ हाकिम

सरकुलर नम्बर २० सन १८४७ ईसवी मरक़ूमे २० अगस्त सन १८४७ ईसवी ॥

दफ़ा १ सदर बोर्ड के सरकुलर हुक्म नम्बर ११ मरक़ूमे २ सितम्बर सन १८४५ ईसवी पर रुजू करने से दरयाफ़्त होता है कि जिन महकमात में नक़्ल कागज़ात कमतर मतलूब होती हैं शरह उजरत मुसर्रिहे सरकुलर मज़कूर नक़्लनवीस की गुज़रान के वास्ते किफ़ायत नहीं करती है ✣

दफ़ा २ ऐसी सूरतों में नक़ल मांगने वालों को इख़्तियार होगा कि अपना नक़्लनवीस लावें और बतौर खुद उजरत का बन्दोबस्त करें चुनांचे जुमला साहबान कमिश्नर की कचहरियां इस में शामिल हैं मुनासिब है कि एक मुतअह्हिद उहदेदार हमेशा मौजूद रहे और नक़्लनवीस के साम्हने कागज़ पढ़े ताकि तहरीफ़ या बनाने का खतरा न हो और दस्तख़त उस के हमेशा नक़्ल पर हों ✣

तितिम्मा नम्बर १७

मुतअल्लिके दफ़ा २४७ ।

सरकुलर हुक्म मुसद्दरे हुक्काम सदर बोर्ड ममालिक मगरबी

मतबूए नम्बर २

कागज़ात पटवारी के बाब में

दफ़ा १५७ पटवारियों पर जो कागज़ात दाखिल करने वाजिब हैं ज़ैल में लिखे जाते हैं पहिला जमाबन्दी दूसरा मिलान खसरा तीसरा तरुज — चौथा जमावासिल बाकी पांचवा जमावासिल बाकी तहसीली छठा जमा व खर्च ❖

दफ़ा १५८ यह कागज़ात दफ़आत १२ और १३ कानून नहुम सन् १८३३ ईसवी के अहकाम के मुवाफ़िक बनेंगे और अगर उनकी तरतीब में गफ़लत होगी तो सज़ा मुसर्रेह दफ़आत १४ और १५ कानून मज़कूर की आयद होगी ❖

दफ़ा १५९ यह नकशे साल भर में एक बार याने हरसाल पहिले अक्तूबर को साल गुज़श्ते के वास्ते दाखिल हों ❖

दफ़ा १६० जहां बन्दोबस्त ख़त्म हो गया वहां फ़ौरन इस तरीक़ के इजरा का हुक्म दो ❖

दफ़ा १६१ जहां अभी बन्दोबस्त होता है ता इख्तताम बन्दोबस्त इजरा इसका मुलतवी रहे ❖

दफ़ा १६२ ज़ैल में इन नकशों का बयान मुख्तसिर किया जाता है ❖

दफ़ा १६३ नकशा नम्बर १ इस नकशे के पहिले तीन खानों की शरह कुछ ज़रूर नहीं चौथे खाने में खसरा पैमायश के मुताबिक खेत का नम्बर मुन्दरिज हो चाहिये कि यह नम्बर पटवारी की जमाबन्दी में हमेशा कायम रहे अगर खसरे का कोई खेत दो या ज़्यादा हिस्सों पर मुनकसिम हो जाय तो नम्बर खसरे का हर हिस्से के मुकाबिल लिखा जाय अगर दो तीन खेत जो खसरे में बनम्बर जुदागाना मुन्दरिज थे मख़लूत हो जाय तो जितने नम्बर खसरे में उन खेतों के मुतअल्लिक थे जमाबन्दी में मद इस दस कित मख़लूत के सामने मुन्दरिज हों इस बात को ज़रूर तमय्युज करना चाहिये और पटवारियों पर ताकीद रहे कि फ़रोगुज़ाश्त न होने पावे ताकि जो तगय्युर वाके हो खसरे के असिल खेतों पर रुजू करना मुमकिन हो ❖

दफ़ा १६४ पांचवे खाने में रकबा ब हिसाब बीघा मुफ़स्सले साहब

ममाह लिखा जाय और छठे में रक़बा गांव के बीघा के हिसाब से अगर दो
नों बराबर हों तो दोनों खाने में एकही रक़म लिखी जाय मगर जहां इख़्ति
लाफ़ हो तो देखने से फ़ौरन फ़र्क़ मालूम होजायगा इस काग़ज़ की निसब
त यह बात और लिखनी चाहिये कि पटवारी सिर्फ़ वह खानजात लिखे
जो उसके गांव के रवाज के मुताबिक़ हों +

तितिम्मा नम्बर १७ के मुतअल्लिक़

नमूना काग़ज़ात पटवारी

ज़िले फ़्लां सालतमामी सन् फ़्लां

पोत गल्ला		लगती पोन कनकूत			रसूम पटवारी		ख़ुसला			
दक्करणे यतो	हक्क ज़मीदारी	जिन्स	कूत	माल	नक़दी	गल्लः	खर्चगांव	नक़दी	गल्लः	[illegible]
० ०	० ० ०	चना	१०)	५)	० ०	)५	-)	० ०	४।)५	
० ०	० ० ०	० ०	० ०	० ०	-)	० ०	-)।	३।।)	० ०	
० ०	० ० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	
० ०	० ० ०	० ०	० ०	० ०	-)।।।	० ०	-)।।।	३।।≡)	० ०	
१।।)	१।।)	० ०	० ०	० ०	० ०	)१।।।	)३।।	० ०	१।।)५।।	
० ०	० ० ०	सरसों	३)	१।।)	० ०	)१।।	)३	० ०	१।)४।।	
० ०	० ० ०	० ०	० ०	० ०	-)।।।	० ०	-)।।।	१।।-)।	० ०	
० ०	० ० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	
१८।।)	१८।।)	० ०	६३)	३।।)	१।≡।।	१।)८।।।	नक़दी १।।-)।। गल्लः १)८।।	५३।।≡)	४१)८।	
गैरमुमकिन		१३	।।)	.. ..	।।)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
		१५	।।)	.. ..	।।)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
		१७	१।।)	.. ..	१।।)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
		२०	३)	.. ..	३)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
		२१	३)	.. ..	३)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
		२२	५)	.. ..	५)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
		२३	४)	.. ..	४)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
		२५	६)	.. ..	६)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
			२३।।)	.. ..	२३।।)	.. ..	.. ..	.. ..	० ०	
			१४०)४	.. ..		.. ..	.. ..	.. ..	० ०	

कागज़ातपटवारी २५२ लितस्मा नम्बर १७

नम्बर १

जमाबन्दी मौज़े फ़लां परगने फ़लां

नम्बर शुमार	नाम मौरूस	नाम खेत	नम्बर खेतपै मायश	तादाद खेत पै मायश जरीदी	तादाद खेत पै मायश गांव	जोज़मीन जमा-बन्दीसे बाहरहै	बाक़ीजो ज़मीन परपोत लगताहै	दरबन्दी	लगती पोत न-क़दी	लगती पैदावार जिन्स
		मेडहा	४१	२)४	२।।।)	०००	२।।।)	" "	" "	" "
		मेडीहा	६०	१)२	१)२	०००	४)	२।=)	२।-)।।।	" "
				६।।)	२०।।)१	०००	" "	" "	" "	" "
१०	मंसा कुरमी	गोडन्द	१६	१।।)१	१।।)	०००	२।।)	२=)	३।।=)।।	" "
		हरहा	६२	।।)२	।।)४	०००	।।)४	" "	" "	३।।)जौ
		बरहा	६४	।।)१	।।)२	०००	।।)२	" "	" "	" "
		नरहा	६४	।।)२	।।)	०००	।।)	२।-)	२।।=)।।।	" "
				३।।)१	४।)२	०००	" "	" "	" "	" "
				४६।।)४	५२।।)४	०००	५।।।)४	०००	४६।-)	३७।।)
	परती क़दीम	" "	१	२)	" "	२)	" "	" "	" "	००
		" "	२	३)	" "	३)	" "	" "	" "	००
		" "	३	४)	" "	४)	" "	" "	" "	००
		" "	४	५)	" "	५)	" "	" "	" "	००
		" "	५	६)	" "	६)	" "	" "	" "	००
		" "	६	७)	" "	७)	" "	" "	" "	००
		" "	७	८)	" "	८)	" "	" "	" "	००
		" "	८	६)	" "	६)	" "	" "	" "	००
		" "	९	१०)	" "	१०)	" "	" "	" "	००
		" "	११	१३)	" "	१३)	" "	" "	" "	००
		" "	१२	६)	" "	६)	" "	" "	" "	००
				७१)	" "	७१)	" "	" "	" "	००

ज़िले फ़लां साल तमामी सन फ़लां

पोत गल्ला		लगानी पोत कनकूत			रसूम पटवारी		मीज़ान	जुमला		कैफ़ियत
हक़्क़े रैयती	हक़्क़े मौदारी	जिन्स	कूत	साल	नक़दी	गल्लः		नक़दी	गल्लः	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	=)।	० ०	=)	३॥=)।	० ०	
२॥)	२॥)	० ०	० ०	० ०	० ०	५)	५)	० ०	२॥)	
० ०	० ०	चना	२५)	७)	० ०	।)४	।)	० ०	२॥)४	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	-)।	० ०	-)।	९)॥।	० ०	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	-)	० ०	-)॥	२)।	० ०	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	-)॥	० ०	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	-)	० ०	-)	२।-)	० ०	
२॥)	२॥)	० ०	० ०	० ०	० ०	।)३॥	।)५	० ०	२॥)३॥	
० ०	० ०	जौ	८)	४)	० ०	।)४	।)	० ०	४॥)४	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	-)।	० ०	-)।	२॥-)	० ०	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	=)।	० ०	=)।	३।=)	० ०	
० ०	० ०	गेहूं	७)	३॥)	० ०	।)३॥	।)७	० ०	७॥)४	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	
३)	३)	० ०	० ०	० ०	।)३	० ०	।)६	० ०	३)६	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	=)।	० ०	=)।	२॥=)।	० ०	
० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	-)॥	० ०	
० ०	० ०	मटर	५)	२॥)	० ०	।)॥	।)५	० ०	२॥)७	

मीज़ान जमाबन्दी व मिलान खसरे पैमायश मौज़े फ़लां परगने फ़लां ज़िले फ़लां

असामी	रक़बा कुल	मज़रूआ	परती जदीद	परती क़दीम बिला ज़िराअत	तालाब	बसगीन	बाग़	जंगल
मुन्दर्जे खसरे पैमायश बन्दोबस्ती	१४०)४	४६॥)४	० ०	२१)	२)	५)	६)	१॥)
जो ज़मीन जमाबन्दी से बाहर है वा	६३॥)	० ०	० ०	२१)	२)	५)	६)	१॥)
की ज़मीन जमाबन्दी की	४६॥)४	४६॥)४	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०

जमावासिलबाकी सालतमाम मौज़े फ़लां परगने फ़लां ज़िले फ़लां

नम्बर शुमार	नाम जोतार	तादाद ज़मा नजमाबन्दी	तादाद तलबी सालतमाममें रसूम पटवारी वग़ैरा खर्च		वसूल		बाक़ी		फ़ाज़िल		कैफ़ियत
			नक़दी	ग़ल्लः	नक़दी	ग़ल्लः	नक़दी	ग़ल्लः	नक़दी	ग़ल्लः	
१	राम सहाय	७)	३॥=।	१५)४	३॥=।	१५)४	० ०	० ०	० ०	० ०	
२	राम दीन	२)३	४।)॥	० ०	४।)॥	० ०	० ०	० ०	० ०	० ०	
३	काशी राम	३॥)३	२।-)	-७)१॥	२।-)	-७)१॥	० ०	० ०	० ०	० ०	
४	बलभद्दर कुरमी	४॥)	५॥=)	३॥)॥	५॥=)	३॥)॥	० ०	० ०	० ०	० ०	
५	जियाराम	६॥)	६-)	५॥)६॥	६-)	५॥)६॥	० ०	० ०	० ०	० ०	
६	शिवदीन	३॥)२	४।=)॥	३)६	४।=)॥	३)६	० ०	० ०	० ०	० ०	
७	भवानीदीन	३॥)४	३॥=)।	६॥)६॥	३॥=)।	६॥)६॥	० ०	० ०	० ०	० ०	
८	भोला कुरमी	४॥)	२॥)।	६)८	२॥)।	६)८	० ०	० ०	० ०	० ०	
९	नाहर कुरमी	१०॥)१	१६॥=)	६॥)६॥	१६॥=)	६॥)६॥	० ०	० ०	० ०	० ०	
१०	मनसा कुरमी	४।)१	५॥)।	३)६॥	५॥)।	३)६॥	० ०	० ०	० ०	० ०	
		५२॥)४	५२॥=)	५४)८।	५२॥=)	५४)८।	० ०	० ०	० ०	० ०	

जमाखर्च मौज़े फ़लां परगने फ़लां ज़िले फ़लां

नक़दी	तरतीब कुल				माल गुज़ारी सरकार	तलबाना	मरम्मत सड़क	मालिकाना	रसूम पटवारी वग़ैरा		नज़्र पूजा	मीज़ान	बाक़ी मुनाफ़ा ज़मीदार
	ग़ल्ला	दर	दामसैया	मीज़ान					पटवारी	खर्च गांव			
५६॥।-)	५५)८।	२॥)	३६=)२	६५॥≡)२	६०)	।॥)	।≡)	६॥)	२॥)॥	३।≡)॥	२।=)	७५)।	३॥=) ११ पाई

दफ़ा १६५ बंजर काबिलुलज़िराअत और ग़ैर मुमकिनुलज़िराअत जमाबन्दी के ज़ैल में अपनी अपनी जगहपर लिखाजायगा ताकि कुल रक़बे की तसरीह जो खसरे में थी हमेशा मालूम हो ✣

दफ़ा १६६ नक़्शा नम्बर २ देखने से ज़ाहिर होगा कि जमाबन्दीका एक तितिम्मा है जिसको मिलान खसरा कहते हैं इस काग़ज़ का यह मक़सदहै कि जो तग़ैयुरात आराज़ी मज़रूआ और काबिलुलज़िराअत और ग़ैर मुमकिन में हमेशा वाक़े होते हैं ज़ाहिर रहें और कुल रक़बा याने तीनों की मीज़ान बदस्तूर रहे ✣

दफ़ा १६७ मसलन नमूने के नक़्शे में कुल रक़बा १४० बीघा ५ बिसवा है मिनजुमला उसके

मज़रूआ	४६ बीघा १५ बिसवा
बंजर काबिल ज़राअत	७१ बीघा
बंजर ग़ैर मुमकिनुलज़िराअत	२२ बीघा १० बिसवा
मीज़ान कुल	१४० बीघा ५ बिसवा

दफ़ा १६८ अगर आइन्दा साल में कुछ ओफ़ाद: ज़मीन मज़रूआ होजायं तो हिसाब इस तरह बदल जायगा ✣

रक़बा कुल	१४० बीघा ५ बिसवा
मज़रूआ	२५ बीघा १० बिसवा
ओफ़ादा काबिल ज़राअत	६२ बीघा ५ बिसवा
ग़ैर मुमकिन	२२ बीघा १० बिसवा
मीज़ान	१४० बीघा ५ बिसवा

याने मीज़ान वही क़ायम रहैगी ✣

दफ़ा १६९ इस नक़्शे से ज़ाहिर होगा कि मुहाल तरक़्क़ी पर है या तनज़्ज़ुल पर या बदस्तूर ✣

दफ़ा १७० नक़्शा नम्बर ३ तीसरा कागज़ तेरीज कहलाता है इस नक़्शे के तीसरे खाने में हर आसामी के कुल खेतों की तादाद और चौथे खाने में उन खेतों का रक़बा गांव की पैमायश की रू से लिखा जाता है बाक़ी खानों की तशरीह ज़रूर नहीं ✣

दफ़ा १७१ नक़्शा नम्बर ४ जमावासिलबाक़ी इसकी भी तशरीह

[illegible] नहीं ❖

दफ़ा १५२ नक़शा नम्बर ५ जमा बासिल बाक़ी तहसीली उस रुपये का [illegible] है जो तहसीलदारों में इतफ़ाक़ रक़म की बाबत दाख़िल किया जाता है इस नक़शे में सिर्फ़ वह ख़ानाजात लिखे जायंगे जो गांव के रवाज से मुता[illegible] हों ❖

दफ़ा १५३ नक़शा नम्बर ६ जमा व ख़र्च इस की तशरीह ज़रूर नहीं ❖

दफ़ा १५४ नक़शा नम्बर ७ नक़शा इन्तिक़ाली याने तग़ैयुरात का [illegible] इस नक़शे की ख़ाने पुरी की हिदायतें और उसकी तरतीब का म[illegible] दफ़आत २२० से २३१ तक मिल्कियत के तग़ैयुरात की बहस [1] में मुन्दरिज हैं ❖

[1] [illegible] दफ़आत इस रिसाले में दफ़आत २२२ से २३३ तक मुन्दरिज हैं ❖

तितिम्मा नम्बर १८

मुतअल्लिक़े दफ़ा २५३

इक़्तिबास दफ़ा २४ चिट्ठी हुक्काम वाला मुक़ाम कोर्ट आफ़ डाइरेक्टर्स बहादुर मवर्रिख़े २१ अप्रैल सन् १८४१ ईसवी ।

दफ़ा २४ हुक्म मुसर्रेह [illegible] जो बड़े साहब ने तजवीज़ किया हमा[रे] नज़दीक बहुत मुनासिब है और मुआफ़ीदारों को हिफ़ाज़त दायमी [का] फ़ायदा देना हुक्म दोयम मुजविज़ साहब ममदूह पहिले हुक्म के बमूजिब जमीअ मुक़द्दमात मुआफ़ी जिनमें सरकार दावे से बाज़ आवे उन की रपोर्टें ख़ास सदर बोर्ड के हुज़ूर में जिस नक़शे से हुक्काम मज़कू[र] [illegible] तजवीज़ करें की जायगी और जिन मुक़द्दमात में हुक्काम सदर बोर्ड [illegible] वागुज़ाश्त को मन्ज़ूर करेंगे उन का हुक्म क़तई होगा और जिस नमूने में सदर बोर्ड तजवीज़ करेंगे एक सार्टीफ़िकट मुआफ़ीदार को ब[illegible] बहाली उसके हक़ के दिया जायगा ताकि आइन्दा ओहदेदार[ान] [illegible] की मदाख़िलत से बिलकुल महफ़ूज़ रहे ❖

अहकाम गवर्नमेन्ट

मवर्रिख़े १८ अक्तूबर सन् १८४१ ई०

दफ़ा दोयम [illegible] बंगाला के दस्तूरुलअमल के हुक्म २ में मुन्दरिज [illegible] मुआफ़ीदारों को सार्टीफ़िकट मिलें जिससे ब आसानी और तहक़ीक़ा[त]

का इन्सिदाद हो जाय ममालिक मग़रबी में ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं नव्वा
ब लफ्टिनेन्ट गवरनर बहादुर को मन्जूर है कि ऐसा हुक्म यहां भी जारी हो सा
रटीफ़िकट मुख्तसर वज़बान उर्दू और अंगरेज़ी रजिस्टर में जांचने से दर्ज हो
और जब रजिस्टर किसी ज़िला में मुकम्मिल हो जाय तो उसकी नकल मुला
हिज़ा और मंजूरी और साहब सेक्रटरी के दफ़्तर में रहने के वास्ते गवर्नमेन्ट में
भेजी जाय लिहाज़ा सदर बोर्ड इन रजिस्टरों की तरतीब और अताय सार
टीफ़िकट के वास्ते अहकाम मुनासिब तजवीज़ करके नव्वाब लफ्टिनेंट
गवरनर की मंजूरी के वास्ते इरसाल करें *

इन्तिख़ाब दफ़ा २ सरकुलर नम्बर २० मुसद्दरे सदर बोर्ड
मवर्रिख़े ३ सितम्बर सन् १८३९ ईसवी

दफ़ा २ जब हरएक ज़िले में ज़मीन माफ़ी की तहक़ीक़ात मुकम्मि
ल हो जाय तब छोटे क़तआत मुआफ़ी के वास्ते अहकाम जारी होंगे और
इस नक़शे से कैफ़ियत मुरत्तब होगी *

नक़शा आराज़ियात मुआफ़ी दायमी ज़िले फ़लां

नाम परगनः	नाम मौज़ा	तादाद ज़मीन अज़रूय मसाहत	क़िस्म मुआफ़ी	बाराज़ाइन्द के हुक्म अख़ीर की तारीख़ और क़िस्म के इजरास में	कैफ़ियत

नक़्शा आराज़ियात मुआफ़ी हीन हयात ज़िले फ़लां

नाम परगना	नाम मौज़ा	तादाद ज़मीन मज़रुआ मय मन्मादन	नाम काबिज़	उमर काबिज़	हुलया काबिज़	जब्त होने की तारीख़	कैफ़ियत

मज़मून सदर बोर्ड माल मुवर्रिखे ३१ अगस्त सन् १८४१ ई०

हुक्म दिया जाता है कि रियासत के हर ज़िले की बाबत कुल मुआफ़ी जात मज़्कूर दह बीघा के नक़्शाजात मुकम्मिल नमूने ज़ैल के मुताबिक़ मुरत्तब करके भेजे जावें ॰

१	२	३	४	
नाम परगना	नाम मौज़ा	नाम क़ाबिज़	तादाद आराज़ी मुआफ़ी	
			वैरान	मुतअल्लिक़ मज़रूअ

२ यह रजिस्टर और वह जो सरकुलर नम्बर १८ मुवर्रिखे ३ सितम्बर सन् १८३९ ईसवी की रू से बाबत आराज़ी ज़्यादः अज़ दह बीघा के मतलूब हैं याने अव्वल रजिस्टर मुआफ़ी दायमी और दूसरा हीन हयात का सब एक पैमाने के हों ताकि उन के मिलाने से ज़िले की हर क़िस्म मुआफ़ी के रजिस्टर मुरत्तब और मुकम्मिल बनें ❖

तितम्मः नम्बर १९ की तशरीह ॥

मालगुज़ारी रजिस्टर का बयान और उसके ख़ानः पुरी की हिदायतें

ख़ाना १ हत्तुलइमकान तरतीब रदीफ़वार हो नम्बर शुमार हर साल बदला करैगा और ख़ाना ४ के बमूजिब होगा न ख़ाना २ के मुवाफ़िक़ ख़ाने २ और ३ इन में जो मुहालात मुन्दरिज हैं सालगुज़श्ता के रजिस्टर से यकसाँ हो ख़ाना ४ और ५ जो मुहाल इस साल में इकट्ठा हुए हैं ख़ाने ५ में एक दूसरे के बाद मुन्दरिज होंगे और बड़ा मुहाल जिस्से देहात मख़लूत तमीज़ पाते हैं ख़ाने ४ में मुन्दरिज होगा ख़ाने ६ और ७ रजिस्टर सालगुज़श्ता के मुवाफ़िक़ होंगे ख़ाने ८ इस ख़ाने में जो शख़्स मुहाल मुन्दर्जे ख़ाने ४ का मालिक और क़ाबिज़ ज़ाहिरी है मुन्दरिज होगा ख़ाने ९ जिस हाल में कि ज़ाहिरी मालिक से नहीं बल्कि किसी और से तहसीलदार ज़र मालगुज़ारी तलब करता है मसलन सरकारी मुस्ताजिर या ठेकेदार या कारिन्दा या मुरतहिन इस में मुन्दरिज होगा और जिस वजह से मुहाल का एहतमाम करता है नाम के बाद लिखी जायगी जब मालिक ख़ुद अपनी मिल्कियत का इन्तिज़ाम करता हो यह ख़ाना ख़ाली रहैगा ख़ाना १० सालगुज़श्ता के रजिस्टर से मुताबिक़ होगा ख़ानें ११ इस ख़ाने में वही मीज़ानें मुन्दरिज होती हैं जो नक़्शा क़िस्तबन्दी में होनी चाहियें हर अलाहिदा मुहाल या मौज़ा की क़िस्तबन्दी जुदागाना बनानी ज़रूर न होगी ख़ाने १२ जहां कुछ तबदील नहीं हुई इस ख़ाने में कुछ न लिखा जायगा ❖

वाज़ह हो कि रजिस्टर सरनौ से शुरू होने वक़्त ख़ानेजात २ और ३ और ६ और ७ और १० ख़ाली होंगे बारवें ख़ाने में तहसीलदार मुफ़स्सल कैफ़ियत लिखै कि मरातिब मुन्दर्जा नक़्शा किस हुक्म से हुए और ज़रूर है कि साहब कलक्टर इन मरातिब को बवजह अहसन इम्तिहान करैं

[illegible] जिस वक़्त किसी तब्दील का कोई हुक्म काफ़ी नहीं ज़ाहिर होजा-
[illegible] जब किसी मुक़ाम में इन्तिक़ाल क़बज़े का विरासत के बमू-
[illegible] हुआ हो मगर रपोर्ट उसकी नहीं हुई या मुहालात के किसी दरख़्त
[illegible] बन्दोबस्त की मन्ज़ूरी न हुई हो जब इस तरह के तग़य्युरात हुए
[illegible] उनकी रपोर्ट भी हुई मगर हुक्म नहीं आया तहसीलदार उन म-
[illegible] को असली रजिस्टर के मुताबिक़ मुन्दरिज करके तबदील की
[illegible] जावेगी चुनांचे नक़्शे के चौथे नम्बर में इस तरह का मुक़द्-
[illegible] के वास्ते मुन्दरिज है ॥

तितिम्मा नम्बर २०

मुतअल्लिक़े दफ़ा १९६ ॥

सरकुलर हुक्म सदर दीवानी अदालत मग़रबी नम्बर १२०४

मुवर्रिख़े १ सितम्बर सन् १८४७ ईसवी

दफ़ा १ हुक्काम सदर दीवानी को इशारा हुआ कि अगर शरायत मुन्दर्जे ज़िम्न ७ दफ़ा २४ कानून ४२ सन् १८०३ ईसवी मरई रहैंगी तो रजिस्टरी के काग़ज़ात पर रुजू करने में ज़्यादा आसानी और वसायक़ में तहरीफ़ और तबदील का बख़ूबी इन्सिदाद होगा चुनांचे ज़िम्न मज़कूर में हुक्म है कि साहबान रजिस्टर वसायक़ ज़मीन के इन्तिक़ालात की बाबत जो सराहतें उन के रजिस्टरों में मुन्दरिज होते हैं उनके जुज़्व साहब कलक्टर के पास भेजा करें ✦

दफ़ा २ तरतीब दफ़ातिर कलक्टरी के तरीक़े का बयान इस महल पर ज़रूर नहीं है हुक्काम सदरदीवानी को ऐसा हुआ है कि अगर इस तरतीब सरिश्ता पर अच्छी तरह अमल किया जाय तो यक़ीन है कि हर एक इन्तिक़ाल वाक़ई बाबत दख़्ल मालिकाना के वाजिबी हो ख़्वाह ग़ैर वाजिबी में तसरीह उन वजूह के जिनपर इन्तिक़ाल मज़कूर मबनी है और भी जिस तरीक़े से इन्तिक़ाल क़ब्ज़ा अमल में आया साहब कलक्टर के दफ़्तर से दरयाफ़्त हो सक्ता है ✦

दफ़ा ३ हुक्काम सदर दीवानी साहबान सदर बोर्ड की सलाह से हुक्म देते हैं कि जब कोई दस्तावेज़ व निसबत मिल्कियत ज़मीन के किसी रजिस्टरी के दफ़्तर में रजिस्टरी कीजाय तो साहब रजिस्टर लवाज़िम रजिस्टरी की तकमील करके नक़ल दस्तावेज़ मज़कूर की जो बहुत सेहत और एहतियात से लिखी गई हो मै नक़ल जुमला काग़ज़ात मुतअल्लिक़ा उसके बलफ़्ज़ बकारी अलाहदा उस ज़िले के साहब कलक्टर के पास जहां मिल्कियत मुतअल्लिक़े दस्तावेज़ वाक़े हो भेज दें और काग़ज़ात मज़कूरा के भेजने में मुतलक़ ताख़ीर जायज़ नहोगी और ज़रूर होगा कि नक़ल अच्छी तरह असिल से मुक़ाबला कीजाय और बनाईद सेहत दस्तावेज़ मज़कूर के दस्तख़त साहब रजिस्टर के सब्त हों ✦

दफ़ा ४ साहब कलक्टर काग़ज़ात मज़कूर पाने के वक़्त बमूजिब अहकाम इमरोज़ा मजरिये साहबान सदर बोर्ड के कारबन्द होंगे ✦

दफ़ा ५ साहबान रजिस्टर को लाज़िम होगा कि हर महीने के आख़ीर अपनी अन्डकस बही नम्बर २ का इन्तिख़ाब जिसमें हाल दस्तावेज़ात मुतअल्लिक़े

दफ़ा ३ नज़र बरीं मतलब जिस रूबकारी के साथ कोई वसीक़ा ख़ाह चंद वसायक़ आवें उसकी पुश्त पर हुक्म इस मज़मून का तहरीर करें कि वसीक़ा या वसायक़ दफ़्तर में रक्खे जावें ॥

दफ़ा ४ वसीक़ः ख़ाह वसायक़ मज़कूरा की एक अलाहदा मिसिल बनाकर जिस मौज़े के मुतअल्लिक़ हो उसी बस्ते में रक्खी जायगी और मौज़ेवार फ़ेहरिस्त आम के एक ख़ाने जदीद में मुन्दरिज किया जाय जिस का उनवान यह चाहिये वसायक़ रजिस्टरी जिस हाल में कि वसीक़ा या वसायक़ मज़कूरा मूजिब तबदील क़बज़ा मालिकाना के हों इस सूरत में एक नई मिसिल बनाई जाय और दाख़िल ख़ारिज के ख़ाने में उसका हाल मुन्दरिज किया जाय ॥

दफ़ा ५ जो वसायक़ एक रूबकारी के साथ आये हैं अगर दो तीन मौज़ा से इलाक़ा रखते हों चाहिये कि उस मौज़ा के बस्ते में शामिल किये जांय जो औरों से बड़ा और मशहूर हो और जाकड़ बज़िक्र उसके हर गांव के बस्ते में रक्खा जांय जिनसे वसायक़ मज़कूर मुतअल्लिक़ हों ॥

दफ़ा ६ दफ़ा ४ सरकूलर सदर दीवानी मज़कूर में हुक्म है कि साहब रजिस्टर फ़ेहरिस्त रजिस्टरी नम्बर २ का एक माहवारी इन्तिख़ाब साहब कलक्टर के पास भेजा करें चाहिये कि उसके पहुंचने के वक़्त साहब कलक्टर मुहाफ़िज़ दफ़्तर को हुक्म दें कि जो वसायक़ फ़िलवाक़ै आये हैं उस से मुक़ाबला करें और जो फ़र्क़ या ग़लती हो पेश करें और जो कुछ ग़लतियां निकलें उनकी इसलाह के वास्ते साहब रजिस्टर के साथ तदबीर मुनासिब करें ॥

दफ़ा ७ दरसूरते कि इन्तिज़ाम मज़कूरे बाला एहतियात से जारी हो तो दरयाफ़्त करना इस अम्र का कि फ़लां वसीक़ा साहब कलक्टर के दफ़्तर में किस जगह है कुछ मुशकिल न होगा सायल को सिर्फ़ परगनः और मौज़ा का निशान देना पड़ैगा ॥

दफ़ा ८ इजराय हुक्म मुनासिब और दफ़्तर में बहिफ़ाज़त वसीक़ा के पहुंचने के लिये सरिश्तःदार ज़िम्मेदार होगा और मुहाफ़िज़ दफ़्तर के ज़िम्मे होगा कि साहब कलक्टर का हुक्म और शरायत इस दस्तूरुलअमल की तमाम और कमाल अमल में आवें ॥

दफ़ा ९ साहबान कमिश्नर को एहतियात करनी वाजिब है कि उन की क़िसमत में इस सरकूलर के अहकाम बदुरुस्ती अंजाम होते रहें और

[illegible] और ग़ल्ती की वक्त मज़ाय मुनासिब की जाय ॰

तितिम्मानम्बर २१

मुतअल्लिके दफ़ा २०५

इश्तिहार नवाब लफ्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर मुतअल्लि-

क़ा दफ़्तर माल मरकूमे २८ नवम्बर सन् १८४८ ईसवी।

चूंकि जिन शर्तों पर अज़लाअ मग़रबी व शिमाली में आराज़ियात उफ़्तादा मम्लूके गवर्नमेन्ट व सीरी ग्रंट¹ [¹ ग्रंट याने ज़मीन रिआयती सरकार] इनायत व अता की जाती हैं उनमें बहुत इख्तिलाफ़ पाया जाता है इसवास्ते नवाब लफ्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर ममालिक मग़रबी व शिमाली दस्तूरुलअमल मुफ़स्सिले ज़ैल काग़ज़ात सरिश्ता से मुरत्तब कराके हिदायत व इत्तिला के वास्ते मुश्तहिर फ़रमाते हैं अव्वल दस्तूरुलअमल वास्ते अताय ग्रंट आराज़ियात आफ़्तादा वाक़े अज़लाअ मग़रबी व शिमाली के दोवम ग्रन्ट डेवा-न्ट याने सनद का नमूना जो तज्वीज़ होकर बना है सोवम आराज़ियात उफ़्तादा को ग्रन्ट के लिये जुदे जुदे क़तआत में तक़सीम करने की हिदायतें अहलकारान पैमाइश के नाम अव्वल दस्तूरुलअमल दरबाब अताय ग्रंट आराज़ियात उफ़्तादा मम्लूके गवर्नमेन्ट वाक़े अज़लाअ मग़रबी व शिमाली ॰

दफ़ा पहिली किसी ग्रन्ट का रक़बा कुल चार हज़ार एकड़ क़ाबिल ज़िराअत ज़मीन से ज़्यादा नहोगा ॰

दफ़ा दूसरी जब तक कि ज़मीन नप कर नक़्शा न बनजाय और क़ाबिल ज़िराअत और ग़ैर मुमकिनुल ज़िराअत की तादाद मालूम नहोले तब तलक न कोई ग्रन्ट न दीजायगी जब मरातिब मज़कूरा तहक़ीक़ हो जांय बाद्हू उसके बाब में ग्रन्ट लेनेवाले को कुछ जाय उज़्र न रहैगी ॰

दफ़ा तीसरी ग्रन्ट में जितनी ज़मीन क़ाबिल ज़िराअत हो उसके तीन चौथा पर जमा लगाई जायगी बाक़ी कुल ज़मीन ग़ैर मुमकिनुल ज़िराअत और एक रुबा क़ाबिल ज़िराअत पट्टा की मीआद तक अहलग्रन्ट के इ-ख्तियार में रहैगी बशर्तेकि [illegible] पट्टा को अमल में लावे और बाद इन्क़िज़ाय मीआद पट्टा कुल ज़मीन ग्रन्ट उसी की मिल्कियत समझी जायगी और जिन शर्तों पर कि और आराज़ियात ख़िराजी मालिक के [illegible] में रहती हैं उसी तरह यह भी रहैगी ॰

दफ़ा चौथी आराज़ियात ग्रन्ट पर ब शरह मुन्दर्जे ज़ैल जमा मुक़र्रर होगी और यह तक़र्रुर जमा का इस क़यास से किया जायगा कि ज़मीन खिराजी याने तीन रुबा क़ाबिल ज़िराअ़त से पहिले बीस बरस में हर बरस बीसवां हिस्सा मज़रूआ होता जाता है तो इस हिसाब से उनतीसवें बरस में जमा अपनी हद्द कामिल को पहुंच जायगी और ठेका पचास बरस की मीआ़द के वास्ते होगा ॰

दफ़ा पांचवी जिस क़दर ज़मीन मज़रूआ होती जायगी उस पर फ़ी एकड़ महसूल तफ़सील ज़ैल के मुताबिक़ लिया जायगा ॰

नक़्शा इज़्दियाद जमा बहिसाब ३२ गंडा २० गंडे का एक आना होता है ॥

तफ़सील साल	रूपिया	आना	गंडा
पट्टे के पहिले तीन साल	० ० ०	० ० ०	० ० ०
चौथे साल	० ० ०	३)	० ० ०
पांचवे साल	० ० ०	।)	११
छठे साल	० ० ०	।=)	२
सातवें साल	० ० ०	।≡)	१३
आठवें साल	० ० ०	॥=)	४
नवें साल	० ० ०	॥≡)	१५
दसवे साल	० ० ०	॥।)	६

दफा सातवीं आराज़ियात ग्रन्ट की सड़कों में खास आम के इस्तह्काक़ में मौहूब अलह को जाय मुज़ाहिमत नहोगी और अहल ग्रन्ट से इखराज़ात सड़क के वास्ते जमा पर फी सदी एक रुपया भी लिया जायगा मगर उस रसूम के दावे से अहल ग्रन्ट किसी रास्ते खानगी के बनाने में सरकारी इआनत का मुस्तहक़ नहोगा ॥

दफा आठवीं अगर पट्टे के पहिले साल अहल ग्रन्ट अपनी ज़मीन का तरद्दुद शुरू न करेगा तो ठेका फ़िस्ख हो जायगा और सरकार ज़मीन वाज़याफ़ कर के जिसके साथ मुनासिब जानै बन्दोबस्त करेगी ॥

दफा नवीं अगर पट्टे के पहिले पांच साल में ज़मीन मालगुज़ारी से एक रुबा का जंगल कट कर तरद्दुद नहोगा तो सरकार को इख्तियार होगा कि बाकी ज़मीन ग़ैर मज़रूअः वाज़याफ़ कर ले और अहल ग्रन्ट से रुबा मज़कूर में जो ज़मीन ग़ैर मज़रूअः निकलैगी उस पर फी एकड़ चार आना जुर्माना ले ॥

दफा दसवीं अगर दस बरस में कुल ज़मीन मालगुज़ारी से निस्फ ज़मीन का जंगल कट कर तरद्दुद न होगा तो सरकार को इख्तियार होगा कि बाक़ी ज़मीन ग़ैर मज़रूअः वाज़याफ़ करले और दूसरे निस्फ में जो ग़ैर मज़रूअः निकले उसपर फी एकड़ चार आना के हिसाब से जुर्माना ले ॥

दफा ग्यारवीं अगर बीस बरस में कुल ज़मीन मालगुज़ारी का जंगल काट कर तरद्दुद न हो जायगा गवर्नमेन्ट को इख्तियार होगा कि ग्रैंट की बाकी ज़मीन ग़ैर मज़रूअः वाज़याफ़ कर के ग़ैर मज़रूअः ज़मीन के हर एकड़ पर चार आने के हिसाब से अहल ग्रन्ट पर जुर्माना करे ॥

दफा बारवीं जो जुर्माना दफ़आत ९ और १० और ११ के मुताबिक किया जायगा वह जमीन मज़रूअः से उसी तरह वसूल होगा जैसे कि सरकार की बाकियात माल ज़मीन खिराजी से वसूल की जाती है मगर अहल ग्रन्ट की ज़ात और दूसरी जायदाद से उसकी बाबत कुछ मवाखिज़ा नहोगा ॥

दफा तेरवीं जबकि दफ़आत ९ और १० और ११ के मुताबिक किसी ग्रन्ट की ज़मीन ग़ैर मज़रूअः गवर्नमेन्ट के क़ब्ज़े में आए और अहल ग्रन्ट अपना जुर्माना अदा करदे तो ज़मीन मज़रूअः और उसका मुल्हक़ सुल्स मिला कर और जितनी ग़ैर मुमकिनुल ज़िराअत गवर्नमेन्ट मुनासिब

[illegible] नया ग्रन्ट बनावे और उसी अह्ल ग्रन्ट को दे जिस
[illegible] वह नया ग्रन्ट दिया जायगा वह उसी तरह के मुताबिक़ होगी
[illegible] में मज़कूर हुई याने इस शुमार से कि गोया इस्तिम्रा-
र [illegible] ज़मीन मज़रूआ का अह्ल ग्रन्ट के हर साल में बहिस्से
[illegible] हुआ जो ग्रन्ट जदीद इस तरह से मुक़र्रर होगा उसकी
[illegible] मुक़र्रर की जाय गी और पैमायश होकर नक़शा उसी तरह बने
[illegible] मुहाल का बनता है और बन्दोबस्त मीआद ग्रन्ट सा-
[illegible] याने पचास बरस के वास्ते होगा ॰

दफ़ा चौदहवीं इस अम्र की तहक़ीक़ात के वास्ते कि जो शर्तें दफ़-
आत ८ और ९ और १० और ११ में लिखी हैं करार वाक़ई अमल में आती
हैं या नहीं गवर्नमेन्ट को इख़्तियार होगा कि जब चाहे आराज़ियात ग्र-
न्ट की पैमायश करे और अगर देखे कि शर्तों के मुताबिक़ रक़बा नहीं जो-
ता गया तो बज़ाय मुआयना अह्ल ग्रन्ट को दे ॰

दफ़ा पंदरवीं जितनी आराज़ियात इस दस्तूरुल अमल के मुताबि-
क़ बसीग़े ग्रन्ट दी जांयगी उनकी आराज़ियात मज़रूआ बतौर मुहा-
लात खालसा तसव्वुर की जांयगी याने जिस तरह कि मुहालात खिराजी
के बाबत यकबारगी मुन्दर्जे आईन मुतअल्लिक़ हैं उसी तरह उनसे भी
होंगे और अह्ल ग्रन्ट मुहालात के ज़मींदार और मालिक समझे जांयगे
और जो ज़िम्मेदारियां क़ानून की रू से खालसा मुहालात के ज़मींदारों
से मुतअल्लिक़ हैं उनसे भी होंगी ॰

दफ़ा सोलहवीं अह्ल ग्रन्ट को ज़मीन बसीग़े ग्रन्ट लेने से ज़िराअत का
[illegible] होता है और जो कुछ ज़मीन मज़रूआ में पैदा हो उस का-
मालिक रहता है मगर जो चीज़ें कि ज़मीन में अज़ खुद पैदा होती हैं या
[illegible] ज़मीन के नीचे हों या ऊपर उनका इस्तहक़ाक़
[illegible] कोई अग़राज़ अह्ल ग्रन्ट के सिवाय अग़राज़ मज़कू-
[illegible] रहे हैं उनसे अह्ल ग्रन्ट कुछ मुज़ाहिमत न क-
[illegible] उसकी आराज़ियात मज़रूआ में मदाख़िलत
[illegible] लेकिन जहां इन अशया का किसी को यह इस्त-
[illegible] गवर्नमेन्ट खुद अपने मसरफ़ के वास्ते न चाहे
[illegible] को इजाज़त दे कि अपने काम में लावें मगर उन के म-
[illegible] कि गवर्नमेन्ट ने मुक़र्रर की हों या आइन्दा मुक़र्रर करे

अमल में लानी होगी ÷

दफ़ा सत्तरवीं रिफ़ाह आम के वास्ते अह्ल ग्रन्ट को हर भाठ घर काश्तकारों पर जो उस ज़मीन में रहते हैं एक चौकीदार रखना पड़ेगा और उसको या तो पांच एकड़ अच्छी ज़मीन मज़रूअः जागीर मिलेगी या मुशाहरा मिलेगा जो २॥) रुपया माहवारी से कम नहो हर तीन चौकीदारों पर एक गुड़इत या विलाहर तीन एकड़ अच्छी ज़मीन या मुशाहरा पर जो ७) रुपये माहवारी से कम न हो अह्ल ग्रन्ट की तरफ़ से रहैगा ÷

दफ़ा अट्ठारःवीं अह्ल ग्रन्ट को लाज़िम होगा कि ज़मीन मज़कूर पर अपनी तरफ़ से तूदा मुस्तहकम बंधवावे ताकि उसकी आराज़ी की हदें मालूम रहें ÷

दफ़ा उन्नीसवीं जो इख्तियार गवर्नमेन्ट का तमाम नहरों पर है आराज़ियात ग्रन्ट की नहरों पर भी रहेगा ख़ाह वह आबपाशी ख़ाह किश्ती चलाने के लिये अमल में आता है गवर्नमेन्ट जब कभी मुनासिब जाने नहियों को अपने इख्तियार में लेकर जिस तरह और जिन शर्तों पर चाहे उनका पानी तक़सीम करे मगर उन नहियों का इख्तियार लोगों को सिर्फ़ गवर्नमेन्ट की खास इजाज़त से मिल सकैगा ÷

दफ़ा बीसवीं जब शरायत मुफ़स्सिले बाला के मुताबिक़ कोई शख़्स ग्रन्ट के वास्ते दरख़ास्त गुज़राने तो ग्रन्ट नीलाम पर चढ़ाया जायगा और जो कोई नीलाम में सब से ज़्यादा क़ीमत देगा उसी को मिलैगा और अगर कोई दूसरा शख़्स ख़ाहां नहोगा तो दरख़ास्त दिहन्दा को उन्हीं शर्तों के बमूजिब इनायत होगा ÷

दोवम नमूना वारन्ट याने सनद ग्रन्ट का ॥

इस सनद से हर खास व आम पर वाज़ह हो कि नव्वाब लफ़्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर ममालिक मग़रबी और शिमाली मुसम्मा और उस के वारिसों और वसीयों और मुख़्तारों और कारिन्दों को एक किता आराज़ी जंगल नादारी एकड़ वाक़े बसीगे ग्रन्ट इनायत फ़रमाते हैं कि शरायत मुफ़स्सिले ज़ैल के मुताबिक़ वह आराज़ी अब से पचास बरस तक उस के क़ब्ज़े और तसर्रुफ़ में रहेगी ÷

अव्वल अह्ल ग्रन्ट पर लाज़िम होगा कि बीस बरस में कुल आराज़ी

ज़मीन का तरद्दुद बमूजिब मुफ़स्सिले ज़ैल करे सिवाय   एकड़ आराज़ी
जो मुस्तस्नियात और एक रुबा याने   एकड़ बाक़ी ज़मीन का
मुस्तस्नियात के जिसके बाब में गवर्नमेन्ट ने मन्ज़ूर किया है कि दर
सूरत बहाली शरायत पट्टा के अहल ग्रन्ट के तसर्रुफ़ में रहैगी +

दोयम अगर पहिले साल में ज़मीन का तरद्दुद शुरू नहोजायगा
तो बन्दोबस्त फ़िस्ख़ होकर सरकार को इख़्तियार होगा कि ग्रन्ट बाज़या-
फ़्त करले और जिस तरह मुनासिब जाने उसका बन्दोबस्त करे +

सोयम अगर पहिले तीन बरस में   एकड़ ज़मीन का तर-
द्दुद शुरू नहोगा तो गवर्नमेन्ट को इख़्तियार होगा कि सब ग़ैर मज़रू-
अः ज़मीन बाज़याफ़्त करके जिस तरह चाहे उसका बन्दोबस्त करे औ
र   एकड़ों में से जितनी ज़मीन ग़ैर मज़रूअः रहैगी उसकी फ़ी एक-
ड़ चार आने के हिसाब से अहल ग्रन्ट पर जुर्माना होगा +

चहारुम अगर दस बरस में   एकड़ ज़मीन का तरद्दुद न
होगा तो ग़ैर मज़रूअः ज़मीन के बाज़याफ़्त करले का गवर्नमेन्ट को इख़्ति-
यार होगा और जो   एकड़ों में ग़ैर मज़रूअः रहैगी फ़ी एकड़ चार आ-
ने के हिसाब से अहल ग्रन्ट पर जुर्माना किया जायगा +

पंजुम अगर बीस बरस में   एकड़ ज़मीन का तरद्दुद न
होगा तो गवर्नमेन्ट को ग़ैर मज़रूअः ज़मीन के बाज़याफ़्त करने का इ-
ख़्तियार होगा और जो   एकड़ में ग़ैर मज़रूअः रहैगी उसके फ़ी
एकड़ चार आने के हिसाब से अहल ग्रन्ट पर जुर्माना किया जायगा +

शशुम जो जुर्माना कि अहल ग्रन्ट पर ऊपर की दफ़ओं में कि-
सी के मुताबिक़ किया जायगा वह मज़रूअः ज़मीन से उसी तरह
वसूल होगा जिस तरह सरकार की बाक़ियात माल वसूल की जा-
ती है अगर अहल ग्रन्ट और उसकी दूसरी जायदाद से कुछ मवाख़ि-
ज़ा नहोगा +

हफ़्तुम जिन्सबन्दी सुरहिन्नि मुक़ाम   के मुताबिक़ हर
साल जमा मुफ़स्सिले ज़ैल अहल ग्रन्ट से ली जायगी +

साल फ़सली	जमा	साल फ़सली	जमा
पहिले साल	०	१६ साल	०
२ साल	०	१७ साल	०
३ साल	०	१८ साल	०
४ साल	०	१९ साल	०
५ साल	०	२० साल	०
६ साल	०	२१ साल	०
७ साल	०	२२ साल	०
८ साल	०	२३ साल	०
९ साल	०	२४ साल	०
१० साल	०	२५ साल	०
११ साल	०	२६ साल	०
१२ साल	०	२७ साल	०
१३ साल	०	२८ साल	०
२४ साल	०	२९ साल	०
१५ साल	०	५० साल तक	०

हस्तुल आराज़ियात ग्रन्ट की सड़क में जो खास आम हकूक रखते हैं उन में किसी तरह की मुज़ाहिमत न होगी और वाहद ग्रन्ट में ज[illegible] मा कुल पर फ़ी सदी ५) रुपया खर्चा सड़क के वास्ते व [illegible] और [illegible] नालचात मरम्मत सड़क के लिया जायगा सिवाय सड़क आम के लिये

कुएं सड़क के बनवाने या मरम्मत कराने में अहल ग्रन्ट को गवर्नमेन्ट से हर्जान
न मांगने का इस्तहक़ाक़ न होगा ॥

नहुम ज़मीन की पैमायश बहिसाब अंगरेज़ी एकड़ के जो चार हज़ार
गज़ की चालीस गज़ मुरब्बा का होता है हुआ करैगी और गवर्नमेन्ट को इख़्ति-
यार होगा कि जब चाहै ज़मीन को नापे ता मालूम रहै कि शर्तों के मुताबि-
क़ क़ब्ज़ का तरद्दुद अर्से मुऐयना में हुआ या नहीं ॥

दहुम अहल ग्रन्ट को लाज़िम होगा कि अपनी ज़मीन के चारों तरफ़
हदबन्दी पायदार करा ले और उनकी मरम्मत कराता रहै ॥

याज़दहुम ग्रन्ट की अराज़ियात मज़रूअः बतौर मुहाल ख़ालसा
के शुमार की जायगी याने बतौर मुहालात मालगुज़ारी के होगी और क़वा-
नीन जिस तरह मुहालात ख़ालसा में मुतअल्लिक़ हैं उससे भी होंगे अहल
ग्रन्ट तामीआद पट्टा बतौर मालिक ख़ालसा के तसव्वुर किया जायगा और
जितने लवाज़िमात क़ानून की रू से मुहालात ख़ालसा के मालिकों से मु-
तअल्लिक़ हैं उससे भी मुतअल्लिक़ होंगे ॥

दुवाज़दहुम इस सनद से अहल ग्रन्ट को ज़िराअत और ज़मीन मज़रू-
अः की पैदावार का इस्तहक़ाक़ होगा मगर जो चीज़ें कि ज़मीन में अज़-
ख़ुद पैदा होती हैं या मादनियात वग़ैरः ज़मीन के ऊपर हों या नीचे उन-
का इस्तहक़ाक़ न होगा जहां कहीं अहल ग्रन्ट के सिवाय और अशख़ास
अशयाय मज़कूरा को तसर्रुफ़ में लाते रहे होंगे उन से अहल ग्रन्ट कुछ मुज़ा-
हिमत न करैगा जब तक कि उसकी अराज़ियात मज़रूअः में मुदाख़िलत
या नुक़सान न करें लेकिन जहां इन अशया का किसी को इस्तहक़ाक़
न हो वहां अगर गवर्नमेन्ट ख़ुद अपने मसरफ़ के वास्ते न चाहै तो अहल
ग्रन्ट को इजाज़त दे कि अपने मसरफ़ में लावै मगर जो शर्तें कि गवर्नमे-
न्ट उन के ऊपर मुक़र्रर की हों या आइन्दा मुक़र्रर करै अमल में ला-
नी होंगी ॥

सेज़दहुम रिफ़ाह आम के वास्ते अगर साहब मजिस्ट्रेट चाहैं तो
अहल ग्रन्ट को हर आठ घर या कुनबों के लिये जो वहां बस्ते हों एक चौ-
कीदार मुक़र्रर करना पड़ेगा कि तनख़्वाह उसकी या तो पांच एकड़ ज़मीन मज़-
रूअः बतौर जागीर होगी या मुशाहरा नक़द मिलैगा जो ३।) रुपया मा-
हवारी से कम न हो हर तीन चौकीदारों पर एक गुड़इत या चिलादार ब-
तौर जागीर तीन एकड़ अच्छी ज़मीन मज़रूअः के या ब मुशाहरे नक़द के

जो २) रुपये माहवारी से कम नहो अह्ल ग्रन्ट की तरफ़से रहेगा ॰

चहारदहुम जो इख़्तियार गवर्नमेन्ट का तमाम नहरों पर है आबा-ज़ियात ग्रन्ट की नहरों पर भी रहेगा ख़्वाह आबपाशी के वास्ते ख़्वाह किश्तियों की आमदरफ़्त के लिये दरकार हों और जब कभी फ़वाइद आम्मके लिये मुनासिब जाने गवर्नमेन्ट उन नद्दियों को अपने इख़्तियार में लेकर जिस तरह और जिन शर्तों पर चाहे उनका पानी तक़सीम करे और उन नद्दियों का इख़्तियार उन लोगों को सिर्फ़ गवर्नमेन्ट की ख़ास इजाज़त से मिलसकेगा ॰

पांज़दहुम जिस क़दर ज़मीन इस ग्रन्ट में शामिल है नक़्शा मुन्ज़ैं ज़ैल से वाज़ह होगी ॰

नम्बर मुताबिक़ नक़्शः	ग्रन्ट यानी क़िताः ज़मीन का नाम	अह्ले ग्रन्ट का नाम	रक़्बा कुल व हिसाब एकड़	मिनजुम्ले बाबत अराज़ी ग़ैरमुमकिन नाक़ाबिल ज़िराअत	बाक़ी ज़मीन क़ाबिल ज़िराअत	मिनजुम्ले उसके एक रक़्बा मिस्ल ज़मीनात क़ाबिल ज़िराअत [illegible]	रक़्बा जिस पर जमा लगेगी

हुदूद ग्रन्ट
- शिमाली . . . .
- मशरक़ी . . . .
- जनूबी . . . .
- मग़रबी . . . .

और अगर अह्ल ग्रन्ट इन सब शर्तों को क़रार वाक़ई बजा लावेगा तो वह ज़मीन बाद इन्क़िज़ाय मीआद अह्ल ग्रन्ट के क़ब्ज़े में इन्हीं शर्तोंपर रहेगी और क़ानून की रू से वह लवाज़िम उससे मुतअल्लिक़ होंगे जोज़िला मग़रबी और शिमाली के देहात ख़िराजी से मुतअल्लिक़ हैं ॰

नवाब लफ़्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर ममालिक मग़रबी व शिमाली के हुक्म से तारीख़ को जारी हुआ — अलअब्द साहब सक्रटरी गवर्नमेन्ट

सोवम

आराज़ियात मोक़ादः को ग्रन्ट के लिये क़ितओं में तक़सीम करने के वास्ते सहल पैमायश की हिदायतें ॥

१ जितनी ज़मीन मुतअल्लिक़े गवर्नमेन्ट ग्रन्ट के लिये तजवीज हो ज़रूर है कि उसका हलक़ा नाप लिया जाय ताकि उसकी हद्दूद सही हु और मुशख्ख़स हों ✢

२ तब उस ज़मीन को क़तओं में जो तख़मीनन चार चार हज़ार एकड़ के हों तक़सीम करना चाहिये और हत्तुलइमकान हदें उन क़तआत की क़ुदरती जैसे दरया वग़ैरा रहें और इस बात की भी इहतियात हो कि हर क़ितअ में हत्तुलवसा यकसां गुंजायश की ज़मीन आवे सिवाय इन चार हज़ार एकड़ मुऐयना के किसी क़दर ज़मीन ग़ैर मुमकिनुलज़िराअत भी मुलहिक़ करनी चाहिये ताकि क़ितअ बतौर हलक़ेबन्दी के हो और कज और पेच निकल जाय ✢

३ जहां मुस्तहकम निशान हुद्दूद के बनाने होंगे वहां चाहियेकि फ़िलहाल मिट्टी या पत्थर या लकड़ी से जो मुनासिब हो तूदे बंधवाये जायें और यह निशान नक़शे में किसी तौर मुनासिब से ज़ाहिर रहैं

४ तब हर क़िते की ज़मीन को गिर्द नवाह की उसी क़िस्म ज़मीन मज़रूआ के अन्दाज़े कैफ़ियत से मुक़ाबला करके देखा जाय कि क़ाबिलज़िराअत है या ग़ैर मुमकिन और जैसी हो उसकी क़िस्म का लिख लेना चाहिये ✢

५ जो क़तआत इस तरह बनाये जांय मुनासिब है कि उनकी पैमायश हो और उन पर नम्बर लगाये जांय और एक फ़हरिस्त में हर एक का नम्बर और हुद्दूद और रक़बा क़ाबिल ज़िराअत व ग़ैर मुमकिनुलज़िराअत लिखा जाय ✢

६ हर एक क़ितअ का एक नक़शा बनाया जाय और उसपर क़िते का नम्बर लिखा जाय यह नक़शा फ़ी मैल ४ इंच के पैमाने से बने और उस में क़ितअ की हद्दों के निशान और रक़बा क़ाबिलुलज़िराअत और ग़ैर मुमकिन और मैदान और जंगल और नदियां और नहरें और रास्ता वग़ैरा ज़ाहिर रहें ✢

७ फिर कुल आराज़ी जंगल की सब क़तओं का एक नक़शा

व पैमाने एक इंच की मील बनाया जाय और उसमें हर क़ित्ते की हुदूद और नम्बर और वज़ा अराज़ी ज़ाहिर हो ❖

इश्तिहार

सीग़े माल

मुक़ाम आगरा यकुम मई सन् १८५५ ईसवी

इस ममालिक के गवर्नमेन्ट को दरयाफ़्त हुआ है कि बाज़े मुक़ामों में जहां क़तआत जंगल और ज़मीन उफ़्तादा बमूजिब क़वायद मजरिये मुन्दर्जे तितिम्मा नम्बर २१ हिदायत नामा मालगुज़ारी के अता हुए हैं उन क़तआत की जमा कामिल बमूजिब हिसाब मुऐयना के औसत शरह मालगुज़ारी याने शरह मुजमिलन अराज़ी मज़रूअः व क़ाबिल ज़िराअत देहात ख़ालसा गिर्द नवाह से ज़ायद है ❖

दफ़ा २ गवर्नमेन्ट को मनज़ूर है कि जमा कामिल ऐसे क़तआत की औसत शरह मालगुज़ारी उन देहात ख़ालसा से बिला ख़ास वजह ज़ायद न हो जो किसी परगना व पट्टा वग़ैरा में क़तआत मज़कूर से मुलहिक़ हों और बहालत न होने ख़ास वजह के मिक़दार जमा का तसफ़िया हर एक मुक़द्दमे में अस्ल ग्रन्ट के साथ किया जायगा ❖

दफ़ा ३ हुक्काम माल देखने नक़्शे परगनः सिवाना तुमः और भी बन्दोबस्त के नक़्शे रक़बा व जमा नम्बर ४ से उस परगने के देहात मुलहिक़ा की फ़ेहरिस्त व आसानी तैयार कर सक्ते हैं जिसमें क़तआत मज़कूर वाक़े हों और अगर यह क़तआत सरहद पर हों तो परगना मुलहिक़ा की फ़ेहरिस्त तैयार करनी होगी और औसत शरह मालगुज़ारी जुमला देहात ख़ालिसा जो मुलहिक़ हों इसी तरह पर दरयाफ़्त हो सक्ती है ❖

दफ़ा ४ बाज़ अतराफ़ में परगनात पट्टाजात पर मुनक़सिम हैं और पट्टाजात गिर्द नवाह के देहात ख़ालसा के औसत शरह मालगुज़ारी बन्दोबस्त के नक़्शा नम्बर ४ में मुन्दरिज है ऐसी सूरत में औसत शरह मालगुज़ारी गिर्द नवाह की कमाल आसानी के साथ दरयाफ़्त हो सक्ती है ❖

दफ़ा ५ नज़ीर आइन्दा और मुलाहिज़ा के लिये फ़ेहरिस्तें तैयार करनी चाहिये अकसर जंगल और अराज़ी उफ़्तादा परगनः के मुक़द्दमों

जिस्म में रकबे वाके होती हैं ऐसी हालत में एक फ़ेहरिस्त काफ़ी होगी लेकिन जहां कि वह कतआत मुन्तशिर हों ख़ाह वसीअ परगनात में वाके होते हों तो फ़ेहरिस्त कतअवार दरकार है॥

दफ़ा ६ इन फ़ेहरिस्तों में जो बमूजिब नमूने मशमूला के तैयार हों तो वह देहात ख़ासकर मुन्दरिज होवें जो जंगल व आराज़ी उफ़तादा की कसरत में ५ ता १० मील के अन्दर वाके हैं॥

दफ़ा ७ अलावा उसके साथ नकशःजात बन्दोवस्त मामूली उन अराज़ियात के जो सफ़ाई जंगल की शर्त पर दी जाती हैं एक ज़मीमा या हाशिया बमूजिब नमूना मशमूला भेजना चाहिये ताकि गवर्नमेन्ट को इतमीनान हो कि तशख़ीस जमा में कायदे मुअय्यना अमल में आया है॥

दफ़ा ८ आइन्दा की जमा का शुमार हस्ब तरीके साबिक किया जायगा लेकिन जमा कामिल अक्सर उस वक्त हासिल होगी जबकि हिसाब मुताबिक बन्दोबस्त आस पास के गांव बन्दोबस्ती की औसत शरह मालगुज़ारी के बराबर हो जाय या जहां तक हो सके उसकी हद तक पहुंचे जैसाकि देहात की फ़ेहरिस्त मुतज़क्किरै दफ़ा ५ और ६ से वाज़ह है॥

दफ़ा ९ उस हालत में आगाही गवर्नमेन्ट के लिये वजूह ख़ास लिखनी चाहिये जबकि इस कायदे से इन्हिराफ़ ज़रूर मालूम हो याने जब कि कुल या क़रीब जमा कामिल हिसाब मुजविज़ा साबिक का मुतालबा बावजूद होने ज़ायद आस पास की औसत शरह मालगुज़ारी से मुनासिब मालूम हो॥

नमूना

ज़िला	परगना	नाम मौज़ा ख़ासकर जो जिसका जंगल या मुलहिक़ है॥	शरह रकबा मालगुज़ारी बमूजिब नकशा नम्बर ४॥	औसत शरह मालगुज़ारी॥	कैफ़ियत बाबत मौका कतआत उफ़तादा जिनके वास्ते फ़ेहरिस्त मुरत्तब हुई है॥
१	२	३	४	५	६

फ़ायदा

जहां पर तफ़रीक़ पट्टाजात की हो तो खाने ३ और ४ की खानःपुरी पट्टाजात के हिसाब से करनी चाहिये॰

नमूना

यह क़ित्अः फ़लां परगनः की फ़लां सिम्त में वाक़े है और देखने फ़ह्रिस्त मशमूला से जो दरयाफ़्त इस बात के लिये मुरत्तब हुई है औसत शरह मालगुज़ारी आस पास के गांव ख़ालसा के फ़ी एकड़ व तादाद फ़लां मालूम होती है॰

जोकि औसत मज़कूर से ज़्यादा मुतालबा के वास्ते ख़ास वजूह पाई नहीं जातीं लिहाज़ा जमा कामिल हिसाब मुऐयना के फ़लां साल में हासिल होती है॰

या आंकि अगर वजूहात ख़ास हिसाब मुऐयना की जमा कामिल तलब करने की पाई जांय मसलन जारी होना नहर का व सर्फ़ सरकार ख़ाह मुक़र्रर होना नये और बड़े बाज़ारों वग़ैरा का तो यह सब वजूहात सराहत के साथ लिखी जांय॰

या यह लिखा जाय कि जोकि आस पास के गांव ख़ालसा की औसत शरह मालगुज़ारी हिसाब मुऐयना की जमा कामिल के बराबर है या ज़ायद है लिहाज़ा उस जमा कामिल से कुछ इन्हिराफ़ नहीं हुआ॰

इश्तहार

सरिश्ते माल २६ सितम्बर सन् १८५५ ईसवी

नम्बर २१०६ (अलिफ़) अज़लाअ कमायूं और गढ़वाल वाक़े क़िस्मत कमायूं में वास्ते काश्त चाय के हस्ब शरायत ज़ैल बतवस्सुत ख़ास मोसूमे असिस्टन्ट कमिश्नर आला ज़िला के ज़मीन दी जायगी॰

२ हर एक ग्रन्ट दूसरा एकड़ से कम और दो हज़ार एकड़ से ज़्यादः न होगा एक ग्रन्ट से ज़्यादः एक शख़्स को या एक जमाअत को इस तरह पर मिल सक्ता है कि दरख़ास्त दिहन्दा हाकिम ज़िला को जिसके मुहतमाम में सरिश्ते माल हो तसल्ली करदे कि उसके पास ज़रिये व सामान काफ़ी वास्ते सरंजाम ऐसी बड़ी काश्त व तजारत चाय की है॰

३ एक रुबा आराज़ी ग्रन्ट का व शर्त इत्फ़ाक़ शरायत मुन्दर्जे ज़ैल

तशख़ीस जमा में इन्साफ़ को मलहूज़ रक्खेगा ॥

४ मीआद पहिले ठेके की बीस बरस होगी पहिले चार बरस तक कुल बिला ख़िराज रहेगा पांचवें बरस एक आना फ़ी एकड़ तीन चौथाई यानी हिस्से अर्ज़ पर जो क़ाबिल तशख़ीस जमा है मुक़र्रर किया जायगा और छठे बरस फ़ी एकड़ बहिसाब दो आना और सातवें बरस में बहिसाब तीन आना और इसी तौर पर हर साल में एक आना बढ़ा दिया जायगा यहां तक कि अख़ीर साल में बारह आना बहिसाब एक रुपया सैकड़ा जमा पहुंच जाय पूरी जमा अर्ज़ तादादी दो हज़ार एकड़ की पंदरह सौ रुपया सालाना से ज़्यादा न होगी ॥

५ शरायत सफ़ाई हस्ब तफ़सील ज़ैल हैं ॥ तारीख़ अर्ज़ से पांचवें साल के अख़ीर में बीसवां हिस्सा रक़बा क़ाबिल तशख़ीस जमा और दसवें साल के अख़ीर में पांचवां हिस्सा रक़बा क़ाबिल तशख़ीस जमा पंदरवें साल के अख़ीर में निस्फ़ रक़बा क़ाबिल तशख़ीस जमा पिछले साल के अख़ीर में तीन चौथाई रक़बा क़ाबिल तशख़ीस जमा साफ़ होना चाहिये और दरख़्तान चाय व कसरत लगाये जांय ॥

६ इक्कीसवें साल बरवक़्त ईफ़ाय शरायत मुतज़क्किरे बाला हक़ ज़मींदारी उस अराज़ी का और इस्तहक़ाक़ मुआहिदा बा सरकार गीरिन्दा अर्ज़ और उसके विर्साय वसी या क़ायम मुक़ाम को उन्हीं शरायत से जो उमूमन मुतअल्लिक़ व मालिकान मुहालात वाक़े कमायूं हैं हासिल होगा और शरह लगान आराज़ी अर्ज़ की चाहे जिस तौर पर काश्त की जाय शरह लगान ज़मीन पैदावार ग़ल्ला से जो उसी मौक़े पर वाक़े हो ज़ियादा न ली जायगी ॥

७ दरसूरत न अदा होने जमा मुऐयना किसी साल के या ख़िलाफ़ वर्ज़ी शरायत बाला के कि जिस बाब में बाद तहक़ीक़ात मौक़ा मारफ़त मैनिजर असिस्टेन्ट कमिश्नर साहबान बोर्ड माल हुक्म क़तई सादिर करेंगे कुल अर्ज़ व इख़्तियार गवर्नमेन्ट व इस्तिस्नाय रक़बा क़ाबिल तशख़ीस जिस पर फ़िलहक़ीक़त काश्त चाय हो और दूसरा हिस्सः रक़बा जो बमिक़दार एक [illegible] रक़बा मज़कूरः जो दवाम के लिये ख़िराज से बरी हो क़ाबिल बाज़याफ़्त होगा जो हिस्सा इस तरह पर बरी रहे [illegible] के मुताबिक़ शरह और क़वायद तशख़ीस जमा

मुहाफ़िज़े ज़िला को देहेगा ॥

८ गीरिन्दे ग्रन्ट पर बनवाना मनारा सर हद्द व मुकामात मुअय्यन गि र्द हलक़े ग्रन्ट के अन्दर छः महीने के तारीख़ ग्रन्ट से लाज़िम होगा और अगर ऐसा न करेगा तो मनारजात मारफ़त अहालियान सरकार बन वा दिये जायंगे और उसकी लागत गीरिन्दे दख़्ल काल से उसी तरह पर वसूल की जायगी जैसे शरह मुअय्यना जमाबन्दी ॥

९ कोई दावा निसबत हक़ व मराफ़िक़ ग्रन्ट बर बिनाय दख़्ल क़ाल मिनजानिब असल गीरिन्दे ग्रन्ट जायज़ न क़रार दिया जायगा ताव क़े कि दाख़िल ख़ारिज नाम मुन्तक़िल इलेह का कचहरी सेनियर असि स्टन्ट कमिश्नर में न हो जाय ॥

१० जब तक ज़ेर एहतमाम अहालियान सरकार दख़्ल हान पै दावारी व कारख़ाना चाय जारी है वर तबक़ दर्ख़ास्त मौसूमे साहब सु परिन्टेन्डेन्ट बाग़ सरकार ममालिक मग़रबी व शिमाली बीज और पौद जिस क़दर उनके इख़्तियार में हो मुफ़्त मिल सक्ती है ॥

मिसिल्या नम्बर २२

मुतअल्लिके दफ़ा २१३

सरकुलर मुसदरै साहबान सदर बोर्ड ममालिक मग़ रबी नम्बर १६ मरक़ूमै १६ सितम्बर सन् १८४८ ईसवी

दफ़ा १ हुक्काम सदर बोर्ड साहबान कलक्टर की हिदायत के वा स्ते जिन देहात की ज़मीन में गंग शिकस्त या गंग बरामद का एहतमा ल है तग़ैयुर व तबदील की तहक़ीक़ात और रिपोर्ट के वास्ते यह दस्तूरुल अ मल जारी करते हैं ॥

दफ़ा २ पहिले यह बात चाहिये कि हर साहब कलक्टर जितने देहात उनके इलाक़े में दरिया के सबब से तग़ैयुर व तबदील के लायक़ हैं उनकी फ़ेहरिस्त हरएक तहसीलदारी की बाबत तैयार करावें चुनांच ज़ैल में उसका नक़शा है

नाम मुहाल	हाल बन्दोबस्त				पिछला बन्दोबस्त सरसरी				कैफ़ियत
	रक़बा			जमा	रक़बा			जमा	
	काबिल ज़िराअत	मालगुज़ारी	कुल		काबिल ज़िराअत	मालगुज़ारी	कुल		
									मसलन् इस मुहाल में कुछ तग़य्युर व तबदील नहीं हुई ॥
									इस मुहाल में थोड़ी गंग बरामद हुई मगर इस क़दर नहीं कि सरसरी बन्दोबस्त की हाजत हो ॥
									इस गांव की गंग शिकस्त की रपोर्ट अलाहिदः की गई ॥
									इस गांव में गंग बरामद बहुत हुई और तहक़ीक़ात दरकार है ॥

चाहिये कि यह नक़शा मुहालवार बनाया जाय और उस्से कुल रक़बा और मालगुज़ारी और मज़रूअः रक़बा मुन्कशिफ़ हो और जमा जो बन्दोबस्त के वक़्त मुक़र्रर हुई और भी जमा पिछले सरसरी बन्दोबस्त की जो उसके बाद हुआ हो ॥

दफ़ा २. बरसात के बाद और जब सैलाब कमायन्बग़ी कम हो तहसीलदार कुल मुहालात मुन्दर्जे फ़िहरिस्त की सैर करे और कैफ़ियत के ख़ाने में जो मरातिब हर मुहाल की बाबत तहक़ीक़ात के बमोजिब दरयाफ़्त हों उनको मुन्दरिज करे गंग शिकस्त के हर मुक़द्दमे में जहां

ज़मीदार तहक़ीक़ात और कमी जमा का दावा करते हैं चाहिये कि तह-सीलदार उनकी वजूहात बयान करे और जिस ज़मीन की शिकस्त का दावा है उसकी कैफ़ियत लिखे और सरसरी तहक़ीक़ात जिस क़दर व सहूलत हो उससे और अपनी वाक़िफ़ियत से दावा की बाबत अपनी राय लिखे इस रपोर्ट से साहब कलक्टर को मालूम होगा कि किन मुक़द्दमात में तहक़ीक़ात मतलूब है और किन मुक़द्दमात में ज़्यादा अहकाम दरकार नहीं ❖

दफ़ा ४ यकुम नवम्बर या उसके बाद जिस क़दर जल्द मुमकिन हो साहब कलक्टर या डिपटी कलक्टर तहसीलदार के साथ उन देहात की तरफ़ जिनमें ऐसा तग़ैयुर वाक़े हुआ और तहक़ीक़ात ज़रूर हो जांय और वहां इस क़िस्म के हर मुक़द्दमे को जो दायर हों फ़ैसल करें ❖

दफ़ा ५ जब तहक़ीक़ात ख़त्म हो तो जिन देहात में ऐसी तग़ईर व तबदील हुई जिस के सबब से जमा की तबदील ज़रूर हो उनकी रपोर्ट अक़साम ज़ैल में की जाय पहिले बन्दोबस्त गंग बरामद के सबब से दूसरे बन्दोबस्त गंग शिकस्त के सबब से तीसरे बन्दोबस्त मुहालात नौ बरामद का ❖

पहिली क़िस्म जिस वक़्त गंग बरामद के सबब ज़मीन मज़रूआ: या चरागाह या जो ज़मीन किसी और तरह पैदावारी के लायक़ हो बन्दोबस्त के मज़रूआ: रक़बा से बहिसाब दस बीघा फ़ी सदी तक पहुंचे तो सरसरी बन्दोबस्त कर के रपोर्ट करनी चाहिये और इस सूरत में मालगुज़ार के इख़्तियार के बमूजिब बन्दोबस्त या सिर्फ़ गंग बरामद की नई ज़मीन का होगा या कुल मुहाल का नक़शा ख़सरे में या अगर ज़रूर हो अलाहिदा नक़शे में गंग बरामद की नई ज़मीन व तसरीह लिखी जाय और उसमें जो क़तआत मज़रूआ: या क़ाबिल ज़िराअत के हैं बाक़ी मुन्दा ज़मीन से मुमताज़ किये जांय रपोर्ट के साथ रक़बे की कैफ़ियत मुफ़स्सिल: और उसकी निकासी का अन्दाज़ा और असल बन्दोबस्त के नक़शजात नम्बर २ और ३ भेजे जांय ❖

दूसरी क़िस्म जिस सूरत में गंग शिकस्त के सबब मज़रूआ: ज़मीन या क़ाबिल ज़िराअत फ़ी सदी दस बीघा के हिसाब से कट जाय या पिछले बन्दोबस्त के मज़रूआ: रक़बे की निकासी में गंग शिकस्त के सबब

[illegible] के हिसाब से कम हो जाय तो मुहाल का बन्दोबस्त नया [illegible] चाहिये और जो ज़मीन कट गई है उसका निशान ख़सरे में सुर्ख़ [illegible] में किया जाय और रपोर्ट में कैफ़ियत मुफ़स्सिल उसकी लिखी जाये ॥

[illegible] जिस वक़्त कोई नई ज़मीन दर्या से निकले कि बमूजिब क़ानून ११ सन १८४७ ईसवी के किसी ख़ास मुहाल से मुतअल्लिक़ नहीं तो नया मुहाल क़ायम करके बन्दोबस्त करना चाहिये और साहब कलक्टर [illegible] तजवीज़ करें कि वह नया मुहाल ज़िले की तौज़ीह में क़ायम हो [illegible] में ख़सरे का नक़शा और पैमायश की तशरीह और ज़मीन की निकासी का अन्दाज़ा रपोर्ट के साथ भेजना चाहिये ॥

दफ़ा ६ ऐसे सरसरी बन्दोबस्त के बाद जब तक गंग शिकस्त या बरामद के सबब बन्दोबस्त का ख़ाका या निकासी फ़ी सदी दस रुपये तक न पहुंचे कुछ तग़य्युर व तबदील करनी न चाहिये ॥

दफ़ा ७ जब बिलकुल मुहाल दर्या से कट जाय कि उसका कुछ निशान बाक़ी न रहे तो मुहाल का नाम ज़िले की तौज़ीह से महो किया जाय ॥

दफ़ा ८ साहब कलक्टर को ज़रूर है कि सालाना रपोर्ट उन तहवीलों की जो इस सरकुलर में मज़कूर हुईं ऐसी भेजें कि साहब कमिश्नर के पास पहिली अप्रैल तक पहुंचा करें और अगर कोई मुक़द्दमा गंग शिकस्त या बरामद का न हुआ हो तो वैसी रपोर्ट करें ॥

दफ़ा ९ साहब कमिश्नर को एहतियात करनी चाहिये कि इस दस्तूरुल अमल के मुवाफ़िक़ कारवाई हुआ करे और माह मई के आख़ीर तक रपोर्ट करें कि अज़लाअ मातहत में इस सरकुलर की क्या तामील हुई ॥

दफ़ा १० जब कभी तग़य्युर या तबदील किसी दर्या में वाक़ै होने से या गंगबरामद के सबब नई पैमायश मसाहत की रूसे ज़रूर मालूम हो तो [illegible] मातहत उसकी रपोर्ट सदर बोर्ड को करें ॥

तितिम्मा नम्बर २३

मुतअल्लिक़ दफ़ा २४५

[illegible] बयान [illegible] मुआफ़िक़ा उन अराज़ियात के

जो सरकारी काम में आवें उनों मरकूमए मनज़ूरे

सदर बोर्ड ममालिक मगरबी नम्बर ४

दफ़ा २२ गवर्नमेन्ट की तजवीज़ मवर्रिखे ३१ जनवरी सन १८२६ ईसवी की नकल ज़ैल में लिखी जाती है साहबान सदर बोर्ड हुक्म देते हैं कि जमीअ मुकद्दमात जिन में किसी मुआमले मुतअल्लिके फ़ौज के वास्ते ज़मीन ली जाती है मालिकों के ज़र मुआविज़े के तसफ़िये में इन क़वायद पर अमल करना चाहिये ✦

यह तजवीज़ ज़ैल की चार दफ़ा में यानें दफ़ा २३ से २६ तक मुन्दरिज है ✦

दफ़ा २३ अफ़सरान फ़ौज किसी किते ज़मीन पर मुदामी क़बज़ा न करें जब तक गवर्नमेन्ट से इजाज़त न हो ✦

दफ़ा २४ जब ज़मीन ऐसे काम के वास्ते दरकार हो तो वारिक मास्टर या और अफ़सर जो इस काम पर मुतऐयन हो ज़मीन की पैमायश ब एहतियात करके ऐसा नकशा तैयार करें जिस्से हुदूद में कुछ शुबहा न रहे और कैफ़ियत रक़बे की सब्त हो ✦

दफ़ा २५ जब गवर्नमेन्ट उस नकशे को फ़ौज के दफ़्तर में मंज़ूर करें तो साहब कलक्टर के पास भेजा जाय कि फ़िलफ़ौर क़ानून अव्वल सन १८२४ ईसवी के तरीके से तहक़ीक़ात करें कि ज़मीन मज़कूर से क्या हक़ूक़ और मिल्कियत मुतअल्लिक है और साहब कमिश्नर की हिदायत के मवाफ़िक ऐसा इन्तिज़ाम करें कि ज़मीन मज़कूर अहालियान फ़ौज के सिपुर्द हो ऐसे मुकद्दमात में साहब कमिश्नर इख़्तियारात मुन्दर्जे ज़िम्न २ और दफ़ा २ क़ानून मज़कूर अमल में लावें और अगर तरफ़ैन इस तरह से तसफ़िया मुआमला से कारबन्द हों साहब कलक्टर के नाम हुक्म मुनासिब ज़मीन की ख़रीद के वास्ते जारी करें ✦

दफ़ा २६ जब ज़मीन को सरकार के सिपुर्द करने का बन्दोबस्त बैअ ख़ानगी या पंचायत की रू से न होजाय तो साहब कमिश्नर ब दिल व एहतियात दरयाफ़्त करें कि सब अशख़ास के दावों का तसफ़िया होगया और जुमला क़तआत की मौज़ा जो साहब कलक्टर या मुहासिल मुतअल्लिक़ के काग़ज़ात में मुन्दरिज है पैमायश के रक़बे में मिलती है या नहीं अगर नहीं मिलती तो सबब इसका ब तफ़सील दरयाफ़्त करें बाद उसके साहब मौसूफ़ को इत्तिलाअ देवें कि साहब

इत्तिलाबाद दफ़आत ५ और ६ चिट्ठी जान थारस्टन सा-
हब सेक्रटरी गवर्नमेन्ट ममालिक मग़रबी और शिमा
ली बनाम वलयम मेवर साहब सेक्रटरी सदर बोर्ड मा-
ल ममालिक मज़कूरः मक़ाम आगरा मवर्रिख़ २७
जनवरी सन् १८४५ ईसवी नम्बर ३६॰

दफ़ा ५ अहालियान नहर हवेली दरस्त फ़स्ल कोई इमारतों के ज़र मु-
आविज़ा का तसफ़िया ख़ुद करें और अपने ख़ज़ाने से नक़द क़ीमत दें और
सनद के वास्ते रसीद लें और मालिकों से फ़ारिग़ख़ती लिखवावें ओहदे-
दारान माल को हमेशा इख़्तियार है कि जब किसी मुक़द्दमे में ज़र मुआ-
विज़ा को बहुत कम समझें या मुआमले में कोई बात क़ाबिल एतराज़ के
देखें हुक्काम आला के हुज़ूर में रपोर्ट करें ॰

दफ़ा ६ ज़मीन की बाबत जो ज़र मुआविज़ा देना है उसका त-
सफ़िया साहब कलक्टर करें फ़स्ल की ज़मीन हो या बाग़ मज़रूअः हो या
ओक़ादा या ग़ैर मुमकिन ख़िराजी हो या लाख़िराजी ऐसे मुक़द्दमात में
जिस वक़्त नहर का अफ़सर दाग़बेल लगा चुके तहसीलदार और साहब
कलक्टर के पास कैफ़ियत भेजे जिसमें तादाद ज़मीन मतलूब की और
जिस पर निशान हुआ मुन्दरिज हो और यह बात कि ज़मीन का ख़ा-
ली किया जाना किस तारीख़ को ज़रूर होगा और अलल उमूम चाहि-
ये कि तारीख़ मज़कूर साल हाल फ़सली के आख़ीर हो जिस वक़्त सब
फ़स्ल कट जावे बाद पहुँचने इस कैफ़ियत के तहसीलदार फ़िलफ़ौर
तहक़ीक़ करके साहब कलक्टर को रपोर्ट करे कि ज़मीन मज़कूर कि-
स तरह से और किस ग़रज़ की मक़बूज़ा है और दस्तूरुल अमल मु-
रव्विजा के बमूजिब जमा की तख़फ़ीफ़ ख़्वाह ज़र मुआविज़ा किस तर-
ह से देना चाहिये साहब कलक्टर के ज़िम्मे होगा कि जिस वक़्त ज़मीन
अफ़सरान नहर को दरकार हो या उसके बाद जितनी जल्दी हो सके
तख़फ़ीफ़ या मुआविज़े की मद्द फ़ौरन मुक़र्रर करें और यह कि ज़-
मीदारों पर उस ज़मीन की बाबत कोई मुतालबा नाहक़ न किया जाय
जब साहब कलक्टर तख़फ़ीफ़ मालगुज़ारी की रपोर्ट गवर्नमेन्ट की मं-
ज़ूरी के वास्ते साहब कमिश्नर की हुज़ूर में रवाना करें तो नहर के साह-
ब कलां के पास भी नक़ल उसकी भेज दें ताकि साहब मौसूफ़ को इ-
त्तिलाअ हो कि अगर उनको अपने कारख़ाने की निस्बत इस ख़र्चे में

मुक़ निस्बत उसकी कैफ़ियत लिखें ॰

नक़ल चिट्ठी नम्बर ५६६ मवर्रिखे १५ फ़रवरी सन
१८५८ ईस्वी मिनजानिब जान थारन्टन साहब से-
क्रेटरी गवर्नमेन्ट बनाम विलियम मेवर साहबसे
क्रेटरी सदर बोर्ड

दफ़ा १. मालूम हुआकि अहकाम साबिक़ मरक़ूमे २२ जनवरी सन
१८५५ ईस्वी ऐसी मुजम्मत में तामील नहीं हुए कि सख़्ती और बे इन्सा-
फ़ी मालिकान ज़मीन की निसबत जिन की ज़मीन नहर गंग में आगई है
वाक़ेअ न हो ॰

दफ़ा २. ज़ाहिर है कि अगर सरकारी तलबी का इल्तिवा उसी
तारीख़ से शुरू न होता जिस पर ज़मीन ली गई तो मालिकों पर सख़्ती
इस तरह से होती कि ज़र तलबी जो वाजिब नहीं वसूल किया जाता
और बाद उसके ख़ाह मख़ाह मुआफ़ होता आइन्दा से तलबी के इल-
तिवा में जल्दी होने के वास्ते दस्तूरुल अमल ज़ैल के बमूजिब कार-
वाई करनी चाहिये ॰

दफ़ा ३ तलबी का इल्तिवा उन क़िस्तों से शुरू हो जिन क़िस्तों
की तहसील बमवजब दरामद ज़मीन के मना हुई अगर नहर के अफ़स
रों की तरफ़ से जैसा चाहिये हुस्न इन्तिज़ाम हो खड़ी फ़स्ल उखेड़ने
या बरबाद करने की ज़रूरत न होगी मगर दरसूरत कि कभी ऐसी ज़रूरत
वाक़े हो तो वह आप ज़र मुआविज़ा दें कि ज़र मज़कूर फ़स्ल की क़ीमत
मुनासिब हो और इसी सबब से सरकारी मुतालबा जो फ़स्ल की बाबत
चाहिये उसके वास्ते किफ़ायत करें अगर वाज़ह हो कि कोई दावा वास्ते
बरबाद होने फ़स्ल के बाद एलान अफ़सरान नहर के समाअ़त न कि-
या जायगा ॰

दफ़ा ४ जिस वक़्त कि अफ़सरान नहर दरामद ज़मीन की तज-
वीज़ करें मुनासिब है कि उसकी मिक़दार की पैमाइश और जिस क़दर
ज़मीन मालूम हो उसकी हदबन्दी करें और तहसीलदार के पास के-
फ़ियत मशमूल फ़िहरिस्तवार बाबत ज़मीन के भेज दें जिसमें हस्बुल म-
क़दूर नाम सब देहात का जिनमें ज़मीन वाक़े है मै मालिकों के मुन्द-
रिज हो और उस वक़्त ज़रूर है कि अफ़सरान नहर साहब कलक्टर के
पास भी उस कैफ़ियत की नक़ल भेजें फिर चाहिये कि मालिकान ज़मीन

को दस्ताम्द की तजवीज़ से ख़बर दिलावें बाद इसके अफ़सरान मज़कूर को वास्ते लिये जाने ज़मीन के इख़्तियार होगा +

दफ़ा ५ बतौर वरूद कैफ़ियत मज़कूर के तहसीलदार मालिकों के नाम इत्तिलानामा जारी करे और इत्तिलानामे की रसीद के तहसीलदार को चाहिये कि मालिकों ख़्वाह पटवारी से तादाद ज़र मुजराई तक़रीबन जो बमूजिब दस्तूरुलअमल हाल के ज़मीन मतलूब के वास्ते दरकार होगा तहक़ीक़ करे और अगर हो सके तो मालिकों से एक राज़ीनामा बमूजिब ज़र मुजराई मज़कूर के लेले बाद इसके चाहिये कि साहब कलक्टर के पास रपोर्ट इस बाब में भेजे और यह रपोर्ट अफ़सर नहर की कैफ़ियत के पहुंचने से एक हफ़्ते के अन्दर इरसाल करे और ताउज्र सानी ज़र मुजराई की तलबी से बाज़ रहे +

दफ़ा ६ रपोर्ट पहुंचने के बाद फ़िलफ़ौर साहब कलक्टर हिसाब को मुलाहिज़ा करें और अपने दफ़्तर के काग़ज़ात से जांच लें बाद अज़ां तहसीलदार के नाम बाबत बहाली या तर्मीम ज़र मुजराई मुजविज़ा उसके के हुक्म सादिर करें और उस हुक्म में हमेशा मुन्दरिज करें कि जिसक़दर जमा क़रीन इन्साफ़ जानें तो हुक्म सानी मुलतवी हो माबाद चाहिये कि बमूजिब ज़ाबिता मंज़ूरी के वास्ते साहब कमिश्नर और साहबान सदरबोर्ड की मारफ़त इस मामले की रपोर्ट करें और चाहिये कि यह रपोर्ट तहसीलदार की अर्ज़ी पहुंचने की तारीख़ से एक महीने के अन्दर की जाय +

दफ़ा ७ ज़रूर है कि जिस तरह से ज़मीन नहर के काम में आली जाय इस क़िस्म के मुक़द्दमात तै किये जांय अगर ज़मीन की दरामद बाबत अमल में आती है नहर के साहब मुहतमिम हफ़्तःवार कैफ़ियत बाबत ज़मीन दरामद उस हफ़्ते के साहब कलक्टर और तहसीलदार के पास भेजा करें मुनासिब नहीं कि किसी ज़मीन की कैफ़ियत रवाना होने और मालिकों को ख़बर पहुंचने से पहिले अपने दख़ल में ले और कैफ़ियत मज़कूर का इस उज्र से मुलतवी रखना न चाहिये कि अभी तादाद ज़मीन बैनतयुन में कुछ शुबहा है बहतर है कि जिस क़दर ज़मीन बिलफ़ेल दरकार है ले लें आइन्दा अगर और दरकार होगी तो बवक़्त ज़रूरत ले सक्ते हैं फिर कैफ़ियत में तवक़्क़ुफ़ इस सबब से न चाहिये कि ज़मीन दरामद क़लील है अगर दरामद के बाद किसी क़िते की ज़रूरत न रहे फिर मालिकों को वागुज़ाश्त हो और कैफ़ियत साहब कलक्टर और तहसील

के पास भेजी जाय ताकि फिर नौक़ीस पर चढ़े ✦

दफ़ा ८ लफ़्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर इस बात की उम्मेद क़वी रखते हैं कि जब अफ़सरान माल और नहर इस दस्तूरुल्‌अमल की तामील में पूरी कोशिश करेंगे नहर के साहब कलां को चाहिये कि ममानियत कुल्ली अपने अफ़सरान मातह्त को करें कि किसी ज़मीन पर दख़ल लें जब तक पैमायश और हदबन्दी न होले और कैफ़ियत तहसीलदार और साहब कलक्टर के पास न भेजी जाय और मालिकों को एलाम न किया गया हो और साहब कमिश्नर ऐसा बन्दोबस्त करें कि साहब कलक्टर और तहसीलदार अफ़सरान नहर की कैफ़ियत के बमूजिब व उजलत कारबन्द हों चाहिये कि साहबान कमिश्नर और अफ़सर कलां नहर के दर्मियान ख़त और किताबत अपने अफ़सरान मातह्त की कारवाई की बाबत बराबर जारी रहे और अगर कुछ सहल‌अंगारी या ग़फ़लत हो तो एक दूसरे को इत्तिला दें काहिली और सुस्ती के इन्सिदाद के वास्ते मुनासिब है कि अफ़सरान नहर और साहब कलक्टर और तहसीलदारों के महकमे में नक़्शाजात बनाये जांय जिन में तारीख़ हर मरातिब की मुन्दरिज हो और वह नक़्शा बज़बान उर्दू तैयार हो मगर चूंकि यह मुआमला जल्द इख़्तिताम को पहुंचेगा किसी नक़्शे का नमूना मुक़र्रर करना ज़रूर नहीं ✦

दफ़ा ९ साहबान कलक्टर को इस बात पर लिहाज़ करना चाहिये कि जब ज़मीन इस तरह से किसी सरकारी काम में आवे तो अक्सर देहात मुश्तर्का के बन्दोबस्त में ख़लल वाक़े होगा और शुरका के हाल में तबदीली होगी जिससे तनाज़ा पैदा होगा और गांव की बहतरी में नुक़सान करेगा जिन देहात में ज़मीन मुश्तरका और शुरका के अलाहिदा अलाहिदा क़ब्ज़े में है तो जिस शरीक की ज़मीन नहर में आवे चाहिये कि उसको ए-वज़ में और ज़मीन मिले या उस ज़मीन का कुल ज़र मुजराई उसके हिस्से में मख़्सूस हो इस वास्ते ऐसे मुक़द्दमात में सिर्फ़ हुक्म मुजराई का काफ़ी न होगा बल्कि इस बात का भी तशख़ीस किया जाय कि जिस शख़्स या पट्टी की ज़मीन ली गई उसका ज़र मुआविज़ा किस तौर से दिया जाय जिन देहात में शिर्कत हक़ीयत बमूजिब विरासत के है यह भी हो सकता है कि अगर उस गांव की ज़मीन कसीर नहर में आवे तो कुल ज़मींदारों को तक़्सीम नये सिरे से ज़रूर पड़ेगी अलग़रज़ साहब कलक्टर को लाज़िम है कि अपनी रिपोर्ट में मुफ़स्सिल लिखें कि हर मुक़द्दमे में इस

जान पर तवज्जुह की और क़वाइदों के इन्सिदाद का बन्दोबस्त किया २

इश्तिहार

सरकुलर नम्बर २१ मरकूमे २४ अकतूबर सन १८५४ ईसवी

हुक्काम सदरबोर्ड अमालिक मग़रबी जमीअ ओहदेदारान सरिश्ते माल की इत्तिला और हिदायत के लिये क़वायद मुन्दर्जे ज़ैल दरबाब फ़ैसलहोने दआवी मुआविज़ा उस ज़मीन के जो इस अज़लाअ में सड़क आहनी के वास्ते ली जाय मुश्तहिर फ़रमाते हैं और वाज़ह हो कि यह क़वायद गवर्नमेन्ट के हुज़ूर से मंज़ूर हो चुके हैं ॰

क़वायद

दरबाब फ़ैसल होने दआवी मुआविज़ा उस ज़मीन के जो सड़क आहनी के वास्ते लीजाय

जो ज़मीन वग़ैरा कि सड़क आहनी के वास्ते लीजायगी उसके मुतअल्लिक़ जिस क़दर ख़ास ख़ास उमूरात हैं वह हस्बुल हुक्म गवर्नमेन्ट तहसीलदारों से मुतअल्लिक़ किये गये हैं और यह बात क़रीन मसलहत मुतसव्वर हुई है कि जिस इलाक़े में हो कर सड़क मज़कूर निकले उसी इलाक़े के तहसीलदार के सिपुर्द यह इन्तिज़ाम किया जाय क्योंकि ज़ाहिर है कि इस अफ़सर को बनिसबत उसके जो चंद रोज़ के वास्ते मुक़र्रर होवे इस इलाक़े में ज़्यादा वाक़िफ़ीयत और दबाव हासिल होगा जब तहसीलदार को तहसील का काम छोड़ कर जाना पड़े तो उसकी ग़ैर हाज़िरी के अर्से के लिये चाहिये कि कोई दूसरा शख़्स बतौर क़ायम मुक़ाम तहसीलदार रख लिया जाय और उसको ताकीद करदी जाय कि सड़क आहनी के काम में तहसीलदार की हर तरह पर इआनत करे ॰

दफ़ा २ जब तहसीलदार सड़क आहनी के काम पर जाय तो उसको सिरिश्तेदार और अहलकारान तहसील जो बिला हर्ज काम तहसील के मिल सकें मिलेंगे और परगने का क़ानूनगो भी उसके हमराह रहेगा बल्कि बाज़ औक़ात ज़रूरत इस बात की भी होगी कि पैमायश के वास्ते अमीन रक्खे जांय और ऐसी सूरतों में मुनासिब होगा कि शरह मासिक़ी के हिसाब से उजरत दीजाय याने सौ बीघा की पैमायश के एवज़

[illegible] और काग़ज़ात की तरतीब के वास्ते आठ आना ❖

दफ़ा ३ तहसीलदार का अव्वल काम यह होगा कि अपने इलाक़े में साहब इनजिनियर के हमराह रहै और आगे के तहसीलदार को वक़्त मुनासिब पर इत्तिला दे ताकि जिस वक़्त साहब मौसूफ़ उसके इलाक़े में पहुंचें वह उनकी इमदाद के वास्ते तैयार रहै ❖

दफ़ा ४ जो कि मालूम हो कि सड़क आहनी और उसकी पटरियों की तामीर करने के वास्ते मक़बूलात होवें उसको इख़्तियार होगा कि अग़राज़ सहराई और फ़स्ल और मकान और दरख़्त वग़ैरा को बाद करने तक़सीमः और देने मुआविज़ा के दूर करे लेकिन इस काम इब्तिदाई में कभी कभी हाजत इस बात की होगी कि तसफ़िया मुलतवी किया जाय और ऐसी सूरत में तहसीलदार को लाज़िम है कि तसफ़िया आइन्दा के वास्ते एक याद्दाश्त व क़ैद तख़मीना नुक़सान मै कैफ़ियत हक़ूक़ मालिकान बहुत एहतियात से लिख लिया करै ❖

दफ़ा ५ तहसीलदार इस बात की भी एहतियात करैगा कि दाग़बेल लगाने में कुछ मुज़ाहिमत न होवै क्योंकि आहनी सड़क गाड़ी की सड़क नहीं है जो बाज़ बाज़ ख़ास सूरतों में मिल्कियत की क़ीमत के लिहाज़ से या मालिकों के दआवी के बाइस सीधे रास्ते से फेर दी जाय बल्कि इस अम्र अहम में कि तमाम मुल्क के वास्ते मुफ़ीद होगा किसी क़िस्म की हक़ीयत के सबब हर्ज पड़ना जायज़ न होगा और अगर उनमें कोई शख़्स बज़ोर या ब तख़वीफ़ या और तरह पर बाइस मुज़ाहिमत का होवे तो लाज़िम है कि तहसीलदार जिसको इख़्तियार अफ़सर पुलिस नीज़ का हासिल होगा उसकी मुदाफ़अत करै और अगर ज़रूरत हो तो फ़ौरन् साहब मजिस्ट्रेट को इत्तिला दे ❖

दफ़ा ६ इनजिनियर के बाद साहब सर्वेयर याने मस्साह आवैगा और पैमाइश उस ज़मीन की करैगा जिस पर साहब इनजिनियर ने [illegible] की हो तहसीलदार को चाहिये कि अपनी मिसिल भी उसी वक़्त [illegible] तैयार करै और इस काम के लिये उसके पास हर मौज़े के बन्दोबस्त का ख़सरा और शजरा और और काग़ज़ात मौजूद रहैंगे ताकि [illegible] वह [illegible] और रक़मों की सिहत को बहुत होशियारी से [illegible] ❖

दफ़ा ७ [illegible] की मिसिल मौक़े पर तैयार होगी और उसमें

हस्ब नमूना नम्बर १ और २ और ३ मशमूलै हाज़ा तीन रजिस्टर मौज़ः वार और मुहालवार होंगे रजिस्टर नम्बर १ आराज़ियात मालगुज़ारी के वास्ते और नम्बर २ आराज़ियात मुआफ़ी व लाख़िराज मक़बूलै गवर्नमेन्ट के लिये होंगे और नम्बर ३ में आबादी व दरख़्त व बाग़ व मकान व कुए वग़ैरा का हाल जो नम्बर १ और २ में न हो लिखा जायगा॰

दफ़ा ८ रजिस्टर नम्बर १ में नम्बर के दो ख़ाने हैं एक में वह नम्बर तरतीब वार दर्ज होंगे जो तहसीलदार ख़ुद क़ायम करे और दूसरे में वह जो बन्दोबस्त के ख़सरा और किश्तवार नक़शे में लिखे हों हर एक खेत और क़िता ज़मीन ख़्वाह मज़रूअः क़ाबिल ज़िराअत व अफ़्तादः हो ख़्वाह ग़ैर मुमकिन जुदे जुदे नम्बर पर क़ायम किया जाय और जहां तक मिसिल बन्दोबस्त से मुताबिक़ हो सके बन्दोबस्त का नम्बर ख़्वाह काग़ज़ात देही का नम्बर क़ायम रक्खा जाय लेकिन अक्सर जगह बन्दोबस्त के वक़्त आराज़ी अफ़्तादः के क़ितआत पर नम्बर न लगाये गये थे और अब वह आराज़ी मज़रूअः हो गई है लाज़िम है कि हर एक नम्बर की ख़ानापुरी हिदायत मुऐयना के मुताबिक़ कमाल सेहत से की जाय और एहतियात इस अम्र की रहै कि जो ज़मीन ली जाय उस की हुदूद बन्दोबस्त के नक़शे किश्तवार पर ख़त खींचकर ज़ाहिर कर दिये जांय वजह हो कि यह रजिस्टर मुहालात मालगुज़ारी के वास्ते है॰

दफ़ा ९ रजिस्टर नम्बर २ की भी यही सूरत है लेकिन मुहालात मुआफ़ी मक़बूलै सरकार के वास्ते मख़सूस है क्योंकि आराज़ियात मुआफ़ी की मद्द आराज़ियात मालगुज़ारी की मद्द से मुनफ़सिल होगी॰

दफ़ा १० रजिस्टर नम्बर ३ घरों और कुवों और तालाबों और मकानों और बाग़ों और दरख़्तों के वास्ते है जो सड़क आहनी के काम में आवें या दूर किये जांय और जिनके वास्ते मुआविज़ा दिया जाय॰

दफ़ा ११ चौथा रजिस्टर उन सार्टीफ़िकटों के वास्ते है जो तहसीलदार अशख़ास मुस्तहक़ मुआविज़ा को देंगे और जो बाद मंज़ूरी मुनासिब सनद इस बात की होंगी कि ख़ज़ाने सदर या तहसीली में जैसा साहब कलक्टर तजवीज़ करें अशख़ास मज़कूर को ज़र मुआविज़ा

[illegible] रजिस्टर में तहसीलदार के नम्बर रजिस्टर अव्वल व दोयम [illegible] के नम्बरों से मुताबिक़ होवें ✦

दफ़ा १२ जो ज़मीन वग़ैरा कि सरकारी काम के वास्ते ली जाती है उसका मुआविज़ा बमूजिब क़ानून दो तरह से तजवीज़ किया जाता है [illegible] यह कि मालिक व अफ़सर सरकार आपुस में मुआमला करलें और दूसरे यह कि हस्ब ज़ाबिता पंचायत मुक़र्रर हो कर मुआविज़े की मिक़दार तजवीज़ की जाय अगर कुछ भी तवज्जुह और इन्तिज़ाम अमल में [illegible] तो यक़ीन है कि तरीक़ अव्वल ही से हर एक अम्र तै हो जायगा

दफ़ा १३ तहसीलदार को चाहिये कि मालिकों को मौक़े पर बुला कर तस्फ़िया करे और देहात क़ुर्ब जवार के दो या तीन मुअज़्ज़िज़ श[illegible] से इस्तिम्ज़ाज करे और उन से सलाह ले और अन्दाज़ा करावे और जिस मुक़द्दमे का तस्फ़िया हो चुके उस की बाबत मालिकों से रा[ज़ीनामा] लिखवावे और उसी के मुताबिक़ उनको सार्टी दे यक़ीन है कि नक़द रुपिया मिलने और वाजिबी मुआमला होने से काम बहुत आसान और बिला तवक़्क़ुफ़ होगा ✦

दफ़ा १४ चाहिये कि इस क़िस्म के तस्फ़ियों की कारर्वाई रोज़[नामचा] [illegible] रूबकारी में तजवीज़ हुआ करे ताकि जब कभी कोई तकरार [illegible] कि उसमें हस्ब ज़ाबिता पंचायत करनी पड़े तो उस वक़्त काम में आवे ✦

दफ़ा १५ जिस मुक़द्दमे में बग़ैर पंचायत तस्फ़िया न हो सके उस [illegible] तहसीलदार को चाहिये कि साहब कलक्टर के पास एक रपोर्ट ब[illegible] नाम पंचों के जो सरकार की तरफ़ से मुक़र्रर किये जांय भेजे और [मं]ज़ूर आने पर एक या दो पंचों को सरकार की तरफ़ से और एक या दो [को] मालिक की तरफ़ से इजाज़त तजवीज़ करने सरपंच और फ़ैसल [करने] मुआमले की दे और अगर तरफ़ैन के पंच आपुस में सरपंच के [illegible] की बाबत मुत्तफ़िक़ नहीं तो किसी को सरपंच बनावे ✦

दफ़ा १६ जब पंचायत जमा होले तो सबूत बहम पहुंचाने और [illegible] और हस्बुज़्ज़रूरत इहतियाज पैमाइश कराने और गवाहों [illegible] के हाज़िर करने और फ़ैसला लिखाने में पंचों को हर तरह पर [illegible] पहुंचानी चाहिये ताकि तस्फ़िया जल्द होवे ✦

दफ़ा १७ इस बात की इहतियात चाहिये कि आपस के मुआमला

मुक़द्दमों में मदद देने के वास्ते या पंचाइत के मुक़द्दमों में पंच बनने के लिये बारबार एकही शख़्स या अशख़ास से काम न लिया जाय वरना वह लोग इस काम को ज़रीअ़ इख़्तियार का समझेंगे और साज़िशें और कुचाहनें पैदा होंगी॥

दफ़ा १८ मुहालात मालगुज़ारी में ज़मीन के लियेजाने और रजिस्टर में दाख़िल होने के बाद सब से अव्वल यह बात तजवीज़ करनी चाहिये कि किस क़दर जमा मुलतवी की जाय चूंकि आराज़ी मालगुज़ारी और मज़रूआ: की लगान की शरह मालूम है इस वास्ते जमा की वह मिक़दार तजवीज़ करनी चंदां दुशवार नहोगी लेकिन इसबात को याद रखना चाहिये कि मिक़दार मज़कूर सिर्फ़ रुपयों में होगी और आना और पाई हिसाब से ख़ारिज रहेंगे और जो कुछ तजवीज़ हो उसकी इत्तिला फ़ौरन साहब कलक्टर को की जायगी ताकि साहब ममदूह अफ़सर तहसील को हुक्म दें कि तलबी इस क़दर जमा की फ़िलफ़ौर मुलतवी करें

दफ़ा १९ बाद उसके चाहिये कि मालिक के साथ नुक़सान की तादाद का तक़रार हो और उसपर दस रुपये सैकड़े का मामूली इज़ाफ़ा दिया जाय और बशर्ते क़बूल करने मालिक के जमा में उसकी बाबत भी मुतालबे की इत्तिला किया जाय कि यह रुपिया आख़िरश जमा में कम कर दिया जायगा अगर किसी मुक़द्दमे में इस शरह से ज़्यादा दिया जाय तो उसकी वजह माक़ूल बतलानी होगी लेकिन उमूमन लाज़िम है कि तख़फ़ीफ़ जमा की बाबत ऐसी शरह की पाबन्दी रहै और अगर मालिक राज़ी हो तो ज़्यादा के एवज़ में नक़द रुपया दे दिया जाय अज़रूय ज़िम्न ३ दफ़ा ६ क़ानून अव्वल सन् १८२४ ईसवी इस बात का तजवीज़ करना गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में रक्खा है कि कामगुज़ार की दरसूरत तख़फ़ीफ़ जमा के किस क़दर मुआविज़ा दिया जाय और क़वायद मुतअल्लिक़ा के बमूजिब मुआविज़े की मिक़दार उस जमा से ज़्यादा न होनी चाहिये जो आराज़ी माख़ूज़ा पर बन्दोबस्त की शरह की हिसाब से मै इज़ाफ़ा दस रुपया सैकड़ा के होवे लेकिन अगर ऐसा होगा कि ज़मीन के लिये जाने के सबब मालिक का बहुत नुक़सान होवे और अगर्चे क़रीन मसलहत नहीं है कि जमा की ज़्यादा तख़फ़ीफ़ के सबब ज़िले की मौज़ीअ़ घटाई जाय मगर इक़तिज़ाय इन्साफ़ है कि जब मामूली शरह किफ़ायत न करे तो मालिक को उसके नुक़सान के

ज़र में बक़दर मुनासिब नक़द रुपया दिया जाय और मिक़दार उस ज़रन
क़द की मुनासिब ऊपर बमसाहत ज़मीन और गुंजायश मुनाफ़ा के होगी इ
स क़ायदे की रिआयत में असल क़ायदे में जो मंशा इस बात का है कि
आसामी मौरूसी का तख़मीना होकर मालिक को मरहमत हो कुछ हर्ज
नहीं आता ॰

दफ़ा २० लेकिन हर मुक़द्दमे में अकेला ज़मींदार ही ज़मीन के मु
आवज़े का मुस्तहक़ नहीं होता बल्कि मुमकिन है कि ज़मीन मज़कूर
किसी किस्म के काश्तकार के क़ब्ज़े में हो या गांव के रवाज के मुताबिक़
किसी ऐसे शख़्स के नफ़ा में हो जो अदाय लगान से बरी है या गांव की पु
लिस के लिये बतौर मआश मुक़र्रर हो और ऐसी सूरतों में वाजिब भी है कि
जिस किसी का नुक़सान होवे उसको मुआवज़ा दिया जाय और तहसील
दार को चाहिये कि हस्ब मज़कूर बाला तख़मीना कुनिन्दगान माक़ूल की
मदद से हर शख़्स मुस्तहक़ के लिये मुआवज़ा मुक़र्रर करे और ज़मींदारों
के साथ तसफ़िया हो जाने के बाद आसामियों वग़ैरा के साथ तसफ़िया क
रने में उनको बड़ी दिक़्क़त न पड़ेगी ॰

दफ़ा २१ काश्तकारान ग़ैर मालिक की मक़बूज़ा ज़मीन से जब
आसामी फ़सल दूर की जाय तो इस फ़स्ल की बाबत मुआवज़ा देना ज़रूर
पड़ेगा लेकिन क़ब्ज़े की बाबत मुआवज़ा तजवीज़ करने में इस फ़र्क़
पर लिहाज़ रखना चाहिये कि बाज़े असामी का क़ब्ज़ा दवामी होता है
और बाज़े का आरज़ी याने बाज़ों को इख़्तियार होता है कि जब तक चा
हें क़ाबिज़ रहें और बाज़ों का मुआहिदा सिर्फ़ मीआद मुऐयना के वास्ते
होता है या साल बसाल बदलता रहता है इस बात की भी इहतियात
चाहिये कि इस क़िस्म के काश्तकार उन लोगों की बराबर न समझे जा
वें जो मालिकान ख़ुद काश्त के महज़ शिकमी चाकर होते हैं और
उनका नाम काग़ज़ात में दाख़िल नहीं होता बल्कि अपने आक़ा की
मर्ज़ी और आसामियान किश्तकारी से काम करते और उसकी ज़मीन के
एवज़ में कुछ बतौर नक़दी या ग़ल्ला देते हैं इन लोगों को इस्तहक़ाक़
क़ब्ज़े का नहीं आता और न वह दावा मुआवज़े का करसक्ते हैं बजुज़ अ
पनी खड़ी फ़स्ल और तैयारी ज़मीन के जो तरद्दुद आइन्दा के वास्ते की
हो इस बात पर भी लिहाज़ रहे कि मौरूसी असामी जो लगान मुक़र्रर
पर अराज़ी लेता है उस असामी से मुमताज़ होता है जो आस पास की

औसत शरह के हिसाब लगान अदा करता है अगरचे इन दोनों को इख्ति-
यार कबज़ा दवामी का हासिल है लेकिन मौरूसी की कदर व निसबत
दूसरे के ज्यादा होती है क्योंकि वह तो अपनी महनत का फ़ायदा दूसरी
ज़मीन से भी हासिल कर सक्ता है लेकिन दूसरे को बग़ैर देने ज़र पेश-
गी के वह इस्तहकाक हासिल नहीं हो सक्ता ✤

दफ़ा २२ अगर आपुस में तसफ़िया न हो सके और मालिक पंचा-
इत कराने पर मुसिर हों तो चाहिये कि हर एक शख्स जो इस ज़मीन
में किसी तरह का इस्तहकाक रखता हो पंचों से इस बात की दरख़ास्त
करे कि वह अपने फ़ैसले में हर एक हक की कीमत तजवीज़ करें जब
कोई मुकद्दमा ऐसा उठे कि उसमें ज़र मुआविज़ा या कीमत की तकरार
नहो बल्कि तकरार इस बात की हो कि जो मुआविज़ा तजवीज़ किया
गया है वह किस किस शख्स को मिलना चाहिये तो तरफ़ैन को हिदाय-
त अदालत दीवानी की की जायगी ✤

दफ़ा २३ मुआविज़े का तसफ़िया ख़ाह पंचाइत के ज़रीए से
किया जाय ख़ाह बिला पंचाइत अगर कबज़े की बाबत कुछ तकरार
हो या लोग आपुस में ज़र मुआविज़ा से हिस्सा पाने की निसबत झगड़ा
करें तो ज़र मुआविज़ा अमानत में जमा रहैगा ता वक्तेकि मुतख़ासमी-
न अपने दआवी को अदालत से फ़ैसल करावें लेकिन मुहालात मु-
श्तरका में अक्सर ऐसा होगा कि ज़मीन के लिये जाने से शुरका के मा-
बैन कमी व बेशी ज़मीन की होगी और ऐसी सूरत में बमूजिब दफ़ा
८ हुक्म गवर्नमेन्ट नम्बरी ५६६ मवर्रिखे १५ फरवरी सन् १८४८ ईसवी
इस बात की तजवीज़ करनी लाज़िम पड़ेगी कि आया कुल मुहाल की
तकसीम जदीद अमल में आवे या न आवे और ऐसे मुकद्दमों में भीज-
ब तक साहब कलक्टर फ़ैसला करें ज़र मुआविज़ा जो तजवीज़ हो चुका
हो अमानत में जमा रहैगा लेकिन इन मरातिब के फ़ैसल होने तक और
मदारिज को जिन्हें साहब कलक्टर ख़ुद तजवीज़ करेंगे मुलतवी रख-
ना ज़रूर नहीं ✤

दफ़ा २४ मुहालात व कतआत ज़मीन की निसबत जो लाख़ि-
राज हों चन्द मदारिज को याद रखना ज़रूर है याने बाज़े सिर्फ़ काबि-
ज़ की हयात तक लाख़िराज होते हैं और बाज़ दवाम को अलावा उ-
सके बाज़ मुआफ़ीदार सिर्फ़ जमा सरकारी के मुस्तहक हैं और बाज़ों को

[illegible] और क़बज़ा ज़मींदारी वक़्त बन्दोबस्त तसलीम हो गया है औ कोई कोई ज़मीन ऐसी मुआफ़ नहीं है लेकिन मुक़र्ररी है याने उस पर सरकार ने किसी क़दर जमा मुआफ़ की है ✦

दफ़ा ७४ इस क़िस्म के मुआफ़ीदारों और मुक़र्ररीदारों के सिवाय औ-र ज़मींदारों व काश्तकारों के साथ तरीक़ मुआविज़ा का तरीक़ वही है जो मुताल्लिक़ मालगुज़ारी के नामे है और क़िस्म मज़कूर के मुआफ़ीदारों और मुक़र्ररीदारों को अलावा तरफ़ीफ़ उन के हिस्सा की जमा के दस रुपया सैकड़ा या और कुछ व एवज़ मुनाफ़ा के उसी तरह मिलैगा जैसा उस सूरत में मिलता जब वह सरकारी मालगुज़ार होते और ज़मींदारों और काश्तकारों को सिर्फ़ व एवज़ नुक़सान फ़स्ल व क़बज़ व दख़ल के मुआविज़ा मिलता है ✦

दफ़ा ७५ गवर्नमेन्ट को मंज़ूर है कि मुआफ़ीदार का मुआविज़ा बजाय ब-तक़सीम याने सालाना के यकमुश्त ज़र नक़द तजवीज़ हुआ करे इस वास्ते ज़रूर है कि ज़मीन के लिये जाने से जिस क़दर नुक़सान जमा का हो उस के नक़द एवज़ाना का वाजबी तख़मीना होवे जो मुआफ़ीदार कि सिर्फ़ मु-स्तहक़ जमा का है उसको इस तख़मीने से ज़्यादा न मिलैगा और यह ज़र नक़द मुआफ़ी हीन हयात के वास्ते कम होगा व निसबत उसके जो मुआ-फ़ी दवामी के एवज़ में दिया जाय जो मुआफ़ीदार कि व इस्तहक़ाक़ ख़ुद ज़मींदार भी है वह मुस्तहक़ पाने क़ीमत अपने हक़ मुआफ़ी और ज़मीं-दारी दोनों का होगा और इसी तरह मुक़र्ररीदार मुस्तहक़ पाने एवज़ाना [illegible] का होगा जो ज़मीन मातूज़ा के वाजबी और मुक़र्ररी ज-मा के दरमियान हो और अगर वह मालिक भी है तो मिल्कियत का भी मुआविज़ा पावैगा मुआफ़ीदारान ख़ारिज के साथ और इन लोगों के साथ जिनकी ज़मीन [illegible] ज़ब्त हो कर निस्फ़ जमा पर बन्दोबस्त हुआ है मुआविज़ा का तस्फ़िया करने में लाज़िम है कि उनकी ज़मीन ऐसी [illegible] जाय कि बन्दोबस्त आइन्दा पर उसकी जमा तरमीम हो सकैगी और उसी मुताबिक़ मुआविज़ा तजवीज़ हो ✦

दफ़ा ७६ मकान और दरख़्त वग़ैरा का मुआविज़ा हस्बुलइमकान [illegible] होना चाहिये वास्ते व इत्तिफ़ाक़ पंचायत जब कोई म-कान [illegible] पड़े तो लाज़िम है कि मलबा उठा लेजाने के वास्ते मालि-क को [illegible] की [illegible] मिले और अगर मलबे की क़ीमत तजवीज़

हो चुकी हो तो उसी क़दर मुआविज़ा मे वज़ा हो जाय अगरचे इलाक़ नज़ूल के वास्ते किसी को मुआविज़ा न मिलैगा मगर ताहम उसकी क़ीमत का तख़मीना होकर लिख लिया जायगा लेकिन उस मकान व बाग़ की बाबत अलबत्ता मुआविज़ा दिया जायगा जो आराज़ी नज़ूल पर किसी शख़्स ने ब सर्फ़ ख़ुद नेक नीयती से तामीर किया हो जहां आराज़ी नज़ूल पर बाज़ार ख़्वाह गंज मे दूकानात वाक़े हों मालिकों को दूकान की बाबत और मुहाल के ज़मींदारों को महसूल पर जोट ख़्वाह महसूल ज़मीन आबादी के वास्ते मुआविज़ा मिलैगा ब शर्ते कि ज़मींदार उस महसूल को हमेशः से पाते रहे हों दरख़्तों और बाग़ीचों के मालिकान हक़ीक़ी को भी ब क़दर तख़मीने के मुआविज़ा मिलैगा लेकिन ख़ुदरो और ऐसे दरख़्तों की बाबत जो बाग़ ला वारिस कहलाते हैं और बसबब ला वारिस व मरजाने उन लोगों के जिन्हों ने या जिनके मूरिसों ने वह दरख़्त लगाये हों मिल्कियत ज़मींदारों की हो जाते हैं बनकर या फलकर की क़ीमत का तख़मीना हो कर मुहाल के जमीअ शुरका को मुआविज़ा दिया जायगा इल्ला उस सूरत में कि दरख़्तान मज़कूर बरज़ामन्दी हमदीगार ख़्वाह अज़रूय बटवारा किसी ख़ास हिस्सेदार या हिस्सेदारों के हिस्से में हों जब कोई भील सड़क आहनी में आजाय तो यही क़ायदा जलकर के वास्ते भी मरई रखना चाहिये +

दफ़ा २८ मंदिर वग़ैरा मआबिद जो सड़क आहनी के वास्ते ज़रूर गिराने पड़ें उन की निसबत रपोर्ट अलाहिदा करनी और हुक्म भी जुदा मंगाना चाहिये +

दफ़ा २९ जब दआवी का वाजबी तसफ़िया होशियारी और उजलत के साथ हो चुके तो उसी क़दर उजलत से रपोर्ट और दरख़्वास्त करनी लाज़िम है जिस वक़्त किसी मुहाल या मौज़े का तसफ़िया अमल में आचुके उसी वक़्त तहसीलदार को चाहिये कि साहब कलक्टर के हुज़ूर में एक मुकम्मिल कैफ़ियत इरसाल करे और जिस वक़्त तहसीलदार मज़कूर के इलाक़े का फ़ैसला हो जाय साहब कलक्टर दस्त ब नक़शा मुअय्यन साहब कमिश्नर के पास रपोर्ट भेजैं रुपया के दिये जाने में तवक़्क़ुफ़ होना मुनासिब नहीं और साहब कलक्टर पर लाज़िम होगा कि जिस वक़्त साहब कमिश्नर के पास रपोर्ट भेजें इस बात की तसदीक़ करें कि कुल दआवी का तसफ़िया हो गया है या रुपया दे दिया गया है या तकरार

के मुक़द्दमों में शामिल है +

दफ़ा ३० तहसीलदार की सार्टीफ़िकट जो मालिक से बवक़्त दि-
ये जाने रुपये के ले ली जायगी और राज़ीनामा यह दोनो मिसिल में शा-
मिल रहने चाहियें +

दफ़ा ३१ बाज़ जगह ज़रूरत इस बात की भी होगी कि आइन्दा
बाबत उस ज़मीन के जो महसूल आमदनी के खास हाल में आवे और भी
में ली जाय पस चाहिये कि उसकी निस्बत भी यही तरीक़ जारी रहे और
जुदी मिसिल मुरत्तब की जाय +

दफ़ा ३२ अगरचे ग़ालिब नहीं है लेकिन मुमकिन है कि जो ज़-
मीन अब तहत आमदनी के वास्ते ली जाती है उस में से किसी वक़्त थोड़ी
बहुत छोड़ दी जाय ऐसी सूरत में लाज़िम होगा कि ज़मीन मतरूका की
नयी तशख़ीस बतौर बन्दोबस्त सरसरी अमल में आवे जबकि ज़मीन
मतरूका किसी मुआफ़ी या मुकर्री मुहाल का जुज़्व हो तो मुआफ़ी-
दार या मुकर्रीदार जो ज़र मुआविज़ा ले चुका है उसको ज़मीन मज़-
कूर वापस मिलेगी ब शर्ते कि एक मीआद मुऐयना में मुआविज़ा वाप-
सी मक़दूर उसको फेर दे +

दफ़ा ३३ साहबान कमिश्नर को चाहिये कि जिस कलक्टर के
इलाक़े में यह काम शुरू होवे उससे कारर्वाई का माहवारी खुला-
सा मंगाया करें ता वक़्तेकि यह काम इस दर्जे को पहुंच जाय कि हु-
क्काम मातहत से फिर कुछ इलाक़ा न रहे +

रजिस्टर नम्बर १
बाबत आराज़ियात मालगुज़ारी

[illegible]	मुहाल	मौज़ा	[illegible]	बन्दोबस्त का नम्बर	रक़बा व हिसाब बीघा व बि-स्वा व बिसवान्सी	ज़मीन की नियाफ़्त [illegible]	किसके क़बज़ा व काश्त में है							कैफ़ियत
							मालिक मुद्दआ का नाम	लगान व हिसाब शरह आसामीवार	मिनहाईदार का नाम	लगान व हिसाब शरह आसामीवार	मौरूसी आसामी का नाम	ग़ैर मौरूसी आसामी का नाम	लगान नाक़ई	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५

फ़ायदा

खाना नम्बर ६ में उस बीघे के मुताबिक़ रक़बा लिखना चाहिये जो बंदोबस्त के वक़्त क़रार पाया हो ✤

खाने नम्बर ७ में लिखना चाहिये कि आया ज़मीन मज़रूआ है या क़ाबिल ज़िराअ़त है या ओफ़्तादा जदीद है या ओफ़्तादा क़दीम है या ग़ैर मुमकिनुलज़िराअ़त है और अगर मज़रूआ हो तो उस पर क्या फ़स्ल है ✤

खाना नम्बर ८ में उस मालिक का नाम लिखना चाहिये जिसके क़ब्ज़े में ज़मीन बतौर सीर हो ✤

खाने नम्बर १० में उस काश्तकार का नाम दर्ज करना चाहिये जो गांव के रवाज के मुताबिक़ बिला अदाय लगान क़ाबिज़ हो मसलन गांव का पुजारी या पेशःवर या गुड़इत ✤

खाने नम्बर १४ में अगर बटाई या बावली की रू से लगान वसूल होती हो तो उसकी क़ीमत अज़रूय तख़मीना नक़दी में लिखनी चाहिये ✤ बनज़र सहूलत चाहिये कि अव्वल आराज़ी मज़रूआ और क़ाबिल ज़िराअ़त दर्ज की जाय बाद अज़ां ओफ़्तादा जदीद तब ओफ़्तादा क़ाबिलज़िराअ़त और सब के पीछे ग़ैर मुमकिनुलज़िराअ़त ✤

रजिस्टर नम्बर २

बाबत मुहालात माफ़ मक़बूले सरकार

परगना	मुहाल	मौज़ा	तहसीलदार का क़ायम किया नम्बर	बन्दोबस्त का नम्बर	रक़बा बहिसाब बीघा व बिसवा व बिसवांसी	ज़मीन की क़िस्म मुफ़स्सल हाल	किसके क़ब्ज़ा व काश्त में है							नाम सिक्किम पट्ट		
							मालिक ख़ुद काश्त का नाम	तअल्लुक़ेदार मुक़द्दम या आसामीदार	नाम मिनजानिब दार	तअल्लुक़ेदार या मुक़द्दम आसामीदार	आसामी मौरूसी का नाम	आसामी ग़ैर मौरूसी का नाम	लगान नक़दी	नाम मुआफ़ीदार या मुन्तज़िम का	... का नाम	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७

ख़ाने नम्बर १ से १४ तक की निसबत रजिस्टर नम्बर १ के क़ायदे पर लिखना चाहिये ॰

ख़ाने नम्बर १५ और १६ अगर मुआफ़ीदार या मुक़र्रीदार व दस्तहक़्क़ाक़ ख़ुद ज़मींदार भी है तो दोनों ख़ानों में एक ही नाम होंगे लेकिन अगर ज़मींदार कोई दूसरा शख़्स है तो मुआफ़ीदार या मुक़र्रीदार का नाम नम्बर १५ में लिखा जायगा ॰

अराज़ी मज़रूआ और क़ाबिल ज़िराअत और अोक़ादा जदीद और अोक़ादा क़ाबिल ज़िराअत और ग़ैर मुमकिनुलज़िराअत उस तरतीब से लिखनी चाहिये जैसा कि रजिस्टर नम्बर १ में हिदायत हुई है ॰

रजिस्टर नम्बर ३

बाबत मकानों और बाग़ीचों और दरख़्तों वग़ैरा ॰

परगना	मुहाल	मौज़ा	ताल्लुक़ेदार या ज़मींदार का नाम [illegible]	क़िस्म शय	मालिक का नाम	क़ाबिज़ का नाम	मुआवज़े की तादाद	रक़म सवाई कि मुहाल के मालिक को [illegible]	रक़म सवाई की क़ीमत	कैफ़ियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

ख़ाने नम्बर ५ अगर मकान है तो लिखना चाहिये कि कच्चा है या पक्का और अगर दरख़्त हैं तो उनकी तादाद और यह बात कि आया ख़ुदरौ हैं या लगाये हुए और फल देते हैं या नहीं और अगर झील या तालाब है तो यह बात कि उस में क्या पैदा होता है *

ख़ाने नम्बर ६ रक़ूम सवाई की तादाद गांव के काग़ज़ात में लिखनी चाहिये लेकिन इस में रक़ूम नाजायज़ या ख़ुद ज़मींदारों की इख़्तिराअ की हुई शामिल नहीं *

रजिस्टर नम्बर ४

बाबत सार्टीफ़िकट हाय अशख़ास मुस्तहक़ मुआफ़िक़ा

परगना	मुहाल	मौज़ा	रजिस्टर व नम्बर		ना॰ मुआफ़िक़ा जिसको मिलना चाहिये	ना॰ मुआफ़िक़ा की तादाद	कैफ़ियत
			रजिस्टर	तहसीलदार का क़ायम किया नम्बर			
१	२	३	४	५	६	७	८

इश्तिहार

रिफ़ानिव डिपार्टमेन्ट २१ नवम्बर सन १८५५ ईसवी

नम्बर ३५५० ∆ क़ायदे जो ज़ैल में छपे हैं वह सरिश्ते माल और महकमे

नहरों के अहलकारों के लिये दस्तूरुलअमल क़रार दिये गये सो उन के मु-
ताबिक़ उस वक़्त अमल करना चाहिये जब मिलजानिब मालिक या
काश्तकार आराज़ी इस शिकायत से दरख़ास्त गुज़रे कि हमारी आसामी
के रक़बे में किसी क़दर आराज़ी सैलाबी या और वजह से कट गई और
इसी सबब से नुक़सान हुआ सबब यह है कि सैलाबी मज़कूर कुल्लि-
यतन सरिश्ते नहर के अहलकारों की हरकत से हुई या किसी क़दर नु-
क़सान उनकी हरकत के बाइस वक़ूअ में आया ऐसी सूरत में जब स-
रिश्ते नहर के अहलकारों की तजवीज़ से दावे की निसबत फ़ैसला सा-
दिर न हो सके और सरिश्ते माल से दरख़ास्त गुज़रने पर मुआमले से अ-
हलकार माल को इत्तिला होवे उस वक़्त साहब कलक्टर और सरिश्ते न-
हर का अहलकार मुतअल्लिक़ बइत्तफ़ाक़ तहसीलदार इस बात को तज-
वीज़ करेंगे कि मालिक का किस क़दर नुक़सान हुआ है और वह दोनों
अहलकार इस बात की तहक़ीक़ करेंगे कि सरिश्ते नहर के अहलकारों की
हरकत के बाइस किस क़दर नुक़सान हुआ और किस क़दर मुआवज़े
का मुतालबा नुक़सान की बाबत सरिश्ते नहर से होना वाजिब है

अगर इन दोनों अहलकारों में इन उमूर की निसबत इख़्तिला-
फ़ वाक़ै हो तो अहलकार सरिश्ता नहर एक कैफ़ियत मुफ़स्सिल लिखकर
काग़ज़ात मुआमला को सपरिन्टेन्डेन्ट नहर हाय ममालिक मग़रबी के
पास भेजेगा और साहब कलक्टर व एतवार सरिश्ते माल जैसा मामूल है
अमल करेगा और अगर साहब मौसूफ़ साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट की तज-
वीज़ से मुत्तफ़िक़ न हों तो साहब कलेक्टर साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट से दरख़ा-
स्त करेगा और साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट व ग़रज़ सदूर हुक्म सरकार मुक़द्द-
मा को सरकार में भेज देगा ॥

ऐसे तहसीलदार इस बात की दरयाफ़्त के लिये मुक़र्रर हैं कि आराज़ी
या पैदावार आराज़ी की निसबत उस क़दर नुक़सान हुआ है या न-
हीं कि जमा में से किसी क़दर मुआफ़ होवे चुनांचे उन क़ायदों की द-
फ़आत में जो ऊपर लिखे हैं यह तहसीलदार कि वह अम्र अव्वल से ग़ैर मु-
तअल्लिक़ हैं मुतलक़ वास्ता न रक्खेंगे बल्कि इस अम्र सानी की निसबत
मालूमात बज़रिये ख़ुद आबिना तजवीज़ करके व रिआयत उन क़ाय-
दों के जो सरिश्ते माल में मुरव्वज हैं अपनी कैफ़ियत मुरसिल करेगा

तमहीद

बाद सदूर इश्तिहार मुन्दर्जेवाला हुक्काम बोर्ड ने व वजह इसके कि साहव कमिश्नर देहली अपनी चिट्ठी में लिखता है कि उन क़वायद की तामील जिनमें हुक्म है कि तनकीह तादाद और वजूह नुक़सान की बिलइश्तिराक मारफ़त कलक्टरान और ओहदेदारान नहर के होगी दुश्वार मालूम होती है इसी बाब में गवर्नमेन्ट से इस्तिफ़सार फ़रमाया और हुक्काम मौसूफ़ीन ने अपनी चिट्ठी इस्तिफ़सारी में यह लिखा कि जल्द तर दावे का तसफ़िया और मौक़े पर जाकर तहक़ीक़ात करना एक अम्र निहायत ज़रूरी है और यह कि बदानिस्त बोर्ड अगर हस्ब तजवीज़ एजरटन साहव कलक्टर देहली के ऐसे दआवी का फ़ैसला फ़लक्टर से मुतअल्लिक़ रहे तो कुछ क़बाहत नहीं है इल्ला कलक्टर को मुनासिब है कि हर एक दावे का ख़ुलासा अंगरेज़ी जल्द तैयार करके अहलकार नहर के पास अगर वह नज़दीक या हाज़िर हो भेज देवें और मअन अहलकारान ज़िला को हिदायत करें कि वह लोग बक़दर इहतियाज अहलकार नहर की मदद करें और यह कि अहलकार नहर ब फ़ासले दूर व दराज़ मौजूद हो ताहम उसको दावे से जल्द तर इत्तिला देनी मुनासिब है और अहलकारान ज़िला को हुक्म देना चाहिये कि ब इन्तिज़ार मुराजअत अहलकार नहर के पहिले से तहक़ीक़ात इब्तिदाई बक़दर ज़रूरत के कर रक्खें ✦

चुनांच उस चिट्ठी के जवाब में गवर्नमेन्ट ने हुक्काम बोर्ड को यह लिखा कि तरीक़े मुतज़क्किरे बाला की तामील से कुछ क़बाहत लाज़िम न आवेगी और यह कि उम्दा ग़रज़ यह है कि अहलकार नहर को फ़ौरन दावे की इत्तिला होनेसे तामील अहकाम इश्तिहार साबिक़ ब आसानी अहलकार मौसूफ़ की मारफ़त हो सके मगर साहव कलक्टर को चाहिये कि बरवक़्त तरसील इत्तिला दावे के इब्तिदाय तसफ़िया मुक़द्दमा का अहलकार नहर ही की राय पर मुन्हसिर न करे ✦

तितिम्मा नम्बर २४

मुतअल्लिकै दफ़ा २२५

वाहाम्त मजरिये गवर्नमेन्ट

दफ़ा १ मुन्दर्जे आईन नहुम सन १८३३ ईसवी के वक़्त जो अहकाम मातहतों के मुन्कशिफ़ हुए बहुत मुनासिब है कि यकजा करके फ़ायदे ख़ास व आम के वास्ते छापे जांय इसका मक़सद महज़ तरक़्क़ी कारगुज़ारी सीग़ह इन्शा हर ज़िले की तवारीख़ सरकारी मालूम होगी और जिनमें मरातिब ज़िला की ख़ासियत और इन्तिज़ाम की कार रवाई के वास्ते अहलकारान सरकार को दरयाफ़्त करने चाहियें मुन्दरिज होंगे ॰

दफ़ा २ हर ज़िले के वास्ते एक जिल्द अलाहिदा हो ॰

दफ़ा ३ हर जिल्द के तीन हिस्से होंगे पहिला हिस्सा अहवाल दूसरा नक़्शा तीसरा नक़्शजात मुतअल्लिके जुग़राफ़िया ॰

दफ़ा ४ हिस्से अव्वल याने अहवाल में मरातिब ज़ैल लिखेजांयगे कुल ज़िले की कैफ़ियत ख़ास मै हुदूद और क़ुदरती अलामतों के और हाल पैदावारी का और तवारीख़ क़ब्ल और बाद अमलदारी सरकार को जिस क़दर दरयाफ़्त हो सके और यह कि हुदूद हाल किस वक़्त मुअय्यन हुई और दीवानी व फ़ौजदारी व माल के इलाक़े में क्या क्या तग़य्युरात वाक़े हुए फिर साहबान जज व कलक्टर और मजिस्ट्रेट की फ़िहरिस्तें और जिन तारीख़ों में ओहदे पाये लिखे जांयगे अलावा इसके जो ख़ास तदबीरात जारी हुई हों मसलन इसपेशल कमिश्नर क़ानून अव्वल सन १८२१ ईसवी या मुआफ़ी के डिपटीकलक्टर या कमिश्नर क़ानून ३ सन १८२८ ईसवी और तारीख़ उनके दफ़्तर की लिखी जायगी और जिस वक़्त किसी तरीक़े में कुछ तबदील न हुई हो जैसे कोर्ट अपील का इख़्तियार बन्द होना और मुक़द्दमात फ़ौजदारी की तजवीज़ का इख़्तियार सिशिन जज से मुतअल्लिक़ होना इसकी तारीख़ भी लिखी जायगी ॰

दफ़ा ५ फिर ज़िले की क़िस्मतें लिखी जांयगी याने परगनात व तअल्लुक़ात थानजात मुन्सफ़ियां नक़्शा इनका व सहूलत बाब अहवाल के परगनों में मुन्दरिज हो सक्ता है और परगनात इस तरतीब से चाहियें कि उत्तर और पच्छिम के कोने से शुरू हों और पूरब और दक्खिन की तरफ़ सिलसिला बसर चले जांय और रक़बा और जमा और मरदुमशुमारी भी मुन्दरिज हो ॰

दफ़ा ६ इन मरातिब आम के बाद मरातिब मुफ़स्सिल परगनः

वार इस तौर से लिखे जांय कि नक्शा की तरतीब मलहूज़ रहे ✣

दफ़ा ७ हर परगने की तवारीख मुतअल्लिके माल मुन्दरिज होगी और जमा साबिक़ का मुक़ाबला जमा हाल के साथ किया जाय अगर शुरूअ अमलदारी से जमावासिलवाक़ी बन सके तो बहुत तोज़ीह होगी यह कागज़ सन् १८४० ईसवी और ४१ ईसवी तक फ़सलीसाल के हिसाब से बनाया जाय बाद उसके जिस साल से फिर जितनी रक़ूमात ग़ैर मुमकिनुलवसूल होने के बाइस इब्तिदा से मुआफ़ हुई उन की भी याद्दाश्त और जिस साल की बाबत मुआफ़ हुई और जिस साल हुक्म मुआफ़ी का हुआ लिखा जाय ✣

दफ़ा ८ मिल्कियत ज़मीन के अक़साम की कैफ़ियत और इख्तियाज़ व सेहत मुमकिन और खेती करने वालों की बाबत जो खासियतें हों मसलन क़ौम और हाल ज़माने माज़ी व हाल का और शरीफ़ और रज़ील होना और रवैया उनका लिखा जायगा ✣

दफ़ा ९ बड़े शहर और बड़े क़सबात का ज़िक्र और उन की मिक़दार और महासिल और इब्तिदाय आबादी और अगले पिछले हालात और यह कि आइन्दा उम्मैद तरक़्क़ी की है या तनज़्ज़ुल की लिखा जाय ✣

दफ़ा १० अगर कोई मुक़द्दमा या मुआमला नम्बरदार हो वह भी ज़िक्र किया जायगा और किसी इलाक़े मुस्ताजरी या तअल्लुक़ादारी का मौक़ूफ़ होना और खानदान क़दीम और अहल इख्तियार का तनज़्ज़ुल या नये खानदान की तरक़्क़ी इस्तीगन्न कमीशन का जो कुछ असर हुआ हो और माल और दीवानी के इन्तिज़ाम की तासीर आम जब मालूम हो कि उसके सबब मिल्कियत एक क़िस्म लोगों के हाथ से दूसरी क़िस्म की तरफ़ मुन्तक़िल हुई मुन्दरिज हो ✣

दफ़ा ११ हत्तुलइमकान पिछले बन्दोबस्त की कैफ़ियत मुफ़स्सिल लिखी जायगी याने कब शुरू और कब खत्म हुआ और किस के एहतमाम में और किस क़ायदे पर और फिर किस तरह चला बन्दोबस्त की रपोर्टें तितिम्मा में मुकम्मिल छापी जायगी ✣

दफ़ा १२ इल्म की कैफ़ियत लिखी जायगी याने मकतबों और तालिब इल्मों की तादाद और यह कि तालिबइल्म क्या पढ़ते हैं और मुअल्लिम क्या पाते हैं ✣

दफ़ा १३ जो ज़मीनें तरक़्क़ी के मौजूद हैं मुन्दरिज हों याने नदी जिसे आबपाशी या किश्ती का चलना किसी तदबीर से मुमकिन है और नई सड़क के बनाने से बाज़ार की आबादी मुतसव्वर है और कहीं तालाब या हौज़ या बन्द बनाना या झील से पानी निकालना ज़रूर है ✦

दफ़ा १४ तहक़ीक़ात लिखना चाहिये कि मरातिब बाला किताबों में शामिल हुए या काग़ज़ात सरकारी या ख़ुद अपनी दरयाफ़्त से ✦

दफ़ा १५ दूसरा हिस्सा याने नक़्शा इस में हर परगने के कुल देहात मुआफ़ी और ख़ालसा लिखे जांय कोई दक़ीक़ा न रहजाय इस तरह पर कि तफ़सील की मीज़ां कुल परगने की मीज़ां से मुताबिक़ हो तरतीब हरूफ़ तहज्जी पर हो और अंगरेज़ी में नाम बमूजिब क़ायदे नक़्शे १ १ हिदायतनामा बन्दोबस्त के सिलसिला नम्बर १ पर रुजू चाहिये ✦ ज़मीनों के लिखाजाय इन नक़्शाजात का क़ायदा यह है कि ज़मीन रक़बात तफ़सीलवार मुन्दरिज हों और मीज़ानें जो इन तफ़सीलों से हासिल होती हैं व लगाई जांय रक़्मात अफ़सर बन्दोबस्त के जनरल स्टेटमेन्ट याने नक़्शे आम से अख़ज़ की जांय इन नक़्शों की तरतीब में बहुत एहतियात दरकार होगी क्योंकि अगर सहीह नहीं तो बिलकुल नाकारा हैं तरतीब में ख़ास फ़ारसी हरूफ़ पर लिहाज़ हो याने जब दो नामों का पहिला हर्फ़ एक हो तो दूसरे हर्फ़ पर और अगर दो हर्फ़ एक हों तो तीसरे हर्फ़ पर लिहाज़ किया जाय अहल हिन्द इसको कमतर समझते हैं ✦

दफ़ा १६ मुनासिब है कि नक़्शाजात अव्वल उर्दू बनें फिर अंगरेज़ी में तर्जुमा हों ✦

दफ़ा १७ तीसरा हिस्सा नक़्शाजात जुग़राफ़िया और यह हिस्सा परगनः व ज़िला के नक़्शाजात से मुरक्कब होगा ✦

दफ़ा १८ परगनात के नक़्शे एक इंच फ़ी मैल के अन्दाज़े से बनाये जायंगे और उन में हर गांव की हदें और मौक़े आबादी और राहें और नदियां मुन्दरिज होंगी ✦

दफ़ा १९ ज़िले के नक़्शे एक इन्च फ़ी चार मैल के अन्दाज़ पर मुरत्तब होंगे और जितने देहात अढ़ाई सौ घर से ज़्यादा के हों

उनका मौक़ा और नाम मुन्दरिज होगा और जितने छोटे और देहात मुमकिन हों तहरीर के तरीक़े से गांव की मिक़दार और मौक़ा और ख़ासीयतें मालूम होंगी सड़कें और नदियां मुन्दरिज होंगी क़िस्मतें और रंग परगनावार हों ❖

दफ़ा २० इसके सिवाय तीन नक़्शे होंगे जिनमें सिर्फ़ परगना और बड़े क़सबात मुन्दरिज होंगे और उनके रंग तहसीलवार और थानावार और मुन्सिफ़ीवार अलाहिदा अलाहिदा हों जहां परमट की सरहद हो वहां तक और नक़्शा हो जिससे परमट की हद और चौकी और इलाक़ा जाना जाय ❖

दफ़ा २१ यह नक़्शे बवजह अहसन छापे जायंगे और हर ज़िले की अलाहिदा जिल्द बनेगी ❖

तफ़सील तरीक़े तहरीर

जो गांव अढ़ाई सौ घर से कम हो	Agra
अढ़ाई सौ से हज़ार तक	Agra
हज़ार से दो हज़ार तक	Agra
दो हज़ार से ऊपर	AGRA
थाना	♁
तहसीलदारी	⊕
कचहरी मुनसिफ़ी	-○-
चौकी पुलिस	♁
खुली चौकी परमट की	♁
बाज़ार बक़ैद दिन के	M F — मौक़े के नीचे बतौर अलामत बाज़ार के पहिले हरफ़ लिखे जांय ❖
क़सबात या परगने का मुक़ाम	II
मुक़ाम सदर ज़िलअ	⚑
डाक घर	♁
डाक चौकी	♁
क़िलअ	□
उनमें से जो बाज़े एक जगह हों	II
पगडंडी	⁓
गाड़ी की राह	⁓

नक़शा रजिस्टर देहात परगने फ़लां ज़िले फ़लां

नम्बर परगना	गांव का नाम उर्दू में	गांव का नाम व खत्त अंगरेज़ी	बन्दोबस्त की जमा कामिल	कुल रक़बा व कैद एकड़	ज़मीन मुआफ़ी बकैद एकड़	रक़बा खिराजी बकैद एकड़ — मज़रूआः — आबपाशी	रक़बा खिराजी बकैद एकड़ — मज़रूआः — ग़ैर आबपाशी	रक़बा खिराजी बकैद एकड़ — क़ाबिल ज़िराअत	मरदुम शुमारी सन १८ ईस्वी — हिन्दू — मज़ारे	मरदुम शुमारी — हिन्दू — ग़ैर मज़ारे	मरदुम शुमारी — मुसलमान — मज़ारे	मरदुम शुमारी — मुसलमान — ग़ैर मज़ारे	कैफ़ियत
१	अकबरपुर		६००)	७००	२०	१४५	६५६	५०	२००	५०	४४	३६	
२	सोसरी		६००)	६००	६०	२००	६८४	६०	१७८	१६	१०१	२४	
३	औमरी		१४००)	२०००	७८	६५६	१२४५	१५०	६२३	६८	२१३	१७	२—१
४	दौलतगंज		५००)	५००	२३	१४८	२३५	१२०	२३	६	२०६	३४	
५	डोमरी		८००)	७००	३२	२८३	६००	६२	१६२	४१	६७	२०	४
६	रोबन		४६६)	६४२	४५	१५७	८१०	३६	२०६	१६	००	७	
७	रचनी		५००)	५६७	१५	६८	३२१	१४	१०५	४३	५६	२	
८	सगरौढ़ः		२६४५)	३४००	७६	१४५०	१५६२	१४८	१४३२	५६	८५	००	
९	सैनपुर		३४८१)	३२६६	३५	७६०	१२१८	२४५	१०४०	२५	००	००	
१०	शुजाअतपुर		५००)	६८१	६८	६६	४०२	१२१	२००	१६७	५४	४१७	
११	कड़वारा		६००)	४५६	५४	१०२	२२१	२७	२१६	३०	७४	००	
१२	गौरी		६००)	२६७	८	१०५	४५	३८	७८	४०	२०	२६	२

डिपटी कलक्टरों को इख़्तियारात ख़ास मुन्दर्जे दफ़ा २० क़ानून ७ सन १८२२ ईसवी और क़िस्मत बनारस के साहबान कलक्टर और डिपटी कलक्टरों को इख़्तियारात ख़ास मज़कूर दफ़ा २ क़ानून ९ सन १८२५ ईसवी के मरहमत फ़रमाते हैं ॰

२ जमीअ हुक्काम माल को चाहिये कि दफ़आत कैल की तरफ़ जिन से इख़्तियारात मज़कूरे बाला का हाल और इस्तेमाल का तरीक़ा वाज़ह होता है मुतवज्जह हों ॰

३ इस फ़रमान से यह मुराद है कि साहबान कलक्टर को इख़्तियार हो कि ज़मीन के हक़ूक़ की फ़र्दें जो बन्दोबस्त के वक़्त तैयार करनी चाहिये थीं उसकी तकमील और जहां कहीं फ़र्दें मज़कूर ख़िलाफ़ वाक़े हों उसकी तसहीह करें ॰

४ लेकिन वाज़ह हो कि ऐसे हक़ूक़ की तसरीह उन मुक़द्दमात में मुन्हसिर है जहां क़ब्ज़ व दख़ल हो हक़ूक़ मज़कूर की हदूद और कैफ़ियत की तशख़ीस हो सक्ती है लेकिन अगर कोई शख़्स बरसरोज़ से बे दख़ल है उसका दावा क़ाबिल समाअत के न होगा जब दो फ़रीक़ क़ाबिज़ में साफ़ ज़ाहिर हो कि एक फ़रीक़ ने किसी हक़ से नफ़ा उठाया है तो इजाज़त नहीं कि वह हक़ किसी और की तरफ़ मुन्तक़िल हो मिल्कियत मुश्तरिका में हक़ूक़ की तसरीह और तशख़ीस करनी और तक़सीम का हुक्म देना जायज़ होगा क़ानून ७ सन १८२२ ईसवी की दफ़ा १४ की इबारत से इस इख़्तियार मोहतमे माल को तरीक़ा बख़ूबी ज़ाहिर है और वाज़ह हो कि दफ़ा १६ क़ानून मज़कूर के मरातिब जारी नहीं किये जाते ॰

५ इख़्तियार है कि साहबान कलक्टर वग़ैरा इस्तिग़ासा नामंज़ूर करें जहां तहक़ीक़ात की ज़रूरत मालूम न हो और यह ज़रूर नहीं कि जिस अम्र का दावा मायल करे उसी पर तहक़ीक़ात मुन्हसिर हो यह भी जायज़ है कि अपने ही इख़्तियार से ओहदादारान माल किसी बात की तहक़ीक़ात शुरू करें या जो तहक़ीक़ात किसी फ़रीक़ के सवाल पर शुरू हो उसको जिस तरह मुनासिब जानें बढ़ावें दीवानी और माल के महकमों में यही अस्ल तफ़ावत है याने मुस्तग़ीस जब दीवानी में मुक़द्दमा पेश करता है महकमे मज़कूर पर उसकी तजवीज़ वाजिब होती है और कारवाई भी उसी के इस्तिफ़ा

वही में मुन्दरिज करें तो एक रूबकारी में नक़्क़ीक़ात गुरू क-
रने की वजह तसरीह से लिखें और अपील के वक़ साहब
कमिश्नर को इस बात की तजवीज़ करने का इख्तियार है
कि साहब कलक्टर की वजूहात मज़कूरा काफ़ी हैं या नहीं औ-
र कारवाई का जो तरीक़ा साहब कलक्टर ने तजवीज़ किया क़-
रीन मसलहत है या नहीं एहतियात चाहिये कि इसतरहके मु-
क़द्दमात इस कसरत से दायर न किये जांय कि बहुत सख्त
की गुफ़्तगू जिसका इन्फ़िसाल जल्द मुमकिन नहो बे वजह
कामिल पेश की जाय ❖

तिम्मा नम्बर २६

मुतअल्लिके दफ़ा २६८

नम्बर १ साहब कलक्टर की रपोर्ट ॥

सरसरी मुक़द्दमात की रपोर्ट ज़िले फ़लां माह व सन फ़लां

ग़ालिब का नाम और ओहदा	पिछले महीने के शुमार में जो बाक़ी रहा			इस महीने में दायर हुए			मीज़ान			जो तजवीज़ पर फ़ैसल हुए			जिनमें तसफ़िया या हुक्मा या बाज़दावा दाख़िल हुआ			मीज़ान			महीने के अख़ीर जो बाक़ी रहे			महीने के अख़ीर जो बाक़ी रहे उन में सबसे पहिले मुक़द्दमे की तारीख़	कैफ़ियत
	लगान और मालगुज़ारी वग़ैरह वाजिबुलअदा कुर्क़ी के वास्ते	ज़ियादा तलबी	बेदख़ली	लगान और मालगुज़ारी वग़ैरह वाजिबुलअदा कुर्क़ी के वास्ते	ज़ियादा तलबी	बेदख़ली	लगान और मालगुज़ारी वग़ैरह वाजिबुलअदा कुर्क़ी के वास्ते	ज़ियादा तलबी	बेदख़ली	लगान और मालगुज़ारी वग़ैरह वाजिबुलअदा कुर्क़ी के वास्ते	ज़ियादा तलबी	बेदख़ली	लगान और मालगुज़ारी वग़ैरह वाजिबुलअदा कुर्क़ी के वास्ते	ज़ियादा तलबी	बेदख़ली	लगान और मालगुज़ारी वग़ैरह वाजिबुलअदा कुर्क़ी के वास्ते	ज़ियादा तलबी	बेदख़ली	लगान और मालगुज़ारी वग़ैरह वाजिबुलअदा कुर्क़ी के वास्ते	ज़ियादा तलबी	बेदख़ली		

नम्बर २ साहब कमिश्नर की रपोर्ट ॥ ❊ ॥

माहवारी नक़्शे अपील मुक़द्दमात सरसरी क़िस्मत फ़लां

पिछले महीने के आख़ीर जो बाक़ी रहे			इस महीने में दायर हुए			मीज़ान			जो तजवीज़ पर फ़ैसल हुए			जिन में तसफ़िया हुआ या बाज़ दावा दाख़िल हुआ			मीज़ान			महीने के आख़ीर जो बाक़ी रहे			तादाद दरख़ास्त अपील जो नामंज़ूर हुईं			कैफ़ियत
लगान और मालगुज़ारी ख़ाह बग़ुज़ाश्त कुरकी के वास्ते	ज़्यादा तलबी	बे दख़ली	लगान और मालगुज़ारी ख़ाह बग़ुज़ाश्त कुरकी के वास्ते	ज़्यादा तलबी	बे दख़ली	लगान और मालगुज़ारी ख़ाह बग़ुज़ाश्त कुरकी के वास्ते	ज़्यादा तलबी	बे दख़ली	लगान और मालगुज़ारी ख़ाह बग़ुज़ाश्त कुरकी के वास्ते	ज़्यादा तलबी	बे दख़ली	लगान और मालगुज़ारी ख़ाह बग़ुज़ाश्त कुरकी के वास्ते	ज़्यादा तलबी	बे दख़ली	लगान और मालगुज़ारी ख़ाह बग़ुज़ाश्त कुरकी के वास्ते	ज़्यादा तलबी	बे दख़ली	लगान और मालगुज़ारी ख़ाह बग़ुज़ाश्त कुरकी के वास्ते	ज़्यादा तलबी	बे दख़ली	लगान और मालगुज़ारी ख़ाह बग़ुज़ाश्त कुरकी के वास्ते	ज़्यादा तलबी	बे दख़ली	

इश्तिहार

गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट १७ सितम्बर सन १८५६ ई०

नम्बर १६३८ A जनाब नव्वाब लफ़्टिनेन्ट गवर्नर बहादुर को क़ानू-
न ७ सन १८२२ ईसवी की दफ़ा २० की रू से इस बात का इख़्तियार
दिया गया कि साहबान कलक्टर और उन अहल्कारों को जो ममा-
लिक मुक़ाबिज़ा और मफ़्तूहा में साहब कलक्टर के इख़्तियार से का-
म करते हों उसी दफ़ा और क़ानून मज़कूर की दफ़ा १४ के मुता-
बिक़ और भी क़ानून ६ सन १८२५ ईसवी की दफ़ा ३ के मुवाफ़िक़
मुल्क बनारस में उसी क़िस्म के अहल्कारों को इस बात का इख़्तियार दे
कि नामबुर्दगान दरख़ास्तहाय नालिश को बाबत निज़ाअ दख़ल
या बाबत क़बज़ा जो ज़मींदार या काश्तकार ताबे के दरमियान वा-
क़ा हो तजवीज़ करके बलिहाज़ क़यूद मुन्दर्जे ज़िम्न २ दफ़ा २० क़ा-
नून ७ सन १८२२ ईसवी और ब रिआयत उन शरायत और क़यूद
के जो नीचे लिखे हैं बतौर सरसरी फ़ैसल करें चुनांचे इख़्तियारात
मज़कूर दफ़आत मज़कूर के मुताबिक़ मोसीइलैहुम को ममालिक
मुक़ाबिज़ा और मफ़्तूहा और मुल्क बनारस में मुफ़व्विज़ हुए ॰

दफ़ा १. जब ज़मींदार ब इख़्तियार ज़मींदारी अपने काश्त-
कार को बेदख़ल करने के लिये अदालत माल में नालिश करे तो
अगर काश्तकार ब ज़ात ख़ुद या विरासतन बारह बरस से ज़्यादा
अर्से तक बिला हुसूल वसीक़ा मीआदी अपनी जोत मक़बूज़ा पर
जिससे उसको बेदख़ल करना मतलूब है क़ाबिज़ न रहा हो या और
तौर पर हस्ब दस्तूर मुस्तमिरा ज़िला या रस्म रवाज गांव काश्तकार
को इस बात का इस्तहक़ाक़ नहीं है कि वह बिलइस्तमरार या बव
जह विरासतन अपनी जोत पर या और खेतों पर जिनके मुआविज़े
में उसी क़ीमत के खेत उसको हवाले हों क़ाबिज़ रहे या काश्तका-
र किसी फ़रीक़ के ज़रिये से जिसकी बाबत की हस्ब ज़ाबिता ता-
मील हुई है और जिस की मीआद न गुज़री तो उसको इस्तहक़ाक़
ज़मींदाराना जारी करना चाहिये ॰

दफ़ा २. अगर काश्तकार न नाराज़ी बे दख़ली बवजह हुक्म
न की ज़िला में एक बरस की मीआद के अन्दर नालिश करे तो

उसको फिर दखल देना चाहिये इल्ला उस सूरत में कि बेदखली म ज़कूर कानून के मुताबिक़ ज़हूर में आई हो या काश्तकार एक बरस से ज्यादा अयाम तक काबिज़ रहने से पेश्तर बेदखल हुआहो या यह कि उसके पट्टे की मीआद मुन्क़ज़ी हो गई हो या यह कि काश्तकार बिला हुसूल पट्टा अपनी जोत पर बारह बरस से कम अयाम तक काबिज़ रहाहो पर शर्त यह है कि बवक़ूअ सूरत आख़िरी फ़सली सालतमाम से पेश्तर जिसकी तारीफ़ क़ायदे मा बाद में लिखी है किसी काश्तकार को उसकी जोत से बेदखल करना न चाहिये ॥

दफ़ा ४ अगर अस्नाय साल के किसी वक्त क़ायदे २५ के मुताबिक़ मुक़द्दमे का फ़ैसला होवै तो जो डिगरी इस फ़ैसले की रू से सादिर हो उसके इजरा के ज़रीए कोई काश्तकार जो बग़रज़ तरद्दुद आराज़ी काबिज़ हो बेदखल नहोगा इल्ला फ़सली के साल आखीर में याने जबकि आराज़ी मुद्दआबिहा की फ़स्ल रबीअ काटी जाय और उसके बाद पहिली जुलाई गुज़र न ले ॥

मुक़ाम आगरा २६ सितम्बर सन् १८५६ ईसवी

सरकुलर नम्बर १७

बनाम जमीअ हाकिमान माल ममालिक मग़रबी व शिमाली

हुक्काम सदर बोर्ड इन ममालिक के जमीअ हाकिमान माल को तरफ़ इश्तिहार मजरिये गवर्नमेन्ट नम्बर १६७८ हर्फ़ (A) मवर्रिख़े १७ सितम्बर सन् १८५६ ईसवी जिसकी रू से बमूजिब दफ़ा १४ व २० कानून हुक्म सन् १८२२ ईसवी वास्ते तसफ़िये मुक़द्दमात मुतअल्लिक़े बाबत बेदखली और इश्तिहार मुन्दर्जे दफ़आत मज़कूरा जमीअ कलक्टरान व दीगर अफ़सरान जी इख्तियार कलक्टर को इख्तियार दिया गया है मुतवज्जह करते हैं ॥

२ वाज़ह हो कि क़वायद मुन्दर्जे इश्तिहार गवर्नमेन्ट में क़वायद मुन्दर्जे दफ़ा १० ज़िम्न २ सरकुलर छापा सदर बोर्ड नम्बर २ मवर्रिख़े ३ जनवरी सन् १८४० ईसवी और भी दफ़ा १२६ हिदायत नामाबंदोबस्त

मैन दफा १३० हिदायतनामा माल गुज़ारी मन्सूख होते हैं ॥

३ यहां यह अम्र क़रार पाया था कि रऐयत को कि उसका इ-स्तहक़ाक़ क़बज़ा बेदरोग़ा हो तो भी क़ानूनन् ज़मीदार बिदून नालिश नम्बरी के बे दख़ल नहीं कर सक्ता है और अगर किसी और तौर से बेदख़ल कर दिया जाय तो साहब कलक्टर को लाज़िम है कि उसका क़बज़ा बहाल करें ॥

४ अब इख़्तियार दिया गया कि हुक्काम माल ज़मींदार की नालिश व दावा इस्तहक़ाक़ वे दख़ली समाअत करें और बाज़ हालात में ज़मींदार का हक़ निसबत इख़राज काश्तकार अपनी तजवीज़ से भी जहां तक अदालत माल को इख़्तियार है तसलीम करें लिहाज़ा अब ज़मींदार को इस क़िस्म के मुक़द्दमात में नालिश सरसरी करने की मुमानअत नहीं है ताकि नालिश नम्बरी करनी पड़े ॥

५ जिन मुरासिलात के ज़रीए से कारवाइयों में यह तबदील मुताबिक़ ज़हूर में आई बमूजिब हिदायत गवर्नमेन्ट ख़ास व आम की इत्तिला के वास्ते मुश्तहर किये जांयगे लेकिन बेहतर होगा कि हाल में हिदायतन कुछ कैफ़ियत लिखी जाय ॥

६ क़ायदा दूसरा ज़मींदार की नालिश वास्ते बे दख़ली काश्तकार ग़ैर मौरूसी के महकमे अदालत माल में सिर्फ़ उस हालत में समाअत होगी जब क़बज़ा काश्तकार का बारह बरस से कम होगा और जहां यह उज़्र काफ़ी पेश होगा कि क़बज़ा बारह बरस से बराबर चला आया है नालिश सरसरी डिसमिस होगी सिवाय उस हालत के जब क़बज़ा बज़रीऐ पट्टा मीआदी तहरीरी के हो ॥

७ जब क़बज़ा थोड़े दिनों का हो और कोई उज़्र मुस्तहकम जानिब काश्तकार से बज़रीऐ इक़रार नामा या पट्टा बहाली क़बज़ा के पेश नहो तो डिगरी बहक़ ज़मींदार होगी यह अम्र मुआमले लगान से जो काश्तकार बारह बरस तक बिला कमी बेशी के अदा करता रहा है मुत्अल्लिक़ है क़बज़ा जो इस ऐयाम तक बराबर चला आया है अगरचे लगान में कमी बेशी होती आई हो मैं क़बज़ा जो मुताबिक़ उसही लगान पर रहा आया हो बे दख़ली की नालिश का मानै होगा ॥

८ जो पट्टा कि मीआद उसकी ख़त्म होने वाली है उस हालत

में बसबब पैदा होने हक़ क़िदामत के मुस्तस्ना है जो क़बज़ा फ़क़त
एक पट्टे की रू से या बज़रीये पट्टाजात मुवहूला वास्ते ऐयाम जायद
मीयाद द्वाज़दह साला के हो माने हक़ ज़मीदार वास्ते रुजूअ कर
ने दावा बेदख़ली बक़्त इन्क़िज़ाय मीआद इस क़िस्म पट्टःजात के
न होगा लेकिन ऐसा भी हो सक्ता है कि अलावा पट्टा के वही क़ावि
ज़ हक़ क़दीम काश्तकारी का रखता हो और यह भी मुमकिन है
कि शायद किसी काश्तकार को जो हक़ क़दीमी क़बज़े का रखता
हो पट्टा चंद साला दिया गया हो ऐसे मुक़द्दमात में अदालत सरसरी
में यह अमर तनक़ीह तलब होगा कि यह क़बज़ा बज़रीये ख़ास पट्टा
के है या कोई हक़ क़दीम काश्तकारी का भी अलावा पट्टा के है तो दर
सूरत साबित होने इस क़िस्म के हक़ के ज़मीदार का दावा बेदख़ली
पिज़ीराई के लायक़ न होगा ॥ ❖

९ बहुत शाज़ व नादिर क़िस्म के मुक़द्दमात का हवाले इन अल

फ़ाज़ मुन्दर्जे क़ायदे आनो में कुछ
हाशिये पर लिखे हैं दिया गया है
बाज़ मुक़द्दमात में यह तरीक़ा
मशहूर है कि काश्तकार जिस

या और खेत बराबर क़ीमत के
उनकी बजाय ॥

का हक़ क़दीमी क़बज़े का है अपनी खेत को बदल लेता है
और ब निसबत नये खेत के जिस पर क़ाबिज़ है कुछ ख़्याल नहीं
होता बल्कि वैसाही हक़ क़दीमी क़बज़े का जो उसको अस्ल खेत
पर था हासिल रहता है जहां यह तरीक़ा मुरव्विज हो उस पर लिहाज़
किया जाय और उसी के मुवाफ़िक़ क़बज़ा बहाल किया जाय ·

१० जुमला मक़द्दमात में सिवाय सूरत मज़कूरे दफ़ा बाला के
यह अमर कि आया क़बज़ा बहाल रहे या न रहे इसपर मुन्हसिर हो
गा कि उसी खेत पर बराबर क़बज़ा चला आता है ऐसा हो सकता है
कि हक़ क़दीमी किसी काश्तकार का एक जुज़्व पर हो और दूसरे
जुज़्व पर नहीं ॥ ❖

११ किसी शख़्स का क़बज़ा जो क़ाबिज़ हाल को ब तरीक़े म
मूली बरासत के मिला हो माबैन मीयाद दोआज़दः साल तमीयज़ हो
कर काश्तकार को उस सरसरी नालिश से जो उसको बेदख़ली के वास्ते
दायर हो महफ़ूज़ रक्खेगा ॥ ❖

१२ क़ायदा तीन इस क़ायदे से वह रियायत तनकीह होगी जिनकी बिना पर काश्तकार का क़ब्ज़ा बहाल रहेगा *

१३ अगर काश्तकार का क़ब्ज़ा पूरे एक साल से कम का होगा तो उसका क़ब्ज़ा बहाल न रहेगा *

१४ अगर काश्तकार अखीर साल तरद्दुदीपर बे दखल हुआ हो और भी साबित हो कि उसका क़ब्ज़ा बारह बरस से कम है और किसी तरह का हक़ ब ज़रीये पट्टा या और किसी ज़रीए से बराबर न चला आया हो तो उसका क़ब्ज़ा बहाल न रहेगा *

१५ अगर काश्तकार वक्त इन्क़िज़ाय पट्टा मीआदी और अ-दम सबूत इस बात के कि सिवाय ऐसे पट्टे के और किसी तरह का हक़ क़दीमी क़ब्ज़ेका है बे दखल किया जाय तो उसका क़ब्ज़ा बहाल न होगा आखीर दफ़ा ८ देखा जाय *

१६ अगर कोई काश्तकार तरीके मुरव्विजा या रियायत पट्टा के खिलाफ़ करे या खिलाफ़ करने का इरादा करे मसलन ज़मीन पर इमारत बनावे या इरादा करे या दरख्त लगावे या इरादा करे व अला हाज़ुलक़यास अगरचे अन्दर मीआद पट्टा के भी हो तो इस हाल में हस्ब सवाबदीद साहब कलक्टर उसका क़ब्ज़ा बहाल भी हो सक्ता है और नहीं भी साहब कलक्टर को इख्तियार होगा कि काश्तकार को ऐसी हरकत की बवज़ह ज़मीन से बे दखल करें या नया पट्टा उसको इस शर्त पर दें कि हरकात मज़कूरा से बाज़ आवे लेकिन तरीका मामूली यह होगा कि अगर मालूम हो कि उसने अहद शिकनी की या रियायत ज़रूरी मुन्दर्जे पट्टा या नोईयत क़ब्ज़ा की तामील न की तो उसका क़ब्ज़ा बहाल न रहेगा *

१७ जिस काश्तकार का क़ब्ज़ा एक साल से ज़्यादा का हो इस क़िस्म मुक़द्दमे में जिसमें बे दखली उसके खिलाफ़ मरज़ी या और तरह पर क़ब्ल इख्तिताम साल तरद्दुदी के हुई हो उसका क़ब्ज़ा बहाल रहेगा *

१८ जहां अराज़ी पर काश्तकार का क़ब्ज़ा अलावा पट्टा मीआदी के बहालत खुद या ब ज़रीये विरासत वास्ते मीआद ज़ायद ... [illegible] साल के पाया जाय और उसका क़ब्ज़ा ब वाजबी ... [illegible] मुन्दर्जे दफ़ा २६ के मालूम न हुआ हो या जिन मुक़ाम

पर काश्तकार ऐसा हक़ ज़मीन में रखता हो जिसकी तसरीह दफ़ा ६ में की गई मुतअल्लिक़ उसी क़ायदे मादूमी के काश्तकार का दख़ल बहाल रहैगा ॥

दफ़ा १९ बीच मुआमले पट्टा शिकमी अतीए काश्तकार के काश्तकारान शिकमी निसबत इख़्तियार ज़मींदार के ब ममूजन असल काश्तकार के बहाल रहेंगे या ख़ारिज होंगे क्योंकि काश्तकार शिकमी का दावा असल काश्तकार पर व निसबत दावा असल काश्तकार और ज़मींदार के ज़ईफ़ होता है इस वास्ते कि पट्टा शिकमी अकसर औक़ात क़लील ऐयाम के वास्ते ख़याल किया जाता है लेकिन हर मुक़द्दमा रूदाद पर तजवीज़ होगा और किसी मुक़ाम में अगर हक़ूक़ शिकमी काश्तकारी के ज़्यादा मुस्तहकम पाये जांय तो नालिश सरसरी से हस्ब क़वायद सरकुलर हाज़ा बहाल रहैंगे ॥

२० क़ायदे चौथे में कैफ़ियत की इहतियाज नहीं ॥

२१ इस सरकुलर के बमूजिब जो मुक़द्दमात दायर होंगे हर तरह उन मुक़द्दमात के मुताबिक़ फ़ैसल होंगे जो हाल में बेदख़ली और ज़्यादा सितानी की बाबत दायर हो तेहैं और नक़शःजात मुक़द्दमात सरसरी में ज़ेर मद्द बेदख़ली मुन्दरिज होंगे लेकिन साल तमाम की रपोर्ट माल के साथ एक नक़शा भेजा जायगा जिसमें तादाद मुक़द्दमात सरसरी जो ज़मींदार की तरफ़ से काश्तकार के । और काश्तकार की तरफ़से ज़मींदार के नाम दायर हों व तफ़रीक़ पाई जाय ॥

२२ अगरचे हुक़ूक़ काश्तकारान मुस्तक़िल इस्तिहार . . . र्नमेन्ट और इस सरकुलर में बतौर क़बज़ा मुरव्वजा और . . . लिखे गये लेकिन इससे यह ख़याल न करना चाहिये कि . . . र और क़िस्म के हक़ूक़ नहीं रख सक्ते बल्कि काश्तकार का . . . र बाबत इन्तिक़ाल अपनी काश्त के दूसरे की तरफ़ इस . . . कि असल काश्तकार ज़मींदार का ज़िम्मेदार रहै एक अर्से से . . . ने तसलीम किया है यह तरीक़ा कि काश्तकार अपनी काश्त को . . . रिहन रखने का मजाज़ है बहुत अतराफ़ में मुरव्वज है जहां इन्तिक़ाल हक़ क़बज़े आराज़ी का जिसकी लगान मालिकों को दी जाती

मुनासिब हो सरकार और सरकार के हाकिमों को भी तसलीम करना चाहिये ॥

२३ किसी कानून में तसरीह काश्तकारों के हुक़ूक़ की न होने में क़वायद मुतअल्लिक़ बाज़ अक़साम काश्तकारों के जिनको इख्तियार इन्तिक़ाल का हासिल नहीं मुन्दरिज हैं लेकिन यह नहीं लिखा कि इस क़िस्म के भी काश्तकार हैं जिन को इन्तक़ाल का इख्तियार हासिल है या हासिल कर सकते हैं ॥

२४ वाज़ह हो कि सरकार को खानगी उमूरात में जिनके ज़रिये से इस्तहक़ाक़ इन्तक़ाल काश्तकारी का पैदा हो कुछ उज़्र न होगा और कोई दख़ल ज़मींदारों की तरफ़ से निसबत तसलीम करने ऐसे हक़ूक़ के या पैदा होने के मुवाफ़िक़ मरज़ी और फ़ायदः अशख़ास मुतअल्लिक़ा के न होना चाहिये ॥

२५ अलावा इसके वाज़ह होता है कि क़वायद और कार रवाई जो बाबत बेदख़ल करने या दिला पाने दख़ल के हस्ब तजवीज़ हाल किसी तरह पर मुआमले शरह लगान वाजबी में जिस की बाबत काश्तकार को इख्तियार क़ब्ज़ः दवामी का रखता हो जिम्मःदार से मुतअल्लिक़ नहीं होते हैं ॥ ❖

तितिम्मः नम्बर २७

मुतअल्लिके दफ़ः २८७

इश्तहार सदर दीवानी अदालत मगरबी मवर्रिख़े २४ दिसम्बर सन १८४८ ईसवी नम्बर १८५९

चूंकि, क़वायद मुफ़स्सिले ज़ैल दरबाब कुरक़ी और नीलाम जायदाद के, मुतअल्लिक़ इजराय डिगरी अदालत दीवानी दफ़ः ११ एक्ट नम्बर १४ सन १८४८ ईसवी के मुताबिक़ गवर्नमेन्ट आला से मनज़ूर हुए हैं लिहाज़ा बमूजिब हुक्म हुक्काम सदर दीवानी मुमालिक मग़रबी के वास्ते इत्तिला ख़ास व आम और हिदायत हुक्काम अदालत मातहत के छापे जाते हैं ॥ ❖

क़वायद

बाबत नीलाम आराज़ी और हक़ हक़ूक़ मुतअल्लिके आराज़ी मालगुज़ारी के ब इल्लत इजराय डिगरी अदालत दीवानी व मुक़त्ताव दफ़ा एक नम्बर ४ सन् १८४६ ईसवी ॥ ० ॥

अव्वल ज़मीन मालगुज़ारी और उसके हक़ व हक़ूक़ का नीलाम ब इल्लत इजराय डिगरी अदालत दीवानी साहब कलक्टर ज़िला की मारफ़त हर महीने की बीसवीं तारीख़ हुआ करेगा बशर्तेकि उस रोज़ एतवार या और तातील का दिन नहीं वरना बाद उसके जिस दिन कचहरी खुलै उसी दिन ॰

दोवम जब किसी हाकिम दीवानी को ज़रूरत पड़े कि डिगरी की इल्लत में ऐसे हक़ूक़ का नीलाम करावें जो मुहाल या आराज़ीन मालगुज़ारी में किसी शख़्स के मक़बूज़ा ज़ाहिर किये जावें और ऐसे न हों कि हुक्काम दीवानी बे इत्तिला हाकिमान सरिश्ते माल नीलाम उनको करसक्ते हों इस सूरत में हाकिम इजराय डिगरी को चाहिये कि साहब कलक्टर या दूसरे हाकिम मानिन्द के पास जिसे इस काम का इख़्तियार मुतअल्लिक़ हो कारवाई इजराय नीलाम व इन्दिराज कैफ़ियत मुन्दर्जे दफ़ा ७ ऐक्ट ४ सन १८४६ ईसवी व मूजिब नक़शा नम्बर १ के बे वास्ते और तामील के भेजें ॰

सोवम जब कुर्क़ करना उन आराज़ियात का जिनका नीलाम ब इल्लत इजराय डिगरी मक़सूद है मसलहत वक़्त होवे तो हाकिम दीवानी साहब कलक्टर या दूसरे हाकिम मज़कूर के नाम हुक्म दें और हाकिमान मज़कूर फ़िलफ़ौर बमूजिब क़वायद कुर्की ब इल्लत बाक़ी ता मुद्दत मुऐयने अदालत कुर्क़ करके अपने एहतमाम में रक्खें मगर वाज़ेह हो कि जब फ़स्ल की तैयारी के सबब या और मुक़द्दमे की दरख़ास्त या और किसी वजह मुनासिब से गुमान हो कि कुर्क़ न करने से महासिल में नुक़सान तसर्रुफ़ का होगा तब हाकिम अदालत पर वाजिब है कि कुर्क़ी और ज़ब्ती का हुक्म नाफ़िज़ करें और तसफ़िया उस तारीख़ तहसील

शशुम जमीश उज़रात नीलाम के उसी ऋदालत से पेश हो ने चाहियें जहां से इजराय डिगरी का हुक्म हुआ और उनका नम्फ़िया हस्ब मामूल बमूजिब ऋहकाम ज़िम्न ४ और ५ दफ़ा ७ क़ानून ७ सन १८२५ ईसवी के उन्हीं ऋदालतों से होगा और साहब कलक्टर वग़ैरा हाकिम मज़कूर को जायज़ न होगा कि नीलाम मुलतवी करें सिवाय सूरतों ज़ैल के याने बमूजिब हुक्म ऋदालत दीवानी के जो क़बल इश्तिहार नीलाम के पहुंचे या नखास व कमाल ज़र वाजिबुल वसूल बिला शर्त दाख़िल हो जाय या डिगरीदार कुल ज़र मतालबा की रसीद दाख़िल करे या उस हालत के बमूजिब जो दफ़ा १३ क़ानून ऋव्वल सन १८४१ ईसवी में मज़कूर है कि शरायत उस दफ़ा की नीलाम इजराय डिगरी से इल्म सदर दीवानी के इस हुक्म के बमूजिब मुतऋल्लिक़ की जाती हैं ऋगर ज़र वाजिबुल वसूल ऋदा हो जाय या डिगरीदार की रसीद क़ब्ल इश्तिहार नीलाम के दाख़िल हो तो साहब कलक्टर व गैरा हाकिम मज़कूर जिस ऋदालत से नीलाम का हुक्म आया था यह हाल इत्तिला के वास्ते लिख भेजें और ता हुक्म सानी नीलाम मुलतवी रक्खें ॐ

हफ़्तुम ऋगर ऋदालत से उज़रात दरबारे नीलाम नामंज़ूर हों तो नीलाम ब इन्तिज़ार दरख़ास्त ऋपील मुतऋल्लिक़ा बनाराज़ी हुक्म ना मंज़ूरी उज़रात मज़कूर ता मीऋाद मुऋय्यन हस्ब क़ वायद † मुन्दर्जे हाशिया मुलतवी रहेगा ॐ

† ज़िम्न ५ दफ़ा ३ क़ानून ७ सन १८२५ ईसवी और सरक्युलर सदर दीवानी ऋदालत मुसद्दरे १० जुलाई सन १८३३ ईसवी और कन्सट्रक्शन नम्बर ८४४ और नम्बर ८७७ और सरकुलर सदर दीवानी ऋदालत नम्बर २६ मवर्रिखे २४ [illegible] सन १८४३ ईसवी ॐ

हश्तुम ऋहकाम दफ़ऋात ३१ और ३२ रेग्युलेशन ऋव्वल सन १८४५ ईसवी इस हुक्म से डिगरी दीवानी के नीलामों से मुतऋल्लिक़ किये जाते हैं और दरसूरत होने नीलाम हक़ बज़रिये [illegible] दीवानी मुन्दर्जे रेग्युलेशन ऋव्वल सन १८४५ ईसवी के ऋहकाम [illegible] मज़कूर भी इससे मुतऋल्लिक़ किये जाते हैं ॐ

नहुम जब ज़र [illegible] न [illegible] रुपये सैकड़े [illegible]

मुक़द्दम यह कि मुश्तहिर इश्तिहार नीलाम को दाखिल किया जाय तब
बाक़ीमांदा ज़र समन रोज़ नीलाम से दसवें दिन क़ब्ल गुरूब आफ़ता-
ब के लिया जायगा इस हिसाब से कि वह रोज़ भी मिनजुमले
दस दिन के महसूब हो मगर दर सूरते कि दसवां रोज़ एतवार या
और किसी तातील का दिन हो तो उसके बाद जब पहिले दिन
कचहरी खुले लिया जाय ॥

दहुम जब हस्ब इक़्तिज़ाय दफ़ा बाला ज़र समन दाखि-
ल हो साहब कलक्टर वग़ैरा आमिल मज़कूर नीलाम को मुकम्मि-
ल समझ कर के ज़र समन अमानतन रक्खें और तामील अहकाम
नीलाम की रपोर्ट अदालत दीवानी में भेजें या अगर खरीदार अ-
दम तहवील या इन्कार के सबब ज़र समन के देने से मावैनमी-
आद दस दिन के बाज़ रहे तो चाहिये बाद या बमुजब उसका जो बाक़ी
आराज़ी बक़ाया ज़र मालगुज़ारी के काफ़ी हो उस वक़्त हस्ब सराहत
दफ़ा ६ रेगुलेशन मज़कूर और क़ायदे चहारुम इन क़वायद के बिला
इत्तिला अदालत मज़कूरा के फिर मुश्तहिर बनीलाम करें अदाल-
त में सिर्फ़ इत्तिला इस अम्र की बिला तवक्कुफ़ की जायगी ॥

याज़दहुम नीलाम आराज़ी या हक़ व हक़ूक़ आराज़ी
व मुतअल्लिक़ बज़रिये डिगरी रोज़ नीलाम से तीस दिन गुज़रने के
बाद मुकम्मिल मुतसव्वर होगा बशर्ते कि इस मुद्दत में कोई उ-
ज़्र बाबत नीलाम की निस्बत पेश न हो और ऐसे उज़रात व दर्ख़्वा-
स्त मंसूखी † दफ़ा ५ क़ानून ७ सन १८२५ ईसवी के दीवा-
नी अदालत में तसफ़िया होंगे और दरसूरत नामंज़ूरी के ज़र स-
मन खरीदार की [illegible] मुतअल्लिक़ बाद मुरूर मीआद अपील सा-
री ना मंज़ूरी उज़रात जमा रहेगा ॥

† मशमूला सदर दीवानी अदालत नम्बर २ मुवर्रिखे ६ जून सन १८२९ ईसवी
और मशमूला नम्बर २६ मवर्रिखे १८ अगस्त सन १८४३ ईसवी पर भी इस अम्र की
निस्बत लिहाज़ रखना चाहिये ॥

दुवाज़दहुम बमुजब इश्तिहार नीलाम के जिस अदालत
से नीलाम का हुक्म जारी हुआ है उसके हाकिम को लाज़िम है
कि साहब कलक्टर वग़ैरा हाकिम मज़कूर को इत्तिला इस अम्र की
देकर हुक्म करें कि जब शख़्स मुस्तहक़ ज़र मज़कूर के पाने की

दरख़्वास्त गुज़राने उसको देदें और हाकिम मज़कूर बाद तामील अहकाम अदालत के जिस शख़्स या शख़्सों को रुपया देना है उसकी रसीद अदालत के इत्तलाअ के वास्ते भेजदें और भी हाकिम मज़कूर ख़रीदार नीलाम को बमूजिब हिदायत अदालत दीवानी के दख़ल दिलावें लेकिन अगर हाकिम मज़कूर को दख़ल दिहानी में बमूजिब हुक्म अदालत के कुछ अश्काल मालूम हो तो फ़िलफ़ौर बजिंसही अदालत मज़कूरा में लिख भेजें और बमूजिब हिदायत के अमल करें अगर हाकिम मज़कूर अदालत की हिदायत को दरबाब तामील अहकाम काफ़ी न समझें तो साहब कमिश्नर को इत्तिला करें कि साहब कमिश्नर दरसूरत ज़रूरत के साहबान सदर बोर्ड से इस्तिमज़ाज करेंगे ❖

सेज़दहुम साहब कलक्टर वग़ैरा हुक्काम उन उमूर की तामील में जो इन क़वायद की रू से उनके मुतअल्लिक़ किये गये हैं याने बनिसबत तामील अहकाम के जो उनके नाम सादिर हुए सिर्फ़ कार परदाज़ अदालत दीवानी तसव्वर किये जायेंगे लेकिन सरिश्ते माल के हुक्काम आला इस बात की इत्मीनान करेंगे कि हाकिमान मज़कूर अपना काम बिला तवक़्क़ुफ़ करें और इस ग़रज़ से ऐसी तदबीर करेंगे और वह रपोर्ट तलब किया करेंगे जो उनके नज़दीक मुनासिब हो अगर हाकिम अदालत दीवानी को अपनी वाक़िफ़ीयत या कैफ़ियत मुरसिले अदालत मातहत से मालूम हो कि साहब कलक्टर वग़ैरा हुक्काम बिला वजह मुनासिब तामील नीलाम में देर और हर्ज करते हैं तो हाकिम अदालत फ़िलफ़ौर साहब कमिश्नर को इत्तिला दें कि साहब मौसूफ़ उन हाकिम से कैफ़ियत तलब करके बतौर रफ़ा शिकायत में सई करेंगे ❖

चहारदहुम कोई फ़ेल साहब कलक्टर वग़ैरा हुक्काम का अज़रूय इन क़वायद के माने इस्तिहक़ाक़ सरकार का बाब्त वसूल दावा सरकार के व वसीले क़ायदे मुरव्वजे क़ानून तहसील के मुतसव्वर न होगा क्योंकि सब नीलाम इजराय डिगरी के बमूजिब दफ़ा २० ऐक्ट ४ सन १८४६ ईसवी अन्न क़ाबील इन्तिक़ाल ब ज़रीए ख़ुद ख़रीद के हैं लेकिन हाकिम को इख़्तियार है

नाम और जमा मुहाल की जो नीलाम होनेवाला है याजिसमें मिलकियत वाकै है जिसका नीलाम होगा और परगने जहां वाकै है ❖

नम्बर मुकद्दमे और नाम तरफ़ैन

जिस्की मिलकियत बिकैगी उसका और उसके बाप का नाम

तादाद जिसके वास्ते हरएक शख़्स जिस्की मिलकियत नीलाम होनेवाली है ज़िम्मेदार है याअगरचि लड़नफ़राद ज़िम्मेदार नहीं तादाद रुपये जो नीलाम से वसूल होना चाहिये ✦

मिलकियत को तफ़सील जिसकी बाबत डिगरी जारी करने वाले ने नकशा में लिखा है कि यह लोग हरएक रखते हैं

मुक़ाम आगरह — २६ जौलाई सन १८५६ ईसवी
सरकुलर नम्बर १६०७

हाकिमान दीवानी अदालत अज़लाय ममालिक मग़रबी व शिमाली मक़बूज़ः दफ़ा १ बाद ग़ौर कामिल निसबत इस मुआमलः के कि आया हाकिमान दीवानी को वमादह इनफ़साल की उन नालशात के जो उनके महकमेजात में वास्ते ईज़ाद ज़र लगान के रुजू हों अहाली माल की अयानत तलब करनी करीन मसलहत है या नहीं हुक्काम मुनासिब समझकर अपने मातहत के हाकिमान दीवानी को तरफ़ इस क़ायदह मुंदर्जे दफ़ा ९ ऐक्ट १० सन १८५६ ई० के मुतवज्जह करते हैं कि इस ऐक्ट का कोई मज़मून मानै इसका न होगा कि जिस आराज़ी से जमा सरकारी अदाय होती है इसकी हिसाबों की तहक़ीक़ात व तसफ़िये में हाकिमान दीवानी कलाके फ़ोर्ट विलियम व तवीयत ऐसी हिदायतें मानै की जो वक़्तन फ़वक़्तन अदालत सदर से नफ़ाज़ पावें हाकिमान माल की अयानत लिया करें और हुक्काम ममदूहीन यह भी हिदायत फ़रमाते हैं कि जो नालशात नम्बरी कि इन अज़लाय में वास्ते ईज़ाद लगान के रुजू हों उन सब में हाकिम मुनासिब को मुनासिब है कि हस्ब इजाज़त मुंदर्जे दफ़ा मज़कूरह वाला मालूम करलिया करें कि आया वह मुस्तदई इस अमल दरख़्वास्त का हो कि साहब मौसूफ़ अज़ खुद तहक़ीक़ात शरिश्ते या बज़रिये किसी ऐसे ओहदेदार मातहत के जो हस्ब दफ़ा मा बाद इकार की रूसे इज़हार लेने का मजाज़ हो तहक़ीक़ात मुनासिब अमल में लावें दरबाब इस्तहक़ाक़ ईज़ाद ज़र लगान और बहालत सबूत इस्तहक़ाक़ मज़कूर के लगान मज़ीद की उस मिक़दार की बाबत भी जो इन्साफ़ यो ज़िक्रन ज़रूर हो कैफ़ियत लिख भेजें ❖

कानून ७ सन् १८२२ ई० के हो सिवाय इस क़द्र के कि साहब कलक्टर बजेवज़ डिगरी सिरफ़ यय अप नी लिखैं गे कि किस सूरत की डिगरी होगी ❋
५ गवरमिन्ट के नज़दीक बखूबी अंजाम होना इस काम का जो अदालत के सरकुलर मज़कूर के बमूजिब हुक्काम माल के ज़िम्मे किया गया निहायत मुस्तहसन है साहबान कलक्टर मिसल तहकीकात मये रूबकारात अखीर पेश्तर इसके कि अदालत को बतौर रैटरन भेजें साहबान कमिश्नर किस्मत के पास मंज़ूरी के वास्ते इरसाल किया करैं ❋
६ ऐसे मुक़द्दमात की तादाद और जो अमूर ज़रूरी तहकीकात में ज़ाहिर हों रिपोर्ट साल तमाम माल में मुन्दरज होने चाहियें मगर किसी मुक़द्दमे की सूरत से ज़रूरत खास हो फ़ौरं बज़रिये रिपोर्ट खास के साहबान सदरबोर्ड और गवरमिन्ट की इत्तलाय के वास्ते भेजी जाये ❋
७ यह मुक़द्दमात नमफ़ीये लगान के मिसलबन्द नम्बर ९ में मुन्दरज होंगे ❋

मुक़ाम आगरह ५ सितम्बर सन् १८५६ ईसवी

सरकुलर नम्बर १६ सन् १८५६ ईसवी

बनाम जमीयत हाकिमान माल ममालिक मगरबी व शिमाली

हुक्काम सदरबोर्ड जुमले हुक्काम माल की तरफ़ सरकुलर सदर अदालत दीवानी नम्बर १४४८ मुवर्रखे ४ अगस्त सन् १८५६ ई० के मुतवज्जह और हस्ब मंज़ूरी गवरमिन्ट क़वायद जेल वास्ते वसूल जुरमाने बमूजिब हुक्म अदालत दीवानी मुताबिक़ एक्ट २९ सन् १८५३ ई० के तजवीज़ करते हैं ❋
२ बाबायत सरकुलर नम्बर १ मुवर्रखे ६ सितम्बर सन् १८५३ ई० मुतअल्लिके वसूल खरचै मुक़द्दमात मुफ़लसी बमूजिब उस तरीके कार रवाई के जिसकी तामील के वास्ते अदालत दीवानी मातहत को हाल में हुक्म हुआ है मुतअल्लिक़ ऐसे जुरमानों के है और यह बाबायत बलिहाज़ हिदायत जेल के बखूबी अमल में लाई जावैं ❋
३ नक़शे नम्बर १ खरचै मुक़द्दमात मुफ़लसी के नक़शे नम्बर १ के मुताबिक़ है और मिसल उस नक़शे के इस नक़शे को भी वकील सरकार भरेगा और अलावह कैफ़ियत मुक़द्दमे के तशरीह उस तरीके की जो उसकी राय में वास्ते पैरवी के मुनासिब हो करेगा और वास्ते तलाश जायदाद के मदद चाहेगा इस किसम के मुक़द्दमात नक़शे माहवारी कारगुज़ारी में ज़ेर मद मुक़द्दमात खरचै मुफ़लिसी नम्बर १९ दरज न होंगे ❋
४ नक़शा नम्बर २ मुताबिक़ नक़शा नम्बर २ खरचै मुक़द्दमात मुफ़लिसी के

नम्बर २

रजिस्टर साहब कलक्टर बाबत जुरमाने बमूजिब एक्ट २९ सन् १८५३ ई०

१	२	३	४	५			६
तारीख रजिस्टरी	नम्बर मुक़द्दमा	नाम उस शख़्स का जिसपर जुरमाना हुआ	तारीख़ हुक्म अदालत	तादाद ज़र जुरमानै			अंजाम तदाबीर वसूल जुरमानै

खानजात जो नक्शे नम्बर ४ मशमूले सरकुलर मुवर्रखे ६ सितम्बर सन १८५३ ई० में ज़्यादह किये जायँगे जब कि जुरमाने हस्ब एक्ट नम्बर २९ सन् १८५३ ई० रजिस्टर साहब कलक्टर में मुन्दरज हुए ॥

जुरमानै बमूजिब एक्ट २९ सन् १८५३ ईसवी

२४	२५	२६	२७	२८	२९
बक़ाया याफ़्तनी आख़र माह फ़ुलाँ	तादाद सुवालगी जिसकी रिपोर्ट वकील सरकार ने उसके बाद की	तादाद वसूल	तादाद मआ़फ़ी बमंजूरी साहब कमिश्नर	तादाद बाक़ी याफ़्तनी	कैफ़ियत

तितम्मा नम्बर २८

मुतअल्लिके दफ़ा २८९

तहसीलदारों के हिसाब किताब का दस्तूरुलअमल

सरकुलर मतबूऐ सदर बोर्ड ममालिक मग़रबी नम्बर ३ की छठी फसल

दफ़्तर तहसील के बयान में

दफ़ा १०३ अब सदर बोर्ड वतफ़सील बयान करते हैं कि तहसीलदारी के हिसाब किताब किस तरीक़े से मुरत्तिब रहैं ॥

दफ़ा १०७ पहला काग़ज़ अर्ज़ इरसाल — इस काग़ज़ का यह मक़सद है कि

दफ़ा २१८ तीसरा स्याहा भी आमदनी— इस किताब में सब रक़्मात मुन्दरज हों यानी माल सिवाय सायर तलबाने वग़ैरा जो रक़म हो और जिस काम के वास्ते इरादा है कि अंजाम कार हिसाब किया जाय किसी बात की फ़रोगुज़ाश्त न हो और अगर हो तो ख़ुद तहसीलदार हर फ़रोगुज़ाश्त की बाबत ज़िम्मेदार समझा जायगा ॥

दफ़ा २१९ रक़्मात माल के अन्दराज का तरीक़ै गाँव की क़िस्म हाक़ियत पर मुनहसर है यानी जब मुश्तरक है तो एक मद काफ़ी होगी और जो पट्टीदारी या भैयाचारह है तो जो जो पट्टी काग़ज़ात में मुन्दरज है उसकी अलाहिदह मद हो ॥

दफ़ा २२० इस नक़्शे और और नक़्शजात में एक ख़ाने मुनसफ़ी की अमानत के वास्ते जो डिगरी बाबत जमा होती है मुक़र्रर किया गया कि ऐसी रक़्मात अमानत में लेने की गुफ़्तगू दरपेश है और शायद गवर्नमेन्ट उसको मंज़ूर करे ॥

दफ़ा २२१ इस हिसाब की नक़ल बदस्तख़त तहसीलदार व तहसीलदार व क़ानूनगो हर रोज़ जिसवक़्त स्याहा बन्द हो साहब कलक्टर की कचहरी में रवाने हो और साहब कलक्टर या डिपटी कलक्टर बाद दस्तख़त के दफ़्तर में सौंपें ताकि हिसाब में जालसाज़ी की जगह न रहे साहब कमिश्नर ख़बरदार रहें कि यह हुक्म बताकीद मरई रहे ॥

दफ़ा २२२ ४ बाज़ख़ास— इस हिसाब का सिरफ़ यह मतलब है कि जैसे हर रक़म आमद या ख़रच सियाहा में मुन्दरज हुई वैसे ही इसमें भी चाहिये ॥

दफ़ा २२३ ५ और ६ और ७ यानी खतौनी आम और मौज़ावार— इसका बयान कुछ ज़रूर नहीं सियाहा की हर रक़म इसमें मुन्दरज होगी ॥

दफ़ा २२४ ८ पंदरह रोज़ह— इसका भी ज़िकर कुछ ज़रूर नहीं ॥

दफ़ा २२५ ९ तहसीलदार की इरसाल— इसका भी नज़ाकरह ज़रूर नहीं ॥

दफ़ा २२६ १० तौज़ीह— माह बमाह रवाने होगी ॥

दफ़ा २२७ ११ जमा व ख़रच माहवारी— इसकी बाबत सिरफ़ यह लिखना चाहिये कि सब रक़्मात और हिसाबों की तरह इसमें मुन्दरज हैं ॥

दफ़ा २२८ १२ ख़ुलासै परवानजात— माह ब माह रवाने हो ॥

दफ़ा २२९ १३ नक़ल अरायज़ ॥

दफ़ा २३० १४ नक़ल परवानजात— यानी उन परवानों की नक़ल जिनकी पुश्त पर जवाब लिखकर दफ़्तर कलक्टरी को वापिस भेजे ॥

दफ़ा २३१ १५ इजराय क़ुरक़ी— और यह हुक्म क़ुरक़ी का काग़ज़ है जो साहब

दफ़ा २४९   २९ क़िस्तबन्दी — इसमें मालगुज़ारी की जमा से कमी व बेशी का भी नक़्शा है ❖

दफ़ा २५०   ३० तौज़ीय मालियाने ❖

दफ़ा २५१   ३१ जमा व ख़र्च आसामियाने ❖

दफ़ा २५२   ३२ बक़ाया संवात का नक़्शा ❖

दफ़ा २५३   ३३ नम्बरदारों के दाख़िल ख़ारिज का रजिस्टर ❖

दफ़ा २५४   ३४ पटवारियों के दाख़िल ख़ारिज का रजिस्टर ❖

दफ़ा २५५   ३५ काग़ज़ात सदरख़ले पटवारियान का रजिस्टर ❖

दफ़ा २५६ सदर बोर्ड के नज़दीक इन नक़्शों में ज़रूरियात सब मुन्दरज हैं और कुछ फ़ुज़ूल नहीं अव्वल जारी करते वक़्त अलबत्ते साहबान कलक्टर की तरफ़ से ख़बरगीरी व तनदिही और एहतियात इस बात की कि यक्सी मुरत्तब होते हैं ज़रूर होगी मगर थोड़ी इस्तैमाल में सहल हो जायेंगे और तहसीलदार भी लाकलाम इस तरीक़े यकरंगा की तामील करनी जल्द सीखेंगे ❖

हुक्काम सदर बोर्ड का सरकुलर मतबूआ नम्बर २४ बाबत अमानत मुंसफ़ी के दफ़ा ८९ साहबान सदर बोर्ड हुक्म देते हैं कि तहसीलदारों को फ़हमायश होवे जो रुपये उनके इलाक़े के मुन्सफ़ उन पास मद अमानत में दाख़िल करना चाहें वो लेलें और मुन्सफ़ जिन रक़ूमात की बाबत हुक्म दें ख़रच करें मगर हमेशे इस बात की एहतियात हो कि ज़र ख़रच मीज़ान अमानत से बढ़ न जाय ❖

दफ़ा २०० तहसीलदारों को ज़रूरत न होगी कि जो रक़ूमात दाख़िल या ख़रच की जाती हैं उनकी बाबत मुक़द्दमात और अशख़ास का फ़र्क़ हिसाब रक्खें यह तफ़सील ख़ुद मुन्सफ़ रक्खेंगे तहसीलदारों को सिरफ़ यह एहतियात चाहिये कि रक़ूमात की फ़रद सहीह और तारीखें आमद व ख़रच की लिखें और इस मतलब के वास्ते नक़्शा नम्बर ३६ काफ़ी होगा जमीअ रक़ूमात आमदनी कि इस उनवान में मुन्दरज हों हिसाब किताब मामूली में जो साहब कलक्टर के पास भेजा जाता है मुन्दरज हों और इन रक़ूमात के सबब से ख़ज़ाने तहसील में जो कमी बेशी होती है नक़्शे में ज़ाहर की जायगी ❖

नक़्शाजात

मुतअल्लिक़ तितम्मा नम्बर २५

नक़्शा नम्बर १

अज़ इब्तिदाय साल   आमदनी मौज़े फ़ुलां परगने फ़ुलां बाबत फ़सल ... ... बाक़ी

खर्चत्यारी सड़क १०) तक़सीम मुआफ़िक़ २५०) ज़र अमानत सुरीस बैअ मुन्सफ़ ✣

था ——————————————— की

३२८७)

इन्ताम —— ब इलक़ाम यग़ाम सनमानतह गामसगत ह्नास तहसीलदार तहसीलदार

नक़्शा नम्बर ५ मुतअल्लिक़े तितम्मा नम्बर २८

जमावासिल वाक़ी

खितौनी देहात परगनह फ़ुलां

क़री ——————————————— हो

सुरादपुर निज़ाम सर ११२४) यमदयाल व बीरबल नम्बरदारान

मालजमा सन् फ़ुलां ११००) सिवाय तलबाने वग़ैरह २४)

रबीह ७००) खरीफ़ ४००)

क़िस्त	क़िस्त	क़िस्त	क़िस्त
३५०)	३५०)	२५०)	२५०)

वसू ——————————————— ल

ज़ासा ——————————————— सी रूप ४७७) या सफ़ज़े

तारी ——————————————— ख़

पहली मई सन् १८४९ ई० मारफ़त मालक राम साहूकार मुतौखिले मालगुज़ारान

साल		सिवाय	
४७२)		५)	
क़िस्त	क़िस्त	सड़क	तलवाने
२५०)	२२२)	४)	।॥)
		बड़ा १)	

बा —— की

नदारद

नक़शानम्बर६मुतअल्लिकैतितम्मा नम्बर२८

याद —— दस्त

खितौनी सालतमाम परगनै फुलां ज़िलै फुलां

१८५५२५॥।≡)

रब्बीअ —— ख़रीफ़

९५५००) —— ९५०२५॥।≡)

क़िस्तफुलां	क़िस्तफुलां	क़िस्तफुलां	क़िस्तफुलां
४१००)	५४००)	४०००)	५५०२५॥।≡)

वसू —— ल

ख़ासा —— मी रूप २०००) या —— ज़ाफ़ —— जें

तारी —— ख़

२५ माहमईसन१८४२ई०

माल	सिवाय
१९५०)	५०)

क़िस्त	क़िस्त	तलबाना	सड़क
५००)	१४५०)	२८)	२०)
		बट्टा	
		२)	

ख़ासा —— मी रूप ५००) या २५००)

तारी ख़

३०माहमईसन्‌ग़ालः

माल				माल			
४८०)		सिवाय २०)		२४४०)		सिवाय ६०)	
क़िस्त	क़िस्त	तलबाना	बट्टा	क़िस्त	क़िस्त	तलबाना	बट्टा
१४०)	३४०)	७)	१)	३५०)	१८८०)	३५)	३)
	सड़क २)					सड़क २२)	

नक़शानम्बर७मुतअल्लिकै तितम्मा नम्बर २८

याददा —— स्त

गोशवारह खितौनी सालतमाम परगनै फुलां ज़िलै फुलां १८५५२५)

दरख़्वास्त खज़ाने आमदनी मुहालात तहसीली परगनै फुलां ज़िलै फुलां बाबत माह मई सन् १८५२ ई० जो मुबलिग़ पाँच हज़ार रूपया आमदनी माल व सिवाय के आधे उसके दो हज़ार पाँच सौ रूपया होते हैं इब्तदाय पहली लग़ायत पन्द्रहवीं माह मई सन् १८५२ ई० को मैं परभूलाल तहसीलदार परगनै मज़कूर दाख़िल ख़ज़ानै सरकार व तहवील ख़ज़ानची सदर मारफ़त वज़ीर अली जमादार के करता हूं उम्मैदवार हूं कि ज़ाबतै के मुवाफ़िक़ स्याहा होकर दाख़िला उसका सरकार से इनायत हो ❀

५०००)

माल		सिवाय	
	४९००)		१००)
क़िस्त अव्वल	क़िस्त दोयम	तलबाना	बट्टा
२५००)	२४००)	७६)	२०॥≡)
		फ़ीस फ़ाज़िल अमानत मुन्सफ़	सड़क
		॥=)	२२॥)

दस्तख़त चैनसुख कन्हूलाल कानूनगोयान

दस्तख़त रूपकिशोर दफ़्तरनवीस

दस्तख़त तफ़ज़्ज़ुल हुसैन पेशकार

दस्तख़त प्रभूलाल नक़द पोतदार

तहरीर फ़ीअल तारीख़ पाँज़दहम माह मई सन् १८५२ ई०

नक़्शा नम्बर १० मुतअल्लिक़े तितम्मा नम्बर २८

तौज़ीह माल परगनै फुलां ज़िलै फुलां बाबत माह मई सन् १८५२ ई०

नम्बर	नाम मुहाल	नाम नम्बरदार	जमा सन् फुलां ईसवी मुताबिक़ सन् फुलां फ़सली	तलबी			वसूल			क़िस्त महसूल	बाक़ी	फ़ाज़िल	कैफ़ियत
				बाक़ी क़िस्त गुज़श्ते	क़िस्त हाल	मीज़ान	फ़ाज़िल माह गुज़श्ते	वसूल माल हाल	मीज़ान				
१	नाहीं	महताब	१०००)	५०)	२५०)	३००)	❀	३२५)	३२५)	३००)	❀	२५)	

हरकारह	वट्टा
५)	८)
फ़ीस इन्तकाली	सुगालरह
२)	२७५)
मरम्मत मकान	अमानत मुश्किले मुसफ़
५)	÷

इरसाल खज़ानै सदर कलक्टरी ज़िले फ़ुला २६३२)

माल	२६००)	सिवाय	३२)

तलबाना	वट्टा	फ़ीस	सड़क
२०)	८)	२)	२२)

तारी	ख	तारी	ख
पहली मई सन् १८४१ ई० बहिरासत जमाअत अली जमादार व अकबर अली व गोविन्द चपरासियान २०२२)		२५ मई सन् १८४१ ई० बहिरासत फ़दाअली जमादार व कालकादास व रंजीतसिंह चपरासियान ६१२)	

माल	२०००)	सिवाय २२)	माल ६००)	सिवाय १२)

तलबाना	वट्टा	तलबाना	वट्टा
५)	५)	५)	३)
फ़ीस	सड़क	फ़ीस	सड़क
१)	२०)	२)	२)

फ़ाज़िल अमानत मुसफ़

खसबुल खर्च	२८५)
हरकारह ५)	तनख्वाहदारान २७५)
मरम्मत मकान कचहरी तहसीली ५)	वापिसी अमानत मुश्किले मुसफ़ बाबत ज़र हिसारी ÷

बा २३३) की

माल	२००)	सिवाय	३३)

सुगालरा २५)	मरम्मत मकान ५)
चपरासियान २५)	मुलाज़िमान १०)
सड़क ३)	

नक़शा नम्बर २५ मुतअल्लिके तितम्मा नम्बर २८

नक़शा इजराय कुरकी ब इल्लत बाक़ी मौज़े फ़ुलां परगने फ़ुलां ज़िले फ़ुलां बाबत सन फ़ुलां

नम्बर	नाम मुहाल	नाम बाक़ीदार	तारीख़ इजराय कुरकी	बाक़ी लगायत क़िस्त	नाम अमीन कुरकी करने वाले का	तारीख़ इजराय कुरकी	तादाद ख़रचे	कैफ़ियत

नक़शा नम्बर २६ मुतअल्लिके तितम्मा नम्बर २८

नक़शा कुरकी हस्ब दरख़ास्त मालगुज़ारान ब इल्लत बाक़ी लगान या हिस्से मालगुज़ारी बाबत सन फ़ुलां

नाम परगने	नम्बर	नाम मुहाल	नाम दरख़ास्त करने वाले का	तारीख़ दरख़ास्त	नाम बाक़ीदार	तादाद बाक़ी	तारीख़ इजराय कुरकी	नाम अमीन कुरकी	तादाद ख़रचे	कैफ़ियत

नक़शा नम्बर २७ मुतअल्लिके तितम्मा नम्बर २८

नक़शा फ़ेहरिस्त मुक़द्दमात सरसरी

नाम परगने	नम्बर	नाम मुहाल	नाम मुद्दई	नाम मुद्दआअलैह	तादाद दावी	तारीख़ मिसल पहुंचने की	तारीख़ इजराय इश्तहार	तारीख़ हाज़िरी मुद्दआअलैह	तारीख़ इजराय इश्तहार	तारीख़ इजराय परवाने	तारीख़ रवानगी मिसल	मुआमिलत गया ज़िलत फ़ैसला

नक़शा नम्बर २८ मुतअल्लिके तितम्मा नम्बर २८

नक़शा चालान आसामी मतलूबे साहब कलक्टर ब इल्लत बाक़ी या [illegible]

नम्बर	नाम परगने	नाम मुहाल	नाम आसामी का जो चालान हुई	इल्लत चालान	तारीख़ चालान	नाम चपरासी का जिसके हस्त चालान हुई	[illegible]

नक़शा नम्बर २१ मुतअल्लिक़े नितम्मा नम्बर २८

नक़शा मौजूदात चपरासियान मअ तक़सीम पहरा कि किताब उसकी दुरुस्त होकर तहसीलदारी में रहेगी

चपरासियान हाज़िर तहसीलदारी ६४ नफ़र				चपरासियान मुतअय्यन कार सरकार २५ नफ़र		
दलीपसिंह १	सीताराम १	फ़ैजुल्ला १	गुलाबख़ां १	ख़ैराती १	अहमद १	मुरतज़ा बख़्श १
गोकुल १	आफ़ताबराय १	महम्मदख़ां १	करीमबख़्श १	तहव्वर अली १	अकबर अली १	
फ़िदा अली १	कालिकादास १	उमेद सिंह १	हुलासराय १	फूलसिंह १	नैनसुख १	
हज़ारी	देबीदियाल १	रामसहाय १	बीरू १	सूरत १	रंजीत सिंह १	
रामदियाल १	भंविया १	सुबहान १	सनाउल्ला १	खेमजीराम १	[illegible] बख़्श १	
नथन १	लखमी १	मिरज़ा १	सीलो १	मुमताज़ अली १	चुन्नीलाल १	
ख़ुदाबख़्श १	ज़ामिन अली १					

तक़सीम पहरा

दिन का पहरा

पहरा दरवाज़ह तहसीलदारी ४ नफ़र		पहरा ख़ज़ाने तहसीलदारी ४ नफ़र	
पूरन सिंह	घासी सिंह	फ़तह अली	इनाम ख़ां
हीरासिंह	रुस्तम	तेज सिंह	मंसूर अली

रात का पहरा

पहरा दरवाज़ह ४ नफ़र		पहरा ख़ज़ाने ४ नफ़र	
मुहम्मद अली	हुसैन बख़्श	[illegible] बेग	[illegible] ख़ां
बसन्त राय	सिवराम	रामसिंह	[illegible] राय

नक़शा नम्बर २७ मुतअल्लिक़ै तितम्मा नम्बर २८

नक़शा जमा बन्दी आसामीवार देहात ख़ाम तहसील परगनह फ़ुलां ज़िले फ़ुलां बाबत फ़स्ल फ़ुलां सन फ़ुलां

नम्बर	नाम मुहाल	नाम आसामी	तादाद आराज़ी	शरह	दरबन्दी	मालगुज़ारी	रसूम पटवारी	ख़र्चे देहे	मीज़ान	कैफ़ियत

नक़शा नम्बर २८ मुतअल्लिक़ै तितम्मा नम्बर २८

नक़शा जमा वासिल बाक़ी माहवारी आसामीवार बाबत ख़ास तहसील मौज़े फ़ुलां परगने फ़ुलां ज़िले फ़ुलां माह फ़ुलां सन फ़ुलां

नम्बर आसामी	नाम आसामी	तादाद आराज़ी	जमा साल तमाम			तलबी			वसूल	बाक़ी	मुहस्सल किस्त	कैफ़ियत
			माल	ख़र्चे देहे व रसूम पटवारी	मीज़ान	बाक़ी किस्त गुज़श्ते	किस्त हाल	मीज़ान				

नक़शा नम्बर २९ मुतअल्लिक़ै तितम्मा नम्बर २८

नक़शा वासिल बाक़ी साल तमाम बाबत ख़ास तहसील मौज़े फ़ुलां परगने फ़ुलां ज़िले फ़ुलां सन फ़ुलां

नम्बर	नाम आसामी	तादाद आराज़ी	जमा साल तमाम			वसूल	बाक़ी	कैफ़ियत
			माल	ख़र्चे देहे व रसूम पटवारी	मीज़ान			

इन्तख़ाब दफ़आत २ से ५ तक और ८ से १० तक
और १२ से १६ तक मिनजुमले अहकाम गवर्न
मेन्ट सरक़्यूलर २५ अप्रैल सन् १८४५ ई०
नम्बर १७००

दफ़ा २ ज़मीन नज़ूल की मालक सरकार है और किसी को कुछ हक़ सहीह बग़ैर हुक्म गवर्नमेन्ट के नहीं मिलसकता ॥

दफ़ा ३ इस मुक़द्दमे में [इस मुक़द्दमे से मुराद है जिसकी बाबत रूल व क़िताबत हुई थी] में सरकार ने अपने हुक़ूक़ बइबारत मुअैयन एक मीआद के वास्ते मुस्ताजर को सुपुर्द किये और जबतक मुस्ताजर मज़कूर ने उन शरायत को बहाल रक्खा और ज़मीन पर क़ाबिज़ रहा उसको अख़्तियार था कि जिसको चाहता ज़मीन पर दख़ल करने की इजाज़त देता मगर बाद इख़्तिताम ठेके के जो हुक़ूक़ सिरफ़ उसी ने दिये थे मुनक़ते हो जायेंगे ॥

दफ़ा ४ जो मज़ारअ़ ज़मीन के मालक नहीं सिर्फ़ दख़ीलकारी का हक़ रखते हैं यह हक़ लायक़ विरासत के है मगर इन्तक़ाल के क़ाबिल [क़ानून नम्बर सन् १८२२ ई० दफ़ा १० ज़िमन २ और क़ानून २० सन् १८०३ ई० दफ़ा ३२ ज़िमन ७ पर लिहाज़ होना चाहिये] नहीं अगर अज़राह अमद दूसरे का दख़ल तसलीम करके अपनी ज़मीन को छोड़ दें तो मालक या उसके क़ायम मुक़ाम को अख़्तियार है कि कुल ज़मीन पर दख़ल करे और नई आसामी से अपना बन्दोबस्त करे ॥

दफ़ा ५ मुस्ताजरी के अय्याम में अगर कोई शख़्स दख़ल चाहने वाला इमारत वग़ैरह के वास्ते ज़मीन नज़ूल में हुक़ूक़ सहीह दायमी चाहता होवे सिर्फ़ एक ही तौर से मुमकिन हैं यानी गवर्नमेन्ट के हुक्म से जब कोई शख़्स गवर्नमेन्ट से हक़ पावे तो पहले मुस्ताजर के हक़ मीआदी का तसफ़िया और अगर मज़ारअ़ हो तो उसके हक़ का भी तसफ़िया करना ज़रूर होगा ॥

दफ़ा ८ बमुक़द्दमे ठेके जो मुस्ताजर ने दिया इजाज़त दी जाती है कि वे बहाल रहे ॥

दफ़ा ९ जो ठेका मज़ारियों ने दिया इजाज़त दी जाती है कि मज़ारअ़ आइन्दह सरकारी मतालबः से बरी किये जायें और सरकार की तरफ़ से नया ठेका उसतादाद पर दिया जाय जो जो मज़ारअ़ से सरकार लेती थी मगर इस शर्त से कि ठेकेदार ने जो मज़ारअ़ के क़ब्ज़ः मालिकाना पाया है उसको राज़ी करे ॥

दफ़ा १० नये ठेकेजात ज़िले के बन्दोबस्त की मीआद तक दिये जायें गे

मुतअल्लिक़ै दफ़ा ३३६

खुलासै अहकाम सालियानःदारों के पहिचानने की बाबत और इस बात के इन्सदाद के वास्ते कि सालियानै दार की हयात के बाद अजरूय जाल सालियानै बहाल न रहे

अव्वल जो अफ़सर खज़ाने के मुहतमिम हैं उनको और पुलीटकल एजीडन्ट को हुक्म है कि नक़शा हरफ़ (सी) के मुवाफ़िक़ एक सारटी फ़िकट हर एक सालियानै दार को दें और जो कुछ आडर सारटीफ़िकट या सनद सालियानैदार उस वक़्त रखता हो तलब करके मंसूख करें और काग़ज़ात मुक़द्दमे के शामिल रक्खें † सदर अडीटर का सरकुलर मरक़ूमै ३० नवम्बर सन् १८३० ई० ❁

दोम उसकी नक़ल व खत्त साफ़ कचहरी की एक किताब में बराबर लगाई जाय और सारटीफ़िकट के नम्बर के † सरकुलर ईज़ा बमूजिब मुरत्तिब हो इस दफ़ा का मक़सद यह है कि सालियानै का एक रजस्टर बने और सारटी फ़िकट में कोई बात अगर अज़राह तहरीफ़ घटाई बढ़ाई जाय तो बआसानी ज़ाहिर हो यह रजस्टर उसके मुताबिक़ है जो फ़ौज के दफ़्तर में अज़रूय हुक्म गवरमेन्ट † ताकि ग़लसाज़ों को ज़्यादह मुशकिल हो कि अपने तईं सालियानै दार बनावें इस वास्ते जो अफ़सर सालियानै के रुपये खर्च करते हैं हमेशे किताब में हर सालियानैदार की बाबत उसकी कार गुज़ारी के अमूरात जो ज़्यादह ज़रूरी हैं और उसके बजाय जो ज़्यादह इमतियाज़ के मूजिब हों लिखा करें ताकि ग़लती के वक़्त उसपर रुजूअ हो और पेन्शन के रजस्टर में लिखें कि यह बात अमल में आई ❁ मुवर्रखे २२ अ-

❁ इबारत हुक्म गवरमेन्ट मुवर्रखे २२ अपरैल सन् १८२० ई० दफ़ा ६ ❁

परैल सन् १८२० ई० तैयार होता है और साहब एकौन्टन्ट के दस्तूरुल अमल सफ़हा २६ में मुन्दरज है सालियाने के जुमला खुलासे थिरु पर इबारत मुक़र्रर के मुवाफ़िक़ लिखा जाय कि यह रजस्टर मुरत्तिब रहना है ❁

सोम सारटीफ़िकट की तीसरी नक़ल जो अज़रूय ज़ाबते मुतहक़्क़े हो सिवल अडीटर के महकमे में भेजी जाय अगर इस बाब में फ़रोगुज़ाश्त हो तो मुजराई पेन्शन की मुलतवी रहेगी और उस अफ़सर के ज़िम्मे होगी जिसने खर्च की जबतक कि नक़ल ‡ सिविल अडीटर का सरकुलर मज़कूरै बाला भेजी जाय ❁

चहारुम जो सालियानैदार मरद हैं जितनी दफ़ा सालियाने दिया जाना है उनका हाज़िर होना और हुलिये मुन्दरजे सारटीफ़िकट का मुताबिक़त ज़रूर है मगर जो इज़्ज़तदार हों और कचहरी में पहिचान के वास्ते हाज़िर होने से उज़र करें तो यह बात उनके मकान या साहब कलक्टर के घर पर होनी है ताकि वे सबब उनको नागवार न हो अलावा हाज़िर के ख़ास सूरत में

२४ सन १८०३ ई० दफ़ा १३ और सदर बोर्ड का मरासिला २ जौलाई सन १८१८ ई० दफ़ा ५ और इस्तहार जनरल पेन्शन बुक फ़रवरी सन १८३२ ई० दफ़ा १३ सदर बोर्ड के नाम गवर्नमेन्ट के जो अहकाम जारी हुए मरकूमे ५ फ़रवरी सन १८३३ ई० मजरिये सदर बोर्ड बज़रिये मरासिला १३ फ़रवरी सन १८३२ ई० हो सक्ती है॥

हफ़्तुम हुक्काम सदर बोर्ड को अख़्तियार मिला हुआ है कि अहलउज़न सालियानेदारों को मरद हों या औरत अहतियातों मज़कूरह बाला से मुस्तग़ना करैं और हर मुक़द्दमे में अपने अहकाम की नक़ल सिवल अडीटर के पास भेजा करैं और तसरीह करैं कि मामूली अहतियातों के बदले फ़रेब के इन्सदाद को क्या क्या तदबीरें तजवीज़ की हैं॥ अहकाम गवर्नमेन्ट जो बनाम सदर बोर्ड जारी हुये मरकूमे ६ सितम्बर सन १८३२ ई०॥

नुहम जो सालियानेदार पर लेटकल आला में सब के हों और गवर्नर जनरल या लफ़टेनन्ट गवर्नर के किसी एजन्ट के तहत में हों वह भी साहब कलक्टर के हुज़ूर में हाज़िर होने से मुस्तग़ना किये गये मगर ऐसे सब मुक़द्दमात में सालियाने का बिल जब सिवल अडीटर के पास भेजा जाय बिल पर साहब एजन्ट के भी दस्तख़त हों और इस तरह से साहब एजन्ट बज़ाते ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि सालियानेदार ज़िन्दह है ६ अहकाम गवर्नमेन्ट पर लेटकल दफ़्तर में मरक़ूमे ८ सितम्बर सन १८३२ ई० है॥

दहुम कमिश्नरान माल को अख़्तियार है कि एक अहाते के दरमियान एक ज़िले से दूसरे ज़िले को पेन्शन मुन्तकिल करनी मंज़ूर करैं मगर अहतियात से तहक़ीक़ात करनी चाहिये कि किन वजूहात से इन्तक़ाल की दरख़ास्त की जाती है ताकि ऐसे फ़रेब का इन्सदाद हो जो ऐसे इन्तक़ाल से अकसर और बे वजह क़ाबिल मंज़ूर होने के सबब से वाक़े हो ऐसे मुक़द्दमात में महकमा इकाउन्टेन्ट और सिवल अडीटर को मामूली इत्तलाय देनी चाहिये जो सालियाने एक अहाते से दूसरे अहाते को मुन्तक़िल हों तो यह बात गवर्नमेन्ट के हुक्म ७ गवर्नमेन्ट के अहकाम माल के दफ़्तर में मरक़ूमे १५ मार्च सन १८३२ ई० से हो सक्ती है॥

नमूने रसीद नक़्श: (क)

साहब कलक्टर या रज़ीडंट मुकाम फ़ुलां से तादाद फ़ुलां ज़र नक़द कलदार में ने वसूल पाया कि ज़र मज़कूर मेरी पेन्शन की मिक़दार है बाबत माह या साल फ़ुलां मुताबिक़ सारटीफ़िकट या हुलियै नम्बर फ़ुलां मरक़ूमै तारीख व माह व सन फ़ुलां तफ़सील कचहरी साहब कलक्टर या रज़ीडंट माह व साल फ़ुलां ॥

ज़मीमै ख़ज़ानै

नम्बर २२७२

रज़ोल्यूशन जनाब नव्वाब लफ़टेनन्ट गवर्नर बहादुर ममालक मग़रबी मरक़ूमै ९ नवम्बर सन १८५० ईसवी

रपोरट साहब सिवल अडीटर मरक़ूमै १८ सितम्बर सन १८५० ई० बाबत पेन्शनदारान ममालिक हाज़ा के मुलाहिज़े में आई ॥

दफ़ा १ इस रपोरट से ख़ौफ़ पैदा होता है कि हयाती पेन्शनों में अकसर तफ़र्रुबहुआ करता है और मज़बूद अहतियात इस अमर की ज़रूर है कि पेन्शन का रुपया उसी शख़्स को पहुंचे जो उसका मुस्तहक़ हो और पेन्शनदार के मरने पर उसकी वफ़ात की सही सहीह इत्तलाय हुआ करे लिहाज़ा जनाब लफटंट गवर्नर बहादुर जुमले हुक्काम माल को इस अमर की तरफ़ मुतवज्जः होने और दस्तूरुल अमल मुंदर्जे ज़ैल के मरई रखने का इरशाद फ़रमाते हैं ॥

दफ़ा २ अगर पेन्शन का रुपया छः महीने से ज़्यादह अरसे तक बाक़ी रहा हो तो वह रुपया भी दिया जायगा इल्ला उस सूरत में कि साहब कमिश्नर की मारफ़त रपोरट बाबत तसदीक़ हयात व क़ायम होने पेन्शनदार और बदरपेगी वजूहात माक़ूल गैर हाज़िरी के महकमै बोर्ड में पहुंचकर हुक्काम बोर्ड के हुज़ूर मंज़ूर की जाय अगर पेन्शन का रुपया उस तारीख़ से जब वह वाजिबुल अदा होवे दो बरस तक तलब न किया जावे तो पेन्शनदार का नाम फ़ेहरिस्त से ख़ारिज किया जायगा और बिला मंज़ूरी गवर्नमेन्ट के बाद मुलाहिज़े रपोरट मुरसिलै कमिश्नर और हुक्काम बोर्ड माल के उसका नाम हरगिज़ फ़ेहरिस्त पर मुकर्रर क़ायम न हो सकेगा अगर पेन्शनदार मुतोफ़ा के मुतअल्लिक़ीन तरफ़ से को कुछ रुपया बतौर बक़ाया पेन्शन के लेना हो तो वह कमिश्नर की मंज़ूरी से अदा हो सकता है बशर्ते कि छः महीने से ज़्यादह अरसे का बक़ाया न हो अगर वह छः महीने से ज़्यादह इल्ला दो बरस से कम मीआद का बक़ाया हो तो उसके अदा से पहिले गवर्नमेन्ट का हुक्म ख़ास हासिल करना पर ज़रूर है और लाज़िम है कि इत्तलाय हर एक सूरत इनतमाम पेन्शन की ख़ास नक़्शे पेन्शन

[illegible] पेन्शन इस दस्तूरुल अमल की रूसे तमाम हो जाय साहब सिवल
[illegible] के पास पहुंचा दी जाय यह दस्तूरुल अमल उन कवायद खुलासे बार कान-
[illegible] के हिदायत नामे के ज़मीमे २० में दर्ज हुए थे ॥

दफा ३ [illegible] को लाज़िम है कि बाद इस छपने इस [illegible] के जिस कदर
[illegible] फेहरिस्त चन्द [illegible] नाम हर एक पेन्शनदार हयाती के
[illegible] खज़ाने में पेन्शन हासिल करता हो तैयार करें ॥

[illegible] फेहरिस्त उन दवामी पेन्शनों की जो मुताबिक कवायद पेन्शन मुलाज़ि-
मान [illegible] के अता हुई हों ॥

[illegible] फेहरिस्त उन मामूली पेन्शनों की जो बवजह माफी मिनजालते या सिवाय द-
फा [illegible] के मुताबिक किसी और दफा कानून २९ सन १८०३ ई० के अता हुई हों ॥

[illegible] फेहरिस्त पेन्शन हाय [illegible] की ॥

दफा ४ पेन्शनदारों को बलिहाज़ परगनात के जिनमें वह रहते हों तरतीब देना
चाहिये और हर एक तहसीलदार को फिर फेहरिस्त बइन्दराज असमाय उन
[illegible] पेन्शनदारों के जो उसके इलाके में सकूनत रखते हों इस गरज़ से देना चाहि-
ये कि वह हर एक पेन्शनदार की हयात की तहकीकात कर सके फिर तहसील-
दार को लाज़िम है कि तहकीकात करके रपोरट बाबत हयात या वफात हर एक
पेन्शनदार के जो उसके इलाके में रहता हो हर साल की पहली जनवरी को दाखि-
ल करे अगर तहसीलदार यह हाल बिल यकीन न लिख सके तो उसको रपोरट खा-
[illegible] दरियाफ्त मुद्दह लिखना चाहिये इसके बाद मुना-
सिब है कि मुकदमे के हर एक जुज़्व की तहकीकात व यह [illegible] तमाम की जा-
ये ॥

दफा ५ साहबान कौमिश्नर साल को मुनासिब है कि किसी ज़िले में पहुंचने के
वक्त फेहरिस्त हाय पेन्शन को इस अमर के दरियाफ्त के लिये मुलाहिज़ा करें और
[illegible] कि आया इस दस्तूरुल अमल की तामील होती है या नहीं ॥

(दस्तखत) जी प्यारस्टन
सेक्रेटरी गवर्नमेंट ममालिक मगरबी